शाश्वत ऊर्जा

इरेडा IREDA

एक बार इरेडा सदैव इरेडा

(नवरत्न सीपीएसई)

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)

(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)

पंजीकृत कार्यालय: पहली मंज़िल, कोर-4ए, ईस्ट कोर्ट, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष: 011-24682206-19 फैक्स: 91-11-24682202

कॉरपोरेट कार्यालय: तीसरी मंज़िल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष: 011-26717400-12 फैक्स: 91-11-26717416

व्यवसाय केंद्र: एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-II, प्लेट-बी, सातवीं मंज़िल, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली- 110023 दूरभाष: 011-24604157, 24347700-24347799

वेबसाइट: www.ireda.in

सीआईएन: L65100DL1987GOI027265

हमें यहाँ देखें :

IREDALtd | IREDALimited | iredaofficial | IREDA Ltd. | IREDALtd.



शाश्वत ऊर्जा

इरेडा IREDA

एक बार इरेडा सदैव इरेडा

(नवरत्न सीपीएसई)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25



शाश्वत ऊर्जा

इरेडा IREDA

एक बार इरेडा सदैव इरेडा

(नवरत्न सीपीएसई)

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

अक्षय ऊर्जा के लिए जिम्मेदार

माननीय प्रधानमंत्री इरेडा मंडप की शोभा बढ़ाते हुए





इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 28 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित 'उत्कर्ष ओडिशा: मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025' में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में इरेडा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी देते हुए।

माननीय प्रधानमंत्री इरेडा मंडप की शोभा बढ़ाते हुए





दिनांक 16 सितंबर, 2024 को गांधीनगर में आयोजित री-इन्वेस्ट 2024 में इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया और देश की अग्रणी हरित वित्तपोषण एनबीएफसी के रूप में इरेडा की यात्रा का अवलोकन प्रस्तुत किया।

हमारे बारे में

इरेडा एक अग्रणी वित्तीय संस्थान है, जिसके पास ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने के क्षेत्र में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव है। हम नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और उपकरण निर्माण के लिए परियोजना की अवधारणा से लेकर शुरुआत के बाद के चरण तक वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान करते हैं।

विजन

देश में किफायती, मापकता और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार व परिवर्तन।

मिशन

बनो एक

- अग्रणी
- प्रतिभागी अनुकूल
- प्रतिस्पर्धी संस्था

निम्नलिखित में आत्मनिर्भर निवेश के वित्तपोषण और संवर्धन हेतु

- नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन
- ऊर्जा दक्षता
- पर्यावरण प्रौद्योगिकी

सतत विकास के लिए

वित्त वर्ष 25 की मुख्य बातें

1 अब तक की सर्वाधिक मंजूरी (₹47,453 करोड़) व संवितरण (₹30,168 करोड़)

2 प्रतिष्ठित *'नवरत्न'* सीपीएसई दर्जा प्राप्त

3 एसएंडपी ग्लोबल द्वारा बीबीबी-(स्थिर) अंतरराष्ट्रीय रेटिंग; सीएआरई रेटिंग्स द्वारा एएए(स्थिर) घरेलू रेटिंग को उन्नत किया गया तथा आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, ब्रिकवर्क और एक्यूट द्वारा इसे अनुरक्षित किया गया

4 15 दिनों में वार्षिक लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण प्रकाशित - एनएसई व बीएसई सूचीबद्ध बैंकों और एनबीएफसी* में से सबसे तेज़

5 14वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार में "कॉरपोरेट शासन" एवं "सीएसआर व स्थिरता" में स्वर्ण पदक से सम्मानित

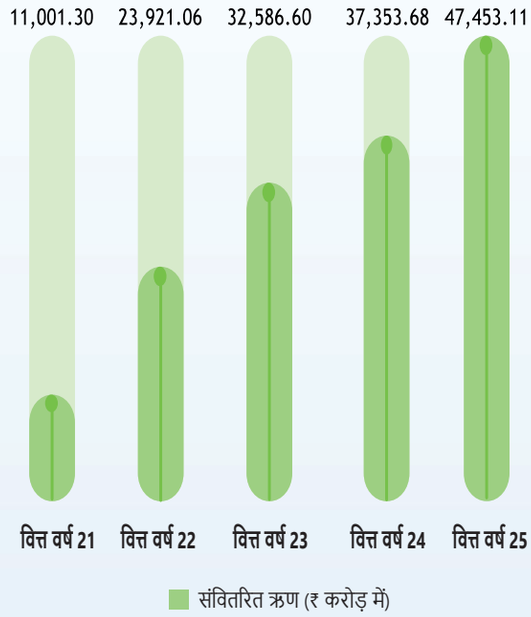
6 इरेडा को नवीकरणीय ऊर्जा विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सीबीआईपी पुरस्कार 2024 से सम्मानित ; सीएमडी को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित

* 31.03.25 तक ₹50 करोड़ से अधिक बाजार पूंजी वाली कंपनियां

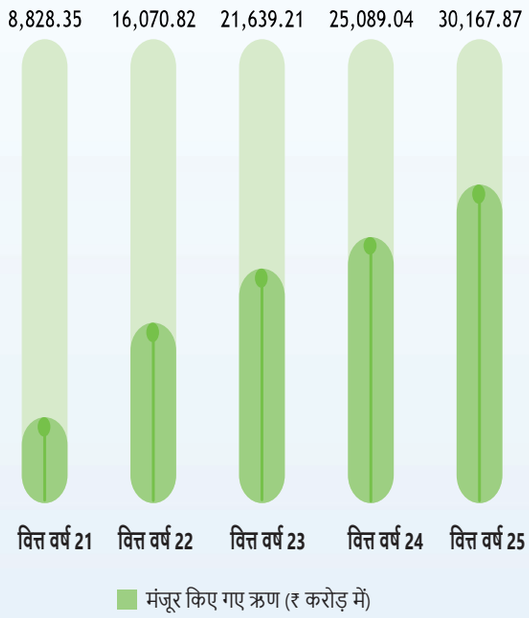
कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें

बढ़ती ऋण बुक

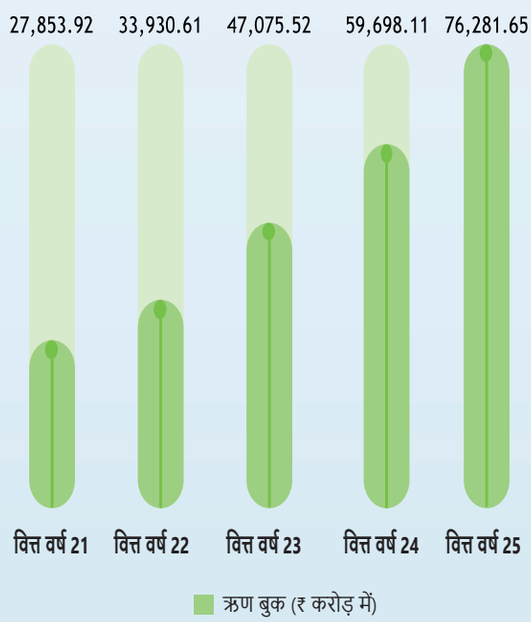
मंजूरी



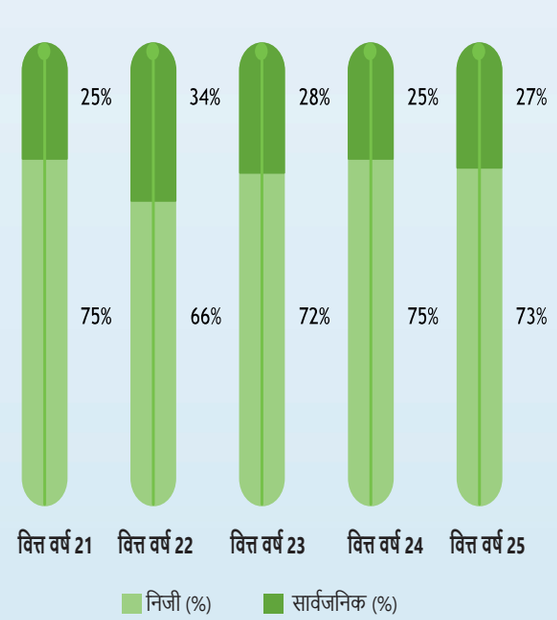
संवितरण



ऋण बुक



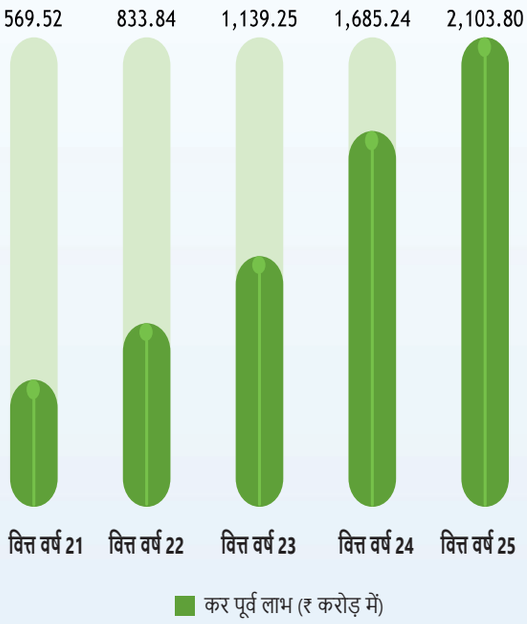
सार्वजनिक व निजी विभाजन



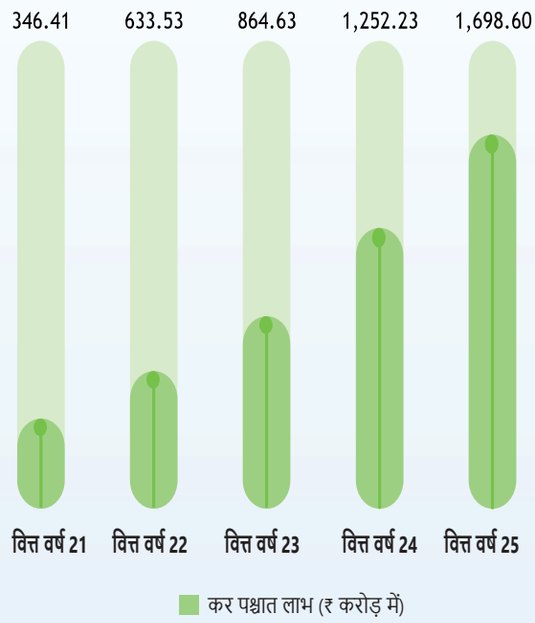
कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें

स्थिर लाभप्रदता

कर पूर्व लाभ

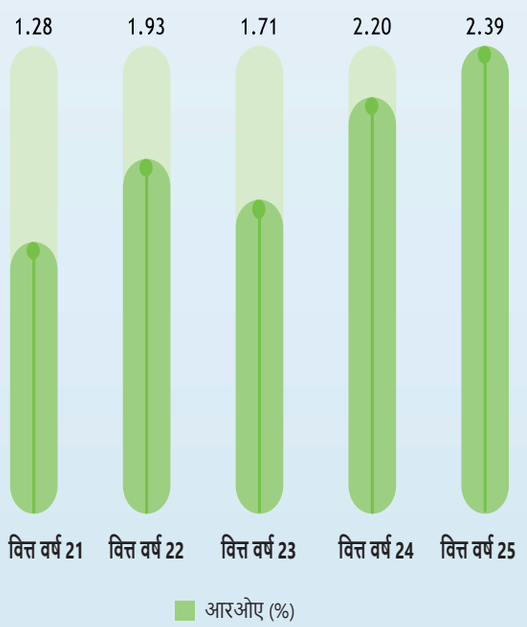


कर पश्चात लाभ

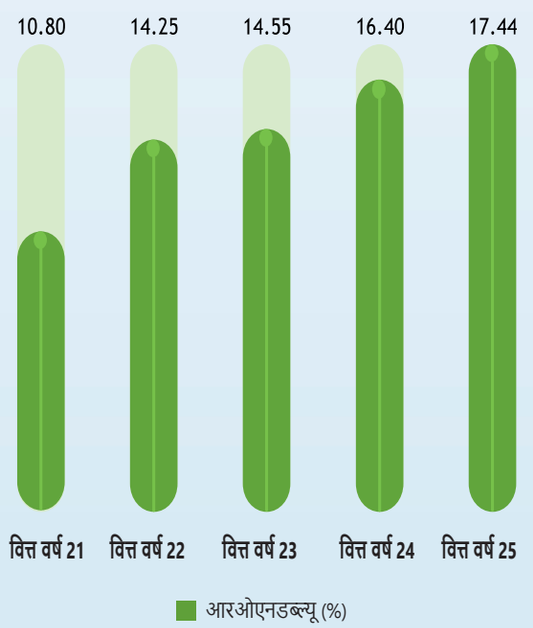


प्रमुख परिचालनगत मेट्रिक्स

आरओए



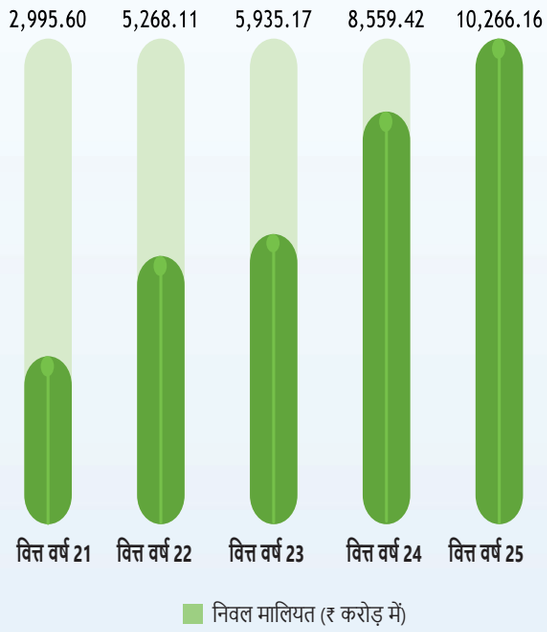
आरओएनडब्ल्यू



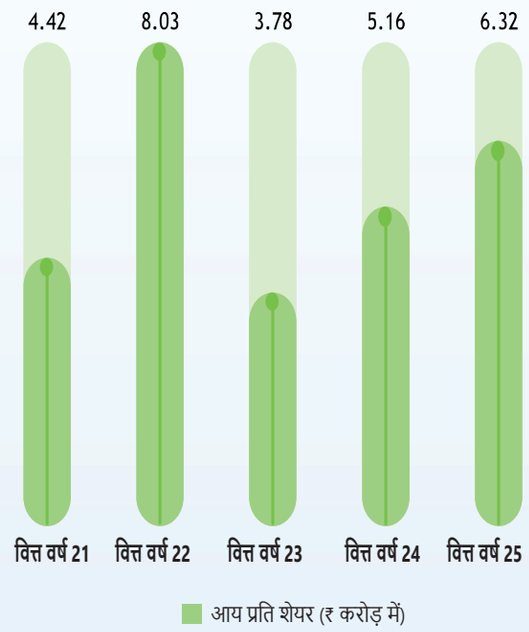
कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें

सुदृढ़ शेयरधारक मूल्य

निवल मालियत

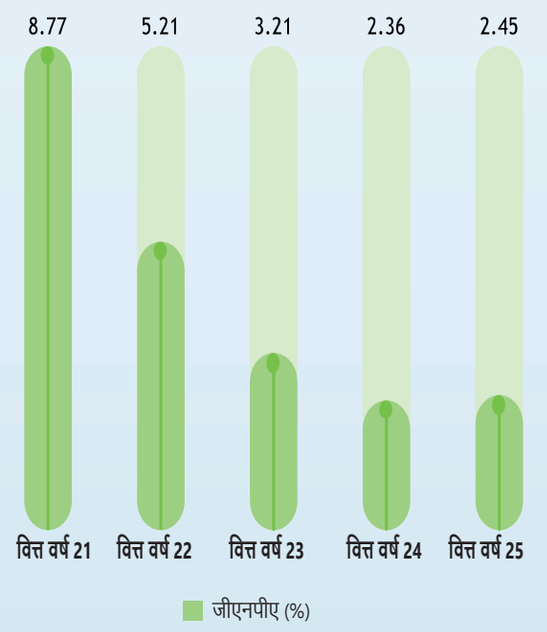


आय प्रति शेयर

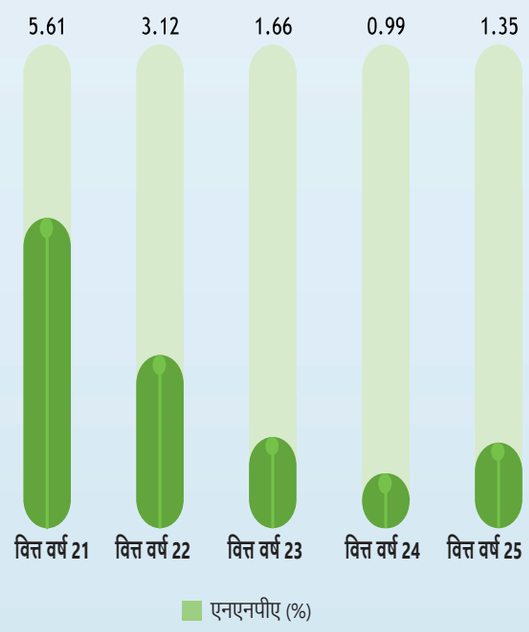


उच्च गुणवत्ता सम्पन्न परिसंपत्तियां

जीएनपीए

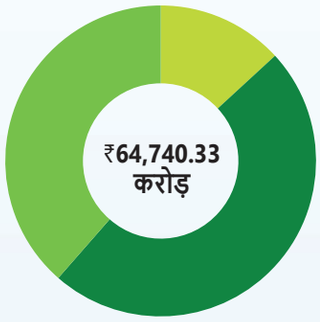


एनएनपीए



निधि के स्रोत व उपयोग

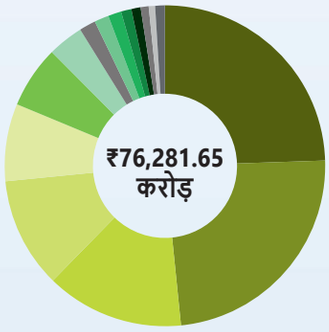
वित्तपोषण के स्रोत



31 मार्च, 2025 को
बकाया उधार

घरेलू बॉण्ड	48.27%
घरेलू बैंक/वित्तीय संस्थाएं	38.56%
विदेशी उधार	13.17%

प्रौद्योगिकी द्वारा ऋण संविभाग वितरण



31 मार्च, 2025 को
बकाया ऋण बुक

सौर ऊर्जा	24.5%	राज्य उपयोगिताओं को ऋण सुविधा	23.9%
पवन ऊर्जा	13.9%	जल विद्युत	11.2%
इथेनॉल	7.8%	विनिर्माण	6.3%
हाइब्रिड पवन व सौर	3.6%	स्मार्ट मीटर	1.4%
निजी संस्थाओं को अल्पावधि ऋण	1.7%	विद्युत वाहन (ईवी)	1.3%
बायोमास पावर व सह-उत्पादन	1.0%	ग्रीन हाइड्रोजन व व्युत्पन्नी	0.9%
बायोमास (ब्रिकेटिंग, गैसीकरण व औद्योगिक अपशिष्टों से मीथेनेशन)	0.8%	अपशिष्ट से ऊर्जा	0.6%
विविध (पारेषण सहित)	1.1%		

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में उपस्थिति...

पारम्परिक आरई तकनीक

- सौर
- हाइड्रो
- पवन
- पारेषण
- बायोमास व सह-उत्पादन
- अपशिष्ट-से-ऊर्जा
- इथेनॉल
- ऊर्जा दक्षता व संरक्षण

उभरती आरई तकनीक

- बैटरी स्टोरेज सिस्टम
- विद्युत वाहन व चार्जिंग इंफ्रा
- ग्रीन हाइड्रोजन व व्युत्पन्नी
- पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो
- स्मार्ट मीटर
- आरई अवयव का विनिर्माण

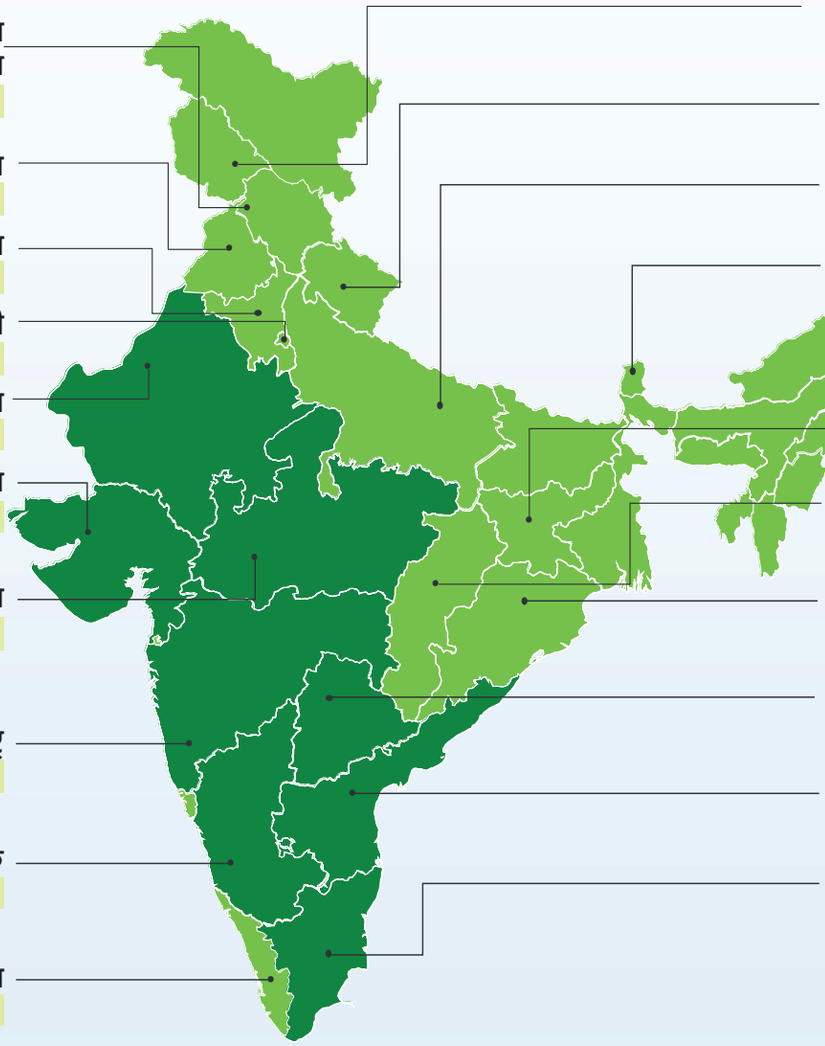


...वित्तीय उत्पादों व सेवाओं के व्यापक सुइट सहित

अवधारणा से लेकर शुरुआत तक प्रस्तुत उत्पाद

- परियोजना अवधि ऋण
- ऋणों का पुनर्वित्तपोषण
- ऋण सिंडिकेशन
- टॉप-अप ऋण
- ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स पर भुगतान
- भविष्य नकद प्रवाह के प्रतिभूतिकरण के प्रति ऋण
- चुकौती आश्वासन पत्र/ वचन पत्र
- बोली सुरक्षा हेतु आरई आपूर्तिकर्ताओं, विकासक, विनिर्माताओं व ईपीसी ठेकेदारों को गारंटी सहायता योजना

राज्यवार बकाया ऋणबुक



	31 मार्च, 2025 तक बकाया ऋण (₹ करोड़)	सकल ऋण संविभाग का प्रतिशत
हिमाचल प्रदेश	2,512	3.29%
पंजाब	540	0.71%
हरियाणा	963	1.26%
दिल्ली	714	0.94%
राजस्थान	12,540	16.44%
गुजरात	6,024	7.90%
मध्य प्रदेश	3,845	5.04%
महाराष्ट्र	4,748	6.22%
कर्नाटक	10,469	13.72%
केरल	434	0.57%
जम्मू व कश्मीर	529	0.69%
उत्तराखंड	1,540	2.02%
उत्तर प्रदेश	1,101	1.44%
सिक्किम	1,846	2.42%
झारखण्ड	372	0.49%
छत्तीसगढ़	885	1.16%
ओडिशा	1,783	2.34%
तेलंगाना	6,304	8.26%
आंध्र प्रदेश	8,777	11.51%
तमिलनाडु	6,888	9.03%
अन्य राज्य[1]	1,047	1.37%
बहु राज्य	2,421	3.17%

सकल ऋण संविभाग में 5% से अधिक हिस्सेदारी वाले राज्य

[1] अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पुदुचेरी, लद्दाख, मणिपुर सहित कई अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

* मानचित्र केवल सांकेतिक है और भौगोलिक प्रतिनिधित्व नहीं।

हमारी अब तक की यात्रा

2015

मिनीरत्न दर्जा प्राप्त। केरल में 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की

₹8,908 करोड़*

2010

अनुसूची ग से *अनुसूची ख* सीपीएसई में उन्नत

₹3,034 करोड़*

2005

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आईएसओ प्रमाणन

₹1,825 करोड़*

1996

कंपनी अधिनियम के अधीन सार्वजनिक *वित्तीय संस्थान* के रूप में अधिसूचित

₹391 करोड़*

1987

तत्कालीन गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक समर्पित *वित्तीय संस्थान* के रूप में स्थापित

₹ 1.55 करोड़*

* ऋण बुक

हमारी अब तक की यात्रा

2018

लंदन/सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई आईएफएससी में सूचीबद्ध ग्रीन मसाला बॉण्ड जुटाने वाला पहला भारतीय वित्तीय संस्थान

₹15,820 करोड़*

2022

भारत सरकार द्वारा ₹1500 करोड़ का इक्विटी निवेश। नवरत्न दर्जे के साथ-साथ अनुसूची क हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत

₹ 33,931 करोड़*

2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने *इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी* का दर्जा प्रदान किया। आईसीआरए व इंडिया रेटिंग्स द्वारा श्रेणी निर्धारण को एएए (स्थिर) में उन्नत किया गया। 13वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में 'सीएमडी ऑफ द ईयर' प्रदान किया गया।

₹47,076 करोड़*

2024

भारत सरकार ने इरेडा को *अनुसूची* क सीपीएसई में उन्नत किया।
लगातार चौथे वर्ष बाबत एमएनआरई से वित्त वर्ष 24 हेतु उत्कृष्ट समझौता ज्ञापन रेटिंग।
समग्र 39x अभिदान सहित शेयर बाजार में उल्लेखनीय शुरुआत

₹59,698 करोड़*

2025

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा *नवरत्न* दर्जा प्राप्त।
एसएंडपी ग्लोबल से बीबीबी-(स्थिर) अंतरराष्ट्रीय रेटिंग
सीएआरई रेटिंग्स द्वारा एएए (स्थिर) घरेलू रेटिंग
आईएफएससी गिफ्ट सिटी (गुजरात) में सहायक कंपनी हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर)
14वें पीएसई उत्कृष्टता अवार्ड्स में कॉरपोरेट शासन तथा सीएसआर व संधारणीयता में स्वर्ण पदक
इरेडा को सीबीआईपी अवार्ड 2024 व सीएमडी, इरेडा को सीबीआईपी व्यक्तिशः अवार्ड

₹76,282 करोड़*

* ऋण बुक



इरेडा के सीएमडी ने निदेशक (वित्त) और टीम इरेडा के साथ पुरी के समुद्र तट का दौरा किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वनामधन्य कलाकार सुदर्शन पटनायक द्वारा बनायी गई एक अद्भुत रेत निर्मित मूर्ति का अवलोकन किया। यह मूर्ति अक्षय ऊर्जा क्षमता के विस्तार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की दिशा में इरेडा के योगदान बाबत एक रचनात्मक श्रद्धांजलि थी।

विषय-सूची

- कंपनी संबंधी जानकारी 14
- निदेशक मंडल 15
- सूचना 17
- निदेशकों का संक्षिप्त परिचय 37
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय का संदेश 39
- निदेशक प्रतिवेदन 48
- सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन 90
- सचिवीय लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन 98
- कॉरपोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाण-पत्र 102
- कॉरपोरेट अभिशासन पर प्रतिवेदन 105
- व्यावसायिक उत्तरदायित्व व स्थिरता प्रतिवेदन 137
- स्वतंत्र उचित आश्वासन प्रतिवेदन 175
- प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण प्रतिवेदन 180
- एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन 195
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन 211
- एकल वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के मंतव्य 212
- एकल वित्तीय विवरणों 213
- समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन 349
- समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के मंतव्य 356
- समेकित वित्तीय विवरण 357
- पांच वर्षों का परिचालनगत सारांश 495

कंपनी संबंधी जानकारी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री प्रदीप कुमार दास
कार्यवाहक निदेशक	डॉ. बिजय कुमार महान्ती
नामित निदेशक	श्री पदम लाल नेगी श्री अजय यादव (12.12.2024 तक)
स्वतंत्र निदेशक	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर श्री राम निहाल निषाद श्रीमती रोहिणी रावत
मुख्य वित्त अधिकारी	डॉ. बिजय कुमार महान्ती
कंपनी सचिव	श्रीमती एकता मदान
सीआईएन	L65100DL1987GO1027265
एलईआई कोड	335800AXWFKW4BC99J48
पंजीकृत कार्यालय	भारत पर्यावास केंद्र कोर-4 'ए', ईस्ट कोर्ट, पहली मंज़िल, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
कॉरपोरेट कार्यालय	तीसरी मंज़िल, अगस्त क्रांति भवन भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
व्यवसाय केन्द्र	एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-II, प्लेट-बी, 7वीं मंज़िल, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023
सांविधिक लेखा-परीक्षक	मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स 103, 105, प्लॉट नंबर 1, वर्धमान इंद्रप्रस्थ प्लाजा, आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092
सचिवीय लेखा-परीक्षक	मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी कंपनी सचिव # 2382, सेक्टर-16, फरीदाबाद, हरियाणा-121002
बैंकर्स	बैंक ऑफ़ बड़ौदा येस बैंक लिमिटेड भारतीय स्टेट बैंक आईडीबीआई बैंक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ़ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया कर्नाटका बैंक लिमिटेड इंडियन ओवरसीज बैंक हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड कैनरा बैंक बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडसइंड बैंक आईसीआईसीआई बैंक
स्टॉक एक्सचेंज	बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध इक्विटी व बॉण्ड्स

निदेशक मंडल
(10 जुलाई, 2025 को)



श्री प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 07448576)



डॉ. बिजय कुमार महान्ती
निदेशक (वित्त)
(डीआईएन : 08816532)



श्री पदम लाल नेगी
सरकार नामित निदेशक
(डीआईएन : 10041387)



श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 09483059)



डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 09556253)



श्री राम निहाल निषाद
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 10064841)



श्रीमती रोहिणी रावत
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 10064820)

वरिष्ठ प्रबंधन
(10 जुलाई, 2025 को)



श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा
कार्यपालक निदेशक (वित्त तथा लेखा)



श्री धीरज मेहता
कार्यपालक निदेशक (वित्त तथा लेखा)



श्री सुशांत कुमार डे
कार्यपालक निदेशक (परियोजना)



श्री दीपक कुमार बारीक़
कार्यपालक निदेशक (विधि)



श्रीमती माला घोष चौधुरी
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)



श्री भरत सिंह राजपूत
महाप्रबंधक (परियोजना)



सुश्री दुर्रे शाहवार
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)



श्री अमित गोयल
महाप्रबंधक (वित्त तथा लेखा)



श्री ए चंद्रशेखर
अपर महाप्रबंधक
(आंतरिक लेखा-परीक्षा)



श्री के.पी. फिलिप
अपर महाप्रबंधक (परियोजना)



श्री राजेंद्र सिंह
अपर महाप्रबंधक (परियोजना)



श्रीमती कंचन भल्ला
अपर महाप्रबंधक (परियोजना)



श्रीमती पुन्नु ग्रोवर
मुख्य अनुपालन अधिकारी



श्री राजीव कुमार
अपर महाप्रबंधक (परियोजना)



श्री एस एम सिद्देश
अपर महाप्रबंधक (परियोजना)



श्री विक्रम सिंह यादव
अपर महाप्रबंधक (वित्त तथा लेखा)



श्री प्रदीप्त कुमार रॉय
अपर महाप्रबंधक (परियोजना)



श्री पल्लव कपूर
मुख्य जोखिम अधिकारी



श्री राजेश डूडी,
अपर महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)



श्री अमरनाथ यादव
अपर महाप्रबंधक (वित्त तथा लेखा)



श्री संजय कुमार गुप्ता
मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी



श्री बालाजी नटराजन
मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी



श्रीमती एकता मदान
कंपनी सचिव

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : पहली मंज़िल, कोर-4ए, ईस्ट कोर्ट, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
सीआईएन: L65100DL1987GOI027265, वेबसाइट: www.ireda.in , ईमेल: equityinvestor2023@ireda.in
दूरभाष: +91-11-24682206-19, फैक्स नंबर: +91-11-24682202

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड **("कंपनी")** के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **बृहस्पतिवार, 07 अगस्त, 2025 को सुबह 11:30 बजे (भा.मा.स.)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा-परीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों के साथ ही निदेशक मंडल, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के मंतव्यों प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।
2. डॉ. बिजय कुमार महान्ती (डीआईएन: 08816532) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।
3. वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए वैधानिक लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

विशेष व्यवसाय:

4. **वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु लागत लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना :

   "संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 (**"अधिनियम"**) की धारा 148 तथा कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम के अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के लागत लेखा-परीक्षक मैसर्स आर. एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 000022) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए देय ₹62,000 (रुपये बासठ हजार मात्र) का पारिश्रमिक तथा प्रयोज्य कर (जेब से किए गए खर्च), जैसा कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, की पुष्टि की जाती है तथा अनुसमर्थन किया जाता है।"

5. **वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक लगातार 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा-परीक्षक की नियुक्ति**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना, तथा यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना :

   "संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 (**"अधिनियम"**) की धारा 204 के प्रावधानों और अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्य सभी लागू प्रावधानों, विनियमन 24क और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों, जिनमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन (नों), रूपांतरण(णों) या उसमें पुनः अधिनियमन शामिल है, और निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार, मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव (सहकर्मी समीक्षित एफआरएन: पी2016एचआर051300) को एतद द्वारा कंपनी के सचिवीय लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित पेशेवर शुल्क पर कंपनी की सचिवीय लेखा-परीक्षा आयोजित करेंगे।"

   "इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, वांछनीय या उचित माना जाए।"

6. **श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट (डीआईएन: 09483059) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) के रूप में नियुक्ति**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

   "संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 161 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, विनियमन 17(1ग), 25 (2क) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015

के अन्य लागू प्रावधानों, जिसमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन(नों) या उस पर पुन: अधिनियमन(नों) शामिल है, कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 74 और 74ए तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा- भाग (1) दिनांक 28 मार्च, 2025 के अनुसार, श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट (डीआईएन: 09483059), जिन्हें इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए, 28 मार्च, 2025 से कंपनी के अपर निदेशक, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा एतद द्वारा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो 28 मार्च, 2025 से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल सहित नियमों और शर्तों पर रोटेशन द्वारा सेवा-निवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।"

"इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, वांछनीय या उचित माना जा सकता है।"

7. डॉ. जगनाथ चेन्नाकेशवा मूर्ति जोड़ीधर (डीआईएन : 09556253) की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 161 और अन्य लागू प्रावधानों, विनियमन 17(1ग), 25 (2ए) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के अन्य लागू प्रावधानों, जिनमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन(नों) या पुनः अधिनियमन(नों) शामिल है, कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 74 और 74क तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा-भाग (1) दिनांक 28 मार्च, 2025 के अनुसार, डॉ. जगनाथ चेन्नाकेशवा मूर्ति जोड़ीधर (डीआईएन: 09556253), जिन्हें इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए, 28 मार्च, 2025 से कंपनी के अपर निदेशक, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा एतद द्वारा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो 28 मार्च, 2025 से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल सहित नियमों और शर्तों पर रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।"

"इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और चीजें करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, वांछनीय या उचित माना जाए।"

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के अधीन अनुमोदित वर्तमान उधार सीमा में संशोधन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि 31 जुलाई, 2017 को आयोजित अपनी 15वीं असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा पारित पहले के प्रस्ताव के स्थान पर और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) और अन्य लागू प्रावधानों (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या उस पर पुन: अधिनियमन सहित) और अन्य लागू कानूनों और कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसरण में, शेयरधारकों की सहमति कंपनी के निदेशक मंडल (**"बोर्ड"**) को कंपनी की कुल उधार सीमा को ₹1,50,000 करोड़ रुपये (रुपये एक लाख पचास हजार करोड़ मात्र) तक बढ़ाने और कंपनी के व्यवसाय के प्रयोजन के लिए, समय-समय पर अपने विवेक से, सुरक्षा के साथ या उसके बिना और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जैसा कि बोर्ड ठीक समझे, ऐसी धनराशि या धनराशि उधार लेने के लिए दी जाती है, भले ही उधार ली जाने वाली धनराशि और कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि (कंपनी के बैंकरों से सामान्य व्यवसाय के क्रम में प्राप्त अस्थायी ऋणों के अलावा), कंपनी की कुल चुकता पूंजी और उसकी मुक्त आरक्षित निधियों के योग से अधिक हो, बशर्ते कि किसी भी समय उधार ली गई और बकाया कुल राशि भारतीय रुपये में ₹1,50,000 करोड़ (रुपये एक लाख पचास हजार करोड़ मात्र) के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी।"

"इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित किसी समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकरण सहित) को ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।"

9. कंपनी की सभी या किसी भी चल और/या अचल संपत्तियों पर बंधक और/या भार बनाना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना, और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन(नों) के **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1)(क) के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन(नों) या उस पर पुनः अधिनियमन(नों) सहित) और अन्य लागू कानूनों और कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, कंपनी की किसी भी चल और/या अचल संपत्तियों/परिसंपत्तियों पर, चाहे वह वर्तमान में हो या भविष्य में और

कंपनी के पूरे उपक्रम या उपक्रमों पर किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, किराया खरीद/पट्टा कंपनियों, कॉरपोरेट निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में भार, दृष्टिबंधक, बंधक बनाने के लिए शेयरधारकों की सहमति आवश्यक होगी और कंपनी के निदेशक मंडल (**बोर्ड**) को दी जाती है। बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाले नियमों और शर्तों पर, कंपनी के लाभ के लिए और बोर्ड तथा ऋणदाता(ओं) के बीच समय-समय पर निधियों के उधार लेने के लिए सुरक्षा के रूप में सहमति के अनुसार, कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य से या अन्यथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार और इस संबंध में अनुपालन की जाने वाली किसी भी अन्य वैधानिक और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के लिए ₹1,50,000 करोड़ (रुपये एक लाख पचास हजार करोड़) से अधिक नहीं होगी।"

"इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित किसी समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकरण सहित) को ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

हस्ताक्षर /-
(एकता मदान)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 14.07.2025

टिप्पणियाँ:-

1. वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 (‘**अधिनियम**’) की धारा 102 के अनुसार एक व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

2. इस वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक के संबंध में, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सेबी (एलओडीआर) विनियमों और सचिवीय मानक के विनियम 36(3) के अनुसार प्रासंगिक विवरण भी संलग्न है।

3. अधिनियम की धारा 139(5) के अनुसार, सरकारी कंपनी के वैधानिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जाती है और अधिनियम की धारा 142 के अनुसार, पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में निर्धारित तरीके से तय किया जाएगा। सदस्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीएंडएजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वैधानिक लेखा-परीक्षकों का उचित पारिश्रमिक तय करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत कर सकते हैं, जैसा कि बोर्ड द्वारा उचित समझा जाए।

4. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 5 मई, 2020, 5 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 के परिपत्रों के साथ पठित 19 सितंबर, 2024 के एमसीए परिपत्र (“एमसीए परिपत्र”) और 3 अक्टूबर, 2024 के सेबी परिपत्र और अन्य लागू अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की 38वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जहां किसी आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति नहीं होती है। 38वीं वार्षिक आम बैठक के लिए विचारित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एमसीए व सेबी परिपत्र के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति और प्रॉक्सी की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म और रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं। चूंकि बैठक वीसी/ओवीएएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, इसलिए सदस्य की ओर से उपस्थित होने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति उपलब्ध नहीं है। हालांकि, अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 38वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग के लिए सदस्य के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाए।

6. एमसीए व सेबी के परिपत्रों के अनुरूप, वार्षिक रिपोर्ट के साथ 38वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना उन सभी सदस्यों को ई-मेल से भेजी जा रही है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी /डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत थीं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 हेतु सूचना और वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक वेबलिंक प्रदान करने वाला एक पत्र उन शेयरधारकों को भेजा जा रहा है जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है। सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/annual-reports पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (“आरटीए”) की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।

7. वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 38वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

8. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में दिखाई देता है, वार्षिक आम बैठक में वोट देने का हकदार होगा।

9. संस्थागत/कॉरपोरेट शेयरधारकों (अर्थात, व्यक्तियों/हिंदू अविभाजित परिवार, अनिवासी व्यक्तियों आदि के अलावा) को अपने बोर्ड या शासी निकाय के संकल्प/प्राधिकरण आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) भेजनी होगी, ताकि उनके पक्ष में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए उनके प्रतिनिधि को अधिकृत किया जा सके। उक्त संकल्प/प्राधिकरण कंपनी के आरटीए को insta.vote@linkintime.co.in पर ईमेल द्वारा भेजना होगा।

10. कंपनी ने सूचना में विस्तृत रूप से 38वीं वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के मद(दों) पर वोट देने की पात्रता निर्धारित करने के लिए **बृहस्पतिवार, 31 जुलाई, 2025** को विच्छेदक तिथि के रूप में निर्धारित किया है। कोई भी व्यक्ति जो सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और विच्छेदक तिथि तक शेयर रखता है, तो वह enotices@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। कोई भी शेयरधारक जो अपनी शेयरधारिता का निपटान इस तरह करता है कि वह विच्छेदक तिथि को सदस्य नहीं है, तो उसे इस सूचना को सिर्फ़ जानकारी के उद्देश्य से लेना चाहिए।

11. मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव (श्री पी.सी. जैन, प्रबंध साझेदार, एफसीएस - 4103, सीओपी संख्या 3349), कंपनी के सचिवीय लेखा-परीक्षक को 38वीं एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के मदों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

12. सूचना में ऊपर उल्लिखित एमसीए और सेबी परिपत्रों के प्रावधानों, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और आईसीएसआई

द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानक के अनुपालन में, कंपनी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। वे शेयरधारक जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

13. एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ("आरटीए") रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 38वीं वार्षिक आम बैठक में भागीदारी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से 38वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान मतदान की सुविधा प्रदान करेगा। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **सोमवार, 04 अगस्त, 2025 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) से** शुरू होगी और **बुधवार, 06 अगस्त, 2025 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.)** समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए आरटीए द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

14. जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के जरिए वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का हक नहीं होगा।

15. सदस्य **07 अगस्त, 2025 को सुबह 11:15 बजे (भा.मा.स.)** से यानी निर्धारित प्रारम्भ समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 38वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और कंपनी निर्धारित प्रारंभ समय के 30 मिनट बाद अर्थात वार्षिक आम बैठक की तिथि को दोपहर 12:00 बजे (भा.मा.स.) तक वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए विंडो बंद कर सकती है।

रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 38वीं एजीएम में भाग लेने और वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए कृपया विस्तृत अनुदेश देखें, जो इस सूचना के साथ संलग्न है।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा विनिर्धारित वैधानिक रजिस्टर और सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज, इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से वार्षिक आम बैठक की तिथि अर्थात 07 अगस्त, 2025 तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे equityinvestor2023@ireda.in पर कंपनी को एक ई-मेल भेजें। निरीक्षण तभी उपलब्ध कराया जाएगा जब यह पारस्परिक रूप से उपयुक्त हो।

17. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों (डीपी), जिनके पास उनका डीमैट खाता है, के साथ पैन, पिन के साथ पता, ईमेल, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण और नामांकन अपडेट करें।

18. एजीएम के एजेंडे/कारोबार से संबंधित कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा रखने वाले सदस्य या एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना या प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वे बैठक की तारीख से कम से कम 7 (सात) दिन पहले यानी **31 जुलाई, 2025** तक अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी के निवेशक ईमेल-आईडी, यानी equityinvestor2023@ireda.in पर कंपनी सचिव को ईमेल भेजकर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं। अन्य ईमेल आईडी पर दिए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन सदस्यों ने खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न करने की अनुमति होगी। कंपनी वार्षिक आम बैठक के सुचारु संचालन के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नों की संख्या, वक्ताओं की संख्या और उनके अनुक्रम को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दिया जाएगा जब वे 31 जुलाई, 2025 तक अर्थात् ई-वोटिंग की विच्छेदक तिथि तक इक्विटी शेयर धारण करना जारी रखेंगे।

19. सदस्यगण सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में 38वीं वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 38वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की सुविधा पहले आएं पहले पाएं के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध करायी जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा-परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आएं पहले पाएं के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के 38वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की अनुमति है।

20. संवीक्षक वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के समापन के तुरंत बाद, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और वार्षिक आम बैठक के समापन के 2 कार्य दिवसों के भीतर, पक्ष में या विपक्ष में डाले गए कुल वोटों (यदि कोई हो) की एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे बैठक के अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा, जो उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।

21. प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष में या उसके विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या, अमान्य मत और प्रस्ताव को लागू किया गया है या नहीं, को दर्शाते हुए, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ मतदान के परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद रखे जाएँगे।

व्याख्यात्मक कथन

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में)

सूचना में उल्लिखित विशेष व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित कथन में बताए गए हैं।

मद संख्या 4

कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार, लागत लेखा-परीक्षक की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा ऐसे पारिश्रमिक पर की जाएगी, जिसे शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थन किया जाए। कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के तहत, लागत लेखा-परीक्षक की नियुक्ति करते समय बोर्ड को उन्हें देय पारिश्रमिक को अनुमोदित करना आवश्यक है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक को शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थन किया जाएगा।

तदनुसार, लेखा-परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित के अनुसार, निदेशक मंडल ने मैसर्स आर. एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 000022) को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के लागत लेखा-परीक्षक के रूप में ₹ 62,000 (रुपये बासठ हजार मात्र) (फुटकर खर्च सहित) सहित लागू करों के पारिश्रमिक पर नियुक्त किया है।

सूचना में मद संख्या 4 में निर्धारित अनुसार एक साधारण संकल्प पारित करके शेयरधारकों का अनुसमर्थन मांगा जाता है।

निदेशक मंडल संलग्न सूचना की **मद संख्या 4** में निहित संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी उक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है, सिवाय कंपनी की प्रतिभूतियों में उनके धारण की सीमा के, यदि कोई हो।

मद संख्या 5

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 (इसके किसी भी वैधानिक संशोधन(नों) या उस पर पुनः अधिनियमन(नों) सहित, जो इस समय लागू है) (**"अधिनियम"**) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा अधिनियम के तहत यथा निर्धारित कुछ अन्य श्रेणी की कंपनियों को अधिनियम की धारा 134(3) के तहत तैयार की गई अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में एक कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा जारी सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक है।

इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 **("सेबी (एलओडीआर) विनियम")** के विनियम 24ए में हाल के संशोधनों के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई को एक सचिवीय लेखा-परीक्षक द्वारा सचिवीय लेखा-परीक्षा करानी होगी, जो सहकर्मी समीक्षा कंपनी सचिव होगा और जिन्हें निदेशक मंडल की सिफारिश पर, उनकी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन से नियुक्त/पुनः नियुक्त किया जाएगा। सचिवीय लेखा-परीक्षा फर्म के मामले में सचिवीय लेखा-परीक्षक की नियुक्ति लगातार 5(पांच) वर्षों के दो कार्यकाल से अधिक नहीं हो सकती है।

तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने 20 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, (समकक्ष समीक्षा फर्म जिसका एफआरएन पी2016एचआर051300 है) को नियुक्त करने की सिफारिश की है, जिन्हें गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) के आधार पर जीईएम पोर्टल पर जारी खुली निविदा के माध्यम से कंपनी के सचिवीय लेखा-परीक्षक के रूप में चुना गया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक लगातार 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए ₹41,999 की वार्षिक पेशेवर फीस और प्रयोज्य कर (रुपये इकतालीस हजार नौ सौ निन्यानवे मात्र) पर कंपनी की सचिवीय लेखा-परीक्षा करेंगे। दिल्ली एनसीआर में कंपनी सचिवों की एक सुप्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त फर्म (एफआरएन: P2016HR051300) है मैसर्स पी सी जैन एंड कंपनी,कंपनी सचिव।फर्म के पास कंपनी सचिवों की पेशेवर सेवाओं में 25 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। फर्म को सूचीबद्ध सीपीएसई और निजी क्षेत्र की कंपनियों की सचिवीय लेखा-परीक्षा करने का अनुभव है।

मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, ने कंपनी के सचिवीय लेखा-परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है और पुष्टि की है कि प्रस्तावित नियुक्ति, यदि की जाती है, तो अधिनियम और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में होगी।

निदेशक मंडल संलग्न सूचना की **मद संख्या 5** में निहित संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी उक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है, सिवाय कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी होल्डिंग की सीमा के, यदि कोई हो।

मद संख्या 6

संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 74 के अनुसार इरेडा एक सरकारी कंपनी है और, प्रशासनिक मंत्रालय यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय **("एमएनआरई")** के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति को कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (एमएनआरई) ने अपने आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा- भाग (1), दिनांक 28 मार्च, 2025 के माध्यम से श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को 28 मार्च, 2025 से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इरेडा के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सूचना दी है। कंपनी के निदेशक मंडल ने नामांकन व पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर श्री शब्दशरण एन ब्रह्मभट्ट को 28 मार्च, 2025 से 1(एक) वर्ष की अवधि के लिए अपर निदेशक, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो रोटेशन से सेवा-निवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, जो इस एजीएम तक पद पर बने रहेंगे।

श्री शब्दशरण एन ब्रह्मभट्ट ने 21 जनवरी, 2022 के एमएनआरई आदेश के अनुसरण में 20 जनवरी, 2025 को स्वतंत्र निदेशक, इरेडा के रूप में अपनी नियुक्ति का पहला कार्यकाल पूरा कर लिया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 **["सेबी (एलओडीआर) विनियम"]** के विनियमन 17(1ग) के प्रावधान के अनुसरण में, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली आम बैठक में ली जाए। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 25(2क) के अनुसार, किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या निष्कासन विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 **("अधिनियम")** की धारा 149, 152 और अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन के सभी प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट से सहमति और अपेक्षित घोषणा और वचन प्राप्त हुआ है। प्राप्त घोषणा/वचन के अनुसार, उन्हें अधिनियम की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से रोका गया है। बोर्ड की राय में, श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार सरकारी कंपनियों पर प्रयोज्य अपनी नियुक्ति की सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और सचिवीय मानक-2 की शर्तों के अनुसार श्री शब्दशरण एन ब्रह्मभट्ट का संक्षिप्त परिचय इस सूचना के साथ संलग्न है। श्री शब्दशरण एन ब्रह्मभट्ट की नियुक्ति के नियम व शर्तें एमएनआरई के दिनांक 28 मार्च, 2025 के आदेश के अनुसार हैं। इस अधिनियम के तहत विनिर्धारित सीमाओं के अंदर बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशक बैठक शुल्क के हकदार हैं।

श्री शब्दशरण एन ब्रह्मभट्ट को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी धारिता सीमा के अलावा, उक्त प्रस्ताव को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य हित या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल इस सूचना के **मद संख्या 6** में निहित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 7

इरेडा एक सरकारी कंपनी है और संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 74 के अनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय **("एमएनआरई")** के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति को कंपनी में निदेशक नियुक्त करने की शक्ति है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार **(एमएनआरई)** ने अपने आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा- भाग (1) दिनांक 28 मार्च, 2025 के माध्यम से डॉ. जगनाथ चेन्नाकेशवा मूर्ति जोड़ीधर को 28 मार्च, 2025 से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इरेडा के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सूचना दी है। कंपनी के निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर डॉ. जगनाथ चेन्नाकेशवा मूर्ति जोड़ीधर को अपर निदेशक, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो 28 मार्च 2025 से 1(एक) वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन से सेवा-निवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, जो इस एजीएम तक पद पर रहेंगे।

डॉ. जगनाथ चेन्नाकेशवा मूर्ति जोड़ीधर ने 28 मार्च, 2022 के एमएनआरई आदेश के अनुसरण में 27 मार्च, 2025 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति का पहला कार्यकाल पूरा कर लिया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 **["सेबी (एलओडीआर) विनियम"]** के विनियमन 17(1ग) के प्रावधान के अनुसार, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली आम बैठक में ली जाए। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 25(2क) के अनुसार, किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या निष्कासन विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 **("अधिनियम")** की धारा 149, 152 और अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन के सभी लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को डॉ. जगनाथ चेन्नाकेशवा मूर्ति जोड़ीधर से सहमति और अपेक्षित घोषणा और वचन प्राप्त हुआ है। प्राप्त घोषणा/वचन के अनुसार, उन्हें अधिनियम की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से रोका गया है। बोर्ड की राय में, डॉ. जगनाथ चेन्नाकेशवा मूर्ति जोड़ीधर अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार सरकारी कंपनियों पर लागू अपनी नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और सचिवीय मानक-2 के अनुसार डॉ. जगनाथ चेन्नाकेशवा मूर्ति जोड़ीधर का संक्षिप्त परिचय इस सूचना के साथ संलग्न है। डॉ. जगनाथ चेन्नाकेशवा मूर्ति जोड़ीधर की नियुक्ति के नियम और शर्तें एमएनआरई के दिनांक 28 मार्च, 2025 के आदेशानुसार हैं। अधिनियम के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित अनुसार बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशक बैठक शुल्क के हकदार हैं।

डॉ. जगनाथ चेन्नाकेशवा मूर्ति जोड़ीधर को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी धारणीय सीमा के अलावा, उक्त प्रस्ताव को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य हित या सरोकार,अगर कोई हो, नहीं है।

निदेशक मंडल इस सूचना के **मद संख्या 7** में निहित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 8

एनबीएफसी होने के नाते, आपकी कंपनी अक्षय ऊर्जा व ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं और अन्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए आगे उधार देने के लिए अपनी निधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्रोतों से धन उधार लेती है/उगाहती है। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी का कुल ऋण संविभाग ₹76,281.65 करोड़ है और विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से कुल बकाया उधार ₹64,740.31 करोड़ है।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) में यह प्रावधान है कि कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के बिना कंपनी की चुकता पूंजी और निर्बंध आरक्षित निधियाँ से अधिक धन (सामान्य व्यवसाय के क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त या प्राप्त किए जाने वाले अस्थायी ऋणों के अलावा) उधार नहीं लेगा। इस संबंध में, कंपनी के सदस्यों ने 31 जुलाई, 2017 को आयोजित अपनी 15वीं असाधारण आम बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल को इस सीमा के अधीन उधार लेने के लिए अधिकार प्रदान किए थे कि बोर्ड द्वारा उधार ली गई कुल राशि किसी भी समय इरेडा की निवल संपत्ति के 15 गुना से अधिक नहीं होगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 20 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन ₹1,50,000 करोड़ तक की राशि के लिए कंपनी की समग्र उधार सीमा को संशोधित/बढ़ाने की स्वीकृति दी है।

निदेशक मंडल इस सूचना के **मद संख्या 8** में निहित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने की सिफारिश करता है।

किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का उक्त संकल्प को पारित करने में कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी शेयर पूंजी की सीमा के अलावा, वित्तीय या अन्यथा कोई संबंध या हित नहीं है।

मद संख्या 9

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित धारा 180(1)(क) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कोई कंपनी डाक मतपत्र के माध्यम से विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के शेयरधारकों की सहमति के बिना कंपनी के संपूर्ण या पर्याप्त रूप से संपूर्ण उपक्रम या उपक्रमों को बेच, पट्टे पर नहीं दे सकती है या अन्यथा निपटान नहीं कर सकती है। हालांकि, 9 फरवरी, 2018 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार, डाक मतपत्र के जरिए किए जाने वाले व्यवसाय का कोई भी मद कंपनी द्वारा आम बैठक में किया जा सकता है, जिसके लिए सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी अपने सदस्यों को आम बैठक में प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट करने में सक्षम बनाने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है। तदनुसार, कंपनी की सभी या किसी भी चल और/या अचल संपत्तियों पर बंधक और/या भार के सृजन के लिए विशेष संकल्प इस वार्षिक आम बैठक में पारित किया जाना प्रस्तावित है।

कंपनी द्वारा लिए गए उधार को सुरक्षित करने के लिए, कंपनी की किसी भी चल और/या अचल संपत्ति/परिसंपत्तियों को, चाहे वे वर्तमान में हों या भविष्य में, तथा कंपनी के संपूर्ण या अधिकांश उपक्रम या उपक्रमों पर किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, किराया खरीद/लीज कंपनियों, कॉरपोरेट निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में भार दृष्टिबंधक, बंधक बनाना आवश्यक होगा।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 20 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी तथा संलग्न सूचना के इस **मद संख्या 9** में निहित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने की सिफारिश करता है।

किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का उक्त संकल्प को पारित करने में, कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी धारणीय सीमा के अलावा, वित्तीय या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

हस्ताक्षर /-
(एकता मदान)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 14.07.2025

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण विनियम) विनियम, 2015 और सचिवीय मानक-2 की शर्तों के अधीन मद संख्या 2, 6 और 7 के अंतर्गत 38वीं एजीएम में पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	डॉ. बिजय कुमार महान्ती	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर
डीआईएन	08816532	09483059	09556253
जन्म तिथि/आयु	15/06/1970	19/08/1964	08/03/1974
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	डॉ. बिजय कुमार महान्ती को 12 अक्टूबर, 2023 को एमएनआरई आदेश संख्या 1/22/2017-इरेडा दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के माध्यम ₹160,000 -290,000 के वेतनमान पर तत्काल आमेलन के आधार पर, पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इरेडा के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है।	प्रारंभ में, श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को 21 जनवरी, 2022 के एमएनआरई आदेश के अनुसार 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आपने 20 जनवरी, 2025 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति का पहला कार्यकाल पूरा कर लिया है। एमएनआरई आदेश दिनांक 28 मार्च, 2025 के अनुसरण में 28 मार्च, 2025 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपको आपके दूसरे कार्यकाल के लिए एमएनआरई आदेश की तारीख से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, फिर से नियुक्त किया गया है	प्रारंभ में, डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर को एमएनआरई आदेश दिनांक मार्च 2022 के अनुसरण में 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आपने 27 मार्च, 2025 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति का पहला कार्यकाल पूरा कर लिया है। एमएनआरई आदेश दिनांक 28 मार्च, 2025 के अनुसरण में आपको 28 मार्च, 2025 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपको अपने दूसरे कार्यकाल के लिए एमएनआरई आदेश की तारीख से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक,जो भी पहले हो, फिर से नियुक्त किया गया है।
योग्यता(एँ)	बी.कॉम (ऑनर्स), एम.कॉम, एम. फिल, एफआईसीएमए, एलएलबी और पीएच.डी	बी. कॉम, एलएलबी	एमबीबीएस, एमडी (इंटरनल मेडिसिन)
संक्षिप्त वृत्त	आप 12 अक्टूबर, 2023 से आपकी कंपनी के निदेशक (वित्त) हैं। ये 16 अक्टूबर, 2023 से आपकी कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का पद भी संभाल रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के संकाय सदस्य हैं। इन्होंने ओडिशा के उत्कल विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक और दर्शनशास्त्र (वाणिज्य) एवं लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर, उत्कल विश्वविद्यालय ओडिशा से विधि में स्नातक और भुवनेश्वर के कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान से वाणिज्य में डॉक्टरेट ऑफ़ फिलोसोफी की उपाधि भी प्राप्त की है। आपकी कंपनी में शामिल होने से पहले, आपने आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) में डिवीजन	आपके पास कानून के साथ-साथ वाणिज्य में स्नातक डिग्री है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता और वकील हैं। आप बड़ौदा बार एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। इससे पहले, आप वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष और नगर परिषद तथा बड़ौदा नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं।	आपने कर्नाटक के कुएवेम्पु विश्वविद्यालय से चिकित्सा में स्नातक की डिग्री और नेपाल के काठमांडू विश्वविद्यालय से आंतरिक चिकित्सा में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री प्राप्त की है। आपके पास चिकित्सा उद्योग में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप वर्तमान में नारायण अस्पताल, थिंडलू, ब्यातारायणपुरा, बेंगलुरु में एक सलाहकार चिकित्सक और मधुमेह रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं। आप भारतीय चिकित्सा संघ, येलहंका शाखा के केंद्रीय परिषद सदस्य भी हैं। इन्हें कर्नाटक समाचार पत्र संघ द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक' की श्रेणी में नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा राज्य पुरस्कार, 2016 से सम्मानित किया गया है।

	प्रमुख (स्मार्ट मीटरिंग) और आरईसी लिमिटेड में वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) के रूप में काम किया। आरईसी लिमिटेड में अपने कार्यकाल के दौरान, इन्होंने त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में भी काम किया। इन्होंने एफएसीओआर पावर लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में भी काम किया। इसके अलावा, इन्होंने पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लिमिटेड (सेस्को) और ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड (ग्रिडको) में काम किया है। इन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पहाड़ी, दूरदराज और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भारत सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीएलवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) योजनाओं के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका उद्देश्य अंतिम छोर तक तक विद्युत संयोजन और विद्युत वंचित घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना है। ये इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड में निदेशक भी हैं, जो इरेडा लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।		
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति	इनके पास भारतीय विद्युत क्षेत्र में 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है और इन्हें वित्त, लेखा, वाणिज्यिक, परियोजना मूल्यांकन, परियोजना निष्पादन और प्रबंधन तथा कानूनी कार्यों का भी अनुभव है।	आप नेतृत्व, सामाजिक सरोकार, बोर्ड प्रथाओं और शासन आदि में विशेषज्ञता रखते हैं।	आप नेतृत्व, सामाजिक सरोकार, बोर्ड प्रथाओं और शासन, जोखिम प्रबंधन आदि में विशेषज्ञता रखते हैं।
निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का प्रकटीकरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य कंपनियों में निदेशक पद	ये इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड (इरेडा लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) में निदेशक हैं।	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य संस्थाओं के नाम जिनमें व्यक्ति समितियों का सदस्य/अध्यक्ष है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नियुक्ति के नियम एवं शर्तें और भुगतान किए जाने वाले प्रस्तावित पारिश्रमिक	आपकी नियुक्ति के नियम और शर्तें एमएनआरई आदेश संख्या 1/22/2017-इरेडा दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 द्वारा शासित होंगी।	आपकी नियुक्ति के नियम शर्तें एमएनआरई के आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा भाग (1) दिनांक 28 मार्च, 2025 द्वारा शासित होंगे। स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।	आपकी नियुक्ति के नियम शर्तें एमएनआरई के आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा भाग (1) दिनांक 28 मार्च, 2025 द्वारा शासित होंगे। स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के अंदर बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।
वित्त वर्ष 25 के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या	आपने वित्त वर्ष 25 के दौरान आयोजित सभी 23 बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।	आपके कार्यकाल में आयोजित बोर्ड की 18 बैठकों में से, आपने 18 बैठकों में भाग लिया है।	वित्त वर्ष 25 के दौरान आयोजित बोर्ड की सभी 23 बैठकों में आपने भाग लिया है।
वित्त वर्ष 25 के दौरान समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	आपने वित्त वर्ष 25 के दौरान आयोजित सभी 21 समिति बैठकों में भाग लिया है।	वित्त वर्ष 25 के दौरान आपने अपने कार्यकाल (पहले कार्यकाल) में आयोजित समिति की सभी 22 बैठकों में भाग लिया है।	वित्त वर्ष 25 के दौरान आपने अपने कार्यकाल (पहले कार्यकाल) में आयोजित समिति की सभी 22 बैठकों में भाग लिया है।
उन सूचीबद्ध संस्थाओं का विवरण जहाँ से व्यक्ति ने पिछले तीन वर्षों में पद त्याग किया है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
शेयरधारिता	आपने पास कंपनी में 15,180 इक्विटी शेयर हैं।	लागू नहीं	लागू नहीं



24 जून, 2024 को इरेडा की 37वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित

शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग अनुदेश

रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 04 अगस्त, 2025 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और बुधवार, 06 अगस्त, 2025 को अपराह्न 05:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम रिकॉर्ड तिथि (विच्छेद तिथि) यानी बृहस्पतिवार, 31 जुलाई, 2025 को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के हकदार हैं। शेयरधारकों के मतदान का अधिकार विच्छेद तिथि 31 जुलाई, 2025 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगइन की पद्धति :

क. एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

पद्धति 1 - एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा का उपयोग करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत शेयरधारक:

क) यूआरएल : https://eservices.nsdl.com पर जाएँ और "लॉगइन" के अंतर्गत "बेनेफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें।

ख) "आईडीईएएस लॉगइन अनुभाग" के अंतर्गत "बेनेफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें।

ग) सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएँगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें।

घ) "एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

अथवा

शेयरधारक जिन्होंने एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है:

क) पंजीकरण करने के लिए, यूआरएल : https://eservices.nsdl.com पर जाएँ और "आईडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण" सेलेक्ट करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें

ख) 8-अक्षरों की डीपी आईडी, 8-अंकीय क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करें और "सबमिट" पर क्लिक करें।

ग) अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें / 'ओटीपी' जनरेट करें

घ) सफल पंजीकरण के बाद,उपयोगकर्ता को लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। उपर्युक्त बिंदुओं (क-घ) में दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।

Google Play App Store

पद्धति 2 - व्यक्तिगत शेयरधारक सीधे एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं

क) यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com पर जाएँ
ख) 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगइन" टैब पर क्लिक करें।
ग) उपयोगकर्ता आईडी (यानी, एनएसडीएल के पास धारित आपका सोलह अंकों वाला डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करें।
घ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएँगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें।
ङ) "लिंक इनटाइम/एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

पद्धति 3 - एनएसडीएल ओटीपी आधारित लॉगइन

क) यूआरएल : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर जाएँ।
ख) 8-अक्षरों वाला अपना डीपी आईडी, 8-अंकों का क्लाइंट आईडी, पैन, सत्यापन कोड दर्ज करें और ओटीपी जनरेट करें।
ग) अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
घ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएँगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें।
ङ) "एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

ख. सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

पद्धति 1 – सीडीएसएल ईजी/ईजीएस्ट सुविधा के साथ पंजीकृत व्यक्तिगत शेयरधारक

शेयरधारक जिन्होंने सीडीएसएल ईजी/ईजीएस्ट सुविधा के लिए पंजीकरण/विकल्प लिया है :

क) यूआरएल : https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login या www.cdslindia.com पर जाएँ
ख) न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें
ग) मौजूदा my easi यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगइन करें
घ) सफल लॉगइन के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग विकल्प में ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं यानी एमयूएफजी इनटाइम के लिंक होंगे
ङ) "लिंक इनटाइम/एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

अथवा

शेयरधारक जिन्होंने सीडीएसएल ईजी/ईजीएस्ट सुविधा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है:

क) पंजीकरण के लिए, यूआरएल : https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Registration/EasiRegistration https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Registration/EasiestRegistration पर जाएँ
ख) आवश्यक क्षेत्र अपडेट करके आगे बढ़ें।
ग) पंजीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को यूजर नेम और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।
घ) सफल लॉगइन के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग मेनू देख पाएगा।
ङ) "लिंक इनटाइम/एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

पद्धति 2 - व्यक्तिगत शेयरधारक सीधे सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं

क) यूआरएल : https://www.cdslindia.com पर जाएँ
ख) ई-वोटिंग टैब पर जाएँ।
ग) डीमैट खाता संख्या (बीओ आईडी) और पैन नंबर दर्ज करें और "सबमिट" पर क्लिक करें।
घ) सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज किए गए पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा।
ङ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, "लिंक इनटाइम/एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

निक्षेपागार सहभागी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

व्यक्तिगत शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगइन कर सकते हैं :

क) डीपी वेबसाइट पर लॉगइन करें।

ख) सफल लॉगइन के बाद, उपयोगकर्ता "ई-वोटिंग" विकल्प के माध्यम से नेविगेट करेगा।

ग) ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को एनएसडीएल/ सीडीएसएल निक्षेपागार वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ उपयोगकर्ता ई-वोटिंग सुविधा देख सकता है।

घ) सफल प्रमाणीकरण के बाद,"एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों/डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगइन पद्धति :

ई-वोटिंग के लिए विच्छेदक तिथि पर भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारक/ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक इंस्टावोट के लिए निम्नानुसार पंजीकरण कर सकते हैं :

क) यूआरएल : https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ

जिन शेयरधारकों ने इंस्टावोट सुविधा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है:

ख) 'शेयर होल्डर टैब के अंतर्गत "साइन अप" पर क्लिक करें और अपने निम्नलिखित विवरणों के साथ पंजीकरण करें:

अ. यूजर आईडी:

एनएसडीएल डीमैट खाता - यूजर आईडी 8 वर्णों की डीपी आईडी है जिसके बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी है।

सीडीएसएल डीमैट खाता - यूजर आईडी 16 अंकों की लाभार्थी आईडी है।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक - यूजर आईडी है कंपनी के साथ पंजीकृत इवेंट नंबर + फ़ोलियो नंबर।

ब. पैन:

अपना 10 अंकों का स्थायी खाता नंबर (पैन) दर्ज करें

(शेयरधारक जिन्होंने निक्षेपागार सहभागी (डीपी)/कंपनी के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, वे आपको प्रदान की गई अनुक्रम संख्या का उपयोग करेंगे, यदि लागू हो।

स. डीओबी/डीओआई:

जन्म तिथि (डीओबी)/निगमन तिथि (डीओआई) दर्ज करें (जैसा कि दिन/महीना/वर्ष प्रारूप में आपके डीपी/कंपनी के साथ दर्ज है)

द. बैंक खाता संख्या:

अपना बैंक खाता नंबर (अंतिम चार अंक) दर्ज करें, जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के साथ दर्ज है।*

*एनएसडीएल फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक, उपर्युक्त 'द' प्रदान करेंगे

**शेयरधारक जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, लेकिन उन्होंने 'स' और 'द' दर्ज नहीं किया है, वे उपर्युक्त 'द' में अपना फोलियो नंबर प्रदान करेंगे

- ❖ अपनी पसंद का पासवर्ड सेट करें।

  (पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए, जिसमें से कम से कम एक विशेष अक्षर (!#$&*), कम से कम एक अंक, कम से कम एक वर्णमाला और कम से कम एक कैपिटल लेटर)।

- ❖ इमेज वेरिफिकेशन (कैप्चा) कोड दर्ज करें।

- ❖ "सबमिट" पर क्लिक करें (आप अब इंस्टावोट पर पंजीकृत हो चुके हैं)।

शेयरधारक जिन्होंने इंस्टावोट सुविधा के लिए पंजीकरण किया है:

ग) 'शेयर होल्डर' टैब के तहत "लॉगइन" पर क्लिक करें।

- यूजर आईडी : अपना यूजर आईडी दर्ज करें
- पासवर्ड: अपना पासवर्ड दर्ज करें
- इमेज वेरिफिकेशन (कैप्चा) कोड दर्ज करें
- "सबमिट" पर क्लिक करें

घ) अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डालें:

- सफल लॉगइन के बाद, आप "ई-वोटिंग के लिए अधिसूचना" देख पाएंगे।
- 'व्यू' आइकन सेलेक्ट करें।
- ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा।
- संकल्प विवरण देखें और अपना इच्छित विकल्प 'पक्ष/विपक्ष' चुनकर अपना वोट डालें (यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'व्यू रेज़ोलुशन ' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें)।
- इच्छित विकल्प यानी पक्ष/विपक्ष चुनने के बाद, 'सबमिट' पर क्लिक करें।
- एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपना वोट पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'येस' पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, 'नो' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।

संस्थागत शेयरधारकों के लिए दिशानिर्देश ("कस्टोडियन / कॉरपोरेट निकाय / म्यूचुअल फंड")

चरण 1 – कस्टोडियन/कॉरपोरेट निकाय/म्यूचुअल फंड पंजीकरण

क) यूआरएल : https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ

ख) "कस्टोडियन/कॉरपोरेट निकाय/म्यूचुअल फंड" के अंतर्गत "साइन अप" पर क्लिक करें।

ग) अपनी इकाई का विवरण भरें और फ़ॉर्म जमा करें।

घ) एक घोषणा फ़ॉर्म और संगठन आईडी तैयार की जाती है और प्राथमिक संपर्क व्यक्ति की ईमेल आईडी (जो साइन अप के समय भरी जाती है) पर भेजी जाती है। उक्त फ़ॉर्म पर इकाई के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक/कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और मुहर लगा होना चाहिए तथा insta.vote@linkintime.co.in पर भेजा जाना चाहिए।

ङ) इसके बाद, लॉगइन क्रेडेंशियल (यूज़र आईडी; संगठन आईडी; पासवर्ड) प्राथमिक संपर्क व्यक्ति की ईमेल आईडी पर भेजे जाते हैं (आप अब इंस्टावोट पर पंजीकृत हो गए हैं)।

चरण 2 – निवेशक मानचित्रण

क) यूआरएल : https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ और इंस्टावोट लॉगइन क्रेडेंशियल के साथ लॉगइन करें।

ख) मेनू सेक्शन के अंतर्गत "इन्वेस्टर मैपिंग" टैब पर क्लिक करें।

ग) निम्नलिखित विवरण के साथ निवेशक का मानचित्रण :

- 'निवेशक आईडी' –
  - i. एनएसडीएल डीमैट खाता – यूज़र आईडी 8 अक्षरों की डीपी आईडी है जिसके बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है, यानी IN00000012345678
  - ii. सीडीएसएल डीमैट खाता – यूजर आईडी 16 अंकों की लाभार्थी आईडी है।
- 'निवेशक' का नाम – डीपी के साथ अपडेट किए गए अनुसार निवेशक का नाम दर्ज करें।
- 'निवेशक पैन' – अपना 10 अंकों का पैन दर्ज करें।
- 'पावर ऑफ अटॉर्नी' – बोर्ड का प्रस्ताव या पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें।*

*बोर्ड के प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए फ़ाइल का नाम –डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी होगा। इसके अलावा, कस्टोडियन और म्यूचुअल फंड भी नमूना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

घ) सबमिट बटन पर क्लिक करें। (निवेशक का अब कस्टोडियन/कॉरपोरेट निकाय/म्यूचुअल फंड इकाई के साथ मानचित्रण किया गया है)। इसे "रिपोर्ट सेक्शन" के अंतर्गत देखा जा सकता है।

चरण 3 - रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान

रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, निम्नलिखित पद्धति में से किसी भी पद्धति से मतदान किया जा सकता है:

पद्धति 1 - वोट प्रविष्टि

यूआरएल : https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ और इंस्टावोट लॉगइन क्रेडेंशियल के साथ लॉगइन करें।

क) मेनू अनुभाग के अंतर्गत "वोट्स एंट्री" टैब पर क्लिक करें।

ख) "ईवेंट नंबर" दर्ज करें जिसके लिए आप वोट डालना चाहते हैं।

इवेंट नंबर को इंस्टावोट के होम पेज पर "ऑन-गोइंग इवेंट्स" के अंतर्गत देखा जा सकता है।

ग) "16-अंकों वाला डीमैट खाता संख्या" दर्ज करें जिसके लिए आप वोट डालना चाहते हैं।

घ) संकल्प विवरण देखें और अपना इच्छित विकल्प 'पक्ष/विरुद्ध' चुनकर अपना वोट डालें (यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'व्यू रेज़ोलुशन' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें)।

ङ) इच्छित विकल्प यानी पक्ष/विरुद्ध चुनने के बाद, 'सबमिट' पर क्लिक करें।

एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपना वोट पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'येस' पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, 'नो' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।

अथवा

पद्धति 2 - वोट अपलोड करें

क) यूआरएल : https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ और InstaVote लॉगइन क्रेडेंशियल के साथ लॉगइन करें।

ख) सफलतापूर्वक लॉगइन के बाद, आप "नोटिफिकेशन फॉर ई-वोटिंग" देख पाएंगे।

ग) "कंपनी का नाम/ईवेंट नंबर" के लिए "व्यू" आइकन सेलेक्ट करें।

घ) ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा।

ङ) "डाउनलोड सैंपल वोट फ़ाइल" टैब से सैंपल वोट फ़ाइल डाउनलोड करें।

च) सैंपल वोट फ़ाइल में अपना पसंदीदा विकल्प 'पक्ष/विपक्ष' चुनकर अपना वोट डालें और "अपलोड वोट फ़ाइल" विकल्प के तहत उसे अपलोड करें।

छ) 'सबमिट' पर क्लिक करें। 'डेटा सफलतापूर्वक अपलोड हो गया' संदेश प्रदर्शित होगा।

(एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपना वोट डाल देते हैं, तो आपको बाद में इसे संशोधित या बदलने की अनुमति नहीं होगी)।

हेल्पडेस्क :

भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारक/डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक :

भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारक/डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वे enotices@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजकर इंस्टावोट हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या दूरभाष : 022 – 4918 6000 पर संपर्क कर सकते हैं।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक :

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक निक्षेपागार यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगइन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क का विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या निःशुल्क नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

पासवर्ड भूल गए

भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारक/डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक:

भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारक/डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक अपना यूजर आईडी [लॉगइन आईडी] या पासवर्ड या दोनों भूल गए हैं, तो शेयरधारक https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध "फॉरगॉट पासवर्ड" विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

- 'शेयर होल्डर' टैब के अंतर्गत **"लॉगइन"** पर क्लिक करें।
- **"फॉरगॉट पासवर्ड?"** पर क्लिक करें

- यूजर आईडी दर्ज करें, मोड चुनें और इमेज वेरिफिकेशन कोड (कैप्चा) दर्ज करें।
- "सबमिट" पर क्लिक करें।

यदि शेयरधारकों के पास वैध ईमेल पता है, तो पासवर्ड उनके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाएगा। शेयरधारक सुरक्षा प्रश्न और उत्तर, पैन,डीओबी/डीओआई, बैंक खाता संख्या (अंतिम चार अंक) आदि के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करके अपनी पसंद का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए, जिसमें से कम से कम एक विशेष अक्षर (!#$&*), कम से कम एक अंक, कम से कम एक वर्णमाला और कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए।

यूजर आईडी:

एनएसडीएल डीमैट खाता - यूजर आईडी 8 अक्षरों का डीपी आईडी है जिसके बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है।

सीडीएसएल डीमैट खाता - यूजर आईडी 16 अंकों की लाभार्थी आईडी है।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक - यूजर आईडी इवेंट नंबर + कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर है।

यदि कस्टोडियन/कॉरपोरेट निकाय/म्यूचुअल फंड यूजर आईडी [लॉगइन आईडी] या पासवर्ड या दोनों भूल गए हैं, तो शेयरधारक https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध "फॉरगॉट पासवर्ड" विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

- "कस्टोडियन/कॉरपोरेट निकाय/म्यूचुअल फंड" टैब के अंतर्गत 'लॉगइन' पर क्लिक करें
- **"फॉरगॉट पासवर्ड?"** पर क्लिक करें
- यूजर आईडी, संगठन आईडी दर्ज करें और इमेज सत्यापन कोड (कैप्चा) दर्ज करें।
- "सबमिट" पर क्लिक करें।

यदि शेयरधारकों के पास वैध ईमेल पता है, तो पासवर्ड उनके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाएगा। शेयरधारक सुरक्षा प्रश्न और उत्तर, पैन, डीओबी/डीओआई आदि के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करके अपनी पसंद का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए, जिसमें से कम से कम एक विशेष अक्षर (!#$&*), कम से कम एक अंक, कम से कम एक वर्णमाला और कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए।

एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक पासवर्ड भूल गए हैं

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक यूजर आईडी [लॉगइन आईडी] या पासवर्ड या दोनों भूल गए हैं, तो शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर उल्लिखित डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

- ❖ यह कठोर रूप से सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।
- ❖ भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों/सदस्यों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस सूचना में निहित प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए किया जा सकता है।.
- ❖ मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक/सदस्य किसी विशेष "इवेंट" के लिए संकल्प(पों) पर मतदान करने तक वे कितनी भी बार लॉगइन कर सकते हैं।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के अनुदेश

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19.09.2024 के अनुसार, कंपनियाँ 30 सितंबर 2025 को या उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से अपनी एजीएम/ईजीएम आयोजित कर सकती हैं।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे इंस्टामीट सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करें।

इंस्टामीट के जरिए एजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए लॉगइन पद्धति :

क) यूआरएल : https://instameet.in.mpms.mufg.com पर जाएँ और **"लॉगइन"** पर क्लिक करें।

ख) "कंपनी का नाम" सेलेक्ट करें और अपने निम्नलिखित विवरणों के साथ पंजीकरण करें :

चेक बॉक्स - डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर/पैन सेलेक्ट करें

- एनएसडीएल/सीडीएसएल डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारक चेक बॉक्स - डीमैट खाता संख्या सेलेक्ट करेंगे और 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या प्रदान करेंगे।
- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक चेक बॉक्स - फोलियो संख्या सेलेक्ट करेंगे और कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या दर्ज करेंगे।
- शेयरधारक चेक बॉक्स - पैन सेलेक्ट करें और अपना 10 अंकों का स्थायी खाता संख्या (पैन) दर्ज करें। शेयरधारक जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी)/कंपनी के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, वे एमयूएफजी इनटाइम द्वारा प्रदान की गई अनुक्रम संख्या का उपयोग करेंगे, यदि लागू हो।
- मोबाइल नंबर : डीपी के साथ अपडेट किया गया मोबाइल नंबर स्वचालित रूप से प्रदर्शित होता है। जिन शेयरधारकों ने डीपी के साथ अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है, वे मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे।
- ईमेल आईडी: डीपी के साथ अपडेट किया गया ईमेल आईडी स्वचालित रूप से प्रदर्शित होता है। जिन शेयरधारकों ने डीपी के साथ अपना मोबाइल अपडेट नहीं किया है, वे मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे।

ग) "गो टू मीटिंग" पर क्लिक करें

अब आप इंस्टामीट के लिए पंजीकृत हैं, और आपकी उपस्थिति मीटिंग के लिए चिह्नित की गई है।

इंस्टामीट के माध्यम से आम बैठक के दौरान शेयरधारकों के बोलने के लिए अनुदेश :

क) जो शेयरधारक बैठक के दौरान बोलना चाहते हैं, उन्हें कंपनी के साथ अपना अनुरोध पंजीकृत करवाना होगा।

ख) शेयरधारकों को कंपनी द्वारा किए गए प्रावधान के आधार पर पहले आएं पहले पाएं के आधार पर पुष्टि मिलेगी।

ग) शेयरधारकों को बैठक के लिए उपस्थिति दर्ज करने के बाद "स्पीकिंग सीरियल नंबर" प्राप्त होगा। कृपया स्पीकिंग सीरियल नंबर याद रखें और अपने डिवाइस के वीडियो मोड और ऑडियो को चालू करके पैनलिस्ट के साथ अपनी बातचीत शुरू करें।

घ) अन्य शेयरधारक जिन्होंने "स्पीकर शेयरहोल्डर" के रूप में पंजीकरण नहीं किया है, वे अभी भी बैठक के दौरान सक्रिय चैट-बोर्ड के माध्यम से पैनलिस्ट से प्रश्न पूछ सकते हैं।

*शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे तभी बोलें जब बैठक/प्रबंधन के मॉडरेटर बोलने के लिए नाम और सीरियल नंबर की घोषणा करेंगे।

इंस्टामीट के जरिए आम बैठक के दौरान वोट डालने हेतु शेयरधारकों हेतु अनुदेश :

बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सक्रिय होने के बाद, जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे निम्नानुसार वोट डाल सकते हैं:

क) शेयरधारक वीसी पेज पर, ई-वोटिंग के लिए "कास्ट योर वोट" लिंक पर क्लिक करें।

ख) इंस्टामीट के लिए पंजीकरण के दौरान प्राप्त अपना 16 अंकों का डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर और ओटीपी (पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर प्राप्त) दर्ज करें।

ग) 'सबमिट' पर क्लिक करें।

घ) सफलतापूर्वक लॉगइन के बाद, आपको "रेज़ोलुशन डिस्क्रिप्शन" दिखाई देगा और उसी के तहत वोटिंग के लिए "पक्ष/विपक्ष" विकल्प दिखाई देगा।

ङ) अपनी इच्छानुसार उपयुक्त विकल्प यानी "पक्ष/विपक्ष" का चयन करके अपना वोट डालें। 'पक्ष/विपक्ष' के अंतर्गत विच्छेद तिथि पर शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को दर्शाती है) दर्ज करें।

च) अपनी इच्छानुसार उपयुक्त विकल्प यानी पक्ष/विपक्ष का चयन करने के बाद और आपने वोट देने का फैसला कर लिया है, तो "सेव" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "कन्फर्म" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "बैक" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें। एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको बाद में अपना वोट संशोधित या बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नोट :

शेयरधारक/सदस्य, जो इंस्टामीट सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे बैठक के दौरान ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट डालने के पात्र होंगे।

शेयरधारक/सदस्य जिन्होंने वार्षिक आम बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया है, वे इंस्टामीट के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने/भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे बैठक के दौरान फिर से वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।

शेयरधारकों/सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए ब्रॉडबैंड से जुड़े हुए टैबलेट/लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शेयरधारकों/सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए अच्छी गति (अधिमानतः 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्ट्रीम) के साथ इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक है।

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले लैपटॉप के माध्यम से शेयरधारक/सदस्य अपने नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/विज़ुअल हानि का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की उपर्युक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

हेल्पडेस्क :

लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक instameet@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजकर इंस्टामीट हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या दूरभाष : 022 – 4918 6000 / 4918 6175 पर संपर्क कर सकते हैं।

निदेशकों का संक्षिप्त परिचय



श्री प्रदीप कुमार दास (डीआईएन: 07448576)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री प्रदीप कुमार दास कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। आप इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के सहयोगी सदस्य हैं। आपके पास सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में वित्त, बैंकिंग, कॉरपोरेट अभिशासन, लेखा-परीक्षा, संसाधन जुटाना और कोषागार, ऋण और वसूली प्रबंधन, विनिवेश/डाइवेस्टमेंट आदि में विभिन्न पदों पर 38 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। आप विभिन्न रणनीतिक निर्णयों के लिए भारत सरकार के निकायों और उद्योग संघों द्वारा गठित विभिन्न उच्च-स्तरीय समितियों के प्रतिष्ठित सदस्य हैं। इस कंपनी में शामिल होने से पहले, आप भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक (वित्त) थे। आपने आरईसी लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड, कुसुम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य संगठनों के साथ भी काम किया है।



डॉ. बिजय कुमार महान्ती (डीआईएन: 08816532)

निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.

डॉ. बिजय कुमार महान्ती कंपनी के निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। आप इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड के निदेशक भी हैं। आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं। आपके पास ओडिशा के उत्कल विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री और दर्शनशास्त्र (वाणिज्य) और लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री है। आपके पास दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में मास्टर डिग्री, उत्कल विश्वविद्यालय, ओडिशा से विधि में स्नातक और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर से वाणिज्य में डॉक्टरेट ऑफ़ फिलोसॉफी की उपाधि भी है। आपके पास भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है और आप के पास वित्त, लेखा, वाणिज्यिक, परियोजना मूल्यांकन, परियोजना निष्पादन और प्रबंधन, और कानूनी कार्यों का अनुभव है। इस कंपनी में शामिल होने से पहले, आपने आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) में मंडल प्रमुख (स्मार्ट मीटरिंग) और आरईसी लिमिटेड में वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) के रूप में काम किया है। आरईसी लिमिटेड में अपने कार्यकाल के दौरान, आपने त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और भुवनेश्वर के मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में भी काम किया है। आपने एफएसीओआर पावर लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा, आपने पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ़ उड़ीसा लिमिटेड (सीईएससीओ) और ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ उड़ीसा लिमिटेड (ग्रिडको) में भी काम किया है। आपने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी योजनाओं को लागू करने में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है।



श्री पदम लाल नेगी (डीआईएन : 10041387)

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री पदम लाल नेगी आपकी कंपनी के सरकारी नामित निदेशक हैं। आप वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं और आपके पास भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार भी है। आपके पास पंजाब विश्वविद्यालय से कला में स्नातक की डिग्री और राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र में मास्टर की डिग्री है। आपके पास प्रशासन में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग में 1992 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। इस पद को संभालने से पहले, आपने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के समन्वित वित्तीय सलाहकार (सीमा सड़कें) के रूप में काम किया। आपने, अन्य के साथ-साथ, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में निदेशक तथा अंडमान एवं निकोबार कमान के समन्वित वित्तीय सलाहकार के रूप में भी विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यभार संभाला है।



श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट (डीआईएन: 09483059)

स्वतंत्र निदेशक

श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट आपकी कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। आप के पास विधि के साथ-साथ वाणिज्य में स्नातक की डिग्री है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता और वकील हैं। आप बड़ौदा बार एसोसिएशन के एक सदस्य भी हैं। इससे पहले, आप वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष और नगर निगम पार्षद और बड़ौदा नगर निगम (बीएमसी) के मेयर रह चुके हैं।



डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर (डीआईएन:09556253)

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। आपके पास कुवेम्पु विश्वविद्यालय, कर्नाटक से चिकित्सा में स्नातक की डिग्री और काठमांडू विश्वविद्यालय, नेपाल से आंतरिक चिकित्सा में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री है। आपके पास चिकित्सा उद्योग में 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप वर्तमान में नारायण अस्पताल, थिंडलू, ब्यातारयानापुरा, बेंगलुरु में एक सलाहकार चिकित्सक और मधुमेह रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं। आप भारतीय चिकित्सा संघ, येलाहंका शाखा के केंद्रीय परिषद सदस्य भी हैं। आपको कर्नाटक के समाचार पत्र संघ द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक' की श्रेणी में नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा राज्य पुरस्कार, 2016 से सम्मानित किया गया है।



श्री राम निहाल निषाद (डीआईएन: 10064841)

स्वतंत्र निदेशक

श्री राम निहाल निषाद आपकी कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। आपके पास अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से विधि और वाणिज्य में स्नातक की डिग्री है। आप एक वकील हैं और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य हैं।



श्रीमती रोहिणी रावत (डीआईएन: 10064820)

स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती रोहिणी रावत आपकी कंपनी की अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। आपने रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। आप वर्ष 2004 से 2007 तक राज्य महिला आयोग की सदस्या थीं। आप वर्ष 2013 से 2018 तक नगर पालिका परिषद जोशीमठ की अध्यक्षा थीं और 2017 में मुख्यमंत्री द्वारा आपको "मुख्यमंत्री निर्मल नगर पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समन्वय में एक सक्रिय स्वयंसेविका भी रही हैं, जहाँ आपको वर्ष 2001 में"लीडर ऑफ़ द ईयर"से सम्मानित किया गया था।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय का संदेश



प्रिय हितधारको,

सतता की ओर तेज़ी से बढ़ रही दुनिया के बीच, आपकी कंपनी सबसे आगे खड़ी है, फिर चाहे वह परिवर्तन को दिशा दिखाना हो, रफ़्तार को पकड़ना हो और हरित वित्तपोषण के भविष्य को आकार देना हो।

38वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हम न सिर्फ एक साल के मज़बूत वित्तीय प्रदर्शन का वर्णन कर रहे बल्कि उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं; हम अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के गहरे लक्ष्य द्वारा संचालित यात्रा पर प्रकाश डालते हैं। हमारी प्रगति के महत्व को सही मायने में समझने के लिए, हमें पहले इसे वैश्विक परिवर्तन के नज़रिए से देखना चाहिए - जहाँ जलवायु प्राथमिकताओं में बदलाव, नीति विकास और तकनीकी छलांग हमारे उद्योग की रूपरेखा को फिर से तैयार कर रहे हैं।

<u>वैश्विक हरित वित्तपोषण परिदृश्य</u>

ब्लूमबर्ग के अनुसार, कम-कार्बन ऊर्जा परिवर्तन में वैश्विक निवेश वर्ष 2024 में अभूतपूर्व $2.1 ट्रिलियन तक पहुँच गया, जो वर्ष 2023 की तुलना में 11% की वृद्धि दर्शाता है। यह मील का पत्थर कम-कार्बन ऊर्जा में परिवर्तन को तेज़ करने में बढ़ती हुई आम सहमति को प्रदर्शित करता है। विद्युतीकृत परिवहन ने $757 बिलियन के साथ बढ़त हासिल की, इसके बाद $728 बिलियन के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का स्थान रहा, जो उत्पादन परिसंपत्तियों से परे परिदृश्य में व्यापक बदलाव को दर्शाता है। मजबूत नीतिगत आदेशों और गिरती प्रौद्योगिकी लागतों द्वारा समर्थित, सौर पीवी पूंजी के लिए यह सबसे बड़ा क्षेत्र बना रहा, जबकि पवन, बैटरी भंडारण और ग्रीन हाइड्रोजन निवेश मिश्रण में तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं।

इस पूंजी निवेश से जमीनी स्तर पर रिकॉर्ड प्रगति हुई है। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) ने **वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर 585 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के जुड़ने** की सूचना दी, जो इतिहास में सबसे बड़ी एकल-वर्ष वृद्धि है। इसने वर्ष के अंत तक कुल स्थापित अक्षय क्षमता को 4,448 गीगावाट तक पहुँचाया। वृद्धिशील क्षमता में सौर पीवी की तीन-चौथाई से अधिक की हिस्सेदारी रही, जिसमें एशिया, विशेषकर चीन और भारत के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख वृद्धि हुई। पवन और जलविद्युत ने इसका अनुसरण किया, जिससे एक अधिक लचीली और विविधतापूर्ण वैश्विक बिजली प्रणाली को मज़बूत बनाने में मदद मिली।

कई प्रमुख सक्षमकर्ताओं ने इस तेज़ी का समर्थन किया। प्रौद्योगिकी लागत में गिरावट जारी रही, तथा कर जमा, बाजार सुधार और नीलामी योजनाओं सहित सहायक नीतियों का सभी क्षेत्रों में विस्तार हुआ। ग्रीन फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स- सॉवरेन ग्रीन बांड से लेकर ईएसजी-लिंक्ड ऋण और मिश्रित वित्त प्लेटफार्मों तक - ने बड़े पैमाने पर पूंजी जुटाने में मदद की।

वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की भारतीय की अध्यक्षता वैश्विक सौर सहयोग को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। अपने नेतृत्व में, आईएसए ने विकासशील देशों में सौर तैनाती पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें रियायती वित्त, तकनीकी सहायता और जोखिम रहित परियोजना पाइपलाइनों पर जोर दिया गया। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी जैसी पहलों ने गति पकड़ी, जिससे सौर-नेतृत्व वाली जलवायु कार्रवाई के प्रमुख चालक के रूप में भारत की भूमिका मजबूत हुई।

नवंबर 2024 में बाकू, अज़रबैजान में आयोजित सीओपी29 में, भारत ने जलवायु वित्तपोषण में समानता और सामर्थ्य के लिए एक मजबूत आवाज़ के रूप में अपनी स्थिति दोहराई। शिखर सम्मेलन से मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे:

- ग्रीन क्लाइमेट फंड की पुनःपूर्ति के लिए नए सिरे से आह्वान
- सालाना 100 बिलियन डॉलर से अधिक जलवायु वित्तपोषण पर एक नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य को अंतिम रूप देना
- वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय क्षमता को तीन गुना करने की दिशा में तेज़ी और जीवाश्म ईंधन का निरंतर उपयोग घटाना
- वैश्विक कार्बन बाज़ार ढाँचा विकसित करने पर आम सहमति, जहाँ भारत ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सुरक्षा उपायों की वकालत की

भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार प्रतिबंधों और जलवायु वित्तपोषण वार्ताओं के बीच वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है। इन व्यवधानों ने अक्षय ऊर्जा आपूर्ति कड़ियों को प्रभावित किया है और बाज़ार में अस्थिरता को बढ़ाया है। फिर भी, बहुपक्षीय जलवायु वित्तपोषण में तेज़ी का निर्माण जारी है। देशों ने विकासशील देशों के लिए वार्षिक जलवायु वित्तपोषण को वर्ष 2035 तक लगभग तीन गुना बढ़ाकर $300 बिलियन करने का संकल्प लिया है, जिसका व्यापक लक्ष्य वर्ष 2035 तक सार्वजनिक और निजी स्रोतों से प्रति वर्ष $1.3 ट्रिलियन जुटाना है।

इस परिवेश में, आपकी कंपनी रणनीतिक रूप से अपनी वैश्विक स्थिति का विस्तार कर रही है - बहुपक्षीय संस्थानों के साथ जुड़ना, विदेशी मुद्रा वित्तपोषण के लिए जीआईएफटी सिटी का लाभ उठाना और अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त ढाँचों के साथ तालमेल बैठाना। ये प्रयास लचीलापन बढ़ाते हैं, सीमा पार पूंजी आकर्षित करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के प्रमुख चालक के रूप में आपकी कंपनी की भूमिका को सुदृढ़ करते हैं।

जबकि वर्ष 2024 में ऐतिहासिक लाभ दर्ज किए गए, आगे का रास्ता और भी बड़े पैमाने की मांग करता है। **आईईए और बीएनईएफ के अनुमानों के अनुसार, शुद्ध-शून्य लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए ऊर्जा परिवर्तन में वार्षिक वैश्विक निवेश वर्ष 2030 तक ~4.5 ट्रिलियन-~4.8 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष तक बढ़ना चाहिए।** आपकी कंपनी जैसे हरित वित्तपोषण संस्थान यह सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाएंगे कि ये प्रवाह उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ और समावेशी ऊर्जा पहुँच जैसे सबसे प्रभावशाली क्षेत्रों तक पहुँचें, जिससे यह सुनिश्चित हो कि हरित ऊर्जा में परिवर्तन न केवल तेज़ है, बल्कि निष्पक्ष और भविष्य के लिए तैयार भी है।

भारत का हरित वित्तपोषण परिदृश्य

अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) की 2024 विश्व रैंकिंग के अनुसार **भारत कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर 4वें स्थान पर है,** स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में 4वें स्थान पर है और स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में तीसरे स्थान पर है (वर्ष 2023 में 5वें स्थान से ऊपर)।

भारत वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तनों में से एक को अंजाम दे रहा है, जिसने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा है और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध है। यह बदलाव न केवल जलवायु अनिवार्यताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था के रणनीतिक पुनर्गठन का भी प्रतिनिधित्व करता है-जो देश को स्वच्छ ऊर्जा नवाचार, लचीलापन और सतत विकास में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करता है।

वित्त वर्ष 25 के अंत में, भारत ने 100 गीगावाट से अधिक की स्थापित सौर क्षमता के साथ, 220 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार कर लेगा। इसके अलावा, एक बड़ी उपलब्धि में, भारत ने वित्त वर्ष 24-25 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 29.5 गीगावाट (0.8 गीगावाट के बड़े हाइड्रो सहित) की वृद्धि की, जो आज तक की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि है और सीईए स्थापित क्षमता रिपोर्ट के अनुसार, साल-दर-साल ~59% की वृद्धि को दर्शाती है। यह मजबूत वृद्धि निरंतर नीतिगत रफ़्तार, त्वरित परियोजना निष्पादन और निवेशकों के बढ़े हुए विश्वास का परिणाम है।

वित्त वर्ष 24-25 में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में कई महत्वपूर्ण नीतिगत और क्षेत्रीय मील-पत्थर भी देखे गए:

- **केंद्रीय बजट आवंटन:** केंद्रीय बजट 2025-26 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को रिकॉर्ड ₹26,549 करोड़ आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 53% की वृद्धि दर्शाता है और सौर, पवन, जैव ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, हरित ऊर्जा गलियारा, ऊर्जा भंडारण और विनिर्माण-संबंधी प्रोत्साहन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लक्षित करता है।

- **आत्मनिर्भर भारत:** मार्च 2024 और मार्च 2025 के बीच, सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 38 गीगावाट से बढ़ कर 74 गीगावाट तक लगभग दोगुनी हो गई, जबकि सौर पीवी सेल क्षमता तीन गुना से अधिक बढ़ कर 9 गीगावाट से 25 गीगावाट हो गई, जिसे उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत ₹41,000 करोड़ के उल्लेखनीय निवेश का समर्थन मिला। वित्त वर्ष 24-25 में एक महत्वपूर्ण विकास भी हुआ : देश की पहली इंगोट-टू-वेफर विनिर्माण सुविधा (2 गीगावाट) का चालू होना, जो ऊर्ध्वाधर एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- **स्वच्छ ऊर्जा पहुँच का लोकतंत्रीकरण:**
    - **पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना** ने तेज़ी से विस्तार किया है, जिससे 11 लाख से ज़्यादा परिवारों को फ़ायदा हुआ है। इस पहल से न केवल छत पर सौर ऊर्जा अपनाने में तेज़ी आ रही है, बल्कि घरेलू ऊर्जा लागत को भी सीधे तौर पर कम कर रही है तथा ऊर्जा परिवर्तन को समावेशी, जन-केंद्रित और इक्विटी-संचालित बना रही है। 31 मार्च, 2025 तक 6.98 लाख लाभार्थियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ₹5,437.20 करोड़ की माली मदद से उन्हें जमीनी स्तर से काफी ऊपर उठाया गया।

- **पीएम-कुसुम योजना** वित्त वर्ष 24-25 में अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई, जिसने भारत के कृषि परिदृश्य में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को फिर से परिभाषित किया। घटक बी के तहत, 4.4 लाख एकल सौर पंप लगाए गए - पिछले वर्ष की तुलना में 4.2 गुना वृद्धि - जबकि घटक सी में 2.6 लाख ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया जो कि 25 गुना वार्षिक उछाल है। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख से अधिक पंप लगाए जा चुके हैं या सौर ऊर्जा से जोड़े जा चुके हैं, पीएम-कुसुम कृषि को कार्बन मुक्त करने, किसानों का लचीलापन बढ़ाने और बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत ऊर्जा पहुंच को बढ़ावा देने के भारत के प्रयास की आधारशिला के रूप में उभर रही है।

- **ग्रीन हाइड्रोजन व व्युत्पन्नी अपनाने का दायरा बढ़ाना:** भारत का ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम विज़न से क्रियान्वयन की ओर बढ़ रहा है, जो कार्बन मुक्त औद्योगिकीकरण और ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन लक्ष्य के तहत, 1,500 मेगावाट प्रति वर्ष इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए कुल ₹2,220 करोड़ के प्रोत्साहन स्वीकृत किए गए हैं, जबकि ₹2,239 करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन के 4.5 लाख टीपीए उत्पादन का समर्थन करते हैं-जो एक मजबूत घरेलू बाजार के लिए आधार तैयार करता है। रणनीतिक पायलट परियोजना भी चल रही हैं, जिसमें इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए ₹454 करोड़ और हाइड्रोजन-संचालित वाहनों और ईंधन भरने वाले स्टेशनों को शुरू करने के लिए ₹208 करोड़ शामिल हैं-जो भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में एक उभरते हुए अग्रणी के रूप में स्थापित करता है।

इस प्रकार, भारत का हरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से बढ़ रहा है, जो स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, कार्बन मुक्त औद्योगिकीकरण और समावेशी ऊर्जा पहुँच में भारत को वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरने का संकेत देता है।

इरेडा के वित्तीय और परिचालनगत कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें

मजबूत व्यावसायिक वृद्धि और लाभप्रदता

वित्त वर्ष 25 में, आपकी कंपनी ने अब तक का सबसे अधिक वार्षिक ऋण बुक, स्वीकृति, संवितरण, लाभ और निवल मूल्य हासिल किया। नीचे दिए गए आंकड़े इस असाधारण प्रदर्शन को दर्शाता है:

- **सकल ऋण बुक : वित्त वर्ष 25 में ₹76,282 करोड़,** जबकि वित्त वर्ष 24 में यह ₹59,698 करोड़ थी (28% तक की वृद्धि)
- **ऋण स्वीकृति: वित्त वर्ष 25 में ₹47,453 करोड़,** जबकि वित्त वर्ष 24 में यह ₹37,354 करोड़ थी (27% तक की वृद्धि)
- **ऋण संवितरण: वित्त वर्ष 25 में ₹30,168 करोड़,** जबकि वित्त वर्ष 24 में यह ₹25,089 करोड़ था (20% तक की वृद्धि)
- **कर पश्चात लाभ: वित्त वर्ष 25 में ₹1,699 करोड़,** जबकि वित्त वर्ष 24 में यह ₹1,252 करोड़ था (36% तक की वृद्धि)
- **निवल मूल्य : वित्त वर्ष 25 में ₹10,266 करोड़,** जबकि वित्त वर्ष 24 में यह ₹8,559 करोड़ था (20% तक की वृद्धि)

31 मार्च 2025 तक, आपकी कंपनी ने **संचयी रूप से ₹2,37,916 करोड़ स्वीकृत किए हैं और संचयी रूप से ₹1,56,085 करोड़ संवितरित किए हैं, जिसमें**

- वित्त वर्ष 15 से प्राप्त संचयी संवितरण का 89% और संचयी स्वीकृतियों का 87%, और;
- वित्त वर्ष 21 से प्राप्त संचयी संवितरण का 60% और संचयी स्वीकृतियों का 59%

प्रमुख कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें

मजबूत वित्तीय परिणाम देने के अलावा, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 25 में कई रणनीतिक और परिचालन सम्बन्धी उपलब्धियां हासिल की हैं। नीचे दी गईं मुख्य बातें भारत के हरित ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करने में इसके निरंतर नेतृत्व को दर्शाती हैं।

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अनुसूची 'ए' सीपीएसई से सम्माननीय 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त

आपकी कंपनी को 26 अप्रैल 2024 को नवरत्न सीपीएसई के रूप में मान्यता दी गई, जो हमारी वित्तीय शक्ति, परिचालनगत उत्कृष्टता और रणनीतिक दूरदृष्टि को दर्शाता है। यह दर्जा आपकी कंपनी को अपने व्यावसायिक लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता है, जो बदले में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को उत्तरदायी समर्थन में परिवर्तित हो जाएगा।

दिसंबर 2024 में बाजार पूंजीकरण के आधार पर इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा देश के शीर्ष 5 मूल्य निर्माताओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त

इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा आपकी कंपनी को नवंबर 2023 और नवंबर 2024 के बीच 215% साल-दर-साल शेयरधारक रिटर्न के साथ भारत के दूसरे सबसे बड़े मूल्य निर्माता स्टॉक के रूप में मान्यता दी गई। उल्लेखनीय रूप से, आपकी कंपनी इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम थी, जो इसके असाधारण प्रदर्शन और शेयरधारक मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध बैंकों और ₹50 करोड़ से ज़्यादा के बाज़ार पूंजीकरण वाले एनबीएफसी के बीच लेखा परीक्षित वार्षिक और तिमाही वित्तीय परिणामों का सबसे तेज़ प्रकाशन

आपकी कंपनी ने अपने वार्षिक लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणाम (वित्त वर्ष 25) को केवल 15 दिनों के भीतर प्रकाशित करके और अपने तिमाही लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम 9 दिनों (वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही) के भीतर प्रकाशित करके एक नया मानक स्थापित किया है। यह 31 मार्च, 2025 तक भारत में एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध बैंकों और ₹50 करोड़ से अधिक के बाज़ार पूंजीकरण वाले एनबीएफसी के बीच

लेखा परीक्षित वार्षिक परिणामों का सबसे तेज़ प्रकाशन है। परिणाम प्रकाशित करने के लिए समय को वित्त वर्ष 19 में 60 दिनों से घटाकर वित्त वर्ष 25 में 15 दिन करना आपकी कंपनी की प्रक्रिया दक्षता, कॉरपोरेट अभिशासन और पारदर्शिता पर जोर को दर्शाता है।

विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित ऋण वित्तपोषण हेतु जीआईएफटी सिटी, गांधीनगर में कार्यालय खोलना

वित्त वर्ष 25 में, आपकी कंपनी को आईएफएससीए से आईएफएससी जीआईएफटी सिटी (गुजरात) में अपनी सहायक कंपनी के लिए अंतिम पंजीकरण प्राप्त हुआ, जो विदेशी मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने, प्राकृतिक बचाव की सुविधा प्रदान करने और ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नियों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण परियोजनाओं (मॉड्यूल, सेल, वेफर्स, टर्बाइन, इलेक्ट्रोलाइजर, आदि) सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तपोषण लागत को काफी कम करने में विशेषज्ञता हासिल करेगा। यह रणनीतिक पहल सतत विकास के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

एसएंडपी ग्लोबल द्वारा अंतरराष्ट्रीय साख श्रेणी निर्धारण और घरेलू एजेंसियों द्वारा एएए (स्थिर) रेटिंग प्रदान करना

वित्त वर्ष 25 में, आपकी कंपनी ने एसएंडपी वैश्विक साख श्रेणी से स्थिर दृष्टिकोण के साथ बीबीबी की अंतरराष्ट्रीय साख श्रेणी निर्धारण प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह श्रेणी निर्धारण भारत की संप्रभु श्रेणी निर्धारण के साथ निकटता से जुड़ी हुई है, जो आपकी कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और देश के नवीकरणीय ऊर्जा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी की साख-योग्यता को **सीएआरई श्रेणी निर्धारण द्वारा इसकी घरेलू साख श्रेणी निर्धारण को एएए (स्थिर) में उन्नत** करके मान्यता दी गई। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च और ब्रिकवर्क रेटिंग्स सहित प्रमुख घरेलू साख एजेंसियों से अपनी एएए (स्थिर) रेटिंग बनाए रखना जारी रखा है। ये शीर्ष-स्तरीय **श्रेणी निर्धारण** आपकी कंपनी के निरंतर प्रदर्शन, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक महत्व और वित्तीय उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

एमएनआरई के साथ समझौता ज्ञापन के तहत "उत्कृष्ट" श्रेणी निर्धारण

आपकी कंपनी ने वार्षिक आधार पर वित्तीय और परिचालनगत लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 24 के लिए एमएनआरई के साथ अपने समझौता ज्ञापन के तहत 'उत्कृष्ट' श्रेणी निर्धारण मिला है - लगातार 4था वर्ष, जो सरकार के नेतृत्व वाली अक्षय ऊर्जा पहलों को आगे बढ़ाने के लिए इसके निरंतर उच्च कार्य-निष्पादन और दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इसके अलावा, आपकी कंपनी को भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन के अधीन, अपने वित्त वर्ष 25 के परिणामों के आधार पर "उत्कृष्ट" श्रेणी निर्धारण प्राप्त करने की उम्मीद है।

एमएनआरई द्वारा सीबीआईपी पुरस्कार, पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित

वित्त वर्ष 25 में, आपकी कंपनी को देश में **अक्षय ऊर्जा के विकास में इसके उत्कृष्ट योगदान** के लिए केंद्रीय सिंचाई और विद्युत पर्षद (सीबीआईपी) द्वारा प्रतिष्ठित **सीबीआईपी पुरस्कार 2024** से सम्मानित किया गया। सीएमडी, इरेडा को अक्षय ऊर्जा विकास कार्य को आगे बढ़ाने में उनके अनुकरणीय नेतृत्व के लिए **सीबीआईपी व्यक्तिश: पुरस्कार 2024** से भी सम्मानित किया गया।

इसके अलावा, आपकी कंपनी को **14वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कारों** में अपने अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें **कॉरपोरेट अभिशासन** एवं **सीएसआर व संधारणीयता** की श्रेणियों में स्वर्ण पदक और **परिचालनगत कार्य-निष्पादन उत्कृष्टता** के लिए रजत पदक जीता - जो इसकी मजबूत संस्थागत अखंडता, सामाजिक उत्तरदायित्व और परिचालनगत नेतृत्व का प्रमाण है।

आपकी कंपनी को 16 सितंबर 2024 को आरई-इन्वेस्ट 2024 में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी एनबीएफसी के रूप में, **भारत की 200 गीगावाट गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता की उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान** के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया।

<u>प्रमुख प्रचालनगत पहल प्रारंभ</u>

उभरते नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए उत्प्रेरक नेतृत्व

आपकी कंपनी भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के एक गतिशील प्रवर्तक के रूप में काम करती है - तेजी से बदलते नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य में आगे बने रहने के लिए अपनी नीतियों और उत्पाद पेशकशों को लगातार विकसित करती रहती है। परियोजना के विचार से लेकर शुरुआत के बाद तक - **शुरू से लेकर अंत तक वित्तीय समाधान** प्रदान करके - आपकी कंपनी स्थापित और अगली पीढ़ी के दोनों क्षेत्रों में निर्बाध पूंजी पहुंच सुनिश्चित करती है।

वित्त वर्ष 25 में, आपकी कंपनी ने इथेनॉल, ग्रीन अमोनिया, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर, स्मार्ट मीटर, सौर उपकरण निर्माण परियोजनाओं के साथ ही साथ सौर रूफटॉप और पीएम कुसुम के अधीन विकेंद्रीकृत उत्पादन परियोजनाओं के लिए **बाजार में सबसे पहले समर्थन** प्रदान करके उभरती हुई हरित प्रौद्योगिकियों को उत्प्रेरक नेतृत्व प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दुहराई।

इसके अलावा, **आरई इन्वेस्ट 2024 कॉन्क्लेव में,** आपकी कंपनी ने भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के तेजी से विकास का समर्थन करने के लिए **वर्ष 2030 तक ₹ 5 लाख करोड़ के ऋण वित्तपोषण** की प्रतिज्ञा ली।

प्रमुख एमएनआरई योजनाओं के लिए कार्यान्वयन सहायता प्रावधानित

आपकी कंपनी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतियों के विकास और कार्यान्वयन में गहन रूप से शामिल रही है। इसके अलावा, आपकी कंपनी निम्नलिखित प्रमुख एमएनआरई योजनाओं हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है:

- उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के तहत उच्च दक्षता वाले **सौर पीवी मॉड्यूल** पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, शृंखला-I
- शृंखला III के तहत **ग्रिड से जुड़े सौर पीवी** परियोजनाओं की स्थापना के लिए **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम योजना चरण II**
- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, चरण I के भाग के रूप में **शहरी, औद्योगिक और कृषि जनित अपशिष्टों/अवशेषों** से ऊर्जा पर कार्यक्रम
- **सौर और पवन उत्पादन** आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) योजनाएँ

उधारकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने की पहल

आपकी कंपनी ने तिमाही हितधारक जुड़ाव को संस्थागत बनाने और उधारकर्ता अनुभव को सुव्यवस्थित करके ग्राहक-सर्वप्रथम के दृष्टिकोण पर अपना जोर बनाए रखा है। पूरी तरह से डिजिटल, कागज़ रहित ऋण पारिस्थितिकी तंत्र के साथ - आवेदन से लेकर संवितरण तक - आपकी कंपनी ने हरित वित्तपोषण में कारोबार करने की आसानी को नए सिरे से परिभाषित किया है, तथा अपनी गति, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए लगातार सराहना अर्जित की है।

मानव संसाधन विकसित करने की पहल

आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारी आधार को बढ़ाने और विकसित करने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

- **विस्तार:** अपनी मजबूत विकास गति के साथ, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 26 में 60 से अधिक कर्मियों को शामिल करने की योजना के साथ अपने कार्यबल को लगातार बढ़ाया है। 31 मार्च 2025 तक, आपकी कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या, बोर्ड स्तर के अधिकारी छोड़कर, 166 थी ।
- **विकास:** तेजी से विकसित हो रहे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को देखते हुए, आपकी कंपनी **निरंतर सीखने और विकास पर** जोर देती है। वित्त वर्ष 25 में, संगठन ने अपने कर्मचारियों को 1,523 मानव दिवसों का प्रशिक्षण प्रदान किया, जिसमें उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और अभिनव वित्तपोषण समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **कल्याण और प्रेरणा:** आपकी कंपनी ने **नियमित कल्याण शिविरों** के साथ-साथ **दैनिक ध्यान और योग** सत्र आयोजित करके कर्मचारियों के कल्याण को लगातार प्राथमिकता दी है।
- **विविधता व समावेशन:** आपकी कंपनी विविधता व समावेशन के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता रखती है- **आपकी कंपनी के कार्यबल में 28.3% महिलाएँ हैं** - वर्ष 2023-24 के लिए पीई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार **सीपीएसई में औसत 9.5% महिला कर्मचारियों का लगभग 3 गुना।** इसके अलावा, आपकी कंपनी सामाजिक समानता के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. कर्मचारियों के लिए उचित प्रतिनिधित्व और अवसर सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के निर्देशों को सक्रिय रूप से लागू करती है। भर्ती से लेकर करियर विकास तक के समावेशी प्रतिभा रणनीतियों के माध्यम से आपकी कंपनी एक ऐसी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देती है जो विविधतापूर्ण, सम्मानजनक और सभी के लिए समान अवसर पर आधारित है।

कॉरपोरेट अभिशासन के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देना

आपकी कंपनी **ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही** पर आधारित एक अभिशासन ढाँचे को बनाए रखती है - हर स्तर पर नैतिक आचरण और प्रचालनगत दक्षता सुनिश्चित करती है। कंपनी अधिनियम, सेबी एलओडीआर विनियम, डीपीई दिशा-निर्देश, सचिवीय मानक और अन्य प्रासंगिक दिशनिर्देशों का **पूरी तरह से अनुपालन करते हुए,** आपकी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निर्धारित उच्चतम मानदंडों के अनुरूप कार्य करती है।

प्रकटीकरण और पारदर्शिता में नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए, आपकी कंपनी ने अपने **वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों को केवल 15 दिनों के भीतर** प्रकाशित करके एक नया उद्योग मानक स्थापित किया, जो सेबी की 60-दिन की आवश्यकता से बहुत पहले है। **यह एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध बैंकिंग और** ₹50 करोड़ से अधिक का बाजार पूंजीकरण रखने वाली **एनबीएफसी कंपनियों में सबसे तेज़** है। यह उपलब्धि अभिशासन उत्कृष्टता के प्रति आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो मजबूत आंतरिक प्रणालियों और डिजिटल सुविधाओं द्वारा संचालित है।

एक सतत भविष्य हेतु प्रभावशाली कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का समर्थन करना

अपने हरित वित्तपोषण ध्येय में जुटी, आपकी कंपनी समावेशी और निरंतर विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पहल करती है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, आपकी कंपनी की वित्त वर्ष 25 की सीएसआर पहल **स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, शिक्षा और युवा तथा नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता** जैसे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों पर केंद्रित थी - जो इसके स्वच्छ ऊर्जा जनादेश के सामाजिक मूल्य को बढ़ाती है।

वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी ने समावेशी और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप सीएसआर पहलों के एक विविध संविभाग की शुरुआत की है। प्रमुख परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश में विकलांग बच्चों की सेवा करने वाली **मोबाइल मेडिकल वैन** हेतु सहायता, राजस्थान में **आईसीयू सुसज्जित एम्बुलेंस** की खरीद तथा अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए **चिकित्सा उपकरण** का प्रावधान शामिल था।

शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में, आपकी कंपनी ने **सिलवासा में एक सैनिक स्कूल** के विकास का समर्थन किया और **प्रधानमंत्री की इंटर्नशिप योजना के अधीन 50 प्रशिक्षुओं को प्रायोजित किया।**

समावेशी हरित गतिशीलता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी ने **पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर** को कंपनी द्वारा पहले दान किए गए **10 बैटरी चालित वाहनों के परिचालन** और **रखरखाव** के लिए **वित्तीय सहायता** प्रदान की और इसके अतिरिक्त **दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों** और परिसर में आने वाले आगंतुकों के हित के लिए **गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय,** नई दिल्ली को **4 बैटरी चालित वाहन** दान किए।

नवीकरणीय ऊर्जा और संधारणीयता पर अपने मूल ध्यान को मजबूत करते हुए, आपकी कंपनी ने **उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य सुविधाओं में सौर ऊर्जा प्रणालियों** की स्थापना को वित्त पोषित किया।

वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी ने 13 परियोजनाओं के लिए कुल ₹24.36 करोड़ (प्रशासनिक व्यय सहित) स्वीकृत किए और पिछले वर्षों के अव्ययित खातों से संवितरण और वित्त वर्ष 25 के प्रशासनिक व्यय सहित कुल ₹7.82 करोड़ की राशि वितरित की।

प्रचालन में कार्बन की उपस्थिति को समायोजित करने की पहल

देश के कार्बन मुक्त लक्ष्यों का समर्थन करने के अलावा, आपकी कंपनी अपने प्रचालन में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का प्रयास करती है। आपकी कंपनी केरल के कासरगोड में 50 मेगावाट के सौर संयंत्र का स्वामित्व और संचालन करती है, जो 70,539 मेगावाट-घंटा अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 25 में 59,958 टन कार्बन डाई ऑक्साइड की कमी आई।

भारत के हरित क्षेत्र के विकास के लिए भविष्य का दृष्टिकोण

वित्त वर्ष 2025 में भारत का हरित वित्तपोषण परिदृश्य मजबूत होता रहा, जो निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर देश के परिवर्तन का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए साहसिक नीतिगत हस्तक्षेपों, बजटीय आवंटन में वृद्धि और क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहनों से प्रेरित था। **वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा निवेश की आवश्यकता (ई-मोबिलिटी को छोड़कर) ₹30 लाख करोड़ को पार करने का अनुमान है,** इस सोच के साथ इस वर्ष पूंजी प्रवाह को जोखिम मुक्त करने और स्वच्छ ऊर्जा नियोजन में तेजी लाने के लिए ठोस प्रयास किए गए।

वित्त वर्ष 24-25 में शुरू किए गए या निर्धारित प्रमुख नीतिगत उपायों में शामिल हैं :

- **उपयोगिता-स्तरीय सौर व पवन:** सरकार ने एसईसीआई, एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजीएनवी सहित केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से नीलामी आयोजित करके वित्त वर्ष 2025 में सौर और पवन ऊर्जा के लिए 50 गीगावाट के अपने वार्षिक बोली लक्ष्य की पुष्टि की। प्रदान की गई क्षमता की समय पर निकासी सुनिश्चित करने के लिए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-II और अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) विस्तार को तेजी से आगे बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त, एक नए नीतिगत आदेश के अनुसार जून 2026 से शुरू होने वाली सभी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में घरेलू स्तर पर निर्मित सौर पीवी सेल और मॉड्यूल का अवश्य उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे अक्षय ऊर्जा निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयासों को बल मिलेगा।
- **रूफटॉप व विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा:** पीएम-कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया, जिसमें विक्रेता पैनल और भूमि एकत्रीकरण हेतु सरलीकृत प्रक्रियाओं के साथ-साथ 49 लाख पंपों को स्थापित करने या सौर ऊर्जा से चलाने का संशोधित लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम (चरण II) को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया, जिसमें आवासीय और संस्थागत क्षेत्रों के लिए पूंजी सहायिकी और कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन जारी रखा गया है।
- **विनिर्माण व घरेलू मूल्य कड़ी:** भारत के घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र ने वित्त वर्ष 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। पीएलआई योजना शृंखला-II के अधीन, सरकार ने ₹19,500 करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ 39.6 गीगावाट सौर मॉड्यूल क्षमता प्रदान की, जबकि एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज प्रोग्राम ने 10 गीगावाट-घंटे की नई क्षमता आवंटित की, जिससे ₹18,100 करोड़ की योजना के तहत आवंटित कुल क्षमता बढ़कर 40 गीगावाट-घंटे हो गई। आयात शुल्क और एएलएमएम नीति की बहाली के साथ-साथ इन प्रयासों ने भारत की सौर विनिर्माण क्षमता को विगत 74 गीगावाट से आगे बढ़ाने में मदद की, जिससे स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति कड़ियों में आत्मनिर्भरता मजबूत हुई।
- **ग्रीन हाइड्रोजन व इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण:** राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के तहत, भारत ने वित्त वर्ष 25 में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण के लिए अपनी पहली बोलियाँ शुरू कीं। सरकार ने वर्ष 2030 तक ₹8 लाख करोड़ निवेश जुटाने और 6 लाख नौकरियां पैदा करने के व्यापक दृष्टिकोण के तहत 3,000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र क्षमता और 862,000 टीपीए हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए।
- **ऊर्जा भंडारण व पारेषण:** भारत ने प्रमुख नीतिगत और निवेश कदमों के साथ वित्त वर्ष 2025 में अपने ग्रिड एकीकरण और भंडारण बुनियादी ढांचे को उन्नत किया। सरकार ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को बढ़ाकर 13.2 गीगावाट-घंटा कर दिया है, तथा बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन के सहयोग के लिए मौजूदा ₹9,400 करोड़ के परिव्यय को बरकरार रखा है।

  इसके समानांतर, राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) ने वर्ष 2032 तक 191,000 सर्किट-किमी. नई ट्रांसमिशन लाइनें और 1,274 जीवीए सबस्टेशन क्षमता जोड़ने के लिए एक रोडमैप तैयार किया। लद्दाख और हरियाणा के बीच ₹20,774 करोड़ के एचवीडीसी ट्रांसमिशन कॉरिडोर को मंजूरी देना एक प्रमुख उपलब्धि थी, जिसमें 40% केंद्रीय वित्त पोषण होगा, जिससे क्षेत्र से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निकाली जाएगी।

- **पवन, जलविद्युत और जैव ऊर्जा सहायता:** पुराने पवन टर्बाइनों को आधुनिक, उच्च क्षमता वाली इकाइयों से बदलने के लिए रीपावरिंग पॉलिसी 2023 को क्रियान्वित किया गया था, जिसका लक्ष्य था 25 गीगावाट तक की अतिरिक्त पवन क्षमता प्राप्त करना। जलविद्युत में, टैरिफ युक्तीकरण, आंशिक आईएसटीएस छूट और सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रियाओं ने परियोजना व्यवहार्यता का समर्थन किया, जिसमें 25.5 गीगावाट के नए पम्प्ड स्टोरेज प्रस्ताव शामिल हैं। जैव ऊर्जा में, सरकार ने बायोगैस और अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों के लिए एसएटीएटी पहल के तहत राजकोषीय और ऑफटेक प्रोत्साहनों को बनाए रखा, जबकि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण वर्ष 2025 की शुरुआत तक 19% तक पहुँच गया - वर्ष के अंत तक 20% लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है।
- **ई-मोबिलिटी व स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर:** सरकार ने विद्युतीय दुपहिए एवं तिपहिए तथा ई-बसों को चालू करने के समर्थन बाबत ₹10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की, जबकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन प्रोग्राम 2024 ने ई-वाहनों को अतिरिक्त आर्थिक साहाय्य प्रदान के लिए ₹500 करोड़ आवंटित किए। ग्रिड की तरफ, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत तैनाती में तेजी आई, मार्च 2025 तक 2.64 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए। मीटरकरण के लक्ष्यों को राष्ट्रव्यापी रूप में पूरा करने के लिए आरडीएसएस को वित्त वर्ष 27-28 तक विस्तारित करने की योजनाएँ प्रक्रियाधीन हैं।

इरेडा हेतु समग्र रणनीति

भारत की अग्रणी प्योर-प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग संस्था के रूप में, आपकी कंपनी देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक साहसिक, भविष्य के लिए तैयार रणनीति तैयार कर रही है। अनुकूलित वित्तीय समाधान, प्रतिस्पर्धी ऋण और गहन क्षेत्रीय विशेषज्ञता प्रदान करते हुए,आपकी कंपनी उन सिद्ध और उभरती हुई तकनीकों को लगातार सशक्त बना रही है, जो भारत के 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन लक्ष्य को प्राप्त करने और इसके नेट-ज़ीरो विज़न को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- **नवीकरणीय ऊर्जा स्पेक्ट्रम में गति को बढ़ावा देना**

  आपकी कंपनी सौर, पवन, जल विद्युत, बायोमास और जैव ईंधन जैसे मुख्यधारा वाले क्षेत्रों में अग्रणी बनी हुई है - जो वर्ष 2030 तक भारत सरकार के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख स्तंभ हैं। अनुकूलित वित्तीय साधनों, प्रतिस्पर्धी दरों और अभिनव उत्पादों के माध्यम से, आपकी कंपनी न केवल परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रही है बल्कि भारत की स्वच्छ ऊर्जा नियोजन को बड़े पैमाने पर गति दे रही है।

- **भविष्य की प्रौद्योगिकियों को समर्थन**

  परिपक्व बाजारों से आगे बढ़ते हुए, आपकी कंपनी रणनीतिक रूप से उन उभरते समाधानों में विस्तार कर रही है जो ऊर्जा के भविष्य को आकार दे रहे हैं: ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न, अपतटीय पवन ऊर्जा, बैटरी भंडारण, पम्प्ड हाइड्रो, रूफटॉप सोलर, स्मार्ट मीटरिंग, ग्रीन मोबिलिटी और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। इन परियोजनाओं का सक्रिय रूप से मूल्यांकन और वित्तपोषण करने के लिए एक समर्पित टीम कार्यरत है, जबकि आंतरिक क्षमता निर्माण यह सुनिश्चित करता है कि हमारे लोग इन उभरते क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए तैयार हों।

- **जीआईएफटी सिटी के माध्यम से वैश्विक पहुंच का विस्तार**

  गांधीनगर के जीआईएफटी सिटी में अपने कार्यालय की स्थापना सहित, आपकी कंपनी अब विदेशी मुद्रा-नामित ऋण प्रदान करती है, जो नवीकरणीय विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात जैसे वैश्विक रूप से जुड़े उद्योगों के लिए प्राकृतिक बचाव को सक्षम बनाती है। यह प्लेटफ़ॉर्म आपकी कंपनी को वित्तपोषण लागत घटाने और अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की स्थिति में रखता है।

- **एक स्मार्ट, अधिक लचीली पूंजी रणनीति का निर्माण**

  कोष की लागत को अनुकूलित करने के लिए, आपकी कंपनी विविध घरेलू और वैश्विक स्रोतों के माध्यम से अपने पूंजी मिश्रण को परिष्कृत कर रही है - जिसमें बॉण्ड्स, बहुपक्षीय एजेंसियां और रणनीतिक साझेदारी शामिल हैं। मजबूत क्रेडिट रेटिंग और संस्थागत विश्वसनीयता के समर्थन से, यह दृष्टिकोण उधारकर्ताओं के लिए लाभप्रदता और पूंजी उपलब्धता दोनों को बढ़ाता है।

- **डिजिटल-फ़र्स्ट ग्रोथ में तेजी**

  प्रभाव को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को पहचानते हुए, आपकी कंपनी एक डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं कोर ऋण कार्यों को डिजिटल बनाना और ट्रेजरी, कानूनी, जोखिम, वसूली, लेखा-परीक्षा और अनुपालन में कार्य-प्रवाह को सक्षम करना। एनबीसीसी, नई दिल्ली में आपकी कंपनी का पूरी तरह से कागज़ रहित व्यवसाय केंद्र इस बदलाव का प्रतीक है - जो परिचालन में गतिशीलता, पारदर्शिता और निर्बाध हितधारक सहभागिता को समर्थन प्रदान करता है।

- **संविभागीय लचीलता बरकरार रखना**

  वित्तीय विवेक और परिसंपत्ति गुणवत्ता के महत्व को पहचानते हुए, आपकी कंपनी ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक सक्रिय और संरचित दृष्टिकोण अपनाया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने प्रारंभिक चरण में तनाव संकेतकों का पता लगाने के लिए व्यवस्थित खाता निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी रूपरेखाएँ स्थापित की हैं। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाइयों और प्रभावी समाधान रणनीतियों के माध्यम से, आपकी कंपनी परिसंपत्ति की गुणवत्ता और परिचालनगत स्थिरता पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करती है। यह अनुशासित दृष्टिकोण संभागीय लचीलेपन को मजबूत करता है और निवेशकों, उधारदाताओं और व्यावसायिक भागीदारों के विश्वास को मजबूती प्रदान करता है।

- **एकीकृत उद्देश्य, कार्य-निष्पादन में साहस**

  हर पहल - फिर चाहे वह वित्त, प्रौद्योगिकी या प्रतिभा में हो - एक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होती है : हरित वित्त तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना और एक ऐसा ऊर्जा भविष्य बनाना जो समावेशी, अभिनव और राष्ट्रीय एवं वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में निहित हो। 360 डिग्री विकास रणनीति के साथ, आपकी कंपनी न सिर्फ़ भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को अपना रही है - बल्कि इसे आकार भी दे रही है।

आभार

मैं भारत सरकार, विशेष रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे निरंतर विकास को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग और विभिन्न अन्य मंत्रालयों और विभागों सहित अन्य प्रमुख सरकारी निकायों की भी ईमानदारी से सराहना करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से हमारे मिशन को समर्थन मिलता रहता है।

हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और अन्य विनियामक प्राधिकरणों के प्रति भी उनकी अन्वेक्षा और रचनात्मक भागीदारी के लिए समान रूप से आभारी हैं।

अभिशासन और जवाबदेही के मानकों को बनाए रखने और बढ़ाने की दिशा में उनके निरंतर योगदान के लिए हमारे सांविधिक लेखा-परीक्षकों, सचिवीय लेखा-परीक्षकों, लागत लेखा-परीक्षकों और आंतरिक लेखा-परीक्षकों को विशेष धन्यवाद।

हम अपने साख श्रेणी-निर्धारण भागीदारों- एसएंडपी ग्लोबल, आईसीआरए, सीएआरई श्रेणी-निर्धारण, इंडिया श्रेणी-निर्धारण व अनुसंधान, एक्यूट श्रेणी-निर्धारण व अनुसंधान और ब्रिकवर्क श्रेणी-निर्धारण द्वारा प्रदान किए गए निरंतर समर्थन और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की सराहना करते हैं-जो हमारी वित्तीय स्थिति और हितधारकों के विश्वास को मजबूत करते रहते हैं।

हमारे मूल्यवान ग्राहकों, उधारदाताओं, शेयरधारकों और निवेशकों सहित राज्य सरकारों, बिजली उपयोगिताओं, निजी क्षेत्र के भागीदारों और हमारे घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोगियों का उनके अटूट विश्वास और साझेदारी के लिए धन्यवाद। हम पर आपका विश्वास ही हमारे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है।

मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहकर्मियों का भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने कंपनी को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए अपनी रणनीतिक अंतर्दृष्टि और निरंतर प्रतिबद्धता दिखाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपने कर्मचारियों के अथक समर्पण की भी सराहना करना चाहता हूं, जिनकी व्यावसायिकता और कर गुजरने की चाह कंपनी की सफलता को आगे बढ़ाती हैं और इसकी उत्कृष्टता की संस्कृति को परिभाषित करती हैं।

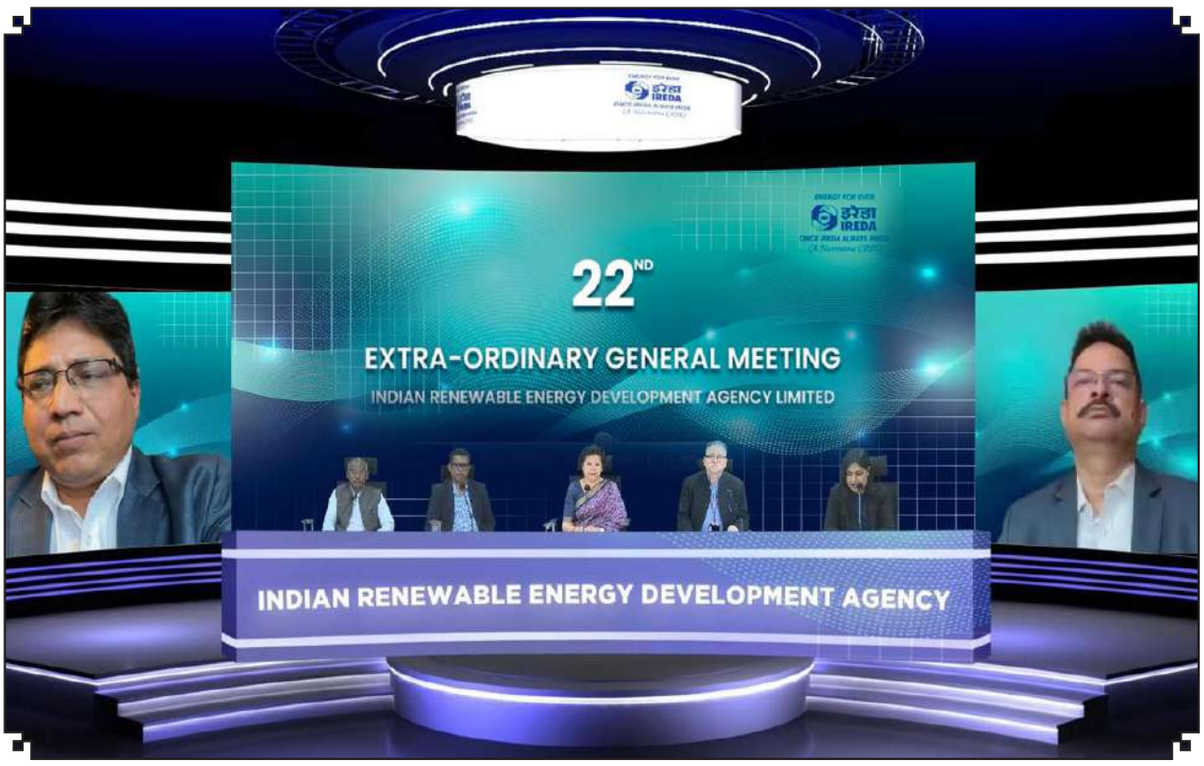
अंत में, मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निदेशक की रिपोर्ट, लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणाम और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट को आपके समक्ष सम्मानपूर्वक रखता हूँ, और इसके लिए आपकी स्वीकृति चाहता हूँ।

धन्यवाद,
हार्दिक सम्मान सहित,

ह./-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07448576

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.07.2025





24 फरवरी 2025 को आयोजित 22वीं असाधारण आम बैठक (ईजीएम)

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2025 (वित्त वर्ष 25) को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखा-परीक्षित एकल और समेकित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ आपकी कंपनी के व्यवसाय और प्रचालन पर 38वां वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बेहद ख़ुशी हो रही है।

1 कार्य-निष्पादन सारांश:

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 25 के दौरान अनुकरणीय प्रदर्शन किया है और उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 25 के लिए प्रमुख वित्तीय और परिचालन संबंधी मुख्य बातों का सारांश, साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े (एकल आधार पर) नीचे प्रस्तुत हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 25	वित्तीय वर्ष 24
1.	स्वीकृत ऋण	47,453.11	37,353.68
2.	संवितरित ऋण	30,167.87	25,089.04
3.	निवल मूल्य	10,266.16	8,559.42
4.	प्रचालनों से राजस्व	6,742.41	4,963.93
5.	अन्य आय	12.37	1.36
6.	वित्त लागत (निवल परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि सहित)	4,182.64	3,147.57
7.	कर पूर्व लाभ	2,103.80	1,685.25
8.	घटाएँ: आयकर	471.31	413.03
9.	आस्थगित कर	(66.11)	19.98
10.	कर पश्चात लाभ	1,698.60	1,252.24
11.	अन्य व्यापक आय	68.23	(156.80)
12.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय सहित]	1,766.83	1,095.44
विनियोजन :			
13.	डिबेंचर शोधन निधि (डीआरआर) में अंतरण	41.26	(0.23)
14.	विशेष आरक्षित में अंतरण	362.00	264.00
15.	एनबीएफसी आरक्षित में अंतरण	340.00	251.00
16.	सामान्य आरक्षित में अंतरण	950.00	700.00

वित्तीय विशिष्टताएं

लाभप्रदता

- वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी का प्रचालन से राजस्व बढ़कर ₹ 6,742.41 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष के ₹4,963.93 करोड़ के राजस्व की तुलना में 35.83% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करता है।
- वित्त वर्ष 25 के अंत में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर पश्चात लाभ (पीएटी) क्रम से ₹2,103.80 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 24.84% की वृद्धि) और ₹1,698.60 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 35.64% की वृद्धि) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

ऋण संस्वीकृत, संवितरण और ऋण बुक

- वित्त वर्ष 25 के दौरान संस्वीकृत ऋण ₹47,453.11 करोड़ थे, जो पिछले वर्ष की संस्वीकृत राशि ₹37,353.68 करोड़ से 27.04% की वृद्धि दर्शाता है, जो आपकी कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक स्वीकृति है।
- वित्त वर्ष 25 के दौरान संवितरित ऋण ₹30,167.87 करोड़ थे, जो पिछले वर्ष की संवितरित राशि ₹25,089.04 करोड़ से 20.24% की वृद्धि दर्शाता है, जो आपकी कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक संवितरण है।

- आपकी कंपनी की ऋण बुक 31 मार्च 2024 को ₹59,698.11 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹76,281.65 करोड़ हो गई है, जो 27.78% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करती है।

निवल मूल्य, सीआरएआर और अन्य वित्तीय विशिष्टताएं

- आपकी कंपनी की निवल मूल्य वित्त वर्ष 25 के अंत में बढ़कर ₹ 10,266.16 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष के निवल मूल्य ₹8,559.42 करोड़ से 19.94% अधिक है, मुख्य रूप से प्रतिधारित आय के कारण।
- कंपनी की श्रृंखला-I पूंजी 31 मार्च, 2025 तक ₹11,137.60 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष के ₹8,265.20 करोड़ से लगभग 34.7% की वृद्धि को दर्शाती है। श्रृंखला-II पूंजी वित्त वर्ष 25 में बढ़कर ₹1,922.96 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 24 में ₹929.93 करोड़ की तुलना में लगभग 106.8% की वृद्धि दर्ज करती है।
- पूंजी से जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च, 2025 तक 17.77% तक सुधर गया, जो पिछले वर्ष 15.51% था, जो एक मजबूत पूंजी पर्याप्तता स्थिति को दर्शाता है जो आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार एनबीएफसी के लिए निर्धारित 15% की न्यूनतम सीमा से ऊपर है और जो पूंजी के अनुकूल उपयोग को भी दर्शाता है।

	वित्तीय वर्ष 25	वित्तीय वर्ष 24
श्रृंखला-I पूंजी (₹ करोड़ में)	11,137.60	8,265.20
श्रृंखला-II पूंजी (₹ करोड़ में)	1,922.96	929.93
सीआरएआर* (% में)	17.77	15.51*

**31 मार्च 2024 तक सीआरएआर 20.11% रहा, जिसमें श्रृंखला-I पूंजी 18.08% और श्रृंखला-II पूंजी 2.03% शामिल है। इसकी गणना कंपनी द्वारा वित्तपोषित चालू अक्षय ऊर्जा अवसंरचना परियोजना परिसंपत्तियों को सौंपे गए 50% जोखिम भार के आधार पर की गई थी, जिसने अपनी वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त कर ली थी और एक वर्ष से अधिक समय से परिचालन में थी। 31 मार्च 2025 से प्रभावी जोखिम भार को 100% तक संशोधित करने के अनुसरण में, इसी अवधि हेतु सीआरएआर को 15.51% तक पुनः घोषित किया गया है।*

वित्त वर्ष 24 के मुकाबले वित्त वर्ष 25 हेतु कंपनी के मुख्य वित्तीय अनुपात नीचे दिए गए हैं:

विवरण	वित्तीय वर्ष 25	वित्तीय वर्ष 24
निवल मूल्य पर रिटर्न (%)	17.44	16.40
प्रति शेयर बुक मूल्य (₹)	38.20	31.85
प्रति शेयर आय (₹)	6.32	5.16
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	6.31	5.80

- निवल मूल्य पर रिटर्न, प्रति शेयर बुक मूल्य और प्रति शेयर आय में साल-दर-साल वृद्धि हो रही है।
- वित्त वर्ष 25 में स्थाई ऋण लिखत (पीडीआई) व अधीनस्थ ऋणों सहित धन जुटाने के कारण ऋण से इक्विटी अनुपात 6.31 गुना बढ़ गया है।

अन्य मुख्य बातें

- वित्त वर्ष 25 के दौरान, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं. पीडी-I-26/0002/2023-डीपीई दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के माध्यम आपकी कंपनी को "नवरत्न" का दर्जा दिया है।
- वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी ने अपने पहले सतत ऋण साधनों (पीडीआई) के माध्यम से ₹1,247 करोड़ की राशि उगाही है, जिससे इसकी श्रृंखला -I पूंजी मजबूत हुई है।
- आपकी कंपनी को एसएंडपी वैश्विक श्रेणी निर्धारण लिमिटेड, अंतरराष्ट्रीय श्रेणी निर्धारण एजेंसी से स्थिर दृष्टिकोण के साथ बीबीबी- (दीर्घकालिक) और ए-3 (अल्पकालिक) श्रेणी निर्धारण दी गई है। इसके अलावा, सीएआरएई श्रेणी निर्धारण लिमिटेड द्वारा घरेलू साधनों की साख श्रेणी निर्धारण को एए+ (सकारात्मक) से एएए (स्थिर) में उन्नत किया गया है।
- आपकी कंपनी को पिछले 4 (चार) वर्षों से एमएनआरई सहित एमओयू के अनुसार लगातार "उत्कृष्ट" श्रेणी दी गई है।
- आपकी कंपनी ने संचयी रूप से ₹2,37,915.64 करोड़ मंजूर किए हैं और ₹1,56,084.54 करोड़ संवितरित किए हैं, जिससे लगभग 27 गीगावाट शुरू की गई अक्षय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं को सहायता मिली है, जो 31.03.2025 तक देश में कुल ~220 गीगावाट स्थापित आरई क्षमता का लगभग 12.3% है।
- वित्त वर्ष 25 के अंत के बाद, आपकी कंपनी ने परिपक्वता पर एकबारगी भुगतान के साथ पांच वर्षों की अवधि के लिए 26 बिलियन जेपीवाई की राशि का बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) उगाहा है। उतराई लागत(बचाव के बाद) 7% प्रति वर्ष से कम है। यह सुविधा आपकी कंपनी को अपने संसाधन आधार में विविधता लाने और लागत को अनुकूलित करने में सक्षम बनाती है।

2. व्यवसाय प्रचालन

- **मंजूरी और संवितरण**

वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹47,453.11 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए, जिससे पिछले वर्ष की स्वीकृत राशि ₹37,353.68 करोड़ से 27.04% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 25 के दौरान संवितरित ऋण ₹30,167.87 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की संवितरित राशि ₹25,089.04 करोड़ से 20.24% अधिक है। वित्त वर्ष 25 के दौरान स्वीकृतियों और संवितरणों का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	संस्वीकृतियां	%	संवितरण (पिछले वर्ष की संस्वीकृतियाँ सहित)	%
1.	**विद्युत उत्पादन परियोजना**	**19,257.64**	**40.58**	**11,568.11**	**38.35**
	क. सौर ऊर्जा	10,611.70	22.36	6378.16	21.14
	ख. पवन ऊर्जा	1,587.48	3.35	1273.17	4.22
	ग. जलविद्युत	5,115.37	10.78	2047.69	6.79
	घ. हाइब्रिड पवन और सौर	1,943.09	4.09	1836.00	6.09
	ङ. अपशिष्ट से विद्युत	0.00	0.00	33.09	0.11
2.	विनिर्माण	6,044.40	12.74	1937.48	6.42
3.	**सरकारी ऋण**	**10,950.00**	**23.07**	**10,950.00**	**36.29**
	क. राज्य उपयोगिताएं -जेनको	1,500.00	3.16	1,500.00	4.97
	ख. राज्य उपयोगिताएं - डिस्कॉम्स एवं अन्य	9,450.00	19.91	9,450.00	31.32
4.	इथेनॉल	3,252.50	6.85	3109.73	10.31
5.	विद्युत वाहन	425.37	0.90	285.79	0.95
6.	अल्पकालिक ऋण	976.52	2.06	795.64	2.64
7.	बायोमास (औद्योगिक अपशिष्टों से ब्रिकेटिंग, गैसीकरण और मीथेनेशन)	427.75	0.90	402.96	1.34
8.	ग्रीन हाइड्रोजन एवं व्युत्पन्नी	1,024.61	2.16	712.71	2.36
9.	स्मार्ट मीटर	2346.46	4.94	393.00	1.30
10.	पारेषण, उभरती प्रौद्योगिकी सहित विविध	2747.87	5.79	12.45	0.04
	कुल	**47,453.11**	**100**	**30,167.87**	**100**

मार्च 31, 2025 को संचयी संस्वीकृतियां और संवितरण क्रम से ₹2,37,915.64 करोड़ और ₹1,56,084.54 करोड़ थी। संचयी राज्यवार और क्षेत्रवार संस्वीकृतियों और संवितरणों का विवरण **अनुलग्नक I से IV** में दिया गया है।

- **संस्वीकृत उत्पादन क्षमता :**

वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी ने अक्षय ऊर्जा (आरई) विद्युत उत्पादन क्षमता, उपकरणों के विनिर्माण और अन्य आरई पहलों का समर्थन करने बाबत वित्तीय सहायता प्रदान की है, जैसा कि निम्नलिखित विवरण में बताया गया है:

क. बिजली उत्पादन: संस्वीकृत क्षमता :

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	संस्वीकृत क्षमता (मेगावाट)
सौर ऊर्जा	3,054.23
पवन ऊर्जा	275.25
जल विद्युत ऊर्जा	2,184.00
सौर और पवन हाइब्रिड	330.90
कुल विद्युत उत्पादन क्षमता	**5,844.38**



इस अवसर पर, श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने भी भारत पर्यावास केंद्र में पौधारोपण करके #एक_पेड़_माँ_के_नाम (#Plant4Mother) अभियान में भाग लिया, जो पर्यावरण स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।





श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, ने 30 अगस्त 2024 को भारत पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली में इरेडा के पंजीकृत कार्यालय का दौरा किया।





श्रीमती निधि खरे, तत्कालीन सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 22 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में इरेडा के पंजीकृत कार्यालय का दौरा किया।



इरेडा के सीएमडी ने निदेशक (वित्त) के साथ 1 अक्टूबर 2024 को एमएनआरई के नए सचिव के रूप में श्री प्रशांत कुमार सिंह का स्वागत किया। बाद में, उन्होंने मणिपुर के मुख्य सचिव का पदभार संभाला।



माननीय केंद्रीय मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी और श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इरेडा मंडप का उद्घाटन किया।



ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और प्रदर्शनी में एमएनआरई मंडप के अधीन इरेडा स्टॉल

ख. अन्य क्षेत्र : संस्वीकृत क्षमता

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	संस्वीकृत क्षमता
सौर विनिर्माण	21,300.00 एमडब्ल्यूपी
जैव ईंधन इथेनॉल	2,865 केएलपीडी
बायोमास (सीबीजी)	232.03 टीपीडी
इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण	2000 एमडब्ल्यू
ग्रीन हाइड्रोजन	0.22 टीपीडी

- **बकाया ऋण बुक**

आपकी कंपनी का ऋण बुक 31 मार्च 2024 को ₹ 59,698.11 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹76,281.65 करोड़ हो गया है, जो 27.78% की वृद्धि दर्ज करता है।वित्तीय वर्ष 25 के अंत तक बकाया ऋण बुक का सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के रूप में वर्गीकरण नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	ऋण राशि (₹ करोड़ में)	%
सार्वजनिक	20,872.00	27
निजी	55,409.65	73
कुल	**76,281.65**	**100**

3. संसाधन उगाही

आपकी कंपनी ने धन की लागत को अनुकूलित करने के लिए एक विविध उधार मिश्रण अनुरक्षित रखा है। आपकी कंपनी की कुल उधारी वित्त वर्ष 24 के अंत में ₹ 49,686.87 करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 25 के अनुसार ₹64,740.31 करोड़ थी। वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी ने नीचे दिए गए विभिन्न स्रोतों से ₹25,200.46 करोड़ की राशि के दीर्घकालिक फंड उगाहे हैं:

(₹ करोड़ में)

वित्त पोषण स्रोत	वित्तीय वर्ष 25	वित्तीय वर्ष 24
घरेलू उधार		
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण	12,070.00	8,775.00
अरक्षित कर योग्य बॉण्ड्स	10,740.00	7,356.74
स्थायी ऋण साधन	1,247.00	--
अधीनस्थ ऋण	910.37	--
कुल (क)	**24,967.37**	**16,131.74**
विदेशी मुद्रा उधार		
विदेशी मुद्रा उधार (अंतरराष्ट्रीय संसाधन)	233.09	269.44
कुल (ख)	**233.09**	**269.44**
कुल (क + ख)	**25,200.46**	**16,401.18**

इसके अलावा, पर्याप्त तरलता बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी के पास 31 मार्च, 2025 तक विभिन्न अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अल्पावधि वित्तपोषण के लिए ₹5,480 करोड़ की स्वीकृत ऋण लाइनें भी उपलब्ध थीं।

ग्रीन बॉण्ड

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 19 के दौरान क्रम से ₹700 करोड़ और ₹865 करोड़ के घरेलू करयोग्य ग्रीन बॉण्ड उगाहे थे, जो एनएसई और बीएसई दोनों में सूचीबद्ध हैं। बॉण्ड्स से प्राप्त राशि का उपयोग सौर और पवन क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए किया गया, जिसमें आपकी कंपनी के ग्रीन बॉण्ड ढांचे में परिभाषित पात्र परियोजनाओं का पुनर्वित्तपोषण भी शामिल है।

केपीएमजी, इंडिया ने वित्त वर्ष 19 के दौरान जारी किए गए ₹865 करोड़ मूल्य के ग्रीन बॉण्ड्स के लिए अपनी सत्यापन पश्चात की स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट प्रदान की थी और मैसर्स इमर्जेंट वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 17 के दौरान जारी किए गए ₹700 करोड़ मूल्य के ग्रीन बॉण्ड्स के लिए अपनी सत्यापन पश्चात की स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट प्रदान की थी। ये आश्वासन रिपोर्ट

आपकी कंपनी के ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क पर आधारित हैं, जिसे 5 अक्टूबर, 2016 को क्लाइमेट बॉण्ड्स इनिशिएटिव (सीबीआई) के क्लाइमेट बॉण्ड्स स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है। आपकी कंपनी सीबीआई के अनुरूप अपने ग्रीन बॉण्ड्स फ्रेमवर्क की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रीन बॉण्ड्स के माध्यम से जुटायी गई राशि पात्र परियोजनाओं में निवेशित रहे। आपकी कंपनी द्वारा जारी किए गए ये ग्रीन बॉण्ड्स समय-समय पर संशोधित अनुसार लागू सेबी दिशा-निर्देशों की निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। ग्रीन बॉण्ड्स की आय के उपयोग पर विस्तृत रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://www.ireda.in/compliance-of-bonds पर देखा जा सकता है।

स्थायी ऋण साधन

वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी ने स्थायी ऋण साधनों (पीडीआई) के अपने पहले निर्गम के माध्यम से ₹1,247 करोड़ की राशि उगाही है। विषयगत पीडीआई की कोई परिपक्वता नहीं है और इसे केवल 10 वर्षों के बाद और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ पर कंपनी के विकल्प पर ही वापस लिया जा सकता है। पीडीआई पर अन्य प्रासंगिक प्रकटीकरण इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले वित्तीय विवरणों के लेखों पर टिप्पणियां में परिलक्षित हैं।

4. साख श्रेणी निर्धारण

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को एसएंडपी वैश्विक श्रेणी निर्धारण लिमिटेड से स्थिर आउटलुक के साथ बीबीबी- (दीर्घकालिक) और ए-3 (अल्पकालिक) की अंतरराष्ट्रीय जारीकर्ता श्रेणी प्राप्त हुई।

इसके अलावा, आपकी कंपनी को जून 2024 में सीएआरई श्रेणी निर्धारण लिमिटेड द्वारा उनके द्वारा रेट की गई सभी श्रेणियों के घरेलू उपकरणों के संबंध में एए+ (सकारात्मक) से एएए (स्थिर) में उन्नत किया गया है। सभी घरेलू ऋण साधनों (पीडीआई को छोड़कर) की साख दर निर्धारण एएए (स्थिर) है, जैसा कि आईसीआरए लिमिटेड, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सीएआरई रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा रेट किया गया है। पीडीआई को आईसीआरए लिमिटेड और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एए+ (स्थिर) रेटिंग दी गई है।

इसके अलावा, बैंकों/वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक ऋण और अल्पकालिक ऋण को आईसीआरए लिमिटेड, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड द्वारा क्रम से "एएए" स्थिर और "ए1+" सौंपा गया है।

भारत सरकार के पूर्ण सेवा बॉण्ड्स को इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआरए लिमिटेड और केयर रेटिंग्स लिमिटेड से "एएए" स्थिर रेटिंग दी गई है।

5. वित्तीय योजनाएँ व पहल

आपकी कंपनी समय-समय पर अपनी नीतियों/प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है, ताकि बाजार की आवश्यकताओं, कॉरपोरेट उद्देश्यों और लागू वैधानिक एवं विनियामक आवश्यकताओं के साथ उपयुक्त रूप से संरेखित हो सके। आपकी कंपनी आरई परियोजनाओं और उपकरण निर्माताओं के लिए परियोजना की अवधारणा से लेकर शुरुआत के बाद के चरण तक वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करती है। वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी ने न सिर्फ़ अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण में अपनी कंपनी की बाजार हिस्सेदारी की वृद्धि को बनाए रखने के लिए बल्कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए भी कई नयी योजनाएं शुरू की हैं और मौजूदा योजनाओं/नीतियों को संशोधित किया है, जिसमें विद्युत उत्पादन/पारेषण, विनिर्माण/ऊर्जा दक्षता/चालू परियोजनाओं का पुनर्वित्तपोषण/प्रथम पीढ़ी के इथेनॉल का उत्पादन, उन्नत मीटरिंग अवसंरचना सेवा प्रदाता (एएमआईएसपी) आदि से संबंधित वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने एमएसएमई को भी सहायता प्रदान की है, जैसे कि दो बाहरी रेटिंग की सामान्य आवश्यकता के विरुद्ध ब्याज दर में छूट की प्रयोज्यता के लिए एक बाहरी रेटिंग की आवश्यकता और पंजीकृत विलेख के विरुद्ध वचन के माध्यम से परियोजना अधिकारों का समनुदेशन।

सरकारी पहलों के साथ तालमेल बिठाने के लिए, आपकी कंपनी ने पीएम-कुसुम सेगमेंट और रूफटॉप सोलर (एग्रीगेटर मोड में) में भी परियोजनाओं का समर्थन किया है। पीएम-कुसुम क्षेत्र के तहत, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के दौरान ₹3,032 करोड़ मंजूर किए और ₹761 करोड़ वितरित किए।

इसके अलावा, आपकी कंपनी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है :

- एमएनआरई सीपीएसयू योजना - चरण- II, शृंखला - III
- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम
- पीएलआई योजना, शृंखला - I के अधीन उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) योजना

6. वसूली, समीक्षा प्रबोधन व दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन

आपकी कंपनी के पास परियोजनाओं की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए एक समर्पित वसूली एवं समीक्षा निगरानी विभाग है, ताकि परिसंपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखने और एनपीए को कम करने के लिए आवश्यकतानुसार समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसमें एक व्यापक परियोजना/ऋण समीक्षा और निगरानी तंत्र है जो मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेज़ीकरण, संवितरण, चालूकरण और परिचालन चरणों के दौरान परियोजना की निगरानी तथा परियोजना/ऋण आवेदनों का पता लगाने से संबंधित पहलुओं पर नज़र बनाए रखता है। यह उधारकर्ताओं की देरी और चूक तथा उनकी वसूली की संभावना पर लगातार नज़र रखता है। एनपीए खातों सहित पूरे ऋण संविभाग की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी नियमित रूप से की जा रही है। इससे विलंबित पुनर्भुगतान, अंतर्निहित कारणों और समाधान/वसूली कार्रवाई की समय पर शुरुआत, जहां भी आवश्यक हो, जैसे प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को पहचानने में मदद मिलती है।

उधारकर्ता के खाते में चूक होने पर, आपकी कंपनी आवश्यक कदम उठाती है जिसमें कार्रवाई(याँ) शामिल हो सकती है, लेकिन यह, पत्रों/ई-मेल के माध्यम से खाते(तों) के नियमितीकरण के लिए उधारकर्ता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई, बैठकें आयोजित करना, आरबीआई को विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) की रिपोर्टिंग, सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी), सीआईबीआईएल आदि को ऋण सूचना की रिपोर्टिंग, ट्रस्ट और रिटेंशन खाते (टीआरए) की नियमित निगरानी, बकाया वसूलने के लिए जहां भी संभव और टिकाऊ हो, ऋण खातों का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण और आवश्यकतानुसार प्रबंधन में बदलाव, प्रतिभूतियों का आह्वान और अन्य वसूली तंत्र जैसे मामले को उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए संदर्भित करना जैसी उपयुक्त समाधान योजनाओं तक ही सीमित नहीं है। सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (जीएनपीए) और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनएनपीए) की स्थिति का सारांश नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

	वित्तीय वर्ष 25		वित्तीय वर्ष 24	
	राशि (₹ करोड़ में)	%	राशि (₹ करोड़ में)	%
सकल एनपीए	1,866.25	2.45	1,410.85	2.36
निवल एनपीए	1,020.67	1.35	581.21	0.99

केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, वित्त वर्ष 25 के दौरान एनपीए/तनावग्रस्त ऋणों से ₹287.76 करोड़ की वसूली की गई है, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक वसूली है। एनपीए से वसूली गई राशि में मूलधन के लिए ₹134.00 करोड़, ब्याज आय के लिए ₹147.06 करोड़ और अन्य आय के लिए ₹6.70 करोड़ शामिल हैं। वसूली राशि में वित्त वर्ष 25 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई/हानि वाली परिसंपत्तियों से ₹24.74 करोड़ शामिल हैं। इसके अलावा, आपकी कंपनी अपेक्षित ऋण हानि पद्धति के आधार पर ऋण बुक का ऋण जोखिम मूल्यांकन करती है और इस आधार पर, चरणों और अपेक्षित हानि के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किया जाता है।

परिसंपत्ति गुणवत्ता

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 25			वित्तीय वर्ष 24		
	चरण 1 व 2	चरण 3	कुल	चरण 1 व 2	चरण 3	कुल
सार्वजनिक/सरकारी	20,820.89	51.11	20,872.00	14,939.97	-	14,939.97
निजी	53,594.51	1,815.14	55,409.65	43,347.29	1,410.85	44,758.14
कुल बकाया ऋण (क)	**74,415.40**	**1,866.25**	**76,281.65**	**58,287.26**	**1,410.85**	**59,698.11**
कुल प्रावधान (ख)	**1,048.44**	**845.58**	**1,894.02**	**846.29**	**829.64**	**1,675.93**
शुद्ध परिसंपत्तियां	**73,366.96**	**1,020.67**	**74,387.63**	**57,440.97**	**581.21**	**58,022.18**
प्रावधान (%) (ख/क)	**1.41%**	**45.31%**		**1.45%**	**58.80%**	

आपकी कंपनी को मैसर्स जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीईएल) के प्रचालन में अनियमितताओं के संबंध में 16.04.2025 को सेबी से अंतरिम आदेश प्राप्त हुआ। इस मामले की जांच आपकी कंपनी की आंतरिक जांच समिति ने की और उनकी सिफारिश पर, आपकी कंपनी ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराई है। आगे, कंपनी को जीईएल के पक्ष में जारी कुछ पीओआई/एलओसी के तहत अवलंब अनुरोध प्राप्त हुए और तदनुसार, 19.04.2025 को ₹10 करोड़ और 30.04.2025 को ₹70.12 करोड़ का अवलंब किया गया था और समझौते के अनुसार ऋण खाते में परिवर्तित किया गया। कंपनी ने बाद में ऋण वापस ले लिया, जिसके अनुसरण में कंपनी ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण "एनसीएलटी" में दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 (आईबीसी) की धारा 7 के अधीन कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन दायर किए थे तथा जिन्हें 13.06.2025 को स्वीकार किए गए। तदनुसार, एनसीएलटी द्वारा आईआरपी नियुक्त किया गया है, जिसने कंपनियों के कारोबार प्रचालनों को अधिग्रहण कर लिया है। आईआरपी के दावों के जवाब में,एक वित्तीय ऋणदाता होने के नाते इरेडा ने अपने दावे दायर किए हैं। ऋण वसूली और दिवालिया अधिनियम, 1993 की धारा 19 के तहत मैसर्स जेनसोल ईंजीनियरिंग लिमिटेड (जीईएल) और मैसर्स जेनसोल ईवी लीज प्रा. लि. के खिलाफ क्रम से ₹510.00 करोड़ और ₹218.95 करोड़ की राशि के लिए माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष ऋण वसूली के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। खाते परियोजना परिसंपत्तियों के दृष्टिबंध एवं पीजी, सीजी और इक्विटी शेयरों आदि की गिरवी द्वारा सुरक्षित हैं। कंपनी अन्य कार्रवाई भी कर रही है।

7. शेयर पूंजी

आपकी कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹6,000 करोड़ है, जो प्रत्येक ₹10 के 600,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। 31 मार्च, 2025 तक आपकी कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹2,687.76 करोड़ है, जिसमें प्रत्येक ₹10 अंकित मूल्य के 268,77,64,706 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने 18.09.2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, एक या अधिक किस्तों में क्यूआईपी मार्ग के माध्यम से नए इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दी, जिसमें पोस्ट इश्यू के आधार पर चुकता इक्विटी के 7% की सीमा तक भारत सरकार की शेयरधारिता में कमी की गई। तदुपरान्त, निदेशक मंडल ने क्यूआईपी के माध्यम से एक या अधिक किस्तों में ₹5000 करोड़ तक की राशि के लिए इक्विटी पूंजी उगाहने की मंजूरी दी, जो पोस्ट इश्यू के आधार पर चुकता इक्विटी के 7% की अधिकतम कमी के अध्यधीन है। साथ ही, कंपनी के शेयरधारकों ने 24.02.2025 को आयोजित अपनी 22वीं ईजीएम में उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी। तदनुसार, कंपनी ने योग्य पात्र खरीदारों को ₹10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर ₹155.14 प्रति शेयर के प्रीमियम पर शेयर आवंटित किए हैं, जिससे कुल ₹2005.90 करोड़ का इक्विटी फंड उगाहा गया है। 30 जून, 2025 तक, कंपनी का चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹2809.23 करोड़ है (भारत सरकार के पास चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 71.76% हिस्सा है)।

शेयरों के अमूर्तिकरण तथा डीमैट उचंत खाते/ अदावी उचंत खाते का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में प्रस्तुत है।

8. लाभांश

पूंजी पुनर्गठन पर निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा 27.05.2016 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम जारी दिशा-निर्देशों, जिसे बाद में 18.11.2024 को संशोधित किया गया है, के अनुसार लाभांश के भुगतान के लिए दिशा-निर्देशों का विवरण देते हुए, सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 30% या निवल संपत्ति का 4%, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना आवश्यक है। तथापि, वित्त क्षेत्र में एक सीपीएसई (एनबीएफसी) होने के नाते, आपकी कंपनी को किसी भी मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत सीमा के अधीन, अगर कोई हो, पीएटी का 30% न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना आवश्यक है।

भारत के नवीकरणीय क्षेत्र हेतु ऋण देने में वृद्धि करने बाबत आगे पूंजी वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी को डीआईपीएएम द्वारा वित्त वर्ष 25 के लिए लाभांश के भुगतान से छूट दी गई है।

9. सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी

वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी ने 7 मई, 2024 को आईएफएससी, जीआईएफटी सिटी, गुजरात में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी मैसर्स इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड को शामिल किया है। कंपनी को वित्त कंपनी के रूप में गतिविधियों को चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) से दिनांक 18.02.2025 को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। यह सहायक कंपनी आरई क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मुद्रा में धन सुरक्षित करने और नए व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक अपतटीय मंच के रूप में कार्य करेगी। वित्तीय वर्ष 25 के लिए सहायक कंपनी का वित्तीय कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 25
कुल आय	0.91
कर पूर्व लाभ	(0.28)
कर पश्चात लाभ	(0.28)
निवल मालियत	26.36

31 मार्च, 2025 तक, कंपनी के पास कोई सहयोगी या संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

वित्तीय वर्ष 25 के दौरान, निदेशक मंडल ने अपेक्षित अनुमोदन के अधीन खुदरा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में, कंपनी को निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से अनुमोदन प्राप्त हुआ है, और अन्य वैधानिक और नियामक अनुमोदन प्रक्रिया में हैं।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने मैसर्स जीएमआर अपर करनाली हाइड्रोपावर लिमिटेड (जीयूकेएचपीएल), नेपाल और मैसर्स करनाली ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (केटीसीपीएल), नेपाल प्रत्येक में 5% के इक्विटी निवेश के लिए मंजूरी दे दी है, जो वैधानिक और विनियामक अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित निवेश नेपाल में 900 मेगावाट अपर करनाली हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और संबंधित ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के लिए एसजेवीएन लिमिटेड और जीएमआर समूह के सहयोग से है। 900 मेगावाट अपर करनाली हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (जीयूकेएचपीएल के माध्यम से) में प्रस्तावित शेयरधारिता एसजेवीएन, जीएमआर और इरेडा द्वारा क्रम से 34%, 34% और 5% है, जिसमें नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) को 27% मुफ्त इक्विटी जारी

की गई है, जबकि संबद्ध ट्रांसमिशन लाइन (केटीसीपीएल के माध्यम से) में प्रस्तावित शेयरधारिता एसजेवीएन, जीएमआर और इरेडा द्वारा क्रम से 47.5%, 47.5% और 5% है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की मंजूरी प्राप्त हो गई है। साथ ही, वित्त वर्ष 25 के अंत के बाद, आरबीआई ने जीयूकेएचपीएल और केटीसीपीएल प्रत्येक में 5% के प्रस्तावित इक्विटी निवेश के लिए मास्टर डायरेक्शन - आरबीआई (एनबीएफसी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 के अनुच्छेद 46.2 (i) और (iii) से छूट भी प्रदान की गई है।

10. समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (अधिनियम) तथा भारतीय लेखा मानकों के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए समेकित इंड-एएस वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, जिसमें इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड (लेखा परीक्षित) शामिल है। अपनाए जाने के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के साथ समेकित वित्तीय विवरण भी 38वीं वार्षिक आम बैठक में रखे जाएंगे। अधिनियम की धारा 129(3) के अनुसार, फॉर्म एओसी-1 में सहायक कंपनियों/सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। कंपनी की सहायक कंपनी के समेकित इंड-एएस वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षित खातों सहित लेखा परीक्षित इंड-एएस वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आगे, इन दस्तावेजों को डिबेंचर धारकों के किसी भी सदस्य या किसी भी ट्रस्टी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

वित्त वर्ष 25 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की मुख्य बातें यहां दी गई हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 25	वित्तीय वर्ष 24
परिचालन से राजस्व	6,743.32	4,963.93
कर पूर्व लाभ	2,103.54	1,685.25
कर पश्चात लाभ	1,698.34	1,252.24
कुल परिसंपत्तियां	79,734.95	62,600.45
कुल देयताएं	69,468.41	54,041.03

11. आईएसओ प्रमाणन

आपकी कंपनी एक आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 27001:2022 प्रमाणित संगठन है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आईएसओ 9001:2015 प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है। बेहतर प्रक्रिया प्रबंधन के साथ आपकी कंपनी अपने व्यावसायिक परिचालन में गुणवत्ता, स्थिरता और ग्राहक संतुष्टि बनाये रखती है।

सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईक्यूसीएस सर्टीफिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईएसओ 27001:2022 प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है। उपर्युक्त मानकों के अधीन यथा अपेक्षित आवश्यकतानुसार विभिन्न सुरक्षा उपायों के अनुपालन ने डेटा प्रोसेसिंग और सूचना प्रवाह के लिए एक मजबूत सुरक्षित नेटवर्क सुनिश्चित किया है।

12. जोखिम प्रबंधन नीति अवलोकन

आपकी कंपनी ने जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति ढांचा स्थापित किया है। जोखिम प्रबंधन ढांचे में क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम के साथ-साथ परिचालन जोखिम प्रबंधन शामिल हैं। जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के मार्गदर्शन में विकसित की गई है और निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई है, जिसे उभरते बाजार के रुझानों और अपने अनुभव के आधार पर समय-समय पर परिष्कृत किया जाता है। जोखिम प्रबंधन समिति का नेतृत्व एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं।

इरेडा के व्यापक जोखिम प्रबंधन की देखरेख निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। जोखिम प्रबंधन समिति एक बोर्ड-स्तरीय समिति है जो हमारे विकसित होते व्यावसायिक परिदृश्य के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के विकास का मार्गदर्शन करती है। स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन कार्य का नेतृत्व मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) करता है, जो समिति के सदस्यों के साथ नियमित संचार बनाए रखता है। जोखिम प्रबंधन कार्य व्यवसाय से स्वतंत्र है तथा सीधे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के माध्यम से हमारा संरचित जोखिम ढांचा, उन जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन करता है जो हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति या पूंजी पर्याप्तता पर प्रभाव डाल सकते हैं।

आपकी कंपनी के पास सभी आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, अभिशासन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग है।

सभी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए विनियामक ढांचे का निर्माण करने वाले आरबीआई दिशा-निर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन नीतियों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जोखिम प्रबंधन समिति उन मामलों पर भी विचार करती है जो निदेशक मंडल द्वारा विशेष रूप से उसके पास भेजे जाते हैं, इसके अलावा समय-समय पर जारी किए गए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग घ के साथ पठित विनियम 21 की अनिवार्य आवश्यकताओं पर भी विचार करती है। बोर्ड के पास जोखिम प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी है जो संगठन में जोखिम के सभी पहलुओं के प्रबंधन का ख्याल रखता है।

आपकी कंपनी का जोखिम प्रबंधन ढांचा विभिन्न जोखिमों की स्पष्ट समझ, अनुशासित मूल्यांकन और माप, निरंतर निगरानी और चल रहे सुधार के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी का मुख्य व्यवसाय उधार देना है, जो इसे विभिन्न प्रकार के क्रेडिट जोखिमों के प्रति उजागर करता है, विशेष रूप से उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षों की ऋण गुणवत्ता में कमी, पूर्ण डिफ़ॉल्ट से होने वाले नुकसान और/या संविभाग मूल्य में कमी। आपकी कंपनी आरबीआई द्वारा अनिवार्य विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन कर रही है, संविभाग विविधीकरण सुनिश्चित कर रही है, कठोर ऋण स्वीकृति प्रक्रियाओं का पालन कर रही है और नियमित निगरानी और समय पर उपचारात्मक उपाय कर रही है।

वित्त वर्ष 25 के दौरान, संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से तनावग्रस्त परिसंपत्ति संविभाग को हल करने और परिसंपत्ति गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए केंद्रित प्रयास किए गए थे।

प्रचालन जोखिम प्रबंधन

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान को संदर्भित करता है। आपकी कंपनी ने एक परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की है, जो परिचालन जोखिमों की पहचान, समीक्षा और प्रबंधन करने के लिए एक कार्यात्मक-स्तरीय समिति है। आपकी कंपनी परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत कर रही है, जो व्यवस्थित जोखिम नियंत्रण के लिए 'रक्षा की तीन पंक्तियाँ' मॉडल का पालन करता है। आपकी कंपनी का परिचालन नियंत्रण ढांचा आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रक्रियाओं की प्रणाली को आवृत्त करता है, जिसमें कार्यात्मक प्रमुख नियमित रूप से उभरते जोखिमों का आकलन और तैयारी करते हैं। मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को लागू करके, आपकी कंपनी परिचालन व्यवधानों को कम करने और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने का प्रयास करती है।

तरलता जोखिम प्रबंधन

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी परिसंपत्ति देयता बेमेल या ब्याज दर में उतार-चढ़ाव या पर्याप्त नकदी की कमी के कारण धन जुटाने, अपने वित्तीय दायित्व को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है। आपकी कंपनी की तरलता और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन ढांचा बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति में अच्छी तरह से परिभाषित है।

उधारों और अन्य देनदारियों से उत्पन्न जोखिम, साथ ही प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता सहित मौजूदा और भविष्य की ऋण और उधार गतिविधियों से संबंधित जोखिमों को एक समर्पित एएलएम समूह द्वारा प्रबंधित किया जाता है। प्रबंधन उद्देश्यों तथा बोर्ड अनुमोदित जोखिम-क्षमता ढांचे के अनुरूप परिसंपत्ति-देयता समिति (एएलसीओ) द्वारा समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम को किसी लेन-देन या समझौते में निर्धारित दरों या कीमतों से अलग बाजार की कीमतों या दरों में उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी वित्तीय संस्थान के बाजार जोखिम प्रबंधन में ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और सुरक्षा मूल्य जोखिम का प्रबंधन शामिल होता है। ब्याज दर जोखिम बाजार की ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से होने वाले संभावित नुकसान से है।

आपकी कंपनी समय-समय पर बाजार की स्थितियों, उधार लेने की लागत, उपज और प्रसार के आधार पर ब्याज दरों की समीक्षा करती है। ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, उधार दरों और भारित औसत और वृद्धिशील उधार लागत दोनों का नियमित रूप से प्रचलित बाजार दरों के प्रति मूल्यांकन किया जाता है। एएलएम प्रभाग नकदी प्रवाह पूर्वानुमान, संवेदनशीलता विश्लेषण, एकाग्रता सीमाओं, और, जहां लागू हो, व्युत्पन्नी अनुबंधों या बचाव-व्यवस्था के माध्यम से जोखिम माप का संचालन करता है।

चलनिधि गैप रिपोर्ट, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), स्टॉक अनुपात, और उच्च-गुणवत्ता सम्पन्न तरल परिसम्पत्तियों (एचक्यूएलए) की समीक्षा परिसंपत्ति-देयता समिति (एएलसीओ) करती है ताकि अच्छी तरलता और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

विदेशी मुद्रा जोखिम

हमारी कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी जोखिम प्रबंधन नीति है, जो अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा और भावी विदेशी मुद्रा ऋणों से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन को कवर करती है। नीति का उद्देश्य है विदेशी मुद्रा से संबंधित जोखिमों का बचाव करने बाबत किए जाने वाले लेन-देन के लिए एक दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करना, जिसमें ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से ₹8,527.61 करोड़ के बकाया विदेशी मुद्रा उधार के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो 31 मार्च 2025 तक आपकी कंपनी के ₹64,740.31 करोड़ के कुल उधार का 13.17% है। 31 मार्च 2024 को कुल विदेशी मुद्रा उधार ₹9,298.67 करोड़ (कुल उधार का 18.71%) से घटकर 31 मार्च 2025 तक ₹8,527.61 करोड़ (कुल उधार का 13.17%) हो गया है। 31 मार्च 2025 तक ₹8,527.61 करोड़ के बकाया कुल विदेशी मुद्रा उधार में 540.10 मिलियन अमरीकी डॉलर (₹4,622.24 करोड़ के बराबर), 51,923.38 मिलियन जापानी येन (₹2,946.65 करोड़ के बराबर) और 103.84 मिलियन यूरो (₹958.72 करोड़ के बराबर) शामिल हैं।

आपकी कंपनी विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार जोखिमों को कम करने/घटाने के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्युत्पन्नी उत्पाद (जेनेरिक और/या संरचित साधन) ले सकती है।

31 मार्च 2025 तक, कुल विदेशी मुद्रा उधार में से, 72.32% बचाव व्यवस्था की गई है यानी ₹6,166.90 करोड़, जिसमें 513.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹4,397.58 करोड़ के बराबर), 20,420.10 मिलियन जापानी येन (₹1,158.84 करोड़ के बराबर) और 66.12 मिलियन यूरो (₹610.48 करोड़ के बराबर) शामिल हैं। आपकी कंपनी के पास ₹2,360.71 करोड़ का खुला विदेशी मुद्रा जोखिम था, जिसमें 30.38 मिलियन यूरो (₹280.52 करोड़ के बराबर) और 2,371.50 मिलियन जापानी येन (₹134.58 करोड़ के बराबर) के आंशिक रूप से बचाव किए गए विदेशी मुद्रा ऋण शामिल थे, जो कुल विदेशी मुद्रा उधार बकाया का 27.68% है। 31 मार्च, 2025 तक खुला विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी जोखिम प्रबंधन नीति के तहत निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा के भीतर है।

आपकी कंपनी अपनी समग्र रणनीति के अनुसार, विदेशी मुद्रा उधार से जुड़े अपने जोखिमों को कम करने के लिए व्युत्पन्नी उत्पादों का उपयोग करती है। आपकी कंपनी सट्टा उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्नी अनुबंधों का उपयोग नहीं करती है।

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

आपकी कंपनी ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति बनायी है। एएलएम नीति का उद्देश्य है विभिन्न दबावग्रस्त घटनाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त तरलता की सुनिश्चितता को बनाये रखते हुए विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन को समग्र रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करना।

आपकी कंपनी में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) है जिसके सदस्य हैं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी, जो तरलता और ब्याज दर जोखिमों की समीक्षा के लिए नियमित रूप से उपलब्ध होती है। तरलता जोखिम का आकलन और प्रबोधन, नकद प्रवाह और बहिर्वाह का विश्लेषण कर किया जाता है, जो समय के साथ विस्तार प्राप्त करता है। तरलता जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त ऋण सुविधाएं और तरल परिसंपत्तियां सुनिश्चित की जाती हैं।

आपकी कंपनी के पास एएलएम हेतु एक अच्छी तरह से तैयार की गई रिपोर्टिंग प्रणाली है, जिसके अनुसार अपेक्षित उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। एएलएम नीति का पालन करके, आपकी कंपनी अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवेकपूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित करती है।

सूचना और साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर आरबीआई के मास्टर निर्देश के अनुपालन में एक आईटी रणनीति समिति, सूचना सुरक्षा समिति और आईटी संचालन समिति स्थापित की है। ये समितियाँ कॉरपोरेट रणनीति और बोर्ड नीतियों के साथ समन्वय में आईटी सुरक्षा सहित आईटी रणनीतियों की समीक्षा करती हैं, और आईटी जोखिम, नियंत्रण, साइबर सुरक्षा व्यवस्था और आईटी अभिशासन से संबंधित अन्य मामलों की निगरानी करती हैं, ताकि एक प्रभावी और मजबूत आईटी प्रणाली सुनिश्चित हो सके।

सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर आरबीआई के मास्टर निर्देश के अनुरूप, आपकी कंपनी ने विभिन्न आईटी सुरक्षा नीतियों को लागू किया है, जिनमें परिवर्तन प्रबंधन, सूचना सुरक्षा, व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन, पहुँच नियंत्रण, सूचना परिसंपत्ति प्रबंधन और साइबर सुरक्षा आदि शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

13. सौर ऊर्जा परियोजना

आपकी कंपनी ने कासरगोड,केरल स्थित 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को पूरी तरह से चालू कर दिया है। यह संयंत्र पूरी क्षमता से चल रहा है, अक्षय ऊर्जा पैदा कर रहा है जिसकी आपूर्ति केरल राज्य विद्युत पर्षद (केएसईबी) को दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के अधीन की जाती है।

इस परियोजना से उत्पादित बिजली का बिल केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा जारी आदेश के अनुसार ₹3.83 प्रति यूनिट के टैरिफ पर लिया जाता है।

भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में योगदान देने के अलावा, यह परियोजना आपकी कंपनी की स्थिरता और कार्बन तटस्थता के प्रति प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्त वर्ष 25 के दौरान, 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र ने 70.53 मिलियन

यूनिट बिजली का उत्पादन किया, जिससे 59,958 टन कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई है, जिससे कार्बन मुक्त राष्ट्र के व्यापक लक्ष्यों को समर्थन मिला।

14. सूचना प्रौद्योगिकी पहल

कागज रहित वातावरण में परिवर्तन को सुगम बनाने और आंतरिक निर्णय लेने में परिचालनगत दक्षता बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी ने पहले ही क्लाउड पर ई-ऑफिस प्रणाली को अपना लिया था। वित्त वर्ष 25 के दौरान, कैप्चा प्रमाणीकरण और आपदा पुनर्प्राप्ति क्षमताओं जैसे नियंत्रणों को प्रस्तुत कर डेटा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ई-ऑफिस को अपने नवीनतम संस्करण में स्थानांतरित किया गया था, जिससे ई-ऑफिस में संग्रहीत महत्वपूर्ण दस्तावेज और सूचनाओं की अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित हुई। ई-ऑफिस के उपयोग ने आपकी कंपनी को एक आधुनिक, पैमाना योग्य और सुरक्षित डिजिटल कार्यक्षेत्र के साथ सशक्त बनाया है जो सहज सहयोग का समर्थन करता है और उत्पादकता को बढ़ाता है जिसके परिणामस्वरूप फाइलों का कुशल और समय पर प्रसंस्करण हुआ।

आपकी कंपनी आईटी संरचना की सुरक्षा की स्थिति की लगातार समीक्षा और निगरानी कर रही है और इसके आईटी संरचना सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसमें बहुकारक प्रमाणन, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस, आईटी सुरक्षा ऑडिट का नियमित संचालन, हमारे सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए अवलोकनों को बंद करना जैसे सुरक्षा नियंत्रणों का कार्यान्वयन शामिल है।

पारदर्शिता में सुधार और मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने के लिए, आपकी कंपनी अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सक्रिय रूप से स्वचालित कर रही है। इस पहल के हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने अपने ईआरपी समाधान को नवीनतम क्लाउड-आधारित संस्करण में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर लिया है। इस स्थानांतरण ने नई खूबियों और सुधारों को पेश करते हुए व्यावसायिक कार्यप्रवाह के स्वचालन और एकीकरण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, इस बदलाव ने कागज़ के उपयोग को समाप्त करके, अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और अधिक कुशल निगरानी को बढ़ावा देकर ऋण देने की प्रक्रिया को बदल दिया है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को अपनाने से, उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

आपकी कंपनी ने एक उन्नत ग्राहक पोर्टल भी चालू किया, जो ग्राहकों/आवेदकों और कंपनी के बीच निर्बाध संचार बाबत दो-तरफ़ा विचार-विमर्श का मंच प्रदान करता है। इस उन्नति के परिणामस्वरूप ग्राहक अनुभव में वृद्धि हुई है और परिचालन दक्षता में सुधार हुआ है। वास्तविक काल सूचना विनिमय और ऑनलाइन दस्तावेज़ संग्रह प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करेगा और बदलाव समय को कम करेगा, जिससे आपकी कंपनी और उसके ग्राहक दोनों को लाभ होगा।

15. ग्राहक संबंध

आपकी कंपनी ने व्यवसाय विकास के लिए एक समर्पित टीम स्थापित की है, जो बाजार की जानकारी एकत्र करती है और संभावित ग्राहकों तक पहुँचती है। विशेष रूप से हमारी व्यवसाय विकास टीम ग्रीन हाइड्रोजन, विद्युतीय गतिशीलता, स्मार्ट मीटरिंग संरचना आदि जैसी नई और उभरती हुई तकनीकों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी उधारकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ती है ताकि उनकी प्रतिक्रिया एकत्र की जा सके। यह इनपुट नीतियों और परिचालनगत प्रक्रियाओं दोनों की समीक्षा और परिशोधन में सहायक है, जिसका उद्देश्य व्यवसाय करने में सहजता को बढ़ाना है। वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी ने 4 (चार) 'उधारकर्ता बैठकें' आयोजित कीं, जिनमें मौजूदा और भावी उधारकर्ता दोनों ने भाग लिया।

आपकी कंपनी ने अपने हितधारकों के लिए एक डिजिटल इंटरफ़ेस बनाया है, जो भौतिक बैठकों की आवश्यकता के बिना ऋण और विभिन्न अन्य सेवाओं के लिए आभासी बातचीत को सक्षम बनाता है। आपकी कंपनी की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल उपलब्ध है, जिसके माध्यम से नए उधारकर्ता ऑनलाइन ऋण आवेदन जमा कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति और अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

निरंतर ब्राण्ड निर्माण के लिए, आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर सूचना प्रसार के लिए पारंपरिक मीडिया मौजूदगी और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।

16. विश्वव्यापी प्रदर्शनियाँ और सम्मेलन

वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रमुख घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें वैश्विक मंच पर अपने वित्तीय उत्पादों और उपलब्धियों को उजागर किया गया। उल्लेखनीय आयोजनों में शामिल हैं वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट -2024, यूएई; इंटरसोलर- 2024, म्यूनिख, जर्मनी; आरई इन्वेस्ट- 2024 गांधीनगर, गुजरात; वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट-2025, यूएई; 26वां वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, रॉटरडैम, नीदरलैंड; उत्कर्ष ओडिशा - मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025, भुवनेश्वर, ओडिशा; प्रवासी भारतीय दिवस-2025, भुवनेश्वर, ओडिशा; राइजिंग राजस्थान: वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024, राजस्थान; सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा राष्ट्रीय संवाद, अलवर ; सीएमए अचीवर्स मीट, नई दिल्ली; 39वां

इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस, कोलकाता; ओडिशा सौर निवेशक सम्मेलन, भुवनेश्वर; जहां इसने चर्चाओं और अपनी कॉरपोरेट फिल्म प्रदर्शन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विकास में अपने योगदान को प्रदर्शित किया।

17. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय व व्यय से सम्बंधित विवरण

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन

एक एनबीएफसी होने के नाते आपकी कंपनी, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को वित्तपोषित करती है। इस प्रकार, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन से संबंधित जानकारी लागू नहीं होती है। हालाँकि, कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य प्राप्त करने के लिए, कंपनी ने केरल के कासरगोड में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की है।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वित्त वर्ष 25 के दौरान, विदेशी मुद्रा जमा पर ब्याज के कारण ₹1.75 करोड़ की विदेशी मुद्रा आय हुई, जबकि ब्याज और प्रतिबद्धता व्यय के कारण ₹248.28 करोड़ का विदेशी मुद्रा व्यय हुआ।

18. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार एजेंसी बनने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है जो जीवन गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समाज और राष्ट्र में सक्रिय रूप से योगदान देती है। आपकी कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल सकारात्मक प्रभाव डालने और भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं सतत विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के सिद्धांत में गहराई से जुड़ी हुई हैं। अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, आपकी कंपनी का लक्ष्य है देश के पर्यावरणीय और सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों आदि के क्षेत्र में टिकाऊ समुदाय और पर्यावरणीय परियोजनाओं में योगदान के माध्यम से समाज में मूल्य सृजन को बढ़ावा देना और उसे आगे भी सुविधाजनक बनाये रखना।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों के संवर्धन और वंचित क्षेत्रों के विकास जैसे मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है।

आपकी कंपनी ने बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति बनायी है। आपकी कंपनी की सीएसआर नीति https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/CSR%20POLICY%20_%20IREDA_2425.pdf पर उपलब्ध है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 25 में सीपीएसई के लिए "स्वास्थ्य और पोषण" के सामान्य वार्षिक थीम से संबंधित सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ स्वयं को संरेखित किया है। वित्त वर्ष 25 के दौरान स्वीकृत कुल 13 (तेरह) सीएसआर परियोजनाओं में से, आपकी कंपनी ने 6 परियोजना हाथ में ली हैं जिनका पूरा ध्यान विशेष रूप से "स्वास्थ्य और पोषण" के विषय पर रहता है। आपकी कंपनी ने भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों में 3 (तीन) सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो निम्नलिखित अनुसार हैं :

- उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले चंदौली में 120 अदद आंगनवाड़ी या केंद्रों और 50 अदद स्वास्थ्य केंद्रों पर 3 केडब्ल्यूपी ऑफग्रिड सौर ऊर्जा प्रणालियों की आपूर्ति और स्थापना के लिए ₹5,04,56,000 (करों सहित) की अनुमानित लागत की वित्तीय सहायता
- होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर, बिहार में उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए ₹10,25,00,398 (करों सहित) की अनुमानित लागत की वित्तीय सहायता की मंजूरी
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इटवा, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना के लिए पाइपलाइन सिस्टम, प्लेटफॉर्म, शेड के निर्माण और अन्य आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए ₹31,36,767 (करों सहित) की अनुमानित लागत की वित्तीय सहायता।

वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए सीएसआर निधि के तहत कुल 13 परियोजनाओं के लिए ₹24.34 करोड़ मंजूर किए (₹0.02 करोड़ की राशि के लिए प्रशासनिक उपरिलागत को छोड़कर) और परियोजना की प्रगति (प्रशासनिक उपरिलागत सहित) के आधार पर वित्त वर्ष 25 के लिए सीएसआर निधि से ₹2.33 करोड़ की राशि जारी की। इसके अलावा, वित्त वर्ष 24 के अप्रयुक्त खाते से वित्त वर्ष 25 में परियोजना व्यय के लिए ₹ 4.99 करोड़ जारी किए गए और उपयोग किए गए, जबकि पिछले सीएसआर परियोजनाओं के लिए एक अन्य अप्रयुक्त खाते से वित्त वर्ष 25 में परियोजना व्यय के लिए ₹0.42 करोड़ जारी किए गए और उपयोग किए गए। उपर्युक्त के अलावा, पिछले वर्षों से पूर्ण हो चुकी परियोजना से संबंधित ₹8.43 लाख की राशि जिसमें आगे कोई संवितरण की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए इसे वित्त वर्ष 25 में स्वच्छ गंगा कोष में स्थानांतरित कर दिया गया।

हमारी सीएसआर गतिविधियों और प्रत्येक गतिविधि के लिए संबंधित व्यय का विवरण इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

सामाजिक रूप से जिम्मेदार एक निगम के रूप में, आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में अपने सीएसआर प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका उद्देश्य है राष्ट्र के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाना।

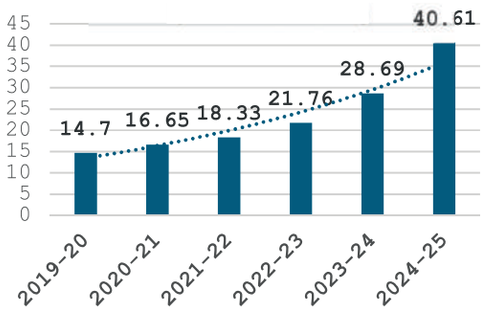
19. मानव संसाधन विकास

जैसा कि आपकी कंपनी एक निरंतर विकसित होते व्यावसायिक परिदृश्य में आगे बढ़ रही है, इसका मानव संसाधन कार्य उत्कृष्टता और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मानव पूंजी आपकी कंपनी की रीढ़ है, और इसके महत्व को अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। यह रचनात्मकता, नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा देती है, न सिर्फ़ परिचालन दक्षता में योगदान देती है बल्कि आपकी कंपनी की रणनीतिक वृद्धि में भी योगदान देती है।

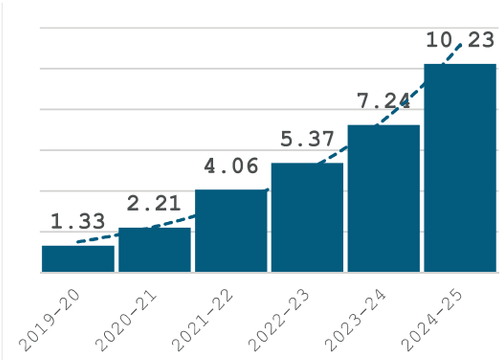
➢ **मा.सं. उद्देश्य:**

आपकी कंपनी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर बनाने तथा संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत मूल्य प्रणाली बनाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने में विश्वास करती है। मानव संसाधन रणनीति कंपनी के लक्ष्यों के साथ संरेखित होती रहती है, जो सतत विकास को बढ़ावा देने और कंपनी के व्यापक मिशन में योगदान देने के लिए शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने, विकसित करने और बनाए रखना सुनिश्चित करती है। लोगों की प्रक्रियाओं/अभ्यासों को एक अनुकूल कार्य वातावरण की सुविधा के लिए डिज़ाइन और निष्पादित किया गया है। एक व्यस्त और परस्पर संवादात्मक कार्यस्थल बनाने के लिए, मानव संसाधन टीम ने कर्मचारियों के स्वस्थ विकास के लिए रणनीतियों को शामिल करते हुए एक अच्छी तरह से परिभाषित मानव संसाधन नीति तैयार की है। नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, आईटी उपकरणों को जांच और कार्यप्रवाह के साथ पूर्व-कॉन्फ़िगर किया जाता है। इसके अलावा, आपकी कंपनी इसे उद्योग मानकों के साथ बेंचमार्क स्थापित करने के लिए कर्मचारियों के हित और पारिश्रमिक नीति का अक्सर मूल्यांकन करती है।

परिचालन से राजस्व (प्रति कर्मचारी) (₹करोड़ में)



कर पश्चात लाभ (प्रति कर्मचारी) (₹ करोड़ में)







अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 2025 समारोह

➢ **उन्नत जुड़ाव स्तर:**

लक्षित पहलों को लागू करके, आपकी कंपनी का लक्ष्य कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ाना है। इसमें एक ऐसा कार्यस्थल बनाना शामिल है जहाँ कर्मचारी आपकी कंपनी के मिशन से जुड़ें, प्रेरित हों और उससे संरेखित महसूस करें।

एक सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देकर और कर्मचारी सहभागिता को बेहतर बना कर, इरेडा मनोबल, नौकरी की संतुष्टि और वफादारी को बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों जैसे कर्मचारी कल्याण पहल में निवेश करना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, अनुपस्थिति को कम करता है और समग्र दक्षता में सुधार करता है। प्रतिभा को पोषित करने और निरंतर सुधार को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, सलाह और कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणालियों का लाभ उठाया जाता है। नियमित फीडबैक तंत्र और प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के अवसर सकारात्मक कर्मचारी अनुभव में योगदान करते हैं।

वित्त वर्ष 25 के दौरान किए गए कर्मचारी जुड़ाव पहल निम्नानुसार हैं:

- 21 जून 2024 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह
- 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंगस्वरूप 1 से 4 जून 2024 और 14 से 30 सितंबर 2024 के बीच अव्यवस्था हटाना/ स्वच्छता अभियान
- 26 सितंबर 2025 को "स्वच्छता ही सेवा 2024" अभियान के अंश के रूप में वृक्षरोपण अभियान "एक पेड़ माँ के नाम"
- 30 अक्टूबर, 2025 को दिवाली समारोह
- फिट इंडिया मूवमेंट के अधीन 30 नवंबर 2024 को खेल दिवस – बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन
- 12 और 13 फरवरी 2025 को टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय मिशन
- 8 मार्च 2025 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह
- 11 मार्च 2025 को स्थापना दिवस समारोह

कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, आपकी कंपनी ने अक्टूबर 2024 और जनवरी 2025 में निवारक स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया था।

व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने के साथ ही साथ नौकरी में सचेतनता और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी दैनिक आधार पर निर्देशित ध्यान-सत्र आयोजित करती है। कर्मचारियों के समग्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य के अंगस्वरूप, दैनिक योग सत्र भी आयोजित किए जाते हैं।

आपकी कंपनी के अपने बिजनेस सेंटर में नवीनतम फिटनेस उपकरणों और योग्य प्रशिक्षकों से सुसज्जित एक 'फिटनेस सेंटर' भी है।

➢ **मानव संसाधन जनसांख्यिकी :**

बोर्ड स्तर के अधिकारियों को छोड़कर, आपकी कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या 31 मार्च, 2025 तक 166 थी, जबकि 31 मार्च, 2024 तक 173 थी। कुल 166 कर्मचारियों में से 150 कर्मचारी कार्यपालक स्तर के पदों पर हैं। आपकी कंपनी को छोड़ने की दर 2.95% थी, जिसमें सेवा-निवृत्ति और मृत्यु के मामले शामिल नहीं हैं। 31 मार्च, 2025 तक कर्मचारियों की औसत आयु 43.5 वर्ष है।

➢ **मज़बूत सशक्त महिलाएँ : उज्ज्वल भविष्य**

आपकी कंपनी महिलाओं के लिए एक समान अवसर बनाने, संगठन के सभी स्तरों पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने और उनके विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है। आपकी कंपनी परिचालन के सभी स्तरों पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2024-25 में, महिला कर्मचारियों की संख्या 47 थी यानी कुल कर्मचारी संख्या का 28.31%। कुल महिला कर्मचारियों में से 97.87% कार्यपालक स्तर के पदों पर हैं। हम महिलाओं के लिए समान अवसरों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते हैं और समावेशी भर्ती, नेतृत्व विकास कार्यक्रमों और सहायक कार्यस्थल नीतियों के माध्यम से लैंगिक विविधता को बढ़ावा देते हैं। अपनी प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयासों के माध्यम से, हम वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में महिलाओं की समावेशी वृद्धि और समान भागीदारी के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करना जारी रखते हैं।

➢ **चुस्त कार्यबल विकास : प्रशिक्षण व विकास**

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के ज्ञान को सामूहिक रूप से बढ़ाने तथा निरंतर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी मानव प्रतिभा को पोषित करने में विश्वास करती है। आपकी कंपनी अपने परिचालन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करती है।

इरेडा ने मनाया विरासत का उत्सव : पूर्व अधिकारियों ने साझा किए भावी दृष्टिकोण







इरेडा ने पूर्व अगुओं और सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के साथ एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सार्वजनिक क्षेत्र दिवस का उत्सव मनाया। इस आयोजन में संगठन की विरासत और भविष्य की सफलताओं का उत्सव मनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्य आकर्षण में पूर्व सीएमडी और निदेशकों की मूल्यवान अंतर्दृष्टि और एक हास्य कवि सम्मेलन शामिल था, जिससे हंसी और सौहार्द का अच्छा समां प्रस्तुत हुआ।

इरेडा ने छात्रों हेतु "एक पेड़ माँ के नाम" और स्वच्छता जागरूकता अभियान सहित हरित पहल को बढ़ावा दिया







स्वस्थ कार्यबल का निर्माण : इरेडा ने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर और बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया







इरेडा ने सौहार्द और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 30 नवंबर 2024 को फॉर्च्यून वर्ल्ड स्कूल, नोएडा में बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया





इरेडा ने अपने कॉरपोरेट कार्यालय में दिनांक 12 फरवरी 2025 को सभी कर्मचारियों के लिए जागरूकता सत्र और नि-क्षय शिविर (स्क्रीनिंग कैंप) का आयोजन किया





इरेडा ने 25 जनवरी 2025 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, आउटसोर्स कर्मचारियों सहित, अपने कर्मचारियों के लिए एक निवारक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया

वित्त वर्ष 25 में, कर्मचारियों को उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नेतृत्व संचार कौशल, सार्वजनिक खरीद, संरचना वित्त, कॉरपोरेट जोखिम प्रबंधन, परिसंपत्ति समाधान के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), सतर्कता प्रशासन, रणनीतिक और सामरिक स्तर के निर्णय लेने के लिए व्यवसाय विश्लेषण आदि जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है।

कर्मचारियों को प्रशिक्षण के ऑफ़लाइन और आभासी दोनों तरीकों, व्याख्यान श्रृंखला और नियमित रूप से आयोजित अन्य केंद्रित विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कौशल को सीखने, विकसित करने और बढ़ाने का अवसर मिला। आपकी कंपनी ने संगठन के भीतर कर्मचारियों के स्थानांतरण और नौकरी रोटेशन के माध्यम से नौकरी पर ज्ञान साझा करने और सीखने को भी बढ़ावा दिया।

आपकी कंपनी विभिन्न प्रीमियम शैक्षणिक संस्थानों/संगठनों - आईआईटी, आईआईएम, एजेएनआईएफएम आदि से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कराती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), डीआईपीएएम-सीबीसी आदि द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

अन्य आवश्यकता-आधारित कार्यक्रमों के साथ-साथ अनुकूल आभाषी घरेलू कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदान किए गए प्रशिक्षण की श्रेणी में नए भर्ती के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम और कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक प्रबंधकीय, व्यवहारिक और नेतृत्व प्रशिक्षण शामिल हैं। ऐसे कुछ कार्यक्रम नीचे सूचीबद्ध हैं:

- 'प्रशिक्षण निवेश पर प्रतिफल (आरओटीआई) और अमूर्त संपत्तियों का मूल्यांकन' पर उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम
- सीपीएसई अधिकारियों के नेतृत्व संचार कौशल में वृद्धि
- जीईएम के माध्यम से जीएफआर और सार्वजनिक खरीद का अवलोकन
- 'कॉरपोरेट एफएक्स जोखिम प्रबंधन' पर आभाषी प्रशिक्षण
- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर कार्यशाला
- बुनियादी संरचना वित्त
- 'परिसंपत्ति समाधान के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी)' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- रणनीतिक और सामरिक स्तर के निर्णय लेने के लिए व्यावसायिक विश्लेषण
- "अपने भीतर की शक्ति की खोज करें" पर नेतृत्व कार्यशाला
- सूचना और साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला
- सतर्कता प्रशासन

अपनी समग्र कल्याण पहलों के हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने एक प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा आयोजित आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में कर्मचारियों की भागीदारी की सुविधा भी प्रदान की।

वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न व्याख्यान श्रृंखला, केंद्रित विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिससे 1,523 प्रशिक्षण मानव-दिवस प्राप्त हुए।

कर्मचारी कल्याण, रणनीतिक संरेखण और निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देकर, इरेडा एक चुस्त और प्रेरित कार्यबल का निर्माण करती है। मानव पूंजी पर यह रणनीतिक ध्यान न केवल इरेडा को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है, बल्कि हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य बनाने की इसकी क्षमता को भी मजबूत करता है, जिससे इसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और तेजी से बदल रहे परिवेश में लचीलापन मजबूत होता है।

➢ आरक्षण और रोजगार

आपकी कंपनी अ.जा./अ.जजा./अ.पि.व. कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। 31 मार्च, 2025 तक कुल कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का समूहवार विवरण निम्नानुसार है:

समूह	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.जजा.	अ.पि.व.
क	146	14	06	26
ख	04	01	-	-
ग	16	03	01	03
घ	-	-	-	-
कुल	**166**	**18**	**07**	**29**

- **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण।**

आपकी कंपनी किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त एक सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट करने की स्थिति में सख्त और कठोर कार्रवाई करती है। आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति बनायी है। वित्त वर्ष 25 के दौरान इस विषय पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

- **शिकायत निवारण**

आपकी कंपनी के पास जनता और कर्मचारियों दोनों के लिए शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। शिकायत निवारण समिति की बैठकें हर तिमाही में आयोजित की जा रही हैं और सभी शिकायतों को सुपरिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से शीघ्रता से संचालित किया जाता है। अपने कर्मचारियों के लिए आपकी कंपनी के पास एक समर्पित "शिकायत निवारण हेतु ऑनलाइन पोर्टल" भी है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी के पास पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचित नागरिक चार्टर है जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- **कर्मचारियों का विवरण**

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में उक्त नियमों में निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण दिखाने वाला एक विवरण देना आवश्यक है। हालांकि, भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का पालन करने से छूट दी गई है। आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए ऐसे विवरणों को निदेशक की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

- **अन्य मुख्य बातें**

  - **" स्वभाव स्वच्छता - संस्कार स्वच्छता"**

स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, आपकी कंपनी में 14 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक 'स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता' की थीम के साथ स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान मनाया गया। पखवाड़ा अभियान के अंगस्वरूप, आपकी कंपनी ने अव्यवस्था हटाने/सफाई अभियान का आयोजन किया। आपकी कंपनी ने नई दिल्ली के एक अनाथालय में वृक्षरोपण अभियान "एक पेड़ माँ के नाम" में भी भाग लिया, 'स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता' पर विचार-विमर्श सत्र आयोजित किया, जिसके बाद स्वच्छता शपथ दिलाई गई।

आपकी कंपनी ने उत्तर प्रदेश के चंदौली के आकांक्षी जिलों में स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (सीटीयू)/स्वच्छता लक्षित इकाइयों के सौंदर्यीकरण और रूपांतरण में भी भाग लिया। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के अंगस्वरूप सफाई मित्रों के लिए आपकी कंपनी द्वारा स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजित किया गया।

  - **टीबी मुक्त भारत के लिए नि-क्षय शिविर**

आपकी कंपनी ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए टीबी उन्मूलन पर 100 दिवसीय सघन अभियान के तहत 12 फरवरी 2025 को 'टीबी जागरूकता' पर जागरूकता सत्र आयोजित किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग की टीम ने 12 और 13 फरवरी 2025 को आपकी कंपनी के नई दिल्ली स्थित कॉरपोरेट कार्यालय में नि-क्षय शिविर स्क्रीनिंग आयोजित की, जिसमें समय पर चिकित्सा अंत:क्षेप को प्रोत्साहित करने के लिए ऑन-साइट स्क्रीनिंग और परामर्श प्रदान किया गया।

इस सत्र का उद्देश्य था टीबी की रोकथाम, शीघ्र निदान और साइलेंट टीबी संक्रमण के उपचार के लाभों के बारे में आपके कर्मचारियों को शिक्षित करना। आपकी कंपनी ने आभाषी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी कर्मचारियों को टीबी मुक्त भारत के लिए "नि-क्षय शपथ" भी दिलाई।

  - **अंतरराष्ट्रीय योग दिवस : शरीर, मन और आत्मा संयोजन**

आपकी कंपनी ने एसईसीआई के सहयोग से एमएनआरई के निर्देशों के अधीन 21 जून 2024 को 'स्वयं और समाज के लिए योग' थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। कॉमन योग प्रोटोकॉल के आधार पर त्यागराज स्टेडियम, नई दिल्ली में सामूहिक योग प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने भाग लिया।

20. राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों और अनुदेशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 25 के दौरान टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गए हैं। नवनियुक्त अधिकारियों को हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाता है। आपकी कंपनी में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया है तथा राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम पर आधारित जांच बिन्दु अप्रैल 2024 माह के दौरान समय पर प्रसारित किए गए। राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इरेडा इंट्रानेट पोर्टल और इरेडा वेबसाइट का द्विभाषी संस्करण उपलब्ध है। कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिदिन एसएमएस अधिसूचना के माध्यम से अंग्रेजी अर्थ सहित हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ई-ऑफिस और दैनिक टंकण कार्य में हिंदी के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए सभी कंप्यूटरों में हिंदी टंकण फॉन्ट उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है। राजभाषा दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के अनुपालन के तहत समय-समय पर नियमित हिंदी कार्यशालाएं और हिंदी बैठकें आयोजित की जाती हैं। वित्त वर्ष 25 के दौरान वर्चुअल तरीके से 4 (चार) हिंदी कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से भारत सरकार के दिशा-निर्देशों की जानकारी साझा की गई।





इरेडा ने 14 से 28 सितंबर 2024 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया। इसके तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया, जिससे हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिले।

कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 14 सितंबर से 28 सितंबर 2024 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान, वर्चुअल माध्यम से कई प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और इरेडा कर्मचारियों के बच्चों के लिए कविता पाठ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में सभी विजेताओं को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए। राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, इरेडा में नियमित रूप से ई-पत्रिका 'अक्षय क्रांति' का प्रकाशन किया जाता है। हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में, इरेडा की हिंदी ई-पत्रिका 'अक्षय क्रांति' का विमोचन किया गया जो इरेडा की हिंदी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। समारोह में इरेडा के सेवा-निवृत्त अधिकारियों और हितधारकों के लिए हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।

वित्तीय वर्ष 25 के दौरान, इरेडा की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का निरीक्षण प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 20 नवंबर, 2024 को किया गया तथा इस संबंध में आपकी कंपनी की प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सराहना की गई।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम-I), दिल्ली के तत्वावधान में, आपकी कंपनी ने सभी उपक्रमों के लिए राजभाषा ज्ञान एवं हिंदी व्याकरण पर एक प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें विभिन्न उपक्रमों से कुल 12 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इसके लिए आपकी कंपनी को नराकास द्वारा 'आयोजक पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

21. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के अंतर्गत रिपोर्टिंग

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) आदेश, 2012 के मार्फ़त भारत सरकार द्वारा जारी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुपालन में, आपकी कंपनी द्वारा खरीद करते समय एमएसई विक्रेताओं को खरीद वरीयता दी जाती है। एमएसई को विभिन्न छूटें भी प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि बयाना राशि जमा करने से छूट, पूर्व कारोबार और खरीद गतिविधियों में पूर्व अनुभव (चुनिंदा आधार पर) आदि। इसके अलावा, आपकी कंपनी भारत सरकार के जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस), संबंध और समाधान तथा टीआरईडीएस (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) पोर्टलों पर पंजीकृत है। आपकी कंपनी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता के अनुसार जीईएम पोर्टल से अधिकतम खरीद कर रही है। वित्त वर्ष 25 के दौरान, एमएसई

पुरस्कार और प्रशंसा



भारत की 200 गीगावाट गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता की उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस क्षेत्र में सबसे बड़ी एनबीएफसी के रूप में, इरेडा को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सम्मानित भी किया गया





नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में इरेडा के उत्कृष्ट योगदान के लिए उसे 'सीबीआईपी पुरस्कार 2024' से सम्मानित किया गया। इरेडा के सीएमडी को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सीबीआईपी व्यक्तिगत पुरस्कार मिला



भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 14वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कारों में इरेडा ने तीन पुरस्कार जीते : कॉरपोरेट अभिशासन और सीएसआर तथा स्थिरता के लिए स्वर्ण और प्रचालनगत कार्य-निष्पादन उत्कृष्टता के लिए रजत

विक्रेताओं से ₹9.35 करोड़ की कुल खरीद की गई है। 31 मार्च, 2025 तक ऐसा कोई भी एमएसई नहीं है, जिस पर कंपनी का 45 दिनों से अधिक का बकाया हो।

22 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने नागरिकों को सूचना प्रदान करने तथा जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है। आपकी कंपनी के पास आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक नामित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) है। तिमाही/वार्षिक रिपोर्ट जैसी अनिवार्य रिपोर्टें केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित समय-सीमा के अंदर समय-समय पर प्रस्तुत की जाती हैं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अधीन स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण के साथ सभी प्रासंगिक विवरण भी आपकी कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/rti-act2005 पर प्रकाशित किए गए हैं।

वित्त वर्ष 25 के दौरान आरटीआई सेल द्वारा प्राप्त आवेदनों और अपीलों की संख्या से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है :

क्र.सं.	आरटीआई का विवरण	संख्या
1	प्राप्त	168
2	निपटाए गए	168
3	अपीलीय प्राधिकारी, इरेडा द्वारा प्राप्त प्रथम अपील	13
4	अपीलीय प्राधिकारी, इरेडा द्वारा निपटाई गई प्रथम अपील	13
5	केंद्रीय सूचना आयोग से प्राप्त द्वितीय अपील	0
6	केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा निपटाई गई द्वितीय अपील	0

23. सतर्कता

आपकी कंपनी समय-समय पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है और प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए निवारक और प्रशासनिक सतर्कता जांच आयोजित करती है। वित्त वर्ष 25 के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा कई नई पहल और प्रणाली सुधार किए गए।

आपकी कंपनी ने 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया है, जिसका विषय है "राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति", जिसमें प्रत्येक कर्मचारी द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की पूर्व संध्या पर, कर्मचारियों ने व्याख्यान, सेमिनार, प्रस्तुतीकरण, भाषण प्रतियोगिताओं आदि सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। पीआईडीपीआई जागरूकता अभियान के एक भाग के रूप में, विभिन्न स्थानों पर पोस्टर और बैनर प्रदर्शित किए गए और रेडियो जिंगल बजाए गए।



इरेडा ने 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 मनाया

24. पुरस्कार एवं सम्मान

वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी को 21 मार्च, 2025 को निम्नलिखित प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:

- 'अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट योगदान' के लिए **सीबीआईपी पुरस्कार 2024**
- आपके कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास को उनके अनुकरणीय नेतृत्व के सम्मान में, 'अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट योगदान' के लिए उन्हें सीबीआईपी व्यक्तिश: पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

21 दिसंबर, 2024 को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित **14वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कारों** में, आपकी कंपनी को निम्नलिखित प्राप्त हुए :

- "कॉरपोरेट अभिशासन" और "कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता" के लिए मिनी रत्न श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार।
- "परिचालनगत कार्य-निष्पादन उत्कृष्टता" के लिए रजत पुरस्कार।

आपकी कंपनी को 16 सितंबर, 2024 को आरई-इन्वेस्ट 2024 में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी एनबीएफसी के रूप में, भारत की 200 गीगावाट गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता की उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सम्मानित भी किया गया।

25. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणालियाँ

आपकी कंपनी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख घटक के साथ-साथ एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान भी है जिसने पर्यावरण और बड़े पैमाने पर समाज पर वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रभावों, यदि कोई हो, की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) को अपनाया है।

आपकी कंपनी की पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा इकाई (ईएसएसयू) की प्राथमिक जिम्मेदारी है विभिन्न परियोजनाओं और उनकी संबंधित प्रौद्योगिकियों के पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) पहलुओं से संबंधित प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही ईएसएमएस के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा वित्त पोषित सभी प्रौद्योगिकियों में लगभग 109 परियोजनाओं की ईएंडएस स्क्रीनिंग और वर्गीकरण किया गया है। उनकी ईएंडएस आवश्यकताओं को समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं के साथ नियमित बातचीत की जाती है। इससे आपकी कंपनी को अपने ईएंडएस दायित्वों को पूरा करने में मदद मिली है और उधारकर्ताओं को अपनी परियोजनाओं से जुड़े ई एंड एस जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद मिली है।

26. निदेशक

- **निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)**

  31 मार्च, 2025 तक, आपकी कंपनी के बोर्ड में 7 (सात) निदेशक शामिल हैं, जिनमें 2 (दो) कार्यात्मक निदेशक, 1 (एक) अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक और 4 (चार) अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (आईडी) शामिल हैं, जिनमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

  वित्त वर्ष 25 के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक, निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

  - डॉ. बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त) 05 मार्च, 2024 से 6 (छह) महीने की अवधि के लिए नियमित पदधारी की नियुक्ति तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एमएनआरई के 27 मार्च, 2024 के आदेश के अनुसरण में निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। निदेशक (परियोजना) का उनका अतिरिक्त प्रभार 5 सितंबर, 2024 से छह (6) महीने की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एमएनआरई के 12 सितंबर, 2024 के आदेश के अनुसरण में आगे बढ़ाया गया था।
  - श्री अजय यादव, 12 दिसंबर, 2024 के एमएनआरई के आदेश के अनुसरण में, अपने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल पूरा होने के कारण, 12 दिसंबर, 2024 से सरकारी नामित निदेशक के रूप में कार्य करना बंद कर दिए । बोर्ड ने सरकारी नामित निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान की भूरी-भूरी सराहना की।
  - श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को 21 जनवरी, 2022 के एमएनआरई आदेश के अनुसरण में उनके कार्यकाल की समाप्ति के फलस्वरूप 21 जनवरी, 2025 से स्वतंत्र निदेशक के पद से हट गए। श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को एमएनआरई के 28 मार्च, 2025 के आदेश के अनुसरण में एमएनआरई के आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 28 मार्च, 2025 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया

गया है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल ने श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को अगली आम बैठक की तिथि तक अतिरिक्त निदेशक, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो एजीएम में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

- डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर को 28 मार्च, 2022 के एमएनआरई आदेश के अनुसरण में उनका अपना कार्यकाल पूरा होने के कारण 28 मार्च, 2025 से स्वतंत्र निदेशक के पद से हटाया। डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर को एमएनआरई के 28 मार्च, 2025 के आदेश के अनुसरण में एमएनआरई के आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 28 मार्च, 2025 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल ने डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर को अगली आम बैठक की तिथि तक अतिरिक्त निदेशक, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो एजीएम में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ("एसीसी") ने अपने दिनांक 13.05.2025 के आदेश के माध्यम श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), इरेडा के कार्यकाल को उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि 06.05.2025 से आगे यानी 30.06.2026 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी है।

श्रीमती एकता मदान कंपनी की कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार और बोर्ड की मंजूरी से, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), सीएफओ और कंपनी सचिव 31 मार्च, 2025 को आपकी कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं।

- **बोर्ड और उसकी समितियाँ**

  वित्त वर्ष 25 के दौरान निदेशक मंडल की 23 (तेईस) बैठकें आयोजित की गईं। आपकी कंपनी में लेखा-परीक्षा समिति, सीएसआर समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारकों के संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार अन्य समितियाँ हैं। समितियों का गठन और कार्य-क्षेत्र कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट में प्रदान किया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहाँ लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हो।

- **आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवा-निवृत्त हो रहे निदेशक(कों) की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की मांग**

  कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और आपकी कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 74 (7) के अनुसार, डॉ. बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त) आपकी कंपनी की आगामी 38वीं वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवा-निवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण, वे पुनः नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं।

  डॉ. बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त) का संक्षिप्त बायोडेटा और अन्य विवरण वार्षिक प्रतिवेदन के अंश स्वरूप वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्नित है।

27. निदेशकों की नियुक्ति/पारिश्रमिक तथा कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड के अनुसार, योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, निदेशक की स्वतंत्रता और अधिनियम की धारा 178 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदान किए गए अन्य मामलों के निर्धारण के लिए निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक मानदंडों पर नीति के प्रकटीकरण की आवश्यकता से कॉरपोरेट मामले मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के माध्यम सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है। अच्छे अभिशासन के रूप में और सेबी सूचीकरण विनियमों का अनुपालन करने के लिए, आपकी कंपनी ने बोर्ड की विविधता, निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति / पारिश्रमिक और निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन पर एक नीति बनायी है। उक्त नीति आपकी कंपनी की वेबसाइट: https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Policy%20on%20Diversity%20of%20Board%2028_04_2025%20060525.pdf पर उपलब्ध है।

आपकी कंपनी के बोर्ड में सुयोग्य निदेशक शामिल हैं, जो आपकी कंपनी को चलाने के लिए आवश्यक कौशल, दक्षता और विशेषज्ञता रखते हैं तथा बोर्ड और इसकी समितियों में प्रभावी योगदान देते हैं। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों के चयन, नियुक्ति और प्रवेशन की प्रक्रिया भारत के माननीय राष्ट्रपति के पास निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के माध्यम से कार्य करते हैं।नियुक्ति प्राधिकारी आपकी कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक सहित एक निदेशक के रूप में नामित या नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की ईमानदारी, विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करता है और उनका मूल्यांकन भी करता है।

सीएमडी के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन में शामिल है समझौता ज्ञापन रेटिंग और व्यक्तिगत विशेषताओं तथा कार्यात्मक दक्षताओं के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्व-मूल्यांकन और अंतिम मूल्यांकन। प्रकार्य निदेशकों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन में संबंधित कार्यात्मक निदेशकों द्वारा स्व-मूल्यांकन और उसके बाद सीएमडी द्वारा मूल्यांकन (एमओयू लक्ष्यों की प्राप्ति और एमओयू रेटिंग, केपीआई और व्यक्तिगत विशेषताओं और कार्यात्मक दक्षताओं के आधार पर) शामिल है, जिसमें प्रशासनिक

मंत्रालय द्वारा अंतिम मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों और सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के अनुपालन में, आपकी कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में यह बताने से छूट दी गई है कि बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य-निष्पादन का औपचारिक मूल्यांकन कैसे किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का अनुपालन करने के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन किया गया। उक्त मानदंड उपस्थिति, व्यवसाय से परिचय, बोर्ड के सदस्यों के बीच परस्पर संचार, प्रभावी भागीदारी, आचार संहिता का अनुपालन, प्रशिक्षण आदि जैसे कुछ प्राचल प्रदान करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी अलग बैठक में गैर-स्वतंत्र निदेशकों और पूरे बोर्ड के कार्य-निष्पादन का भी मूल्यांकन किया है।

स्वतंत्र निदेशक अधिनियम के तहत निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित के अनुसार बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठने शुल्क के हकदार हैं। सरकार द्वारा नामित निदेशकों को आपकी कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है। कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों की बैठक शुल्क का खुलासा किया गया है।

28. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणाएँ

वित्त वर्ष 25 के दौरान, सभी स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 16(1)(ख) के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को 'स्वतंत्र निदेशक' के पद पर बनाये रखने के लिए पूरा करते हैं और उनमें से प्रत्येक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है। इसके अलावा, कोई भी स्वतंत्र निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपना नाम इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा अनुरक्षित स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक के पास पंजीकृत करवा लिया है। नियुक्ति प्राधिकारी नामित/नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की ईमानदारी, विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करता है। बोर्ड की राय में, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक ईमानदार व्यक्ति हैं और कंपनी में प्रभावी रूप से योगदान देने के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञता, दक्षता और अनुभव रखते हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसार, मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव ने वित्त वर्ष 25 के दौरान निदेशक मंडल को निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र जारी किया है, और इसे वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न किया गया है।

29. सांविधिक प्रकटीकरण

क) वित्त वर्ष 25 के दौरान आपकी कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है।

ख) आरक्षित निधियों में अंतरित राशि का उल्लेख "प्रदर्शन सारांश" शीर्षक के अंतर्गत किया गया है।

ग) आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है और वित्त वर्ष 26 के दौरान भी कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करेगी। कंपनी के निदेशक मण्डल ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में अपेक्षित प्रस्ताव पारित कर दिया है।

घ) विनियामकों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए थे, जिससे भविष्य में आपकी कंपनी और उसके प्रचालन की स्थिति पर प्रभाव पड़े।

ङ) आपकी कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। विस्तृत विवरण के लिए, कृपया 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-186(11) के अनुसार, कंपनियों को वित्तपोषित करने या अपने सामान्य व्यवसाय के दौरान बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने के काम में लगी आपकी कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, दी गई गारंटी या प्रदान की गई प्रतिभूतियां आपकी कंपनी पर लागू नहीं होती हैं, इसलिए किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

छ) वित्त वर्ष 25 के दौरान,आपकी कंपनी ने निदेशकों या किसी भी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

ज) आपकी कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। विस्तृत विवरण के लिए, कृपया 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

झ) आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा-परीक्षा) नियम, 2014 अधीन यथा विनिर्धारित लागत लेखा और अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है।

ञ) आपकी कंपनी में एमएसएमई से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के टिप्पणी -18 में उल्लेखित हैं।

ट) वित्तीय वर्ष 25 के दौरान, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत इरेडा के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने हेतु कोई आवेदन लंबित/दायर नहीं किया गया है। तथापि, आपकी कंपनी ने, वित्तीय लेनदार के रूप में, अपने उधारकर्ताओं, जो कॉरपोरेट देनदार और कॉरपोरेट गारंटीकर्ता हैं, से बकाया ऋण की वसूली के लिए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष (1) एक आवेदन दायर किया है। आवेदनों का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

कॉरपोरेट देनदार	शामिल ऋण राशि
मैसर्स सिरी राम स्याल हाइड्रो पावर (पी) लिमिटेड	5.76
कुल	**5.76**

ठ) वित्तीय वर्ष 25 के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एकमुश्त निपटान का कोई मामला नहीं हुआ था।

ड) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (क) के साथ पठित धारा 92 (3) के अनुसार, आपकी कंपनी का वार्षिक रिटर्न आपकी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://www.ireda.in/annual-reports पर देखा जा सकता है।

ढ) आपकी कंपनी संपुष्ट करती है कि सतर्कता तंत्र / पर्दाफाश करने वाली नीति लागू है और किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है।

ण) कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए),देखें अधिसूचना दिनांक - 5 जून, 2015, ने सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के प्रकटीकरण की आवश्यकता से छूट दी है। इसलिए,कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

त) आवश्यक जानकारी एक्सचेंजों को समय पर प्रदान कर दी गई है और आपकी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

थ) आपकी कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सभी लागू अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

(द) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व व प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में, समय- समय पर जारी किए गए बॉन्ड/डिबेंचर हेतु हमारी कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में उल्लिखित है।

ध) आपकी कंपनी ने किसी भी राजनीतिक दल को नकद या वस्तु के रूप में कोई राशि नहीं दी है।

न) पिछले 3 वर्षों के दौरान, आपकी कंपनी को राष्ट्रपति का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

प) वित्तीय वर्ष 25 हेतु प्रमुख वित्तीय अनुपात, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में प्रदान किए गए हैं।

30. आरबीआई विनियम

आपकी कंपनी सरकारी स्वामित्व वाली इकाई है, इसे एनबीएफसी-आईएफसी मिडिल लेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों/विनियमों के अधीन है। आपकी कंपनी ने आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों/विनियमों का अनुपालन किया है।

31. नीति

कॉरपोरेट अभिशासन को मजबूत करने के लिए, आपकी कंपनी ने अपने कर्तव्यों को नैतिक तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से अपनी कुछ नीतियों को प्रस्तुत/संशोधित किया है। ये नीतियाँ आपकी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ नीतियाँ इस प्रकार हैं:

- **लाभांश वितरण नीति**

https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Revised%20Dividend%20Distribution%20policy.pdf

- **सतर्कता-तंत्र नीति/पर्दाफाश करने वाली नीति**

https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Policy%20on%20Vigil%20Mechanism1.pdf

- **संबंधित पक्ष लेन-देन पर नीति**

https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Policy%20on%20Related%20Party%20Transactions%2015_04_2025.pdf

- **भौतिक सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति**

https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/POLICY%20FOR%20DETERMINING%20MATERIAL%20SUBSIDIARIES%2020022025%20040325.pdf

- **अंदरूनी व्यापार नीति**

https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/IREDApolicy.pdf

- **अभिलेखीय नीति**

https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Archival%20Policy.pdf

- **दस्तावेजों के संरक्षण की नीति**

https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Preservation%20of%20Documents%20Policy.pdf

- **कॉरपोरेट अभिशासन पर आंतरिक दिशा-निर्देश**

https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Internal%20Guidelines%20on%20Corporate%20Governance_26_08_2023-new.pdf

- **विविधता, इक्विटी और समावेशन (डीईएंडआई) नीति**

https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Diversity%20Equity%20%26%20Inclusion%20(DE%26I)%20Policy.pdf

- **मानव अधिकार नीति**

https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Human%20Rights%20Policy.pdf

- **रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी (एबीएसी) नीति**

https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Anti%20Bribery%20and%20Anti%20Corruption%20(ABAC)%20Policy.pdf

32. लेखा-परीक्षा व खातों का निरीक्षण

सांविधिक लेखा-परीक्षा

मैसर्स शिव एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या 009989एन) को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वित्त वर्ष 25 हेतु आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने वित्त वर्ष 25 के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है और इसमें कोई योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण नहीं है। लेखा-परीक्षा रिपोर्ट वार्षिक प्रतिवेदन का हिस्सा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के प्रावधानों के अनुसरण में, न तो सांविधिक लेखा-परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा-परीक्षक ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की किसी घटना की सूचना दी है।

आपकी कंपनी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सीएंडएजी) से वित्त वर्ष 25 के वित्तीय विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं। सीएंडएजी की रिपोर्ट की प्रति वार्षिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा

आपकी कंपनी के पास अपने परिचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्त प्रणाली है, ताकि विभिन्न लेन-देन की सटीक और समय पर रिपोर्टिंग, परिचालन की दक्षता और लागू कानूनों, विनियमों, दिशा-निर्देशों और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा कंपनी के विभिन्न विभागों के साथ घनिष्ठ समन्वय में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक अनुभवी फर्म द्वारा की जाती है।

बाहरी पेशेवर लेखा-परीक्षा फर्म, मैसर्स रवि राजन एंड कंपनी, एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, जिन्हें वित्तीय वर्ष 25 के लिए आंतरिक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, की मदद से कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक लेखा-परीक्षा की जाती है। लेखा-परीक्षा समिति समय-समय पर लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और लागू आरबीआई दिशा-निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है। आगे, कंपनी ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) नीति को लागू किया है।

सचिवीय लेखा-परीक्षा

मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिवों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अंतर्गत यथा अपेक्षित नियमों के तहत वित्तीय वर्ष 25 हेतु आपकी कंपनी की सचिवीय लेखा-परीक्षा आयोजित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 25 हेतु सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक-VI** में एतदसहित संलग्न है और इसमें कोई अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या स्वत्वत्याग नहीं है।

लागत लेखा-परीक्षा

आपकी कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट, कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा-परीक्षा) नियम, 2014 के अधीन निर्धारित के अनुसार लागत लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है। आपकी कंपनी ने केरल राज्य के कासरगोड में स्थित 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लागत अभिलेखों की लेखा-परीक्षा के संबंध में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मैसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी को लागत लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

33. कॉरपोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी कॉरपोरेट अभिशासन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उनका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियम, 2015, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर दिशा-निर्देश, 2010 और इंस्टिट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानकों के तहत इसके दायरे में आने वाली सभी लागू आवश्यकताओं को पूरा करती है। आपकी कंपनी नैतिक व्यावसायिक निर्णयों के लिए प्रतिबद्ध है तथा मूल्य सृजन और हितधारकों की अपेक्षाओं के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ व्यवसाय का संचालन करती है।

आपकी कंपनी अपने प्रचालन एवं प्रदर्शन, नेतृत्व, और शासन के संबंध में समय पर और सटीक जानकारी प्रकट करना अपनी अंतर्निहित जिम्मेदारी मानती है।कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देश और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा ङ के अनुसार अभ्यास करने वाले कंपनी सचिवों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र और कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट क्रम से इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-VII, VIII एवं IX** के रूप में संलग्न हैं।

34. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के अधीन एक अलग अनुभाग के रूप में निर्धारित की गई है।

35. व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार, पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन प्रकटीकरण पर व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है और आपकी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://www.ireda.in/annual-reports पर देखा जा सकता है।

36. सम्बद्ध पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्त वर्ष 25 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में यथा परिभाषित के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ कोई भी अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन नहीं किया है, इसलिए फॉर्म एओसी-2 में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इंड एएस-24 की आवश्यकता के अनुसार संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियों के टिप्पण 38(10) में प्रदर्शित हैं।

37. आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन व प्रतिबद्धताएँ (यदि कोई हों) जो उस वित्तीय वर्ष जिससे वित्तीय विवरण संबंधित है, के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच घटित हुई हों

आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जो वित्त वर्ष 25 जिससे वित्तीय विवरण संबंधित है के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हों।

38. नवरत्न का दर्जा प्रदान करना

वित्त वर्ष 25 के दौरान, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं. पीडी-I-26/0002/2023-डीपीई दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के माध्यम कंपनी को "नवरत्न" का दर्जा प्रदान किया है।

39. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी हर साल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती है, जिसमें आपकी कंपनी का मूल्यांकन विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय मापदंडों पर किया जाता है। वित्त वर्ष 25 के लिए समझौता ज्ञापन मापदंडों के अनुसार आपकी कंपनी की उपलब्धियाँ (समेकित आधार पर) निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	प्राचल	31.03.2025 को उपलब्धि
1	परिचालन से राजस्व (₹ करोड़ में)	6,743.32
2	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए	31.71%
3	निवल मालियत पर रिटर्न	17.43%
4	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	8.33%
5	परिसंपत्ति सकल कारोबार अनुपात	8.65%
6	कुल उपलब्ध निधियों में संवितरित ऋण	99.49%
7	कुल ऋणों में अतिदेय ऋण	0.57%
8	कुल ऋणों के लिए एनपीए	1.35%
9	समान रेटिंग वाले सीपीएसई की तुलना में बॉण्ड के माध्यम से धन उगाहने की लागत	-33 बीपीएस
10	निर्धारित समय के अंदर टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से सामान व सेवाओं के चालान की स्वीकृति/अस्वीकृति	
	i. सभी संचालित टीआरईडीएस पोर्टलों पर सीपीएसई की ऑनबोर्डिंग	100%
	ii. सीपीएसई के एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) का एकीकरण या जीईएम पोर्टल के साथ वेंडर इनवॉइस मैनेजमेंट (वीआईएम) सिस्टम	100%
	iii. एमएसई विक्रेताओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर, सीधे या टीआरईडीएस के माध्यम से समय पर भुगतान (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 द्वारा आदेश के अनुसार)	100%
11	अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार जीईएम से खरीद	178%
12	प्रति शेयर आय (₹ में)	6.32

आपकी कंपनी ने पिछले 4 (चार) वित्तीय वर्षों में लगातार समझौता ज्ञापन मूल्यांकन के अनुसार "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की है। वित्त वर्ष 25 के लिए भी, भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन के अधीन "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त करने की उम्मीद है।

40. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

निदेशकों की जिम्मेदारी के विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) और धारा 134(5) के अधीन आवश्यकता के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि:

क) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और उनमें से कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाये हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्त वर्ष 25 के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और वित्त वर्ष 25 के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के अनुरक्षण हेतु उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

घ) निदेशकों ने वित्त वर्ष 25 हेतु वार्षिक लेखे तैयार किए हैं, जो चालू व्यवसाय के आधार पर हैं;

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

41. आभार

आपके निदेशक भारत सरकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक उद्यम विभाग, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा अन्य विनियामकों द्वारा आपकी कंपनी को दिए गए उत्कृष्ट समर्थन के लिए अत्यंत आभारी हैं और उसे स्वीकार करते हैं। आपके निदेशकगण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, क्रेडिट रेटिंग साझेदारों - एस एंड पी ग्लोबल, आईसीआरए, सीएआरई रेटिंग्स, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च और ब्रिकवर्क रेटिंग्स के समर्थन और सहयोग के लिए भी अपनी सराहना व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सीएंडएजी), सांविधिक लेखा-परीक्षक, सचिवीय लेखा-परीक्षक, लागत लेखा-परीक्षक और आंतरिक लेखा-परीक्षक के प्रति उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं।

बोर्ड कंपनी के सम्मानित हितधारकों द्वारा कंपनी के प्रबंधन में उनके द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और विश्वास के लिए उनकी हार्दिक सराहना करता है और भविष्य में भी इसी तरह के विश्वास की आशा करता है।

आपके निदेशकगण कंपनी के विकास में कर्मचारियों के अथक प्रयासों, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के लिए भी अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करना चाहते हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता/-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 07448576)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.07.2025

वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता का बेहतरीन प्रदर्शन



श्री पंकज अग्रवाल, सचिव, विद्युत मंत्रालय और श्रीमती रीनत संधू, नीदरलैंड में भारत की राजदूत ने संयुक्त रूप से नीदरलैंड में आयोजित 26वें विश्व ऊर्जा सम्मेलन 2024 में भारत के मंडप का उद्घाटन किया। इस मंडप में इरेडा और अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) शामिल थे।



अबू धाबी में आयोजित विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में कंपनी के मंडप में टीम इरेडा



विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025: 14 से 16 जनवरी 2025 तक अबू धाबी में आयोजित



इंटरसोलर 2024: 19 से 21 जून तक म्यूनिख, जर्मनी में आयोजित

वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता का बेहतरीन प्रदर्शन







अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा ने भूटान-भारत नवीकरणीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन, रॉटरडैम में विश्व ऊर्जा सम्मेलन 2024 और अबू धाबी में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में अपने विचार साझा किए।

हरित भविष्य को सशक्त बनाना: सीएमडी, इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा की वकालत



18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन: भुवनेश्वर में आयोजित



सीईए कॉन्क्लेव: नई दिल्ली में आयोजित



ईटी ऊर्जा नेतृत्व शिखर सम्मेलन: नई दिल्ली में आयोजित



आरई-इन्वेस्ट 2024: गांधीनगर में आयोजित



वैश्विक पवन दिवस 2024: नई दिल्ली में आयोजित



सीआईआई वित्तपोषण 3.0 शिखर सम्मेलन: मुंबई में आयोजित

रणनीतिक वार्ता: इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक साथ में उद्योग जगत के दिग्गज



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा की भेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति और निदेशक (वित्त) श्री राजेश कुमार द्विवेदी के साथ बैठक



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा की पीएनबी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अतुल कुमार गोयल के साथ बैठक



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा की एसबीआई के अध्यक्ष श्री सी. एस. सेट्टी के साथ बैठक

4 मई, 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित 16वें हितधारक संवाद सम्मेलन और हास्य कवि सम्मेलन के कुछ पल









पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार मंजूरी

अनुलग्नक-I

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		1987 से संचयी	
		परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि		
क	**राज्य**												
1	आंध्र प्रदेश	9	593.21	6	1,491.12	14	4,593.56	15	7,830.53	13	2,666.79	370	29,279.15
2	अरुणाचल प्रदेश	2	133.39	2	85.00	2	82.00	2	353.41	2	138.15	18	1,907.79
3	असम	0	0	2	403.62	0	-	0	-	1	130.00	12	898.17
4	बिहार	0	0	1	31.00	1	7.71	0	-	1	122.75	15	209.54
5	छत्तीसगढ़	2	126.47	3	173.67	2	225.20	5	309.00	4	500.00	27	1,835.83
6	गुजरात	13	1,322.65	12	1,513.27	10	4,120.62	7	1,478.30	12	3,883.17	219	18,035.40
7	गोवा	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	9	300.62
8	हरियाणा	4	232.35	1	1.95	4	456.49	7	1,991.07	5	970.30	55	4,100.70
9	हिमाचल प्रदेश	13	312.70	8	252.30	8	2,193.19	6	300.62	5	174.95	135	6,039.09
10	जम्मू व कश्मीर	1	6.00	1	60.00	1	252.00	1	44.68	3	389.00	12	1,086.03
11	झारखण्ड	1	0.99	1	13.00	1	9.53	2	467.00	0	-	13	630.95
12	कर्नाटक	20	954.19	12	3,882.11	13	3,137.15	23	3,037.08	22	8,891.12	473	31,244.38
13	केरल	0	-	5	839.99	1	500.00	2	1,020.00	1	20.52	42	2,636.62
14	मध्य प्रदेश	2	337.23	2	924.11	4	1,760.43	15	1,167.58	8	1,618.71	126	9,068.07
15	महाराष्ट्र	13	1,130.03	8	2,566.70	17	1,196.66	15	2,012.11	21	3,382.95	476	21,039.78
16	मणिपुर	1	9.91	0	0	0	-	0	-	0	-	4	10.37
17	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	1	0.16
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	2	200.82
19	दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	9	60.87	3	280.88	4	173.68	3	598.19	3	348.67	104	4,691.09
20	ओडिशा	3	41.22	9	669.66	4	313.00	5	987.43	4	1,319.01	52	4,379.09
21	पंजाब	3	804.03	6	927.61	0	-	4	369.55	1	191.60	75	4,050.61
22	राजस्थान	7	823.49	12	3,636.76	8	8,571.59	9	4,081.00	19	6,150.78	183	31,428.60
23	सिक्किम	0	0	1	796.73	0	-	1	200.00	4	1,110.47	11	2,612.84
24	तमिलनाडु	7	925.25	8	1,045.98	7	1,987.43	8	3,134.10	18	6,481.40	525	22,898.30
25	तेलंगाना	23	1,890.04	11	3,291.12	5	294.97	10	4,688.50	8	4,414.63	99	18,207.11
26	उत्तर प्रदेश	8	691.09	5	467.51	4	333.54	10	631.59	7	2,512.34	141	7,206.89
27	उत्तराखंड	16	556.31	7	79.38	5	1,479.60	2	64.97	0	-	62	3,494.12
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	-	3	434.18	0	-	61	712.85
29	एनसीईएफ	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	14	156.56
30	ब्रिज ऋण	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	47	170.99
31	बहु राज्य परियोजना	3	49.88	2	473.59	4	898.27	7	2,152.79	3	2,035.80	40	9,235.98
32	बिल रियायत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	11	79.63
	कुल 'क"	**160**	**11,001.30**	**128**	**23,907.06**	**119**	**32,586.60**	**162**	**37,353.68**	**165**	**47,453.11**	**3,434**	**2,37,848.13**
ख	**केंद्र शासित प्रदेश**												
1	अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.11
2	दमन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.13
3	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	45.27
4	लद्दाख	0	0	1	14.00	0	0	0	0	0	0	1	14.00
	कुल 'ख'	**0**	**0**	**1**	**14.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**67.51**
ग	**कुल 'क'+'ख'**	**160**	**11,001.30**	**129**	**23,921.06**	**119**	**32,586.60**	**162**	**37,353.68**	**165**	**47,453.11**	**3,443**	**2,37,915.64**

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार मंजूरी

अनुलग्नक-II

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	1987 से संचयी
1	पवन ऊर्जा	524.72	2,538.90	5,395.92	2,096.83	1,587.48	38,281.07
2	जल विद्युत	806.82	2,169.04	4,310.17	1,419.89	5,115.37	22,266.78
3	बायोमास पावर व सह-उत्पादन	146.87	42.79	6.84	103.00	0.00	5,640.38
4	ऊर्जा दक्षता और संरक्षण	9.91	95.70	0.00	0.00	0.00	1,381.71
5	सौर ऊर्जा	2,289.49	4,880.24	11,236.04	6.065.30	10,611.70	60,576.38
6	अपशिष्ट से ऊर्जा	93.01	0.00	80.94	102.70	0.00	1,144.93
7	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.57
8	बिल रियायत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.97
9	ब्रिज ऋण	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	223.86
10	अल्पावधि ऋण	673.49	894.26	849.18	1,884.50	976.52	13,084.35
11	विद्युत वाहन (ईवी)	0.00	267.79	302.57	1,062.44	425.37	2,058.17
12	बायोमास (औद्योगिक अपशिष्टों से ब्रिकेटिंग, गैसीकरण और मीथेनेशन)	0.00	0.00	117.82	412.24	427.75	1,062.18
13	गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)	206.55	260.10	98.45	0.00	0.00	565.10
14	राज्य उपयोगिताओं को ऋण सुविधा*	4042.00	10860.00	3,750.00	7,200.00	10,950.00	44,362.00
15	हाइब्रिड पवन व सौर	0.00	0.00	1,651.47	1,634.02	1,943.09	5,228.58
16	इथेनॉल	123.05	307.06	2,571.34	3,901.60	3,252.50	10,428.55
17	स्मार्ट मीटर	0.00	0.00	0.00	1,070.00	2,346.46	3,416.46
18	ग्रीन हाइड्रोजन व व्युत्पन्नी	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,024.61	2,224.61
19	विनिर्माण	830.49	1024.99	1,692.86	6,754.48	6,044.39	16,828.36
20	विविध (पारेषण लाइन, उभरती तकनीक, गारंटीकृत सहायता, मध्यम अवधि ऋण)	1,244.08	580.19	522.99	2,446.68	2,747.87	8,803.63
	कुल	**11,001.30**	**23,921.06**	**32,586.60**	**37,353.68**	**47,453.11**	**2,37,915.64**

***इसमें जल विद्युत और पारेषण परियोजनाओं प्रत्येक में दी गई मंजूरी शामिल नहीं है।**



पश्चिम बंगाल के 24 परगना (दक्षिण) जिले के फलता स्पेशल इकोनॉमी जोन में स्थित इरेडा की वित्तपोषित 550 एमडब्ल्यूपी मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार संवितरण

अनुलग्नक-III

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	1987 से संचयी (2024-25 सहित)
क	**राज्य**						
1	आंध्र प्रदेश	840.60	469.00	4,586.87	4,023.83	3,187.43	22,647.28
2	अरुणाचल प्रदेश	34.89	35.71	37.50	28.66	61.55	376.63
3	असम	79.87	360.00	3.22	-	-	672.67
4	बिहार	0.00	29.45	7.32	-	68.28	141.91
5	चंडीगढ़	0.00	0.00	-	-	-	1.19
6	छत्तीसगढ़	0.00	159.60	5.56	57.26	476.59	1,104.11
7	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	-	-	-	51.47
8	गुजरात	412.00	947.97	1,914.51	2,155.07	1,532.72	9,567.45
9	गोवा	0.00	0.00	-	-	-	0.22
10	हरियाणा	6.50	44.31	236.68	490.03	695.67	1,601.56
11	हिमाचल प्रदेश	383.92	130.38	77.63	1,835.77	440.66	4,963.60
12	जम्मू व कश्मीर	4.44	61.54	-	296.68	335.75	719.66
13	झारखण्ड	0.99	9.00	9.05	150.00	216.35	454.18
14	कर्नाटक	729.48	2,507.27	2,505.67	3,074.92	3,309.93	19,481.25
15	केरल	0.00	824.27	508.00	20.45	-	1,527.46
16	मध्य प्रदेश	319.96	604.67	820.59	1,322.12	1,134.67	5,728.29
17	महाराष्ट्र	710.95	1,361.51	1,869.69	1,338.55	1,803.13	15,029.45
18	मणिपुर	9.41	0.00	-	-	-	9.41
19	दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	6.09	40.91	297.52	301.66	174.87	3,739.97
20	नागालैंड	0.00	0.00	-	-	-	0.65
21	ओडिशा	15.63	384.47	380.21	188.19	759.24	2,396.27
22	पंजाब	802.91	814.23	12.71	52.00	305.34	3,167.63
23	राजस्थान	700.48	2,027.52	5,033.77	3,003.91	6,855.53	22,988.75
24	सिक्किम	37.30	688.85	-	200.00	1,018.00	2,387.49
25	तमिलनाडु	1,646.52	1,147.91	1,910.81	2,949.06	3,898.13	17,373.75
26	तेलंगाना	1,382.90	2,409.73	413.63	1,711.66	1,987.63	10,661.76
27	उत्तर प्रदेश	148.97	467.16	115.65	80.01	628.85	2,932.36
28	उत्तराखंड	473.31	61.30	885.11	167.00	84.16	2,257.43
29	पश्चिम बंगाल	7.00	2.15	-	227.32	79.50	369.03
30	बहु राज्य परियोजना	37.80	472.59	0.80	1,414.89	1,113.89	3,671.58
	कुल 'क"	**8,791.92**	**16,061.49**	**21,632.52**	**25,089.04**	**30,167.87**	**1,56,024.46**
ख	**केंद्र शासित प्रदेश**						
1	दमन	0.00	0.00	-	-	-	1.49
2	पांडिचेरी	36.43	2.23	0.19	-	-	45.00
3	लद्दाख	0.00	7.10	6.49	-	-	13.59
	कुल 'ख'	**36.43**	**9.33**	**6.68**	**0.00**	**0.00**	**60.08**
ग	**कुल 'क'+'ख'**	**8,828.35**	**16,070.82**	**21,639.21**	**25,089.04**	**30,167.87**	**1,56,084.54**

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार संवितरण

अनुलग्नक-IV

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	1987 से संचयी
पवन ऊर्जा	900.65	2,114.38	3,501.61	3,020.59	1,273.17	28,268.41
जल विद्युत	682.91	1,195.09	1,731.23	2,660.78	2,047.69	13,279.60
बायोमास पावर और सह-उत्पादन	41.03	9.24	23.97	98.41	0.00	3,591.65
ऊर्जा दक्षता और संरक्षण	14.16	77.85	6.49	0.00	0.00	441.54
सौर ऊर्जा	1,785.46	3,406.15	7,074.71	5,879.35	6,378.16	38,074.72
अपशिष्ट से ऊर्जा	147.17	107.20	58.81	85.63	33.09	718.10
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.14
बिल रियायत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.76
अल्पावधि ऋण	509.55	198.15	654.54	918.73	795.64	7,875.07
राज्य उपयोगिताओं को ऋण सुविधा	4,240.00	8,125.00	4,950.00	6,200.00	10,950.00	42,845.00
हाइब्रिड पवन एवं सौर	62.50	25.53	1006.75	140.00	1836.00	3,070.78
ब्रिज ऋण	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.90
"बायोमास (औद्योगिक अपशिष्टों से ब्रिकेटिंग, गैसीकरण और मीथेनेशन)"	3.37	7.33	59.95	112.64	402.96	669.94
गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)	145.17	290.36	104.31	0.00	0.00	539.84
विद्युत वाहन (ईवी)	0.00	35.71	332.02	593.39	285.79	1,246.91
विनिर्माण	81.47	269.84	1004.30	2404.49	1937.48	5,895.20
इथेनॉल	131.04	205.20	1130.52	2017.86	3109.73	6,669.35
स्मार्ट मीटर	0.00	0.00	0.00	679.23	393.00	1,072.23
ग्रीन हाइड्रोजन और व्युत्पन्नी	0.00	0.00	0.00	0.00	712.71	712.71
विविध (पारेषण लाइन, उभरती तकनीक)	79.87	3.80	0.00	277.94	12.45	671.69
कुल	**8,828.35**	**16,070.82**	**21,639.20**	**25,089.04**	**30,167.87**	**1,56,084.54**





इरेडा की वित्तपोषित प्रत्येक 200 केएलपीडी (कुल 400 केएलपीडी) जैव-ऊर्जा परियोजना कर्नाटक के बागलकोट जिले के बादामी तालुका में स्थित ट्रुअल्ट बायोएनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित।

इरेडा द्वारा वित्तपोषित परियोजना





मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड द्वारा विद्युत वाहन और ई-रिक्शा परियोजना



सिक्किम स्मार्ट मीटरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1.48 लाख स्मार्ट मीटर परियोजना



अडानी सोलर एनर्जी आरजे वन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जैसलमेर, राजस्थान में 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित





ऑयस्टर रिन्यूएबल द्वारा दयापार, गुजरात में 99 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित

इरेडा के निदेशक मंडल द्वारा कार्यस्थल निरीक्षण





श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा इरेडा के सरकारी नामित निदेशक ने 16 अगस्त, 2024 को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के चोलिंग में किन हाइड्रो पावर डेवलपर्स प्रा. लि. द्वारा स्थापित इरेडा द्वारा वित्तपोषित 12 मेगावाट की लघु जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया।





श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट, स्वतंत्र निदेशक ने 15 नवंबर, 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में इरेडा द्वारा वित्तपोषित 10 मेगावाट की दो सौर परियोजनाओं का निरीक्षण किया।



डॉ. जगनाथ जोड़ीधर, स्वतंत्र निदेशक ने अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित इरेडा द्वारा वित्तपोषित सौर परियोजना के बेंगलुरु कार्यालय का निरीक्षण किया।

अनुलग्नक-V

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

आपकी कंपनी की सीएसआर नीति, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 और कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत तैयार की गई है।

आपकी कंपनी सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय पद्धति से संचालन और विकास के लिए प्रतिबद्ध है; इसका उद्देश्य है अपनी सीएसआर नीति और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर क्रियान्वित सामुदायिक रूप से उत्तरदायी नियामक व्यवस्था के अंतर्गत, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय परियोजनाओं में धन के निवेश के माध्यम से, व्यापक जनता के समग्र लाभ में इष्टतम योगदान देना।

आपकी कंपनी देश के पर्यावरणीय और सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में संधारणीय सामुदायिक और पर्यावरणीय परियोजनाओं में योगदान के माध्यम से समाज में अपने मूल्य सृजन को बढ़ावा देती है और इसे आगे भी सुविधाजनक बनाती रहेगी।

आपकी कंपनी सामाजिक कल्याण गतिविधियां करती है जो समय-समय पर जारी सभी संशोधनों सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार गतिविधियों की पात्र सूची के अंतर्गत आती हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च किया जाएगा। आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि सीएसआर परियोजना उक्त अधिनियम की अनुसूची VII के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप संचालित की जाएँ।

शुरू की गई या शुरू करने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का अवलोकन:

आपकी कंपनी ने सीएसआर के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना शुरू की हैं या करने का प्रस्ताव रखा है:

क. संगठन के सभी स्तरों पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए वर्धित प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।

ख. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रम शुरू करना जिनसे समुदायों को लाभ हो और समय के साथ ऊर्जा दक्षता/संरक्षण में सुधार हो और स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो।

ग. अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, इरेडा के लिए सामुदायिक सद्भावना उत्पन्न करना और एक कॉरपोरेट इकाई के रूप में इरेडा की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में मदद करना।

घ. लैंगिक संवेदनशीलता, कौशल संवर्धन, उद्यमिता विकास आदि से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण को प्रोत्साहित करना।

ङ. आपदा प्रतिरोधक क्षमता के लिए समुदायों की तैयारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी प्रोत्साहित करना।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	निम्न रूप में समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	भाग लिया
1.	श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष	8	8
2.	डॉ. बिजय कुमार महान्ती	सदस्य	8	8
3.	श्री राम निहाल निषाद	सदस्य (23.01.2025 से प्रभावी)	3	3
4.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	सदस्य	8	8
5.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	सदस्य (20.01.2025 तक)	5	5

3 वेब-लिंक(कों) प्रावधानित करना जहाँ सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं को कंपनी वेबसाइट पर प्रकटीकरण किया जाता है।

सीएसआर नीति	:	https://www.ireda.in/csr-policy-of-ireda
सीएसआर समिति की संरचना	:	https://www.ireda.in/doc/Committees-of-Board-23_01_2025-110225.pdf
सीएसआर परियोजना	:	https://www.ireda.in/doc/UDetails-of-CSR-Projects-sanctioned-during-FY-2024-25.pdf

4 नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब-लिंक(कों) के साथ कार्यपालक सारांश प्रदान करना, यदि प्रयोज्य हो।

शून्य*.

**डीपीई द्वारा जारी सीएसआर दिशा-निर्देशों के अनुसार और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुसरण में अनिवार्य है कि प्रभाव आकलन उन मामलों में परियोजनावार किया जाएगा जहां तत्काल पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों में न्यूनतम औसत सीएसआर दायित्व ₹10 करोड़ या उससे अधिक वाली कंपनियां और न्यूनतम एक करोड़ रुपये के परिव्यय वाली सीएसआर परियोजना प्रभाव मूल्यांकन शुरू करने से कम से कम 1 वर्ष पहले पूरी हो गई हों।*

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 25 में ₹1 करोड़ या उससे अधिक की संस्वीकृत राशि के साथ निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी है:

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	परियोजना सीएसआर थीम
1	उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले चंदौली में 120 अदद आंगनवाड़ी केंद्रों और 50 अदद स्वास्थ्य केंद्रों पर 3 केडब्ल्यूपी ऑफग्रिड सौर ऊर्जा प्रणालियों की आपूर्ति और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।	5.05	स्वास्थ्य देखभाल
2	होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर, बिहार में उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।	10.25	स्वास्थ्य देखभाल
3	उत्तराखंड राज्य के कोटेश्वर, टेहरी में खेल विज्ञान केंद्र हॉल (298 वर्ग मीटर) के विकास हेतु वित्तीय सहायता।	1.05	ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण।
4	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII (धारा 135) के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों पर स्थानांतरण।	3.48	पीएम केयर्स फण्ड

हालाँकि, चूँकि उपर्युक्त में से कोई भी परियोजना मार्च 2025 तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए प्रभाव मूल्यांकन, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2021 दिनांक 25 अगस्त 2021 के अनुसार, संपादन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के बाद किया जाएगा।

इस बीच, आपकी कंपनी का न्यूनतम औसत सीएसआर दायित्व, दी गई प्रभावी तिथि 22 जनवरी 2021 (एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2021 दिनांक 25 अगस्त 2021 के अनुसार) के बाद, पिछले 3 वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24) के लिए ₹10 करोड़ की सीमा को पार कर गया है। सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए एजेंसियों की सूचीबद्धता वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

5. (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ : **₹ 1218.24 करोड़**

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत : **₹ 24.36 करोड़**

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो : **शून्य**

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [ख + ग - घ] : **₹ 24.36 करोड़**

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा दोनों) : **₹2.31 करोड़**

(ख) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि : **₹ 0.02 करोड़**

(ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो : **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष हेतु खर्च की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)]: **₹ 2.33 करोड़**

(ङ) वित्तीय वर्ष 25 हेतु खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि

वित्तीय वर्ष हेतु कुल व्यय राशि (राशि ₹ करोड़ में)	अव्ययित राशि (₹ करोड़ में)				
	धारा 135 की उप-धारा (1) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि (₹)	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि (₹)	हस्तांतरण की तिथि
2.33	22.03	29.04.2025	-	-	-

(च) समंजन हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	**24.36**
(ii)	वित्तीय वर्ष हेतु कुल व्ययित राशि*	**24.36**
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	-
(iv)	पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समंजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-

*इसमें ₹2.33 करोड़ वास्तव में व्यय किए गए तथा ₹22.03 करोड़ चालू परियोजनाओं के लिए अव्ययीत खाते में स्थानांतरित किए गए।

7. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	पिछले वित्तीय वर्ष (र्षों)	धारा 135 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	धारा 135 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि*	अव्ययित खाते से वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो।		आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि	कमी, यदि कोई हो
					राशि	हस्तांतरण की तिथि		
1	2021-22	-	-	-	-	-	-	-
2	2022-23	2.76	1.64	0.42	लागू नहीं	लागू नहीं	1.22	लागू नहीं
3	2023-24	11.13	-	4.99	लागू नहीं	लागू नहीं	6.14	लागू नहीं

*01.04.2024 को प्रारंभिक शेष

8. **क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनायी गई है या अधिग्रहित की गई है:** नहीं

यदि हाँ, तो निर्मित/अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें- लागू नहीं

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि के माध्यम से निर्मित या अधिग्रहित उक्त परिसंपत्ति(यों) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: लागू नहीं।

9. **धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार यदि कंपनी औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं:**

लागू नहीं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 25 के लिए व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि का 100% खर्च कर दिया है।

हस्ताक्षर/-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और
अध्यक्ष, सीएसआर समिति
डीआईएन: 07448576







श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने श्री श्रीपद येसो नाइक, विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री की उपस्थिति में, 14 नवंबर 2024 को ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में 10 बैटरी चालित वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।





श्री विनय कुमार सक्सेना, माननीय उप-राज्यपाल, दिल्ली ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में इरेडा की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत चार बैटरी चालित वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।



डॉ. जगनाथ जोड़ीधर, स्वतंत्र निदेशक, ने इरेडा द्वारा वित्तपोषित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजना का दौरा किया: 4 फरवरी 2025 को जयदेव मेमोरियल राष्ट्रोत्थान अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु में 200 केडब्ल्यूपी की रूफटॉप ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी प्रणाली।





हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 'थेरेपी ऑन व्हील्स' के अंदर और बाहर के दृश्य, सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति इरेडा की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए।

वित्त वर्ष 2024-25 हेतु इरेडा के सीएसआर कोष के अधीन संस्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 तक परियोजना की स्थिति	जिला-आकांक्षी/ गैर-आकांक्षी	अधिनियम की अनुसूची-VII के अधीन विषय	कार्यान्वयन समिति	सीएसआर पंजीकरण संख्या	संस्वीकृत राशि (भारतीय रुपये)
1	हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दिव्यांग बच्चों की सेवा हेतु "थेरेपी ऑन व्हील्स" कार्यक्रम चलाने बाबत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दो (2) मोबाइल मेडिकल वैन के परिचालनगत व्यय हेतु सैम्फिया फाउंडेशन को वित्तीय सहायता।	चल रही	गैर-आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल	सैम्फिया फाउंडेशन	सीएसआर-00004095	48,96,480.00
2	उत्तराखंड राज्य के कोटेश्वर, टेहरी में खेल विज्ञान केंद्र हॉल (298 वर्ग मीटर) के विकास हेतु मैसर्स सेवा-टीएचडीसी को वित्तीय सहायता।	चल रही	गैर-आकांक्षी	ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	सेवा-टीएचडीसी	सीएसआर00016241	1,05,00,000.00
3	सतत विकास के सातवें लक्ष्य, अर्थात् किफायती और स्वच्छ ऊर्जा के अंतर्गत गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के लिए परिसर में 4 अदद बैटरी चालित वाहन (11 सीटों वाले) दान करके शारीरिक रूप से चुनौती प्राप्त कर्मचारियों और छात्रों, आगंतुकों और वरिष्ठ नागरिकों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु सहायता।	सम्पूर्ण हुई	गैर-आकांक्षी	पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करना	इरेडा-डायरेक्ट मोड	लागू नहीं	20,80,000.00
4	प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) - पायलट परियोजना (वित्तीय वर्ष 2024-25) के अंतर्गत कंपनी के सीएसआर कोष से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 12 महीने की अवधि के लिए 50 प्रशिक्षुओं (पायलट परियोजना के आधार पर) के लिए वित्तीय सहायता।	चल रही	गैर-आकांक्षी	प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना	इरेडा-डायरेक्ट मोड	लागू नहीं	3,00,000.00
5	केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव के सिलवासा के मोटा रंधा स्थित सैनिक स्कूल में विकासमूलक कार्यों के लिए मैसर्स विद्या भारती गुजरात प्रदेश को वित्तीय सहायता।	चल रही	गैर-आकांक्षी	शिक्षा	मैसर्स विद्या भारती गुजरात प्रदेश	सीएसआर00006412	97,46,016.00

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 तक परियोजना की स्थिति	जिला-आकांक्षी/ गैर-आकांक्षी	अधिनियम की अनुसूची-VII के अधीन विषय	कार्यान्वयन समिति	सीएसआर पंजीकरण संख्या	संस्वीकृत राशि (भारतीय रुपये)
6	उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ज़िले चंदौली में 120 अदद आंगनवाड़ी केंद्रों और 50 अदद स्वास्थ्य केंद्रों पर 3 केडब्ल्यूपी ऑफग्रिड सौर विद्युत प्रणालियों की आपूर्ति और स्थापना के लिए मैसर्स यूपीएसआईसी (बांदा) को वित्तीय सहायता	चल रही	आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल	मैसर्स यूपीएसआईसी (बांदा)	सीएसआर00023463	5,04,56,000.00
7	होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार में उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु मैसर्स टाटा मेमोरियल सेंटर को वित्तीय सहायता	चल रही	आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल	मैसर्स टाटा मेमोरियल सेंटर	सीएसआर00001287	10,25,00,398.00
8	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 25 केएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और शुरुआत हेतु वित्तीय सहायता	चल रही	गैर-आकांक्षी	पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिकीय संतुलन सुनिश्चित करना	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर	सीएसआर00010602	64,07,400.00
9	आईआईटी इंदौर, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर, मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	चल रही	गैर-आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल	आईआईटी इंदौर	सीएसआर00014873	10,01,472.00
10	5 अदद (6 सीट वाले) बैटरी चालित वाहनों (बीओवी) एवं 5 अदद (11 सीट वाले) बीओवी के परिचालन और रखरखाव हेतु श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति, पुरी (एसजेटीएमसी) को वित्तीय सहायता और इरेडा द्वारा श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन, पुरी, ओडिशा को बीओवी पहले ही दान किए जा चुके हैं	चल रही	गैर-आकांक्षी	पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करना	श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति, पुरी	सीएसआर00087230	95,62,260.00

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 तक परियोजना की स्थिति	जिला-आकांक्षी/ गैर-आकांक्षी	अधिनियम की अनुसूची-VII के अधीन विषय	कार्यान्वयन समिति	सीएसआर पंजीकरण संख्या	संस्वीकृत राशि (भारतीय रुपये)
11	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु इरेडा के सीएसआर कोष से राजस्थान के बूंदी और कोटा जिलों में गरीब मरीजों को घर(रों) से अस्पताल(लों) लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आईसीयू उपकरणों के साथ तीन अदद एम्बुलेंस खरीदने के लिए दि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), कोटा को वित्तीय सहायता	चल रही	गैर-आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल	दि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), कोटा	सीएसआर00007062	80,43,750.00
12	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इटवा, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में पाइपलाइन प्रणाली, प्लेटफॉर्म, शेड के निर्माण और अन्य आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए जिला नागरिक सामाजिक उत्तरदायित्व संघ, सिद्धार्थनगर (उत्तर प्रदेश) को वित्तीय सहायता।	चल रही	आकांक्षी	स्वास्थ्य देखभाल	जिला नागरिक सामाजिक उत्तरदायित्व संघ, सिद्धार्थनगर (उत्तर प्रदेश)	सीएसआर00009393	31,36,767.00
13	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII (धारा 135) के अंतर्गत प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में धनराशि का हस्तांतरण।	चल रही	गैर-आकांक्षी	पीएम केयर्स फंड	इरेडा-डायरेक्ट मोड	लागू नहीं	3,47,70,030.39

अनुलग्नक-VI

प्रपत्र संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
भारत पर्यावास केंद्र, पहली मंजिल, ईस्ट कोर्ट,
कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रिय सदस्यगण,

हमने **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड,** जिसका **सीआईएन: L65100DL1987GOI027265** है **(जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा)** द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉरपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस तरह से की गई थी कि जिससे हमें कॉरपोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, प्रपत्र और रिटर्न फाइल तथा कंपनी द्वारा बनाये गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन तथा सचिवीय लेखा-परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद द्वारा प्रतिवेदित करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने **31 मार्च, 2025** को समाप्त समीक्षाधीन अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद किए गए प्रतिवेदनाधीन हैं:

हमने **31 मार्च, 2025** को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी द्वारा अनुरक्षित पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न फाइल तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाये गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाये गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाये गए विनियम और उप-नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक बनाये गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश:-

  क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015:

  ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

  ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;

  घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागारों और प्रतिभागी) विनियम, 2018; और

  ङ) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंट के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

  (च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अर्जन) विनियम, 2011;

प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और हमारे द्वारा भरोसा किए गए अनुसार, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और दिशा-निर्देशों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं थे:-

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021;

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी शेयर) विनियम, 2021

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-अवसंरचना वित्त कंपनी (मध्य परत) पर लागू सीमा तक

(vii) अन्य कानून जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं, अर्थात् :

- कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ईएसआई अधिनियम)
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- प्रशिक्षु अधिनियम, 1961
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
- बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
- उपदान भुगतान अधिनियम, 1972
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
- कर्मचारी विनिमय (रिक्त पदों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) सचिवीय मानकों, जैसा कि इंस्टिट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी, समय-समय पर संशोधित किया गया।

(ii) सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ कंपनी द्वारा किए गए सूचीकरण समझौते।

(iii) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिनांक 18 नवम्बर, 2024 की एफ. संख्या 5/2/2016-पॉलिसी में निर्धारित अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए पूँजी पुनर्गठन पर दिशा-निर्देश।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है, जिसमें कार्यपालक निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गये थे।

हालांकि, कंपनी ने 14 अक्टूबर 2022 को क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), एमसीए के कार्यालय के समक्ष एक अपील दायर की, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के उल्लंघन के लिए ₹ 2,62,000 का जुर्माना लगाने वाली आदेश संख्या आरओसी/डी/एडीजे/2022/सेक्शन 149(1)/5781 के तहत दंड की छूट की मांग करने वाला अपीलकर्ता प्राधिकारी है। इस मामले में अपील अभी भी क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), एमसीए के कार्यालय के समक्ष लंबित है।

बोर्ड बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में यथा अभिलिखित के अनुसार बोर्ड बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय, जैसा मामला हो, सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाये गए नियमों के अधीन नियामक प्राधिकरणों से ई-फॉर्म/दस्तावेज दाखिल करने में नियमित रही है।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि अनुप्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित और प्रबोधित करने के लिए कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं की गई जिसका उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा असर हो, सिवाय इसके कि-

i) कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान इरेडा घरेलू कर योग्य, रिडीमेबल, गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय, असुरक्षित बॉण्ड के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से ₹10,740.00 करोड़, सतत ऋण लिखत के माध्यम से ₹1247.00 करोड़ और अधीनस्थ बॉण्ड श्रृखला-II के माध्यम से ₹910.37 करोड़ उगाहे हैं। वर्ष के दौरान उगाहे गए निम्नलिखित श्रृंखलाओं के घरेलू कर योग्य बॉण्ड इस प्रकार हैं:

   क) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.50% सीरीज-XVI-क"बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹1000 करोड़।

   ख) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.44% सीरीज-XVI-ख" बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹1500 करोड़।

   ग) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.39% सीरीज-XVI-ग" बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹1090 करोड़।

   घ) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.36% सीरीज-XVI-घ" बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹1500 करोड़।

   ङ) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.32% सीरीज-XVI-ङ" बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹1500 करोड़।

   च) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.37% सीरीज-XVI-च" बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹2000 करोड़।

   छ) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.28% सीरीज-XVI-छ" बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹1330 करोड़।

   ज) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.40% सीरीज-XVI-ज" बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹820 करोड़।

   झ) प्रत्येक ₹1 करोड़ के अंकित मूल्य के "8.40% सीरीज-पीडीआई-I" बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹1247 करोड़।

   ञ) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.74% सीरीज-एसडी-III" बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹910.37 करोड़।

ii) इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड (सीआईएन: U66190GJ2024GOI151339) को 07 मई, 2024 को आईएफएससी, गिफ्ट सिटी, गुजरात में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में कॉरपोरेट किया गया है।

iii) सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने 26 अप्रैल, 2024 के अपने पत्र के माध्यम से भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) को "नवरत्न" का दर्जा प्रदान किया है।

कृते पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव
(एफआरएन: P2016HR051300)

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक: 01/05/2025
यूडीआईएन: F004103G000247918
आईसीएसआई सहकर्मी समीक्षा पंजीकरण संख्या: 831/2020

हस्ताक्षर/-
पी. सी. जैन
प्रबंध भागीदार
एम. संख्या : F4103
सीओपी संख्या: 3349

'अनुलग्नक-क'

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड,
भारत पर्यावास केंद्र, पहली मंज़िल, ईस्ट कोर्ट,
कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

महोदय,

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु हमारा सचिवीय लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है

1. सचिवीय अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। लेखा-परीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा-परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षण के आधार पर किया गया था जैसे कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा पहले से बताये गए अवलोकनों/टिप्पणियों/कमजोरियों को शामिल नहीं किया गया है।

4. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉरपोरेट और अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच एक परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी और क्या कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र सही तरह से मौजूद हैं या नहीं, पर अपनी राय देनी थी।

6. सचिवीय लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी मामलों का संचालन किया है।

कृते पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव
(एफआरएन: P2016HR051300)

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक: 01/05/2025
यूडीआईएन: F004103G000247918
आईसीएसआई सहकर्मी समीक्षा पंजीकरण संख्या: 831/2020

हस्ताक्षर/-
पी. सी. जैन
प्रबंध भागीदार
एम. संख्या : F4103
सीओपी संख्या: 3349

अनुलग्नक-VII

कॉरपोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
(सीआईएन: L65100DL1987GOI027265)
भारत पर्यावास केंद्र, पहली मंज़िल, ईस्ट कोर्ट,
कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रिय महोदय/महोदया,

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीपीएसई के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (**डीपीई**), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन दिशा-निर्देशों (**"दिशानिर्देशों"**) की अनुपालन शर्तों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सभी प्रासंगिक अभिलेखों की जांच की है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह प्रमाण-पत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही यह इस बात का आश्वासन है कि प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन कितनी कुशलता या प्रभावशीलता के साथ किया है।

हमारी राय में तथा हमें प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, स्पष्टीकरणों और हमें दी गई सूचना की हमारी जांच के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों में यथा अनुबद्ध कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

कृते पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव
(एफआरएन: P2016HR051300)

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक: 01/05/2025
यूडीआईएन: F004103G000247852
आईसीएसआई सहकर्मी समीक्षा पंजीकरण संख्या: 831/2020

हस्ताक्षर/-
पी. सी. जैन
प्रबंध भागीदार
एम. संख्या : F4103
सीओपी संख्या: 3349

अनुलग्नक-VIII

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
(सीआईएन: L65100DL1987GOI027265)
भारत पर्यावास केंद्र, पहली मंज़िल, ईस्ट कोर्ट,
कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रिय सदस्यगण,

हम, पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड,** जिनका **सीआईएन: L65100DL1987GOI027265** ("कंपनी") है के सचिवीय लेखा-परीक्षक, ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में यथा निर्धारित, यथा संशोधित (सामूहिक रूप से "सेबी सूचीकरण विनियम/सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015") और कंपनी पर प्रयोज्य 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

सेबी सूचीकरण विनियमों में यथा निर्धारित और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन भी कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है।

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट तैयार करने और सभी प्रासंगिक सहायक अभिलेख और दस्तावेज के रखरखाव की ज़िम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुति हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है।

लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है।

हमने इंस्टिट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन प्रमाण-पत्र पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार कंपनी के प्रासंगिक अभिलेखों की जांच की है। हमने गुणवत्ता पर मानक की प्रासंगिक अनुप्रयोल्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

राय

प्रक्रियाओं में परीक्षण के आधार पर कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में विवरणों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच करना शामिल है। इसके अलावा, इस रिपोर्ट के अधीन हमारे कार्य के दायरे में समग्र रूप से कंपनी की किसी भी वित्तीय जानकारी या वित्तीय विवरणों की निष्पक्षता या सटीकता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से लेखा-परीक्षा जांच करना शामिल नहीं था।

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और कंपनी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान तालिकाबद्ध

विनियम 17 से 27 और विनियमन 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) और सेबी सूचीकरण दायित्व विनियमों की अनुसूची V के अनुच्छेद ग और घ में निर्धारित अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में हमारा आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव
(एफआरएन: P2016HR051300)

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक: 01/05/2025
यूडीआईएन: F004103G000247819
आईसीएसआई सहकर्मी समीक्षा पंजीकरण संख्या: 831/2020

हस्ताक्षर/-
पी. सी. जैन
प्रबंध भागीदार
एम. संख्या : F4103
सीओपी संख्या: 3349

अनुलग्नक-IX

कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

कॉरपोरेट अभिशासन नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं का एक साधन है जिसके द्वारा किसी कंपनी को कानून का अक्षरशः पालन करने और प्रभावी प्रबंधन के लिए नैतिक मानकों का पालन करने के लिए निदेशित और नियंत्रित किया जाता है। कॉरपोरेट अभिशासन सभी हितधारकों के हितों को सुनिश्चित करता है।

उपर्युक्त के प्रति, आपकी कंपनी अपने निगमीकरण के बाद से ही कॉरपोरेट अभिशासन मानदंडों के उच्च मानकों को लागू करने और बनाए रखने का प्रयास करती रही है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ में यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है। यह रिपोर्ट समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 (इसमें इसके बाद **सेबी एलओडीआर विनियम** के रूप में संदर्भित है), कंपनी अधिनियम 2013, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन पर दिशा-निर्देशों **(कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों)** की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई है।

1. कॉरपोरेट अभिशासन पर कंपनी का दर्शन

हमारा कॉरपोरेट अभिशासन दर्शन निम्नलिखित अनुसार तैयार किया गया है :

कंपनी दृढ़ता से अच्छे कॉरपोरेट अभिशासन में विश्वास करती है और लगातार इसका पालन करती है। कंपनी की नीति पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के मूल्यों से परिलक्षित होती है। कंपनी इन पहलुओं की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास करती है और इस तरह अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, हितधारकों और पूरे समाज के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य उत्पन्न करती है।

आपकी कंपनी एक प्रतिस्पर्धी, ग्राहक-अनुकूल और विकासोन्मुख संगठन बनने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को वित्तपोषित और बढ़ावा देती है। कंपनी की कॉरपोरेट संरचना, व्यवसाय का संचालन और प्रकटीकरण प्रथाओं को इसके कॉरपोरेट अभिशासन दर्शन के अनुरूप बनाया गया है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल **('बोर्ड')** के पास समग्र रूप से व्यवसाय के प्रबंधन, सामान्य मामलों, दिशा, कार्य-प्रदर्शन और दीर्घकालिक सफलता के लिए अंततोगत्वा जिम्मेदारी है। बोर्ड रणनीति और नीतियां तैयार करता है, उनके कार्यान्वयन की देखरेख करता है और समय-समय पर कंपनी के कार्य-निष्पादन की समीक्षा भी करता है।

बोर्ड अपनी शक्तियों का उपयोग करता है तथा कंपनी अधिनियम, कंपनी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम, शेयर बाज़ारों के साथ सूचीकरण समझौते, आरबीआई दिशा-निर्देश, डीपीई दिशा-निर्देश और कंपनी के आंतरिक कोड/प्रक्रियाओं आदि में निर्धारित ढांचे के भीतर कंपनी के मामलों का प्रबंधन करता है।

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम **(एओए)** में यह प्रावधान है कि बोर्ड निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय **(एमएनआरई)** के माध्यम से कार्यपालक भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। एओए के अनुसार, बोर्ड की शक्ति 3 निदेशकों से कम नहीं और 15 निदेशकों से अधिक नहीं की होगी।

वित्त वर्ष 25 के दौरान तथा 31 मार्च, 2025 को, आपकी कंपनी के बोर्ड की संरचना कंपनी अधिनियम, सेबी एलओडीआर विनियमों और कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप है।

31 मार्च, 2025 को, बोर्ड 7 (सात) निदेशकों से मिलकर गठित हैं, जिनमें से 2 (दो) प्रकार्यात्मक निदेशक, 1 (एक) अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक और 4 (चार) अंशकालिक/ गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (आईडी) है, जिनमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। वार्षिक रिपोर्ट में सभी निदेशकों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

❖ निदेशक मंडल की संरचना

31 मार्च, 2025 तक बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम और डीआईएन	पदनाम
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक)		
1.	श्री प्रदीप कुमार दास डीआईएन: 07448576	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	डॉ. बिजय कुमार महान्ती डीआईएन-08816532	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
पदेन अंशकालिक निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक)		
3.	श्री पदम लाल नेगी डीआईएन : 10041387	निदेशक (सरकारी नामित)*
अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)		
4.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट डीआईएन: 09483059	स्वतंत्र निदेशक
5.	डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर डीआईएन: 09556253	स्वतंत्र निदेशक
6.	श्री राम निहाल निषाद डीआईएन: 10064841	स्वतंत्र निदेशक
7.	श्रीमती रोहिणी रावत डीआईएन: 10064820	स्वतंत्र निदेशक

**** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व***

❖ बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

वित्त वर्ष 2024-25 **(इसमें इसके बाद वित्त वर्ष 25 कहा जाएगा)** और पिछले वित्त वर्ष 2023-24 **(इसमें इसके बाद वित्त वर्ष 24 कहा जाएगा)** के दौरान बोर्ड की संरचना में हुए परिवर्तन नीचे दिए गए हैं :

क. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन।

वित्त वर्ष 25 के दौरान, निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

1. डॉ. बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त), एमएनआरई आदेश दिनांक 27 मार्च, 2024 के अनुसरण में, 5 मार्च, 2024 से 6 (छह) महीने की अवधि के लिए, नियमित पदधारी की नियुक्ति तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। एमएनआरई आदेश दिनांक 12 सितंबर, 2024 के अनुसरण में, निदेशक (परियोजना) का उनका अतिरिक्त प्रभार 5 सितंबर, 2024 से छह (6) महीने की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए आगे बढ़ा दिया गया था।

2. श्री अजय यादव, एमएनआरई आदेश दिनांक 12 दिसंबर, 2024 के अनुसरण में, अपनी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के कारण 12 दिसंबर, 2024 से सरकारी नामित निदेशक के पद से मुक्त हो गए।

3. श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट, एमएनआरई आदेश दिनांक 21 जनवरी, 2022 के अनुसरण में अपना कार्यकाल पूरा होने के कारण 21 जनवरी, 2025 से स्वतंत्र निदेशक के पद से मुक्त हो गए। श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को एमएनआरई आदेश दिनांक 28 मार्च, 2025 के अनुसरण में एमएनआरई के आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 28 मार्च, 2025 से पुनः स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल ने श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को अगली आम बैठक की तिथि तक अपर निदेशक, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

4. डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर एमएनआरई आदेश दिनांक 28 मार्च, 2022 के अनुसरण में अपना कार्यकाल पूरा होने के कारण 28 मार्च, 2025 से स्वतंत्र निदेशक के पद से मुक्त हो गए। डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर को एमएनआरई आदेश दिनांक 28 मार्च, 2025 के अनुसार एमएनआरई के आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, फिर से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर बोर्ड ने डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर को अगली आम बैठक की तिथि तक अपर निदेशक, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो एजीएम में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

5. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ("एसीसी") ने दिनांक 13.05.2025 के अपने आदेश के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), इरेडा के कार्यकाल को 06.05.2025 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 30.06.2026 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित करने को मंजूरी दे दी है।

ख. वित्त वर्ष 2024 के दौरान बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

1. डॉ. बिजय कुमार महान्ती को एमएनआरई आदेश दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के अनुसरण में 12 अक्टूबर, 2023 से निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्त किया गया है।
2. डॉ. बिजय कुमार महान्ती को बोर्ड संकल्प दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 के अनुसरण में 16 अक्टूबर, 2023 मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और केएमपी के पद पर नियुक्त किया गया है।
3. डॉ. बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त) को एमएनआरई आदेश दिनांक 27 मार्च, 2024 के अनुसरण में 5 मार्च, 2024 से छह (6) महीने की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक (तकनीकी/परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

❖ **वित्त वर्ष 25 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या**

निदेशक मंडल की बैठकें उचित अग्रिम सूचना देकर बुलायी जाती हैं। बैठक की तिथियाँ आमतौर पर सभी निदेशकों के परामर्श से पहले ही तय कर ली जाती हैं, ताकि उनकी पूर्ण उपस्थिति और सभी संबंधित पक्षों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके। किसी भी तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कभी-कभी वैधानिक प्रावधानों के अवलोकन के अधीन, बोर्ड की बैठकें कम समय की सूचना पर भी बुलाई जाती हैं। अत्यावश्यक स्थिति में, संविधि के अनुसार, प्रस्ताव को वितरण के माध्यम से भी पारित किया जाता है। विस्तृत कार्यसूची टिप्पणियां, रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण आमतौर पर बोर्ड की बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले बोर्ड के सदस्यों के साथ वितरित किए जाते हैं ताकि बैठक में सार्थक, सूचित और केंद्रित चर्चा हो सके। बोर्ड के कार्यसूची पत्रों को एक सुरक्षित वेब-आधारित ऑनलाइन एप्लिकेशन पर प्रासंगिक पत्रों को अपलोड करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित किया जाता है, जिससे मुद्रित कार्यसूची पत्रों के प्रसार की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। बदलते परिवेश के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 और इंस्टिट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के अलावा प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। बोर्ड और समितियों की बैठकें आमतौर पर पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। बैठकों के दौरान, यदि आवश्यक हो, तो वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को भी प्रस्तुतिकरण देने या किसी कार्यसूची मद पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है। बैठक के बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की एक अनुवर्ती प्रणाली है, जहां बोर्ड या उसकी समितियों के पूर्व निर्णयों/विचार-विमर्शों पर की गई कार्रवाई को आगामी बैठकों में समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, 23 (तेईस) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं अर्थात 10.04.2024, 19.04.2024, 29.04.2024, 24.05.2024, 10.06.2024, 25.06.2024, 12.07.2024, 16.07.2024, 14.08.2024, 29.08.2024, 20.09.2024, 05.10.2024, 10.10.2024, 25.10.2024, 20.11.2024, 12.12.2024, 27.12.2024, 09.01.2025, 23.01.2025, 01.02.2025, 20.02.2025, 17.03.2025 व 25.03.2025 को।

किसी भी दो बोर्ड बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रम से 3 (तीन) दिन और 28 (अट्ठाईस) दिन था।

❖ **बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड और अन्य निदेशक/समिति सदस्य/अध्यक्ष पदों की संख्या।**

वित्त वर्ष 25 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों (24 जून, 2024 को आयोजित अंतिम 37वीं वार्षिक आम बैठक सहित) में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति (भौतिक रूप से/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) और प्रत्येक निदेशक के अन्य निदेशक पद/समिति सदस्यता/अध्यक्ष पद की संख्या नीचे दी गई है :

निदेशक का नाम और पदनाम	वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकें (कार्यकाल के अनुसार)		31.03.2025 तक अन्य कंपनियों में अन्य निदेशक पद की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं (नाम सहित) में धारित निदेशक पद, निदेशकों की श्रेणी	31.03.2025* तक अन्य कंपनियों में धारित समिति पदों की संख्या		एनबीएफसी में धारित शेयरों और परिवर्तनीय उपकरणों की संख्या (कंपनी सहित)	अंतिम एजीएम (24.06.2024) में उपस्थिति
	आयोजित	उपस्थित रहे			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में		
श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	23	23	1	शून्य	शून्य	शून्य	15,180	उपस्थित रहे
डॉ. बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	23	23	1	शून्य	शून्य	शून्य	15,180	उपस्थित रहे

निदेशक का नाम और पदनाम	वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकें (कार्यकाल के अनुसार)		31.03.2025 तक अन्य कंपनियों में अन्य निदेशक पद की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं (नाम सहित) में धारित निदेशक पद, निदेशकों की श्रेणी	31.03.2025* तक अन्य कंपनियों में धारित समिति पदों की संख्या		एनबीएफसी में धारित शेयरों और परिवर्तनीय उपकरणों की संख्या (कंपनी सहित)	अंतिम एजीएम (24.06.2024) में उपस्थिति
	आयोजित	उपस्थित रहे			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में		
श्री पदम लाल नेगी, निदेशक (सरकारी नामित)	23	23	06	शून्य	01	03	शून्य	उपस्थित रहे
श्री अजय यादव, निदेशक (सरकारी नामित) (11.12.2024 तक)	15	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित रहे
श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट, स्वतंत्र निदेशक (20.01.2025 तक)	18	18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित रहे
डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर, स्वतंत्र निदेशक	23	23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित रहे
श्री राम निहाल निषाद, स्वतंत्र निदेशक	23	23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित रहे
श्रीमती रोहिणी रावत, स्वतंत्र निदेशक	23	22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित रहे

टिप्पणी:

- *इसमें लेखा-परीक्षा समिति और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के अलावा बोर्ड समितियों में अध्यक्ष पद /सदस्यता शामिल नहीं है।
- कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है।
- बोर्ड में कोई भी निदेशक उन सभी सूचीबद्ध कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिसमें वे सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 26 के अधीन निर्धारित अनुसार निदेशक हैं।

❖ निदेशक मंडल को उपलब्ध जानकारी:

समय-समय पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं में कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों, सरकारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित मदें और कंपनी से संबंधित मुद्दों पर सार्थक और केंद्रित विचार-विमर्श को सुगम बनाने तथा सूचित एवं कुशल तरीके से निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक और उपयोगी मानी जाने वाली अन्य जानकारी शामिल होती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के निदेशकगण आवश्यकता पड़ने पर कंपनी के व्यवसाय से संबंधित सभी जानकारी मांगने और प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। तात्कालिकता की स्थिति में, प्रस्ताव प्रसारित करके पारित किए जाते हैं, जिन्हें बोर्ड अपनी अगली बैठक में टिप्पणी किया है। बोर्ड स्तरीय समिति(यों) की बैठकों के कार्यवृत्त भी बोर्ड के समक्ष उनकी सूचना और नोटिंग के लिए रखे जाते हैं।

❖ निदेशकों के बीच आपसी संबंध

कंपनी के निदेशकों के बीच कोई आपसी संबंध नहीं है।

❖ गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयर और परिवर्तनीय उपकरण

31 मार्च, 2025 तक, किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक) के पास कंपनी में कोई शेयर या परिवर्तनीय उपकरण नहीं हैं। कंपनी ने कोई परिवर्तनीय उपकरण भी जारी नहीं किए हैं।

❖ बोर्ड के सदस्यों के लिए परिचय/प्रशिक्षण कार्यक्रम

निदेशकों को अन्य बातों के साथ-साथ व्यवसाय, अनुपालन प्रबंधन प्रणालियों, साइबर सुरक्षा अभिशासन और साइबर संकट प्रबंधन योजना, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर विनियमों आदि के तहत परिभाषित निदेशकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से परिचित कराने के लिए आंतरिक और बाह्य रूप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की प्रक्रियाओं और प्रथाओं से परिचित कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज, प्रस्तुतिकरण और आंतरिक नीतियां प्रदान की जाती हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए जाने वाले परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है और इसे https://www.ireda.in/doc/document-5-170125.pdf पर देखा जा सकता है।

❖ स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित जानकारी

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपेक्षित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किए हैं, कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो प्रशासनिक मंत्रालय यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं और तदनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की ईमानदारी, विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करते हैं। स्वतंत्र निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 25 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट, स्वतंत्र निदेशक के स्थान पर, श्रीमती रोहिणी रावत, स्वतंत्र निदेशक को 21 जनवरी, 2025 से कंपनी के प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया है और वे निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित अनुसार भूमिका का निर्वहन करेंगी।

❖ **स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 27 दिसंबर, 2024 को आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशक शामिल हुए।

❖ **बोर्ड के पहचाने गए कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं को निर्धारित करने वाला एक चार्ट या मैट्रिक्स और ऐसे कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं वाले निदेशकों के नाम, जैसा कि उनके व्यवसाय(यों) और क्षेत्र(त्रों) के संदर्भ में और कुशल कामकाज के लिए अपेक्षित है,**

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, प्रकार्यात्मक/अंशकालिक निदेशकों/गैर-आधिकारिक/अंशकालिक स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के बोर्ड में नियुक्त निदेशकों के पास कंपनी के मामलों का संचालन करने के लिए आवश्यक क्षेत्रों में अपेक्षित कौशल और विशेषज्ञता हो। निदेशकों के संक्षिप्त विवरण जिसमें उनकी योग्यता और अनुभव शामिल हैं, का उल्लेख वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है। कंपनी के प्रभावी संचालन हेतु नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा बोर्ड की विविधता पर नीति में निदेशकों के लिए निम्नलिखित कौशल/विशेषज्ञता/योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं। उक्त नीति की एक प्रति प्रशासनिक मंत्रालय को उनके विचारार्थ प्रदान की गई है:

- वित्तीय प्रबंधन
- बिजली क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता
- परियोजना मूल्यांकन
- कानूनी सलाहकार
- कॉरपोरेट योजना और रणनीति
- जोखिम प्रबंधन
- नेतृत्व
- पर्यावरण संबंधी चिंता
- सामाजिक सरोकार
- बोर्ड अभ्यास और अभिशासन
- व्यवसाय विकास

निदेशकों के कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएं निम्नानुसार हैं:

नाम	विशेषज्ञता के क्षेत्र
श्री प्रदीप कुमार दास	• वित्तीय प्रबंधन • बिजली क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता • परियोजना मूल्यांकन • कॉरपोरेट योजना व रणनीति • जोखिम प्रबंधन • सामाजिक सरोकार • नेतृत्व • पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार • बोर्ड पद्धति व अभिशासन • व्यवसाय विकास
डॉ. बिजय कुमार महान्ती	• वित्तीय प्रबंधन • विद्युत् क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता • परियोजना मूल्यांकन • सामाजिक सरोकार

नाम	विशेषज्ञता के क्षेत्र
	• कानूनी सलाहकार • कॉरपोरेट योजना व रणनीति • जोखिम प्रबंधन • नेतृत्व • पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार • बोर्ड पद्धति व अभिशासन • व्यवसाय विकास
श्री पदम लाल नेगी	• वित्तीय प्रबंधन • बिजली क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता • परियोजना मूल्यांकन • नेतृत्व • सामाजिक सरोकार
डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर	• जोखिम प्रबंधन • नेतृत्व • पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार • सामाजिक सरोकार • बोर्ड पद्धति व अभिशासन
श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	• नेतृत्व • पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार • सामाजिक सरोकार • बोर्ड पद्धति व अभिशासन
श्री राम निहाल निषाद	• जोखिम प्रबंधन • नेतृत्व • पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार • बोर्ड पद्धति व अभिशासन • सामाजिक सरोकार
श्रीमती रोहिणी रावत	• जोखिम प्रबंधन • नेतृत्व • पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार • बोर्ड पद्धति व अभिशासन • सामाजिक सरोकार

❖ आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के ध्येय और उद्देश्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है और इसका उद्देश्य है कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट यानी https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/CodeOfBusinessConductAndEthics.pdf पर उपलब्ध है।

कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अधीन आवश्यक घोषणा

इरेडा के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के 'बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों बाबत व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ताक्षर/-
(प्रदीप कुमार दास)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07448576

❖ **अभिहित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों द्वारा व्यापार को विनियमित, प्रबोधन और रिपोर्टिंग करने तथा उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता**

समय-समय यथा संशोधित के अनुपालन में सेबी (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुपालन में, कंपनी के पास अंदरूनी लोगों द्वारा व्यापार को विनियमित, निगरानी और रिपोर्टिंग करने तथा अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण हेतु अभ्यास और प्रक्रिया बाबत एक आचार संहिता है। कंपनी सचिव को कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वे उक्त संहिता के अनुपालन के लिए जिम्मेदार हैं। उक्त संहिता को कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/IREDA_Code%20on%20Insider%20Trading%20Policy.pdf पर पोस्ट किया गया है।

संहिता में कंपनी के शेयरों/प्रतिभूतियों में लेन-देन करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, किए जाने वाले खुलासों और गैर-अनुपालन के परिणामों को निर्धारित किया गया है। उक्त संहिता की आवश्यकता के अनुरूप, ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया जाता है और नामित व्यक्तियों और अन्य संबंधित लोगों को सूचित किया जाता है ताकि उन्हें और उनके निकटतम रिश्तेदारों को कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन करने से रोका जा सके। इसके अलावा, शेयर बाज़ारों को भी उचित घोषणाएँ की जाती हैं और कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन की जाती हैं।

3. निदेशक मंडल की समितियाँ

कंपनी अधिनियम, सेबी एलओडीआर विनियमों, आरबीआई के कॉरपोरेट अभिशासन मानदंडों और कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार और कंपनी के मामलों पर शीघ्र विचार-विमर्श और केंद्रित निर्णय लेने की सुविधा हेतु, बोर्ड ने विशिष्ट भूमिका, जवाबदेही और प्राधिकरण सहित बोर्ड स्तरीय समितियों का गठन किया है। 31 मार्च, 2025 तक ऐसी समितियों का विवरण नीचे दिया गया है :

3.1 निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति;
3.2 निदेशकों की ऋण समिति;
3.3 निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति;
3.4 निदेशकों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति;
3.5 निदेशकों की हितधारक संबंध समिति;
3.6 आईटी रणनीति समिति
3.7 जोखिम प्रबंधन समिति
3.8 एनपीए और तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति
3.9 गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूककर्ताओं के लिए समीक्षा बैठक समिति

जानकारी हेतु समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

3.1 निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति

कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियमों और कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार विधिवत गठित लेखा-परीक्षा समिति है। 31 मार्च, 2025 तक, लेखा-परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र.सं.	नाम व पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री पदम लाल नेगी निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य
3.	श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

निदेशक (वित्त)/सीएफओ, निदेशक (परियोजना) बैठक में विशेष आमंत्रित व्यक्ति होते हैं। कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक, आंतरिक लेखा-परीक्षक और लागत लेखा-परीक्षकों को भी क्रम से वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम, आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करते समय लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित भी किया जाता है।

❖ **लेखा-परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें (टीओआर) :**

समिति की संदर्भ शर्तों (टीओआर) को अंतिम बार बोर्ड द्वारा 25.03.2025 को आयोजित अपनी 435वीं बैठक में संशोधित किया गया था। समिति के टीओआर निम्नलिखित अनुसार हैं:

1. वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण।

2. कंपनी के लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

3. नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के आदेश/निर्देशों के आधार पर लेखा-परीक्षा शुल्क के निर्धारण पर बोर्ड को सिफारिश करना।

4. सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।

5. बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले, प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में :

   (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा 3 के खंड (ग) के अनुसार निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले, जिन्हें बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है;

   (ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;

   (ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग पर आधारित अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;

   (घ) लेखा-परीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

   (ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

   (च) किसी भी संबंधित पक्ष लेन-देन का प्रकटीकरण; और

   (छ) मसौदा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय (यों)।

6. अनुमोदन हेतु बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, प्रबंधन के साथ तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।

7. वैधानिक और आंतरिक लेखा-परीक्षकों के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

8. आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखा-परीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की समीक्षा करना।

9. आंतरिक लेखा-परीक्षकों और/या लेखा-परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

10. आंतरिक लेखा-परीक्षकों/लेखा-परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जाँच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहाँ धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की किसी महत्वपूर्ण प्रकृति की विफलता का संदेह हो, और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।

11. लेखा-परीक्षा शुरू होने से पहले, लेखा-परीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ चर्चा करना, साथ ही साथ लेखा-परीक्षा के बाद किसी भी चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा करना।

12. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में भारी चूक के कारणों की जाँच करना।

13. पर्दाफाश करनेवाले तंत्र के कार्य की समीक्षा और निगरानी करना।

14. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी देना; बशर्ते कि जहाँ निदेशक (वित्त) की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है, वह मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

15. सीएजी लेखा-परीक्षा की लेखा-परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

16. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

17. स्वतंत्र लेखा-परीक्षक, आंतरिक लेखा-परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला माध्यम प्रदान करना।

18. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन।

19. कंपनी द्वारा प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान करना, जो उक्त शर्तों, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है,के अधीन होगा।

20. अनावश्यक प्रयासों की कवरेज कटौती की पूर्णता और सभी लेखा-परीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लेखा-परीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के साथ समीक्षा करना।

21. स्वतंत्र लेखा-परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करना :

- कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
- प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ, संबंधित निष्कर्षों और सिफारिशें व स्वतंत्र लेखा-परीक्षक और आंतरिक लेखा-परीक्षक।

22. प्रबंधन, आंतरिक लेखा-परीक्षक और स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करना:

- वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिसमें पिछली लेखा-परीक्षा सिफारिशों की स्थिति शामिल करते हुए; और
- लेखा-परीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई जिसमें गतिविधियों के दायरे या अपेक्षित जानकारी तक पहुँच पर कोई प्रतिबंध शामिल हो।

23. लेखा-परीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी :

I. वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों का प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण।

II. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन (लेखा-परीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित) का विवरण।

III. सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी किए गए प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियाँ पत्र।

IV. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट।

V. मुख्य आंतरिक लेखा-परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तों को लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा।

VI. बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले मुख्य कार्यपालक/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा।

VII. विचलनों का विवरण:

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") के विनियम 32(1) के अनुसार शेयर बाज़ार(रों) को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन(नों) का त्रैमासिक विवरण (यदि लागू हो); और

(ii) सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 32(7) के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेज़/विवरण-पत्रिका/सूचना में बताये गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों हेतु उपयोग किए गए धन का वार्षिक विवरण।

24. लेखा-परीक्षक की स्वतंत्रता और कार्य-प्रदर्शन तथा लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और प्रबोधन करना।

25. अंतर-कॉरपोरेट ऋण और निवेश की जांच करना।

26. जहां भी यह आवश्यक हो, कंपनी के वचनबंध या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।

27. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।

28. किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से उगाही गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण-पत्रिका/सूचना में बताये गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों हेतु उपयोग की गई निधियों का विवरण और सार्वजनिक या अधिकार निर्गम की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित अनुशंसा करना।

29. 1 अप्रैल, 2019 को वर्तमान ऋण/अग्रिम/निवेश शामिल करते हुए धारक कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में ₹100 करोड़ से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार का 10%, जो भी कम हो, से अधिक ऋण और/या अग्रिम/निवेश के उपयोग की समीक्षा करना।

30. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, विलगाव, समामेलन आदि को शामिल करते हुए योजना के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभावों पर विचार करना और टिप्पणी करना।

31. डीपीई दिशा-निर्देशों, कंपनी अधिनियम और सूचीकरण विनियमों के अधीन यथा निर्धारित, समय-समय पर कंपनी पर यथा प्रयोज्य और अन्य कोई कार्य एवं कंपनी और कंपनी के अन्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा उचित समझे गए या निर्धारित किसी अन्य कार्य को पूरा करना।

32. लेखा-परीक्षा समिति की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) इनकी संदर्भ शर्तों के अंदर विनिर्दिष्ट किसी भी गतिविधि के मामलों की जांच करना;

(ख) कंपनी के किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगना;

(ग) बाहरी स्रोतों से कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना, यदि आवश्यक हो तो;

(घ) प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि आवश्यक हो तो;

(ङ) पर्दाफाश करने वालों की सुरक्षा करना; और

(च) कंपनी के अभिलेखों में निहित जानकारी तक पूरी पहुँच रखना।

उपर्युक्त संदर्भ शर्तों के प्रयोजन हेतु:

(क) निदेशक (वित्त) या वित्त प्रकार्य के प्रमुख और सांविधिक लेखा-परीक्षक के प्रतिनिधि और कंपनी के किसी अन्य ऐसे अधिकारियों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए समिति आमंत्रित कर सकती है। बशर्ते कि कभी-कभी लेखा-परीक्षा-समिति कंपनी के किसी भी अधिकारी की उपस्थिति के बिना बैठक कर सकती है।

(ख) बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणों की समीक्षा और लेखा-परीक्षकों के मंतव्यों सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखा-परीक्षा के दायरे के बारे में लेखा-परीक्षकों की टिप्पणियों के लिए समिति बुला सकती है तथा कंपनी के आंतरिक व सांविधिक लेखा-परीक्षकों और प्रबंधन के साथ किसी भी संबंधित मुद्दे पर चर्चा भी कर सकती है।

(ग) लेखा-परीक्षक रिपोर्ट पर विचार करते समय कंपनी के लेखा-परीक्षकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में सुनने का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट में लेखा-परीक्षा समिति की संरचना का प्रकटीकरण किया जाएगा और जहां बोर्ड ने लेखा-परीक्षा समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, तो उसे उक्त रिपोर्ट में इसके कारणों का खुलासा किया जाएगा।

जब तक अन्यथा परिभाषित न किया जाए, उपर्युक्त लेखा-परीक्षक की परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, इसमें सांविधिक लेखा-परीक्षक, लागत लेखा-परीक्षक और आंतरिक लेखा-परीक्षक शामिल होंगे।

टिप्पणी: एक सरकारी कंपनी होने के नाते, वैधानिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक ("सीएजी") द्वारा की जाती है।

❖ लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या

सांविधिक आवश्यकता के अनुसार, लेखा-परीक्षा समिति को एक वर्ष में कम से कम 4 (चार) बार मिलना आवश्यक है और उस वर्ष में दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

वित्त वर्ष 25 के दौरान, 12 (बारह) लेखा-परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गई थीं, अर्थात 19.04.2024, 24.05.2024, 25.06.2024, 12.07.2024, 29.08.2024, 05.10.2024, 10.10.2024, 27.12.2024, 09.01.2025, 23.01.2025, 01.02.2025, 25.03.2025 को।

व्याख्यात्मक विवरण सहित विस्तृत कार्यसूची पहले ही समिति के सदस्यों को भेज दी यी थी।

वित्त वर्ष 25 के दौरान आयोजित लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं.	सदस्य का नाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या	
			आयोजित	उपस्थित रहे
1.	श्रीमती रोहिणी रावत	अध्यक्ष/सदस्य	12	11
2.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	अध्यक्ष (20.01.2025 तक)	09	09
3.	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य	12	12
4.	श्री राम निहाल निषाद	सदस्य	12	12

टिप्पणी: श्रीमती रोहिणी रावत 20 मार्च, 2023 से समिति की सदस्या हैं। उन्हें 21 जनवरी, 2025 से समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

जानकारी के लिए लेखा-परीक्षा समिति के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।

3.2. निदेशकों की ऋण समिति

कंपनी संस्था के अंतर्नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल के पास प्रतिनिधिमंडल संरचना और कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विधिवत गठित निदेशकों की ऋण समिति (एलसीओडी) है। 31 मार्च, 2025 तक, निदेशकों की ऋण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. बिजय कुमार महान्ती निदेशक (वित्त) व सीएफओ	सदस्य
3.	श्री पदम लाल नेगी निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य
4.	श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

❖ **निदेशकों की ऋण समिति की संदर्भ शर्तें :**

1) प्रतिनिधि मंडल के अनुसार परियोजनाओं के लिए ऋण की मंजूरी पर विचार करना। (वर्तमान में ₹20 करोड़ से अधिक और ₹125 करोड़ तक व्यक्तिगत ऋण/परियोजना के लिए, जिसमें ऋण की अतिरिक्त/वृद्धि शामिल है)।
2) प्रतिनिधि मंडल के अनुसार ऋण लेने वाली परियोजनाओं के लिए पुनर्निर्धारण प्रस्तावों और उससे संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करना। (वर्तमान में व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए ₹20 करोड़ से अधिक और ₹125 करोड़ तक)।
3) प्रतिनिधि मंडल के अनुसार ऋण लेने वाली परियोजनाओं के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) प्रस्तावों और उससे संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करना (वर्तमान में व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए ₹20 करोड़ से अधिक और ₹125 करोड़ तक)।
4) एलसीओडी के दायरे में आने वाली परियोजनाओं के संबंध में वित्त के साधनों, साइट, गारंटी, वैधता और ऋण के अन्य नियम व शर्तों में बदलाव पर विचार करना।

❖ **निदेशकों की ऋण समिति की बैठकों की संख्या**

वित्त वर्ष 25 के दौरान, निदेशकों की ऋण समिति की 3 (तीन) बैठकें अर्थात् 24.05.2024, 29.08.2024, 01.02.2025 को आयोजित की गई थीं।

व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्यसूची समिति को पहले ही भेज दी गई थी। वित्त वर्ष 25 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नलिखित अनुसार है:

क्र. सं.	सदस्य के नाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	उपस्थित रहे
1	श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष	3	3
2	डॉ. बिजय कुमार महान्ती	सदस्य	3	3
3	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य	3	2

क्र. सं.	सदस्य के नाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	उपस्थित रहे
4	श्री राम निहाल निषाद	सदस्य	1	1
5	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	सदस्य (20.01.2025 तक)	2	2

निदेशकों की ऋण समिति का कार्यवृत्त सूचनार्थ निदेशक मंडल के समक्ष रखे गए थे।

3.3 निदेशकों की नामांकन व पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियमों और कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार विधिवत गठित नामांकन व पारिश्रमिक समिति है। 31 मार्च, 2025 को, नामांकन व पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	श्री पदम लाल नेगी निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य

❖ **नामांकन व पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तें (टीओआर) :**

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संदर्भ शर्तें (टीओआर) में अंतिम संशोधन बोर्ड द्वारा 25.03.2025 को आयोजित अपनी 435वीं बैठक में किया गया था। समिति की संदर्भ शर्तें निम्नानुसार हैं:

1) निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना;

2) निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना;

3) स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति हेतु, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक के लिए आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति में उक्त विवरण में पहचानी गई क्षमताएँ होनी चाहिए। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति निम्नलिखित कार्य कर सकती है:

   क. यदि आवश्यक हो, तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करना।

   ख. विविधता को ध्यान में रखते हुए, विविध पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर विचार करना;

   और

   ग. उम्मीदवारों की समयबद्धता पर विचार करना ।

4) ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हों और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सके, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करना ।

5) स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि बढ़ाना या जारी रखा जाना।

6) वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, चाहे किसी भी रूप में, बोर्ड को अनुशंसित करना।

7) यह सुनिश्चित करना कि नए निदेशकों को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए कंपनी के पास कार्यक्रम मौजूद हों;

8) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशकों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति/मानदंड सुनिश्चित करना।

9) सेबी सूचीकरण विनियमों, डीपीई दिशा-निर्देशों, आरबीआई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित किसी भी अन्य कार्य को समय-समय पर संशोधित करने हेतु निष्पादित करना;

10) निदेशक मंडल/समितियों द्वारा निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु मानदंड तैयार करना।

11) निर्धारित सीमा के भीतर और भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के बीच वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल/कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन और इसके वितरण हेतु नीति का निर्धारण करना।

टिप्पणी: एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की पहचान, नियुक्ति, पारिश्रमिक, कौशल/योग्यता और मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

❖ **नामांकन व पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की बैठकों की संख्या:**

वित्तीय वर्ष 25 के दौरान, एनआरसी की 2 (दो) बैठकें अर्थात् 12.07.2024 और 29.08.2024 को आयोजित की गई थीं। विस्तृत कार्यसूची और व्याख्यात्मक विवरण समिति के सदस्यों को पहले ही भेज दिए गए थे।

वित्त वर्ष 25 के दौरान आयोजित एनआरसी की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य के नाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	उपस्थित रहे
1	श्री राम निहाल निषाद	अध्यक्ष/सदस्य	2	2
2	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	अध्यक्ष (27.03.2025 तक)	2	2
3	श्रीमती रोहिणी रावत	सदस्य	2	2
4	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी : श्री राम निहाल निषाद, स्वतंत्र निदेशक (जो समिति के सदस्य थे) को 28.03.2025 से समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

सूचनार्थ एनआरसी के कार्यवृत्त निदेशक मंडल के समक्ष रखे गए थे।

❖ **निदेशकों हेतु कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड**

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों को अपने स्वयं के तथा अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य-निष्पादन का बोर्ड द्वारा औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन कराने की आवश्यकता से छूट दे दी है, बशर्ते निदेशकों का मूल्यांकन केन्द्र सरकार के उस मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी होता है, तथा इसकी अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से यह भी निर्धारित किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा और मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय/सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुसार, बोर्ड और स्वतंत्र निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। उक्त मानदंड में कुछ प्राचल जैसे कि उपस्थिति, व्यवसाय से परिचय, बोर्ड के सदस्यों के बीच आपसी संवाद, प्रभावी भागीदारी, आचार संहिता का अनुपालन, प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी अलग बैठक में गैर-स्वतंत्र निदेशकों और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य-निष्पादन का भी मूल्यांकन किया है।

3.4 निदेशकों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

31 मार्च, 2025 तक, निदेशकों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. बिजय कुमार महान्ती निदेशक (वित्त) व सीएफओ	सदस्य
3.	श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

❖ **निदेशकों की सीएसआर समिति की संदर्भ शर्तें:**

1. कंपनी के सीएसआर और संधारणीयता कार्य-सूची को वांछित दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए निदेशक मंडल की सहायता करना;
2. परियोजनाओं के चयन, योजना, निष्पादन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करना;
3. नीतिगत ढांचे और दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं का चयन;
4. लक्ष्यों के साथ प्रत्येक परियोजना हेतु वार्षिक बजटीय आवश्यकता प्रस्तुत करना;
5. परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के लिए रणनीतियों का निर्माण।

❖ **सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या**

वित्त वर्ष 25 के दौरान, सीएसआर समिति की 8 (आठ) बैठकें आयोजित की गई थीं अर्थात 19.04.2024, 10.06.2024, 12.07.2024, 18.10.2024, 27.12.2024, 01.02.2025, 17.03.2025 और 25.03.2025.को। व्याख्यात्मक वक्तव्य सहित विस्तृत कार्य-सूची पहले ही समिति के सदस्यों को परिचारित किया जा चुका था।

वित्त वर्ष 25 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य के नाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या	
			आयोजित	उपस्थित रहे
1.	श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष	8	8
2	डॉ. बिजय कुमार महान्ती	सदस्य	8	8
3.	श्री राम निहाल निषाद	सदस्य (23.01.2025 से प्रभावी)	3	3
4.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	सदस्य	8	8
5.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	सदस्य (20.01.2025 तक)	5	5

निदेशकों की सीएसआर समिति का कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ रखे गए थे।

3.5 निदेशकों की हितधारक संबंध समिति

कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 20 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार विधिवत गठित हितधारक संबंध समिति है। 31 मार्च, 2025 को, निदेशकों की हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

क्र. सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
3.	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	डॉ. बिजय कुमार महान्ती निदेशक (वित्त) व सीएफओ	सदस्य

❖ **निदेशकों की हितधारक संबंध समिति की संदर्भ शर्तें:**

1) शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण के लिए अपनाये गए तंत्र की समीक्षा करना।

2) सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना, घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नये/अनुलिपि प्रमाण-पत्र जारी करना, आम बैठक आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

3) शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

4) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाये गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

5) कंपनी के शेयरधारकों द्वारा दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/वैधानिक सूचना की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

6) निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार और/या समय-समय पर संशोधित कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित सेबी एलओडीआर विनियमों के साथ-साथ किसी भी अन्य लागू वैधानिक नियमों और विनियमों के तहत अपेक्षित अन्य मामलों की समीक्षा करना और उन्हें कार्यान्वित करना।

❖ **हितधारक संबंध समिति की बैठकों की संख्या**

वित्त वर्ष 25 के दौरान, हितधारक संबंध समिति की 2 (दो) बैठकें आयोजित की गई थीं, अर्थात 24.05.2024 व 18.10.2024 को। वित्त वर्ष 25 के दौरान आयोजित हितधारक संबंध समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य के नाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या	
			आयोजित	उपस्थित रहे
1.	डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री राम निहाल निषाद	सदस्य	2	2
3.	श्रीमती रोहिणी रावत	सदस्य	2	2
4.	डॉ. बिजय कुमार महान्ती	सदस्य	2	2

निदेशकों की हितधारक संबंध समिति के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ रखे गए थे।

कंपनी सचिव श्रीमती एकता मदान समिति की सचिव के रूप में कार्य करती हैं। वे सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुसार कंपनी की अनुपालन अधिकारी भी हैं।

❖ **निवेशकों की शिकायत स्थिति**

कंपनी निवेशकों की सभी शिकायतों का निपटारा कानून के तहत निर्धारित समय के भीतर तेजी से और तत्परता के साथ कर रही है। निवेशकों की शिकायतों का कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के समन्वय से तुरंत निवारण किया गया है। वित्त वर्ष 25 के लिए इक्विटी धारकों और डिबेंचर धारकों आदि से प्राप्त शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है:

विवरण	डिबेंचरधारक	इक्विटी शेयरधारक
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में (1 अप्रैल, 2024)	0	4
वित्तीय वर्ष 25 के दौरान प्राप्त	2	19
वित्तीय वर्ष 25 के दौरान निपटाए गए	2	23
31 मार्च, 2025 तक अनसुलझे/लंबित रह गए	शून्य	शून्य

3.6 आईटी रणनीति समिति

कंपनी के पास 8 जून, 2017 को एनबीएफसी क्षेत्र के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश-सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे की आवश्यकता के अनुसार एक विधिवत गठित आईटी रणनीति समिति है। 31 मार्च, 2025 तक, आईटी रणनीति समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम व पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	डॉ. बिजय कुमार महान्ती निदेशक (वित्त) व सीएफओ	सदस्य

मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) आईटी रणनीति समिति की बैठक के संयोजक होते हैं और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) आईटी रणनीति समिति की बैठक का स्थायी आमंत्रित सदस्य होता है।

❖ **आईटी रणनीति समिति की संदर्भ शर्तें:**

1. सुनिश्चित करना कि आरई ने एक प्रभावी आईटी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है
2. आईटी रणनीति तैयार करने में मार्ग-दर्शन प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि आईटी रणनीति, अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आरई की समग्र रणनीति के अनुरूप हो।
3. यह सुनिश्चित करना कि आईटी अभिशासन और सूचना सुरक्षा अभिशासन संरचना जवाबदेही को बढ़ावा देती है, प्रभावी और कुशल है, इसमें पर्याप्त कुशल संसाधन, सुपरिभाषित उद्देश्य और संगठन के प्रत्येक स्तर हेतु स्पष्ट ज़िम्मेदारियाँ हैं।
4. यह सुनिश्चित करना कि आरई ने आईटी और साइबर सुरक्षा जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित की है।
5. यह सुनिश्चित करना कि आईटी कार्य (आईटी सुरक्षा सहित), साइबर सुरक्षा के लिए बजटीय आवंटन आरई की आईटी परिपक्वता, डिजिटल गहराई, खतरे के वातावरण और उद्योग मानकों के अनुरूप हों और उनका उपयोग घोषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाए; और
6. आरई की व्यावसायिक निरंतरता योजना और आपदा उद्धार प्रबंधन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की कम से कम वार्षिक आधार पर समीक्षा करना।

❖ **आईटी रणनीति समिति की बैठकों की संख्या**

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, आईटी रणनीति समिति की 4 (चार) बैठकें आयोजित की गई थीं अर्थात 25.06.2024, 27.09.2024, 26.12.2024 और 25.03.2025 को । वित्त वर्ष 2025 के दौरान आयोजित आईटी रणनीति समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	उपस्थित रहे
1.	श्रीमती रोहिणी रावत	अध्यक्ष (23.01.2025 से प्रभावी)	1	1
2.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	अध्यक्ष (20.01.2025 तक)	3	3
3.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	सदस्य	4	4
4.	डॉ. बिजय कुमार महान्ती	सदस्य	4	4

आईटी रणनीति समिति के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ रखे गए थे।

3.7 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के पास भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 21 की आवश्यकता के अनुसार विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति है। 31 मार्च, 2025 तक निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्री पदम लाल नेगी निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य
5.	डॉ. बिजय कुमार महान्ती निदेशक (वित्त) व सीएफओ	सदस्य

❖ **निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति की संदर्भ शर्तें (टीओआर):**

जोखिम प्रबंधन समिति के टीओआर निम्नानुसार हैं:-

क) एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- कंपनी द्वारा विशेष रूप से सम्मुखित आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए रूपरेखा, विशेष रूप से वित्तीय, प्रचालन, क्षेत्रीय, संधारणीयता (विशेष रूप से, पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य जोखिम;
- पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण हेतु प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम शमन के उपाय; और
- व्यवसाय निरंतरता योजना।

ख) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त कार्य-प्रणाली, प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ मौजूद हैं।

ग) जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन का प्रबोधन और देखरेख करना, जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना शामिल है।

घ) जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा करना, दो साल में कम से कम एक बार, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है।

ङ) बोर्ड को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और विषय-वस्तु के बारे में सूचित रखना।

च) मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।

छ) कंपनी द्वारा सम्मुखित विभिन्न जोखिमों का पता लगाने के लिए उद्यम-व्यापी एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए नीतियों और रणनीतियों का अनुमोदन।

ज) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी जिसे परिसंपत्ति देनदारी प्रबंधन समिति - एएलसीओ के रूप में भी जाना जाता है), प्रचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और सूचना सुरक्षा समिति (आईएससी) के कार्यों की देखरेख करना।

झ) ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और प्रचालनगत जोखिम के मापन, प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए नीतियां और दिशा-निर्देश निर्धारित करना।

ञ) सभी तीनों जोखिमों के संबंध में जोखिम शमन और हानि रोध प्राचल निर्धारित करना।

ट) जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के लिए प्रबंधन प्रक्रियाओं (लोगों, प्रणालियों, प्रचालन, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) को सुनिश्चित करना।

ठ) कंपनी द्वारा सम्मुखित विभिन्न जोखिमों का आकलन करने के लिए वित्तीय/रेटिंग निर्धारण प्रतिमान और उनकी मूल्यांकन प्रणालियों की मजबूती और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।

ड) नियामक आवश्यकताओं से कहीं अधिक पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के लिए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा और अनुमोदन करना।

ढ) आंतरिक/बाहरी रेटिंग निर्धारण, उधारकर्ता श्रेणी/समूहों आदि के आधार पर साख निर्धारण प्रक्रिया की स्वीकृति/समीक्षा, विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए जोखिम सीमा का निर्धारण आदि।

ण) कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग में योग्य और सक्षम अधिकारियों और जोखिम प्रबंधकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

त) जोखिम प्रबंधन हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकी/उपयुक्त और पर्याप्त एमआईएस प्रणाली को अपनाने का निर्णय/अनुमोदन।

थ) पूरे संगठन में जोखिम प्रबंधन की संस्कृति और जागरूकता को पुनर्प्रवर्तित करना, जिससे प्रभावी जोखिम प्रबंधन और सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण के पालन को उच्च प्राथमिकता दिया जा सकेगा।

द) नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को संतुष्ट करने के लिए आंतरिक लेखा-परीक्षा का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करना।

ध) बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहनशीलता सीमाओं के संबंध में इरेडा के प्रदर्शन की निगरानी करना।

न) संभावित जोखिमों का शीघ्र पता लगाना और प्रबोधन करना - आरएमसी उभरते जोखिमों की पहचान करता है और संगठन पर प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए उनकी निरंतर निगरानी करता है।

प) प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम मुद्दों पर प्रतिक्रिया देना - आरएमसी संगठन की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुँचाने वाले प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों का समाधान करने और उन्हें कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाता है।

फ) संगठनात्मक संसाधनों की पर्याप्तता का प्रबंधन करना - आरएमसी यह सुनिश्चित करता है कि संगठन के पास जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और परिचालन संसाधन दोनों उपलब्ध हों।

ब) जोखिम ढाँचे का प्रबंधन - आरएमसी संगठन के जोखिम प्रबंधन ढाँचे को विकसित करने, लागू करने और उसकी देखरेख करने के लिए ज़िम्मेदार है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप है।

भ) वरिष्ठ प्रबंधन के कार्य-प्रदर्शन और क्षमता प्रबंधन का पर्यवेक्षण- आरएमसी प्रदर्शन की निगरानी करता है और जोखिम प्रबंधन रणनीति को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में वरिष्ठ प्रबंधन की क्षमता सुनिश्चित करता है।

❖ **जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की संख्या**

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की 5 (पाँच) बैठकें आयोजित की गई थीं अर्थात 25.06.2024, 20.09.2024, 25.10.2024, 27.12.2024 और 25.03.2025 को। वित्त वर्ष 2025 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	समिति के सदस्य	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	उपस्थित रहे
1.	श्री राम निहाल निषाद	अध्यक्ष	5	5
2.	श्री जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	सदस्य	5	5
3.	श्रीमती रोहिणी रावत	सदस्य	5	5
4.	श्री अजय यादव	सदस्य (19.04.2024 से 12.12.2024 तक)	3	-
5.	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य (19.04.2024 से प्रभावी)	5	5
6.	डॉ. बिजय कुमार महान्ती	सदस्य (25.03.2025 से प्रभावी)	लागू नहीं	लागू नहीं

निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ रखे गए थे। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) जोखिम प्रबंधन समिति के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं।

3.8 एनपीए व दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति

कंपनी के पास कंपनी की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों व एनपीए की स्थिति की समीक्षा करने के लिए विधिवत गठित एनपीए व दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति है। 31 मार्च, 2025 तक एनपीए व निदेशकों की दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	डॉ. बिजय कुमार महान्ती निदेशक (वित्त) व सीएफओ	सदस्य

❖ **एनपीए व दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति की संदर्भ शर्तें**

एनपीए व दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति का मुख्य कार्य/जिम्मेदारी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ दबावग्रस्त परिसंपत्तियों और एनपीए की स्थिति की समीक्षा करना है।

❖ **एनपीए व दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति की बैठकों की संख्या**

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, एनपीए व दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति की 4 (चार) बैठकें 10.06.2024, 20.09.2024, 27.12.2024 और 17.03.2025 को आयोजित की गई थीं। वित्त वर्ष 2025 के दौरान आयोजित एनपीए व दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	समिति के सदस्य (कार्यकाल के अनुसार)	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	उपस्थित रहे
1.	श्रीमती रोहिणी रावत	अध्यक्ष	4	4
2	श्री राम निहाल निषाद	सदस्य	4	4
3.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (20.01.2025 तक)	3	3
4	डॉ. बिजय कुमार महान्ती	सदस्य	4	4

एनपीए व निदेशकों की दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ रखे गए थे।

3.9 गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों हेतु समीक्षा समिति

आरबीआई परिपत्र के अनुसार कंपनी के पास गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के लिए एक समीक्षा समिति है। 31 मार्च, 2025 तक, निदेशकों की गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों हेतु समीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

❖ **गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों हेतु समीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें**

गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों हेतु समीक्षा समिति का मुख्य कार्य/जिम्मेदारी है जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला या गैर-सहकारी उधारकर्ता के रूप में उधारकर्ता की समीक्षा करना और घोषित करना।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों हेतु कोई समीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

4. वरिष्ठ प्रबंधन

31 मार्च, 2025 तक कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य निम्नानुसार हैं :

- श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, महाप्रबंधक (वित्त तथा लेखा)
- श्री धीरज मेहता, महाप्रबंधक (वित्त तथा लेखा)

- श्री सुशांत कुमार डे, महाप्रबंधक (परियोजना)
- श्री भरत सिंह राजपूत, महाप्रबंधक (परियोजना)
- श्रीमती माला घोष चौधुरी, महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
- श्री ए चंद्रशेखर, अपर महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा-परीक्षा)
- श्री संजय कुमार, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी
- श्री एन. बालाजी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी
- श्री पीयूष कुमार, मुख्य अनुपालन अधिकारी
- श्री पल्लव कपूर, मुख्य जोखिम अधिकारी
- श्रीमती एकता मदान, कंपनी सचिव

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, डॉ. रमेश चंद्र शर्मा, महाप्रबंधक (वित्त तथा लेखा) को उनकी सेवा-निवृत्ति के कारण 31 जुलाई, 2024 से कंपनी की सेवा से मुक्त कर दिया गया है।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

सरकारी कंपनी होने के नाते, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित प्रकार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल व पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से तय किया जाता है। सरकारी नामित निदेशकों को कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है। डीपीई दिशा-निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर स्वतंत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क निर्धारित करने का अधिकार है।

वर्तमान में, बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को ₹40,000 और प्रत्येक समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ₹30,000 का बैठक शुल्क दिया जा रहा है।

वित्त वर्ष 25 के दौरान कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण और बोर्ड एवं इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण क्रम से तालिका क एवं तालिका ख में दिया गया है :-

तालिका क: वित्तीय वर्ष 25 के दौरान आयोजित बैठकों के लिए स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण

स्वतंत्र निदेशक का नाम	राशि (₹)
श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	13,80,000/-
डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर	15,50,000/-
श्री राम निहाल निषाद	17,60,000/-
श्रीमती रोहिणी रावत	16,00,000/-
कुल	**62,90,000/-**

टिप्पणी:-

- बैठक शुल्क के अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने और आधिकारिक परियोजना दौरों के लिए किए गए भोजन/आवास/वाहन व्यय का भी भुगतान/प्रतिपूर्ति की जाती है।
- ऊपर उल्लिखित को छोड़कर, गैर-कार्यपालक निदेशकों का वित्तीय वर्ष 25 के दौरान कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या लेन-देन नहीं है।
- स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/TC%20for%20appointment%20of%20ID.pdf पर उपलब्ध हैं।

तालिका ख : वित्त वर्ष 25 के दौरान प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

नाम व पदनाम	वेतन व भत्ते	कार्य-प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन	अन्य लाभ	नियोक्ता पीएफ अंशदान	राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)	कुल
श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	95.74	17.91	9.31	4.51	3.38	130.84
डॉ. बिजय कुमार महान्ती निदेशक (वित्त) व सीएफओ	52.74	6.63	0.01	3.51	3.51	66.42

टिप्पणी:-

- कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के दौरान कोई भी स्टॉक विकल्प नहीं दिया था।
- प्रकार्यात्मक निदेशकों/निदेशकों की सेवा-शर्तें, जिसमें सूचना अवधि और पृथक्करण शुल्क, यदि कोई हो, शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा जारी नियमों और शर्तों के अनुसार शासित हैं।
- कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का भुगतान डीपीई द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

6. आम सभा बैठकें

➢ **वार्षिक आम बैठक**

आयोजित पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तिथि, समय और स्थान का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	दिन और तिथि	समय	अवस्थान	क्या कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया
2021-22	बुधवार 10.08.2022	दोपहर 12:30 बजे	टैमारिंड हॉल, पहली मंज़िल, हैबिटेट वर्ल्ड, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	नहीं
2022-23	शुक्रवार 30.06.2023	दोपहर 12:30 बजे	जुनिपर हॉल, ग्राउंड फ्लोर और हैबिटेट वर्ल्ड, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।	हां*
2023-24	सोमवार 24.06.2024	अपराह्न 3.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के जरिए	नहीं

**30.06.2023 को आयोजित कंपनी की वार्षिक आम बैठक में निम्नलिखित 2 (दो) विशेष प्रस्ताव पारित किए गए :*

1. *श्री राम निहाल निषाद (डीआईएन:-10064841) की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।*
2. *श्रीमती रोहिणी रावत (डीआईएन:-10064820) की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।*

➢ **असाधारण आम बैठक**

वित्त वर्ष 25 के दौरान, कंपनी की 22वीं असाधारण आम बैठक सोमवार, 24 फरवरी, 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की गई थी और निम्नलिखित 2 (दो) विशेष प्रस्ताव पारित किए गए:

i) इक्विटी शेयरों के निर्गमन के माध्यम से पूंजी जुटाना;

ii) नवरत्न का दर्जा दिए जाने के परिणामस्वरूप कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन।

शेयरधारकों द्वारा डाले गए मतों की जाँच हेतु मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

❖ **डाक मतपत्र**

वित्त वर्ष 25 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया और वर्तमान में, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का भी प्रस्ताव नहीं है।

7 संचार साधन

क) वित्तीय परिणाम: कंपनी के तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होते हैं। वित्तीय वर्ष 2025 के वित्तीय परिणाम निम्नलिखित हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे :

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही	*30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक*	*31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही*	*31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष*
➢ नवभारत टाइम्स **(हिंदी)** ➢ दि इकोनॉमिक टाइम्स और बिज़नेस स्टैंडर्ड **(अंग्रेज़ी)**	➢ हिंदुस्तान और जनसत्ता **(हिंदी)** ➢ दि हिंदू, दि इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दि हिंदू बिज़नेस लाइन और मिंट **(अंग्रेज़ी)**	➢ हिंदुस्तान **(हिंदी)** ➢ दि हिंदू, दि इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दि हिंदू बिज़नेस लाइन, बिज़नेस स्टैंडर्ड और मिंट **(अंग्रेज़ी)**	➢ हिंदुस्तान **(हिंदी)** ➢ दि इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दि हिंदू बिज़नेस लाइन, बिज़नेस स्टैंडर्ड और मिंट **(अंग्रेज़ी)**

ख) **मीडिया रिलीस:** आधिकारिक मीडिया विज्ञप्तियाँ आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी जाती हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होती हैं।

ग) **वेबसाइट: कंपनी की वेबसाइट** www.ireda.in पर एक अलग समर्पित अनुभाग "निवेशक संबंध" है जहाँ शेयरधारकों की जानकारी उपलब्ध रहती हैं।

घ) **वार्षिक प्रतिवेदन:** वार्षिक प्रतिवेदन स्टॉक एक्सचेंज और शेयरधारकों, लेखा-परीक्षकों, डिबेंचर ट्रस्टी को भेजी जाती है। इसके अलावा, वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

ङ) **एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) / एनएसई डिजिटल पोर्टल:** एनईएपीएस/एनएसई डिजिटल पोर्टल कॉरपोरेटों के लिए एनएसई द्वारा डिज़ाइन किया गया एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है। सभी आवधिक और अन्य अनुपालन फाइलिंग एनईएपीएस/एनएसई डिजिटल पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाती हैं।

च) **बीएसई लिस्टिंग सेंटर (लिस्टिंग सेंटर):** बीएसई द्वारा कॉरपोरेटों के लिए डिज़ाइन किया गया एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है लिस्टिंग सेंटर। सभी आवधिक और अन्य अनुपालन फाइलिंग लिस्टिंग सेंटर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाती हैं।

छ) **सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स):** निवेशकों की शिकायतों का निपटान सेबी में एक केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। सभी शिकायतों का केंद्रीकृत डेटाबेस, संबंधित कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट का ऑनलाइन अपलोड और निवेशकों द्वारा शिकायत पर की गई कार्रवाई और उसकी वर्तमान स्थिति को ऑनलाइन देखना इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

ज) **निर्दिष्ट अनन्य ईमेल-आईडी:** शेयरधारकों के जिज्ञासाओं के समाधान के लिए, कंपनी ने एक विशिष्ट ईमेल आईडी अर्थात equityinvestor2023@ireda.in तैयार की है।

झ) **संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को प्रस्तुतियाँ:** निवेशकों/विश्लेषकों को प्रस्तुतियाँ सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 30 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज(जों) को प्रस्तुत की जाती हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाती हैं।

8 सामान्य शेयरधारक जानकारी

❖ वित्त वर्ष 25 के लिए वार्षिक आम बैठक

कंपनी के शेयरधारकों की आगामी 38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) निम्नलिखित तिथि, समय व स्थान पर आयोजित की जाएगी:

दिनांक	07 अगस्त, 2025
समय	सुबह 11:30 बजे (भा.मा.स.)
स्थान	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के जरिए

❖ वित्तीय वर्ष

कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

❖ लाभांश भुगतान तिथि

वित्त वर्ष 25 हेतु, निदेशक मंडल ने किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है। इसके अलावा, कंपनी को वित्त वर्ष 25 हेतु डीआईपीएएम से लाभांश भुगतान के लिए छूट प्राप्त है।

❖ लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 43क के अनुपालन में एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है। नीति https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Revised%20Dividend%20Distribution%20policy.pdf पर उपलब्ध है।

❖ प्रत्येक शेयर बाज़ार (रों) का नाम और पता जिस पर सूचीबद्ध इकाई की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं और ऐसे प्रत्येक शेयर बाज़ार (रों) को वार्षिक सूचीकरण शुल्क के भुगतान के बारे में पुष्टि

कंपनी के इक्विटी शेयर (आईएसआईएन : आईएनई202ई01016) और डिबेंचर (बॉण्ड्स) फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400001 स्थित बीएसई लिमिटेड (बीएसई) में और "एक्सचेंज प्लाजा", सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - 400 051 स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं।

इक्विटी का स्क्रिप कोड है:

NSE :- IREDA

BSE:- 544026

कंपनी द्वारा जारी विभिन्न प्रतिभूतियों के आईएसआईएन का विवरण इस रिपोर्ट की बिन्दु संख्या 11 में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2025 हेतु एनएसई और बीएसई को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया गया है। कंपनी के शेयरों का स्टॉक एक्सचेंजों में नियमित रूप से कारोबार होता है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इनका कारोबार निलंबित नहीं किया गया है।

❖ **निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट**

इक्विटी के लिए	
एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	पता: सी 101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुंबई 400083। दूरभाष : 022 - 4918 6000 ई-मेल: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com वेबसाइट: www.in.mpms.mufg.com निःशुल्क नंबर: 1800 1020 878 कंपनी निवेशक आईडी: equityinvestor2023@ireda.in
बॉण्ड्स/डिबेंचर के लिए	
एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	सी 101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुंबई - 400083। फ़ोन: 022 - 4918 6270 ई-मेल: bonds.helpdesk@linkintime.co.in; ajit.patankar@linkintime.co.in
केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	सेलेनियम टावर बी, प्लॉट संख्या- 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना - 500032, भारत +91 40 6716 2222, ई-मेल आईडी: umesh.pandey@kfintech.com
आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि.	बी-25/1, पहली मंज़िल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली - 110020 फ़ोन: 011-26387320; 011-35020465 मोबाइल: 8527695125 ई-मेल: investor.services@rcmcdelhi.com

❖ **निवेशक शिकायत निवारण**

प्रतिभूतिधारक निम्न पते पर कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं :
सुश्री एकता मदान
कंपनी सचिव
पता: पहली मंज़िल, कोर 4ए, ईस्ट कोर्ट, इंडियन हैबिटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
ई-मेल: ektamadan@ireda.in; or equityinvestor2023@ireda.in

❖ **शेयर अंतरण प्रणाली**

कंपनी के सभी इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का अंतरण निक्षेपागारों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कंपनी की कोई भागीदारी नहीं होती है।

शेयरधारिता पद्धति

क 31 मार्च, 2025 तक श्रेणीवार शेयरधारिता पद्धति

श्रेणी	शेयरों की संख्या	इक्विटी %
भारत के राष्ट्रपति	201,58,23,529	75.00%
निवासी व्यक्ति	57,62,28,866	21.44
म्यूचुअल फंड	61,90,267	0.23%
हिंदू अविभाजित परिवार	1,09,27,517	0.41%
वैकल्पिक निवेश कोष	5,102	0.00%
बैंक	3,06,000	0.01%
बीमा कंपनियाँ	72,60,061	0.27%
आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	78,156	0.00%
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी I	4,68,64,929	1.74%
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी II	79,333	0.00%

श्रेणी	शेयरों की संख्या	इक्विटी %
निदेशक और उनके रिश्तेदार (स्वतंत्र निदेशक और नामित निदेशक को छोड़कर)	30,360	0.00%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	7,820	0.00%
अप्रवासी भारतीय (एनआरआई)	1,15,49,127	0.43%
विदेशी नागरिक	95,00	0.00%
कॉरपोरेट निकाय	86,02,651	0.32%
ट्रस्ट	50,494	0.00%
बॉडी कॉर्प-लि. देयता भागीदारी	7,81,988	0.03%
क्लियरिंग सदस्य	21,95,278	0.08%
कर्मचारी	7,73,728	0.03%
कुल	**268,77,64,706**	**100.00%**

ख शेयरधारिता वितरण

31 मार्च 2025 तक धारिता के आकार और प्रतिशत के अनुसार शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है: -

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर का %
1-500	25,46,124	92.7113%	26,87,47,804	9.99%
501-1000	1,20,095	4.3730%	8,95,61,276	3.33%
1001- 2000	47,840	1.7420%	6,90,00,598	2.56%
2001-3000	13,555	0.4936%	3,40,66,753	1.26%
3001-4000	5,680	0.2068%	2,01,58,482	0.75%
4001-5000	4,015	0.1462%	1,86,91,595	0.69%
5001-10000	6,226	0.2267%	4,36,26,204	1.62%
10001व अधिक	2,758	0.1004%	2,14,39,11,994	79.76%

❖ **शेयरों का अमूर्तिकरण और चलनिधि**

कंपनी के इक्विटी शेयर अमूर्तिकृत संवर्ग में हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की प्रणालियों के तहत कारोबार के लिए उपलब्ध हैं। प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त शेयर पूँजी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का समाधान निर्धारित समय के भीतर शेयर बाज़ारों के पास जमा किया गया है।

निक्षेपागारों के पत्राचार का विवरण निम्नानुसार हैं:

निक्षेपागार का नाम व पता	दूरभाष/ई-मेल आईडी/वेबसाइट
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ट्रेड वर्ल्ड, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई-400013.	दूरभाष : +91-22-2499 4200 निःशुल्क नंबर: 1-800 222 990 ई-मेल आईडी: relations@nsdl.co.in, info@nsdl.co.in वेबसाइट: www.nsdl.co.in
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड मैराथन फ्यूचरएक्स, ए-विंग, 25वीं मंजिल, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013.	दूरभाष:+91-22-23058640/24/39/42/63 निःशुल्क नंबर: 1-800-225-533 ई-मेल आईडी: helpdesk@cdslindia.com , complaints@cdslindia.com वेबसाइट: www.cdslindia.com

❖ **बकाया वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (जीडीआर) और अमेरिकन निक्षेपागार रसीदें (एडीआर) वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव**

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर और एडीआर वारंट/परिवर्तनीय उपकरण जारी नहीं किया गया है।

❖ **पण्य कीमत जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव व्यवस्था गतिविधियाँ**

कंपनी पण्य में सौदा नहीं करती है, इसलिए प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कंपनी ने विदेशी

मुद्रा उधारों से जुड़े जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है। कंपनी फॉरवर्ड, विकल्प और स्वैप जैसे विभिन्न उपकरणों के माध्यम से विनिमय दर और ब्याज दर जोखिम को सुरक्षित करने बाबत बचाव लेन-देन में प्रवेश करती है।

❖ **संयंत्र अवस्थान**

कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) का दर्जा प्राप्त है। कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण के व्यवसाय में लगी हुई है।

कंपनी के पास अम्बालाथारा गाँव, होसदुर्ग तालुक, कासरगोड जिला, केरल - 671531 में 50 मेगावाट की एक सौर परियोजना भी है।

❖ **पत्राचार का पता**

पंजीकृत कार्यालय	पहली मंज़िल, कोर-4ए, ईस्ट कोर्ट, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	दूरभाष: 011-24682206-19 ई-मेल: cmd@ireda.in
कॉरपोरेट कार्यालय	तीसरी मंज़िल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066	दूरभाष: 011-26717400-12 ई-मेल: cmd@ireda.in
व्यवसाय केंद्र	एनबीसीसी कार्यालय परिसर, कार्यालय ब्लॉक नंबर II, प्लेट बी, 7वीं मंज़िल, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023	दूरभाष: 011-24347729-99 ई-मेल: cmd@ireda.in

❖ **इकाई द्वारा प्राप्त सभी साख श्रेणी निर्धारण की सूची, साथ ही ऐसी इकाई के सभी ऋण साधनों या किसी सावधि जमा कार्यक्रम या सूचीबद्ध इकाई की किसी योजना या प्रस्ताव के लिए प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान उसमें कोई परिशोधन, जिसमें भारत या विदेश में निधियों का संग्रहण शामिल है।**

वित्त वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी को एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स लिमिटेड से स्थिर दृष्टिकोण के साथ बीबीबी- (दीर्घकालिक) और ए-3 (अल्पकालिक) की अंतरराष्ट्रीय जारीकर्ता रेटिंग प्राप्त हुई है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी को जून 2024 में सीएआरई रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा उनके द्वारा रेटिंग प्राप्त सभी घरेलू उपकरणों की श्रेणियों के संबंध में एए+ (सकारात्मक) से एएए (स्थिर) में सम्मुनत किया गया है।

आईसीआरए लिमिटेड, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सीएआरई रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा रेटिंग अनुसार सभी घरेलू ऋण उपकरणों (स्थायी ऋण उपकरणों को छोड़कर) की साख श्रेणी निर्धारण एएए (स्थिर) दी गई है। पीडीआई को आईसीआरए लिमिटेड और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एए+ (स्थिर) रेटिंग दी गई है।

इसके अतिरिक्त, बैंकों/वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक ऋण और अल्पकालिक ऋण को आईसीआरए लिमिटेड, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड द्वारा क्रम से "एएए" स्थिर और "ए1+" रेटिंग दी गई है।

भारत सरकार के पूर्ण सेवा बॉण्ड्स को इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआरए लिमिटेड और सीएआरई रेटिंग्स लिमिटेड से "एएए" "स्थिर" रेटिंग दी गई है।

9 प्रकटीकरण

- कंपनी ने कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं किया है जिससे कंपनी के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो। भारतीय लेखा मानक 24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 38(09) में दिया गया है। संबंधित पक्ष लेन-देन की महत्ता और संबंधित पक्ष लेन-देन से निपटने संबंधी नीति, जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Policy%20on%20Related%20Party%20Transactions%2015_04_2025.pdf पर देखी जा सकती है।
- पिछले 3 वर्षों के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, या सेबी या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में कंपनी पर कोई जुर्माना या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हालाँकि, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 30.09.2022 के अपने आदेश के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के उल्लंघन के लिए महिला निदेशक की नियुक्ति न करने पर ₹2,62,000 का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में जुर्माना माफ करने की मांग करते हुए 14 अक्टूबर, 2022 को एक अपील क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), एमसीए के समक्ष दायर की गई है। मामले की सुनवाई जारी है। इसके अलावा, 9 मार्च, 2023 से कंपनी के बोर्ड में एक महिला निदेशक की नियुक्ति की गई है। तब से, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन कर रही है।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेदों के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसलिए, कंपनी को किसी निदेशक की नियुक्ति का अधिकार नहीं है।

- कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ के पठित उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 और कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार एक पर्दाफाश करने वाली नीति है। पर्दाफाश करने वाली नीति के तहत, शिकायत सक्षम प्राधिकारी को की जा सकती है। नीति के तहत कार्रवाई के संदर्भ में कंपनी के किसी भी कार्मिक को लेखा-परीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है। इरेडा की पर्दाफाश करने वाली नीति https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Policy%20on%20Vigil%20Mechanism1.pdf पर उपलब्ध है।

- कंपनी की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है। महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निर्धारण हेतु नीति कंपनी की वेबसाइट: https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/POLICY%20FOR%20DETERMINING%20MATERIAL%20SUBSIDIARIES%2020022025%20040325.pdf पर उपलब्ध है।

- वित्त वर्ष 2025 के दौरान, कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 32(7क) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थागत नियोजन के माध्यम से धन नहीं उगाहा है।

- कार्यरत कंपनी सचिव से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी, एमसीए या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। प्रमाण-पत्र **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न है।

- वित्त वर्ष 2025 के दौरान, ऐसा कोई भी मामला नहीं आया जहाँ निदेशक मंडल ने कंपनी की किसी भी बोर्ड-स्तरीय समिति द्वारा दी गई अनुशंसा को स्वीकार न किया हो।

- वित्त वर्ष 2025 के दौरान कंपनी द्वारा सांविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क का विवरण 'टिप्पणी 38 (39) - लेखा हेतु टिप्पणियां' में उप-शीर्षक 'सांविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान' के अंतर्गत दर्शाया गया है। इरेडा की सहायक कंपनी ने इरेडा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों (नेटवर्क फर्म की संस्थाओं सहित) से कोई सेवाएँ नहीं ली हैं और तदनुसार, इरेडा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों को कोई शुल्क नहीं दिया गया है।

- आपकी कंपनी किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त, सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी किसी भी घटना की सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई करती है। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। विवरण निम्नलिखित अनुसार हैं :

क्र. सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1	वित्तीय वर्ष 25 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शून्य
2	वित्तीय वर्ष 25 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
3	वित्तीय वर्ष 25 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

- कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को दी गई सेवा शर्तों के अंश के अलावा निदेशकों को कोई ऋण और अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 25 के दौरान, ऐसी फर्मों/कंपनियों को ऋण और ऋण के रूप में अग्रिम राशि दिए जाने का कोई मामला नहीं था जिनमें निदेशकों की रुचि थी।

- निदेशकों और अधिकारियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए, कंपनी ने निदेशकों, केएमपी, महाप्रबंधक और कंपनी के उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए निदेशक और अधिकारी देयता बीमा पॉलिसी प्राप्त की है।

- पिछले 3 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को कोई राष्ट्रपति निर्देश जारी नहीं किया गया।

- आरबीआई ने एनबीएफसी बाबत 01 अक्टूबर 2022 से प्रभावी स्केल आधारित ढांचा (एसबीआर) और उसके बाद मास्टर निर्देश के रूप में लागू किया है, अर्थात मास्टर निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 दिनांक 19 अक्टूबर 2023 और 27 फरवरी 2025 को अद्यतन किया गया, जिसमें एनबीएफसी को उनके आकार, गतिविधि और जोखिम धारणा के आधार पर चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। सरकारी स्वामित्व वाली होने के कारण, कंपनी को एनबीएफसी - मध्य स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह उपर्युक्त ढांचे और मास्टर निर्देश में उल्लिखित दिशानिर्देशों/विनियमों के अधीन है।

- उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सेबी एलओडीआर विनियमनों की अनुसूची III के भाग क के कंडिका क के खंड 5क के अंतर्गत संदर्भित पक्षों द्वारा कोई समझौता नहीं किया गया है।
- डीमैट उचंत खाते/अदावावित उचंत खाते के संबंध में प्रकटीकरण

विवरण	मामलों और शेयरों की संख्या
1 अप्रैल 2024 को उचंत खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया उचंत शेयर	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान उचंत खाते से उचंत शेयरों के हस्तांतरण के लिए कंपनी से पहल करने वाले शेयरधारकों की संख्या	
वित्तीय वर्ष के दौरान उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को अदावित शेयर हस्तांतरित किए गए थे, उनकी संख्या	
31 मार्च 2025 को उचंत खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया अदावावित शेयर	

- **विवेकाधीन आवश्यकताएँ:** पिछले पृष्ठों में यथा उल्लिखित के अनुसार अनिवार्य आवश्यकताओं के अलावा, सेबी (एलओडीआर) के विनियम 27(1) के तहत विवेकाधीन आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:

  1. बोर्ड: कंपनी का नेतृत्व एक कार्यपालक अध्यक्ष करता है।
  2. शेयरधारक अधिकार: कंपनी के वित्तीय परिणाम (तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक) वेबसाइट https://www.ireda.in पर अपलोड किए जाते हैं।
  3. लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में आशोधित राय: सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों और समेकित वित्तीय विवरणों पर अशोधित राय जारी की है।
  4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पृथक पद: अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कोई पृथक पद नहीं है। एक सरकारी कंपनी होने के कारण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भूमिका अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निभाई जाती है।
  5. आंतरिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्टिंग: आंतरिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तिमाही आधार पर लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

- कंपनी द्वारा प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, उनके रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया गया था जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता हो। गैर-कार्यपालक निदेशक का अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या लेन-देन नहीं था।
- कंपनी के प्रमुख ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या अन्य शेयरधारकों के साथ कोई व्यवस्था या समझौता नहीं है, सिवाय भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (कंपनी में 75% शेयर धारक) के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति के, जिनके अधीन किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में चुना या नियुक्त किया गया था।
- कंपनी ने डीपीई दिशा-निर्देशों और सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले सभी सुझाए गए मदों को अपनाया है और रिपोर्ट में अपेक्षित प्रकटीकरण किया है। डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देश, 2010 के अनुसरण में, तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर एमएनआरई को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं थीं। साथ ही, वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर) सम्मिलित रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर एमएनआरई को प्रस्तुत की गई थी।

  कंपनी ने निर्धारित समय के भीतर, वित्त वर्ष 25 की सभी तिमाहियों के लिए, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 27(2) (क) के अंतर्गत कॉरपोरेट अभिशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की है।
- तुलन पत्र, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और लाभ-हानि का विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रभाग III के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जो उन एनबीएफसी के लिए है जिन्हें भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का अनुपालन करना आवश्यक है। नकद प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक 7 - नकद प्रवाह का विवरण की आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।
- कंपनी ने ऐसा कोई व्यय नहीं किया है जो व्यवसाय उद्देश्य के लिए न हो।

- वित्तीय वर्ष 2025 हेतु कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 1.86% (पिछले वर्ष 2.33%) और वित्तीय वर्ष 2025 हेतु वित्तीय लागत के प्रतिशत के रूप में 2.09% (पिछले वर्ष 2.42%) है।
- सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(8) के अंतर्गत अपेक्षित, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और अनुलग्नक-ख के रूप में संलग्न किया गया।
- विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) तथा सेबी एलओडीआर विनियमों के अन्य लागू विनियमों में निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का अनुपालन, कंपनी के दायरे में अनुपालन की सीमा तक किया गया है। कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाण-पत्र निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।
- कंपनी ने कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।
- आपकी कंपनी की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर एक सुदृढ़ नीति है। यह नीति किसी भी धोखाधड़ी का पता लगाने, उसकी रोकथाम करने और उसकी रिपोर्टिंग करने का प्रावधान करती है। यह नीति न केवल धोखाधड़ी को नियंत्रित करती है, बल्कि इरेडा के साथ काम करने वाले कर्मचारियों और अन्य लोगों को स्पष्ट रूप से ज़िम्मेदारियाँ सौंपकर और उनका मार्ग-दर्शन करके, उन्हें किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि में शामिल होने से रोककर और किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि के संदेह की स्थिति में उचित कार्रवाई करके नैतिक व्यवहार को भी बढ़ावा देती है। यह धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए शासन संरचना और समय-सीमा को अनिवार्य बनाती है। इरेडा कंपनी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है।

9 सचिवीय लेखा-परीक्षा

वित्तीय वर्ष 25 हेतु सचिवीय लेखा-परीक्षा मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव (सहकर्मी समीक्षित कंपनी सचिव (एफआरएन: पी2016एचआर051300) द्वारा की गई है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कंपनी को प्रस्तुत की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

10 लेखा-परीक्षा योग्यता

वित्त वर्ष 25 से संबंधित कोई सांविधिक लेखा-परीक्षक योग्यता नहीं है।

11 डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण

कंपनी ने समय-समय पर डिबेंचर/बॉण्ड्स जारी किए हैं। डिबेंचर ट्रस्टियों की वर्तमान श्रृंखला का विवरण नीचे दिया गया है:

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	आईएसआईएन	सीरीज	प्रतिभूति का विवरण	स्टॉक एक्सचेंज जहां बॉण्ड्स सूचीबद्ध है	रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट
विस्ट्रा (आईटीसीएल) इंडिया लि., प्लॉट सं.-सी-22,जी ब्लॉक, बांद्रा, मुंबई- 400051	INE202E08011	I	जीओआई पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	केफ़िन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सी 101, 247 पार्क, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर- 31 और 32, वित्तीय जिला नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद, तेलंगाना - 500032, भारत +91 40 6716 2222, ई-मेल आईडी: umesh.pandey@kfintech.com
	INE202E08029	IA	जीओआई पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08037	IB	जीओआई पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07187	XIV-1A	इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स	बीएसई	
	INE202E07195	XIV-2A	इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स	बीएसई	
	INE202E07203	XIV-3A	इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स	बीएसई	
	INE202E07211	XIV-1B	इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स	बीएसई	
	INE202E07229	XIV-2B	इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स	बीएसई	
	INE202E07237	XIV-3B	इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स	बीएसई	
	INE202E07245	VIA	इरेडा कर योग्य ग्रीन बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07252	VIB	इरेडा कर योग्य ग्रीन बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07179	XIVC	इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स	एनएसई	एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) सी-101, एम्बेसी 247, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुंबई - 400 083 दूरभाष: 022 - 49186270, ई-मेल: bonds.helpdesk@linkintime.co.in; ajit.patankar@linkintime.co.in
	INE202E07260	VIIA	इरेडा कर योग्य ग्रीन बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07278	VIIB	इरेडा कर योग्य ग्रीन बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08045	VIII	इरेडा कर योग्य असुरक्षित अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07286	IX-A	इरेडा कर योग्य बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07294	IX-B	इरेडा कर योग्य बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08060	X	इरेडा कर योग्य असुरक्षित अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07062	IIIB	इरेडा कर योग्य बॉण्ड्स	एनएसई	
	INE202E07096	VB	इरेडा कर योग्य बॉण्ड्स	एनएसई	

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	आईएसआईएन	सीरीज	प्रतिभूति का विवरण	स्टॉक एक्सचेंज जहां बॉण्ड सूचीबद्ध है	रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट
एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, मिस्त्री भवन, चौथी मंजिल, 122 दिनशॉ वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई – 400 020	INE202E07120	XIII-2A	इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) सी-101, एम्बेसी 247, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुंबई - 400 083 दूरभाष: 022 - 49186270, ई-मेल: bonds.helpdesk@linkintime.co.in; ajit.patankar@linkintime.co.in
	INE202E07146	XIII-3A	इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E07138	XIII-2B	इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स	एनएसई व र बीएसई	
	INE202E07153	XIII-3B	इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स	एनएसई और बीएसई	
	INE202E07161	XIIIC	इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स	एनएसई	
	INE202E08078	XI-A	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08086	XII-A	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08094	XII-B	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08102	XII-C	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08110	XII-D	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
बेकन ट्रस्टी, 4 सीएंडडी सिद्धिविनायक चेम्बर्स, गांधी नगर,एमआईजी क्रिकेट क्लब के सामने, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051	INE202E08128	XV-A	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बी-25/1, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020 दूरभाष : 011-26387320; 011-35020465, मोबाइल: 8527695125 ई-मेल: investor.services@rcmcdelhi.com
	INE202E08136	XV-B	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08144	XV-C	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08151	XV-D	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व र बीएसई	
	INE202E08169	XV-E	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08177	XV-F	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08185	XV-G	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08193	XV-H	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व र बीएसई	
	INE202E08201	XVI-A	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व र बीएसई	
	INE202E08219	XVI-B	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08227	XVI-C	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08235	XVI-D	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व र बीएसई	
	INE202E08243	XVI-E	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08250	XVI-F	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08268	XVI-G	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08276	XVI-H	इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08284	PDI-I	इरेडा स्थायी कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स-कॉल के साथ	एनएसई व बीएसई	
	INE202E08292	SD-III	इरेडा कर योग्य अरक्षित अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड	एनएसई व बीएसई	

अनुलग्नक-क

निदेशकों की अ-निरर्हता प्रमाण पत्र

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा ग खंड (10) (i) के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
(सीआईएन : L65100DL1987GOI027265)
भारत पर्यावास केंद्र, पहली मंज़िल, ईस्ट कोर्ट,
कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

हमने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड **(सीआईएन:L65100DL1987GOI027265)** तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय भारत पर्यावास केंद्र, पहली मंज़िल, ईस्ट कोर्ट, कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) में है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 की अनुसूची V पैरा-ग उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक समझे गए सत्यापनों [पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित] और कंपनी और उसके निदेशक/अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण/अभ्यावेदनों के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे बताये गए के अनुसार कंपनी बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी अन्य ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	पदनाम	निदेशक की नियुक्ति तिथि	समाप्ति तिथि
1	श्री प्रदीप कुमार दास	07448576	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	06/05/2020	लागू नहीं
2	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट*	09483059	स्वतंत्र निदेशक	28/03/2025	लागू नहीं
3	श्री जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर**	09556253	स्वतंत्र निदेशक	28/03/2025	लागू नहीं
4	श्री पदम लाल नेगी	10041387	सरकारी नामित निदेशक	07/02/2023	लागू नहीं
5	श्री अजय यादव	10046617	सरकारी नामित निदेशक	14/02/2023	12.12.2024
6	श्रीमती रोहिणी रावत	10064820	स्वतंत्र निदेशक	09/03/2023	लागू नहीं
7	श्री राम निहाल निषाद	10064841	स्वतंत्र निदेशक	09/03/2023	लागू नहीं
8	श्री बिजय कुमार महान्ती	08816532	पूर्णकालिक निदेशक	12/10/2023	लागू नहीं

*श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट 21 जनवरी, 2022 के एमएनआरई आदेश के अनुसरण में अपना कार्यकाल पूरा होने के कारण 21 जनवरी, 2025 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में पद से हट गए। श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को 28 मार्च, 2025 के एमएनआरई आदेश के अनुसरण में एमएनआरई आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 28 मार्च, 2025 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।

** श्री जगनाथ चेन्नाकेशवा मूर्ति जोड़ीधर 28 मार्च, 2022 के एमएनआरई आदेश के अनुसरण में अपना कार्यकाल पूरा होने के कारण 28 मार्च, 2025 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में पद से हट गए। डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर को 28 मार्च, 2025 के एमएनआरई आदेश के अनुसरण में एमएनआरई आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी घटना पहले हो, 28 मार्च, 2025 से फिर से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाण-पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन देता है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव
(एफआरएन : P2016HR051300)

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक: 01/05/2025
यूडीआईएन: F004103G000247984
आईसीएसआई सहकर्मी समीक्षा पंजीकरण संख्या: 831/2020

हस्ताक्षर/-
(पी. सी. जैन)
प्रबंध भागीदार
एम नं. : एफसीएस 4103
सीपी नं. 3349

अनुलग्नक-ख

निदेशक मंडल

इरेडा लिमिटेड

अनुपालन प्रमाण-पत्र

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 17(8) के अनुसार]

निम्न अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है

अ. 31.03.2025 को समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की गई है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :

क. इन कथनों में कोई भी भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या कोई भी भौतिक तथ्य नहीं छोड़ा गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं।

ख. ये कथन एक साथ कंपनी के मामलों का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का पालन करते हैं।

ब. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, 31.03.2025 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है, जो धोखाधड़ी, अवैध या आचार संहिता का उल्लंघन करता है।

स. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाये रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखा-परीक्षकों तथा लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हो, का खुलासा किया है, जिनके बारे में हमें जानकारी है, और इन कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों का प्रकटीकरण किया है।

द. हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को संकेत दिया है :

क. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

ख. 31.03.2025 को समाप्त अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका प्रकटीकरण किया गया है; और

ग. महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है और उनमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

हस्ताक्षर /-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
निदेशक (वित्त) व सीएफओ

हस्ताक्षर /-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 15.04.2025

व्यावसायिक उत्तरदायित्व व स्थिरता रिपोर्ट

खंड क : सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1	सूचीबद्ध इकाई की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65100DL1987GOI027265
2	सूचीबद्ध इकाई का नाम	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
3	निगमन वर्ष	1987
4	पंजीकृत कार्यालय का पता	कोर 4ए, पहली मंज़िल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003
5	कॉरपोरेट पता	तीसरी मंजिल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नयी दिल्ली – 110066
6	ई-मेल	cmd@ireda.in
7	दूरभाष	011-26717400
8	वेबसाइट	www.ireda.in
9	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2024-25
10	शेयर बाज़ार(रों) का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	❖ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ❖ बीएसई लिमिटेड
11	चुकता पूंजी	₹ 26,87,76,47,060
12	बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी जिज्ञासा के मामले में संपर्क किए जा सकने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (दूरभाष, ई-मेल पता)	श्री सुशांत कुमार डे (कार्यपालक निदेशक परियोजना) 011-24347729 skdey@ireda.in
13	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण एकल आधार पर किए गए हैं (यानी सिर्फ़ इकाई हेतु) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ)	समेकित आधार
14	मूल्यांकन या आश्वासन प्रदाता का नाम	मैसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स
15	प्राप्त मूल्यांकन या आश्वासन का प्रकार	उचित आश्वासन

II. उत्पाद/सेवाएँ

16. व्यावसायिक क्रिया-कलाप का विवरण (कारोबार का 90% हिस्सा):

क्र. सं.	मुख्य क्रिया-कलाप का विवरण	व्यावसायिक क्रिया-कलाप का विवरण	इकाई के कारोबार का %
1.	वित्तीय और बीमा सेवा	अन्य वित्तीय क्रिया-कलाप	100

17. इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएँ (इकाई के कारोबार का 90% हेतु लेखांकन):

क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का % योगदान
1.	अन्य ऋण अनुदान	65999	100

III. प्रचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहाँ इकाई के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:

अवस्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	1	10	11
अंतरराष्ट्रीय	-	-	-

19. इकाई द्वारा सेवित बाज़ार:

क. अवस्थानों की संख्या

अवस्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	अखिल भारतीय (28 राज्य + 8 केंद्र शासित प्रदेश)
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	0

ख. इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर संक्षिप्त जानकारी

कंपनी का व्यवसाय नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को ऋण प्रदान करना है। इस प्रकार, हमारे ग्राहकों में निजी क्षेत्र की कंपनियाँ, फर्म, एलएलपी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू), राज्य उपयोगिताएँ जैसे डिस्कॉम, ट्रांसको, जेनको, राज्य निगम, संयुक्त क्षेत्र की कंपनियाँ आदि शामिल हैं। कंपनी पूरे भारत में बाज़ार की सेवा करती है और संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र मूल्य कड़ी के लिए दीर्घकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण और अल्पकालिक ऋण सहित वित्तीय उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करती है।

IV. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष के अंत तक विवरण:

क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांगों सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं.(ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
	कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ) (कार्यपालक)	150	104	69.33	46	30.67
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ङ)	-	-	-	-	-
3.	कुल कर्मचारी (घ + ङ)	150	104	69.33	46	30.67
	कामगार					
4.	स्थायी(च)	16	15	93.75	1	6.25
5.	स्थायी के अलावा अन्य (छ)	-	-	-	-	-
6.	कुल श्रमिक (च + छ)	16	15	93.75	1	6.25

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं.(ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
	दिव्यांग कर्मचारी (कार्यपालक)					
1.	स्थायी (घ)	4	4	100	0	0
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ङ)	-	-	-	-	-
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ + ङ)	4	4	100	0	0
	दिव्यांग कामगार					
4.	स्थायी (च)	1	1	100	0	0
5.	स्थायी के अलावा अन्य (छ)	-	-	-	-	-
6.	कुल दिव्यांग कामगार (च + छ)	1	1	100	0	0

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	7	1	14
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	3	1	33

टिप्पणी- निदेशक मंडल के दो पुरुष सदस्य [अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ] भी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए कारोबार दर (पिछले 3 वर्षों के रुझान का प्रकटीकरण करें)

	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	2.36%	0.59%	2.95%	1.18%	2.37%	3.55%	1.26%	-	1.26%
स्थायी कामगार	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियाँ (संयुक्त उद्यम सहित)

23. (क) धारक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	धारक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	क्या धारक/सहायक/ सहयोगी/संयुक्त उद्यम हैं, उल्लेख करें	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शायी गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हाँ/नहीं)
1.	इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हां

VI. सीएसआर विवरण

24. (i). क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: हाँ

(ii). कारोबार (₹ में): ₹ 6754,78,39,270.33

(iii). निवल संपत्ति (₹ में): ₹ 10266,16,22,986.01

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परेशानी:

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	https://www.ireda.in/citizen-charter	6	0	शून्य	13 (सभी सीपीजीआरएएम के माध्यम से)	शून्य	शून्य
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	https://www.ireda.in/investor-service-cell	2	0	शून्य	28	शून्य	शून्य
शेयरधारक	https://www.ireda.in/investor-service-cell	19	0	शून्य	2246	4	सभी शिकायतों (लंबित शिकायतों सहित) का समय पर उचित समाधान किया गया

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
कर्मचारी और कामगार	https://ireda.operations.dynamics.com/?cmp=irn&mi=HcmEmployeeSelfServiceWorkspace	0	0	शून्य	1	शून्य	शून्य
ग्राहक	https://www.ireda.in/citizen-charter	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मूल्य कड़ी भागीदार	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

26. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यवसाय आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर, उन्हें पहचानने का औचित्य, जोखिम को अनुकूलित या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करते हैं:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण मुद्दे प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
1.	जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन	अवसर	शुद्ध-शून्य उत्सर्जन और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ती नीति, नियामक और बाज़ार की पहल।	सौर, पवन, ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण का विस्तार।	सकारात्मक: वर्धित निवेश।
2.	जोखिम प्रबंधन	जोखिम	नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण से ऋण, परिचालन और जलवायु संबंधी जोखिम का खुलासा।	उन्नत ऋण मूल्यांकन, निगरानी प्रणालियाँ और जोखिम-समायोजित मूल्य निर्धारण।	सकारात्मक: गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी, बेहतर जोखिम-समायोजित प्रतिफल।
3.	ग्राहक संतुष्टि	अवसर	विश्वास, बार-बार व्यापार और हरित वित्त अपनाना ग्राहक अनुभव को प्रभावित करता है।	डिजिटल शिकायत निवारण, तेज़ संवितरण, बेहतर सेवा मॉडल।	सकारात्मक: बेहतर ग्राहक प्रतिधारण और अधिग्रहण; कम प्रतिष्ठात्मक जोखिम।
4.	डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा	जोखिम	साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों के बढ़ते खतरे।	आईटी सुरक्षा अवसंरचना में निवेश, नियमित लेखा-परीक्षा और डेटा कानूनों का अनुपालन।	सकारात्मक: वित्तीय/कानूनी दंड से बचाव।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण मुद्दे प्रतिचिह्नित	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
5.	कॉरपोरेट अभिशासन व नैतिकता	जोखिम	निवेशक और जनता का विश्वास मज़बूत नैतिक आधार पर निर्भर करता है।	सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण, नीति लेखा-परीक्षा, हितों के टकराव का प्रबंधन।	सकारात्मक: निवेशकों के आत्मविश्वास में वृद्धि और नियामक अनुपालन में सहजता।
6.	डिजिटलीकरण	अवसर	तकनीक को अपनाए बिना परिचालनगत अक्षमताएँ और सीमित पहुँच।	डिजिटल ऋण और निगरानी प्लेटफ़ॉर्म।	सकारात्मक: परिचालनगत लागत में बचत और प्रसंस्करण गति में सुधार।
7.	विनियामक व विधि अनुपालन	जोखिम	नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की नीतियों और वित्तीय नियमों में लगातार बदलाव।	सक्रिय नियामकीय सहभागिता, निरंतर आंतरिक नीति अद्यतन।	सकारात्मक: वित्तीय/ कानूनी दंड से बचाव।
8.	मानव पूंजी व मानव संसाधन प्रथाएं	अवसर	कुशल, विविध कार्यबल नवाचार और सेवा वितरण की कुंजी है।	प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेतृत्व विकास, समावेशी मानव संसाधन नीतियाँ।	सकारात्मक: उत्पादकता और प्रतिधारण में वृद्धि।
9.	सामुदायिक सहभागिता व कल्याण	अवसर	संचालन हेतु सामाजिक लाइसेंस और परियोजना की व्यवहार्यता स्थानीय साख से जुड़ी हुई है	सीएसआर निवेश, आजीविका विकास, सामुदायिक भागीदारी।	सकारात्मक: सामाजिक स्वीकृति और परियोजना निरंतरता में मज़बूती।

खंड ख : प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (एनजीआरबीसी)के नौ सिद्धांतों की वकालत करते हैं जिन्हें पी1- पी9 के रूप में संदर्भित है, जो नीचे दिए गए हैं:

सिद्धांत 1 :	सिद्धांत 2 :	सिद्धांत 3 :
व्यवसायों को ईमानदारी तथा नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से चलाना और स्वयं शासित होना चाहिए।	व्यवसायों को वस्तुओं व सेवाओं को इस तरह उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे टिकाऊ और सुरक्षित हों।	व्यवसायों को अपनी मूल्य कड़ी में शामिल लोगों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए तथा उसे बढ़ावा देना चाहिए।
सिद्धांत 4 :	**सिद्धांत 5 :**	**सिद्धांत 6 :**
व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए।	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा एवं पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए।
सिद्धांत 7 :	**सिद्धांत 8 :**	**सिद्धांत 9 :**
जब व्यवसाय सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हों तो उन्हें ऐसा जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।	व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए।	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

क्र. सं.	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ										
1.	क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को आवृत्त करती हैं। (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो									
	नीति का नाम	वेब लिंक								सिद्धांत
	व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता	https://www.ireda.in/code-of-business-conduct-ethics								1, 4
	सीएसआर नीति	https://www.ireda.in/csr-policy-of-ireda								8
	मानव अधिकार नीति	https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Human%20Rights%20Policy.pdf								5
	कॉरपोरेट अभिशासन पर आंतरिक दिशा-निर्देश	https://www.ireda.in/corporate-governance								1, 7
	सूचना सुरक्षा नीति	https://www.ireda.in/doc/information-security-policy-new.pdf								9
	रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार विरोधी (एबीएसी) नीति	https://www.ireda.in/corporate-governance								1
	सतर्कता तंत्र पर नीति/ पर्दाफाश करने वाली नीति	https://www.ireda.in/corporate-governance								5
	यूपीएसआई नीति	https://www.ireda.in/corporate-governance								9
	विविधता, समानता और समावेशन (डीई एंड आई) नीति	https://www.ireda.in/corporate-governance								5
	ईएसएमएस नीति	https://www.ireda.in/esms								3, 4, 6
	वित्तपोषण मानदंड और योजनाएँ	https://www.ireda.in/detailed-financing-norms								2
	इरेडा का नागरिक चार्टर	https://www.ireda.in/citizen-charter								8
2.	क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य कड़ी भागीदारों पर भी लागू होती हैं? (हां/नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

क्र. सं.	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
4.	राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोड/ प्रमाण-पत्र/लेबल/मानकों का नाम (जैसे कि, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे कि, एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) को आपकी इकाई द्वारा अपनाया गया और प्रत्येक सिद्धांत को मैप किया गया।		आईएसओ 9001: 2015				आईएसओ 45001: 2018			आईएसओ 27001: 2022 आईएसओ 9001: 2015
	नीति एवं प्रबंधन प्रक्रिया									
5.	इकाई द्वारा निर्धारित समय-सीमा के साथ, यदि कोई हो, विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना।	इरेडा वित्त वर्ष 2025-26 में कम से कम 50% स्थायी कर्मचारियों की शारीरिक स्वास्थ्य जांच कराएगा								
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति इकाई का कार्य-निष्पादन, साथ ही उन्हें पूरा न किए जाने की स्थिति में कारण भी।	वित्त वर्ष 2023-24 हेतु बीआरएसआर रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ, कंपनी ने विशिष्ट प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों की व्याख्या, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी एमओयू दिशा-निर्देशों के ढांचे के अंतर्गत, अपने प्रशासनिक मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ प्रतिवर्ष हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अधीन परिभाषित प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों के रूप में की है। ये समझौता ज्ञापन एमएनआरई के परामर्श से अंतिम रूप दिए गए प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों को रेखांकित करते हैं, जिनके आधार पर कंपनी के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, इन एमओयू मापदंडों के प्रति कंपनी के कार्य-निष्पादन को "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई है। इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एमओयू रेटिंग भी "उत्कृष्ट" थी, जो दर्शाता है कि कंपनी ने अपनी प्रमुख प्रतिबद्धताओं और कार्य-निष्पादन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कोई भी विचलन ऐसा नहीं था जिसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता हो।								
	अभिशासन, नेतृत्व और निरीक्षण									
7	**व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण प्रस्तुत करने के संबंध में लचीला रूख है)** देश में अक्षय ऊर्जा के विस्तार और परिवर्तन में उसे वहनीयता, मापनीयता और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में ले जाने में कंपनी अग्रणी बनने का प्रयास करती है। हम सतत विकास के लिए अक्षय स्रोतों, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण प्रौद्योगिकियों से ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर निवेश को वित्तपोषित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अग्रणी, सहभागी अनुकूल और प्रतिस्पर्धी संस्थान हैं। कंपनी नये और नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली और/या ऊर्जा उत्पन्न करने और ऊर्जा दक्षता के माध्यम से ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए विशिष्ट परियोजनाओं और योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कंपनी अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण परियोजनाओं में कुशल और प्रभावी वित्तपोषण प्रदान करने का प्रयास करती है। भारत की सबसे बड़ी एकल व्यवसाय हरित वित्तपोषक एनबीएफसी के रूप में, हमारी कंपनी ने हरित पारेषण, ऊर्जा भंडारण, ई-मोबिलिटी, ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट मीटरिंग, इथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन आदि जैसी नयी और उभरती हुई तकनीकों का समर्थन करने के लिए अपने प्रचालन के दायरे को बढ़ाया है। आरई क्षेत्र में एक प्रमुख और एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में, कंपनी ने पर्यावरण और समाज पर हमारे द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के किसी भी संभावित प्रभावों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली ("ईएसएमएस") को अपनाया है। कंपनी पात्र परियोजनाओं की पर्यावरण और सामाजिक जांच करती है और हमारी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के समानांतर परिकल्पित प्रभाव की गंभीरता के आधार पर परियोजनाओं को वर्गीकृत करती है। जांच की इस प्रक्रिया के दौरान, कंपनी पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने और उसे गहरा करने के लिए ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ साझेदारी में सक्रिय रूप से काम करती है। कंपनी अपने ईएसएमएस के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप होने का प्रयास करती है, क्योंकि स्थिरता हमारे परिचालन के मूल में है। आगे, कंपनी के पास 50 मेगावाट का सौर पीवी संयंत्र है जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 67060.22 मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा।									

क्र. सं.	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	इसके अतिरिक्त, ऋणों के लिए कंपनी की मूल्यांकन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि इसके उधारकर्ताओं द्वारा आवश्यक प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी प्राप्त की गई है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि वह सभी वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करती है और इस संबंध में उचित रिपोर्टिंग और फ़ाइलिंग बिना किसी चूक के समय पर की जाती है। कंपनी माल और सेवाओं की खरीद के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित खरीद नीति का पालन करती है। आपदा वसूली योजनाओं सहित आईटी अवसंरचना सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली अच्छी तरह से तैनात हैं। कंपनी की मानव संसाधन नीतियाँ समग्र कर्मचारी कल्याण और लाभ, कैरियर की प्रगति, पर्याप्त प्रशिक्षण, महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, प्रोत्साहन और अच्छी तरह से परिभाषित शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करती हैं, इस प्रकार उचित अभिशासन सुनिश्चित करती हैं। ये उपलब्धियाँ आपकी कंपनी के अपने संचालन में ईएसजी सिद्धांतों को एकीकृत करने और अधिक टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देने के प्रति समर्पण का उदाहरण हैं।									
	नीति एवं प्रबंधन प्रक्रियाएं									
8.	**व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।**	निदेशक मंडल								
9.	क्या इकाई के पास स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार निदेशक/बोर्ड की एक निर्दिष्ट समिति है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।	हाँ निदेशक (वित्त) संपर्क: 011-24347729 ई-मेल: df@ireda.in								
10.	**कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:**									

		कृपया बताएँ कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी।									अंतराल (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)								
	समीक्षा हेतु विषय	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	उपर्युक्त नीतियों के तहत कार्य-निष्पादन तथा अनुवर्ती कार्रवाई	बोर्ड की समिति									आवश्यकतानुसार, आवधिक आधार पर								
	सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन तथा किसी भी गैर-अनुपालनों का सुधार	बोर्ड की समिति									आवश्यकतानुसार, आवधिक आधार पर								

		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
11.	क्या संस्था ने अपनी नीतियों के क्रियान्वयन का किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन कराया है? (हां/नहीं)	नहीं								
12.	यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत एक नीति द्वारा आवृत नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं:									
	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	संस्था इन सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/नहीं)	लागू नहीं								
	संस्था अभी उस स्थिति में नहीं है जहाँ वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो (हाँ/नहीं)									
	संस्था के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या/मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)									
	इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हाँ/नहीं)									
	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

खंड ग : सिद्धांतवार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को मुख्य प्रक्रियाओं और निर्णयों सहित सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को एकीकृत करने में उनके कार्य-प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। अपेक्षित जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों का प्रकटीकरण हर उस संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है जिसे यह रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अधिकृत किया गया है, नेतृत्व संकेतकों का खुलासा उन संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति करने की आकांक्षा रखते हैं।

सिद्धांत 1: व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना परिचालन और संचालन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा आवृत्त प्रतिशत:

क्षेत्र	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम द्वारा आवृत्त संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का %
निदेशक मंडल (बीओडी)	1	सूचना एवं साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला	100
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)*	16	इरेडा केवाईसी नीति	100
		पाचन संबंधी स्वास्थ्य विकार	
		इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण	
		ई-ऑफिस लागू	
		खाद्य पदार्थ आपकी दवा के रूप में	
		सूचना और साइबर सुरक्षा	
		एबीबीएफएफ का परिचय	
		आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर कर्मयोगी प्रशिक्षण	
		फैटी लीवर सहित लिवर संबंधी बीमारियाँ	
निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के अलावा अन्य कर्मचारी (कार्यपालक)	47	"पवन-ऊर्जा: भारत के भविष्य को सशक्त बनाना"	86.67
		61वाँ राष्ट्रीय लागत एवं प्रबंधन लेखाकार सम्मेलन (एनसीएमएसी)	
		'आरओटीआई और अमूर्त संपत्ति के मूल्यांकन' पर उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम	
		"व्यास द्वारा आयुर्वेद पाठ्यक्रम"	
		बायोगैस वित्तपोषण	
		रणनीतिक और सामरिक स्तर पर निर्णय लेने के लिए व्यावसायिक विश्लेषण	
		"पवन-ऊर्जा: भारत के भविष्य को सशक्त बनाना" पर वैश्विक पवन दिवस समारोह	
		कार्बन प्रबंधन पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम: जीएचजी लेखांकन	
		सीकेवाईसीआरआर - सेंट्रल नो योर कस्टमर रिकॉर्ड रजिस्ट्री	
		एनबीएफसी के आश्वासन कार्य प्रमुखों के लिए सम्मेलन	
		"विकसित भारत-- भविष्य के रुझानों को आकार देकर नए भारत का विकास" पर सम्मेलन	

क्षेत्र	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम द्वारा आवृत्त संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का %
		बिना कोड वाले एआई/एमएल और बिज़नेस इंटेलिजेंस टूल्स का उपयोग करके डेटा-संचालित निर्णय लेना	
		प्रत्यक्ष कर	
		सीपीएसई अधिकारियों के नेतृत्व संचार कौशल में वृद्धि	
		सुशासन प्रथाएँ	
		एचओसीपी बैठक	
		"एचआरएमएस : कर्मचारी प्रबंधन और संबंधित मास्टर्स	
		आईसीजीएच-2024	
		बुनियादी ढाँचा वित्त	
		बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए आईटी जोखिम	
		"अंदर की शक्ति की खोज" पर नेतृत्व कार्यशाला	
		जीएसटी पर मास्टरक्लास	
		एनबीएफसी सीआईएसओ फोरम की बैठक	
		एन/डब्ल्यू बुनियादी ढाँचा योजना एवं प्रबंधन	
		"सतर्कता जाँच" में ऑफ़लाइन उन्नत प्रशिक्षण	
		"आरोप पत्र तैयार करने पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम"	
		निवारक सतर्कता और सुशासन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	
		"ऊर्जा डेटा और नीति प्रशिक्षण कार्यक्रम" पर कार्यक्रम और कार्यशाला	
		"जीईएम के जरिए जीएफआर और सार्वजनिक खरीद का अवलोकन" पर संगोष्ठी	
		"एनबीएफसी के लिए केवाईसी/एएमएल और अनुपालन पर विशेष सत्र"	
		टॉक शो - खर्राटों भरी रातें, नींद से भरे दिन	
		'एनबीएफसी के लिए सीआईएमएस परिचय' पर प्रशिक्षण	
		लिंग संवेदीकरण और पीओएसएच पर प्रशिक्षण	
		" जाँच अधिकारियों, प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों और प्रबंधन कार्मिकों के लिए अनुशासनात्मक जाँच, सिद्धांत और प्रथाओं" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	
		'परिसंपत्ति समाधान के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी)' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	

क्षेत्र	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम द्वारा आवृत्त संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का %
		"सार्वजनिक खरीद" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	
		टीएसए मॉड्यूल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	
		दो (2) दिवसीय 'इकोनॉमिक टाइम्स राष्ट्रीय पीएसयू आवासीय शिखर सम्मेलन 2024'	
		निवारक सतर्कता और पूछताछ प्रबंधन पर दो दिवसीय कार्यशाला	
		'कॉरपोरेट विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन' पर आभासी प्रशिक्षण	
		वेब एप्लिकेशन पैनेट्रेशन परीक्षण और वेब सुरक्षा	
		"सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017" पर वेबिनार	
		"विरासत और संस्कृति में सीपीएसई द्वारा सीएसआर हस्तक्षेप" पर कार्यशाला	
		"भारतीय पीएसई द्वारा जलवायु कार्रवाई को सुदृढ़ करने हेतु जलवायु सह-लाभ पद्धतियों की भूमिका" पर कार्यशाला	
		"एसएचई - सशक्त, स्वस्थ, प्रतिदिन" पर कार्यशाला	
		पर्यावरणीय विनियमन : व्यवसाय के लिए ईएसजी और स्थिरता को सुगम बनाना पर कार्यशाला	
		मध्य प्रबंधन स्तर के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर कार्यशाला	
कामगार	3	"सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017" पर वेबिनार	81.25
		आईसीजीएच-2024	
		एचआरएमएस: कर्मचारी प्रबंधन और संबंधित मास्टर्स	

*टिप्पणी- केएमपी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव शामिल हैं।

2. वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/सजा/ पुरस्कार/यौगिक शुल्क/निपटान राशि का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में [टिप्पणी: इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार महत्वपूर्णता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी]:

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (भारतीय रुपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हां/नहीं)
दंड/जुर्माना	शून्य				
निपटान					
यौगिक शुल्क					
गैर-मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	**नियामक/ प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थाओं का नाम**	**राशि (भारतीय रुपये में)**	**क्या किसी अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां/ नहीं)**	
कारावास	शून्य				
दंड					

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में बताये गए मामलों में, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम
लागू नहीं	

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ, इरेडा की एक भ्रष्टाचार-विरोधी और रिश्वत-विरोधी नीति है। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 जैसे कानूनों के अनुरूप है।

कंपनी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में सभी प्रकार की रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और धन शोधन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाती है। यह नीति सभी निदेशकों, कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं, विक्रेताओं, सलाहकारों, आपूर्तिकर्ताओं और तृतीय-पक्ष सहयोगियों पर लागू होती है। यह उपहार, आतिथ्य, सुविधा भुगतान, अनुचित भर्ती प्रथाओं, प्रायोजन और राजनीतिक या दानार्थ योगदान से संबंधित जोखिमों का निवारण करती है।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), नीति के पालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार नामित अनुपालन/ नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करता है। उल्लंघनों को रोकने के लिए नियमित लेखा-परीक्षा और निगरानी द्वारा समर्थित, मजबूत वित्तीय और परिचालन नियंत्रण मौजूद हैं। किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक, प्रशासनिक, नागरिक या आपराधिक कार्रवाई हो सकती है।

हितधारक कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से या सीधे नोडल अधिकारी को उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकते हैं। उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने एक पर्दाफाश करने वाली नीति भी अपनाई है। भ्रष्टाचार-विरोधी और रिश्वत-विरोधी नीति https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Anti%20Bribery%20and%20Anti%20Corruption%20(ABAC)%20Policy.pdf पर देखी जा सकती है।

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके खिलाफ रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
निदेशक	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक		
कर्मचारी		
कामगार		

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2023-24	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा लगाए गए जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

8. देय खातों के दिनों की संख्या [(देय खाते *365) / खरीदे गए माल/सेवाओं की लागत] निम्नलिखित प्रारूप में:

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
देय खातों के दिनों की संख्या	45	28

9. व्यवसाय खुलापन

निम्नलिखित प्रारूप में व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री की एकाग्रता का विवरण प्रदान करें, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम एवं निवेश भी:

प्राचल	मैट्रिक्स	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
खरीदारी का संकेन्द्रण	क. कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद	शून्य	शून्य
	ख. उन व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीद की गई	शून्य	शून्य
	ग. व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीद	शून्य	शून्य
विक्रय का संकेन्द्रण	क. कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरक को बिक्री	शून्य	शून्य
	ख. डीलरों/वितरक की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है	शून्य	शून्य
	ग. डीलरों/वितरक को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरक को बिक्री	शून्य	शून्य
इनमें आरपीटी का हिस्सा	क. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद)	3.09%	2.72%
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री)	शून्य	शून्य
	ग. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम/कुल ऋण और अग्रिम)	2.31%	0.93%
	घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/ किया गया कुल निवेश)	4.15%	शून्य

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य कड़ी भागीदारों हेतु आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल मूल्य कड़ी भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
शून्य		

2. क्या इकाई के पास बोर्ड के सदस्यों को शामिल करने वाले हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

हाँ, इरेडा ने बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव के प्रबंधन के लिए मज़बूत प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं। इरेडा की व्यावसायिक आचार संहिता एवं नैतिकता के अनुसार, सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप, निर्धारित प्रारूप में बोर्ड के समक्ष किसी भी संबंधित पक्ष के लेन-देन का प्रकटीकरण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उनमें से प्रत्येक को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर वार्षिक आधार पर व्यावसायिक आचार संहिता एवं नैतिकता के अनुपालन की पुष्टि करनी होगी। किसी भी उल्लंघन की बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाएगी, जो कंपनी के आंतरिक अभिशासन ढाँचे के अनुसार उचित कार्रवाई करेगा। ये तंत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि संभावित या वास्तविक हितों के टकराव का पारदर्शी रूप से प्रकटीकरण किया जाए और उचित रूप से प्रबंधित किया जाए, जिससे कि संगठन के भीतर नैतिक आचरण और सुशासन को सुदृढ़ किया जा सके।

व्यावसायिक आचार संहिता एवं नैतिकता यहाँ उपलब्ध है:
https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/CodeOfBusinessConductAndEthics.pdf

सिद्धांत 2: व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक

1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसन्धान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रम से इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसन्धान व विकास और पूंजीगत व्यय निवेश में।

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आरएंडडी	शून्य	शून्य	शून्य
कैपेक्स	शून्य	100%*	शून्य

*टिप्पणी: पूंजीगत व्यय इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए आवंटित किया जाता है।

2. क. क्या इकाई के पास संधारणीय सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)

नहीं। कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को देखते हुए, इस प्रश्न की प्रासंगिकता सीमित है। एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी का संसाधन उपयोग मुख्यतः कार्यालय संबंधी आवश्यकताओं, जैसे कि कार्यालय सामग्री, संचार उपकरण और आईटी उपकरणों तक ही सीमित है। ऐसी सभी खरीदारी सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से की जाती है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से खरीदारी पर ज़ोर दिया जाता है और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 'मेक इन इंडिया' उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है। वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी कंपनी के खरीद दिशा-निर्देशों में उल्लिखित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करती है।

ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गये?

लागू नहीं, क्योंकि खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से सोर्सिंग पर जोर दिया जाता है और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार 'मेक इन इंडिया' उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है।

3. अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए मौजूद प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक कचरा और (घ) अन्य अपशिष्ट।

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी सेवा उद्योग के दायरे में काम करती है और औद्योगिक या विनिर्माण स्थापना में नहीं है।

4. क्या इकाई की गतिविधियों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं।

नहीं, लागू नहीं है क्योंकि कंपनी सेवा क्षेत्र में काम करती है और औद्योगिक या विनिर्माण स्थापना में शामिल नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग हेतु) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग हेतु) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल कारोबार में योगदान का %	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/ मूल्यांकन संचालित किया गया था	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया था (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हां/ नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें।
लागू नहीं					

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी एक एनबीएफसी के रूप में कार्य करती है और किसी भी औद्योगिक या विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न नहीं है।

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई भी महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय शंकाएँ और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें।

उत्पाद/सेवा का नाम	जोखिम/शंका विवरण	की गई कार्रवाई
लागू नहीं		

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी एक एनबीएफसी के रूप में कार्य करती है और किसी भी औद्योगिक या विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न नहीं है।

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग हेतु) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग हेतु) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री इंगित करें	कुल सामग्री में पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
लागू नहीं		

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी एक एनबीएफसी के रूप में कार्य करती है और किसी भी औद्योगिक या विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न नहीं है। और कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत नगण्य है।

4. उत्पादों के अंत में पुनर्प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग सामग्री की मात्रा (मीट्रिक टन में), जिनका पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण तथा सुरक्षित निपटान किया गया है, निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत है:

लागू नहीं है, क्योंकि कंपनी सेवा क्षेत्र में काम करती है और किसी औद्योगिक या विनिर्माण स्थापना में शामिल नहीं है।

	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	पुनः व्यवहृत	पुनर्चक्रित	सुरक्षित रूप से निपटाया गया	पुनः व्यवहृत	पुनर्चक्रित	सुरक्षित रूप से निपटाया गया
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	लागू नहीं			लागू नहीं		
ई-कचरा						
खतरनाक						
कचरा						
अन्य कचरा						

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनर्प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

उत्पाद श्रेणी दर्शाएँ	संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के % के रूप में पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री
लागू नहीं	

लागू नहीं है, क्योंकि कंपनी सेवा क्षेत्र में काम करती है और किसी औद्योगिक या विनिर्माण स्थापना में शामिल नहीं है।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने मूल्य कड़ी में शामिल सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए तथा उसे बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों की भलाई हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	कुल (क)	शामिल कर्मचारियों का %									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	104	104	100	104	100	0	0	104	100	0	0
महिला	46	46	100	46	100	46	100	0	0	0	0
कुल	150	150	100	150	100	46	30.67	104	69.33	0	0
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ख. कामगारों की भलाई हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	कुल (क)	निम्नलिखित में शामिल कर्मचारियों का %									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (च/क)
निम्नलिखित में शामिल कामगारों का %											
पुरुष	15	15	100	15	100	0	0	15	100	0	0
महिला	1	1	100	1	100	1	100	0	0	0	0
कुल	16	16	100	16	100	1	6.25	15	93.75	0	0
स्थायी कामगारों के अलावा											
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ग. कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य सहित) की भलाई के उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में खर्च:

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण उपायों पर होने वाली लागत	0.06	0.08

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में आवृत्त कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में आवृत्त कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में आवृत्त कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में आवृत्त कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
भविष्य निधि	100	100	हाँ	100	100	हाँ
उपदान	100	100	हाँ	100	100	हाँ
ईएसआई	लागू नहीं			लागू नहीं		
एनपीएस	100	100	हाँ	100	100	हाँ
पीआरएमएस	100	100	नहीं	100	100	नहीं
परोपकारी निधि	100	100	हाँ	100	100	हाँ
अर्जित छुट्टी/एचपीएल	100	100	नहीं	100	100	नहीं

3. कार्यस्थलों की पहुँच-सुलभता

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाये जा रहे हैं।

हाँ, इरेडा कार्यालय परिसर दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ हैं, जिनमें लिफ्ट, रैंप और व्हीलचेयर सुलभ विश्रामालय हैं। इसके अलावा, कंपनी की कॉरपोरेट वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (डब्ल्यू3सी) वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स (डब्ल्यूसीएजी) 2.0, लेवल एए का अनुपालन करती है। इससे दृष्टिबाधित लोग स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों का उपयोग करके वेबसाइट तक पहुँच सकेंगे। वेबसाइट की जानकारी जेएडब्लूएस, एनवीडीए, एसएएफए, सुपरनोवा और विंडो-आईज़ सहित विभिन्न स्क्रीन रीडर के साथ सुलभ है।

इसके बारे में अधिक जानकारी https://www.ireda.in/screen-reader पर देखी जा सकती है।

4. क्या संस्था के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ। कंपनी के पास विविधता, समानता और समावेश (डीईआई) नीति है। कंपनी का लक्ष्य एक समावेशी कार्यस्थल बनाना है जहाँ सभी को सतत विकास के लिए समान अवसर मिले। नीति को यहाँ देखा जा सकता है

https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Diversity%20Equity%20%26%20Inclusion%20(DE%26I)%20Policy.pdf

5. माता-पिता बनने की छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगार की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर:

	स्थायी कर्मचारी (कार्यपालक)		स्थायी कर्मचारी (गैर- कार्यपालक)	
लिंग	**काम पर वापसी दर**	**प्रतिधारण दर**	**काम पर वापसी दर**	**प्रतिधारण दर**
पुरुष	100	100	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	100	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी महिला कर्मचारी के मातृत्व अवकाश से लौटने का कार्यक्रम नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**100**	**100**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों हेतु शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें:

	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)
स्थायी कर्मचारी	हाँ, एक विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है तथा प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है। यह कंपनी के इंट्रानेट पर उपलब्ध है। शिकायत निवारण समिति की बैठकें हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं और शिकायतों को सुपरिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से शीघ्रता से निवारण किया जाता है।
स्थायी कामगारों के अलावा	नहीं, लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	हाँ, एक विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है तथा प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है। यह कंपनी के इंट्रानेट पर उपलब्ध है। शिकायत निवारण समिति की बैठकें हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं और शिकायतों को सुपरिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से शीघ्रता से निवारण किया जाता है।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	नहीं, लागू नहीं

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संघ(घों) या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (क)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो संघ(घों) या यूनियन का हिस्सा हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (ग)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो संघ(घों) या यूनियन का हिस्सा हैं (घ)	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी (कार्यपालक)	150	0	0	157	0	0
पुरुष	104	0	0	112	0	0
महिला	46	0	0	45	0	0
कुल स्थायी कामगार (गैर-कार्यपालक)	16	0	0	16	0	0
पुरुष	15	0	0	15	0	0
महिला	1	0	0	1	0	0

8. कर्मचारियों और कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2024-25					वित्त वर्ष 2023-24				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)		सं. (ङ)	% (ङ/घ)	सं. (च)	% (च/घ)
कर्मचारी (कार्यपालक)										
पुरुष	104	21	20.19	80	76.92	112	37	33.03	74	66.07
महिला	46	11	23.91	26	56.52	45	14	31.11	34	75.55
कुल	150	32	21.33	106	70.66	157	51	32.48	108	68.78
कामगार										
पुरुष	15	0	0	0	0	15	5	33.33	0	0
महिला	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
कुल	16	0	0	0	0	16	5	31.25	0	0

9. कर्मचारियों और कामगारों के कार्य-निष्पादन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	कुल (क)	सं. (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	सं. (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
पुरुष	104	104	100	112	112	100
महिला	46	46	100	45	45	100
कुल	150	150	100	157	157	100
कामगार						
पुरुष	15	15	100	15	15	100
महिला	1	1	100	1	1	100
कुल	16	16	100	16	16	100

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का लाभ क्या है?

नहीं, कंपनी ने अपने आंतरिक संचालन के लिए एक औपचारिक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) लागू नहीं की है, क्योंकि इसके प्राथमिक कार्य कार्यालय-आधारित हैं और इसमें औद्योगिक या विनिर्माण गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं। हालाँकि, कंपनी के पास 50 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिसका संचालन

और अनुरक्षण पूरी तरह से एक तृतीय-पक्ष ठेकेदार को पूरी तरह से आउटसोर्स किया गया है। ठेकेदार लागू मानकों के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को लागू करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। संयंत्र का संचालन आईएसओ 45001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली - ओएचएसएएस) की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है, और कंपनी नियमित निरीक्षण और आवधिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करती है।

ख. इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन-सी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है?

कंपनी के मुख्य प्रचालन कार्यालय-आधारित हैं और व्यावसायिक खतरों के संदर्भ में इन्हें आमतौर पर कम जोखिम वाला माना जाता है। अपने आउटसोर्स किए गए सौर ऊर्जा संयंत्र संचालनों के लिए, तृतीय-पक्ष ठेकेदार कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और आईएसओ 45001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली - ओएचएसएएस) की आवश्यकताओं सहित उद्योग मानकों के अनुसार नियमित और गैर-नियमित जोखिम आकलन करने के लिए ज़िम्मेदार है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि ठेकेदार इन सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें।

ग. क्या आपके पास कामगारों के लिए कार्य-संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने की प्रक्रियाएँ हैं।(हाँ/नहीं)

हाँ, सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रबंधन करने वाले तृतीय-पक्ष ठेकेदार के माध्यम से ऐसी प्रक्रियाएँ लागू की जाती हैं। ठेकेदार मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करता है, जिसमें कामगारों के लिए खतरों की सूचना देने और असुरक्षित कार्य स्थितियों से हटने की व्यवस्था शामिल है। हालाँकि ये कार्य आउटसोर्स किए जाते हैं, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि ये सुरक्षा प्रक्रियाएँ संविदात्मक आवश्यकताओं का हिस्सा हों और समय-समय पर उनकी समीक्षा की जाती रहे।

घ. क्या इकाई के कर्मचारियों/कामगारों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच प्राप्त है? (हाँ/नहीं)

कंपनी अपने कर्मचारियों के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करती है। इनमें एक आंतरिक चिकित्सक की दैनिक उपस्थिति, नियमित स्वास्थ्य जाँच, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, आयुर्वेद चिकित्सा और देखभाल सुविधाएँ जैसे कि एक पूर्णतः सुसज्जित जिम, साथ ही योग और ध्यान सत्र शामिल हैं। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद/प्राकृतिक चिकित्सा और योग निर्देशन सहित विभिन्न विषयों में अंशकालिक विजिटिंग चिकित्सा सलाहकारों द्वारा डॉक्टरों की उपलब्धता को और भी बेहतर बनाया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरतों के लिए, कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य सूचीबद्ध अस्पतालों में नकदी-रहित उपचार का लाभ उठा सकते हैं, जबकि गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों के चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति की जाती है। कंपनी सेवा-निवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना के माध्यम से सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को भी ये स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती मरीजों की देखभाल की अनुमति प्रदान की जाती है और गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार के बिलों की प्रतिभूति की जाती है।

11. निम्न प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना/संख्या	संवर्ग	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
खोया समय चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफ़आर) (प्रति दस लाख-व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
मृतकों की संख्या (सुरक्षा घटना)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

कंपनी एक सुरक्षित, स्वस्थ और सहयोगी कार्यस्थल वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न सक्रिय स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय लागू हैं, जिनमें दैनिक डॉक्टर की उपलब्धता वाली आंतरिक चिकित्सा सुविधाएँ, नियमित स्वास्थ्य जाँच, निःशुल्क चिकित्सा शिविर और आयुर्वेद चिकित्साएँ शामिल हैं। कंपनी कर्मचारियों को उपलब्ध चिकित्सा सहायता की सीमा बढ़ाने के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद/प्राकृतिक चिकित्सा और योग निर्देशन जैसे विभिन्न विषयों में अंशकालिक अभ्यागत चिकित्सा सलाहकारों को भी नियुक्त करती है। कर्मचारियों के पास एक पूरी तरह से सुसज्जित जिम है, जहाँ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दैनिक योग और ध्यान सत्र आयोजित किए जाते हैं।

शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पर्याप्त अग्निशामक यंत्र लगाए गए हैं और आंतरिक वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए परिसर में एयर प्यूरीफायर लगाए गए हैं। अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में, सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ व्यवस्था कर्मचारियों

और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए सुचारू कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करती है, जबकि गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार के लिए चिकित्सा बिल जमा करने पर प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अलावा, सेवा-निवृत्ति के पश्चात एक चिकित्सा योजना सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती उपचार का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है, जबकि गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में प्राप्त देखभाल के लिए प्रतिपूर्ति का विकल्प भी शामिल है। ये व्यापक पहल सामूहिक रूप से सभी कर्मचारियों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सहायक कार्य वातावरण सुनिश्चित करती हैं।

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान फाइल की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियाँ	वर्ष के दौरान फाइल की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियाँ
कार्य स्थितियाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

14. वर्ष हेतु मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या सांविधिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	शून्य
कार्य स्थितियाँ	शून्य

15. सुरक्षा-संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का और स्वास्थ्य व सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/शंकाओं पर विवरण प्रदान करें।

कंपनी को स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और वर्ष के दौरान कोई औपचारिक मूल्यांकन भी नहीं किए गए थे। हालाँकि, एक सक्रिय उपाय के रूप में, पर्याप्त संख्या में एयर प्यूरीफायर लगाकर एक स्वस्थ और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखा जाता है ताकि घर के अंदर की वायु गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और कॉरपोरेट कार्यालय तथा व्यावसायिक केंद्र में आग लगने की किसी भी संभावित घटना से निपटने के लिए पर्याप्त अग्निशामक यंत्र लगाए जाते हैं। ये कदम कर्मचारियों के कल्याण और कार्यस्थल सुरक्षा के प्रति कंपनी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) कामगारों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।

कर्मचारी	हाँ
कामगार	हाँ

2. संस्था द्वारा अपनाए गए उपायों का संज्ञान दें जिससे यह सुनिश्चित हो कि सांविधिक देयों को मूल्य कड़ी भागीदारों द्वारा काट ली गई है और जमा कर दी गई है ।

लागू नहीं

3. उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या प्रदान करें जिन्हें उच्च नतीजतन कार्य-संबंधित चोट/बीमार स्वास्थ्य/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है:

	प्रभावित कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या		पुनर्वासित और उपयुक्त रोजगार में रखे गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:	
	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कर्मचारी	0	0	0	0
कामगार	0	0	0	0

4. क्या संस्था निरंतर रोजगार सुविधा और सेवा-निवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए परिवर्तन सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है और सेवा-निवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के मामलों में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) तय रोजगार मानदंडों का पालन करती है। कंपनी अपने सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और अन्य कल्याणकारी उपाय भी प्रदान करती है।

5. मूल्य कड़ी भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य कड़ी भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	शून्य
कार्य स्थितियाँ	

6. मूल्य कड़ी भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यासों और कार्य स्थितियों के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/शंकाओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं, क्योंकि मूल्य कड़ी भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

कंपनी ने एक संरचित हितधारक मानचित्रण अभ्यास के माध्यम से अपने प्रमुख हितधारकों की पहचान की है, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रबंधन से प्राप्त इनपुट शामिल हैं। आंतरिक हितधारकों में कर्मचारी और प्रबंधन कार्मिक शामिल हैं, जबकि बाहरी हितधारकों में इक्विटी शेयरधारक, बॉण्डधारक, ऋणदाता, ग्राहक (सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उधारकर्ता), सरकारी प्राधिकरण और नियामक निकाय जैसे कि भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, स्टॉक एक्सचेंज और राज्य सरकारें शामिल हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप, विदेशी हितधारक जुड़ाव के लिए एक हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी हितधारकों के साथ नियमित रूप से भौतिक और आभासी बैठकें आयोजित करती है, जिससे वरिष्ठ नेतृत्व के साथ सीधी बातचीत संभव हो पाती है और पारदर्शी एवं सक्रिय रूप से चिंताओं पर चर्चा और समाधान संभव हो पाता है।

2. अपनी संस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ कार्य-सहभागिता अंतराल भी बताएं।

हितधारक समूह	क्या कमजोर व हाशिए पर पड़े समूह के रूप में प्रतिचिह्नित किया गया है (हां/नहीं)	संचार चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार-पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, सूचना-पट्ट, वेबसाइट), अन्य	कार्य-सहभागिता अंतराल (वार्षिक/ अर्ध-वार्षिक/त्रै-मासिक/अन्य - कृपया विनिर्दिष्ट करें)	उक्त कार्य-सहभागिता के दौरान उत्पन्न प्रमुख विषय और शंका सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
कर्मचारी	नहीं	ईमेल, इंटरनेट, बैठकें, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सत्र, सुझाव पेटी	नेमी	व्यावसायिक अद्यतन, ईएसजी पहलू, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिकायत निवारण, कर्मचारी विकास।
सरकारी निकाय (एमएनआरई आदि)	नहीं	ईमेल, फोन कॉल, बैठकें, ऑनलाइन पोर्टल, समझौता ज्ञापन, फाइलिंग	ज़रूरत-आधारित	अनुपालन, पॉलिसी संरेखण , समझौता ज्ञापन, नियामक स्पष्टीकरण
नियामक प्राधिकरण (सेबी, आरबीआई, आदि)	नहीं	नियामक फाइलिंग, रिपोर्ट्स, ईमेल, फोन कॉल, बैठकें, ऑनलाइन पोर्टल	वार्षिक, त्रै-मासिक, ज़रूरत-आधारित	विनियमों, निरीक्षणों, पूछताछ, नियामक अद्यतनों का अनुपालन
निवेशक एवं शेयरधारक	नहीं	ईमेल, एसएमएस, वेबसाइट, वार्षिक रिपोर्ट, प्रस्तुतीकरण, पत्र, समाचार-पत्र	ज़रूरत-आधारित	वित्तीय अद्यतन, रणनीतिक चर्चा, शिकायत निवारण, प्रतिक्रिया और सुझाव

हितधारक समूह	क्या कमजोर व हाशिए पर पड़े समूह के रूप में प्रतिचिह्नित किया गया है (हां/नहीं)	संचार चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार-पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, सूचना-पट्ट, वेबसाइट), अन्य	कार्य-सहभागिता अंतराल (वार्षिक/अर्ध-वार्षिक/त्रै-मासिक/अन्य - कृपया विनिर्दिष्ट करें)	उक्त कार्य-सहभागिता के दौरान उत्पन्न प्रमुख विषय और शंका सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
ग्राहक	नहीं	ईमेल, एसएमएस, वेबसाइट, पत्र, दूरभाष, ग्राहक बैठकें, प्रतिक्रिया चैनल	त्रै-मासिक, ज़रूरत-आधारित	वित्तपोषण आवश्यकताओं, सेवा की गुणवत्ता, शिकायत समाधान, वित्तपोषण स्पष्टता को समझना
विक्रेता	नहीं	ईमेल, एसएमएस, बैठकें, जीईएम पोर्टल, सीपीपी पोर्टल, पत्र, दूरभाष	ज़रूरत-आधारित	खरीद, नीतियों का अनुपालन, विवाद समाधान
स्थानीय समुदाय	नहीं	सीएसआर पहल, सर्वेक्षण, मैदानी दौरा, व्यक्तिगत विचार-विमर्श, सामुदायिक बैठकें	ज़रूरत-आधारित	सामाजिक-आर्थिक विकास, सामुदायिक प्रतिक्रिया, सीएसआर परियोजना की निगरानी
उद्योग संघ (सीआईआई, आईबीए, आदि)	नहीं	सेमिनार, सम्मलेन, बैठकें	ज़रूरत-आधारित	सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देना

उपर्युक्त यथा उल्लिखित सभी हितधारक समूह कमजोर और हाशिए पर नहीं हैं, लेकिन हितधारक समूहों में लोगों का एक वर्ग है, जिन्हें कमजोर और हाशिए पर माना जाता है, जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह, अ. जा. /अ.जजा. के स्वामित्व वाले एमएसएमई उद्यम और महिला उद्यमी आदि।

नेतृत्व संकेतक

1. **आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श हेतु प्रक्रियाएँ प्रदान करें या यदि परामर्श का कार्य सौंपा गया है, तो ऐसे परामर्शों से बोर्ड को किस प्रकार फीडबैक प्रदान किया जाता है।**
   निदेशक मंडल के दो सदस्यों सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के साथ हर तिमाही में एक ग्राहक बैठक आयोजित की जाती है। इन बैठकों के दौरान, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर ग्राहकों के सुझावों पर चर्चा की जाती है। फिर इन सुझावों को बोर्ड के बाकी सदस्यों के साथ साझा किया जाता है, और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो समय के साथ इन्हें धीरे-धीरे संस्था की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया जाता है।

2. **क्या हितधारकों परामर्श को पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है (हाँ / नहीं)। यदि हाँ, तो इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया था, इनके उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।**
   हां। विभिन्न बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) से जानकारी प्राप्त करके ईएसएमएस को अंतिम रूप दिया गया था, साथ ही उधारकर्ताओं को ईएसएमएस की कार्य-प्रणाली से परिचित कराने के लिए एक विस्तृत कार्यशाला भी आयोजित की गई थी।

3. **कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई और उनसे जुड़े मामलों का विवरण दें।**
   कंपनी कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भारत सरकार के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर पंजीकृत है, जिनमें जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस), संबंध, समाधान और टीआरईडीएस (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) शामिल हैं और क्षेत्रीय कार्यालयों सहित अपने सभी कार्यालयों में इन प्लेटफॉर्मों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करती है।
   कंपनी ने एमएसई और महिला-स्वामित्व वाले उद्यमों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अधिमान्य खरीद प्रथाओं को शामिल किया है, जिससे उन्हें उनकी खरीद प्रक्रियाओं में कुछ सुविधाजनक उपाय प्रदान किए जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, सरकार के समाधान पोर्टल पर किसी भी एमएसई विक्रेता द्वारा भुगतान में देरी या खरीद संबंधी समस्याओं से संबंधित कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई, जो इस हितधारक समूह के साथ कंपनी की सक्रिय और समय पर भागीदारी को दर्शाता है।

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और कामगार, जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीति(यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	कुल (क)	शामिल कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	शामिल कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी (कार्यपालक)						
स्थायी	150	13	8.67	157	7	4.46
स्थायी के अलावा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल कर्मचारी	**150**	**13**	**8.67**	**157**	**7**	**4.46**
कामगार						
स्थायी						
(गैर-कार्यपालक)	16	0	0	16	0	0
स्थायी के अलावा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल कामगार	**16**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**

2. कर्मचारियों और कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मज़दूरी का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

श्रेणी	**वित्त वर्ष 2024-25**					**वित्त वर्ष 2023-24**				
	कुल (क)	**न्यूनतम मज़दूरी के समतुल्य**		**न्यूनतम मज़दूरी से अधिक**		**कुल (घ)**	**न्यूनतम मज़दूरी के समतुल्य**		**न्यूनतम मज़दूरी से अधिक**	
		सं. (ख)	**% (ख/क)**	**सं. (ग)**	**% (ग/क)**		**सं. (ङ)**	**% (ङ/घ)**	**सं. (च)**	**% (च/घ)**
कर्मचारी										
स्थायी	150	0	0	150	100	157	0	0	157	100
पुरुष	104	0	0	104	100	112	0	0	112	100
महिला	46	0	0	46	100	45	0	0	45	100
स्थायी को छोड़कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कामगार										
स्थायी	16	0	0	16	100	16	0	0	16	100
पुरुष	15	0	0	15	100	15	0	0	15	100
महिला	1	0	0	1	100	1	0	0	1	100
स्थायी को छोड़कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण

क. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	2	67,35,377	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	शून्य	शून्य	1	26,49,022
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	104	25,64,366	45	27,07,660
कामगार	15	19,56,674	1	14,54,504

टिप्पणी:

1. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी में भत्ते शामिल हैं जो सकल वेतन के आधार पर हैं। इसके अलावा, इसमें पीएफ, उपदान, एनपीएस एवं अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए कर्मचारियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रतिपूर्ति के प्रति नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं है।
2. उपर्युक्त पारिश्रमिक का भुगतान इस संबंध में डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
3. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया है।

ख. निम्नलिखित प्रारूप में, संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मज़दूरी के % के रूप में महिलाओं को दी गई सकल मज़दूरी:

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल मज़दूरी के % के रूप में महिलाओं को दी गई सकल मज़दूरी	27.01	25.65

टिप्पणी:

1. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी में भत्ते शामिल हैं जो सकल वेतन के आधार पर हैं। इसके अलावा, इसमें पीएफ, उपदान, एनपीएस एवं अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए कर्मचारियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रतिपूर्ति के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं है।
2. उपर्युक्त पारिश्रमिक का भुगतान इस संबंध में डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
3. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया है।

4. क्या आपके पास मानवाधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मुद्दों के समाधान के लिए एक जिम्मेदार केंद्र बिंदु (व्यक्तिश:/समिति) है? (हाँ/नहीं)

हाँ

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें:

मानवाधिकार संबंधी शिकायतों का समाधान अन्य मुद्दों की तरह ही उसी शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से किया जाता है। समुदाय के सदस्य, कर्मचारी, कामगार, निवेशक और ग्राहक सहित सभी हितधारक स्थापित माध्यमों से ऐसी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान फाइल की गई	वर्ष के अंत में समाधान लंबित	अभ्युक्तियाँ	वर्ष के दौरान फाइल की गई	वर्ष के अंत में समाधान लंबित	अभ्युक्तियाँ
यौन उत्पीड़न	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य
बाल श्रम	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य

	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान फाइल की गई	वर्ष के अंत में समाधान लंबित	अभ्युक्तियाँ	वर्ष के दौरान फाइल की गई	वर्ष के अंत में समाधान लंबित	अभ्युक्तियाँ
मजदूरी	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य
मानवाधिकारों से संबंधित अन्य मुद्दे	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज शिकायतें:

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत दर्ज की गई कुल शिकायतें	0*	0
महिला कर्मचारियों/कामगारों के % के रूप में पीओएसएच पर शिकायतें	0	0
पीओएसएच पर शिकायतों को सही ठहराया गया	0	0

*टिप्पणी- संस्था के पास कार्यात्मक पीओएसएच समिति है और तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं।

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

कंपनी ने अपनी पर्दाफाश करने वाली नीति के माध्यम से एक सशक्त सतर्कता तंत्र लागू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भेदभाव, उत्पीड़न या किसी भी अनैतिक व्यवहार की घटनाओं की रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों को प्रतिशोध या प्रतिकूल परिणामों से बचाया जा सके। यह नीति सभी हितधारकों सहित कर्मचारियों, निदेशकों और सहयोगियों को सद्भावनापूर्वक अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय मंच प्रदान करती है।

पर्दाफाश करने वालों की पहचान यथासंभव गोपनीय रखी जाती है, और नीति किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है। असाधारण मामलों में, शिकायतकर्ता मामले की रिपोर्ट करने के लिए सीधे लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष से संपर्क कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी को निष्पक्ष जाँच करने और यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है कि शिकायतकर्ताओं को किसी भी प्रकार के प्रतिशोध का सामना न करना पड़े।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

हाँ, मानवाधिकार आवश्यकताएँ कंपनी के व्यावसायिक समझौतों और संविदात्मक फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं।

10. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या सांविधिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100%
जबरन/अनैच्छिक श्रम	100%
यौन उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
मजदूरी	100%
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

टिप्पणी- संस्था द्वारा सभी मूल्यांकन आंतरिक रूप से किए जाते हैं।

11. उपर्युक्त प्रश्न 10 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/शंकाओं को दूर करने के लिए उठाये गए या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार शिकायतों/शिकायतों का समाधान करने के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण:

शून्य

2. आयोजित किसी भी मानवाधिकार उचित परिश्रम के दायरे और कवरेज का विवरण:

लागू नहीं।

3. क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

हां।

4. मूल्य कड़ी भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य कड़ी भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बाल श्रम	
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	
मजदूरी	
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	

5. उपर्युक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/शंकाओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें:

लागू नहीं

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करने चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (गीगाजूल में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण, निम्न प्रारूप में:

प्राचल	**वित्त वर्ष 2024-25**	**वित्त वर्ष 2023-24**
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (क) (जीजे)	1526.04	1500.12
कुल ईंधन खपत (ख)	0.00	0.00
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (ग)	0.00	0.00
नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग) (जीजे)	1526.04	1500.12
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (घ) (जीजे)	2679.84	2003.60
कुल ईंधन खपत (ङ) (जीजे)	313.41	369.31
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (च)	0.00	0.00
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (घ+ङ+च) (जीजे)	2993.25	2372.91
कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग+घ+ङ+च) (जीजे)	4519.29	3873.03
कुल कारोबार के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत /प्रचालन से राजस्व) (जे/रु.)	66.91	78.00
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कुल कारोबार के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व) (जे/$)	1382.26	1611.52
महत्वपूर्ण आउटपुट के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता (एमटी में जीजे/ओआरई)	लागू नहीं	लागू नहीं
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पण: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (नहीं)

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार की कार्य-प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचाने गए कोई स्थल/सुविधाएँ हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य हासिल नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें:

नहीं।

3. पानी से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

प्राचल	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	शून्य	शून्य
(ii) भू-जल	शून्य	शून्य
(iii) तृतीय पक्ष जल*	14,102.07	12934.77
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	शून्य	शून्य
(v) अन्य	शून्य	शून्य
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	14,102.07	12934.77
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	2820.41	2586.95
कुल कारोबार के प्रति रुपये जल तीव्रता (कुल जल खपत/ परिचालन से राजस्व) (किलोलीटर/रु.)	0.000042	0.000052
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपये जल तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल जल खपत / परिचालन से राजस्व) (किलोलीटर/$)	0.000863	0.001076
महत्वपूर्ण आउटपुट के संदर्भ में जल तीव्रता (एमटी में केएल/ओआरई)	लागू नहीं	लागू नहीं
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - संस्था द्वारा संबंधित मीट्रिक चुना जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पण: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (नहीं)

**तीसरे पक्ष के जल में पेय जल की बोतलें और नगर निगमों से प्राप्त जल शामिल है जो सीधे यमुना नदी से पानी प्राप्त करते हैं और उसका उपचार करते हैं।*

4. **जल निकास से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

प्राचल	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
गंतव्य और उपचार स्तर के अनुसार जल निकास (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में		
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(ii) भू-जल में		-
- कोई उपचार नहीं	5726.76*	4771.56*
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(iii) समुद्री जल में		-
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		-
- कोई उपचार नहीं	5554.90**	5576.25**
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(v) अन्य		-
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
कुल जल निकास (किलोलीटर में)	11281.66	10347.81

टिप्पण : बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (नहीं)

*टिप्पणी- कासरगोड स्थित सौर विद्युत संयंत्र के पैनल सीधे मिट्टी पर लगे हैं, जिससे शुद्धिकरण जल का एक भाग प्राकृतिक रूप से ज़मीन में रिस जाता है। शेष अपवाह, भूमि के ढलान के कारण, निर्धारित पुनर्भरण गड्ढों में प्रवाहित होता है, जिससे समय के साथ भूजल पुनःपूर्ति में योगदान मिलता है।

**टिप्पणी- उत्सर्जित अपशिष्ट जल को वाहित मल प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार स्थानीय नगर निगम निकायों, जैसे दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड या नई दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया जाता है। ये प्राधिकरण कार्यालय भवन से प्रवाहित होने के बाद अपशिष्ट जल का प्रबंधन और उपचार करते हैं।

5. क्या इकाई ने शून्य तरल उत्सर्जन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो उसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं। कंपनी के मुख्य कार्य कार्यालय-आधारित हैं और इनमें शून्य द्रव उत्सर्जन (ज़ेडएलडी) की आवश्यकता वाले जल का अत्यधिक उपयोग नहीं होता है। कंपनी के स्वामित्व वाला 50 मेगावाट का सौर पीवी विद्युत संयंत्र एक तृतीय-पक्ष ठेकेदार द्वारा संचालित और अनुरक्षित है। हालाँकि, इस संयंत्र में जल-गहन प्रक्रियाएँ शामिल नहीं हैं या इससे तरल अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए ज़ेडएलडी तंत्र लागू नहीं होता है । पानी का न्यूनतम उपयोग किया जाता है, मुख्यतः समय-समय पर पैनल की सफाई के लिए, और कार्यस्थल पर उचित जल प्रबंधन पद्धतियों का पालन किया जाता है।

6. कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

प्राचल	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
एनओएक्स	µg/m3	लागू नहीं	लागू नहीं
एसओएक्स	µg/m3		
कणिका तत्व (पीएम-2.5)	µg/m3		
कणिका तत्व (पीएम-10)	µg/m3		
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	-		
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	-		
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	-		
अन्य - कार्बन मोनोऑक्साइड	mg/m3		

टिप्पणी: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (नहीं)।

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

प्राचल	इकाई	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो)	CO2 समतुल्य मीट्रिक टन	21.74	25.61
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो)	CO2 समतुल्य मीट्रिक टन	541.18	404.62
कारोबार के प्रति रुपये पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/परिचालन से राजस्व	CO2 समतुल्य मीट्रिक टन ईक्यू./रु.	0.0000000083	0.0000000087
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपए पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व)	CO2 समतुल्य मीट्रिक टन ईक्यू./$	0.00000017	0.00000018
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	CO2 समतुल्य मीट्रिक टन/ मीट्रिक टन	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी : स्कोप 1 उत्सर्जन की गणना के लिए प्रयुक्त उत्सर्जन कारक आईपीसीसी से लिया गया है, जबकि स्कोप 2 उत्सर्जन के लिए कारक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मार्ग-दर्शन पर आधारित है।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (नहीं)।

8. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

हाँ, कंपनी के पास स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने वाला 50 मेगावाट का सौर पीवी प्लांट है, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 67060.22 मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा।

9. संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

प्राचल	**वित्त वर्ष 2024-25**	**वित्त वर्ष 2023-24**
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट* **(क)**	-	-
ई-कचरा **(ख)**	-	1.558
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट **(ग)**	-	-
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट **(घ)**	-	-
बैटरी अपशिष्ट **(ङ)**	-	-
रेडियोधर्मी अपशिष्ट **(च)**	-	-
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (छ)	-	-
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (ज)।	-	-
कुल (क+ख+ग+घ+ ङ+च+छ+ज)	**-**	**1.558**
कारोबार के प्रति रुपये अपशिष्ट तीव्रता। (कुल अपशिष्ट उत्पन्न / प्रचालन से राजस्व) (किग्रा./रु.)	-	$3.14*10^{-8}$
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपये अपशिष्ट तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल अपशिष्ट उत्पन्न / परिचालन से राजस्व) (किग्रा./$)	-	$6.48*10^{-7}$
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता (एमटी में एमटी/ओआरई)	लागू नहीं	लागू नहीं
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति संचालन के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	-	-
(ii) पुनः उपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन	-	-
कुल	**-**	**-**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	-	-
(ii) भू-भरण	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन	-	1.558**
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (नहीं) ।

*टिप्पणी- संस्था के कार्यालयों से निकलने वाले सभी कचरे को उचित निपटान बाबत संबंधित शहर के नगर निगमों को जिम्मेदारीपूर्वक सौंप दिया जाता है। कचरे की न्यूनतम मात्रा और संस्था के संचालन की गैर-विनिर्माण प्रकृति को देखते हुए, वर्तमान में आंतरिक छंटाई और पृथक्करण का कार्य नहीं किया जाता है; हालाँकि, संस्था लागू अनुसार कचरा प्रबंधन मानदंडों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

**टिप्पणी- इस ई-कचरे का निपटान "प्रो ई-वेस्ट" द्वारा उनके आर2-प्रमाणित संयंत्र में किया गया था।

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनायी गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनायी गई रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनायी गई प्रथाओं का वर्णन करें।

एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में, इरेडा के कार्यालय से मुख्य रूप से संबंधित अपशिष्ट जैसे कि कागज़, प्लास्टिक और अन्य गैर-खतरनाक सामग्री निकलती है। रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान, कोई ई-कचरा उत्पन्न नहीं हुआ था। उत्पन्न अपशिष्ट को उचित निपटान के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को सौंप दिया गया था।

पिछले वित्तीय वर्ष में, ई-कचरे के रूप में पहचाने गए पुराने, अनुपयोगी और अप्रचलित आईटी उपकरणों का निपटान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड के अधीन पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं (प्रो ई-वेस्ट) के माध्यम से किया गया था।

11. यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, जंगल, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आसपास परिचालन/कार्यालय हैं, जहाँ पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्र. सं.	परिचालन/कार्यालयों का स्थान	परिचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो उसका कारण और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, तो उसका विवरण दें।
लागू नहीं			

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा किए गए परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
शून्य					

इरेडा का न्यूनतम औसत सीएसआर दायित्व पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24) के लिए 10 करोड़ रुपये की सीमा को पार कर गया है, जो दी गई प्रभावी तिथि 22 जनवरी, 2021 के बाद है (एमसीए के दिनांक 25 अगस्त 2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2021 के अनुसार)। तदनुसार, सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन आयोजित करने हेतु एजेंसियों के पैनलीकरण हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रक्रियाधीन है।

13. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और इसके तहत नियम (हां/नहीं)।

लागू नहीं, एक एनबीएफसी के रूप में, कंपनी के प्राथमिक संचालन कार्यालय-आधारित हैं और इनमें कोई प्रदूषणकारी प्रक्रिया शामिल नहीं है। कंपनी के पास 50 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा संयंत्र भी है, जो स्वाभाविक रूप से स्वच्छ है। यद्यपि संयंत्र का संचालन और रखरखाव एक तृतीय-पक्ष ठेकेदार द्वारा किया जाता है, कंपनी, परिसंपत्ति स्वामी के रूप में, यह सुनिश्चित करती है कि संचालन लागू पर्यावरणीय मानदंडों के अनुरूप हों। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी पर कोई जुर्माना, दंड या नियामक कार्रवाई नहीं की गई है।

यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

क्र. सं.	उस कानून/विनियमन/दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालयों जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लगाये गए कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई का विवरण	यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो
लागू नहीं				

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल आहरण, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में): शून्य।

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें :

(i) क्षेत्र का नाम: लागू नहीं

(ii) परिचालन की प्रकृति: लागू नहीं

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन:

प्राचल	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
स्रोत द्वारा जल आहरण (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) भू-जल		
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल आहरण की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
कारोबार के प्रति रुपये जल तीव्रता (जल की खपत/कारोबार)		
जल तीव्रता (वैकल्पिक)- प्रति मीट्रिक टन ओआरई		
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में	लागू नहीं	लागू नहीं
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भू-जल में		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल में		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल जल निर्वहन (किलोलीटर में)		

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (लागू नहीं)

2. **उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताये गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण रोकथाम और उपचार गतिविधियों के साथ प्रदान करें।**

लागू नहीं।

3. **यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने या उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्वहन/ उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उक्त के साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम का विवरण प्रदान करें:**

क्र. सं.	की गई पहल	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, तो सारांश के साथ प्रदान किया जा सकता है)	पहल का परिणाम
1.	ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन	कंपनी ने एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वित्त, खरीद, मानव संसाधन और इन्वेंट्री जैसी प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं को एकीकृत और प्रबंधित करने के लिए एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) प्रणाली को अपनाया है।	प्रक्रिया स्वचालन और केंद्रीकरण के माध्यम से परिचालनगत दक्षता और डेटा सटीकता में सुधार हुआ है।

4. **क्या इकाई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें।**

हाँ। कंपनी के पास एक व्यावसायिक निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है, जो उसकी व्यावसायिक निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) नीति द्वारा संचालित होती है। यह नीति एक रणनीतिक और परिचालनगत फ्रेमवर्क प्रदान करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनी आंतरिक और बाहरी खतरों का सक्रिय रूप से जवाब दे सके, उनके प्रभाव को कम कर सके और महत्वपूर्ण कार्यों की निरंतरता बनाए रख सके।

बीसीएम नीति कंपनी की सूचना सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप सूचना सुरक्षा निरंतरता उपायों को भी एकीकृत करती है। इस नीति का उद्देश्य संभावित व्यवधानों का समय पर पता लगाने, रोकथाम करने और प्रभावी प्रबंधन को सक्षम बनाकर कंपनी और उसके हितधारकों के हितों की रक्षा करना है।

https://ireda1.sharepoint.com/sites/IREDALTD/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIREDALTD%2FSiteAssets%2FSitePages%2FISO%2FRBI%20Circulars%2FPolicies%2FBusinesss%20Continuity%20Management%20Policy%20V1%2E2%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIREDALTD%2FSiteAssets%2FSitePages%2FISO%2FRBI%20Circulars%2FPolicies

5. **इकाई की मूल्य कड़ी से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटीकरण करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।**

   लागू नहीं।

6. **मूल्य कड़ी भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया।**

   शून्य।

7. **कितने ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न किए गए या ख़रीदे गए हैं:**

   क. सूचीबद्ध इकाई द्वारा: शून्य

   ख. शीर्ष दस (क्रम से खरीद और बिक्री के मूल्य के संदर्भ में) मूल्य कड़ी भागीदारों द्वारा: शून्य

   टिप्पणी: अलग व्याख्या के आधार पर, पिछले वर्ष की रिपोर्ट की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सिद्धांत 6 प्राचल में से कुछ के लिए गणना को थोड़ा संशोधित/अद्यतित किया गया है।

सिद्धांत 7: व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हों, तो ऐसे में उन्हें जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **क. व्यापार और उद्योग चेम्बरों/एसोसिएशनों से संबद्धता की संख्या:** 05 (पांच)

   ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चेंबरों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जिनकी संस्था सदस्य है/संबद्ध है

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग चेंबरों/एसोसिएशनों का नाम	व्यापार और उद्योग चेंबरों/एसोसिएशनों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1.	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (एससीओपीई)	राष्ट्रीय
2.	आईबीए - भारतीय बैंक संघ	राष्ट्रीय
3.	विश्व ऊर्जा परिषद – भारत	राष्ट्रीय
4.	केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड	राष्ट्रीय
5.	भारतीय उद्योग परिसंघ	राष्ट्रीय

2. **नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें:**

   नियामक प्राधिकरणों से कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया।

नेतृत्व संकेतक

1. **इकाई द्वारा बतायी गई सार्वजनिक नीति के पदों का विवरण।**

क्र. सं.	सार्वजनिक नीति की वकालत	ऐसे वक्तव्य के लिए अपनायी गई पद्धति	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्ध-वार्षिक/त्रै-मासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
1.	शून्य	लागू नहीं	नहीं	अन्य- लागू नहीं	लागू नहीं

नहीं, कंपनी सार्वजनिक नीतिगत पदों की वकालत नहीं करती है। हालाँकि, यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की विभिन्न योजनाओं के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जिनमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना, चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना), राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, पीएलआई योजना, ट्रांच-I के अंतर्गत उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) योजना शामिल हैं।

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा किए गए परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण:**

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किया गया (हाँ/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं					

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी सीधे तौर पर भूमि अधिग्रहण से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है। कंपनी की 50 मेगावाट की कासरगोड सौर परियोजना के मामले में, इस्तेमाल हुई पूरी भूमि सरकारी-स्वामित्व की है।

2. **निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजना(ओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) किया जा रहा है:**

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आरएंडआर चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आर एंड आर द्वारा शामिल किए गए पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रु. में)
लागू नहीं						

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी सीधे तौर पर भूमि अधिग्रहण से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है। कंपनी की 50 मेगावाट की कासरगोड सौर परियोजना के मामले में, इस्तेमाल हुई पूरी भूमि सरकारी-स्वामित्व की है।

3. **समुदाय की शिकायतें ग्रहण करने और उनके निवारण तंत्र का वर्णन करें।**

नागरिकों/उपभोक्ताओं को अपनी किसी भी शिकायत के समाधान के लिए ईमेल और सीपीजीआरएएम पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का अधिकार है। एक वरिष्ठ अधिकारी को निदेशक (शिकायत) के रूप में नामित किया गया है। प्राप्त सभी शिकायतों को तुरंत या प्राप्ति की तारीख से 3 कार्यदिवसों के भीतर निदेशक (शिकायत), इरेडा द्वारा उचित रूप से दर्ज, पंजीकृत और पावती दी जाएगी। एक शिकायत संदर्भ संख्या और तारीख प्रदान की जाएगी। निदेशक (शिकायत) 15 कार्यदिवसों के भीतर पीड़ित पक्ष को प्रगति के बारे में सूचित करेंगे। इसके अतिरिक्त, निदेशक (शिकायत) व्यक्तिगत रूप से अपनी शिकायत प्रस्तुत करने के इच्छुक किसी भी ग्राहक की व्यक्तिगत सुनवाई करेंगे और शिकायत प्राप्त होने के 30 कार्यदिवसों के भीतर समस्या का समाधान करने का लक्ष्य रखेंगे। यदि पीड़ित पक्ष को शिकायत दर्ज करने के 15 दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो वे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को लिखकर मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। शिकायत निवारण तंत्र https://www.ireda.in/citizen-charter पर उपलब्ध है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट) का प्रतिशत**

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
सीधे एमएसई से प्राप्त	एमएसई विक्रेताओं से 12.25%	एमएसई विक्रेताओं से 39.88%
सीधे भारत के भीतर से	100% सभी वस्तुओं की खरीद खरीद दिशा-निर्देशों के अनुसार, जीईएम पोर्टल का उपयोग करके भारत के भीतर से की जाती है।	

5. **छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या कामगारों सहित) को भुगतान किए गए वेतन का प्रकटीकरण कुल मज़दूरी लागत के % के रूप में करें।**

अवस्थान	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
ग्रामीण	शून्य	शून्य
अर्ध-शहरी	शून्य	शून्य
शहरी	शून्य	शून्य
महानगर	0.13%	10.03%*

(स्थान को आरबीआई वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार - ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी/महानगर में वर्गीकृत किया जाए)

*टिप्पणी: गणना अद्यतन की गई है। पहले विभिन्न व्याख्याओं के आधार पर 8% का आँकड़ा बताया गया था।

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में प्रतिचिह्नित किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें (संदर्भ : उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):**

प्रतिचिह्नित नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं	

कंपनी सीधे तौर पर भूमि अधिग्रहण गतिविधियों में शामिल नहीं है। इसकी 50 मेगावाट की कासरगोड सौर परियोजना के लिए उपयोग की गई पूरी भूमि सरकारी है; इसलिए, कंपनी द्वारा कोई सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) नहीं कराया गया।

2. **सरकारी निकायों द्वारा प्रतिचिह्नित नामित आकांक्षी जिलों में आपकी इकाई द्वारा की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि लाख में (भारतीय रुपये में)
1.	उत्तर प्रदेश	चंदौली	5,04,56,000
2.	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर	31,36,767
3.	बिहार	मुज़फ़्फ़रपुर	10,25,00,398

नामित आकांक्षी जिले (जिला प्रशासन के अनुरोध के अनुसार) में सीएसआर आवंटन/स्वीकृति के अलावा, कंपनी ने बिहार के आकांक्षी जिले मुजफ्फरपुर में ₹10,25,00,398 और उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले सिद्धार्थनगर में ₹31,36,767 की वित्तीय सहायता भी आवंटित/स्वीकृत की है।

3. **(क) क्या आपके पास कोई अधिमान्य संप्राप्ति नीति है, जिसके तहत आप हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं)**

हाँ। कंपनी सरकार की खरीद नीति का पालन करती है, जिसके तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें एमएसई से 25%, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% और महिला स्वामित्व वाले एमएसई से 3% शामिल हैं। कंपनी अपनी सभी खरीद गतिविधियों में इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करती है। हालाँकि, चूँकि विक्रेता बोली जमा करते समय अपनी श्रेणी स्वयं घोषित करते हैं, इसलिए कंपनी केवल प्राप्त बोलियों में से ही चयन कर सकती है। ऐसे मामलों में, कंपनी का विशिष्ट श्रेणियों के प्रतिनिधित्व पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और उसे प्रस्तुत योग्य बोलियों में से ही चयन करना होता है।

ख) आप किस हाशिए पर पड़े/कमजोर समूह से संप्राप्त करते हैं?

कंपनी सरकारी नीति के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदारी करती है। खरीदारी का वर्गीकरण विक्रेता की घोषणाओं पर आधारित होता है।

ग) यह कुल संप्राप्ति (मूल्य के हिसाब से) का कितना प्रतिशत है?

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कुल खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में एमएसई से खरीदारी 12.25%, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई से 0.06% और महिला स्वामित्व वाली एमएसई से 3.30% रही। ये आँकड़े विक्रेता के दावों पर आधारित हैं, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है।

4. **पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व वाली या अधिग्रहित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण।**

क्र.सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहित (हां/नहीं)	साझा लाभ (हां/नहीं)	लाभ हिस्सेदारी की गणना का आधार
लागू नहीं				

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी के पास चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई बौद्धिक संपदा नहीं है।

5. **बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।**

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		

लागू नहीं। चूँकि कंपनी के पास कोई बौद्धिक संपदा नहीं है, इसलिए कोई विवाद या प्रतिकूल आदेश नहीं हुआ है और इसलिए, कोई सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यक नहीं है या चल नहीं रही है।

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का %
1	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिव्यांग बच्चों की सेवा हेतु "थेरेपी ऑन व्हील्स" कार्यक्रम चलाने हेतु दो (2) मोबाइल मेडिकल वैन के परिचालन व्यय हेतु सम्फिया फाउंडेशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता।	661	38%
2*	उत्तराखंड राज्य के कोटेश्वर, टिहरी में खेल विज्ञान केंद्र हॉल (298 वर्ग मीटर) के विकास हेतु मैसर्स सेवा-टीएचडीसी को वित्तीय सहायता।	60	50%
3	सतत विकास के 7वें लक्ष्य अर्थात किफायती और स्वच्छ ऊर्जा के अंतर्गत गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को परिसर में 4 अदद बैटरी चालित वाहन (11 सीटों वाले) दान करके शारीरिक रूप से चुनौती प्राप्त कर्मचारियों और छात्रों, आगंतुकों और वरिष्ठ नागरिकों के आवागमन को आसान बनाने हेतु सहायता।	3,113	3%
4	प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) - पायलट परियोजना (वित्तीय वर्ष 2024-25) के अंतर्गत कंपनी के सीएसआर निधि से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 12 महीने की अवधि के लिए 50 प्रशिक्षुओं (पायलट परियोजना के आधार पर) के लिए वित्तीय सहायता।	11	70%
5*	केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव के सिलवासा के मोटा रंधा स्थित सैनिक स्कूल में विकास मूलक कार्यों के लिए मैसर्स विद्या भारती गुजरात प्रदेश को वित्तीय सहायता।	700	100%
6*	उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले चंदौली में 120 अदद आंगनवाड़ी केंद्रों और 50 अदद स्वास्थ्य केंद्रों पर 3 किलोवाट घंटे की ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणालियों की आपूर्ति और स्थापना के लिए मैसर्स यूपीएसआईसी (बांदा) को वित्तीय सहायता।	23,000	100%
7*	होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर, बिहार में उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु मैसर्स टाटा मेमोरियल सेंटर को वित्तीय सहायता	10,000	70%
8*	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 25 केएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, जांच और शुरुआत के लिए वित्तीय सहायता	7,000	100%
9*	आईआईटी इंदौर में स्वास्थ्य केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर, मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	4,000	100%
10	श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति, पुरी (एसजेटीएमसी) को 5 अदद (6 सीट वाले) बैटरी चालित वाहनों (बीओवी) और 5 अदद (11 सीट वाले) बीओवी के उपयोग के लिए संचालन और रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता, बीओवी को पहले ही इरेडा द्वारा श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन, पुरी को दान कर दिया गया है।	2,60,100	60%
11*	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इरेडा के सीएसआर निधि से राजस्थान के बूंदी और कोटा जिलों में गरीब मरीजों को घर से अस्पताल लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आईसीयू उपकरणों से युक्त तीन अदद एम्बुलेंस खरीदने के लिए दि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), कोटा को वित्तीय सहायता।	28,80,867	51%

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का %
12*	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इटवा, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में पाइपलाइन प्रणाली, प्लेटफॉर्म, शेड के निर्माण और अन्य आवश्यक कार्यों को पूरा करने हेतु जिला नागरिक सामाजिक उत्तरदायित्व संघ, सिद्धार्थनगर (उत्तर प्रदेश) को वित्तीय सहायता।	4,54,240	50%
13*	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII (धारा 135) के अंतर्गत प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में धनराशि का हस्तांतरण।	0	0

*टिप्पणी- चिह्नित परियोजना मार्च 2025 तक पूरी नहीं हुईं और उन्हें अगले वर्ष के लिए चालू परियोजना माना जाता है।

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका उत्तर देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।

ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया तीन चरणों में संरचित है। चरण I में, ग्राहक निदेशक (शिकायत) के पास मौखिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका समाधान 30 कार्यदिवसों के भीतर किया जाएगा। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है, तो चरण II में ग्राहक शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) को लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं, जो 30 कार्यदिवसों के भीतर निर्णय देगी। यदि असंतोष बना रहता है, तो चरण III में प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एमडी/सीएमडी) के समक्ष अपील की जा सकती है, जो 45 कार्यदिवसों के भीतर अंतिम निर्णय देंगे। सभी शिकायतों की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर पावती दी जाती है, और यदि 15 दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो शिकायत को एमडी/सीएमडी के पास भेजा जा सकता है। एमडी/सीएमडी द्वारा दो वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त जीआरसी, शिकायतों की समीक्षा के लिए मासिक बैठक करती है और प्राप्ति के दो महीनों के भीतर समाधान सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, शिकायत निवारण की स्थिति की रिपोर्ट एमडी/सीएमडी को मासिक रूप से दी जाती है और एक समेकित रिपोर्ट छमाही आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है।

2. सभी उत्पादों/सेवाओं से सकल कारोबार के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/या सेवाओं का सकल कारोबार जो निम्नलिखित के बारे में जानकारी रखते हैं

	सकल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक प्राचल	100
सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग	100
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	100

3. निम्नलिखित से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2024-25		अभ्युक्तियाँ	वित्त वर्ष 2023-24		अभ्युक्तियाँ
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा गोपनीयता	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
विज्ञापन	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
साइबर-सुरक्षा	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
अनुचित व्यापार पद्धति	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

	वित्त वर्ष 2024-25		अभ्युक्तियाँ	वित्त वर्ष 2023-24		अभ्युक्तियाँ
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
अन्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापसी के उदाहरणों का विवरण:

कंपनी पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में सहायता के लिए वित्तीय उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करती है। ये पेशकशें विशेष रूप से सौर, पवन, बायोमास और जल विद्युत सहित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई हैं। कंपनी स्वयं भौतिक उत्पादों के निर्माण या बिक्री में संलग्न नहीं है।

	संख्या	वापसी के कारण
स्वैच्छिक वापसी	शून्य	लागू नहीं
जबरन वापसी	शून्य	लागू नहीं

5. क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ, कंपनी के पास एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है जो साइबर सुरक्षा और संबंधित मामलों का समाधान करती है। यह नीति एक आंतरिक दस्तावेज़ है तथा कंपनी के इंट्रानेट के माध्यम से उपलब्ध है।

https://ireda1.sharepoint.com/sites/IREDALTD/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIREDALTD%2FSiteAssets%2FSitePages%2FISO%2FRBI%20Circulars%2FPolicies%2FCyber%20Security%20Policy%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIREDALTD%2FSiteAssets%2FSitePages%2FISO%2FRBI%20Circulars%2FPolicies

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के मामलों की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक अधिकारियों द्वारा दंड/की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं है, क्योंकि कोई भी समस्या रिपोर्ट नहीं की गई है।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क. डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या

शून्य

ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत

शून्य

ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो

लागू नहीं है, क्योंकि उल्लंघन रिपोर्ट नहीं की गई है।

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहाँ इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करती है।

इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/detailed-financing-norms पर उपलब्ध है।

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाये गए कदम।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक अग्रणी वित्तीय संस्थान के अंग स्वरूप, कंपनी अपने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित और ज़िम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल करती है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) को अपनाना, जो कंपनी को उसके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की पहचान करने, उनका आकलन करने और उन्हें कम करने में सक्षम बनाता है।

ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के एक भाग के अंग स्वरूप, कंपनी पात्र परियोजनाओं की गहन पर्यावरणीय और सामाजिक जाँच करती है और संभावित प्रभावों की गंभीरता के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उधारकर्ताओं को उनकी परियोजनाओं के ज़िम्मेदारीपूर्ण कार्यान्वयन और प्रबंधन के बारे में अच्छी जानकारी और मार्गदर्शन मिले।

3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र।

कंपनी के पास एक व्यावसायिक निरंतरता प्रबंधन नीति है जो आंतरिक और बाहरी खतरों से निपटने के लिए एक संरचित ढाँचा प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य है कंपनी के व्यावसायिक संचालन, उद्देश्यों या बुनियादी ढाँचे को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यवधान को रोकना और प्रबंधित करना। यह नीति जोखिम मूल्यांकन और व्यावसायिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित है और कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप सूचना सुरक्षा की निरंतरता का भी समाधान करती है।

इस नीति का उद्देश्य है विघटनकारी घटनाओं या प्रत्याशित जोखिमों के प्रभावों का पता लगाने, उन्हें रोकने, कम करने और प्रबंधित करने की क्षमता सुनिश्चित करके कंपनी और उसके हितधारकों, दोनों के हितों की रक्षा करना।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से उधारकर्ता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध एक फॉर्म के माध्यम से फ़ीडबैक प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें सेवा की उपयुक्तता, ऋण प्रसंस्करण समय-सीमा और समस्या समाधान जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

4. क्या संस्था स्थानीय कानून के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अतिरिक्त उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें।

हाँ। एक एनबीएफसी होने के नाते कंपनी, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करती है। हालाँकि यह भौतिक उत्पादों के निर्माण में संलग्न नहीं है, फिर भी कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके वित्तीय उत्पादों से संबंधित पर्याप्त प्रकटीकरण उधारकर्ताओं, ग्राहकों और निवेशकों को अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट www.ireda.in के माध्यम से प्रदान की जाए। वेबसाइट में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी शामिल है, जो स्थानीय नियमों के अंतर्गत अनिवार्य जानकारी से परे है।

5. क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण सम्पादित किया है? (हां/नहीं)

हां। कंपनी ने एक ऐसी प्रणाली स्थापित की है जिसके तहत उधारकर्ता अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध ग्राहक प्रतिक्रिया फ़ॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह फ़ॉर्म सेवाओं की उपयुक्तता, ऋण स्वीकृति और निष्पादन में लगने वाला समय और ग्राहक की समस्याओं के समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों को आवृत्त करता है। इसके अतिरिक्त, इरेडा उधारकर्ताओं से सीधी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से उधारकर्ता बैठकें और संवाद कार्यक्रम आयोजित करती है। इस प्रतिक्रिया का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण, समीक्षा की जाती है और जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

इरेडा लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट में बीआरएसआर (9) मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत किए गए प्रकटीकरणों पर स्वतंत्र उचित आश्वासन रिपोर्ट

प्रति,
निदेशक मंडल
इरेडा लिमिटेड
एनबीसीसी कार्यालय परिसर,
कार्यालय ब्लॉक संख्या II,
प्लेट-बी, सातवीं मंजिल,
पूर्वी किदवई नगर,
नई दिल्ली-110 023

परिचय

हमें इरेडा लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा रिपोर्टिंग अवधि 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक ("वित्त वर्ष 2024-25") के लिए सेबी मास्टर परिपत्र संख्या : सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/0155 दिनांक 11 नवंबर, 2024 ("सेबी बीआरएसआर कोर सर्कुलर") के अधीन प्रदान की गई मूल्य कड़ी हेतु आश्वासन और ईएसजी प्रकटीकरण के लिए बीआरएसआर मुख्य - ढाँचे के अनुसार व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट ("बीआरएसआर") में बीआरएसआर मुख्य विशेषताओं के अधीन कंपनी के प्रकटीकरणों का एक स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया है।

प्रबंधन और हमारी ज़िम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन बीआरएसआर में डेटा और अन्य आवश्यक जानकारी को एकत्रित करने, उसका विश्लेषण करने, उसे प्रमाणित करने और प्रकट करने तथा प्रकटीकरण की सत्यनिष्ठा और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है ताकि वे किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण ग़लतफ़हमी या चूक से मुक्त हों। प्रबंधन उस डेटा और अन्य जानकारी तक पूर्ण पहुँच प्रदान करने के लिए भी ज़िम्मेदार है जिस पर उसने बीआरएसआर तैयार करते समय भरोसा किया है।

हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करें और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के बीआरएसआर में सेबी बीआरएसआर मूल परिपत्र में दिए गए बीआरएसआर मुख्य विशेषताओं के संबंध में किए गए खुलासों पर उचित आश्वासन व्यक्त करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य प्राप्त करें।

कार्य-क्षेत्र और सीमा

कार्य-क्षेत्र

हमारे कार्य-क्षेत्र में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सेबी बीआरएसआर मूल परिपत्र में दिए गए निम्नलिखित बीआरएसआर मुख्य विशेषताओं के आश्वासन का एक स्वतंत्र उचित स्तर शामिल है।

क्र. सं.	विशेषता	सिद्धांत	मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक
1.	ग्रीनहाउस गैस की उपस्थिति	सिद्धांत 6, प्रश्न 7	• कुल कार्य-क्षेत्र 1 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) • कुल कार्य-क्षेत्र 2 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों (CO2ई) का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) • ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (दायरा 1+2)
2.	जल उपस्थिति	सिद्धांत 6, प्रश्न 3	• कुल जल खपत (मिलियन लीटर या किलोलीटर में) • जल खपत तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित मिलियन लीटर या किलोलीटर/रुपये में) • जल खपत तीव्रता (मिलियन लीटर/उत्पाद या सेवा में)
		सिद्धांत 6, प्रश्न 4	गंतव्य के अनुसार जल निर्वहन और मिलियन या किलोलीटर में उपचार के स्तर
3.	ऊर्जा की उपस्थिति	सिद्धांत 6, प्रश्न 1	• जूल या गुणकों में कुल ऊर्जा खपत • नवीकरणीय स्रोतों से खपत ऊर्जा का % • प्रतिशत के सन्दर्भ में ऊर्जा तीव्रता • पीपीपी के लिए समायोजित जूल या गुणकों में ऊर्जा तीव्रता/रुपया • जूल या गुणकों में ऊर्जा तीव्रता/उत्पाद या सेवा
4.	अपशिष्ट प्रबंधन	सिद्धांत 6, प्रश्न 9	• संस्था द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट से संबंधित विवरण (श्रेणीवार) • अपशिष्ट तीव्रता • उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट • उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट
5.	कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा में वृद्धि	सिद्धांत 3, प्रश्न 1(ग)	लागत कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और गैर-स्थायी के अलावा अन्य सहित) के कल्याण के उपायों पर खर्च की गई राशि
		सिद्धांत 3, प्रश्न 11	सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण
6.	व्यवसाय में लैंगिक विविधता को सक्षम बनाना	सिद्धांत 5, प्रश्न 3(ख)	संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दी गई सकल मज़दूरी
		सिद्धांत 5, प्रश्न 7	पीओएसएच पर शिकायतें

7.	समावेशी विकास को सक्षम बनाना	सिद्धांत 8, प्रश्न 4	कुल खरीद के % के रूप में एमएसएमई/छोटे उत्पादकों और भारत में कहीं से प्राप्त इनपुट सामग्री
		सिद्धांत 8, प्रश्न 5	छोटे शहरों में रोज़गार सृजन - छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या अस्थायी/अनुबंध पर) को कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में भुगतान की गई मजदूरी
8.	ग्राहकों और आपूर्तिकारों के साथ जुड़ाव में निष्पक्षता	सिद्धांत 9, प्रश्न 7	कुल डेटा उल्लंघनों या साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रतिशत के रूप में ग्राहकों के डेटा की हानि/उल्लंघन से संबंधित मामले
		सिद्धांत 1, प्रश्न 8	देय खातों के दिनों की संख्या
9.	व्यवसाय का खुलापन	सिद्धांत 1, प्रश्न 9	• व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ की गई खरीद और बिक्री का संकेंद्रण • संबंधित पक्षों के साथ ऋण एवं अग्रिम और निवेश

आश्वासन पद्धति

आश्वासन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, हमने निम्नलिखित पर निर्भर किया है:

ढांचे-:

i. सेबी बीआरएसआर मूल आश्वासन परिपत्र

ii. सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर /2024/177 दिनांक 20 दिसंबर, 2024 के मार्फ़त बीआरएसआर कोर की रिपोर्टिंग पर उद्योग मानक

iii. ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल पद्धति

iv. केंद्रीय भू जल बोर्ड (केंद्रीय) दिशा-निर्देश

v. आश्वासन जुड़ाव पर अंतर्राष्ट्रीय मानक ("आईएसईए") 3000- ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखा-परीक्षा या समीक्षा के अलावा अन्य आश्वासन जुड़ाव

पद्धति-:

आश्वासन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, हमने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. बीआरएसआर (9) मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत प्रकटीकरणों की समीक्षा की, जिसमें (9) ईएसजी विशेषताओं के अंतर्गत प्रमुख कार्य-प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के एक समूह सम्मिलित आश्वासन के ढांचे को शामिल किया गया है।

ii. गणना और रिपोर्टिंग के आधार पर डेटा, दस्तावेज़ों और अन्य सूचनाओं की समीक्षा की गई।

iii. हमने डेटा एकत्र करने, मिलान करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को समझने के लिए स्थिरता, पर्यावरण और सामाजिक अभिशासन (ईएसजी) के लिए ज़िम्मेदार प्रबंधन के संबंधित कर्मियों और सलाहकार और उनकी टीम का साक्षात्कार लिया।

iv. रिपोर्ट किए जा रहे डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यालयों के समेकन की जाँच की।

v. डेटा परीक्षण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में एकरूपता का आकलन करने के लिए कार्यस्थल पर लेखा-परीक्षा की गई। इसमें रिकॉर्ड का मूल्यांकन और नमूना डेटा की पुनर्गणना सहित परीक्षण करना शामिल था।

vi. कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न मान्यताओं, अनुमानों और भौतिकता सीमाओं की उपयुक्तता का आकलन किया।

vii. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने डेटा और सूचना की नमूना-आधारित समीक्षा की है।

हमारी राय

हमें प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेज़ों, हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के बीआरएसआर में प्रकट की गई बीआरएसआर मुख्य विशेषताएँ, सेबी बीआरएसआर मूल आश्वासन परिपत्र में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्ट की गई हैं।

स्वतंत्रत कथन

सेबी बीआरएसआर कोर एश्योरेंस सर्कुलर के अनुसार, हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि न तो हमने और न ही हमारे किसी सहयोगी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी या उसकी समूह संस्थाओं को परामर्श सेवाओं सहित कोई गैर-लेखा-परीक्षा/गैर-आश्वासन संबंधी सेवा(यें) प्रदान की है, जिससे हितों का टकराव हो।

उपयोग या वितरण पर प्रतिबंध

यह आश्वासन कथन, जिसमें निष्कर्ष भी शामिल है, केवल कंपनी के अनुरोध पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बीआरएसआर में किए गए प्रकटीकरणों के संबंध में वैधानिक दायित्वों को पूरा करने हेतु तैयार किया गया है। हमारी रिपोर्ट का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए या प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य पक्ष के प्रति, जिसे हमारी रिपोर्ट दिखाई जाती है या जिसके हाथों में यह हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना आ सकती है, कोई दायित्व स्वीकार या स्वीकार नहीं करते हैं।

सीमाएँ

इस आश्वासन अनुबंध के अंतर्गत हमारा कार्य-निष्पादन निम्नलिखित सीमाओं के अधीन है:

i. कंपनी के साथ सहमत कार्य-क्षेत्र के आधार पर, उचित आश्वासन की सीमा कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के सभी कार्यालयों में संचालन को आवृत्त करती है। इसके अतिरिक्त, यह आश्वासन केवल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बीआरएसआर मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत किए गए प्रकटीकरणों के लिए दिया जा रहा है।

ii. आश्वासन अनुबंध के दौरान, हमने कंपनी द्वारा प्रदान किए गए डेटा और जानकारी पर भरोसा किया है। हमने यह मान लिया है कि कंपनी ने हमें आश्वासन के निष्पादन के लिए आवश्यक पूर्ण और प्रामाणिक डेटा तथा अन्य जानकारी प्रदान की है। कुछ मामलों में, कंपनी ने तृतीय-पक्ष डेटा स्रोतों पर भरोसा किया है। हमने उस डेटा स्रोत की प्रामाणिकता का सत्यापन नहीं किया है।

iii. गैर-वित्तीय जानकारी का मूल्यांकन और मापन करने के लिए स्थापित मानकों के एक महत्वपूर्ण निकाय का अभाव, विभिन्न लेकिन स्वीकार्य माप तकनीकों की अनुमति देता है, जो संस्थाओं के बीच तुलना को प्रभावित कर सकता है।

iv. बीआरएसआर तैयार करना कंपनी की ज़िम्मेदारी है। हम कंपनी के किसी भी वित्तीय डेटा/प्रदर्शन के मूल्यांकन या आकलन में शामिल नहीं रहे हैं। हमने वित्तीय डेटा की सत्यता के लिए पूरी तरह से कंपनी की लेखा-परीक्षित वित्तीय रिपोर्टों पर भरोसा किया है।

v. यह आश्वासन जीएचजी प्रोटोकॉल के अनुसार आकलन/माप त्रुटियों और चूकों के लिए भौतिकता सीमा के आधार पर ±5% की अनिश्चितता पर विचार करता है।

vi. यह आश्वासन कंपनी के उन कथनों को आवृत्त नहीं करता है जो किसी भी प्रकार की राय, दावे, विश्वास, आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ, लक्ष्य या भावी इरादे, यदि कोई हों, व्यक्त करते हैं।

vii. यह आश्वासन बीआरएसआर मुख्य विशेषता के संबंध में किए गए प्रकटीकरणों के संबंध में कानूनी अनुपालन की समीक्षा शामिल नहीं करता है।

कृते कॉरपोरेट पेशेवर

हस्ताक्षर/-
पवन कुमार विजय
संस्थापक एवं भागीदार

हस्ताक्षर/-
सुकृति कश्यप
वरिष्ठ सहयोगी - ईएसजी एवं स्थिरता समाधान

दिनांक: 13 मई, 2025
स्थान: नई दिल्ली

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन

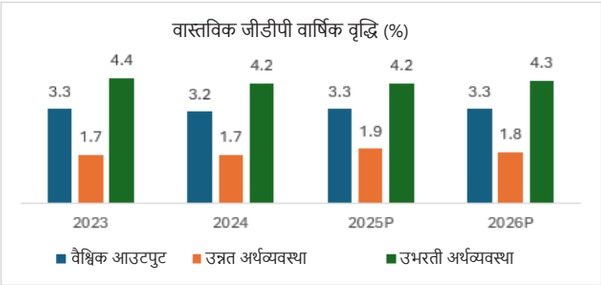
प्रबंधन को वित्तीय वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 25) हेतु कंपनी के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा सहित उद्योग परिदृश्य पर अवलोकन प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. वैश्विक व्यापार परिदृश्य और आरई बाजार

समग्र आर्थिक परिदृश्य

वित्त वर्ष 25 में वैश्विक आर्थिक गतिविधि में मामूली वृद्धि जारी रही, उन्नत अर्थ-व्यवस्थाओं में वृद्धि धीमी रही जबकि उभरते बाजारों में अपेक्षाकृत उच्च गति बनी रही।

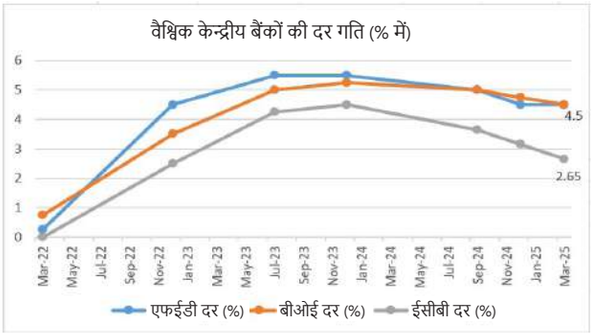
आईएमएफ के नवीनतम पूर्वानुमान में वर्ष 2025 और 2026 दोनों हेतु वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 3.3% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो एक स्थिर लेकिन मामूली विस्तार का संकेत देता है।



स्रोत: आईएमएफ

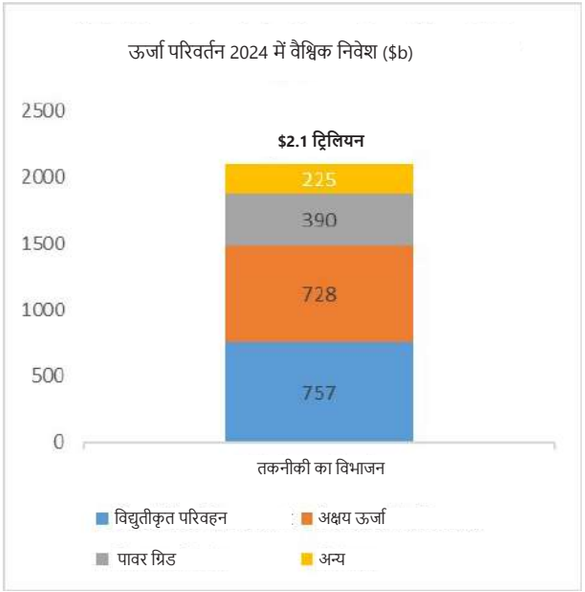
दुनिया भर में मुद्रास्फीति का दबाव धीरे-धीरे कम हो रहा है - वैश्विक मुद्रास्फीति वर्ष 2023 में लगभग 6.8% से घटकर वर्ष 2025 में लगभग 4.2% होने की उम्मीद है, जिससे कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ अपनी लक्ष्य सीमा के करीब पहुँच जाएँगी।

वर्ष 2023 तक आक्रामक मौद्रिक सख्ती के बाद, प्रमुख केंद्रीय बैंक अब कीमतों में स्थिरता में सुधार के साथ, सावधानी से ढील की ओर बढ़ रहे हैं। यह बदलाव एक अधिक सहायक वैश्विक वित्तीय वातावरण को बढ़ावा दे रहा है, हालाँकि भू-राजनीतिक तनाव और वित्तीय बाजार में अस्थिरता जैसे नकारात्मक जोखिम अभी भी सतर्कता की मांग कर रहे हैं।



स्रोत: व्यापारिक अर्थशास्त्र

हरित परिसंपत्तियों हेतु निवेशकों की रुचि मज़बूत बनी हुई है। वर्ष 2024 में, निम्न कार्बन ऊर्जा परिवर्तन में वैश्विक निवेश रिकॉर्ड 2.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया - जो कि साल-दर-साल 11% की वृद्धि है, जिसमें विद्युतीकृत परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना बड़ी मात्रा में पूँजी आकर्षित कर रही हैं।

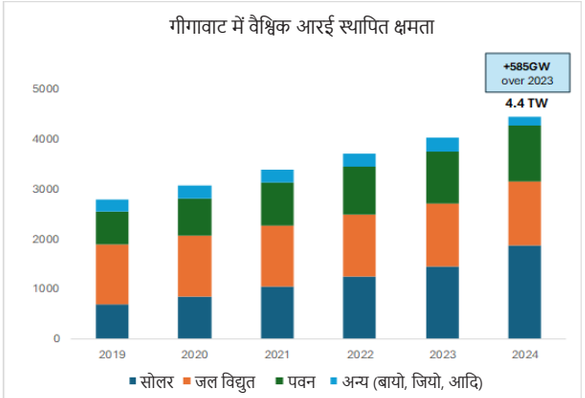


स्रोत: ब्लूमबर्ग एनईएफ

उल्लेखनीय रूप से, उच्च ब्याज दरों के बावजूद, अकेले नवीकरणीय ऊर्जा निवेश वर्ष 2024 में लगभग 728 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। यह निरंतर निवेश की ओर बढ़ते वैश्विक बदलाव को दर्शाता है - एक ऐसा रुझान जो उधारी लागत में कमी आने पर और तेज़ होने की संभावना है।

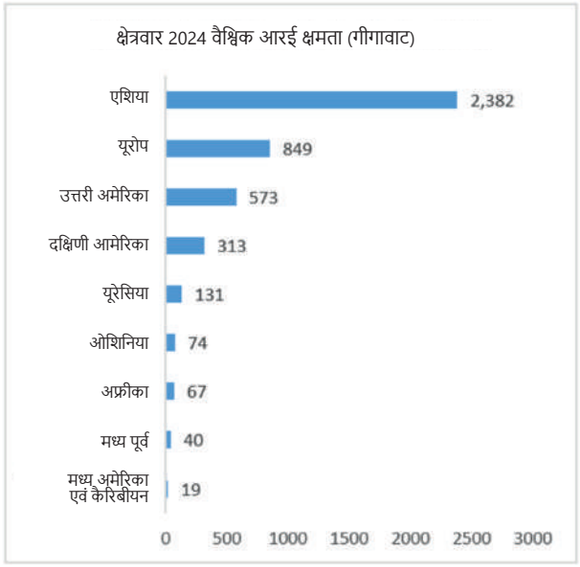
वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाज़ार का अवलोकन

वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाज़ार ने वर्ष 2024 में अभूतपूर्व विस्तार का अनुभव किया, जिसने वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को और पुष्ट किया। आईआरईएनए के अनुसार, वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ 585 गीगावाट नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई, जो कुल क्षमता वृद्धि का 90% से अधिक है। इस वृद्धि के साथ, दुनिया भर में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 4,448 गीगावाट हो गई।



स्रोत: आईआरईएनए

सभी क्षेत्रों में विकास व्यापक रहा है, हालाँकि एशिया का दबदबा बना हुआ है – लगभग दो-तिहाई नई क्षमता वृद्धि इसी क्षेत्र में हुई है, जिसमें अकेले चीन का योगदान सबसे ज़्यादा है। अन्य क्षेत्रों में भी स्थिर गति से विस्तार हुआ है – उदाहरण के लिए, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मज़बूत नीतिगत समर्थन के कारण उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जबकि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, हालाँकि सुधार दिखा रहे हैं और तुलनात्मक रूप से पिछड़ रहे हैं।



स्रोत: आईआरईएनए

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुमानों के अनुसार, वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्ष 2030 तक अपने वर्ष 2022 के स्तर से लगभग 2.7 गुना अधिक होने की राह पर है। हालाँकि यह क्षमता को तीन गुना करने के सीओपी 28 के लक्ष्य से थोड़ा कम है, फिर भी यह एक उल्लेखनीय प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। नवीकरणीय बिजली की समान लागत में लगातार गिरावट आ रही है या यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनी हुई है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा के लिए आर्थिक स्थिति मज़बूत हुई है।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों ने इसके उपयोग में तेज़ी लाने के लिए मज़बूत नीतियाँ बनाई हैं। उल्लेखनीय रूप से, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका इस दशक के उत्तरार्ध में नवीकरणीय क्षमता वृद्धि की गति को लगभग दोगुना करने के लिए तैयार हैं, जो यूरोपीय ग्रीन डील और अमेरिकी मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम जैसी पहलों से प्रेरित है।

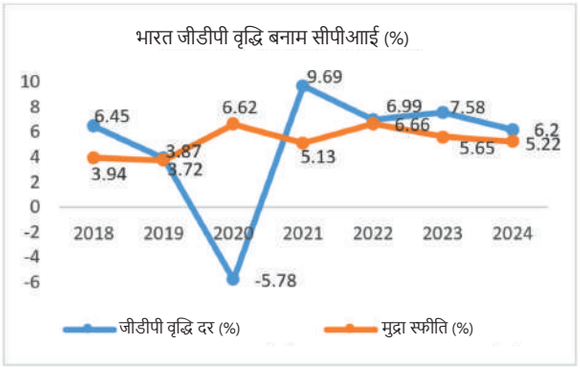
हालांकि, आईईए चेतावनी देता है कि कई विकासशील क्षेत्रों में उच्च वित्तपोषण लागत नवीकरणीय ऊर्जा विकास में बाधा डाल रही है, विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में। इस समस्या का समाधान करने के लिए, हरित वित्त पहल और विकास बैंक वित्तपोषण जैसे तंत्रों के माध्यम से निवेशों के जोखिम को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ रहा है, जिससे उभरते बाजारों में नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है।

जलवायु वित्त के अंतर को पाटने की दिशा में एक बड़ा कदम बाकू जलवायु एकता समझौता है, जिसका लक्ष्य है वर्ष 2035 तक सालाना 300 अरब डॉलर जुटाना, जिसमें सार्वजनिक और निजी स्रोतों से 1.3 ट्रिलियन डॉलर का व्यापक लक्ष्य शामिल है। एक और महत्वपूर्ण विकास वैश्विक कार्बन बाज़ार नियमों को मंज़ूरी मिलना है, जिसके कारण कार्बन व्यापार के लिए संयुक्त राष्ट्र-विनियमित प्रणाली का निर्माण हुआ है - इस कदम से पारदर्शिता बढ़ने और सीमा पार जलवायु निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

2. भारत का व्यावसायिक दृष्टिकोण और आरई बाजार

समग्र आर्थिक दृष्टिकोण

वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत का व्यापक आर्थिक परिदृश्य मज़बूत बना हुआ है। अप्रैल 2025 तक, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, जो घरेलू मांग और निवेश गतिविधियों में निरंतर वृद्धि का संकेत देता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने भी फरवरी 2025 में अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, जो संस्थागत पूर्वानुमानों और निरंतर आर्थिक लचीलेपन में समानता का संकेत देता है।



स्रोत: विश्व बैंक, व्यापारिक अर्थशास्त्र

इसी प्रकार, आरबीआई ने वैश्विक चुनौतियों और आधार प्रभावों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर लगभग 6.4% कर दिया है। इस मंदी के बावजूद, भारत की विकास दर कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज़ बनी हुई है, जो इसके लचीलेपन और मज़बूत घरेलू मांग को रेखांकित करती है।



स्रोत: व्यापारिक अर्थशास्त्र

केंद्रीय बैंक ने मुख्य मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की है और वित्त वर्ष 2024-25 में इसके 4.8% के आसपास रहने का अनुमान लगाया है। इस रुझान को देखते हुए, आरबीआई ने तटस्थ से उदार नीतिगत रुख अपनाया है।

फरवरी 2025 में, आरबीआई ने लगभग पाँच वर्षों में अपनी पहली नीतिगत दर में कटौती की, जिससे विकास को समर्थन देने के लिए बेंचमार्क रेपो दर 25 आधार अंकों से घटकर 6.25% हो गई। इसके बाद अप्रैल 2025 में, आरबीआई ने बेंचमार्क रेपो दर को फिर से संशोधित कर 6% कर दिया। मूल्य स्थिरता पर कड़ी नज़र रखते हुए, यह मापा गया सहजता, इस विश्वास को दर्शाता है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहेगी, आगामी वर्ष के लिए लगभग 4.1% का पूर्वानुमान है।

वित्त वर्ष 26 के लिए राजकोषीय नीति और बजटीय उपाय भी निरंतर विकास को बनाए रखने और एक हरित अर्थव्यवस्था की ओर संरचनात्मक परिवर्तन को सक्षम बनाने के लिए तैयार हैं।

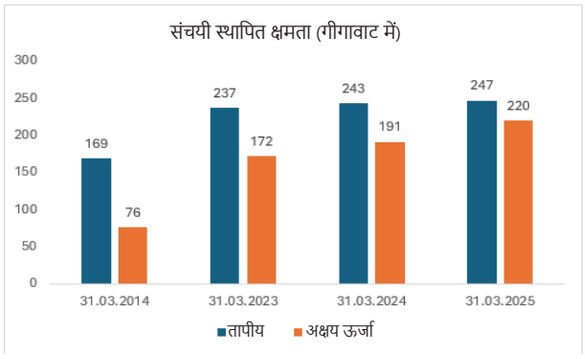
वित्त वर्ष 25-26 के केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की गई है, जिससे परिवहन, रसद और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सरकार के बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने का सिलसिला जारी है। उल्लेखनीय रूप से, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर ₹26,549 करोड़ कर दिया गया, जो स्वच्छ ऊर्जा निवेश पर मजबूत फोकस को दर्शाते हुए, साल-दर-साल 53% की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष 26 के कुल एमएनआरई बजट आवंटन ₹26,549 करोड़ में से, वित्त पोषण के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- प्रधानमंत्री सौरघर मुफ़्त बिजली योजना (₹20,000 करोड़) के लिए 75%
- प्रधानमंत्री कुसुम (₹2,600 करोड़) के लिए 10%
- ग्रिड आधारित सौर ऊर्जा (₹1,500 करोड़) के लिए 6%
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (₹600 करोड़) के लिए 2%
- हरित ऊर्जा कॉरिडोर (₹600 करोड़) के लिए 2%

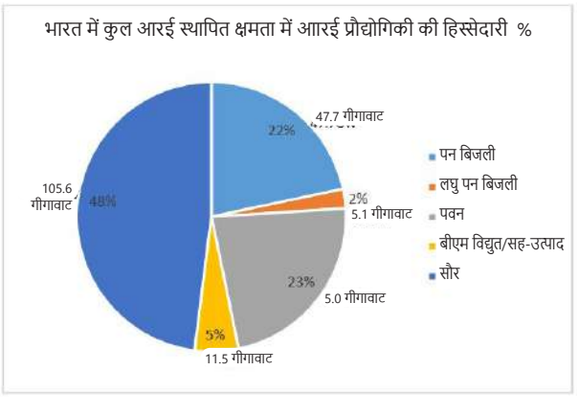
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा बाज़ार व विकास का अवलोकन

31.03.2025 तक, भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, जिसमें बड़ी जल विद्युत परियोजना भी शामिल हैं, 220 गीगावाट को पार कर गई है, जो वर्ष-दर-वर्ष लगभग 15% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाती है। वित्त वर्ष 25 में रिकॉर्ड तोड़ नई स्थापनाएँ हुईं, जिनमें लगभग 24 गीगावाट सौर पीवी और 4.1 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी गई, जो रिकॉर्ड पर सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि थी।



स्रोत: सीईए

पिछले एक दशक में, सौर ऊर्जा भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि का प्रमुख चालक रही है, जो अब कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग 48% है। हालाँकि ये उपलब्धियाँ प्रभावशाली हैं, फिर भी विस्तार की गति में तेज़ी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने वर्ष 2030 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले पाँच वर्षों में प्रति वर्ष 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संयोजन का लक्ष्य रखा है। इस पैमाने के विस्तार को प्राप्त करने के लिए अगले दशक में लगभग ₹ 33 ट्रिलियन (400 बिलियन डॉलर) के निवेश की आवश्यकता होने का अनुमान है, जिसके लिए सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के वित्त की आवश्यकता होगी।



सभी मान गीगावाट में हैं						
उत्पादन स्रोत	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक	31.03.2025 तक	31.03.2027 तक (सम्भावना)	31.03.2032 तक (सम्भावना)
सौर ऊर्जा	53.9	66.7	81.8	105.6	185	364
पवन ऊर्जा	40.3	42.6	45.8	50.0	73	122
लघु जल विद्युत	4.8	4.9	5	5.1	5.2	5.5
वृहद जल विद्युत	46.7	46.8	46.9	47.7	52.4	62.2
बायोमास	10.21	10.25	10.35	10.7	13	15.5
डब्ल्यूटीई	0.47	0.55	0.58	0.8		
कुल	156.4	171.8	190.4	220.1	328.6	569.2

स्रोत: सीईए

भारत की नीति और नियामकीय परिवेश नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए अत्यधिक सहायक बना हुआ है, और वित्त वर्ष 25 में कई उल्लेखनीय पहल शुरू की गई हैं। ₹19,744 करोड़ के बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कार्यान्वयन चरण में प्रवेश कर चुका है। यह पहल इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसका लक्ष्य है वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन क्षमता का निर्माण करना।

सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हाइब्रिड नवीकरणीय परियोजनाओं (सौर-पवन-भंडारण संयोजन) को सुगम बनाने वाली नीतियाँ शुरू की हैं और भूमि अधिग्रहण तथा अनुमति संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए राज्यों के साथ सहयोग कर रहा है।

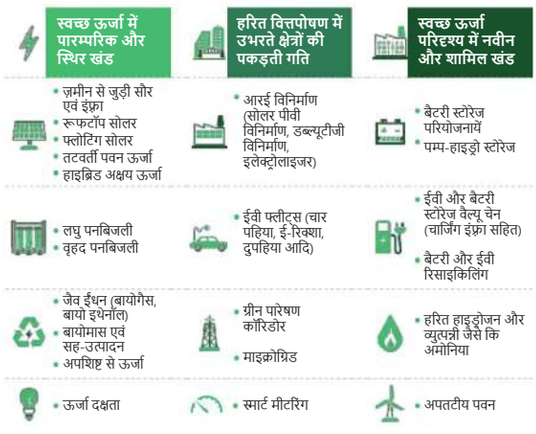
केंद्रीय बजट में एमएनआरई बजट को भारी बढ़ावा दिया गया है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को समर्थन देने के लिए सौर पीवी निर्माण योजना और ग्रिड अवसंरचना के लिए पीएलआई योजना जैसे कार्यक्रमों को वित्तपोषित किया जा रहा है। पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) नवीकरणीय एकीकरण और वितरण चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से पावर ग्रिड में उन्नयन को बढ़ावा दे रही है। आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरों की स्थापना में तेजी आई है और लगभग 2.64 करोड़ मीटर स्थापित किए गए हैं, जिससे समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों को कम करने में मदद मिली है।

इसके अतिरिक्त, हरित ऊर्जा की खुली पहुँच वाली खरीद को सुगम बनाने के लिए नए नियम और राज्य उपयोगिताओं के लिए अद्यतन नवीकरणीय खरीद दायित्व, स्वच्छ ऊर्जा की मांग को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्पादन से लेकर खपत तक, ये व्यापक नीतिगत उपाय एक सुसंगत ढाँचे का निर्माण कर रहे हैं जो संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में विकास को प्रोत्साहित करता है।

वित्तपोषण के दृष्टिकोण से, भारत के ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण पूंजी जुटाई जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग ₹10 लाख करोड़ (आवश्यक निवेश का लगभग एक-तिहाई) देने का संकल्प लिया है। इसके अतिरिक्त, निजी इक्विटी फंड, वैश्विक पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड और जलवायु फंड सहित निजी निवेशक इस क्षेत्र में तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। भारतीय संस्थाओं द्वारा हरित बॉण्ड जारी करने में वृद्धि हो रही है, जो स्वच्छ ऊर्जा वित्तपोषण के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

हालाँकि, इस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख जोखिम वर्ष 2025 से आईएसटीएस छूट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना है, जो वर्तमान में हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क से छूट देता है। बिजली उत्पादकों ने सरकार से स्वच्छ ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने के समर्थन के लिए छूट को वर्ष 2030 तक बढ़ाने का आग्रह किया है। चिंता है कि छूट हटाने से लागत बढ़ सकती है और परियोजना की व्यवहार्यता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है—खासकर राज्य की सीमाओं के पार नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बनाने वाली परियोजनाओं के लिए।

3. भारत में अक्षय और नवीन ऊर्जा परिदृश्य पर क्षेत्रवार दृष्टिकोण



भारत में समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रमुख घोषणाएँ:

- केंद्रीय बजट 2025-26 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को रिकॉर्ड ₹ 26,549 करोड़ आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 53% की वृद्धि दर्शाता है। यह आवंटन सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण और विनिर्माण-संबंधी पहलों का समर्थन करता है।
- घरेलू मूल्य कड़ी को मजबूत करने के एक बड़े कदम के रूप में, सरकार ने घोषणा की है कि 1 जून 2026 से, सभी सौर पीवी परियोजनाओं में घरेलू स्तर पर निर्मित सौर सेल का उपयोग किया जाएगा, जिससे 'मेक इन इंडिया' को बल मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
- सरकार के 50 गीगावाट वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा बोली के लक्ष्य को पूरा करने और रुक-रुक कर आने वाली नवीकरणीय ऊर्जा के निर्बाध ग्रिड एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण-II और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) के विस्तार को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
- हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए, सरकार सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड्स की नई किश्तें जारी कर रही है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं ने अगले दशक में नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण के लिए ₹10 लाख करोड़ से अधिक का वचन दिया है। कार्बन बाजारों का समर्थन करने और निम्न-कार्बन विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की रूपरेखा को भी अंतिम रूप दिया गया है।
- भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था और स्थिरता कार्यसूची के अनुरूप, सौर पैनल और बैटरी रीसाइक्लिंग के लिए मसौदा नियम जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल आरई पोर्टल अब परियोजना मंजूरी प्रणालियों को सुव्यवस्थित कर रहे हैं और अनुपालन ट्रैकिंग से देरी कम हो रही है तथा पारदर्शिता बढ़ रही है।

स्वच्छ ऊर्जा में पारंपरिक और स्थिर क्षेत्र

सौर ऊर्जा

भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र ने अपना तीव्र विस्तार जारी रखते हुए, वित्त वर्ष 2025 के अंत तक लगभग 105 गीगावाट की संचयी स्थापित क्षमता प्राप्त कर ली है। इस वर्ष लगभग 24 गीगावाट की नई सौर क्षमता का रिकॉर्ड संयोजन देखा गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 60% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं की स्थापना के कारण हुई।

नेट मीटरिंग और सब्सिडी कार्यक्रमों के सहयोग से रूफटॉप और वितरित सौर ऊर्जा में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई।

सौर ऊर्जा अब भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग आधा हिस्सा है। वर्ष 2030 तक लगभग 280 गीगावाट सौर क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और वर्तमान में लगभग 84 गीगावाट की एक मजबूत परियोजना पाइपलाइन कार्यान्वयन के अधीन है।

विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ :

- **उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना** - सौर पीवी के लिए स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु विस्तारित। किश्त-II के अंतर्गत, लगभग 39.6 गीगावाट सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता विनिर्माताओं को प्रदान की गई, जिसे ₹19,500 करोड़ के सरकारी परिव्यय द्वारा समर्थित किया गया।

- **पीएम-कुसुम योजना -** मार्च 2026 तक विस्तारित, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) कार्यक्रम का लक्ष्य 34.8 गीगावाट विकेन्द्रीकृत सौर क्षमता हासिल करना है, जिसके लिए ₹34,422 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध है। यह किसानों को सौर पंप और छोटे ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय प्रणालियाँ स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है।

- **रूफटॉप सौर कार्यक्रम (चरण II) और पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना -** मार्च 2026 तक विस्तारित, यह कार्यक्रम आवासीय और संस्थागत सौर प्रणालियों के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करना जारी रखता है, साथ ही डीआईएससीओएम को रूफटॉप सौर अपनाने में तेजी लाने के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। इस कार्यक्रम को अब पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, जिसका उद्देश्य है सौर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी खुद की बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाना। ₹75,021 करोड़ के परिव्यय के साथ, यह योजना 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% सब्सिडी प्रदान करती है।

- **पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस):** वित्त वर्ष 2022-26 के लिए ₹3.03 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू की गई, इस योजना का उद्देश्य है बिजली वितरण बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, एटी एंड सी नुकसान को कम करना और डीआईएससीओएम वित्त को मजबूत करना - जो ग्रिड में विश्वसनीय नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है।

तटीय पवन-ऊर्जा

मंद गतिविधि की अवधि के बाद, भारत के तटवर्ती पवन ऊर्जा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 25 में पुनरुद्धार के उत्साहजनक संकेत दिखाए। वर्ष के दौरान, भारत ने 4.15 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जिससे वित्त वर्ष 25 के अंत तक कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 50 गीगावाट हो गई।

स्थापनाएँ मुख्य रूप से तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक जैसे पवन ऊर्जा-समृद्ध राज्यों में केंद्रित थीं, जिन्हें पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं की बढ़ती गति और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बढ़ते कॉरपोरेट बिजली क्रय समझौतों (पीपीए) से समर्थन मिला।

इन सकारात्मक विकासों के बावजूद, वार्षिक पवन ऊर्जा वृद्धि वर्ष 2030 तक लगभग 140 गीगावाट तटवर्ती पवन ऊर्जा क्षमता के सरकारी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक गति से कम है। इसके कारण पुराने पवन फार्मों को आधुनिक टर्बाइनों से पुनः सशक्त बनाने और केंद्रीकृत नीलामी के माध्यम से उच्च पवन क्षमता वाले स्थलों के अनुकूलन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- **पवन-ऊर्जा आरपीओ प्रक्षेप-पथ -** भारत सरकार ने मांग को प्रोत्साहित करने के लिए पवन ऊर्जा के लिए एक विशिष्ट नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) शुरू किया। बाध्य संस्थाओं - जिनमें डीआईएससीओएम और बड़े उपभोक्ता शामिल हैं - को नई पवन ऊर्जा परियोजनाओं से न्यूनतम हिस्सेदारी बढ़ानी होगी - वित्त वर्ष 2022-23 में खपत का 0.81%, जो वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़कर 3.36% और वित्त वर्ष 2029-30 तक 6.94% हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पवन ऊर्जा आरपीओ मार्च 2022 के बाद शुरू की जाने वाली पवन परियोजनाओं के लिए खास है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह विरासत अनुपालन के बजाय नई क्षमता वृद्धि को बढ़ावा देगा।

- **पवन ऊर्जा परियोजनाओं हेतु राष्ट्रीय पुनर्शक्तिकरण व जीवन विस्तार नीति -** दिसंबर 2023 में घोषित, यह नीति पुराने पवन फार्मों - विशेष रूप से 2 मेगावाट से कम क्षमता वाले टर्बाइनों को आधुनिक, उच्च क्षमता वाले टर्बाइनों से बदलकर पुनर्शक्तिकरण हेतु एक रूपरेखा प्रदान करती है। इस नीति का उद्देश्य है डेवलपर्स के लिए प्रोत्साहन और ग्रिड तथा भूमि-उपयोग अनुमतियों के लिए सुविधाजनक उपायों के साथ लगभग 25 गीगावाट अतिरिक्त पवन ऊर्जा क्षमता को अनलॉक करना।

जल विद्युत

जल विद्युत भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है, जो मूल्यवान पीकिंग पावर और ग्रिड स्थिरता प्रदान करता है, जिससे यह पवन और सौर संसाधनों की परिवर्तनशीलता के प्रबंधन के लिए अपरिहार्य हो जाता है। 31 मार्च, 2025 तक, भारत की कुल स्थापित जल विद्युत क्षमता (बड़ी जल विद्युत सहित) लगभग 53 गीगावाट थी, जो भारत के बिजली उत्पादन का लगभग 10% है।

हालांकि वित्त वर्ष 25 में क्षमता वृद्धि मामूली रही, लेकिन इस क्षेत्र में बड़े पैमाने की परियोजनाओं (जैसे कि पूर्वोत्तर में सुबनसिरी लोअर) के आंशिक रूप से चालू होने और लघु जल विद्युत में वृद्धि के माध्यम से वृद्धि देखी गई, जो अब 5.1 गीगावाट तक पहुँच गई है।

बड़ी बांध परियोजनाओं से जुड़ी लंबी निर्माण अवधि और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए, वर्तमान नीति और निवेश का ध्यान ऊर्जा भंडारण, विशेष रूप से पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए जल विद्युत का लाभ उठाने पर केंद्रित हो गया है। पीएसपी के लिए बड़ा जोर दिया जा रहा है, जैसा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 25 तक 25.5 गीगावाट की नई पंप स्टोरेज परियोजनाओं की सहमति से स्पष्ट है, जिसमें अधिशेष नवीकरणीय ऊर्जा को अवशोषित करने और प्रेषण योग्य बिजली प्रदान करने में उनकी आवश्यक भूमिका को मान्यता दी गई है।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- **जल-विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ)** - सरकार ने नई बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक जल-विशिष्ट आरपीओ तैयार किया है। यह डिस्कॉम्स और बाध्य संस्थाओं को वर्ष 2019 के बाद शुरू की गई बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से एक निश्चित प्रतिशत बिजली खरीदने का आदेश देता है, यानी वित्त वर्ष 2022-23 में खपत का 0.35%, जो वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़कर 1.48% और वित्त वर्ष 2029-30 तक 2.82% हो जाएगा। यह समर्पित एचपीओ यह सुनिश्चित करता है कि नई जल विद्युत परियोजना भारत के व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा प्रक्षेप पथ में एकीकृत हों।

- **बड़े जल-विद्युत संयंत्रों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा वर्गीकरण** - मार्च 2019 से, 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली सभी जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह नीति बड़ी जल विद्युत कम्पनियों को नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्ति में योगदान करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े प्रोत्साहनों से लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है। इसके साथ ही, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए जल विद्युत के लिए टैरिफ युक्तिकरण, सहायक बुनियादी ढाँचे (जैसे, पहुँच मार्ग, पुल) के लिए वित्तीय सहायता और जल विद्युत के लिए बजटीय सहायता तक पहुँच जैसे उपाय भी किए गए।
- **पंप भंडारण प्रोत्साहन** - भंडारण की आवश्यकता को समझते हुए, विद्युत मंत्रालय ने पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। प्रमुख पहलों में शामिल हैं - सीईए द्वारा सरलीकृत और त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया, रियायती जलवायु वित्त के माध्यम से सहायता, सक्षम बुनियादी ढाँचे के लिए बजटीय सहायता आदि।

जैव ऊर्जा

31 मार्च, 2025 तक, भारत की कुल स्थापित जैव ऊर्जा आधारित विद्युत क्षमता लगभग 11.58 गीगावाट तक पहुँच गई, जो मध्यम वृद्धि को दर्शाती है। हालांकि इस क्षेत्र ने वित्त वर्ष 25 के दौरान 0.64 गीगावाट ऊर्जा जोड़ी, लेकिन सौर और पवन ऊर्जा की तुलना में इसकी गति धीमी बनी हुई है। अधिकांश क्षमता चीनी मिलों और फसल अवशेषों का उपयोग करने वाले बायोमास बिजली संयंत्रों में खोई-आधारित सह-उत्पादन से प्राप्त होती है। बिजली उत्पादन के साथ-साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट-से-ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।

जैव ऊर्जा, डिस्पैच योग्य, स्थिर ऊर्जा का लाभ प्रदान करती है - जो एक संतुलनकारी संसाधन के रूप में तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। कोयला बिजली घरों ने उत्सर्जन में कटौती के लिए बायोमास पेलेट का सह-प्रज्वलन शुरू कर दिया है और एसएटीएटी जैसी पहल कृषि और जैविक कचरे से संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं। जैव ईंधन के लिए सरकार के प्रयासों के कारण भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण वर्ष 2022 में 10-12% तक पहुँच गया है और 2025 तक 20% तक पहुँचने की उम्मीद है, जो परिवहन ऊर्जा के लिए अधिशेष बायोमास का उपयोग करके जैव ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को पूरक बनाता है।

विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम - वर्ष 2022 में शुरू की गई इस व्यापक पहल ने ₹ 858 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ पूर्व की बायोमास और बायोगैस योजनाओं को एक मंच पर समेकित किया है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित तीन उप-कार्यक्रमों के माध्यम से जैव ऊर्जा परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है:
  - शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों/अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम;
  - उद्योगों में ब्रिकेट और पेलेट के निर्माण और बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता योजना; और
  - बायो-गैस कार्यक्रम।
- **इथेनॉल मिश्रण व जैव ईंधन नीति** - जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति (2018, संशोधित 2022) ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस नीति के समर्थन से, राजकोषीय प्रोत्साहनों और क्रय गारंटी के साथ इथेनॉल उत्पादन क्षमता का विस्तार हुआ है। वर्ष 2025 की शुरुआत तक, मिश्रण दर 19% तक पहुँच गई है, जो 20% के लक्ष्य के बहुत करीब है। उच्च इथेनॉल मिश्रण न केवल परिवहन के लिए नवीकरणीय ईंधन प्रदान करता है, बल्कि चीनी/डिस्टिलरी क्षेत्र और किसानों (गुड़, मक्का, चावल जैसे कच्चे माल की मांग के माध्यम से) को भी सक्रिय करता है। इस नीति में प्रधानमंत्री जी-वन योजना के माध्यम से दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल (फसल के अवशेषों से) की योजनाएँ शामिल हैं, जो उन्नत जैव ईंधन रिफाइनरियों को बढ़ावा देती हैं।
- **एसएटीएटी और बायोगैस पहल** - वाज़िब परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी) पहल के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियाँ उद्यमियों को संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित करने और उन्हें निश्चित कीमतों पर सीबीजी बेचने के लिए आमंत्रित कर रही हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक 5,000 सीबीजी संयंत्र स्थापित करना, जो कृषि अवशेषों, मवेशियों के गोबर और जैविक कचरे को ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में उपयोग के लिए जैव सीएनजी में परिवर्तित करेंगे। इसके पूरक के रूप में, गोबर-धन (गल्वानाइज़िंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज) जैसी योजनाएँ ग्रामीण जैव-गैस संयंत्रों को सहायता प्रदान करती हैं, जिसका उद्देश्य है स्वच्छता में सुधार और जैव-गैस/जैविक खाद का उत्पादन करना। ये पहल वित्त वर्ष 25 में भी जारी रहीं, जिसमें देश भर में जैव-गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन (जैसे गारंटीकृत उठाव, पूंजीगत सब्सिडी) दिए गए।
- **कोयला संयंत्रों में बायोमास को-फायरिंग-** कृषि अवशेषों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने और पराली जलाने को कम करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने कोयला-आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास को-फायरिंग अनिवार्य कर दिया। शुरुआत में 5% मिश्रण निर्धारित किया गया था, जिसे 7-10% तक बढ़ाने के प्रावधानों के साथ, वर्ष 2021 के अंत में शुरू की गई इस नीति का धीरे-धीरे कार्यान्वयन हुआ है।

  वर्ष 2024 तक, लगभग 47 कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों (कुल 55 गीगावाट क्षमता) ने कुछ हद तक बायोमास छर्रों का सह-जलाना शुरू कर दिया था। सरकार का अनुमान है कि भारत के कोयला बेड़े में 5-7% बायोमास को-फायरिंग से सालाना लगभग 38 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन से बचा जा सकता है। वित्त वर्ष 25 में, को-फायरिंग को बढ़ाने (जैसे, विश्वसनीय पेलेट आपूर्ति कड़ी को सुरक्षित करना और बायोमास उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के माध्यम से बिजली उत्पादकों को प्रोत्साहित करना), ताप विद्युत उत्पादन को अधिक स्वच्छ बनाने और बायोमास अपशिष्ट के लिए एक अतिरिक्त बाज़ार बनाने के प्रयास जारी थे।

हरित वित्तपोषण में गति प्राप्तकर रहे उभरते क्षेत्र

सौर पीवी मॉड्यूल और सेल निर्माण क्षमता

भारत का सौर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र महत्वाकांक्षी घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तेज़ी से बढ़ रहा है। मार्च 2025 तक, देश की सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता 74 गीगावाट से अधिक हो गई है। यह देश के 40-50 गीगावाट की वार्षिक बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लक्ष्य के अनुरूप है।

इसके साथ ही, सौर सेल विनिर्माण क्षमता बढ़कर 25 गीगावाट हो गई है, जबकि अपस्ट्रीम एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण पिंड विनिर्माण क्षमता बढ़कर 2 गीगावाट हो गई है तथा कई अग्रणी कम्पनियों ने संपूर्ण मूल्य कड़ी में एकीकृत फैब्स की स्थापना शुरू कर दी है।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)** कार्यक्रम, जिसे उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल (पहले चरण में ₹4,500 करोड़, दूसरे चरण में ₹19,500 करोड़ तक विस्तारित) के लिए शुरू किया गया है, ने 48.3 गीगावाट की नई घरेलू क्षमता के विकास को सक्षम बनाया है।
- **सीमा शुल्क और उपकर** - भारत पहले घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आयातित सौर मॉड्यूल पर 40% और सौर सेल पर 25% का मूल सीमा शुल्क लगाता था। केंद्रीय बजट 2025 में, इसे बाद में संशोधित कर 20% कर दिया गया।
- **मॉडल व निर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम)**- एक अस्थायी छूट के बाद अप्रैल 2024 में बहाल की गई, यह नीति सरकार समर्थित परियोजनाओं में अनुमोदित, घरेलू स्तर पर निर्मित सौर मॉड्यूल के उपयोग को अनिवार्य बनाती है, जिससे मेक इन इंडिया पहल को बल मिलता है।

विद्युतीय वाहन (ईवी)

वित्त वर्ष 25 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की गति बनी रही और वर्तमान वर्ष 2024 में 1.95 मिलियन से अधिक वाहनों की बिक्री हुई, जिसमें मुख्य रूप से दो-पहिया (2डब्ल्यू) और तीन-पहिया (3डब्ल्यू) क्षेत्र शामिल थे। कुल वाहनों की बिक्री में ई.वी. का योगदान अब 3.6% है, जो लागत समानता, बढ़ती जागरूकता और मॉडलों की बढ़ती उपलब्धता के कारण संभव हुआ है।

आगे देखते हुए, यह गति वित्त वर्ष 26 में भी जारी रहने की उम्मीद है, भले ही एफएएमई (इलेक्ट्रिक वाहनों को द्रुत अपनाना और निर्माण)-II (2019-2024) योजना समाप्त हो रही हो, क्योंकि नीतिगत गति को बनाए रखने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और राज्यों में चार्जिंग संरचना का लगातार विस्तार हो रहा है।

एफएएमई-II योजना के समाप्त होने के साथ, भारत का ई-मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र अब दीर्घकालिक पैमाने और स्थानीयकरण की ओर बढ़ रहा है।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- **पीएम ई-ड्राइव पहल (एफएएमई के बाद सहायता)** - ₹10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत, इस कार्यक्रम का लक्ष्य है आने वाले वर्षों में लगभग 2.8 मिलियन इलेक्ट्रिक दो-पहिया (ई-2डब्ल्यू) और तीन-पहिया (ई-3डब्ल्यू) और 14,000 ई-बसों की तैनाती करना। इसे पीएम-बस सेवा योजना (₹3,435 करोड़) द्वारा पूरक बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें खरीदना, जिसमें परिवहन एजेंसियों के लिए भुगतान सुरक्षा सहायता भी शामिल है।
- **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन प्रोग्राम, 2024** - भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अप्रैल-सितंबर की अवधि के लिए ₹769.65 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई, इस अल्पकालिक योजना का लक्ष्य है 5.6 लाख ई-2डब्ल्यू और ई-3डब्ल्यू को सब्सिडी देना, जिससे एफएएमई-II के बाद मांग को बनाए रखने में मदद मिलेगी। ये उपाय, राज्य-स्तरीय ईवी नीतियों और जीएसटी कटौती (ईवी पर 5% कर) के साथ, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों को मज़बूत कर रहे हैं।

हरित पारेषण

अक्टूबर 2024 में, भारत ने राष्ट्रीय विद्युत योजना (पारेषण) का अनावरण किया, जिसमें देश की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप ग्रिड अवसंरचना के विस्तार हेतु एक रोडमैप तैयार किया गया। इस योजना में 2022-23 से 2031-32 के दशक में 191,000 सर्किट-किमी. पारेषण लाइनों और 1,270 जीवीए परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) को जोड़ने की रूपरेखा तैयार की गई है। यह विस्तार वर्ष 2030 तक लक्षित 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस योजना में 47 गीगावाट बैटरी भंडारण और 31 गीगावाट पंपयुक्त जल भंडारण भी शामिल है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा की पहुंच बढ़ने के साथ ग्रिड में लचीलापन और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।

उदाहरण के लिए, विशिष्ट परियोजना प्रगति पर हैं - 713 किलोमीटर लंबी एक समर्पित लद्दाख-हरियाणा एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन परियोजना, जिसमें 480 किलोमीटर एचवीडीसी ट्रांसमिशन शामिल है, का निर्माण किया जा रहा है ताकि सुदूर लद्दाख क्षेत्र से हरियाणा तक 13 किलोमीटर सौर और पवन ऊर्जा का संचार किया जा सके, जिसका लक्ष्य वर्ष 2029-30 तक पूरा होना है। इस परियोजना को परियोजना लागत के 40% तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्राप्त है।

इसी प्रकार, अतिरिक्त 20 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को संभालने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संपन्न राज्यों में हरित ऊर्जा कॉरिडोर के अंतर-राज्यीय नेटवर्क विकसित किए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2025 में ये प्रयास भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- **हरित ऊर्जा कॉरिडोर (जीईसी) कार्यक्रम** - जीईसी चरण-I (अंतरराज्यीय, लगभग पूरा होने वाला) और जीईसी चरण-II का उद्देश्य है ट्रांसमिशन संरचना को मजबूत करना। जीईसी चरण-II (आईएनएसटीएस) 7 राज्यों में फैला है, जिसका लक्ष्य है 10,750 किलोमीटर नई लाइनें और 27,500 एमवीए के सबस्टेशन बनाना और इसे ₹12,000 करोड़ के निवेश (33% केंद्रीय सब्सिडी सहित) का समर्थन प्राप्त है तथा इसका लक्ष्य है वर्ष 2026 तक 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करना।
- **नवीकरणीय ऊर्जा हेतु पारेषण प्रोत्साहन** - 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए और अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए 31 दिसंबर 2032 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क 25 वर्षों के लिए माफ कर दिए गए हैं।

- **ग्रिड संचालन सुधार -** हरित ऊर्जा के खुले उपयोग नियमों, समय-निर्धारण सुधारों और डिजिटल लोड डिस्पैच केंद्रों के माध्यम से, ग्रिड संचालन को सुदृढ़ किया जा रहा है। वित्त वर्ष 25 में, पारेषण योजना को नवीकरणीय और हरित हाइड्रोजन केंद्रों के साथ एकीकृत किया गया है, जो भारत के भविष्य के लिए एक "हरित ग्रिड" के निर्माण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है।

नए और विकसित होते क्षेत्र

ऊर्जा भंडारण

ऊर्जा भंडारण भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में उभर रहा है, खासकर जैसे-जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का प्रवेश बढ़ रहा है। ग्रिड से जुड़ी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियाँ जैसे बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (बीईएसएस) और पंप स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) अब चौबीसों घंटे (आरटीसी) नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना विकास में सबसे आगे हैं।

- **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (बीईएसएस) -**

  वित्त वर्ष 25 में भारत की पहली बड़े पैमाने की उपयोगिता बीईएसएस निविदाओं के शुभारंभ के साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव आया - राष्ट्रीय और राज्य उपयोगिताओं द्वारा 1,000 मेगावाट/2,000 मेगावाट घंटे और बहु 500 मेगावाट/1,000 मेगावाट घंटे की परियोजनाओं के लिए एसईसीआई निविदा।

  यद्यपि परिचालन बीईएसएस क्षमता सीमित बनी हुई है, परियोजना पाइपलाइन तेज़ी से बढ़ रही है और लागत में लगातार कमी आ रही है, जिससे व्यावसायिक व्यवहार्यता में सुधार हो रहा है। इन रुझानों के अनुरूप, सरकार ने वीजीएफ योजना के अधीन ₹3,760 करोड़ के स्वीकृत बजटीय आवंटन के भीतर रहते हुए वित्त वर्ष 27-28 तक अपने प्रारंभिक बीईएसएस लक्ष्य को 4 गीगावाट घंटा से बढ़ाकर 13.2 गीगावाट घंटा कर दिया।

- **पंप स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) -** भारत में 4.7 गीगावाट की परिचालन पीएसपी क्षमता होने के बावजूद, राज्य आरटीसी स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं। वित्त वर्ष 25 के दौरान, सीईए (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण) ने लगभग 7.5 गीगावाट के 6 हाइड्रो पीएसपी की डीपीआर पर कब्जा कर लिया और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 22 गीगावाट के कम से कम 13 पीएसपी पर सहमति बनाने का लक्ष्य रखा है।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- **बीईएसएस के लिए वैधता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना -** सितंबर 2023 में शुरू की गई, यह योजना वित्त वर्ष 2026 तक 4,000 मेगावाट घंटा बैटरी भंडारण के लिए ₹9,400 करोड़ प्रदान करके बैटरी भंडारण परियोजनाओं के लिए वीजीएफ का 40% तक प्रदान करती है। बैटरी की गिरती कीमतों ने इसके विस्तार को प्रेरित किया है, क्योंकि अब वीजीएफ कार्यक्रम वित्त वर्ष 2027-28 तक 13,200 मेगावाट घंटा बीईएसएस (उसी बजट के साथ) की सुविधा प्रदान करेगा।

- **ऊर्जा भंडारण दायित्व (ईएसओ) -** यह डीआईएससीओएम और अन्य बाध्य संस्थाओं को सौर/पवन ऊर्जा के जरिये साथ-साथ/भंडारण (ऊर्जा के आधार पर) के माध्यम से अपनी नवीकरणीय ऊर्जा खपत को वित्त वर्ष 2024 तक 1%, वित्त वर्ष 2030 तक 4% तक बढ़ाने का आदेश देता है, जिसमें 0.5% की वार्षिक वृद्धि होगी।

- **पीएसपी के लिए नीतिगत प्रोत्साहन -** पीएसपी के विकास को बढ़ावा देने के दिशा-निर्देशों के अधीन, भारत सरकार ने नई पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए पारेषण शुल्क में छूट और ऐसे भंडारण को ईएसओ ढांचे में शामिल करने जैसे प्रोत्साहनों की पेशकश की है।

बैटरी निर्माण

भारत घरेलू भंडारण सेल और बैटरी निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रख रहा है, जो विद्युतीय वाहनों और स्थिर भंडारण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हालाँकि अधिकांश भंडारण सेल अभी भी आयात किए जाते हैं, कई सेल और बैटरी निर्माण सुविधाएँ अब विकास के अधीन हैं, जो आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक हैं।

इस बदलाव को तेज करने के लिए, सरकार ने सेल उत्पादन से लेकर अनुसंधान एवं विकास और आपूर्ति कड़ी विकास तक - संपूर्ण मूल्य कड़ी को स्थानीय बनाने के लिए रणनीतिक पहल शुरू की है।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम -** वर्ष 2021 में शुरू की गई, इस प्रमुख नीतिगत पहल का लक्ष्य है विभिन्न रसायन उद्योगों में 50 गीगावाट घंटा की घरेलू सेल क्षमता स्थापित करना, जिसका कुल बजटीय परिव्यय कार्य-प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) के रूप में ₹18,100 करोड़ है। पीएलआई का पहला दौर मार्च 2022 में संपन्न हुआ, जिसमें 30 गीगावाट घंटा सेल उत्पादन क्षमता आवंटित की गई। इसके बाद सितंबर 2024 में 10 गीगावाट घंटा क्षमता आवंटित की गई। शेष 10 गीगावाट घंटा भविष्य के दौरों में आवंटित किए जाने की उम्मीद है, जिससे चरणबद्ध बाजार विस्तार और प्रौद्योगिकी अपनाने को सुनिश्चित किया जा सके।

  पीएलआई लाभार्थियों के अलावा, अन्य फर्में भी ऊर्जा भंडारण के बढ़ते बाजार का लाभ उठाने के लिए घरेलू सेल और बैटरी निर्माण में कदम रख रही हैं।

- **अन्य सहायक उपायों में** कुछ सेल घटकों पर सीमा शुल्क में छूट, नवीन रसायनों (जैसे धातु-वायु, ठोस स्टेट बैटरियाँ) के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता और गीगाफैक्ट्री निवेश के लिए राज्य-स्तरीय प्रोत्साहन (भूमि, कर छूट) शामिल हैं। वित्त वर्ष 2026 में इन नीतियों का उद्देश्य भारत में बैटरी प्रौद्योगिकी के लिए एक सम्पूर्ण घरेलू आपूर्ति कड़ी का निर्माण करना है।

हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण

भारत द्वारा हार्ड-टू-एबेट क्षेत्रों को कार्बन-मुक्त करने के प्रयासों के कारण वित्त वर्ष 25 में हरित हाइड्रोजन ने उल्लेखनीय प्रगति की है। जनवरी 2023 में स्वीकृत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) ने वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसके साथ 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि भी होगी। वित्त वर्ष 25 के दौरान, भारत सरकार ने मिशन कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए ₹ 600 करोड़ आवंटित किए और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जैसे कि रिफाइनरियां, उर्वरक संयंत्र) ने अपनी प्रक्रियाओं में हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए प्रायोगिक परियोजना शुरू की हैं।

विनिर्माण के क्षेत्र में, भारत ने ध्येय के प्रोत्साहनों के तहत घरेलू इलेक्ट्रोलाइज़र उत्पादन क्षमता के लिए अपनी पहली नीलामी आयोजित की : एसआईजीएचटी कार्यक्रम के पहले चरण में 1,500 मेगावाट/वर्ष की इलेक्ट्रोलाइज़र क्षमता प्रदान की गई थी। इसके बाद चरण II आया, जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकी श्रेणियों में 1,500 मेगावाट/वर्ष इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण क्षमता भी प्रदान की गई, जिससे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत घरेलू उत्पादन को और बढ़ावा मिला।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) एक व्यापक नीति चालक है, जिसका कुल परिव्यय ₹19,744 करोड़ है और इसका उद्देश्य है भारत को हरित हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना। इस मिशन से वर्ष 2030 तक ₹ 8 ट्रिलियन का निवेश जुटाने और लगभग 6 लाख (600,000) रोज़गार सृजित करने की उम्मीद है। मिशन के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

1. हरित हाइड्रोजन परिवर्तन के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (एसआईजीएचटी) - घरेलू इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक द्वि-आयामी उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन योजना,
2. हाइड्रोजन के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए इस्पात, लंबी दूरी के परिवहन, नौवहन और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण;
3. हरित हाइड्रोजन केंद्रों का विकास (समूहीकृत उत्पादन और अंतिम उपयोग वाले क्षेत्र);
4. हाइड्रोजन के लिए खुली पहुँच वाली नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रक्रियाधीन और नियामकों जैसे बुनियादी ढाँचे के लिए समर्थन
5. अनुसंधान व विकास और कौशल निर्माण कार्यक्रम।

इसके अलावा, उद्योग को सक्षम बनाने वाली नीतियों में हरित हाइड्रोजन (वर्ष 2030 से पहले शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए) के उत्पादन में प्रयुक्त नवीकरणीय बिजली के लिए अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क में छूट, तेल एवं उर्वरक कंपनियों के लिए हरित हाइड्रोजन खरीदने का आदेश (क्रमिक हाइड्रोजन क्रय दायित्व) और हाइड्रोजन ईंधन की गुणवत्ता एवं सुरक्षा के मानक शामिल हैं।

अपतटीय पवन ऊर्जा

भारत अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के प्रारंभिक चरण में है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए एक नया क्षेत्र है। हालाँकि वित्त वर्ष 25 तक कोई अपतटीय पवन फार्म शुरू नहीं हुआ है, फिर भी संभावनाएँ पर्याप्त हैं और नीतिगत गति बढ़ रही है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि अकेले गुजरात के तट पर लगभग 36 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता और तमिलनाडु तट पर लगभग 35 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता मौजूद है। संयुक्त रूप से, ये क्षेत्र 70+ गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता प्रदान करते हैं जो दीर्घकालिक कार्बन मुक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। वित्त वर्ष 25 कई ठोस कदमों के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे इस दिशा में आधार तैयार हुआ है, क्योंकि सरकार ने भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए ₹7453 करोड़ (~900 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दी, जो गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा विकास को समर्थन प्रदान करेगी। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, एसईसीआई (भारतीय सौर ऊर्जा निगम) ने तमिलनाडु तट पर 4 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित कीं, जिन्हें 1-1 गीगावाट के 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया। इसके अलावा, केंद्रीय एजेंसियां आने वाले वर्षों में गुजरात और तमिलनाडु प्रत्येक में 5 गीगावाट की पायलट परियोजनाओं की योजना बना रही हैं। साथ ही, समुद्र से ग्रिड तक ट्रांसमिशन लिंक बनाने के प्रयास भी चल रहे हैं – पहले 10 गीगावाट को निकालने की योजना पूरी हो चुकी है।

अपतटीय पवन ऊर्जा के प्रति इस प्रतिबद्धता से बुनियादी ढाँचे में तालमेल, आपूर्ति कड़ी विकास और नीतिगत सीख मिलने की उम्मीद है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से तटीय पवन पारिस्थितिकी तंत्र को भी लाभ हो सकता है।

विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- **अपतटीय पवन ऊर्जा नियम (2023) -** इसके तहत, डेवलपर्स को 35 वर्षों तक के लिए समुद्र तल पट्टे प्राप्त करने की अनुमति है, जिससे दीर्घकालिक निश्चितता और निवेश विश्वास प्राप्त होता है।
- **ट्रांसमिशन छूट और खुली पहुँच प्रोत्साहन -** परियोजना अर्थशास्त्र में सुधार के लिए, दिसंबर 2032 तक चालू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क में 25 साल की छूट की घोषणा की गई थी। इसी प्रकार, ये परियोजना वर्ष 2032 तक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली के लिए कोई अतिरिक्त खुली पहुँच अधिभार नहीं देंगी, जिससे अपतटीय पवन ऊर्जा अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगी।
- **व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना -** उच्च प्रारंभिक लागत को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पूर्व की अपतटीय पवन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता (संभवतः अनुदान या त्वरित मूल्यह्रास लाभ के माध्यम से) प्रदान करने तथा इन परियोजनाओं के लिए रसद सहायता हेतु बंदरगाह उन्नयन के लिए ₹7,453 करोड़ की राशि के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना की रूपरेखा तैयार की है।

- **नीलामी रोडमैप (2023-2030) -** आगामी निविदाओं पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए 2023-2030 के लिए एक नीलामी रोडमैप जारी किया गया है, जिसमें बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) और खुली पहुँच बिक्री जैसे नीलामी मॉडल शामिल हैं, जिससे बाज़ार विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

- **वैश्विक सहयोग -** भारत तकनीकी विशेषज्ञता हासिल करने, प्रारंभिक चरण के विकास के जोखिम को कम करने और आपूर्ति कड़ी और बंदरगाह अवसंरचना का सह-विकास करने के लिए डेनमार्क और जर्मनी जैसे अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र के अग्रणी देशों के साथ साझेदारी कर रहा है।

स्मार्ट मीटरिंग

भारत सरकार देश में उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई)/स्मार्ट मीटरों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल कर रही है। इसने स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसी पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य है भारत में 25 करोड़ (250 मिलियन) पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलना। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की, जो एक सुधार-आधारित और परिणाम-आधारित योजना है जिसका उद्देश्य है बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता, परिचालन दक्षता और बिजली वितरण क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार करना।

आरडीएसएस के अधीन, एएमआई को टोटेक्स मोड के तहत लागू किया जाएगा, जिसमें डीआईएससीओएम को मीटर से संबंधित डेटा और सेवाओं के उद्देश्य से मीटरिंग बुनियादी ढांचे की आपूर्ति, रखरखाव और संचालन के लिए एजेंसी को अनुबंधित किया जाएगा। यह डीबीफुट (डिज़ाइन बिल्ड फंड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर) या इसी तरह के तरीके के तहत पूंजीगत और परिचालनगत दोनों तरह के व्यय करेगा और इसके पूंजीगत व्यय का एक हिस्सा का भुगतान शुरू में स्मार्ट मीटर की स्थापना और शुरुआत पर किया जायेगा और शेष भुगतान ओ एंड एम अवधि के दौरान किया जाएगा।

विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:

- **पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) -** वर्ष 2021 के मध्य में शुरू की गई, आरडीएसएस स्मार्ट मीटरिंग और वितरण सुधारों की एक प्रमुख नीति है। ₹3.03 लाख करोड़ (₹3 ट्रिलियन) के विशाल परिव्यय और ₹97,631 करोड़ के केंद्रीय बजट समर्थन के साथ, आरडीएसएस का उद्देश्य है वितरण अवसंरचना में सुधार लाना और कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) घाटे को 12-15% तक कम करना, साथ ही राजस्व अंतर (एसीएस-एआरआर) को भी समाप्त करना। हालाँकि, निविदा प्रक्रिया में चुनौतियों, उपयोगिता और उपभोक्ता स्तर पर जागरूकता की कमी, प्रत्यक्ष डेबिट सुविधाएँ स्थापित करने में कठिनाइयों आदि के कारण, भारत में आरडीएसएस के अधीन स्मार्ट मीटर लगाने में देरी हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए, विद्युत मंत्रालय ने आरडीएसएस को वित्त वर्ष 2027-28 तक बढ़ाने की मांग की है, जिससे डीआईएससीओएम को बिना किसी जुर्माने के लक्ष्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।

4. वित्तीय और प्रचालनगत कार्य-प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2025 में, आपकी कंपनी ने लाभप्रदता, नकद प्रवाह, परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता सहित प्रमुख आयामों में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के साथ-साथ ऋण बुक में उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की है।

- **प्रमुख कार्य-निष्पादन विशेषताएँ**

  - आपकी कंपनी ने अपने पारंपरिक रूप से मज़बूत बाज़ार में अपना कार्य-निष्पादन जारी रखा है, जिसमें सौर, पवन और जल विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण ने वित्त वर्ष 25 में स्वीकृत राशि का 53% योगदान दिया।

  - आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 25 में अपनी निवल संपत्ति को बढ़ाकर ₹10,266.16 करोड़ कर दिया है और ₹1,698.60 करोड़ का सर्वकालिक उच्च कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया है।

  - आपकी कंपनी की पूँजी पर्याप्तता आरबीआई के नियमों के अनुरूप है, जिसमें सीआरएआर 17.77% है, जबकि न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 15% है। इसके अतिरिक्त, निवल संपत्ति में वृद्धि से आपकी कंपनी अपनी ऋण सीमा को भी बढ़ा सकेगी, जिससे व्यवसाय में वृद्धि की संभावना है।

  - इक्विटी की तुलना में देनदारियों में अधिक वृद्धि को देखते हुए, ऋण इक्विटी अनुपात वित्त वर्ष 24 के 5.80 की तुलना में वित्त वर्ष 25 में बढ़कर 6.31 हो गया।

  - परिचालन लाभ मार्जिन वित्त वर्ष 25 में 2.9% घटकर 31.02% रह गया, जबकि वित्त वर्ष 24 में यह 33.92% था। यह मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष में उच्च राजस्व वृद्धि के कारण हुआ।

  - शुद्ध लाभ मार्जिन वित्त वर्ष 25 में 25.15% पर लगभग स्थिर रहा, जबकि वित्त वर्ष 24 में यह 25.22% था, जो बढ़ते राजस्व और नियंत्रित व्यय के बीच एक निरंतर संतुलन को दर्शाता है।

  - शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण, निवल संपत्ति पर प्रतिफल वित्त वर्ष 25 में बढ़कर 17.44% हो गया, जबकि वित्त वर्ष 24 में यह 16.40% था।

  - वित्तीय और परिचालनगत कार्य-निष्पादन में निरंतर सुधार के साथ, आपकी कंपनी ने पिछले चार वित्तीय वर्षों में समझौता ज्ञापन मूल्यांकन में लगातार "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की है। वित्त वर्ष 25 के लिए भी, भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन के अधीन, इसकी "उत्कृष्ट" रेटिंग बरकरार रहने की उम्मीद है।

  - ऋण परिसंपत्तियों पर मामूली रूप से अधिक प्रतिफल (वित्त वर्ष 25 में 10.03% बनाम वित्त वर्ष 24 में 9.97%) और उधार लेने की कम लागत (वित्त वर्ष 25 में 7.61% बनाम वित्त वर्ष 24 में 7.81%) के बल पर, कंपनी ने ब्याज प्रसार में 26 आधार अंकों का सुधार दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप, शुद्ध ब्याज मार्जिन वित्त वर्ष 24 के 2.85% से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 3.27% हो गया।

- आपकी कंपनी ने दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का उल्लेखनीय समाधान करके अपनी मजबूत परिसंपत्ति गुणवत्ता का प्रदर्शन जारी रखा, जिससे वित्त वर्ष 25 की समाप्ति पर इसका शुद्ध एनपीए अनुपात 1.35% हो गया (तुलना में वित्त वर्ष 24 की समाप्ति पर यह 0.99% था)। संरचित वसूली प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप जीएनपीए और एनएनपीए क्रमशः 2.45% और 1.35% रहा। इसके अलावा, आपकी कंपनी के मजबूत ऋण मूल्यांकन तंत्र और स्वीकृति पश्चात तथा संवितरण की सक्रिय निगरानी ने चूक को प्रभावी ढंग से कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- वसूली/समाधान कार्यों पर ज़ोर देने के परिणामस्वरूप एनपीए सूची से 4 ऋण खातों की शुद्ध कमी हुई और एनपीए ऋणों से ₹287.76 करोड़ की वसूली हुई, जिसमें मूलधन के रूप में ₹134.00 करोड़ तथा ब्याज आय के रूप में ₹147.06 करोड़ और अन्य आय के रूप में ₹6.70 करोड़ शामिल हैं।

वित्तीय कार्य-प्रदर्शन (एकल)

कुल आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज आय	6,575	4,822
शुल्क और कमीशन आय	96	60
व्युत्पन्नों पर उचित मूल्य परिवर्तनों पर शुद्ध लाभ/(हानि)	13	(11)
अन्य परिचालन आय	58	93
परिचालन से कुल राजस्व (I)	**6,742**	**4,964**
अन्य आय (II)	12	1
कुल आय (I+II)	**6,754**	**4,965**

वित्त वर्ष 25 में कुल आय वित्त वर्ष 24 की तुलना में 36% बढ़ी है, जो मुख्य रूप से ऋणों से ब्याज आय में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण है। यह वृद्धि वित्त वर्ष 25 के दौरान कंपनी द्वारा अब तक के सर्वाधिक ₹30,168 करोड़ के ऋण वितरण के कारण हुई है, जिसके परिणामस्वरूप ऋण बुक 31.03.2024 को ₹59,698 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 25 के अंत तक ₹76,282 करोड़ हो गई।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025 में शुल्क और कमीशन आय में वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 60% की वृद्धि हुई, जिसका कारण गैर-निधि आधारित वित्तपोषण प्रदान करने पर कमीशन में वृद्धि और वित्त वर्ष 2025 में ₹47,453 करोड़ की अब तक की सबसे अधिक ऋण स्वीकृतियों के कारण उत्पन्न उच्च शुल्क है। पिछले 5 वर्षों में परिचालन से राजस्व में 23% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई।

व्युत्पन्नी पर उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अलावा लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों पर निवल लाभ/(हानि)	13	(11)

वित्त वर्ष 25 के दौरान कंपनी ने 218% का परिवर्तन देखा है, जो मुख्यतः विदेशी मुद्रा ऋणों की प्रतिरक्षा हेतु लिए गए व्युत्पन्न उपकरणों के मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) मूल्यांकन के कारण हुआ है।

वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
वित्तीय लागत	4,141	3,164

वित्त वर्ष 25 के दौरान, वित्त वर्ष 24 की तुलना में वित्तीय लागत में 31% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण ऋण परिचालनों की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए लिए गए उधारों में वृद्धि थी। इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज व्यय में 83% की वृद्धि थी, जो घरेलू पूँजी बाजारों में अनुकूल ब्याज दर स्थितियों का लाभ उठाने वाले बॉण्डों के रणनीतिक निर्गम के कारण संभव हुआ। इसके अतिरिक्त, अधीनस्थ देनदारियों से संबंधित ब्याज व्यय में वित्त वर्ष 25 के दौरान 8% की वृद्धि हुई, जो अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड और सतत ऋण लिखतों के निर्गम के बाद हुआ, जिनका उद्देश्य था कंपनी की पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाना और इसके वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाना।

शुद्ध बदली/लेन-देन विनिमय हानि (लाभ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
शुद्ध बदली/लेन-देन विनिमय हानि	42	(17)

वित्त वर्ष 25 में, परिवर्तन/लेन-देन विनिमय घाटे में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से प्रतिकूल विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण हुई, जिसका असर विदेशी मुद्रा उधारों साथ ही साथ एएफडी से लिए गए ऋण II के पूर्व भुगतान पर भी पड़ा।

वित्तीय साधनों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
ऋण	237	(67)

वित्तीय साधनों पर हानि वित्त वर्ष 25 के दौरान मुख्यतः ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि और ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन के कारण बढ़ी है। ईसीएल की गणना एक बाहरी विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा ईसीएल पद्धति के अंतर्गत भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप की जाती है।

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी लाभ व्यय	81	71

सामान्य महंगाई भत्ते में वृद्धि, कर्मचारी पदोन्नति और नियमित वेतन वृद्धि के कारण कर्मचारी लाभ व्यय में 14% की वृद्धि हुई।

मूल्यह्रास, परिशोधन व हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	39	30

वित्तीय वर्ष 25 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित मूर्त परिसंपत्तियों के संयोजन के कारण मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय में 30% की वृद्धि हुई है।

अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
अन्य व्यय	86	77

अन्य खर्चों में मामूली वृद्धि हुई है और इसमें किराया, कर और बिजली, मरम्मत और अनुरक्षण, संचार व्यय, व्यवसाय संवर्धन और कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क आदि शामिल हैं।

वित्तीय स्थिति (एकल)

परिसंपत्तियाँ

नकद और नकद समकक्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
नकद और नकद समकक्ष	30	74

नकद और नकद समतुल्य मुख्य रूप से बैंकों के पास जमा खातों में शेष राशि से मिलकर बने हैं। कंपनी ने अपने पास उपलब्ध धन का प्रभावी उपयोग किया है।

ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
ऋण (निवल)	75,320	58,775

वित्त वर्ष 25 के दौरान, कंपनी के ऋण पोर्टफोलियो में 28% की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से संवितरण में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुआ। वित्त वर्ष 25 में कुल संवितरण ₹30,168 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 24 में यह ₹25,089 करोड़ था, जो कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक संवितरण है। यह वृद्धि कंपनी की मज़बूत बाज़ार उपस्थिति और देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता हेतु अपने ऋण परिचालन के विस्तार पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती है।

निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
निवेश	626	101

वित्त वर्ष 2024 की तुलना में वित्त वर्ष 2025 के दौरान निवेश में 520% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में बढ़े हुए आवंटन के कारण हुई, जो मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार एचक्यूएलए को बनाए रखने के रणनीतिक दृष्टिकोण और मज़बूत तरलता प्रबंधन को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की इक्विटी में भी निवेश किया।

❖ **देयताएँ**

ऋण प्रतिभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ऋण प्रतिभूतियाँ	28,446	17,714

वित्त वर्ष 25 में, ऋण प्रतिभूतियों में 61% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्यतः कर योग्य बॉण्ड जारी करके कंपनी की सक्रिय धन उगाहने की पहलों के कारण संभव हुई। ये प्रयास आगे के ऋण के संबंध में उभरती व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने और पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के दौरान सफलतापूर्वक ₹10,740 करोड़ जुटाए, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास और पूंजी बाजार में प्रभावी भागीदारी को दर्शाता है।

उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	33,490	31,324

वित्त वर्ष 25 में उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) में 7% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि मुख्यतः बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वर्तमान ऋणों की निर्धारित चुकौती के बाद ली गई सावधि ऋणों के कारण हुई।

अधीनस्थ देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
अधीनस्थ देयताएँ	2,805	649

वित्त वर्ष 25 के दौरान, अधीनस्थ देयताएँ में 332% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से ₹910 करोड़ के अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स के निर्गम और ₹1,247 करोड़ के सतत ऋण उपकरणों के पहले निर्गम के कारण हुई, जिसका उद्देश्य था कंपनी के पूंजी आधार को मजबूत करना और उसकी दीर्घकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करना।

इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
इक्विटी शेयर पूँजी	2,688	2,688
अन्य इक्विटी	7,578	5,872
कुल	**10,266**	**8,560**

वित्त वर्ष 25 के दौरान, अन्य इक्विटी में 29% की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः वित्त वर्ष 24 की तुलना में प्रतिधारित आय में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई। यह वृद्धि कंपनी के मज़बूत वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाती है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 25 में ₹1,699 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक पीएटी (कर पश्चात लाभ) दर्ज किया गया, जबकि वित्त वर्ष 24 में यह ₹1,252 करोड़ था।

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में परिवर्तन

विवरण	इकाई	31.03.2025 को समाप्त वर्ष अनुसार/हेतु	31.03.2024 को समाप्त वर्ष अनुसार/हेतु	परिवर्तन
देनदार कारोबार अनुपात	गुना	लागू नहीं	लागू नहीं	-
माल कारोबार अनुपात	गुना	लागू नहीं	लागू नहीं	-
ब्याज आवृत्त अनुपात	गुना	लागू नहीं	लागू नहीं	-
चालू अनुपात	गुना	लागू नहीं	लागू नहीं	-
ऋण इक्विटी अनुपात	गुना	6.31	5.80	8.79%
प्रचालन मार्जिन प्रतिशत	%	31.02	33.92	-8.55%
शुद्ध लाभ मार्जिन प्रतिशत	%	25.15	25.22	-0.28%

निवल मूल्य पर प्रतिफल में परिवर्तन

विवरण	इकाई	31.03.2025 को	31.03.2024 को	परिवर्तन
निवल मूल्य पर प्रतिफल	%	17.44	16.40	4.44%

वित्त वर्ष 25 के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 24 की तुलना में ₹1,699 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक लाभ दर्ज किया, जिसके परिणामस्वरूप निवल संपत्ति पर प्रतिफल में वृद्धि हुई।

वित्तीय कार्य-निष्पादन (समेकित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
प्रचालन से राजस्व	6,743	4,964
कर पूर्व लाभ	2,104	1,685
कर पश्चात लाभ	1,698	1,252
कुल परिसम्पत्तियाँ	79,735	62,600
कुल देयताएँ	69,468	54,041

कंपनी ने आईएफएससी गिफ्ट सिटी, गुजरात में एक सहायक कंपनी स्थापित की है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) से दिनांक 18.02.2025 का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है ताकि वह एक वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य कर सके और 31.03.2025 को समाप्त तिमाही से समेकित वित्तीय परिणाम तैयार कर लिए गए हैं। कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में ₹26.00 करोड़ के बराबर 3.11 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, जिसे अस्थायी रूप से अल्पकालिक जमा के रूप में रखा गया है।

वित्तीय कार्य-निष्पादन (सहायक कंपनी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
कुल आय	0.91
कर पूर्व लाभ	(0.28)
कर पश्चात लाभ	(0.28)
निवल संपत्ति	26.36

इस अवधि के दौरान कोई परिचालनगत गतिविधि नहीं हुई, सिवाय इसके कि अल्पकालिक जमाओं से 0.07 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्याज आय प्राप्त हुई, जो वित्त वर्ष 25 के लिए ₹0.91 करोड़ के बराबर है और सहायक कंपनी द्वारा ₹1.19 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

5. ताकत, कमज़ोरी, अवसर और खतरे (एसडब्ल्यूओटी)

ताकत

- नवरत्न सीपीएसई का दर्जा अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे रणनीतिक चुस्ती बढ़ती है।
- 38.59 गुना आईपीओ सब्सक्रिप्शन, बहु एजेंसियों से "एएए/स्थिर" की उच्चतम क्रेडिट रेटिंग और एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स लिमिटेड से "बीबीबी-/स्थिर" की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग द्वारा निवेशकों का विश्वास मज़बूत प्रदर्शित होता है।
- इरेडा की पिछले 5-वर्ष ऋण बुक सीएजीआर 27% के अनुरूप 28% वर्ष- दर-वर्ष ऋण बुक वृद्धि (वित्त वर्ष 25 बनाम वित्त वर्ष 24)
- 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में अखिल भारतीय वित्तपोषण के साथ विविध परिसंपत्तियाँ।
- प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (विश्व बैंक, एडीबी, एएफडी, केएफडब्ल्यू, जेआईसीए, ईआईबी आदि सहित) के साथ-साथ घरेलू ऋण एजेंसियों के साथ सुस्थापित साझेदारियाँ।
- गहन क्षेत्रीय विशेषज्ञता और मजबूत ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया, जिसके परिणामस्वरूप 31.03.2025 तक जीएनपीए और एनएनपीए क्रम से सिर्फ़ 2.45% और 1.35% रहे।
- परियोजना-विशिष्ट वित्तपोषण, गारंटी योजना, ऋण संवर्धन गारंटी योजना आदि जैसे वित्तीय उत्पादों और योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

कमज़ोरियाँ

- एक गैर-जमा स्वीकार करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण (एनडी-एसआई) एनबीएफसी के रूप में, आपकी कंपनी को खुदरा निवेशकों से जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं है, जिससे कम लागत वाली निधियों तक पहुँचने और प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण देने में चुनौतियाँ आती हैं।
- सीमित पूँजी आधार के कारण, आपकी कंपनी को इस क्षेत्र की बढ़ती वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर पूँजी बाज़ारों से संपर्क करना पड़ता है।

अवसर

- भारत में विशाल नवीकरणीय ऊर्जा और संबंधित हरित ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश पाइपलाइन: वर्ष 2030 तक ₹46 लाख करोड़ से अधिक का अनुमान।
- वर्ष 2030 तक 50 गीगावाट वार्षिक बोली और 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता के लिए सरकार समर्थित प्रयास।
- गिफ्ट सिटी और हरित बॉण्ड्स जैसे ईएसजी-लिंक्ड उपकरणों के माध्यम से नए वित्तपोषण के अवसर।
- हरित हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण, अपतटीय पवन, स्मार्ट मीटरिंग अवसंरचना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बढ़ती माँग दीर्घकालिक ऋण अवसर प्रदान करती है।

खतरे, जोखिम और चिंताएँ

- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विकास अनुकूल सरकारी नीतियों और वित्तीय प्रोत्साहनों से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। इन लाभों में किसी भी प्रकार की कमी या वापसी इस क्षेत्र और आपकी कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- आपकी कंपनी को, विशेष रूप से पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में, अन्य जमा-लेने वाले वित्तीय संस्थानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिनकी निधियों की लागत कम हो सकती है या जिनकी पूँजी तक पहुँच बेहतर हो सकती है।

6. जोखिम प्रबंधन ढाँचा

आपकी कंपनी के व्यापक जोखिम प्रबंधन का अनुरक्षण निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली बोर्ड-स्तरीय समिति है, जो जोखिम रणनीति के कार्यान्वयन की निगरानी और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए ज़िम्मेदार है। समग्र संगठनात्मक जोखिम के प्रबंधन की अंतिम ज़िम्मेदारी बोर्ड के पास होती है।

आरएमसी स्वतंत्र जोखिम निगरानी और एक केंद्रित जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। यह उद्यम-व्यापी जोखिम ढाँचों, जैसे कि जोखिम क्षमता ढाँचा (आरएएफ), आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) और तनाव परीक्षण ढाँचे की भी समीक्षा करती है।

जोखिम वर्गीकरण की बदलती प्रकृति को देखते हुए, एक विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए बोर्ड और उसकी उप-समितियों के चार्टर में समय-समय पर संशोधन आवश्यक है, और यह सब बोर्ड की कुशल निगरानी में किया जाना चाहिए।

आपकी कंपनी के प्रमुख जोखिमों में ऋण, तरलता, परिचालन, साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी जोखिम शामिल हैं। इनसे निपटने के लिए, कंपनी ने एक व्यापक जोखिम क्षमता ढाँचा लागू किया है। एक आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, शासन प्रणालियों और संबंधित प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन करता है।

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

आपकी कंपनी के पास अपने परिचालनों के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ हैं ताकि विभिन्न लेन-देन की सटीक और समय पर रिपोर्टिंग, परिचालन की दक्षता और लागू कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाने तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा, कंपनी के विभिन्न विभागों के साथ घनिष्ठ समन्वय में, सनदी लेखाकार की एक अनुभवी फर्म द्वारा की जाती है।

आंतरिक लेखा-परीक्षा, कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा, वित्तीय वर्ष 25 के लिए आंतरिक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त, बाहरी पेशेवर लेखा-परीक्षा फर्म मैसर्स रवि राजन एंड कंपनी, एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सहायता से की जाती है। लेखा-परीक्षा समिति, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और लागू आरबीआई दिशा-निर्देशों द्वारा निर्धारित अनुसार, लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समय-समय पर समीक्षा करती है। इसके अलावा, कंपनी ने आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) नीति लागू की है।

8. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

जैसे-जैसे आपकी कंपनी एक निरंतर विकसित होते व्यावसायिक परिदृश्य में आगे बढ़ रही है, इसका मानव संसाधन कार्य उत्कृष्टता और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर बनाने तथा संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक मज़बूत मूल्य प्रणाली और सर्वोत्तम प्रथाओं में विश्वास करती है। आपकी कंपनी की मानव संसाधन रणनीति अपने लक्ष्यों के अनुरूप बनी रहती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कंपनी सतत विकास को गति देने और कंपनी के व्यापक मिशन में योगदान देने के लिए शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित, विकसित और बनाए रखे।

31 मार्च, 2025 तक आपकी कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या 166 थी, जबकि 31 मार्च, 2024 तक यह संख्या 173 थी, जिसमें बोर्ड स्तर के अधिकारी शामिल नहीं हैं। महिला कर्मचारियों की संख्या कार्यबल विविधता और लैंगिक समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू है और 31.03.2025 तक महिला कर्मचारियों की संख्या 47 थी, जो कुल कर्मचारियों की संख्या का 28.31% है। आपकी कंपनी की सेवा-निवृत्ति दर 2.95% थी, जिसमें सेवा-निवृत्ति और मृत्यु के मामले शामिल नहीं हैं। 31.03.2025 तक कर्मचारियों की औसत आयु 43.5 वर्ष है।

9. पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली

आपकी कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी और एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान है, जिसने वित्तपोषित परियोजनाओं के पर्यावरण और समग्र समाज पर पड़ने वाले प्रभावों, यदि कोई हों, की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) को अपनाया है।

आपकी कंपनी की पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा इकाई (ईएसएसयू) की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है विभिन्न परियोजनाओं और उनकी संबंधित प्रौद्योगिकियों के पर्यावरणीय एवं सामाजिक (ई एंड एस) पहलुओं से संबंधित प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही ईएसएमएस का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना भी है। वित्तीय वर्ष 25 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा वित्तपोषित सभी प्रौद्योगिकियों में लगभग 109 परियोजनाओं की ई एंड एस स्क्रीनिंग और वर्गीकरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं के साथ उनकी ई एंड एस आवश्यकताओं को समझने के लिए नियमित विचार-विमर्श किया जाता है। इससे आपकी कंपनी को अपने ई एंड एस दायित्वों को पूरा करने और उधारकर्ताओं को अपनी परियोजनाओं से जुड़े ईएंडएस जोखिमों के प्रबंधन में मदद मिली है।

10. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी एक सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार एजेंसी बनने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समाज और राष्ट्र में सक्रिय रूप से योगदान देती है। कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल सकारात्मक प्रभाव डालने और भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और सतत विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के सिद्धांत पर गहराई से आधारित है।

इन पहलों के माध्यम से, आपकी कंपनी का लक्ष्य देश के पर्यावरणीय और सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में टिकाऊ सामुदायिक और पर्यावरणीय परियोजनाओं में योगदान के माध्यम से समाज में मूल्य सृजन को बढ़ावा देना और उसे सुविधाजनक बनाना जारी रखना है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और वंचित क्षेत्रों के विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है।

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए सीएसआर निधि के अंतर्गत कुल 13 परियोजनाओं के लिए ₹24.34 करोड़ (प्रशासनिक व्यय को छोड़कर) की कुल राशि स्वीकृत की तथा वित्तीय वर्ष 2025 में ₹7.82 करोड़ की कुल राशि वितरित की, जिसमें पिछले वर्षों के अव्ययित खातों से संवितरण और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।

आपकी कंपनी ने विभिन्न संगठनों और संस्थानों से सीएसआर अनुरोधों की प्राप्ति और निपटान में पारदर्शिता बढ़ाने और सीएसआर प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता की समय पर जाँच, स्वीकृति और संवितरण सुनिश्चित करने के लिए एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पोर्टल शुरू किया।

एक सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार कॉरपोरेट के रूप में, आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में अपने सीएसआर प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्र के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाने का लक्ष्य रखती है।

11. खंड वार – या उत्पाद वार कार्य-प्रदर्शन

कंपनी भारत में कार्यरत है, इसलिए इसे केवल घरेलू खंड में ही संचालित माना जाता है। कंपनी के सभी प्रचालनों को एक ही व्यावसायिक खंड माना जाता है, इसलिए कंपनी का कोई अलग रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है।

चेतावनी कथन

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, अपेक्षाओं और अनुमानों का वर्णन करने वाले कथन वर्तमान व्यावसायिक परिवेश पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम भारत और विदेश दोनों में भविष्य के आर्थिक और अन्य विकासों के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण,

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर प्रतिवेदन

राय

हमने **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड** ("कंपनी") के साथ दिए गए एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक का एकल तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि का एकल विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का एकल विवरण और उस वर्ष के लिए नकद प्रवाह का एकल विवरण, और एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पण शामिल हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 (यथा संशोधित) ("अधिनियम") की आवश्यकता के अनुसार तैयार की गई सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे "एकल वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी प्रदान करते हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("इंड एएस") के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा इसके नकद प्रवाह सहित लाभ का एक सही तथा निष्पक्ष विवरण देते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा मानकों ("एसएएस") के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के 'एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियां' अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के अधीन एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की नैतिक संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

मामले पर जोर

हम आपका ध्यान निम्नलिखित मामलों की ओर आकृष्ट करते हैं:

1. जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 38 (40) में वर्णित है, कंपनी ने ₹1,202.21 करोड़ के कुल ऋणों को वर्गीकृत किया है, जिन्हें माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार चरण III/गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में चरण II/मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक था। तदनुसार वैधानिक प्रकटीकरण किए गए हैं। हालांकि, विवेक के मामले में, आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एनपीए बनने वाले ऐसे खातों पर ब्याज आय को संग्रह के आधार पर मान्यता दी गई है और तदनुसार खातों में हानि के लिए भत्ता दिया गया है।

2. जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 48 (ब)(क) में यथावर्णित, 31 मार्च 2024 तक, कंपनी का प्रतिवेदित सीआरएआर 20.11% था। यह गणना कंपनी द्वारा वित्तपोषित, चालू अक्षय ऊर्जा अवसंरचना परियोजना परिसंपत्तियों को सौंपे गए 50% जोखिम भार पर आधारित थी, जो अपनी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) तक पहुँच चुकी थीं और एक वर्ष से अधिक समय से परिचालन में थीं। हालाँकि, 31 मार्च 2025 तक, कंपनी ने इन परिसंपत्तियों पर 100% जोखिम भार लागू किया है। तदनुसार, 31 मार्च 2024 तक इसी अवधि का सीआरएआर 15.51% तक पुनः घोषित किया गया है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपने प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रमुख लेखा-परीक्षा मामलों के रूप में माना है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षक का प्रत्युत्तर
1.	**ऋण परिसंपत्तियों की क्षति - अपेक्षित ऋण हानि** वित्तपोषण कंपनी का प्रमुख व्यवसाय है और क्षति के कारण होने वाली हानि के प्रावधान पर विचार करने के बाद उचित मूल्य पर ऋण परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंपनी एक बोर्ड अनुमोदित पद्धति का अनुसरण करती है, जिसमें ऋण जोखिम और क्षति के साक्ष्य के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करते हुए, एक बाहरी एजेंसी द्वारा क्षति के लिए अनुमति का आकलन कुछ मानदंडों/ढांचे के आधार पर किया जाता है। परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि अनुमति (ईसीएल) के मापन के लिए, चूक की संभावनाओं (पीडी), चूक के कारण हानि (एलजीडी) और चूक पर जोखिम (ईएडी) का अनुमान लगाने के लिए जटिल मॉडलों और भविष्य की आर्थिक स्थितियों और ऋण व्यवहार (जैसे- ग्राहकों द्वारा चूक करने और परिणामी हानि की संभावना) के बारे में महत्वपूर्ण मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। ये मॉडल और मान्यताएँ क्षति हानि को मापने के लिए प्रमुख चालक हैं। ईसीएल का आकलन करते समय कंपनी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और ईसीएल में अंतर्निहित मान्यताओं की समय-समय पर निगरानी और समीक्षा की जाती है। ऐसी मान्यताओं का उचित अनुप्रयोग ऋण परिसंपत्तियों के विवरण के लिए आवश्यक है। एकल वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि की महत्ता को देखते हुए, ऋण परिसंपत्तियों की क्षति के कारण होने वाली हानि को हमारी लेखा-परीक्षा में मुख्य लेखा-परीक्षा विषय माना गया है। एकल वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी संख्या 38 (19) (अ) (ii) (क) देखें, जिसे मुख्य लेखा नीति संख्या 3(xx) - 'वित्तीय साधन' के साथ पढ़ा गया है।	**हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएँ जिनके आधार पर हम प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता और ऋण परिसंपत्तियों की क्षति - अपेक्षित ऋण हानि के लेखांकन के संबंध में निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** हमने भारतीय लेखा मानक 109 "वित्तीय उपकरण" में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों, विभिन्न नियामक अद्यतनों, आईसीएआई के मार्ग-दर्शन और ईसीएल के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त कर ली है और निम्नलिखित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है: ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी, प्रासंगिक डेटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण क्षति का आकलन, और दर्ज किए गए वास्तविक डेटा की समीक्षा के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का मूल्यांकन और परीक्षण। ऋण परिसंपत्तियों में वसूली का सत्यापन किया जाता है ताकि उन पर दबाव के स्तर और एकल वित्तीय विवरणों में क्षति भत्ते पर प्रभाव का पता लगाया जा सके। दस्तावेज़ीकरण, प्रचालन/कार्य-निष्पादन, उपलब्ध प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और ऋण परिसंपत्तियों, विशेष रूप से बड़ी और दबावग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी का सत्यापन/समीक्षा, ताकि किसी भी ऋण परिसंपत्ति खाते में किसी भी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके। कंपनी ईसीएल घटकों के मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्ष की सेवाएँ लेती है। तृतीय पक्ष द्वारा किए गए हानि भत्ते के अध्ययन में की गई गणनाओं पर हम भरोसा करते हैं और उसके लिए परीक्षण जाँच करते हैं। तृतीय पक्ष के साथ साझा किए गए डेटा को प्रस्तुत किए जा रहे भौतिक घटकों की सत्यता के लिए हमारे द्वारा सत्यापित किया जाता है। इस संबंध में हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया सीमित है, क्योंकि हम ऐसे डेटा के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर एक्सेस को तृतीय पक्ष द्वारा गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए साझा नहीं किया जाता है। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के लागू निदेशों द्वारा यथा अपेक्षित प्रावधानों से भी ईसीएल की तुलना की और तदनुसार हानि भत्ते की पर्याप्तता सुनिश्चित की।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षक का प्रत्युत्तर
2	**व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन** विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर के प्रति कंपनी के जोखिम को कम करने के लिए, गैर-रुपया नकद प्रवाह की निगरानी की जाती है और बचाव उद्देश्य के लिए व्युत्पन्नी अनुबंध दर्ज किए जाते हैं। व्युत्पन्नों को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है। बचाव लेखांकन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए, बचाव संबंध को भारतीय लेखा मानक के अनुसार कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करना चाहिए। बचाव लेखांकन के परिणामस्वरूप एकल वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, साथ ही इसके लेखांकन/धारणाओं की जटिलता और बचाव संबंध स्थापित करने के लिए उसमें कई प्राचल होते हैं। इन व्युत्पन्नों पर लाभ/हानि को भारतीय लेखा मानक द्वारा प्रदान की गई अन्य व्यापक आय या लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। कंपनी के संचालन के अनुसार ऐसे लेन-देन का परिमाण महत्वपूर्ण है। मामले के तथ्यों को देखते हुए हमने इसे एक प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले के रूप में पहचाना है। [लेखांकन नीति संख्या 3(xx) के साथ पठित एकल वित्तीय विवरण हेतु टिप्पण संख्या 38 (29) देखें]।	**हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं जिनके आधार पर हम प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता और व्युत्पन्नों के लिए लेखांकन के संबंध में एक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** - इंड एएस 109 के अनुसार व्युत्पन्नी के उचित मूल्य का सत्यापन, व्युत्पन्नी लेन-देन की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण करना। - व्युत्पन्नी लिखतों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और मूल्यांकन मॉडल पर प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन। - 31 मार्च, 2025 तक निपटान के लिए बकाया/लंबित के रूप में विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्नी अनुबंधों का विवरण प्राप्त किया। - प्रबंधन की धारणा पर चर्चा करना और समझना तथा जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी की नीति का अध्ययन करना। -31 मार्च 2025 तक बकाया व्युत्पन्न सौदे के लिए कंपनी द्वारा बाहरी मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त मार्क टू मार्केट मूल्यांकन रिपोर्ट का सत्यापन। - उन वित्तीय व्युत्पन्नी अनुबंधों के लिए प्राप्त उचित मूल्यांकन का अनुमान लगाने में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन। - व्युत्पन्नी लिखतों के लिए लागू मूल्यांकन पद्धतियों की उपयुक्तता और नमूना आधार पर उनका परीक्षण करना। इसके अतिरिक्त, हमने अन्य व्यापक आय या लाभ और हानि खाते में व्युत्पन्नी पर लाभ/हानि के लेखांकन का सत्यापन किया। इंड एएस 109 के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की।
3	**कराधान हेतु देयता** कंपनी के पास विवादित मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चित कर माँगें हैं, जिनमें इन विवादों के संभावित परिणाम निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। सेवा कर और माल व सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरणों ने पिछले कई वर्षों में कुछ मुद्दे और माँगें उठाई हैं, जिनका कंपनी द्वारा विभिन्न मंचों पर विरोध किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर मामले आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित हैं। परिणामी देनदारियों का उचित प्रावधान और प्रकटीकरण एकल वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण है।	**हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं जिनके आधार पर हम कराधान हेतु देयता के लिए प्रकटीकरण और लेखांकन की तर्कसंगतता के बारे में निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में आयकर विभाग के साथ विवाद में उक्त विषय-वस्तु पर मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की समीक्षा शामिल है। हमने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया अपनायी। अन्य कर मामलों के लिए, तथ्यों और कानूनी घोषणाओं का विश्लेषण और समीक्षा की गई। हमने भारतीय लेखा मानक 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" के अनुसार प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षक का प्रत्युत्तर
	इन माँगों का संभावित परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। इसे देखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले के रूप में पहचाना है। एकल वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 38 (16) (क) देखें।	

भारतीय लेखा मानक एकल वित्तीय विवरण और उस पर लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक प्रतिवेदन, प्रबंधन-चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन के अनुलग्नकों सहित बोर्ड प्रतिवेदन में निहित जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन शामिल नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्य जानकारी इस लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराये जाने की उम्मीद है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के अंतर्गत अन्य जानकारी नहीं आती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान प्राप्त की गई हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। जब हम ऊपर बतायी गई अन्य जानकारी पढ़ते हैं और यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें मामले को अभिशासन के प्रति जिम्मेदार लोगों को बताना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का वर्णन करना होगा।

प्रबंधन और एकल वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन बाबत प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में बताये गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य-प्रदर्शन), कंपनी की इक्विटी और नकद प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी का एक चालू समुद्यम के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू समुद्यम से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने, यथाप्रयोज्य, और लेखांकन के चालू समुद्यम आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी के परिसमापन या प्रचालन बंद करने का इरादा न रखे, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की अनुरक्षण हेतु भी जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक ग़लतबयानी से मुक्त हैं, और एक लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखा-परीक्षा के अनुसार आयोजित एक लेखा-परीक्षा हमेशा एक भौतिक ग़लतबयानी का पता लगाएगी जब वह मौजूद हो। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलतबयानी उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा कर सकती हो।

एसए के अनुसार एक लेखा-परीक्षा के अंग स्वरूप, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा-परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाये रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को अभिकल्पित और निष्पादित करना, तथा लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को अभिकल्पित करने के लिए लेखा-परीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों के अनुकूल हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता है;
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना, और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सूची का मूल्यांकन करना, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावित बनाती है कि एकल वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा-परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम कंपनी के अभिशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखा-परीक्षा के नियोजित दायरे व समय और महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है उसे हम अपनी लेखा-परीक्षा के दौरान प्रतिचिह्नित करते हैं।

हम अभिशासन के लिए प्रभारी लोगों को यह भी विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी करते हैं।

अभिशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं, जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे तथा इस प्रकार वे प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन में तब तक करते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारे प्रतिवेदन में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम, ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना हो।

अन्य मामले

i. विगत प्रथाओं के अनुसार, ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में, कंपनी ने कंपनी द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत ईसीएल प्रतिवेदन के आधार पर भारतीय लेखा मानक 109 के अंतर्गत आवश्यक अनुसार अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) प्रदान की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी प्राचलों/कुछ पहलुओं पर आधारित धारणाएँ भी शामिल हैं।

ii. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा कंपनी के पूर्ववर्ती वैधानिक लेखा-परीक्षक द्वारा किया गया था, जिन्होंने 19 अप्रैल, 2024 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से उन वित्तीय विवरणों पर बिना शर्त राय व्यक्त की थी।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुसार, हम **"अनुलग्नक-क"** में आदेश की कंडिका 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जो लागू होने की सीमा तक है और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (5) के अनुसार, हम कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में **"अनुलग्नक-ख"** में जानकारी देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून के अनुसार उचित लेखा पुस्तिकाएँ रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है कि हमारे द्वारा निरीक्षण न किए गए शाखाओं से हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं;

ग) इस रिपोर्ट से संबंधित एकल तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का एकल विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का एकल विवरण और नकद प्रवाह का एकल विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं;

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

ङ) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक-5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है;

च) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उक्त नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक-ग" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 ('लेखा-परीक्षा नियम') के नियम 11 के अनुसार लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है - एकल वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 38 (16) देखें।

ii. कंपनी ने व्युत्पन्नी अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर भौतिक पूर्वानुमानित हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत आवश्यकता अनुसार उचित प्रावधान किया है: - एकल वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 38 (19) (स) (II) (ग) देखें।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. (क) प्रबंधन ने अभिवेदित किया है [देखें टिप्पण 38 (26)] कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("बिचौलिये") शामिल है, को कोई भी धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी भी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने यह अभिवेदित किया है [देखें टिप्पण 38(27)] कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("निधिकरण पक्ष") शामिल है, से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई सुविधा प्रदान करेगी; और

(ग) लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, जिसे परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप खंड (क) और (ख) के अधीन अभिवेदनों में कोई भौतिक गलत कथन है।

v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु अपने खातों की पुस्तकों को अनुरक्षित रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए पूरे वर्ष संचालित है। इसके अलावा, हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला और प्रबंधन ने कहा है कि ऑडिट ट्रेल सुविधा को अक्षम नहीं किया जा सकता है। कंपनी ने अभिलेखों के रखरखाव हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित रखा है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या: 009989 एन

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084
यूडीआईएन: 25085084BMMBWD6474

दिनांक: 15.04.2025
स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की सम तिथि के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-क

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अनुच्छेद 1 में संदर्भित कंपनी (लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2020 ('आदेश') के अधीन अनुलग्नक "क" प्रतिवेदन

(i) (क) (अ) कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित रख रही है;

(ब) कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित रख रही है;

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रबंधन द्वारा सालाना भौतिक रूप से सत्यापित किए गए हैं, जो हमारी राय में उचित है। कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन और परिणामी समायोजन पर देखी गई विसंगतियों को लेखा पुस्तकों में सम्पादित किया जाता है। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, यह तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है तथा लेखा पुस्तकों में उचित रूप से निपटाया गया है;

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों तथा हमें प्रदान किए गए शीर्षक विलेखों के आधार पर, हम प्रतिवेदित करते हैं कि, एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर, जहां कंपनी पट्टेदार है तथा पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) नीचे बताये गए अपवादों को छोड़कर कंपनी के नाम पर रखे गए हैं: -

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण (प्रकृति)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिनके नाम में धारित	क्या प्रवर्तक, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि- जहां उचित हो, सीमा बताएं	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
1	कार्यालय परिसर - भारत पर्यावास केंद्र परिसर (आईएचसी) {परिसम्पत्तियों के इस्तेमाल का अधिकार}	1.72	आईएचसी द्वारा आवंटन-पत्र के आधार पर अधिकृत किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 12.04.1993	भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी) द्वारा त्रिपक्षीय हस्तांतरण विलेख/ समझौते का निष्पादन [भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), आईएचसी और आवंटी संस्थानों के बीच] आईएचसी में सभी आवंटी संस्थानों के संबंध में लंबित है, जिसमें इरेडा भी शामिल है। आईएचसी पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए एल एंड डीओ के साथ संपर्क में है। पट्टा विलेख के मसौदे को एल एंड डीओ द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आईएचसी ने 24.03.2023 को सूचित किया है कि मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और न्यायालय ने इसी प्रभाव से आदेश पारित कर दिया है। इसके अलावा, आईएचसी और एसडीएमसी दोनों पक्षों द्वारा 11.04.23 के आदेश द्वारा दो अन्य याचिकाएँ भी वापस ले ली गईं थीं। कंपनी त्रिपक्षीय पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु आईएचसी के साथ नियमित रूप से संपर्क में है। आईएचसी ने 31.12.2024 के ईमेल द्वारा सूचित किया है कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण (प्रकृति)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिनके नाम में धारित	क्या प्रवर्तक, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि- जहां उचित हो, सीमा बताएं	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
2	अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) में कार्यालय परिसर {परिसम्पत्तियों के इस्तेमाल का अधिकार}	21.10	हुडको द्वारा स्थायी पट्टा विलेख के आधार पर कब्जा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.12.2006	संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण की प्रक्रिया हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) के साथ चल रही है।
3.	जंगपुरा, दिल्ली में आवासीय फ्लैट (निवेश संपत्ति के रूप में धारित)	0.09	एचपीएल द्वारा विक्रय समझौते के आधार पर कब्जा किया गया	नहीं	23.06.1994	संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा एलएंडडीओ के साथ मिलकर की जा रही है। इसके बाद, विलेख का निष्पादन किया जाएगा।
4.	कार्यालय परिसर- एनबीसीसी किदवई नगर (संपत्ति इस्तेमाल का अधिकार)	132.92	पट्टे का निष्पादन प्रक्रियाधीन	नहीं	आवंटन-पत्र दिनांक 04.09.2015	उप एलएंडडीओ-IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय (एमओएचयूए) के माध्यम कार्यपालक भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए कंपनी द्वारा अंतिम मसौदा पट्टा विलेख को एनबीसीसी के पास भेजा गया था। उक्त संपत्ति हेतु अधिग्रहण की तारीख और पट्टे की आरंभ तिथि के संबंध में मामले को निष्पादन से पहले एनबीसीसी के पास भेजा गया है।
5.	आवासीय फ्लैट - एनबीसीसी किदवई नगर (संपत्ति इस्तेमाल का अधिकार)	6.61	पट्टे का निष्पादन प्रक्रियाधीन	नहीं	आवंटन-पत्र दिनांक 14.11.2018	उप एलएंडडीओ-IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, एमओएचयूए के माध्यम कार्यपालक भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए कंपनी द्वारा अंतिम मसौदा पट्टा विलेख को एनबीसीसी के पास भेजा गया था। उक्त संपत्ति हेतु अधिग्रहण की तारीख और पट्टे की आरंभ तिथि के संबंध में मामले को निष्पादन से पहले एनबीसीसी के पास भेजा गया है। यह फ्लैट एमओएचयूए के पास इंटर-पूल एक्सचेंज ऑफ़ हाउसेस में पड़ा हुआ है तथा इसे कंपनी में वापस लेने की कार्रवाई चल रही है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसम्पत्तियों के उपयोग के अधिकार सहित) तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है;

(ङ) बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के प्रति कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) कंपनी के पास कोई माल-सूची नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी को कुछ चालू परिसंपत्तियों की जमानत के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा संस्वीकृत की गई है तथा कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों में दाखिल तिमाही रिटर्न या विवरण कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान अपने लेन-देन के संबंध में, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, लेकिन एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते गारंटी और सुरक्षा प्रदान की, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी और अन्य पक्षों को रक्षित/अरक्षित ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम प्रदान किए। इस संबंध में, हम निम्नानुसार प्रतिवेदित करते हैं -

(क) कंपनी एक एनबीएफसी है जिसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है, ऋण या ऋण की प्रकृति में किसी भी अग्रिम पर रिपोर्टिंग, या गारंटर के रूप में खड़े होने, या सुरक्षा के प्रावधान के लिए यह खंड लागू नहीं है। इस दृष्टि से आदेश के खंड 3 (iii) (क) (अ) और (ब) के अधीन अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं है;

(ख) हमारी राय में और हमारे द्वारा निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, प्रदान की गई गारंटी, दी गई सुरक्षा और ऋण तथा गारंटी की प्रकृति में सभी ऋण और अग्रिम के अनुदान के नियम और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं;

(ग) हमारे द्वारा निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, ऋण और ऋण की प्रकृति में अग्रिम के संबंध में, मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है और ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मामले को छोड़कर, और कुछ मामलों को चरण 1 के रूप में प्रकट किया गया है और अदालत के आदेशों के मद्देनजर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में प्रकट नहीं किया गया है, को छोड़कर पुनर्भुगतान आमतौर पर शर्तों के अनुसार नियमित हैं [देखें एकल वित्तीय विवरणों का क्रमशः टिप्पणी 38(48) ओ व 38(40)];

(घ) हमारे द्वारा निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं और एकल वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 38 (48) (ण) में यथा प्रकटीकृत के अनुसार, नब्बे दिनों से अधिक के लिए कुल बकाया राशि ₹1,866.25 करोड़ है। हमारी राय में, मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए कंपनी द्वारा एक एनबीएफसी होने के नाते उठाये गए कदम आम तौर पर इसके द्वारा तैयार की गई नीतियों के अनुसार हैं और उचित हैं;

(ङ) कंपनी एक एनबीएफसी है जिसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है, वर्ष के दौरान देय होने वाले ऋणों आदि पर रिपोर्टिंग के लिए यह खंड 3 (iii) (ङ) और दिए गए मौजूदा ऋणों के बकाया को निपटाने के लिए नवीनीकृत या विस्तारित या नये ऋण दिए गए हैं, कंपनी पर लागू नहीं हैं;

(च) हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान, मांग पर या तो चुकाने योग्य या फिर बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए ऋण या ऋण की प्रकृति में कोई अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसे देखते हुए, इस खंड 3(iii)(च) के अनुसार संबंधित पक्षों को ऋण के संबंध में अन्य रिपोर्टिंग आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं;

(iv). हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अधीन निर्दिष्ट अनुसार कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन कंपनी ने किया है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (iv) के अनुसार आगे की रिपोर्टिंग की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम और उसके तहत नियमों के कोई भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसे देखते हुए, आदेश के खंड (v) के अनुसार ऐसे प्रावधानों या प्राधिकारियों/ न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश के उल्लंघन के संबंध में अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(vi) हमने कंपनी के व्यवसाय के संबंध में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों की व्यापक समीक्षा की है, जिस पर उक्त नियम लागू होते हैं और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित लेखों और अभिलेख बनाये गए हैं और अनुरक्षित हैं। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए उक्त अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी आम तौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया को उचित अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। वर्ष के अंत तक किसी भी वैधानिक बकाया के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि बकाया नहीं थी, जो उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी;

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर उल्लिखित वैधानिक बकाया का विवरण जो किसी विवाद के कारण वर्ष के अंत तक जमा नहीं किया गया है, निम्नानुसार है:

संविधि का नाम	कर की प्रकृति	विवाद में राशि (₹ करोड़ में)	वित्तीय वर्ष हेतु	जमा की गई राशि+ (₹ करोड़ में)	फोरम जहाँ मामला लंबित है
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	13.44	2009-10	13.44	आईटीएटी
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	1.52	2010-11	1.52	आईटीएटी
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	15.20	2011-12	15.20	आईटीएटी
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	22.17	2012-13	22.17	आईटीएटी
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	15.47	2013-14	15.47	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	23.11	2014-15	23.11	आईटीएटी
आयकर अधिनियम 1961	आय कर	27.61	2015-16	27.61	आईटीएटी
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	53.37	2016-17	22.99	आईटीएटी
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	26.79	2017-18	17.32	आईटीएटी
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	4.27	2019-20	4.27	सीआईटी (अपील)
वित्त अधिनियम (एफए)1994, एफए 2004, एफए 2015	सेवा कर व जुर्माना	117.09	2012-13 से 2015-16	7.86	सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
वित्त अधिनियम (एफए)1994, एफए 2004, एफए 2015	सेवा कर व जुर्माना	41.46	2016 -17 एवं 2017-18	3.88	सीईएसटीएटी, मुंबई
सीजीएसटी अधिनियम 2017 व दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017	जीएसटी व जुर्माना	30.51	2017-18 व 2018-19	15.25	#
कंपनी अधिनियम, 2013	जुर्माना	0.03	2021-22 व 2022-23	-	क्षेत्रीय निदेशक (एनआर), दिल्ली के पास अपील दायर की गई

+ विरोध / पूर्वप्रदत्त कर के अधीन जमा

पीठ के गठन के पश्चात वैधानिक अवधि के भीतर उच्च प्राधिकारियों के समक्ष द्वितीय अपील दायर की जाएगी।

(viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान, ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो। इसके मद्देनजर, आदेश के खंड 3 (viii) के अनुसार पहले से अलिखित आय का कोई लेन-देन नहीं है।

(ix) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी ऋणदाता को किसी ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है। इसके मद्देनजर, आदेश के खंड 3 (ix) (क) के अंतर्गत अपेक्षित अन्य रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम प्रतिवेदित करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, जिस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त किए गए थे, उसी उद्देश्य के लिए सावधि ऋण लागू किए गए थे। इसे देखते हुए आदेश के खंड 3(ix)(ग) के अंतर्गत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(घ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण, हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं तथा कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा अल्पावधि आधार पर उगाही गई किसी भी निधि का उपयोग दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है। इसे देखते हुए आदेश के खंड 3(ix)(घ) के अंतर्गत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी संस्था या व्यक्ति से सहायक कंपनी के दायित्वों को पूरा करने के लिए या खाते पर कोई धनराशि नहीं ली है और कंपनी के पास कोई संयुक्त उद्यम या सहयोगी संस्था नहीं है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने सहायक कंपनी में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है और कंपनी के पास कोई संयुक्त उद्यम या सहयोगी संस्था नहीं है।

(x) (क) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से कोई धनराशि की उगाही नहीं की है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऋण साधनों (सार्वजनिक प्रस्ताव या अन्यथा) के माध्यम से उगाही गई धनराशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया, जिनके लिए उन्हें उगाहा गया था।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या कोई निजी स्थानन नहीं किया है।

(xi) (क) हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, वर्ष के दौरान, हमें कंपनी द्वारा या कंपनी पर किसी भी भौतिक धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित अनुसार फॉर्म एडीटी-4 में लेखा-परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई पर्दाफाश करने वाली शिकायत नहीं मिली है।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xiii) (क), (ख) या (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों में आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं;

(xiv) (क) हमारी राय में तथा हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए लेखा-परीक्षित अवधि के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा आज तक जारी रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है। इसे देखते हुए आदेश के खंड 3(xv) के अंतर्गत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xvi) (क) कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों के संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।

(ख) कंपनी द्वारा की जाने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियाँ पंजीकरण के वैध प्रमाणपत्र के अधीन हैं।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गए विनियमों में परिभाषित अनुसार एक मूल निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (ग)और (घ) के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है;

(xvii) कंपनी ने न तो इस वित्तीय वर्ष में और न ही तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा उठाया है;

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा-परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार इस खंड के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है;

(xix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, एकल वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचना, निदेशक मंडल के बारे में हमारी जानकारी और प्रबंधन योजनाओं के आधार पर, हमारा यह मत है कि लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता विद्यमान नहीं है कि कंपनी अपने तुलन-पत्र की तिथि पर विद्यमान अपनी देनदारियों को तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाने में सक्षम है। हम आगे बताते हैं कि हमारा प्रतिवेदन हमारे लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर होने वाली सभी देनदारियों का कंपनी द्वारा उनके देय होने पर भुगतान कर दिया जाएगा;

(xx) (क) हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, कंपनी को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष की किसी भी अव्यतित राशि को हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। [एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 38(38) देखें]

(ख) हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी चालू परियोजना के अंतर्गत ₹22.03 करोड़ की राशि का व्यय न किया जाना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित किया जाना है। [देखें एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 38(38)]

(xxi) आदेश का खंड 3 (xxi) एकल वित्तीय विवरणों पर लागू नहीं है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं दी गई है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या: 009989एन

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084
यूडीआईएन: 25085084BMMBWD6474

दिनांक: 15.04.2025
स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन का अनुलग्नक-ख

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा जारी किए गए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निदेश

विवरण	उत्तर:
1. क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखा लेन-देन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखा लेन-देन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर निहितार्थ, यदि कोई हो, बताये जा सकते हैं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर, सभी लेखा लेन-देन कंपनी द्वारा कार्यान्वित आईटी प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। अवधि के अंत में वित्तीय विवरण आईटी सिस्टम से उत्पन्न शेष राशि और लेन-देन के आधार पर ऑफ़लाइन संकलित किए जाते हैं। हमें न तो सूचित किया गया है और न ही हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान हमें ऐसे किसी भी लेखांकन लेन-देन का पता चला है जिसका खातों की अखंडता पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही वित्तीय निहितार्थ भी हैं जिन्हें आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किया गया है।
2. क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा बकाया/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा-परीक्षक के लिए भी लागू है।	i. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर, कंपनी को किसी भी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या बकाया/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। ii. एक सरकारी कंपनी होने के नाते, ऋणदाता के रूप में कंपनी के प्रचालन के संबंध में, कंपनी ने ऐसे मामलों का उचित रूप से हिसाब लगाया है जहां दिए गए मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन किया गया है या बकाया/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं और ऐसे मामलों का कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव नहीं है।
3. क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के बाबत प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब लगाया गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का लेखा-जोखा रखा है तथा उसका उपयोग योजनाओं के नियम और शर्तों के अनुसार किया है।

कृते **शिव एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या: 009989एन

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084
यूडीआईएन: 25085084BMMBWD6474

दिनांक: 15.04.2025
स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-ग

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च, 2025 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा की है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के साथ संयुक्त है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकॉउन्टेंट्स ऑफ़ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा' पर मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाये रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा 'वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी ('मार्ग-दर्शन टिप्पणी') और 'लेखा-परीक्षण पर मानक' के अनुसार की, दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने गए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा के लिए लागू और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए। उन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा-परीक्षा की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाये रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के सम्बन्ध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो:

1. उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

2. उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय सिर्फ़ कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकरणों और निदेशकों के अनुसार किए जा रहे हैं; और

3. कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है, साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं,या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय प्रतिवेदन पर एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय प्रतिवेदन पर ऐसी वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से काम कर रही थी, जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर मार्ग-दर्शन टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करती है। इसके अलावा, लेखांकन अभिलेख के कुछ क्षेत्र, उदाहरण के लिए प्रभावी ब्याज दर गणना, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) बेहतर नियंत्रण के लिए स्वचालन की प्रक्रिया में हैं।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

कृते **शिव एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या: 009989एन

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084

दिनांक: 15.04.2025
स्थान: नई दिल्ली

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन

निदेशक मंडल,

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

हमने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक का एकल तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि का एकल विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का एकल विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का एकल विवरण तथा एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं, जो 'कंपनी अधिनियम 2013 (यथा संशोधित) ("अधिनियम") (जिसे आगे "एकल वित्तीय विवरण" कहा जाएगा) की आवश्यकता के अनुसार तैयार की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षक प्रतिवेदण (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार, कंपनी पर लागू सीमा तक उसमें निर्दिष्ट मामलों पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के व्यवसाय में लगी हुई है, जिसके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र (सीओआर) संख्या 14.000012 दिनांक 13 मार्च, 2023 है, जिसे निवेश ऋण कंपनी (आईसीसी) के रूप में पहले के पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 14.000012 दिनांक 23 जनवरी, 2008 के बदले में जारी किया गया था और पहले भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iए के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण के लिए कंपनी के आवेदन के अनुसरण में प्रमाण-पत्र संख्या 14.000012 दिनांक 10 फरवरी 1998 के माध्यम से पंजीकृत किया गया था।
2. कंपनी 31 मार्च, 2025 तक अपने प्रधान व्यवसाय मानदंड (वित्तीय परिसंपत्ति/आय स्वरूप) के अनुसार उक्त सीओआर को जारी रखने की हकदार है।
3. कंपनी एक एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ("एनबीएफसी-आईएफसी") होने के नाते, मास्टर निर्देश - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 दिनांक 19 अक्टूबर 2023 (यथा संशोधित) (इसके बाद "एमडी 2023" के रूप में संदर्भित) में निर्धारित ऐसी कंपनियों पर लागू शुद्ध स्वामित्व वाली निधि की आवश्यकता को पूरा कर रही है।
4. निदेशक मंडल ने10 अप्रैल, 2024 को संकल्प लिया है कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करेगी।
5. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।
6. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरण आरबीआई द्वारा जारी किए गए एमडी 2023 तथा उसके अधीन जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) की मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। तदनुसार, कंपनी अपनी ऋण परिसंपत्तियों के प्रावधान और उसके वर्गीकरण के लिए हानि भत्ते की गणना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पद्धति का अनुसरण कर रही है। एकल वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए एक तंत्र को अपनाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के विनियामक अनुपालन को देखते हुए, कंपनी को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार क्षति हानि का प्रावधान करना आवश्यक है और एमडी 2023 के संदर्भ में खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी मानदंड) से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इस संबंध में, एमडी 2023 के अनुपालन में कंपनी ने आईआरएसीपी मानदंडों (मानक परिसंपत्ति प्रावधानों सहित) के अधीन आवश्यक प्रावधान की गणना की है और कंपनी को "हानि आरक्षित" के लिए कोई राशि विनियोजित करने की आवश्यकता नहीं है।
7. कंपनी एमडी 2023 में परिभाषित अनुसार एनबीएफसी मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल) है, तदनुसार :

i) बैंक को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न स्टाइल डीएनबीएस - 3 में दर्शाए गए पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना सही ढंग से की गई है, सिवाय कंपनी द्वारा वित्तपोषित उन चालू अक्षय ऊर्जा अवसंरचना परियोजना परिसंपत्तियों पर लागू जोखिम भार के, जो अपनी वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) तक पहुँच चुकी थीं और एक वर्ष से अधिक समय से परिचालन में थीं। यह अनुपात आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार 100% के बजाय 50% लिया गया है, जो बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर के अनुरूप है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अब फॉर्म एनबीएस-7 में रिटर्न जमा करना बंद कर दिया है।

ii) कंपनी ने 30 जून 2024, 30 सितंबर 2024 और 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए डीएनबीएस-3 में पूंजीगत निधि, जोखिम परिसंपत्तियों/प्रकटीकरण और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात का तिमाही विवरण आरबीआई को अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया है और 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए डीएनबीएस-3 को हमारी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की तारीख तक दाखिल किया जाना बाकी है। फॉर्म एनबीएस-7 में रिटर्न जमा करना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तब से बंद कर दिया गया है।

8. कंपनी एमडी-2023 द्वारा परिभाषित अनुसार एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एनबीएफसी-एमएफआई) नहीं है।

कृते **शिव एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या: 009989एन

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084
यूडीआईएन : 25085084BMMBWD6474

दिनांक: 15.04.2025
स्थान: नई दिल्ली

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के मन्तव्य।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा-परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कहा गया है कि यह कार्य उनके द्वारा **15 अप्रैल, 2025 की उनकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट** के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा आयोजित की है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा वैधानिक लेखा-परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा-परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा-परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन वैधानिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक करने की आवश्यकता हो।

कृते तथा उनकी ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक

हस्ताक्षर/-
तान्या सिंह
महानिदेशक लेखा-परीक्षा, केन्द्रीय व्यय
(पर्यावरण व वैज्ञानिक विभाग)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.07.2025

एकल तुलन-पत्र

31 मार्च, 2025 को

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2025 को	31.03.2024 को
I	**परिसम्पत्तियां**			
अ	**वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
	(क) नकद और नकद समतुल्य	2	29.84	74.21
	(ख) उपर्युक्त (क) के अलावा बैंक शेष	3	641.34	661.68
	(ग) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	4	487.89	483.78
	(घ) प्राप्य			
	(I) व्यापार प्राप्य	5	5.93	6.02
	(ङ) ऋण	6	75,319.98	58,775.09
	(च) निवेश	7	626.14	101.30
	(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	29.20	23.47
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (अ)		**77,140.32**	**60,125.55**
ब	**गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
	(क) चालू कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	9	219.81	155.41
	(ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	10	360.56	289.45
	(ग) निवेश संपत्ति	11	0.02	0.03
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)	12	199.68	206.40
	(ङ) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	13	-	-
	(च) परिसम्पत्तियां उपयोग का अधिकार	14	143.40	149.89
	(छ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	15	-	-
	(ज) अमूर्त परिसम्पत्तियां	16	5.49	4.78
	(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	17	1,665.07	1,668.94
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (ब)		**2,594.03**	**2,474.90**
	कुल परिसंपत्तियाँ (अ+ब)		**79,734.35**	**62,600.45**
II	**देयताएँ और इक्विटी**			
	देयताएँ			
अ	**वित्तीय देयताएँ**			
	(क) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	4	23.20	208.02
	(ख) देय			
	व्यापार देय राशि	18		
	(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		1.06	1.03
	(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		8.05	6.27
	(ग) ऋण प्रतिभूतियाँ	19	28,446.24	17,713.61
	(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	20	33,489.50	31,323.85
	(ङ) अधीनस्थ देयताएँ	21	2,804.57	649.42
	(च) अन्य वित्तीय देयताएँ	22	1,637.83	1,340.30
	कुल वित्तीय देयताएँ (अ)		**66,410.45**	**51,242.50**
ब	**गैर-वित्तीय देयताएँ**			
	(क) प्रावधान	23	1,217.49	991.12
	(ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ	24	1,840.25	1,807.41
	कुल गैर-वित्तीय देयताएँ (ब)		**3,057.74**	**2,798.53**
स	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	25	2,687.76	2,687.76
	(ख) अन्य इक्विटी	26	7,578.40	5,871.66
	कुल इक्विटी (स)		**10,266.16**	**8,559.42**
	कुल देयताएँ और इक्विटी (अ+ब+स)		**79,734.35**	**62,600.45**

कंपनी अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की जानकारी 1
साथ में दिए गए टिप्पणी 1 से 38 एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

सम तिथि की हमारे लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार
कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989एन

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15.04.2025

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षर/-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या 08816532

हस्ताक्षर/-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07448576

हस्ताक्षर/-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

लाभ और हानि का एकल विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
I	**प्रचालन से राजस्व**			
i)	ब्याज आय	27	6,575.39	4,822.40
ii)	शुल्क और कमीशन आय	28	95.71	60.02
iii)	व्युत्पन्नी पर उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि)	29	13.13	(11.26)
iv)	अन्य प्रचालन आय	30	58.18	92.77
	प्रचालन से कुल राजस्व (I)		**6,742.41**	**4,963.93**
II	**अन्य आय**	**31**	**12.37**	**1.36**
III	**कुल आय (I+II)**		**6,754.78**	**4,965.29**
IV	**व्यय**			
i)	वित्त लागत	32	4,141.03	3,164.10
ii)	शुद्ध परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि/(लाभ)	33	41.61	(16.53)
iii)	वित्तीय लिखतों पर हानि	34	237.23	(67.22)
iv)	कर्मचारी लाभ व्यय	35	81.05	71.32
v)	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	36	38.80	30.35
vi)	अन्य व्यय	37	86.48	76.51
vii)	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	38(38)	24.78	21.51
	कुल व्यय (IV)		**4,650.98**	**3,280.04**
V	**असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**2,103.80**	**1,685.25**
VI	**असाधारण मदें**		**-**	**-**
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**2,103.80**	**1,685.25**
VIII	**कर व्यय**	38(3)		
	(i) चालू कर		471.31	413.03
	(ii) आस्थगित कर		(66.11)	19.98
IX	**निरंतर प्रचालन से लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**1,698.60**	**1,252.24**
	बंद प्रचालन से लाभ/(हानि)		-	-
X	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि)**		**1,698.60**	**1,252.24**
XI	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**			
(अ)	(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन :-		(20.78)	(2.28)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		5.23	0.57
	उप-योग (अ)		**(15.55)**	**(1.71)**
(ब)	(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा :-			
	- नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा		111.96	(207.25)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		(28.18)	52.16
	उप-योग (ब)		**83.78**	**(155.09)**
	अन्य व्यापक आय (अ+ब)		**68.23**	**(156.80)**
XII	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (X+XI) [लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय सम्मिलित]**		**1,766.83**	**1,095.44**
XIII	**आय प्रति इक्विटी शेयर (निरंतर प्रचालन हेतु)**			
	मूल (₹)		6.32	5.16
	मंदित (₹)		6.32	5.16
XIV	**आय प्रति इक्विटी शेयर (बंद प्रचालन हेतु)**			
	मूल (₹)	38(14)	-	-
	मंदित (₹)		-	-
XV	**आय प्रति इक्विटी शेयर (निरंतर और बंद प्रचालन हेतु)**			
	मूल (₹)		6.32	5.16
	मंदित (₹)		6.32	5.16

कंपनी अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की जानकारी 1

साथ में दिए गए टिप्पणी 1 से 38 एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

सम तिथि की हमारे लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989एन

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15.04.2025

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षर/-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या 08816532

हस्ताक्षर/-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07448576

हस्ताक्षर/-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

नकद प्रवाह का एकल विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.		विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	
अ		**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:**				
		कर पूर्व लाभ	2,103.80		1,685.25	
		निम्न हेतु समायोजन:				
	1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द करने पर हानि/(लाभ) (शुद्ध)	0.54		0.64	
	2	वित्तीय साधनों पर हानि	237.23		(67.22)	
	3	मूल्यह्रास और परिशोधन	38.80		30.35	
	4	डब्ल्यूबी अनुदान के कारण परिशोधन समायोजन	0.37		3.98	
	5	पट्टा देयता पर ब्याज	0.34		0.36	
	6	शुद्ध परिवर्तन/ लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)	41.61		(16.53)	
	7	बट्टे खाते डाला गया प्रावधान	(0.01)		-	
	8	बट्टे खाते डाली गई राशि / खराब ऋण	17.02		1.84	
	9	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	4.09		4.45	
	10	ऋण प्रतिभूतियों पर प्रभावी ब्याज दर	(7.36)		0.17	
	11	ऋण प्रतिभूतियों के अलावा अन्य उधार पर प्रभावी ब्याज दर	-		0.01	
	12	अधीनस्थ देयताओं पर प्रभावी ब्याज दर	(2.21)		0.08	
	13	ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	43.03		7.76	
	14	अप्रत्यक्ष कर (गारंटी कमीशन पर सहित) और अन्य के लिए प्रावधान	23.22		20.15	
	15	व्युत्पन्नी पर उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध हानि / (लाभ)	13.13		(11.26)	
		परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**2,513.60**		**1,660.03**	
		परिचालन परिसंपत्तियों/देनदारियों में वृद्धि/कमी				
	1	ऋण परिसंपत्तियां	(16,623.35)		(12,644.48)	
	2	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	(71.97)		107.87	
	3	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	3.64		68.45	
	4	व्यापार प्राप्य	0.09		(1.01)	
	5	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	33.70		70.41	
	6	अन्य वित्तीय देयताएं	225.02		(145.84)	
	7	पट्टा देयता	(0.39)		(0.09)	
	8	व्यापार देय	1.81		2.80	
	9	नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष	20.35		154.57	
			(16,411.10)		**(12,387.32)**	
		असाधारण मदों से पूर्व प्रचालन से नकद प्रवाह	**13,897.50)**		**(10,727.29)**	
		असाधारण मद	-		-	
		कर पूर्व परिचालन से शुद्ध नकद अन्तर्वाह/(बहिर्वाह)	**(13,897.50)**		**(10,727.29)**	
		आयकर	(563.90)		(372.35)	
		परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह		**(14,461.40)**		**(11,099.64)**
ब		**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**				
	1	संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की खरीद	(25.38)		(16.29)	
	2	अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद	(1.93)		(4.52)	
	3	संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री	0.32		0.15	
	4	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (शुद्ध)	(490.39)		-	
	5	सहायक कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश	(26.00)		-	
	6	पूँजीगत कार्य-प्रगति-पर (सीडब्ल्यूआईपी) में संयोजन	0.00		(2.50)	
		निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह		**(543.38)**		**(23.16)**
स		**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**				
	1	इक्विटी शेयरों के निर्गम से आय	-		403.16	
	2	प्रतिभूति प्रीमियम से आय	-		886.96	
	3	शेयर निर्गम व्यय	-		(31.18)	
	4	ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम (मोचन का शुद्ध)	10,740.00		6,870.16	

नकद प्रवाह का एकल विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण		31.03.2025 को समाप्त वर्ष		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	
	5	पीडीआई सहित अधीनस्थ देनदारियों को जुटाना (मोचन का निवल)	2,157.37		-	
	6	ऋण प्रतिभूतियों के अलावा अन्य ऋण उगाही (पुनर्भुगतान का निवल)	2,063.33		2,929.72	
	7	पट्टा देयता के लिए भुगतान	(0.29)		(0.27)	
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह			**14,960.41**		**11,058.55**
	नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/कमी			**(44.37)**		**(64.25)**
	शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष			74.21		138.45
	अंत में नकद और नकद समकक्ष			29.84		74.21
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष के घटक निम्नानुसार हैं:					
	बैंकों की भारतीय शाखा के चालू खातों में			19.74		8.33
	बैंकों की विदेशी शाखा के चालू खातों में			-		0.03
	विदेशी शाखाओं में अल्पावधि जमा			0.32		0.54
	बैंकों के साथ ओवरड्राफ्ट खातों में			1.90		57.09
	बैंकों के साथ जमा खातों में			-		0.66
	बैंकों के साथ बचत बैंक खातों में			7.88		7.56
	संग्रह के अधीन चेक/डीडी हाथ में और डाक अग्रदाय			0.00		-
	वर्ष के अंत में कुल नकद और नकद समकक्ष			**29.84**		**74.21**

कंपनी अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की जानकारी 1

साथ में दिए गए टिप्पणी 1 से 38 एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

1 नकद प्रवाह का उपर्युक्त विवरण भारतीय लेखा मानक 7 'नकद प्रवाह का विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अधीन तैयार किया गया है।
2 परिसंपत्तियों के निर्माण/अधिग्रहण तथा सीएसआर गतिविधियों से संबंधित अन्य उद्देश्यों पर व्यय की गई राशि के लिए टिप्पणी 38 (38) देखें।
3 ऊपर प्रस्तुत रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में नकद तथा नकद समकक्षों तथा बैंक में शेष राशि के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।
4 जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्व्यवस्थित तथा पुनर्समूहित किया गया है।

सम तिथि की हमारे लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार
कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989एन

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15.04.2025

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षर/-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या 08816532

हस्ताक्षर/-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07448576

हस्ताक्षर/-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

इक्विटी में परिवर्तनों का एकल विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

अ इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	शेयरों की संख्या (अदद)	राशि (₹ करोड़ में)
जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त :		
01.04.2023 को आरंभिक शेष राशि	**2,28,46,00,000**	**2,284.60**
वर्ष के दौरान परिवर्तन		
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी		
(i) इक्विटी शेयरों का नया निर्गम	40,31,64,706	403.16
(ii) अदत्त पूंजी की मांग	-	-
31.03.2024 को अंतिम शेष राशि	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**
01.04.2024 को प्रारंभिक शेष राशि	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**
वर्ष के दौरान परिवर्तन		
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी		
(i) इक्विटी शेयरों का नया निर्गम	-	-
(ii) अप्रदत्त पूंजी की मांग	-	-
31.03.2025 को अंतिम शेष राशि	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**

ब अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष							नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	कुल
	सामान्य आरक्षित	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित	डिबेंचर मोचन आरक्षित	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत एनबीएफसी आरक्षित	प्रतिधारित आय	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित		
01.04.2023 तक प्रारंभिक शेष राशि	**1,910.48**	**1,317.10**	**397.97**	**461.83**	**2.51**	**-**	**(580.40)**	**141.07**	**3,650.57**
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम	-	-	-	-	-	886.96	-	-	**886.96**
शेयर जारी करने का खर्च (कर लाभों का निवल)	-	-	-	-	-	(23.33)	-	-	**(23.33)**
वर्ष हेतु लाभ	-	-	-	-	1,252.23	-	-	-	**1,252.23**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (करों का निवल)	-	-	-	-	(1.71)	-	-	-	**(1.71)**
ओसीआई के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	(155.09)	**(155.09)**
31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,250.52**	**-**	**-**	**(155.09)**	**1,095.43**
वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय से/में शुद्ध अंतरण	700.00	264.00	(0.23)	251.00	(1,214.77)	-	-	-	**-**
शेयर जारी करने के व्यय हेतु समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर में संयोजन	-	-	-	-	-	-	268.62	-	**268.62**
वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर का परिशोधन	-	-	-	-	-	-	(6.59)	-	**(6.59)**
31.03.2024 को अंतिम शेष राशि	**2,610.48**	**1,581.10**	**397.75**	**712.83**	**38.26**	**863.63**	**(318.37)**	**(14.02)**	**5,871.66**
01.04.2024 को प्रारंभिक शेष राशि	**2,610.48**	**1,581.10**	**397.75**	**712.83**	**38.26**	**863.63**	**(318.37)**	**(14.02)**	**5,871.66**
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
शेयर जारी करने का खर्च (कर लाभों का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	1,698.60	-	-	-	**1,698.60**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (करों का निवल)	-	-	-	-	(15.55)	-	-	-	**(15.55)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष								
	सामान्य आरक्षित	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित	डिबेंचर मोचन आरक्षित	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत एनबीएफसी आरक्षित	प्रतिधारित आय	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	कुल
ओसीआई के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	83.78	**83.78**
31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,683.04**	**-**	**-**	**83.78**	**1,766.82**
वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में/से निवल अंतरण	950.00	362.00	41.26	340.00	(1,693.26)	-	-	-	**-**
शेयर जारी करने के व्यय हेतु समायोजन	-	-	-	-	-	0.63	-	-	**0.63**
वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर में संयोजन	-	-	-	-	-	-	(65.26)	-	**(65.26)**
वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर का परिशोधन	-	-	-	-	-	-	4.55	-	**4.55**
31.03.2025 को अंतिम शेष राशि	**3,560.48**	**1,943.10**	**439.01**	**1,052.83**	**28.04**	**864.26**	**(379.08)**	**69.76**	**7,578.41**

कंपनी अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की जानकारी 1

साथ में दी गई टिप्पणी 1 से 38 एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

सम तिथि की हमारे लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार
कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989एन

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15.04.2025

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षर/-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या 08816532

हस्ताक्षर/-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07448576

हस्ताक्षर/-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 1: एकल वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1) कॉरपोरेट जानकारी

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ("इरेडा" या "कंपनी") (सीआईएन : L65100DL1987GOI027265) भारत में वर्ष 1987 में कॉरपोरेट हुई थी। यह कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका मुख्यालय भारत में है और यह शेयरों द्वारा सीमित है। इसका पंजीकृत कार्यालय और व्यवसाय का मुख्य स्थान पहली मंज़िल, भारत पर्यावास केंद्र, ईस्ट कोर्ट, कोर-4ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा, कंपनी के शाखा कार्यालय भी हैं और केरल राज्य के कासरगोड में स्थित एक 50 मेगावाट की सौर परियोजना भी इसके स्वामित्व में है।

कंपनी की आईएफएससी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र)-जीआईएफटी सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में "इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड" नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भी है।

कंपनी भारत सरकार का एक [नवरत्न] उद्यम है जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण में है और "शाश्वत ऊर्जा" के ध्येय के साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और प्रदान करने में लगी हुई है।

कंपनी एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी-एनडीएसआई)/एनबीएफसी मिडिल लेयर (एमएल) है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है।

कंपनी के इक्विटी शेयर और ऋण प्रतिभूतियाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

2) तैयारी का आधार

(i) भारतीय लेखा मानक के अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अनुसार तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) के अनुपालन में तथा आगे संशोधित रूप में तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के आधार पर तथा लेखांकन के उपार्जन आधार पर तैयार किए जाते हैं। कंपनी ने ऐतिहासिक लागत परंपरा को अपनाया है, सिवाय कुछ मदों के जिन्हें भिन्न आधार पर मापा गया है तथा ऐसे आधार को प्रासंगिक लेखांकन नीति में प्रकट किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों के जहां नये जारी किए गए लेखांकन मानक को आरंभ में अपनाया गया है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है।

(ii) अनुमानों का उपयोग

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की गई राजस्व, आय, व्यय, परिसंपत्तियों तथा देनदारियों की राशियों तथा संबंधित प्रकटीकरणों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण की तैयारी में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण तथा उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमान में किसी भी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य की अवधि में भावी दृष्टि से मान्यता दी जाती है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने और अनिश्चितता का आकलन करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय।

(अ) महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

<u>आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता की मान्यता -</u> जिस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जा सकती है, वह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके प्रति आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत अनुरक्षित और सृजित विशेष रिजर्व से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, अनुरक्षित और सृजित विशेष रिजर्व को उलटा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, कंपनी उक्त रिजर्व पर कोई आस्थगित कर देयता नहीं बनाती है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

परिसंपत्तियों की हानि के लिए संकेतकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का आकलन करने की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सकती है।

क्रेडिट-क्षतिग्रस्त ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता - क्रेडिट-ह्रासित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को विवेकपूर्ण तरीके से मान्यता नहीं दी जा रही है, क्योंकि दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के परिणाम लंबित हैं।

पूर्व अवधि मद का महत्व

पूर्व अवधि मद जिनका महत्व नहीं हैं, उन्हें तुलनात्मक राशियों के पुनर्कथन के माध्यम से पूर्वव्यापी रूप से ठीक नहीं किया जाता है और उन्हें चालू वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

मदों की चूक या गलत बयानी महत्वपूर्ण है यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। महत्वपूर्णता आस-पास की परिस्थितियों में आंकी गई चूक या गलत बयानी के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। मदों के आकार और प्रकृति का संयोजन निर्धारण कारक हैं।

(ब) महत्वपूर्ण अनुमान

मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन - प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएँ तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित हैं जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बदल सकती हैं।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ का प्रबंधन अनुमान कई अंतर्निहित मान्यताओं पर आधारित है जैसे कि मुद्रास्फीति की मानक दरें, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य में वेतन वृद्धि की प्रत्याशा। इन मान्यताओं में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य माप - प्रबंधन वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं)। इसमें बाजार सहभागियों द्वारा साधन की कीमत तय करने के तरीके के अनुरूप अनुमान और मान्यताएँ विकसित करना शामिल है। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, कंपनी बाजार अवलोकनीय डेटा का उपयोग करती है, जहाँ तक यह उपलब्ध है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर - अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूली की जाने वाली अपेक्षित राशि और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता के संबंध में आयकर के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।

अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) - परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि भत्ते के मापन के लिए जटिल मॉडलों और भावी आर्थिक स्थितियों और ऋण व्यवहार (जैसे, ग्राहकों द्वारा चूक करने और उसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान की संभावना) के बारे में महत्वपूर्ण मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। ईसीएल का अनुमान लगाने के लिए अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करते समय कंपनी निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है:

- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मानदंड निर्धारित करना;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबंधित ईसीएल के लिए अग्रगामी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार स्थापित करना;
- ईसीएल को मापने के लिए समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह स्थापित करना; और
- चूक की संभावना और चूक के कारण नुकसान का अनुमान लगाना (चूक के मामले में वसूली योग्य राशियों का अनुमान)।

प्रावधान: देयता (मुकदमों सहित) की पहचान और परिमाणीकरण के समय के लिए मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, जो परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं। प्रावधानों और देनदारियों की वहन राशि की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और बदलते तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाता है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(iii) प्रकार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये ('आईएनआर') में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

3) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मूर्त परिसंपत्तियां (पीपीई)

पीपीई (मूर्त परिसंपत्तियां) को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत में आयात शुल्क, गैर-वापसी योग्य करों सहित इसकी खरीद मूल्य, व्यापार छूट और रियायत में कटौती के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाले स्टोर और स्पेयर को पूंजीकृत किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति की वहन राशि में जोड़ा जाता है।

कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को मापने के लिए अनुवर्ती मान्यता के लागत मॉडल को अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप, सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उसकी लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, घटाकर रखा जाता है।

<u>अमान्यता</u>

पीपीई की किसी मद को निपटान पर या जब उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाती है। पीपीई की मान्यता समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है, जिसे परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

<u>पूंजी कार्य-प्रगति पर</u>

रिपोर्टिंग तिथि पर निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजी कार्य-प्रगति पर' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, आयात शुल्क, गैर-वापसी योग्य कर, व्यापार छूट और रियायत घटाने के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए भुगतान किए गए अग्रिम जो तुलन पत्र की तिथि पर बकाया हैं, उन्हें 'पूंजीगत अग्रिम' के अधीन वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां और परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है। लागत में खरीद मूल्य, आयात शुल्क, गैर-वापसी योग्य कर, व्यापार छूट और रियायत में कटौती के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थिति में लाने में सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जहां यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।

परिमित उपयोगी जीवन वाली सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को बाद में लागत मॉडल पर मान्यता दी जाती है। इन अमूर्त परिसंपत्तियों को बाद में उनकी लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि (यदि कोई हो) को घटाकर रखा जाता है।

<u>विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां</u>

अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकरण हेतु पात्र व्यय को तब तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में रखा जाता है, जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं।

<u>अमान्यता</u>

अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर या जब उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब इसे अमान्य कर दिया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि, जिसे निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है, को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(iii) मूल्यह्रास और परिशोधन

मूर्त पीपीई पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट तरीके और उपयोगी जीवन के अनुसार अवलिखित आधार (डब्ल्यूडीवी) पर प्रदान किया जाता है, सिवाय नीचे उल्लिखित परिसंपत्तियों के:

- पुस्तकालय पुस्तकों पर मूल्यह्रास खरीद वर्ष में 100% की दर से प्रदान किया जाता है।
- सौर ऊर्जा परियोजना के पीपीई पर मूल्यह्रास, प्रासंगिक केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और प्रासंगिक राज्य आयोग प्रशुल्क आदेशों के अधीन निर्धारित दरों/पद्धति पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।
- ₹5,000 या उससे कम की परिसंपत्तियों के संबंध में खरीद के वित्तीय वर्ष में 100% की दर से मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।
- अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जा रहा है।
- सभी पीपीई व अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है। यदि कोई परिवर्तन होता है, तो उसे लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में दर्ज किया जाता है।

- **सूची II के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन:**

परिसंपत्ति विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के % के रूप में अवशिष्ट मूल्य
भवन	60 वर्ष	5%
कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ		
-लैपटॉप/कंप्यूटर	3 वर्ष	5%
-सर्वर	6 वर्ष	5%
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष	5%
फर्नीचर और जुड़नार	10 वर्ष	5%
वाहन	8 वर्ष	5%
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5 वर्ष	0%

- **सीईआरसी के आदेशानुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन**

परिसंपत्ति विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के % के रूप में अवशिष्ट मूल्य
मूल लागत का %		
सौर संयंत्र	25 वर्ष	10%

(iv) सरकारी और अन्य अनुदान/सहायता

कंपनी सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकती है जिसके लिए कंपनी की प्रचालन गतिविधियों से संबंधित कुछ शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है या कंपनी को कुछ अर्हता मानदंडों के आधार पर वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।

सरकारी अनुदान तब मान्यता प्राप्त होते हैं जब यह उचित आश्वासन होता है कि अनुदान प्राप्त होगा, और कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करने में सक्षम होगी। इन अनुदानों को अनुदान की प्रकृति के आधार पर परिसंपत्तियों और राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

दीर्घकालिक परिसंपत्तियों को खरीदने, निर्माण करने या अन्यथा प्राप्त करने की शर्त वाले सरकारी अनुदानों को शुरू में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है। आस्थगित आय के रूप में एकबार मान्यता प्राप्त होने पर, ऐसे अनुदानों को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। अनुमानों में परिवर्तन को परिसंपत्ति के बचे जीवनकाल में भावी रूप से मान्यता दी जाती है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

सब्सिडी से संबंधित अनुदान को आस्थगित किया जाता है और संबंधित लागतों, जिसके लिए क्षतिपूर्ति करने का आशय है, को व्यय किए जाने की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (एनआरएसई) के निर्दिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सहायता अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसका लेखा-जोखा रखा जाता है।

तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के अंतर्गत किए गए व्यय को वसूली योग्य माना जाता है और इसे 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां' शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से प्रतिपूर्ति की गई सहायता उक्त खाते में जमा की जाती है।

(v) पट्टे

❖ पट्टेदार के रूप में

कंपनी अनुबंध के आरंभ में ही यह आकलन कर लेती है कि कोई अनुबंध पट्टा, या समाविष्ट, है या नहीं। कोई अनुबंध, या समाविष्ट, पट्टा तभी होता है जब अनुबंध किसी निश्चित अवधि के लिए किसी निर्धारित परिसंपत्ति के उपयोग को प्रतिफल के बदले में नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तब कंपनी यह आकलन करती है कि क्या:

i. अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है;

ii. कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हैं, और

iii. कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निदेशित करने का अधिकार है।

कंपनी सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करती है, सिवाय अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों के। कंपनी पट्टा भुगतान करने के लिए पट्टा देयताओं को मान्यता देती है तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता देती है, जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है।

i) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ

कंपनी पट्टे की आरंभ तिथि (यानी, वह तिथि जब अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता देती है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, जिसमें से संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसान घटायी जाती है और पट्टा देनदारियों के किसी भी पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों की राशि, आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें और आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतान में से प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

ii) पट्टा देयताएँ

पट्टे की आरंभ तिथि पर, कंपनी पट्टे की अवधि में किए जाने वाले पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देयताओं को मान्यता देती है। पट्टा भुगतानों में निश्चित भुगतान (मूल रूप से निश्चित भुगतानों सहित) कम कोई भी पट्टा प्रोत्साहन प्राप्तियाँ, परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर हैं, और अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशियाँ शामिल हैं। कंपनी पट्टा आरंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है। वृद्धिशील उधार दर ऋण की अवधि के लिए एसबीआई एमसीएलआर दर है यदि ऋण 3 वर्ष तक का है। 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, 3 वर्ष के लिए एसबीआई एमसीएलआर दर ली जा सकती है।

iii) अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे

अल्पावधि पट्टों (जिनकी पट्टा अवधि 12 महीने तक होती है) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों (₹10,00,000/- तक की परिसंपत्ति मूल्य) के पट्टों पर पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। पट्टे की अवधि पट्टे की गैर-रद्द करने योग्य अवधि को लेकर निर्धारित की जाती है, साथ ही दोनों को मिलाकर:

क) पट्टे को विस्तारित करने के विकल्प द्वारा आवृत्त अवधि यदि पट्टेदार यथोचित रूप से उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए निश्चित है; और

ख) पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा आवृत्त की गई अवधि यदि पट्टेदार यथोचित रूप से निश्चित है कि वह उस विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ **पट्टाकर्ता के रूप में**

जब कंपनी पट्टाकर्ता के रूप में कार्य करती है, तो वह पट्टे की शुरुआत में यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या प्रचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिम और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। यदि ऐसा है, तो पट्टा वित्त पट्टा है, यदि नहीं, तो यह प्रचालन पट्टा है। मूल्यांकन के भाग के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख भाग के लिए है या नहीं। यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर-पट्टा घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में विचार आवंटित करने के लिए भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" लागू करती है। कंपनी परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त पट्टे के भुगतान को "प्रचालन से राजस्व" के भाग के रूप में पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में पहचानती है।

(vi) सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश

- कंपनी लागत पर सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगियों में निवेश का विचार करती है। कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है। भारत के बाहर सहायक कंपनी में निवेश अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- ऐसे निवेश जहां कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है, उन्हें सहयोगी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशिती के वित्तीय और प्रचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।
- एक संयुक्त व्यवस्था जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है, उसे संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण का संविदात्मक रूप से सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है।

❖ **सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश पर क्षति हानि**

यदि सहयोगी या संयुक्त उद्यम में संस्था के निवेश के संबंध में हानि का संकेत है, तो निवेश के वहन मूल्य की वसूली योग्य राशि की तुलना उसके वहन मूल्य से करके हानि के लिए जाँच की जाती है और परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि को सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के वहन मूल्य के प्रति आरोपित किया जाता है।

(vii) गैर-वित्तीय परिसंपत्ति क्षति

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या इस बात का कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति या नकद-उत्पादक इकाइयों (सीजीयू) के उचित मूल्य में से निपटान की लागत और उसके उपयोग में मूल्य में से जो अधिक है, वह है। वसूली योग्य राशि किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति ऐसा नकद प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र हो। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उसे उसकी वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकद प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेन-देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

(viii) नकद और नकद समतुल्य

नकदी में हाथ में नकद, बैंक में नकद, बैंक ओवरड्राफ्ट में नामे शेष, यदि कोई हो, बैंकों के साथ मांग जमा, वाणिज्यिक पत्र और विदेशी मुद्रा जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य अल्पकालिक जमा (अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात राशि में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(ix) उधार लेने की लागत

योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित सामान्य और विशिष्ट उधार लेने की लागत को उस तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति ऐसी निधि के अस्थायी निवेश पर अर्जित किसी भी आय को समाप्त करने के बाद अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

जहां तक कंपनी सामान्य रूप से निधि उधार लेती है और योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उसका उपयोग करती है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लेने की लागत की राशि उस परिसंपत्ति पर व्यय के लिए पूंजीकरण दर लागू करके निर्धारित की जाती है।

अन्य उधार लेने की लागत उस अवधि में व्यय की जाती है जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

(x) विदेशी मुद्रा लेन-देन

कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेन-देन, ऐसे लेन-देन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर किए जाते हैं।

प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित मौद्रिक मदों को उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनः परिवर्तित किया जाता है। ऐसे लेन-देन के निपटान से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ और हानि तथा अवधि के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित मौद्रिक मदों के पुनः मापन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित खाता (एफसीएमआईटीआर), दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा उधारों पर अपरिशोधित विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को दर्शाता है, जिसका परिशोधन संबंधित उधारों की अवधि के दौरान किया जाता है। इरेडा ने भारतीय लेखा मानक 101 के अनुच्छेद डी13एए की छूट को अपनाया था, जिसके अनुसार वह पिछले जीएएपी के अनुसार, प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि हेतु वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों के लेखांकन हेतु अपनाई गई नीति को जारी रख सकता है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेन-देन लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। 31 मार्च, 2018 तक बकाया दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न विनिमय अंतर, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर, उस दर से भिन्न जिस पर उन्हें उस अवधि के दौरान प्रारंभिक रूप से दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया गया था, एफसीएमआईटीआर खाते में जमा किए जाते हैं और ऐसी दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में, ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता देकर, परिशोधित किए जाते हैं। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें वे हैं जिनकी उत्पत्ति की तिथि पर अवधि बारह महीने या उससे अधिक होती है।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें (जिनकी उत्पत्ति की तिथि पर अवधि बारह महीने से कम होती है) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर परिवर्तित की जाती हैं। परिणामी विनिमय उतार-चढ़ाव को ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 27 के अनुसार, मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर जो नकद प्रवाह बचाव में बचाव लिखत के रूप में योग्य हैं, उन्हें अन्य व्यापक आय में बचाव के प्रभावी होने की सीमा तक मान्यता दी जाती है। तदनुसार, कंपनी नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में प्रतिवेदित तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा ऋणों के परिवर्तन के कारण विनिमय अंतर की पहचान करती है।

(xi) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर मंदित आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के योग से कर पश्चात समायोजित शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से कमजोर इक्विटी शेयरों की संख्या को शेयर विभाजन/प्रतिवर्ती शेयर विभाजन और बोनस शेयरों के लिए, जैसा उचित हो, समायोजित किया जाता है।

(xii) प्रावधान

प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है,जब कंपनी के पास अतीत की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(xiii) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है जब कंपनी के पास अतीत की घटनाओं के कारण संभावित दायित्व होता है और दायित्व का अस्तित्व भावी घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं और वर्तमान दायित्व अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होते हैं जहां यह संभावना नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देनदारियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो गया है या नहीं। यदि बहिर्वाह संभावित हो जाता है, तो वित्तीय विवरणों में सापेक्ष प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

(xiv) आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन टिप्पणियों में उनका प्रकटीकरण किया जाता है, जो आमतौर पर अनियोजित या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जो आर्थिक लाभ के अन्तर्वाह की संभावना को जन्म देती हैं।

आकस्मिक परिसंपत्तियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आर्थिक लाभ का अन्तर्वाह लगभग निश्चित होता है या नहीं, फिर ऐसी परिसंपत्तियों और सापेक्ष आय को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाएगी।

(xv) खंड रिपोर्टिंग

प्रचालन खंडों की रिपोर्ट मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से की जाती है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) के रूप में पहचाना गया है।

(xvi) महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियाँ

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत की गई पिछली अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः बताकर पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक अवधि से पहले हुई थी, तो प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती शेष को फिर से बताया जाता है, जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, फिर से बताया जाता है कि, इस स्थिति में, लेखांकन नीति को जल्द से जल्द लागू करने के लिए तुलनात्मक जानकारी को व्यावहारिक रूप से सबसे प्रारंभिक तिथि के अनुसार समायोजित किया जाता है।

(xvii) कराधान

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष हेतु कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय के विवरण में रिपोर्ट किए गए 'कर पूर्व लाभ' से भिन्न होता है, क्योंकि आय या व्यय की ऐसी मदें जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य होती हैं और ऐसी मदें जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होती हैं। कंपनी के वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

वर्तमान कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस मामले में, वर्तमान कर को क्रम से अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां वर्तमान कर किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहां कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों और कराधान उद्देश्य हेतु उपयोग की जाने वाली संगत राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होगा।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रम से अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

(xviii)निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी वृद्धि (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति सहित) के लिए रखी जाती हैं। निवेश संपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आयात शुल्क, गैर-वापसी योग्य कर, व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, कंपनी लागत मॉडल का उपयोग करके निवेश संपत्ति को मापती है।

एक निवेश संपत्ति को निपटान पर या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से हटा दिया जाता है और निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे मान्यता से हटा दिया जाता है। संपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल की जाती है जिसमें संपत्ति को मान्यता से हटा दिया जाता है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार किया जाता है जिससे वह संबंधित है और परिसंपत्ति का जीवन कंपनी में परिसंपत्ति के उसी वर्ग के लिए कल्पित होगा।

हालांकि निवेश संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, निवेश संपत्ति का उचित मूल्य टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

(xix) कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति (जैसे कि भुगतान की गई वार्षिक छुट्टी) सहित अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, जहां अनुपस्थिति उस अवधि के अंत के बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, लाभ साझाकरण और बोनस उस अवधि के अंत के बारह महीनों के भीतर देय होते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं और वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर-मौद्रिक लाभों का अनुमान लगाया जाता है और बिना छूट के आधार पर मापा जाता है।

ख) पश्च रोजगार लाभ योजनाओं को परिभाषित लाभ योजनाओं और परिभाषित योगदान योजनाओं में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

(i) परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत कंपनी कर्मचारियों के संबंध में एक अलग कोष में निश्चित योगदान का अंशदान करती है। कंपनी के पास निश्चित अंशदान के भुगतान के बाद आगे कोई अंशदान देने का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है। परिभाषित अंशदान योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा किए गए योगदानों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित है।

(ii) परिभाषित लाभ योजना

कंपनी का उपदान, सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और अन्य परिभाषित सेवा-निवृत्ति लाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व है, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को आवृत्त करने वाली परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में माना जा रहा है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत, सेवा-निवृत्ति पर कर्मचारी को मिलने वाली राशि कर्मचारी की सेवा की अवधि, अंतिम वेतन और अन्य परिभाषित प्राचल के संदर्भ में परिभाषित की जाती है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी के पास रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना को वित्तपोषित करने के लिए योजना परिसंपत्तियाँ अलग रखी गई हों।

परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रति कंपनी का दायित्व अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदित अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त देयता रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) के वर्तमान मूल्य से योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाकर प्राप्त की जाती है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से सालाना डीबीओ का अनुमान लगाता है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

देयता/परिसंपत्ति के पुनर्मापन से होने वाले बीमांकिक लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है।

भविष्य निधि, परोपकारी निधि, सेवा-निवृत्ति निधि और उपदान के संबंध में कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए देयता को अलग-अलग ट्रस्टों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

भविष्य निधि/सेवा-निवृत्ति निधि में कंपनी का अंशदान पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस उद्देश्य के लिए स्थापित अलग-अलग ट्रस्टों को भेजा जाता है और लाभ और हानि के विवरण के नामें डाला जाता है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

तुलन-पत्र की तिथि के एक वर्ष से अधिक समय बाद देय या अपेक्षित होने वाली क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के संबंध में देयता का अनुमान, अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिसमें ऐसे लाभ या हानि का निर्धारण किया जाता है।

(xx) वित्तीय लिखतें

<u>प्रारंभिक मान्यता और माप</u>

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए को छोड़कर लेन-देन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के बाद के माप का वर्णन नीचे किया गया है।

<u>वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और बाद में मापन</u>

बाद में मापन के उद्देश्य से, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीटीपीएल या एफवीओसीआई पर इक्विटी लिखतों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ कम से कम प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर हानि के लिए समीक्षा के अधीन हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई वस्तुनिष्ठ सबूत है कि कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों का समूह क्षतिग्रस्त है। वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी पर हानि निर्धारित करने के लिए अलग-अलग मानदंड लागू होते हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

❖ परिशोधित लागत पर ऋण

ऋण (वित्तीय परिसंपत्ति) को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना है; और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो सिर्फ़ मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।

परिशोधित लागत पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ता मान्यता प्राप्त है।

❖ लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियों में बचाव लिखत के रूप में नामित और प्रभावी वित्तीय साधन को छोड़कर सभी व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत शामिल हैं, जिनके लिए बचाव लेखांकन आवश्यकताओं को लागू किया जा रहा है। इस श्रेणी की परिसंपत्तियों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजार लेन-देन के संदर्भ में या मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापी गई इक्विटी लिखत से मिलकर बनी होती हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश को शुरू में उचित मूल्य और लेन-देन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और लाभांश आय को छोड़कर, जिसे लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, इक्विटी के भीतर एफवीओसीआई रिजर्व में रिपोर्ट किया जाता है। निवेश की मान्यता रद्द होने पर भी, ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण में ऐसे लाभ और हानि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी इसे इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की अ-मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहाँ लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) की मान्यता तब रद्द कर दी जाती हैं (यानी कंपनी के तुलन पत्र से हटा दी जाती हैं) जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और लगभग सभी जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित हो जाते हैं। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर देती है यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित कर दिया है और तब हस्तांतरण मान्यता रद्द करने के लिए योग्य हो जाता है।

वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और तदुपरान्त मापन

"वित्तीय देनदारियों को तदुपरान्त प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है, सिवाय उन व्युत्पन्नी वित्तीय देनदारियों के जो एफवीटीपीएल पर रखे जाते हैं, जिन्हें बाद में लाभ या हानि को उचित मूल्य पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है(एफवीटीपीएल)। सभी होस्ट अनुबंध जो वित्तीय देनदारियों के रूप में होते हैं और अंतर्निहित व्युत्पन्नी से अलग होते हैं, उन्हें प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।"

वित्तीय देनदारियों की अ-मान्यता

वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब दायित्व के अंतर्गत दायित्व मुक्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता समाप्त करने और नये दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत

कंपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों पर विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के संपर्क में है। कंपनी व्युत्पन्नी उपयोग सहित स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का पालन करके विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को सीमित करती है।

कंपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों का बचाव करने के लिए व्युत्पन्नी लिखत का उपयोग करती है जिसमें प्रिंसिपल स्वैप, क्रॉस करेंसी और ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा और क्रॉस करेंसी विकल्प, संरचित उत्पाद आदि शामिल हैं।

व्युत्पन्नी को पहचाना और उचित मूल्य पर मापा (एमटीएम) जाता है। जिम्मेदार लेन-देन लागत को लाभ और हानि के विवरण में लागत के रूप में पहचाना जाता है।

वित्तीय परिसंपत्ति की अ-मान्यता:

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकद प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार स्थानांतरित हो जाते हैं।

बचाव लेखांकन

व्युत्पन्नी वित्तीय साधनों को लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर लेखाबद्ध किया जाता है, सिवाय नकद प्रवाह बचाव संबंधों में बचाव लिखत के रूप में नामित व्युत्पन्नी के, जिसके लिए एक विशिष्ट लेखांकन उपचार की आवश्यकता होती है। बचाव लेखांकन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, बचाव संबंध को निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:

- बचाव किए गए मदों और बचाव लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध है
- ऋण जोखिम का प्रभाव उस आर्थिक संबंध से होने वाले मूल्य परिवर्तनों पर हावी नहीं होता है

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

- बचाव संबंध का बचाव अनुपात बचाव किए गए मद की मात्रा से उत्पन्न होने वाले अनुपात के समान है जिसका संस्था वास्तव में बचाव करती है और बचाव लिखत की मात्रा जिसे संस्था वास्तव में बचाव किए गए मद की मात्रा को बचाव करने के लिए उपयोग करती है।

कंपनी ने नकद प्रवाह बचाव संबंधों में बचाव लिखत के रूप में ज्यादातर व्युत्पन्नी अनुबंधों को नामित किया है। ये व्यवस्थाएं विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए की गई हैं, जो विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित ऋण लिखत के प्रति उत्पन्न होते हैं।

- नकद प्रवाह बचाव कंपनी की नकद प्रवाह स्थिति को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव में परिवर्तन से बचाने और नकद प्रवाह में परिवर्तनशीलता को निश्चित करने के लिए की जाती है।
- कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार बचाव लिखत में प्रवेश करती है; और लिखित सिद्धांत प्रदान करती है जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति/नीतियों के अनुरूप हैं।
- बचाव लेखांकन हेतु उपयोग किए जाने वाले सभी व्युत्पन्नी वित्तीय साधनों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में तुलन-पत्र में उचित मूल्य पर प्रतिवेदित किया जाता है।

बचाव लिखत को अनुबंध की शुरुआत में बचाव के रूप में नामित और प्रलेखित किया जाता है। बचाव लिखत की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और मापन शुरुआत में और निरंतर आधार पर किया जाता है। नामित बचाव लिखत के मूल्यांकन को संबंधित बैंकों/तृतीय पक्ष द्वारा प्रावधानित एमटीएम मूल्यांकन पर आधारित यथा निर्धारित उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा "अन्य व्यापक आय" में "नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि" के रूप में मान्यता दी जाती है। अप्रभावी अंश को लाभ और हानि विवरण में, और जब कभी घटित हो, तत्काल प्रतिचिह्नित किया जाता है।

जिस समय बचाव किया गया मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है, उस समय अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है और अन्य व्यापक आय के भीतर पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि बचाव संबंध अब बचाव लेखांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो बचाव लेखांकन को भावी रूप से बंद कर दिया जाता है। यदि बचाव लिखत की समय-सीमा समाप्त हो जाती है या उसे बेच दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है, तो नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त बचाव लिखत पर संचयी लाभ या हानि, बचाव के प्रभावी होने की अवधि तक नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बनी रहती है। नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को अंतर्निहित लेन-देन की घटना पर लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

हानि

<u>वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि</u>

❖ **ऋण परिसंपत्तियाँ**

कंपनी प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर परिशोधित लागत पर वहन की जाने वाली ऋण परिसंपत्ति की हानि के लिए 'तीन-चरण' मॉडल का पालन करती है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- <u>चरण 1</u> में वे ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनमें प्रतिवेदित तिथि पर कम ऋण जोखिम है।
- <u>चरण 2</u> में वे ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन जिनमें हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य नहीं हैं।
- <u>चरण 3</u> में वे ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हैं।

अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) को चरण 1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-माह की ईसीएल और चरण 2 और चरण 3 ऋण परिसंपत्तियों हेतु आजीवन ईसीएल पर मापा जाता है। ईसीएल चूक की संभावना, चूक पर जोखिम और हानि प्रदत्त चूक का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

<u>चूक की संभावना (पीडी) -</u> पीडी, उधारकर्ता द्वारा अपने वित्तीय दायित्व पर चूक करने की संभावना को दर्शाता है, या तो अगले 12 महीनों में (12 महीने पीडी), या दायित्व के शेष जीवनकाल (लाइफटाइम पीडी) में।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

चूक पर हानि (एलजीडी) - एलजीडी चूक जोखिम पर हानि की सीमा के बारे में कंपनी की अपेक्षा को दर्शाता है। एलजीडी प्रतिपक्ष के प्रकार, दावे के प्रकार और वरीयता तथा संपार्श्विक या अन्य ऋण सहायता की उपलब्धता के अनुसार भिन्न होता है।

चूक पर जोखिम (ईएडी) - ईएडी उस मूल्यांकन तिथि पर बकाया जोखिम की राशि पर आधारित है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है।

12 महीने और आजीवन पीडी, ईएडी और एलजीडी निर्धारित करने में अग्रगामी आर्थिक जानकारी शामिल की जाती है। अपेक्षित ऋण हानि के अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर निगरानी और समीक्षा की जाती है।

❖ **ऋण के अलावा अन्य वित्तीय लिखतों में शामिल हैं:-**

- वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, बिल रहित राजस्व, वित्त पट्टा प्राप्य, कर्मचारी और अन्य अग्रिम शामिल हैं।
- वित्तीय देनदारियों में उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापार देय शामिल हैं।

ऋणों के अलावा अन्य गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेन-देन लागत शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों को तब मान्यता से हटा दिया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्त संभावित हानि के विरुद्ध संतुलित लाभ की संभावना में हस्तांतरित कर दिए गए हों। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त संभावित हानि के विरुद्ध संतुलित लाभ की संभावना न तो हस्तांतरित की गई है और न ही बनाये रखी गई है, वित्तीय परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता से हटा दिया जाता है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरक़रार नहीं रखा हो।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, उन्हें नीचे निर्धारित तरीके से मापा जाता है:

क) नकद और नकद समतुल्य

नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजनों हेतु, नकद और नकद समतुल्यों में हाथ में नकदी, बैंकों में, मांग जमा, नकद ऋण, सावधि जमा और विदेशी मुद्रा जमा, बकाया बैंक निवल, ओवरड्राफ्ट शामिल हैं जो मांग पर चुकाये जाने योग्य हैं और कंपनी की नकद प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माने जाते हैं। वित्तीय स्थिति के विवरण में, बैंक ओवरड्राफ्ट को उधार के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

ख) व्यापार प्राप्य

कंपनी व्यापार प्राप्य पर हानि क्षति भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही यह प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि नुकसान भत्ते को मान्यता दी जाती है। कंपनी प्राप्य के व्यक्तिगत मूल्यांकन, व्यापार प्राप्य के अपेक्षित जीवनकाल में आद्य रूप से देखी गई चूक दरों के आधार पर हानि नुकसान भत्ते का निर्धारण करती है और इसे भविष्य-उन्मुख अनुमानों के लिए समायोजित करती है।

ग) अन्य देय

अन्य देय को शुरू में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। इन वित्तीय लिखतों हेतु, इन लिखतों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण वहन राशि अनुमानित उचित मूल्य के करीब होती है।

(xxi) लाभांश

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है जिसमें उसे क्रम से निदेशक मंडल और शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाता है।

(xxii) उचित मूल्य माप व प्रकटीकरण

कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर उचित मूल्य पर व्युत्पन्नी जैसे वित्तीय लिखतों को मापती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेन-देन में किसी परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाए। उचित मूल्य माप इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने का लेन-देन इस प्रकार होता है,जैसे या तो:

- परिसंपत्ति या देयता हेतु मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में मुख्य या सबसे अधिक लाभप्रद बाजार कंपनी द्वारा सुलभ होना चाहिए।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है, जिनका उपयोग बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय करेंगे, जिसमें जोखिम के बारे में मान्यताएँ शामिल हैं, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। किसी गैर-वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य मापन, परिसंपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करके या उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर, जो परिसंपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करेगा, आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की बाजार प्रतिभागी की क्षमता को ध्यान में रखता है।

कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हैं, प्रासंगिक अवलोकनीय निविष्टियों के उपयोग को अधिकतम करना और अवलोकनीय निविष्टियों के उपयोग को कम करना।

सभी परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा जाता है या प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन न्यूनतम स्तर निविष्टियों के आधार पर किया जाता है जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर निविष्टि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर निविष्टि अवलोकनीय नहीं है।

नियमित रूप से वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में वर्गीकरण (न्यूनतम स्तर निविष्टि पर आधारित जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) का पुनर्मूल्यांकन करके पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं का निर्धारण करती है।

(xxiii)राजस्व मान्यता

❖ **ब्याज आय**

ब्याज आय सभी वित्तीय परिसंपत्तियों (कंपनी द्वारा क्रेडिट क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को मान्यता नहीं दिये जाने को छोड़कर) पर परिशोधित लागत पर मापी जाती है। ब्याज आय को भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय साधनों के अनुरूप प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर छूट देती है। ईआईआर की गणना लेन-देन लागत और शुल्क को ध्यान में रखकर की जाती है जो भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। क्रेडिट क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को प्राप्ति आधार पर मान्यता दी जाती है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज का समय पर भुगतान करने पर मिलने वाली छूट, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, समय पर देय संपूर्ण ब्याज राशि प्राप्त होने पर मान्यता प्राप्त होती है तथा उसे संबंधित ब्याज आय के प्रति घटा दिया जाता है।

जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, उधारकर्ताओं से वसूली (i) आकस्मिक शुल्क (ii) दंडात्मक ब्याज (iii) अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन की चुकौती के क्रम में विनियोजित की जाती है; सबसे पुराने को पहले समायोजित किया जाता है। एकमुश्त निपटान(ओटीएस)/दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली पहले बकाया मूलधन के लिए विनियोजित की जाती है और उसके बाद शेष वसूली, ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए, यदि कोई हो।

❖ **अन्य राजस्व**

- राजस्व (उन मदों के अलावा जिन पर भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय लिखत लागू होते हैं) को भारतीय लेखा मानक 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व अनुसार मान्यता दी जाती है, जो ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न राजस्व के लिए लेखांकन के एकल व्यापक मॉडल को रेखांकित करता है। कंपनी भारतीय लेखा मानक 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व में निर्धारित सिद्धांत के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व को मान्यता देती है।
- ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और यदि लागू हो तो राजस्व और लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अनुबंध के तहत सहमत लेन-देन मूल्य पर राजस्व मापा जाता है। लेन-देन मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियाँ शामिल नहीं होती हैं (उदाहरण के लिए, सरकार की ओर से एकत्र किए गए कर) और इसमें रियायत, छूट जैसे परिवर्तनीय विचार शामिल/समायोजित किए जाते हैं, केवल इस सीमा तक कि यह अत्यधिक संभावित है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में कोई महत्वपूर्ण उलटफेर तब तक नहीं होगा जब तक परिवर्तनीय विचार से जुड़ी अनिश्चितता बाद में हल नहीं हो जाती है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ **सौर संयंत्र से राजस्व**

सौर संयंत्र से आय को तब मान्यता दी जाती है जब समय के साथ कार्य-प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाते हैं। दी गई रियायत को सकल राजस्व की राशि से कटौती के रूप में प्रकट किया जाता है।

❖ **शुल्क और कमीशन से राजस्व**

- शुल्क और कमीशन से राजस्व

शुल्क और कमीशन को समय आधार पर मान्यता दी जाती है जब ऐसे शुल्क संचित करने की संभावना स्थापित हो जाती है।

- सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं के कार्यान्वयन से राजस्व

कंपनी अपनी निजी गतिविधियों के अलावा, कंपनी और ऐसे संगठन के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। ऐसी गतिविधियों का विवरण वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

जब भी ऐसे समझौता ज्ञापन में शामिल होने के आधार पर ट्रस्ट के तहत कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो उसे नकद और नकद समतुल्यों में शामिल नहीं किया जाता है और ऐसे संगठनों से संबंधित ऐसी निधि से उत्पन्न ब्याज आय सहित किसी भी आय को कंपनी के राजस्व के रूप में नहीं गिना जाता है।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित ऐसी योजनाओं से अर्जित सेवा-शुल्क को उस समय आधार पर मान्यता दी जाती है जब ऐसे सेवा-शुल्क संचित करने की निश्चितता स्थापित हो जाती है।

(xxiv) व्यय

व्यय का लेखा-जोखा उपार्जन आधार पर किया जाता है। प्रति मद ₹5,00,000 तक के पूर्व-प्रदत्त व्यय को लाभ और हानि विवरण में तब प्रभारित किया जाता है जब वह व्यय/समायोजित/प्राप्त हो।

(xxv) शेयर जारी करने पर व्यय

शेयर जारी करने पर व्यय, यदि कोई हो, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

****

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 2: नकद और नकद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
नकद और नकद समतुल्य		
(अ) हाथ में नकदी	-	-
(ब) बैंकों में शेष राशि:-		
(क) बैंकों में चालू खाता		
- भारतीय शाखाओं में	19.74	8.32
- विदेशी शाखाओं में	0.00	0.58
(ख) जमा खाता		
- भारतीय शाखाओं में अल्पावधि जमा	-	0.66
- विदेशी शाखाओं में अल्पावधि जमा	0.32	-
(ग) बचत बैंक खाता		
- भारतीय शाखाओं में	7.88	7.56
(स) चेक/डीडी हाथ में और डाक अग्रदाय	0.00	-
(द) ओवरड्राफ्ट खातों में	1.90	57.09
कुल (अ+ब+स+द)	**29.84**	**74.21**

ऊपर प्रस्तुत प्रतिवेदित वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्यों तथा बैंक में शेष राशि के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।
उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) के बारे में प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 38(48एन) भी देखें।

टिप्पणी 3 : नकद और नकद समतुल्यों के अलावा अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
क. बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि		
अ) चालू खाते में		
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)	0.02	0.02
- एमएनआरई भारत सरकार पूर्ण सेवा बॉण्ड [देखें टिप्पणी 38(43)]	0.03	3.53
- इरेडा (बॉण्ड्स पर ब्याज व लाभांश खाता)	1.64	1.11
- एमएनआरई/यूएनडीपी-इरेडा योजना निधि [देखें टिप्पणी 38(42)][1]	101.22	3.35
-इरेडा सीएसआर अव्ययित खाता [देखें टिप्पणी 38(38)]	7.37	1.64
उप योग (अ)	**110.28**	**9.65**
ब) बचत खाते में		
- इरेडा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	7.67	14.28
- एमएनआरई/यूएनडीपी-इरेडा योजना निधि [देखें टिप्पणी 38(42)][1]	17.44	177.20
उप योग (ब)	**25.11**	**191.48**
स) जमा खाते में (आईएनआर)		
- इरेडा [2]	0.48	0.45
- एमएनआरई	0.17	0.17
- एमएनआरई भारत सरकार पूर्ण सेवा बॉण्ड [देखें टिप्पणी 38(43)]	14.31	9.96
- इरेडा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	431.88	385.97
- एमएनआरई/यूएनडीपी-इरेडा योजना निधि [देखें टिप्पणी 38(42)][1]	47.40	54.31
- ऊर्जा परियोजनाओं तक पहुंच के लिए चूक जोखिम में कमी (केएफडब्ल्यू VI)[3]	10.12	9.69
उप-योग (स)	**504.36**	**460.55**
द) जमा खाते में (विदेशी मुद्रा)		
उप-योग (द)	**-**	**-**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
उप-योग (क)=(अ+ब+स+द)	**639.75**	**661.68**
ख. जमा खाता (मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक)		
- आईएनआर सावधि जमा	1.59	-
उप-योग (ख)	**1.59**	**-**
कुल	**641.34**	**661.68**

[1]कंपनी भारत सरकार की कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों को संवितरण के लिए प्राप्त निधियों को एक अलग बैंक खाते में रखा जाता है। योजना के लिए असंवितरित निधियों (उस पर ब्याज, यदि कोई हो सहित) को योजना के नामित निधियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। टिप्पणी 38 (42) देखें।

[2] माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिविल विविध रिट याचिका संख्या 28928 ऑफ़ 2009 में पारित दिनांक 03.07.2009 के आदेश के अनुसार दो बॉण्ड धारकों अर्थात मैसर्स द बंगाल क्लब लिमिटेड और सुश्री माया एम. चुलानी के भुगतान के विरुद्ध बैंक ऑफ बड़ौदा, भीकाजी कामा प्लेस नयी दिल्ली में ब्याज सहित एफडीआर के रूप में ₹0.48 करोड़ (31.03.2024 तक : ₹0.45 करोड़) की राशि रखी गई है। उक्त सिविल विविध रिट याचिका संख्या 28928 ऑफ़ 2009 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2018 के आदेश द्वारा चूक के कारण खारिज कर दिया गया था। उक्त बर्खास्तगी के अनुसरण में, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद ने 30.03.2019 को बहाली आवेदन दायर किया है। इसके अलावा, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद द्वारा 23.03.2024 को शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन भी दायर किया गया है। उक्त मामले को अभी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना है।

[3] पोर्टफोलियो जोखिम आरक्षित खाता (पीआरआरए) की स्थापना करके केएफडब्ल्यू VI ऋण सीमा के तहत कंपनी के समग्र 'ऊर्जा तक पहुंच' पोर्टफोलियो के 70% तक चूक जोखिमों को आवृत्त करने के लिए केएफडब्ल्यू द्वारा प्रदान किया गया। उक्त राशि का उपयोग एनपीए घोषित होने पर ऋण सेवा आरक्षित खाता (डीएसआरए) समाप्त होने के बाद उधारकर्ता के बकाया ऋण सेवा दायित्व के 70% तक की वसूली के लिए किया जाएगा।

टिप्पणी 4: व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत

कंपनी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को बचाने के लिए व्युत्पन्नी अनुबंध में शामिल होती है। व्युत्पन्न लेन-देन में देनदारियों को कम करने के लिए फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप आदि शामिल हैं। ये व्युत्पन्न लेन-देन बचाव के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा उद्देश्य के लिए।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को			31.03.2024 को		
भाग I	**कल्पित राशियाँ**	**उचित मूल्य – परिसंपत्तियाँ**	**उचित मूल्य - देयताएँ**	**कल्पित राशियाँ**	**उचित मूल्य – परिसंपत्तियाँ**	**उचित मूल्य - देयताएँ**
i) मुद्रा व्युत्पन्नी:-						
प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस)	4,728.54	386.73	21.29	6,602.14	422.83	163.27
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध	-	-	-	616.68	-	33.93
विकल्प अनुबंध	1,576.39	42.51	1.91	-	-	-
उप-योग (i)	**6,304.93**	**429.24**	**23.20**	**7,218.82**	**422.83**	**197.20**
(ii) ब्याज दर व्युत्पन्नी :-						
पारंपरिक मुद्रा ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस)	285.20	58.65	-	442.21	60.96	10.82
उप-योग (ii)	**285.20**	**58.65**	**-**	**442.21**	**60.96**	**10.82**
कुल व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत (i+ii)	**6,590.12**	**487.89**	**23.20**	**7,661.03**	**483.78**	**208.02**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

भाग II	31.03.2025 को			31.03.2024 को		
	कल्पित राशियाँ	उचित मूल्य – परिसंपत्तियाँ	उचित मूल्य - देयताएँ	कल्पित राशियाँ	उचित मूल्य – परिसंपत्तियाँ	उचित मूल्य - देयताएँ
उपर्युक्त (भाग I) में बचाव और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए धारित निम्नानुसार व्युत्पन्नी शामिल हैं:-						
(i) नकद प्रवाह बचाव:-						
मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	4,305.32	339.41	0.98	6,190.30	390.61	144.92
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध	-	-	-	616.68	-	33.93
विकल्प अनुबंध	1,576.39	42.51	1.91	-	-	-
ब्याज दर व्युत्पन्नी (सीसीआईआरएस)	285.20	58.65	-	442.21	60.96	10.82
उप-योग (i)	**6,166.91**	**440.57**	**2.89**	**7,249.19**	**451.57**	**189.67**
(ii)अनिर्दिष्ट व्युत्पन्नी :-						
मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	423.22	47.31	20.31	411.84	32.21	18.34
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध	-	-	-	-	-	-
विकल्प अनुबंध	-	-	-	-	-	-
ब्याज दर व्युत्पन्नी (सीसीआईआरएस)	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ii)	**423.22**	**47.31**	**20.31**	**411.84**	**32.21**	**18.34**
कुल व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत (i) + (ii)	**6,590.12**	**487.89**	**23.20**	**7,661.03**	**483.78**	**208.02**

जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटीकरण के लिए देखें टिप्पणी 38 (19) व 38 (29)।

टिप्पणी 5 : प्राप्य

व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
अ व्यापार प्राप्य		
(क) प्राप्य अच्छे माने गए - रक्षित	-	-
(ख) प्राप्य अच्छे माने गए - अरक्षित	5.93	6.02
(ग) प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
(घ) प्राप्य क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-
उप योग (अ)	**5.93**	**6.02**
क्षतिग्रस्त हानि के लिए भत्ता (ब)	-	-
कुल (अ-ब)	**5.93**	**6.02**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
			6 महीनों से कम	6 महीनों से 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	3.17				2.76	-	0.00	5.93
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य –जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-

31.03.2024 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
			6 महीनों से कम	6 महीनों से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य –अच्छा माना गया	3.26	-	1.16	-	1.60	0.00	-	6.02
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-

एजिंग भुगतान की नियत तिथि पर आधारित है और जहाँ भुगतान की निर्धारित तिथि विनिर्दिष्ट नहीं है, एजिंग लेन-देन की तिथि पर आधारित है।

बिना बिल वाली बकाया राशि के विवरण के लिए देखें टिप्पणी 38(30)

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 6 : ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
अ) ऋण		
(i) सावधि ऋण		
सावधि ऋण	76,281.65	59,698.11
ऋणों पर उपचित और देय ब्याज, परिसमाप्त क्षतिपूर्ति सहित	35.79	27.04
ऋणों पर उपचित ब्याज लेकिन देय नहीं	28.87	28.36
प्रारम्भिक शुल्क समायोजन	(216.88)	(173.85)
परिशोधित लागत पर सकल सावधि ऋण	**76,129.43**	**59,579.66**
(ii) अन्य		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	6.65	6.65
एमएनआरई ऋणों पर उपचित और देय ब्याज	2.55	2.55
कर्मचारियों को ऋण	32.75	23.71
केएमपी को ऋण	1.16	-
कर्मचारियों के ऋणों पर उपचित लेकिन ब्याज देय नहीं	5.23	3.84
संबंधित पक्ष के कर्मचारियों के ऋणों पर उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज	0.08	0.12
कुल (अ) - निवल ऋण	**76,177.85**	**59,616.53**
घटाएँ: ह्रसित हानि भत्ता	**857.87**	**841.44**
कुल (अ) - शुद्ध ऋण	**75,319.98**	**58,775.09**
(ब) उपर्युक्त का उप-वर्गीकरण:		
सुरक्षा-वार वर्गीकरण		
(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित		
सावधि ऋण	58,493.11	50,865.83
कर्मचारियों को ऋण	32.75	23.71
केएमपी को ऋण	1.16	-
ऋणों पर अर्जित और देय ब्याज	35.81	26.95
अर्जित और देय परिसमाप्त क्षतिपूर्ति	(0.02)	0.09
ऋणों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	34.10	32.20
संबंधित पक्ष के ऋणों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	0.08	0.12
एमएनआरई के घटकों को ऋण		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	6.65	6.65
एमएनआरई ऋणों पर अर्जित एवं देय ब्याज	2.55	2.55
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	-	-
(iii) सरकारी गारंटी द्वारा आवृत्त		
सावधि ऋण	4,685.80	2,171.13
(iv) अरक्षित		
सावधि ऋण	12,885.86	6,487.30
कुल (ब) - सकल ऋण	**76,177.85**	**59,616.53**
घटाएँ : क्षति हानि भत्ता	857.87	841.44
कुल (ब) -निवल ऋण	**75,319.98**	**58,775.09**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(स) (I)भारत में ऋण		
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	20,872.00	14,939.97
(ii) अन्य	55,305.85	44,676.56
कुल (स) (I) सकल ऋण	**76,177.85**	**59,616.53**
घटाएँ: क्षति हानि भत्ता	857.87	841.44
कुल (स) (I) - निवल ऋण	**75,319.98**	**58,775.09**
(स) (II)भारत के बाहर ऋण	**-**	**-**
कुल स (I) और स (II) - निवल ऋण	**75,319.98**	**58,775.09**

31.03.2025 तक ₹12,885.86 करोड़ के कुल अरक्षित ऋणों में से (31.03.2024 तक : ₹ 6,487.30 करोड़), 31.03.2025 तक ₹12,885.00 करोड़ (31.03.2024 तक : ₹ 6,485.76 करोड़) की राशि के ऋण कंपनी ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अप्रतिबंधित विशिष्ट राजस्व धारा निर्धारित कर डिफ़ॉल्ट एस्क्रो खाते पर विशेष प्रभार के माध्यम से अमूर्त प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने उधारकर्ताओं को पत्र भेजे हैं, सिवाय उन मामलों के जहां ऋण वापस लिये गए हैं या न्यायालय/एनसीएलटी के समक्ष लंबित हैं, उधारकर्ताओं को 31.03.2025 तक शेष राशि की पुष्टि की मांग की है। उक्त शेष राशि के 22.42% की पुष्टि प्राप्त हुई है (पिछले वर्ष: 13.91 %)। शेष ऋण परिसंपत्तियों में से ₹59,165.69 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹51,380.72 करोड़) की राशि, जिसके लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, 79.59% ऋण (पिछले वर्ष: 87.43%) मूर्त प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित हैं, 7.91% (पिछले वर्ष :1.89%) सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में और शेष अरक्षित ऋण हैं।

उधार लेने वाली संस्थाओं की परिसंपत्तियों आदि के माध्यम से रखी गई सुरक्षा के अलावा, कंपनी ने बैंकों द्वारा जारी एफडीआर और गारंटियाँ दिनांक 31.03.2025 को क्रम से ₹730.50 करोड़ और ₹307.61करोड़ (31.03.2024 को : क्रम से ₹ 631.32 करोड़ और ₹242.74 करोड़) रखीं, जो दिए गए ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूतियों के रूप में थीं।

क्रेडिट जोखिम पर प्रकटीकरण के लिए, देखें टिप्पणी 38 (19)।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित समाधान योजनाओं पर प्रकटीकरण के लिए,देखें टिप्पणी 38 (48ए)।

टिप्पणी 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
(अ) निवेश		
परिशोधित लागत पर		
(i) सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (उद्धृत)	600.14	101.30
इकाई की संख्या : 5.91 करोड़ [31.03.2024 : 1 करोड़]		
(ii) इक्विटी उपकरणों में निवेश (अनउद्धृत)		
- आईएफएससी गिफ्ट सिटी, गुजरात में सहायिका कंपनी	26.00	-
कुल - सकल (अ)	**626.14**	**101.30**
(ब) उपर्युक्त का उप-वर्गीकरण:		
(i) भारत के बाहर निवेश	-	-
(ii) भारत में निवेश	626.14	101.30
कुल (ब)	**626.14**	**101.30**
घटाएँ: क्षति हानि के लिए भत्ता (स)	-	-
कुल - शुद्ध (द) = (अ) - (स)	**626.14**	**101.30**

टिप्पणी 38 (48ग) भी देखें

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
सुरक्षा जमा	3.71	3.71
कर्मचारियों को अग्रिम	6.55	6.92
केएमपी को अग्रिम	0.11	0.20
अन्य प्राप्य :		
एफडीआर - उधारकर्ता	11.95	11.30
वाणिज्यिक पत्र	68.99	68.99
घटाएँ: वाणिज्यिक पत्रों पर क्षति हानि भत्ता	(68.99)	(68.99)
अन्य	6.88	1.34
कुल	**29.20**	**23.47**

टिप्पणी 9 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
अग्रिम आयकर और टीडीएस (क)	2,442.50	2,101.90
घटाएँ: आयकर हेतु प्रावधान (ख)	2,222.69	1,946.49
कुल (क-ख)	**219.81**	**155.41**

टिप्पणी 10: आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
लाभ और हानि अनुभाग, ओसीआई व अन्य इक्विटी		
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
गारंटी कमीशन पर अप्रत्यक्ष कर और अन्य हेतु प्रावधान	28.07	26.31
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	4.08	3.92
क्षति हेतु प्रावधान	391.50	358.84
शुल्क आय - बहियों में आस्थगित	72.85	54.62
शेयर जारी करने का व्यय	4.55	6.28
उप योग	**501.05**	**449.97**
स्थगित कर देयताएँ		
मूल्यह्रास	40.72	43.86
विदेशी मुद्रा हानि परिवर्तन अंतर	95.41	114.72
बॉण्ड की लेन-देन लागत	4.35	1.94
ऋण की लेन-देन लागत	-	-
उप योग	**140.49**	**160.52**
कुल	**360.56**	**289.45**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)	**360.56**	**289.45**

आस्थगित करों के हलचल पर प्रकटीकरण हेतु देखें टिप्पणी 38(3)

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 11 : निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि*
सकल ब्लॉक	
01.04.2023 को शेष	**0.09**
जोड़ें	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण	-
31.03.2024 को शेष	**0.09**
01.04.2024 को शेष	**0.09**
जोड़ें	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण	-
31.03.2025 को शेष	**0.09**
संचित मूल्यह्रास	
01.04.2023 को शेष	**0.06**
मूल्यह्रास व्यय	0.00
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-
31.03.2024 को शेष	**0.06**
01.04.2024 को शेष	**0.06**
मूल्यह्रास व्यय	0.00
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-
31.03.2025 को शेष	**0.07**
वहन राशि	
31.03.2024 को	0.03
31.03.2025 को	0.02

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य	राशि*
31.03.2024 को	2.90
31.03.2025 को	3.66

*निवेश संपत्ति (भवन - आवासीय) से संबंधित है। देखें टिप्पणी 38(18)।

टिप्पणी 12 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	भवन		संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर व जुड़नार	कार्यालय उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कंप्यूटर					
सकल ब्लॉक									
01.04.2023 को शेष	**1.30**	**22.39**	**293.91**	**7.35**	**0.88**	**2.21**	**4.87**	**0.00**	**332.92**
वर्ष के दौरान संयोजन	-	-	-	3.72	0.71	5.41	8.69	-	18.53
समायोजन/ पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान निपटान/बिक्री/ हस्तांतरण	-	-	-	3.94	-	0.17	0.55	-	4.66

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	भवन		संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर व जुड़नार	कार्यालय उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कंप्यूटर					
31.03.2024 को शेष	**1.30**	**22.39**	**293.91**	**7.13**	**1.59**	**7.45**	**13.01**	**0.00**	**346.79**
01.04.2024 को शेष	**1.30**	**22.39**	**293.91**	**7.13**	**1.59**	**7.45**	**13.01**	**0.00**	**346.79**
वर्ष के दौरान संयोजन	-	-	-	5.25	-	6.62	13.51	0.00	25.38
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान निपटान/बिक्री/ हस्तांतरण	-	-	-	0.46	0.19	0.20	0.87	-	1.72
31.03.2025 को शेष	**1.30**	**22.39**	**293.91**	**11.92**	**1.40**	**13.87**	**25.66**	**0.00**	**370.45**
संचित मूल्यह्रास									
01.04.2023 को शेष	**0.59**	**7.92**	**103.13**	**5.95**	**0.10**	**0.78**	**1.61**	**0.00**	**120.08**
समायोजन/ पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	0.07	1.33	17.29	1.54	0.41	0.89	2.70	0.00	24.22
पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/ हस्तांतरण पर समाप्त	-	-	-	3.66	-	0.05	0.19	-	3.90
31.03.2024 को शेष	**0.65**	**9.25**	**120.42**	**3.83**	**0.51**	**1.62**	**4.12**	**0.00**	**140.40**
01.04.2024 को शेष	**0.65**	**9.25**	**120.42**	**3.83**	**0.51**	**1.62**	**4.12**	**0.00**	**140.40**
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	0.06	1.33	17.29	2.90	0.34	2.45	7.10	0.00	31.47
पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: निपटान/ बिक्री/ हस्तांतरण पर समाप्त	-	-	-	0.38	0.18	0.09	0.44	-	1.09
31.03.2025 को शेष	**0.71**	**10.58**	**137.71**	**6.35**	**0.67**	**3.98**	**10.78**	**0.00**	**170.78**
वहन राशि									
31.03.2024 को	**0.65**	**13.15**	**173.50**	**3.29**	**1.09**	**5.83**	**8.89**	**0.00**	**206.40**
31.03.2025 को	**0.59**	**11.82**	**156.21**	**5.56**	**0.73**	**9.89**	**14.88**	**0.00**	**199.68**

कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेखों की जानकारी के लिए, टिप्पणी 38(33) देखें।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 13: पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
पूंजीगत-कार्य-प्रगति पर - भवन	
01.04.2023 को शेष	**139.26**
वर्ष के दौरान संयोजन	2.50
उधार लागत पूंजीकृत	-
घटाएँ: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / निवेश संपत्ति में स्थानांतरण	141.77
31.03.2024 को शेष	**-**
01.04.2024 को शेष	**-**
वर्ष के दौरान संयोजन	-
उधार लागत पूंजीकृत	-
घटाएँ : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / निवेश संपत्ति /परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार में स्थानांतरण	-
31.03.2025 को शेष राशि	**-**

i) पूंजीगत-कार्य-प्रगति पर की एजिंग निर्धारण अनुसूची (जिसमें वह परियोजना शामिल है जिसका पूरा होना अतिदेय है)।

(क) पूंजीगत-कार्य-प्रगति पर (निर्धारित पूरा होने के भीतर)

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को	जिस अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजना प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजना	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

31.03.2024 को	जिस अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजना प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजना	-	-	-	-	-

(ख) पूंजीगत-कार्य-प्रगति पर (मूल योजना की तुलना में पूरा होने में देरी/लागत अधिक होना)

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को	जिस अवधि में पूरा करना			
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1	-	-	-	-
परियोजना 2	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

31.03.2024 को	जिस अवधि में पूरा करना			
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1	-	-	-	-
परियोजना 2	-	-	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 14 : परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि		
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	**भवन***	**भूमि**	**कुल**
01.04.2023 को शेष	**23.92**	**4.33**	**28.25**
वर्ष के दौरान संयोजन	139.53	-	139.53
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-
31.03.2024 को शेष	**163.44**	**4.33**	**167.78**
01.04.2024 को शेष	**163.44**	**4.33**	**167.78**
वर्ष के दौरान संयोजन	-		-
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-
31.03.2025 को शेष	**163.44**	**4.33**	**167.78**
संचित मूल्यह्रास			
01.04.2023 को शेष	**11.93**	**0.46**	**12.39**
मूल्यह्रास व्यय	5.31	0.18	5.50
समायोजन/पुनर्वर्गीकरण	-		-
31.03.2024 को शेष	**17.25**	**0.64**	**17.89**
01.04.2024 को शेष	**17.25**	**0.64**	**17.89**
मूल्यह्रास व्यय	6.30	0.18	6.48
समायोजन/पुनर्वर्गीकरण	-		-
31.03.2025 को शेष	**23.55**	**0.82**	**24.37**
वहन राशि			
31.03.2024 को	**146.20**	**3.69**	**149.89**
31.03.2025 को	**139.90**	**3.51**	**143.40**

परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार पर विवरण के लिए देखें टिप्पण 38(32)

*एनबीसीसी से ली गई लीज होल्ड संपत्ति पर कर प्रभाव का लेखा-जोखा तब लिया जाएगा जब यह स्पष्ट हो जाएगा।

टिप्पणी 15 : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि*
01.04.2023 को शेष	**4.86**
वर्ष के दौरान संयोजन	4.51
घटाएँ: अमूर्त संपत्तियों में स्थानांतरण	9.37
31.03.2024 को शेष	**-**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	राशि*
01.04.2024 को शेष	**-**
वर्ष के दौरान संयोजन	-
घटाएँ: अमूर्त परिसंपत्तियों में स्थानांतरण	-
31.03.2025 को शेष	**-**

1. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की अवधि निर्धारण अनुसूची (जिसमें वह परियोजना शामिल है जिसका पूरा होना अतिदेय है)

(क) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (निर्धारित पूरा होने के भीतर)

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को	के वर्ष हेतु विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति में राशि				
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजना प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजना	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

31.03.2024 को	के वर्ष हेतु विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति में राशि				
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजना प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजना	-	-	-	-	-

(ख) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (मूल योजना की तुलना में पूरा होने में देरी/लागत अधिक होना)

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को	में पूरा किया जाना			
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

31.03.2024 को	में पूरा किया जाना			
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	-	-	-	-

देखें टिप्पणी 38(17) ।

टिप्पण 16 : अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि*
<u>सकल ब्लॉक</u>	
01.04.2023 को शेष	**0.45**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	राशि*
वर्ष के दौरान संयोजन	9.37
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण	-
31.03.2024 को शेष	**9.82**
01.04.2024 को शेष	**9.82**
वर्ष के दौरान संयोजन	1.93
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण	-
31.03.2025 को शेष	**11.75**
संचित मूल्यह्रास	
01.04.2023 को शेष	**0.43**
परिशोधन व्यय	0.63
पुनर्मूल्यांकन/ विश्व बैंक अनुदान के कारण परिशोधन समायोजन	3.98
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-
31.03.2024 को शेष	**5.04**
01.04.2024 को शेष	**5.04**
परिशोधन व्यय	0.85
विश्व बैंक अनुदान के कारण परिशोधन समायोजन [टिप्पणी 38(7क) और 38(17) देखें]	0.37
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-
31.03.2025 को शेष	**6.26**
वहन राशि	
31.03.2024 को	**4.78**
31.03.2025 को	**5.49**

*कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित

टिप्पणी 17 : अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31. 03.2024 को
भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड प्राप्य धन [देखें टिप्पणी 38(43)]	1,638.79	1,638.79
अन्य प्राप्य	24.85	24.80
अन्य अग्रिम	1.43	5.35
कुल	**1,665.07**	**1,668.94**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 18 : देय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
व्यापार देय		
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	1.06	1.03
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	8.05	6.27
कुल	**9.11**	**7.30**

व्यापार देय अवधि निर्धारण अनुसूची

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया*				
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) [देखें टिप्पणी 38 (37)]	0.70	0.31	0.05	-	-	-	**1.06**
(ii) अन्य	4.37	2.60	1.07	-	-	-	**8.05**
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	-	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	**-**

*अवधि निर्धारण भुगतान की देय तिथि पर आधारित है और जहां भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट नहीं है, वहां अवधि निर्धारण लेन-देन की तिथि पर आधारित है।

31.03.2024 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया*				
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	0.77	0.26	-	-	-	-	**1.03**
(ii) अन्य	4.60	1.31	0.36	-	-	-	**6.27**
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	-	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	**-**

*अवधि निर्धारण भुगतान की देय तिथि पर आधारित है और जहां भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट नहीं है, वहां अवधि निर्धारण लेन-देन की तिथि पर आधारित है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 19 : ऋण प्रतिभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(I) कर मुक्त बॉण्ड - गैर परिवर्तनीय मोचन योग्य डिबेंचर (सुरक्षित)		
[कंपनी के ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित]		
7.17% कर मुक्त बॉण्ड्स	284.00	284.00
(श्रृंखला XIV प्राइवेट ISी-2015-16) (01.10.2025 को चुकाने योग्य)		
7.28% कर मुक्त बॉण्ड्स	108.89	108.89
(श्रृंखला XIV किश्त-I-IA- 2015-16) (21.01.2026 को चुकाने योग्य)		
7.53% कर मुक्त बॉण्ड्स	127.88	127.88
(श्रृंखला XIV किश्त-I-IB- 2015-16) (21.01.2026 को चुकाने योग्य)		
8.55% कर मुक्त बॉण्ड्स	123.08	123.08
(श्रृंखला XIII किश्त-I-IIक- 2013-14) (13.03.2029 को चुकाने योग्य)		
8.80% कर मुक्त बॉण्ड्स	234.55	234.55
(श्रृंखला XIII किश्त-I-IIख- 2013-14) (13.03.2029 को चुकाने योग्य)		
8.56% कर मुक्त बॉण्ड्स	36.00	36.00
(श्रृंखला XIII किश्त-I-IIग- 2013-14) (27.03.2029 को चुकाने योग्य)		
7.49% कर मुक्त बॉण्ड्स	884.27	884.27
(श्रृंखला XIV किश्त-I-IIक- 2015-16) (21.01.2031 को चुकाने योग्य)		
7.74% कर मुक्त बॉण्ड्स	483.52	483.52
(श्रृंखला XIV किश्त-I-IIख- 2015-16) (21.01.2031 को चुकाने योग्य)		
8.55% कर मुक्त बॉण्ड्स	38.81	38.81
(श्रृंखला XIII किश्त-I-IIIक- 2013-14) (13.03.2034 को चुकाने योग्य)		
8.80% कर मुक्त बॉण्ड्स	144.16	144.16
(श्रृंखला XIII किश्त-I-IIIख- 2013-14) (13.03.2034 को चुकाने योग्य)		
7.43% कर मुक्त बॉण्ड्स	36.44	36.44
(श्रृंखला XIV किश्त-I-IIIक- 2015-16) (21.01.2036 को चुकाने योग्य)		
7.68% कर मुक्त बॉण्ड्स	75.00	75.00
(श्रृंखला XIV किश्त-I-IIIख- 2015-16) (21.01.2036 को चुकाने योग्य)		
उप-योग (अ)	**2,576.60**	**2,576.60**
(II) कर योग्य बॉण्ड्स - अपरिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (सुरक्षित)		
[कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (बही ऋण) पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित]।		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
9.02% कर योग्य बॉण्ड्स	250.00	250.00
(श्रृंखला III- 2010-11 - किश्त II) (24.09.2025 को चुकाने योग्य)		
8.49% कर योग्य बॉण्ड्स	200.00	200.00
(श्रृंखला Vख- 2013-14) (10.05.2028 को चुकाने योग्य)		
8.12% कर योग्य ग्रीन बॉण्ड्स	200.00	200.00
(श्रृंखला VI क - 2016-17) (24.03.2027 को चुकाने योग्य)		
8.05% कर योग्य ग्रीन बॉण्ड्स	500.00	500.00
(श्रृंखला VI ख - 2016-17) (चुकाने योग्य 29.03.2027)		
8.51% कर योग्य बॉण्ड्स	275.00	275.00
(श्रृंखला VIIक- 2018-19) (03.01.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.12	0.14
	274.88	274.86
8.47% कर योग्य बॉण्ड्स	590.00	590.00
(श्रृंखला VIIख- 2018-19) (17.01.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ:उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.12	0.14
	589.88	589.86
8% कर योग्य बॉण्ड्स	1,000.00	1,000.00
(श्रृंखला IX क- 2019-20) (24.09.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.14	0.16
	999.86	999.84
7.40% कर योग्य बॉण्ड्स	803.00	803.00
(श्रृंखला IX ख- 2019-20) (03.03.2030 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.27	0.31
	802.73	802.69
उप-योग (ब)	**3,817.35**	**3,817.24**
(III) कर योग्य बॉण्ड्स - अपरिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (अरक्षित)		
5.98% कर योग्य बॉण्ड्स	106.00	106.00
(श्रृंखला XI क- 2021-22) (16.04.2025 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.00	0.00
	106.00	106.00
7.46% कर योग्य बॉण्ड्स	648.40	648.40
(श्रृंखला XII क- 2022-23) (12.08.2025 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.02	0.06
	648.38	648.34
7.85% कर योग्य बॉण्ड्स	1,200.00	1,200.00
(श्रृंखला XII ख- 2022-23) (12.10.2032 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.15	0.16
	1,199.85	1,199.84

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
7.79% कर योग्य बॉण्ड्स	515.00	515.00
(श्रृंखला XII ग- 2022-23) (07.12.2032 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.07	0.07
	514.93	514.93
7.94% कर योग्य बॉण्ड्स	1,500.00	1,500.00
(श्रृंखला XII घ- 2022-23) (27.01.2033 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.46	0.50
	1499.54	1499.50
7.63% कर योग्य बॉण्ड्स	1,000.00	1,000.00
(श्रृंखला XV-क 2023-24) (11.08.2033 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.61	0.67
	999.39	999.33
7.75% कर योग्य बॉण्ड्स	683.00	683.00
(श्रृंखला XV-ख 2023-24) (12.10.2033 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.42	0.45
	682.58	682.55
7.68% कर योग्य बॉण्ड्स	1,000.00	1,000.00
(श्रृंखला XV-ग 2023-24) (22.12.2033 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.66	0.72
	999.34	999.28
7.77% कर योग्य बॉण्ड्स	809.74	809.74
(श्रृंखला XV-घ 2023-24) (10.05.2027 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.25	0.36
	809.49	809.38
7.59% कर योग्य बॉण्ड्स	1,130.00	1,130.00
(श्रृंखला XV-ङ 2023-24) (23.02.2034 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.20	1.29
	1,128.80	1,128.71
7.53% कर योग्य बॉण्ड्स	1,222.00	1,222.00
(श्रृंखला XV-च 2023-24) (10.05.2034 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.87	0.93
	1,221.13	1,221.07
7.57% कर योग्य बॉण्ड्स	447.00	447.00
(श्रृंखला XV-छ 2023-24) (18.05.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.24	0.29
	446.76	446.71
7.59% कर योग्य बॉण्ड्स	1,065.00	1,065.00
(श्रृंखला XV-ज 2023-24) (26.07.2034 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.81	0.87
	1,064.19	1,064.13

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
7.50% कर योग्य बॉण्ड्स	1,000.00	-
(श्रृंखला XVI-क 2024-25) (05.06.2034 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.99	-
	999.01	-
7.44% कर योग्य बॉण्ड्स	1,500.00	-
(श्रृंखला XVI-ख 2024-25) (25.08.2034 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.82	-
	1,499.18	-
7.39% कर योग्य बॉण्ड्स	1,090.00	-
(श्रृंखला XVI-ग 2024-25) (22.07.2039 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.01	-
	1,088.99	-
7.36% कर योग्य बॉण्ड्स	1,500.00	-
(श्रृंखला XVI-घ 2024-25) (09.09.2039 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.32	-
	1,498.68	-
7.32% कर योग्य बॉण्ड्स	1,500.00	-
(श्रृंखला XVI-ङ 2024-25) (04.11.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.59	-
	1,499.41	-
7.37% कर योग्य बॉण्ड्स	2,000.00	-
(श्रृंखला XVI-च 2024-25) (27.11.2031 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.28	-
	1,998.72	-
7.28% कर योग्य बॉण्ड्स	1,330.00	-
(श्रृंखला XVI-छ 2024-25) (21.01.2035 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.20	-
	1,328.80	-
7.40% कर योग्य बॉण्ड्स	820.00	-
(श्रृंखला XVI-ज 2024-25) (27.02.2036 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.88	-
	819.12	-
उप-योग (स)	**22,052.29**	**11,319.77**
कुल बॉण्ड्स (अ+ब+स)	**28,446.24**	**17,713.61**
भौगोलिक वार ऋण प्रतिभूतियाँ		
भारत में ऋण प्रतिभूतियाँ	28,446.24	17,713.61
भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-
कुल	**28,446.24**	**17,713.61**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणियाँ :

i) कंपनी द्वारा जारी किए गए कर योग्य बॉण्ड्स के पास सम्बंधित बॉण्ड्स के सूचना ज्ञापन में बॉण्ड्स के पुनर्निर्गम हेतु खंड है।

ii) 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने श्रृंखला XVI-क से श्रृंखला XVI-ज के अंतर्गत ₹ 10,740.00 करोड़ के कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड्स जारी किए हैं (31.03.2024 को समाप्त वर्ष : श्रृंखला XV-क से XV-ज के अंतर्गत ₹ 7,356.74 करोड़ के कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड्स)।

iii) 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹शून्य करोड़ का मोचन किया है (31.03.2024 को समाप्त वर्ष: ₹ 300.00 करोड़ के कर योग्य बॉण्ड्स श्रृंखला V-क और ₹ 75.76 करोड़ के XIII-1क और ₹ 105.29 करोड़ के XIII-1ख का मोचन किया गया)।

iv) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 54 के अनुसार, कंपनी द्वारा जारी और 31.03.2025 तक बकाया सभी सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए, कंपनी की प्राप्तियों पर प्रभार के रूप में 100% सुरक्षा आवृत्त बनाए रखा गया है।

v) कंपनी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों के अनुबंधों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं था।

टिप्पणी 20 : उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(क) सावधि ऋण -		
(I) बैंकों से		
अ. सावधि ऋण - सुरक्षित		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-V [ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित]	291.57	379.88
(दिनांक 30.12.2018 से शुरू करके 30.12.2027 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 5,263,000 यूरो की 16 किस्तों में और प्रत्येक 5,264,000 यूरो की 3 किस्तों में पुनर्भुगतान)		
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीएफसी) से - ऋण-III	62.50	145.83
(कंपनी के बुक ऋण और प्राप्य पर 100% कवर के साथ एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)।		
(30.03.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹20.83 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)।		
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीएफसी) से - ऋण-IV	83.33	166.67
(कंपनी के बुक ऋणों और प्राप्य पर 100% कवर के साथ एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)।		
(23.04.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 20.83 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकौती-योग्य)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-IV	1,041.62	1,874.99
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(22.07.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹208.34 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)।		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण II	333.31	666.67
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(27.06.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 83.33 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकौती-योग्य)		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - ऋण IV- बीओआई	631.50	842.11
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.09.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 52.63 करोड़ की 19 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
एचएसबीसी बैंक से - ऋण I - एचएसबीसी - श्रृंखला I	72.22	94.44
[100% कवर के साथ कंपनी के ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) तथा प्राप्य पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित]		
(09.03.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 5.56 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
एनएबीएफआईडी से - ऋण I- एनएबीएफआईडी	-	2,050.00
(सुविधा के 1.0x की न्यूनतम सुरक्षा के साथ कंपनी/उधारकर्ता की सभी प्राप्तियों पर दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम एक साथ सुरक्षित)		
(30.06.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 56.94 करोड़ की 36 समान तिमाही किस्तों में चुकौती-योग्य है, हालाँकि ऋण 22.11.2024 को पूरी तरह से चुका दिया गया है)		
इंडियन ओवरसीज बैंक से - ऋण I- आईओबी	333.33	666.67
(100% के न्यूनतम सुरक्षा आवृत्त के साथ कंपनी के मानक ऋण प्राप्तियों पर बहु बैंकिंग व्यवस्था के अधीन अन्य ऋणदाताओं के साथ एक साथ आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.03.2024 से शुरू करके कुल 3 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जिनमें से प्रत्येक ₹333.33 करोड़ के दो और ₹ 333.34 करोड़ का एक है)		
आईडीबीआई बैंक से - सावधि ऋण सुविधा I	333.32	444.44
(बकाया ऋण राशि के 100% की सीमा तक बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.12.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹27.78 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना चाहिए और अंतिम किस्त होगी 31.3.2028 को)		
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से - ऋण -II (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	1,141.09	1,222.82
[ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित]		
(15.04.2020 से शुरू करके 15.10.2034 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 6,666,666.67 अमेरिकी डॉलर के 29 समान किस्तों में तथा 30वीं किस्त में 6,666,666.57 अमेरिकी डॉलर में चुकौती-योग्य ।)		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - ऋण-I	409.86	547.05
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(22.02.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹34.19 करोड़ की 21 समान तिमाही किस्तों में चुकौती-योग्य)		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - II श्रृंखला-क	210.39	315.79
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.09.2022 से शुरू करके प्रत्येक ₹26.32 करोड़ की 19 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से - ऋण-II	262.47	412.50
(बकाया ऋण राशि के 1 गुना के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(16 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है। ₹37.51 करोड़ की पहली किस्त 21.03.2023 को देय है और प्रत्येक ₹37.50 करोड़ की बाकी बची किस्तें, 21.06.2023 से शुरू हैं।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-III श्रृंखला-क	883.80	1,389.20
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(29.12.2022 से शुरू करके 29.09.2026 तक प्रत्येक ₹126.35 करोड़ की 16 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है, दूसरी अंतिम क़िस्त 29.12.2026 को और ₹ 62.85 करोड़ की अंतिम क़िस्त 29.03.2027 को देय है)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-III श्रृंखला -ख	266.50	399.90
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(29.12.2022 से शुरू करके 29.12.2026 तक प्रत्येक ₹33.35 करोड़ की 16 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है और ₹33.05 करोड़ की अंतिम किस्त 29.03.2027 को देय है)।		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-VI	92.35	116.02
[ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित]		
(30.12.2021 से शुरू करके 30.06.2028 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 1,428,000 यूरो की 6 किस्तों और प्रत्येक 1,429,000 यूरो की 8 किस्तों में चुकाया जाना है।)		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से	611.00	855.56
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(30.06.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 61.11 करोड़ की 18 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है)		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से	843.63	1,218.75
(बकाया ऋण राशि के 1 गुना के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)।		
(27.09.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 93.75 करोड़ की 16 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है)।		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - II श्रृंखला -ख	105.48	158.25
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)।		
(19 तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है। 30.09.2022 को ₹ 52.63 करोड़ की पहली किस्त और प्रत्येक ₹13.18 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तें 31.12.2022 से शुरू हो चुकी हैं)।		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से - I	249.96	583.33
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(29.03.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 83.33 करोड़ की 12 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V श्रृंखला -क	533.33	800.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(28.06.2024 से शुरू होकर, प्रत्येक ₹ 66.67 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V श्रृंखला -ख	450.00	600.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(07.07.2024 से शुरू करके, प्रत्येक ₹ 50.00 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V श्रृंखला -ग	240.00	320.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(31.07.2024 से शुरू करके, प्रत्येक ₹ 26.67 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V श्रृंखला -घ	232.50	310.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(प्रत्येक ₹25.83 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है, जो 04.08.2024 से शुरू हुआ।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V किस्त-ङ	465.00	620.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(19.08.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹51.67 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V श्रृंखला -च	1,387.50	1,850.00

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(31.08.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹154.17 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।)		
एचएसबीसी से - ऋण-I शृंखला -II	266.67	300.00
[100% कवर के साथ कंपनी के ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) और प्राप्य पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।]		
(01.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹16.67 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
कर्नाटक बैंक से - ऋण-II	444.49	500.00
(किसी भी समय बकाया राशि के 100% की सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के मानक प्राप्य/ बुक ऋणों पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(15.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹27.75 करोड़ की 17 समान तिमाही किस्तों और ₹28.25 करोड़ की 18वीं किस्त में चुकाया जाना है।)		
आईडीबीआई बैंक से - ऋण-II	444.44	500.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक कंपनी के बही ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(01.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹27.78 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण-III	-	100.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(30.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹3.85 करोड़ की 25 समान तिमाही किस्तों और ₹ 3.85 करोड़ की 26वीं किस्त में चुकाया जाना था , हालाँकि ऋण 02.09.2024 को पूरी तरह से चुका दिया गया है।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI-क	375.00	500.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(27.09.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹41.67 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।)		
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) बैंक से - ऋण-I	499.88	500.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्य राशि पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(30.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 62.50 करोड़ की 8 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।)		
इंडसइंड बैंक से	-	300.00

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(कंपनी के बुक ऋणों और प्राप्तियों पर 90 दिनों तक 100% की सुरक्षा कवरेज के साथ एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित, 19.03.2025 को ₹300 करोड़ और 26.03.2025 को ₹120 करोड़ का बुलेट पुनर्भुगतान। हालांकि, कंपनी ने क्रमशः 10.03.2025 और 07.03.2025 को उक्त राशि का पूर्व भुगतान कर दिया है।)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से	-	1,000.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित, 14.08.2024 को ₹315 करोड़, 27.08.2024 को ₹400 करोड़ तथा 24.09.2024 को ₹285 करोड़ का बुलेट पुनर्भुगतान)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से	785.00	555.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित, 07.05.2025 को ₹ 200 करोड़, 08.05.2025 को ₹ 300 करोड़, 13.05.2025 को ₹ 100 करोड़, 15.05.2025 को ₹ 50 करोड़, 19.05.2025 को ₹ 75 करोड़ और 20.05.2025 को ₹ 60 करोड़ का बुलेट पुनर्भुगतान)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI शृंखला ख	358.33	-
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(02.10.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 35.83 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI शृंखला ग	83.33	-
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(14.10.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 8.33 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI शृंखला घ	533.33	-
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(08.11.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 53.33 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI किस्त ङ	275.00	-
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(14.11.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 27.50 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		
केनरा बैंक से शृंखला क	99.17	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(31.01.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹5.83 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		
केनरा बैंक से शृंखला ख	330.56	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(28.02.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹19.44 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		
केनरा बैंक से किस्त ग	47.22	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(28.02.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 2.78 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चकता-योग्य।)		
केनरा बैंक से शृंखला घ	363.61	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(28.02.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 21.39 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		
साउथ इंडियन बैंक से	250.00	-
(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के मानक ऋण प्राप्तियों पर बहु-बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत अन्य ऋणदाताओं के साथ एक साथ आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित, सहित 21.09.2027 को बुलेट पुनर्भुगतान।)		
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) बैंक से - ऋण-I शृंखला II	350.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के प्राप्य पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 43.75 करोड़ की 8 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।)		
आईडीबीआई बैंक से - ऋण III	377.77	-
(बकाया ऋण राशि के 100% की सीमा तक बुक ऋण पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(01.04.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹22.22 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
साउथ इंडियन बैंक से - ऋण II	200.00	-
(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के मानक ऋण प्राप्य पर बहु-बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत अन्य ऋणदाताओं के साथ एक साथ आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(27.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹20.00 करोड़ की 10 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
केनरा बैंक से किस्त ङ	415.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(30.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹23.06 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
भारतीय स्टेट बैंक से शृंखला क	800.00	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक मालबंधन के माध्यम से कंपनी के बही ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(21.05.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹42.11 करोड़ की 19 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
पंजाब नेशनल बैंक से - ऋण V	1,999.99	-
(ऋण बकाया राशि के 100% के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(31.03.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹125.00 करोड़ की 16 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV शृंखला क	320.83	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(31.03.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 29.17 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV शृंखला ख	200.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.04.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 16.67 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV शृंखला ग	250.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.04.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹20.83 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV शृंखला घ	165.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.05.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹13.75 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV शृंखला ङ	400.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.05.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹33.33 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV शृंखला च	150.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(10.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹12.50 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण VIII श्रृंखला क	2,000.00	-
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(05.09.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 166.67 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण VIII श्रृंखला ख	1,000.00	-
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(06.09.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 83.33 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
बैंक ऑफ महाराष्ट्र से	750.00	-
(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की मानक प्राप्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.04.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹166.67 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में और ₹166.61 करोड़ के अंतिम किस्त में चुकाया जाना है)		
उप-योग (अ)	**26,102.18**	**23,305.87**
ब. सावधि ऋण - अरक्षित		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरौफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-I	162.57	169.45
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(30.12.2009 से शुरू करके 30.12.2039 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 586,451.79 यूरो की 28 किस्तों में, प्रत्येक 586,963.08 यूरो की 32 किस्तों में और 586,963 यूरो की 1 किस्त में चुकाया जाना है।)		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरौफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-III	153.72	156.21
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(30.06.2020 से शुरू करके 30.12.2049 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 332,000 यूरो की 9 किस्तों में और प्रत्येक 333,000 यूरो की 51 किस्तों में चुकाया जाना है।)		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-VII	253.09	270.05
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(15.05.2023 से शुरू करके 15.05.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर 8,912,000 अमेरिकी डॉलर की 1 किस्त और 1,408,248.09 अमेरिकी डॉलर की 24 किस्तों में चुकाया जाना है।)		
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) से - ऋण-III	318.77	156.03
(भारत सरकार द्वारा जोखिम के 80% की सीमा तक गारंटीकृत)		
(बकाया ऋण के आधार पर 15.04.2022 से शुरू करके 15.10.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 556,508.17 अमेरिकी डॉलर की 3 किस्तों में, प्रत्येक 779,500.64 अमेरिकी डॉलर की 2 किस्तों में, प्रत्येक 1,693,241.41 अमेरिकी डॉलर की 22 किस्तों तथा 1,688,973.99 अमेरिकी डॉलर की 28वीं किस्त में चुकाया जाना है।)		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) से स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) - ऋण-III	119.69	58.22
(भारत सरकार द्वारा जोखिम के 80% की सीमा तक गारंटीकृत)		
(बकाया ऋण के आधार पर 15.04.2027 से शुरू करके 15.10.2056 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 139,849.43 अमेरिकी डॉलर की 20 किस्तों में तथा प्रत्येक 279,698.86 अमेरिकी डॉलर की 40 किस्तों में चुकाया जाना है)		
कर्नाटक बैंक से ऋण-I	136.37	318.20
[29.05.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹45.45 करोड़ की 10 किस्तों में तथा ₹45.50 करोड़ की 11वीं (अंतिम) तिमाही किस्त में चुकाया जाना है।]		
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से - ऋण-I	1,295.32	1,373.08
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(किस्त I - 26.09.2019 से शुरू करके 26.03.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 662,000 अमेरिकी डॉलर की 32 किस्तों में चुकाया जाना है)।		
(क़िस्त II - 15.07.2020 से शुरू करके 15.07.2036 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 1,999,636.36 अमेरिकी डॉलर की 32 किस्तों में और 1,999,636.48 अमेरिकी डॉलर की एक क़िस्त में चुकाया जाना है)।		
(किस्त III - 16.02.2021 से शुरू करके 15.08.2036 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 4,005,375 अमेरिकी डॉलर की 32 किस्तों में चुकाया जाना है)।		
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से - ऋण-II	1,269.64	1,344.68
(किस्त I - 27.02.2023 से शुरू करके 27.08.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 2,263,653.85 अमेरिकी डॉलर की 25 किस्तों में और 2,263,653.75 की 1 किस्त में चुकाया जाना है)।		
(किस्त II - 09.03.2024 से शुरू करके 09.03.2037 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 4,200,740.74 अमेरिकी डॉलर की 26 किस्तों में तथा 4,200,740.76 अमेरिकी डॉलर की 1 किस्त में चुकाया जाना है)।		
उप योग (ब)	**3,709.17**	**3,845.92**
बैंकों से कुल ऋण (स=अ+ब)	**29,811.35**	**27,151.79**
(II) अन्य से		
द. सावधि ऋण - रक्षित	-	-
उप योग (द)	-	-
य. सावधि ऋण - अरक्षित		
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से	25.42	37.21
(41 संरचित त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।)		
एजेंसे फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी) से - ऋण-I	258.51	294.71
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(31.07.2016 से शुरू करके 31.01.2031 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 2,333,333.33 यूरो की 29 किस्तों तथा 2,333,333.43 यूरो की 30वीं किस्त में चुकाया जाना है।)		
एजेंसे फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी) से - ऋण-II	-	496.20
(30.11.2019 से शुरू करके 31.05.2029 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 5,000,000 यूरो की 20 किस्तों में चुकाया जाना है। 31.05.2024 को बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।) [टिप्पणी 38(26) भी देखें]		
जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से - ऋण-I	1,370.30	1,410.84
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(20.06.2021 से शुरू करके 20.06.2041 तक अर्धवार्षिक आधार पर 731,720,000 जापानी येन की 1 किस्त और प्रत्येक 731,707,000 जापानी येन की 40 किस्तों में चुकाया जाना है।)		
जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से - ऋण-II	1,576.35	1,610.78
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(20.03.2024 से शुरू करके 20.03.2044 तक अर्धवार्षिक आधार पर 731,000,000 जापानी येन की 1 किस्त और प्रत्येक 730,975,000 जापानी येन की 40 किस्तों में चुकाया जाना है।)		
भारत सरकार से	224.65	239.70
(अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (आईडीए) के तहत - दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना (आईएनआर ऋण)		
(15.10.2010 से शुरू करके 15.04.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 625,000.00 अमेरिकी डॉलर की 20 किस्तों में तथा प्रत्येक 1,250,000.00 अमेरिकी डॉलर की 30 किस्तों में भारतीय रुपये में देय चुकाया जाना है।)		
उप-योग (य)	**3,455.23**	**4,089.44**
अन्य से कुल ऋण (र=द+य)	**3,455.23**	**4,089.44**
कुल अवधि ऋण (क=स+र)	**33,266.58**	**31,241.23**
(ख) मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण:-		
सुरक्षित		
बैंकों से		
बैंक ऑफ बड़ौदा	-	82.62
(बकाया ऋण के 125% की सीमा तक, मानक परिसंपत्तियों से संबंधित बुक ऋण और प्राप्य पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से	222.92	-
(ऋण राशि की 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋण पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
उप योग (ख)	**222.92**	**82.62**
(ग) एफसीएनआर (ब) मांग ऋण :-		
सुरक्षित		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
उप योग (ग)	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	**33,489.50**	**31,323.85**
भौगोलिक वार उधार		
भारत में उधार	24,961.89	22,025.18
भारत के बाहर उधार	8,527.61	9,298.67
कुल	**33,489.50**	**31,323.85**

i) विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों जैसे एडीबी, विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू, एएफडी, जेआईसीए और ईआईबी से विदेशी मुद्रा उधार को रुपये में परिवर्तित किया गया है और उसी का बचाव विभिन्न बैंकों के साथ प्लेन वेनिला स्वैप लेन-देन/मुद्रा ब्याज दर स्वैप/प्रिंसिपल ओनली स्वैप/फॉरवर्ड अनुबंध आदि करके की जाती है, जिनके साथ कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्वैप और व्युत्पन्न संघ (आईएसडीए) मास्टर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये व्युत्पन्नी लेन-देन भागीदार बैंक के साथ परिपक्वता की अवधि के लिए किए गए हैं, जो ऋण की परिपक्वता अवधि से कम हो सकती है। विदेशी मुद्रा ऋण का बचाव विभिन्न अंतरालों पर किया गया है और क्रेडिट लाइनों के तहत निकासी और रोलओवर के आधार पर कई किस्तों में की गई है। ब्याज लागत और अन्य वित्तीय शुल्कों के अलावा, विदेशी मुद्रा ऋणों के बचाव के कारण, इन ऋणों में बचाव /व्युत्पन्नी लागत होती है, जो क्रेडिट लाइन के तहत निकासी के अनुसार किस्तों के अनुसार होती है, इसलिए इन क्रेडिट लाइनों पर लागू ब्याज दर का खुलासा ऊपर नहीं किया गया है।

ii) टिप्पणी संख्या 20 में उल्लिखित 31-03-2025 तक रुपया उधार संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थानों की बेंचमार्क दर और 0 बीपीएस से155 बीपीएस तक के प्रसार पर उगाहा गया था।

iii) बॉण्ड सहित विभिन्न उपकरणों के माध्यम से कंपनी धन उगाहती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने किसी भी ऋण सेवा-दायित्व की सेवा में चूक नहीं की है, चाहे वह मूलधन हो या ब्याज।

iv) वर्ष के दौरान उगाही गई धनराशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन/सुविधा समझौते में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है।

v) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

vi) कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के पास दायर किए गए बुक ऋणों के विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

vii) किसी भी उधार की गारंटी निदेशकों द्वारा नहीं दी गई है।

viii) कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों के नियमों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं था।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 21 : अधीनस्थ देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
क) अरक्षित		
9.23% इरेडा कर योग्य अरक्षित	150.00	150.00
(अधीनस्थ स्तरीयर-II बॉण्ड्स -श्रृंखला VIII- 22.02.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.16	0.19
	149.84	149.81
7.74% इरेडा कर योग्य अरक्षित	500.00	500.00
(अधीनस्थ स्तरीयर -II बॉण्ड्स - श्रृंखला-X-08.05.2030 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.34	0.39
	499.66	499.61
7.74% इरेडा कर योग्य अरक्षित	910.37	-
(अधीनस्थ स्तरीयर -II बॉण्ड्स -एसडी -III-27.05.2035 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.77	-
	909.60	-
8.40% इरेडा सतत कर योग्य बॉण्ड्स	1,239.00	-
(सतत स्तरीयर -I बॉण्ड्स - सीरीज़-I - 21.03.2035 को कॉल विकल्प के साथ और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर)		
घटाएं : उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.52	-
	1,237.48	-
8.40% इरेडा सतत कर योग्य बॉण्ड्स	8.00	-
(सतत स्तरीयर -II बॉण्ड्स - सीरीज़-I - 21.03.2035 को कॉल विकल्प के साथ और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर)		
घटाएं : उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.01	-
	7.99	-
कुल (क)	**2,804.57**	**649.42**
भौगोलिक वार वर्गीकरण		
भारत में अधीनस्थ देयताएँ	2,804.57	649.42
भारत के बाहर अधीनस्थ देयताएँ	-	-
कुल	**2,804.57**	**649.42**

टिप्पणियाँ:

i) 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 1,247 करोड़ के सतत ऋण उपकरण (31.03.2024 को समाप्त वर्ष: शून्य) और ₹ 910.37 करोड़ के अधीनस्थ स्तरीयर II बॉण्ड्स (31.03.2024 को समाप्त वर्ष: शून्य) जारी किए हैं। टिप्पणी 38(48) भी देखें।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी : 22 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
(क) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	440.57	401.94
(ख) उधार पर अर्जित ब्याज और अन्य शुल्क लेकिन देय नहीं	959.28	621.42
(ग) अन्य देय:		
एमएनआरई कार्यक्रम निधियाँ	9.45	9.45
एमएनआरई / यूएनडीपी-इरेडा स्कीम फंड्स [टिप्पणी 38(42) देखें]	158.00	232.12
जीईएफ-एमएनआरई-संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) परियोजना [टिप्पणी 38(42ख) देखें]	2.90	2.73
दावाहीन बॉण्ड मूलधन *	0.20	0.20
दावाहीन बॉण्ड ब्याज *	1.93	1.37
एनसीईएफ को देय	0.17	0.17
पट्टा देयता	3.69	4.03
अन्य	61.64	66.87
कुल	**1,637.83**	**1,340.30**

*इसमें से कोई भी राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने के योग्य नहीं है।

टिप्पणी 23 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान [टिप्पणी संख्या 38(6) देखें]		
-छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	10.58	9.03
-सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) हेतु प्रावधान	-	16.88
-अस्वस्थता छुट्टी हेतु प्रावधान	5.27	5.68
-बैगेज भत्ते हेतु प्रावधान	0.27	0.24
-विदाई उपहार हेतु प्रावधान	0.23	0.20
अन्य		
-अप्रत्यक्ष कर (गारंटी कमीशन पर सहित) और अन्य हेतु प्रावधान	126.49	103.27
-वित्तीय साधनों (ऋण) पर आकस्मिक प्रावधान*	1,074.65	855.82
कुल	**1,217.49**	**991.12**

*गैर-निधि जोखिम हेतु प्रावधान सहित और स्टेज III ऋण के लिए प्रावधान को छोड़कर।

टिप्पणी 24 : अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
अग्रिम में प्राप्त राजस्व		
अग्रिम में प्राप्त प्रारम्भिक शुल्क	72.58	43.17
अन्य अग्रिम		
अन्य	1.36	0.95
अन्य		
भविष्य निधि देय	0.04	0.04
सांविधिक बकाया	19.09	11.91

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
एमएनआरई भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड्स (अर्जित ब्याज सहित) [टिप्पण 38(43) देखें)]	1,653.12	1,652.28
विविध देयताएं - ब्याज पूंजीकरण (वित्त पोषित ब्याज अवधि ऋण)	82.79	87.85
विश्व बैंक से पूंजी अनुदान [टिप्पण 38(7क) देखें]	1.15	1.52
ऊर्जा परियोजनाओं तक पहुंच के लिए चूक जोखिम न्यूनीकरण निधि (केएफडब्ल्यू VI)#	10.12	9.69
कुल	**1,840.25**	**1,807.41**

#केएफडब्ल्यू द्वारा केएफडब्ल्यू VI ऋण व्यवस्था के तहत कंपनी के ऊर्जा संविभाग तक समग्र पहुंच के 70% तक चूक जोखिमों को कवर करने के लिए संविभाग जोखिम रक्षित खाता (पीआरआरए) की स्थापना करके प्रदान किया गया। उक्त राशि का उपयोग डीएसआरए समाप्त होने के बाद, एनपीए घोषित होने पर उधारकर्ता के बकाया ऋण सेवा दायित्व के 70% तक की वसूली के लिए किया जाएगा।

टिप्पणी 25 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
(क) अधिकृत शेयर पूंजी		
6,000,000,000 (पिछले वर्ष 6,000,000,000) इक्विटी शेयर ₹10 प्रत्येक	6,000.00	6,000.00
	6,000.00	6,000.00
(ख) जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान		
2,68,77,64,706 इक्विटी शेयर ₹10 प्रत्येक पूरी तरह से भुगतान (पिछले वर्ष : 2,68,77,64,706 इक्विटी शेयर ₹10 प्रत्येक)।	2,687.76	2,687.76
पूरी तरह से भुगतान		
कुल	**2,687.76**	**2,687.76**

बकाया शेयरों की संख्या का समाधान:-

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10 का)	2,68,77,64,706	2,687.76	2,68,77,64,706	2,687.76
जोड़ें:- वर्ष के दौरान शेयर जारी और आवंटित	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस मंगाए गये	-	-	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10 का)	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**

5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:-

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
	शेयरों की संख्या	% धारित	शेयरों की संख्या	% धारित
भारत सरकार	2,01,58,23,529	75	2,01,58,23,529	75

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

वर्ष की समाप्ति पर प्रमोटर्स द्वारा धारित शेयरों का विवरण :-

विवरण	31.03.2025 को			31.03.2024 को		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
भारत सरकार	2,01,58,23,529	75	-	2,01,58,23,529	75	25

1 कंपनी ने केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर जारी किए हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर है।
2 इक्विटी शेयरधारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं, जो अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन है।
3 इक्विटी शेयरधारक शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार हैं।
4 कंपनी ने तुलन पत्र की तारीख से ठीक पहले के 5 वर्षों में निम्न कार्य नहीं किए हैं:
क) नकद भुगतान प्राप्त किए बिना इक्विटी शेयर जारी किया।
ख) बोनस शेयर के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी किया।
ग) अपने किसी भी शेयर को वापस नहीं खरीदा।
5 कंपनी के पास शेयरों की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प/अनुबंध/प्रतिबद्धता के तहत जारी करने के लिए कोई इक्विटी शेयर आरक्षित नहीं है। [टिप्पणी 38(27) देखें]
6 अदत्त माँग (निदेशकों और अधिकारियों द्वारा अदत्त माँग का कुल मूल्य दिखाते हुए): शून्य
7 जब्त शेयर (मूल रूप से भुगतान की गई राशि): शून्य
8 पूंजी प्रबंधन के लिए: टिप्पणी 38(23) देखें।

टिप्पणी 26 : अन्य इक्विटी*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
(क) रक्षित निधि और अधिशेष		
(i) विशेष रक्षित निधि	1,943.10	1,581.10
(ii) डिबेंचर मोचन रक्षित निधि	439.01	397.75
(iii) सामान्य रक्षित निधि	3,560.48	2,610.48
(iv) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)	(379.08)	(318.37)
(v) एनबीएफसी रक्षित निधि	1,052.83	712.83
(vi) प्रतिभूति प्रीमियम	864.26	863.63
(ख) प्रतिधारित आय	**28.04**	**38.26**
(ग) नकद प्रवाह बचाव का प्रभावी हिस्सा		
(i) नकद प्रवाह बचाव रक्षित निधि	69.76	(14.02)
कुल अन्य इक्विटी (क+ख +ग)	**7,578.40**	**5,871.66**

*वर्ष के दौरान परिवर्तनों के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण देखें।

अन्य इक्विटी का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष रक्षित निधि		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	1,581.10	1,317.10
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	362.00	264.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस लिखा गया	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**1,943.10**	**1,581.10**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
डिबेंचर मोचन रक्षित निधि		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	397.75	397.97
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	41.26	45.03
घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रतिलेखित	-	45.26
वर्ष के अंत में शेष राशि	**439.01**	**397.75**
सामान्य आरक्षित निधि		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	2,610.48	1,910.48
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	950.00	700.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रतिलेखित	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**3,560.48**	**2,610.48**
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन रक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(318.37)	(580.40)
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन /स्थानांतरण	(65.26)	268.62
घटाएँ: वर्ष के दौरान परिशोधन	(4.55)	6.59
वर्ष के अंत में शेष राशि	**(379.08)**	**(318.37)**
एनबीएफसी रक्षित निधि(आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-Iग)		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	712.83	461.83
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	340.00	251.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	**1,052.83**	**712.83**
प्रतिभूति प्रीमियम		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	863.63	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों पर प्रीमियम	-	886.96
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया शेयर जारी करने का खर्च (कर लाभ का निवल)	-	23.33
जोड़ें : शेयर जारी करने के व्यय के लिए समायोजन (कर लाभ का निवल)	0.63	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**864.26**	**863.63**
प्रतिधारित आय		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	38.26	2.51
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	1,698.60	1,252.24
जोड़ें: अन्य व्यापक आय	(15.55)	(1.71)
घटाएँ: विशेष आरक्षित निधि में स्थानांतरण	362.00	264.00
जोड़ें/(घटाएँ): डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि में/(से) शुद्ध स्थानांतरण	41.26	(0.23)
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	950.00	700.00
घटाएँ: एनबीएफसी आरक्षित निधि में स्थानांतरण	340.00	251.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	**28.04**	**38.26**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
नकद प्रवाह बचाव का प्रभावी हिस्सा		
नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(14.02)	141.07
जोड़ें: अन्य व्यापक आय/(व्यय) (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	83.78	(155.09)
वर्ष के अंत में शेष राशि (करों का निवल)	**69.76**	**(14.02)**
कुल अन्य इक्विटी	**7,578.40**	**5,871.67**

1 आरक्षित निधि की प्रकृति और उद्देश्य

1.1 विशेष आरक्षित निधि:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत आयकर कटौती का लाभ उठाने हेतु दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के व्यवसाय से प्राप्त कर-पूर्व लाभ के 20% की दर से विशेष आरक्षित निधि बनायी गई है। तदनुसार, 31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु ₹362.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई है (पिछले वर्ष : ₹264.00 करोड़)।

1.2 डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि:

कंपनी अधिनियम 2013 के नियम 18 (7)(ख)(ii) के अनुसार, कंपनी को सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए गए बॉण्डों के 25% तक डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) बनाना आवश्यक है। कंपनी ने डीआरआर के लिए प्रावधान किया है, ताकि कर-मुक्त बॉण्डों की संबंधित अवधि में आवश्यक राशि प्राप्त की जा सके। तदनुसार, 31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु ₹41.26 करोड़ की राशि प्रदान की गई है (पिछले वर्ष : ₹45.03 करोड़)।

1.3 सामान्य आरक्षित निधि:

सामान्य आरक्षित निधि का उपयोग समय-समय पर विनियोग उद्देश्यों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे में स्थानांतरित करके बनाया जाता है।

1.4 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षित निधि:

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा उधार पर असंशोधित विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को दर्शाता है जो संबंधित उधार की अवधि के दौरान परिशोधित होते हैं। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 101 के अनुच्छेद डी13एए की छूट को अपनाया है, जिसके अनुसार पहली बार अपनाने वाला व्यक्ति पिछले जीएएपी के अनुसार पहले भारतीय लेखा मानक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ठीक पहले समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर के लिए लेखांकन के लिए अपनायी गई नीति को जारी रख सकता है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेन-देन लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। 31 मार्च, 2018 तक बकाया दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रचलित दर पर, जिस पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया गया था, उससे अलग, एक "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित खाता" में जमा किए जाते हैं और ऐसे दीर्घकालिक मौद्रिक मद के शेष वर्ष में ऐसे प्रत्येक वर्ष में आय या व्यय के रूप में मान्यता देकर परिशोधित किए जाते हैं। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें वे हैं जिनकी उत्पत्ति की तारीख पर बारह महीने या उससे अधिक की अवधि होती है। एफसीएमआईटीआर की चाल ऊपर दी गई तालिका में दिखायी गई है।

1.5 एनबीएफसी आरक्षित निधि:

आरबीआई परिपत्र संख्या डीएनबीआर (पीडी)सीसी.सं. 092/03.10.001/2017-18 दिनांक 31 मई, 2018 के अनुसार, कंपनी को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iग के तहत कर-पश्चात लाभ के 20% की दर से एनबीएफसी आरक्षित निधि बनाना आवश्यक है। तदनुसार, 31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु, एनबीएफसी आरक्षित निधि के लिए ₹340 करोड़ की राशि विनियोजित की गई है (पिछले वर्ष : ₹251.00 करोड़)।

1.6 प्रतिभूति प्रीमियम:

शेयरों के निर्गम पर प्रीमियम रिकॉर्ड करने के लिए प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित निधि का उपयोग केवल सीमित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। शेयरों के निर्गम पर व्यय प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

1.7 प्रतिधारित आय:

प्रतिधारित आय, कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिधारित आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त लाभ और अन्य व्यापक आय की मदों को दर्शाती है, जिसमें से लाभांश वितरण और अन्य आरक्षित निधियों को तथा से अंतरण घटाया जाता है।

1.8 नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि:

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्नी उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम के बचाव के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। बचाव लेखांकन के तहत नामित व्युत्पन्नी अनुबंध प्रभावी बचाव हैं, बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकद प्रवाह बचाव के प्रभावी हिस्से' में मान्यता दी जाती है। ऐसे आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जब बचाव की गई मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है। नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि संचलन को ऊपर दी गई तालिका में दिखाया गया है।

टिप्पणी 27 : ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
(i) ऋण पर ब्याज	6,539.89	4,781.68
घटाएँ: छूट	44.54	32.80
ऋण पर ब्याज (शुद्ध)	6,495.35	4,748.88
(ii) निवेश पर ब्याज आय		
-भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज	40.03	6.71
(iii) बैंकों के पास जमा पर ब्याज		
-अल्पकालिक जमा-भारतीय रुपये	17.37	28.67
-अल्पकालिक जमा-विदेशी मुद्रा	1.75	4.62
(iv) अन्य ब्याज आय		
-बचत बैंक खाते पर ब्याज	-	0.08
(v) अंतर ब्याज	20.89	33.44
कुल	**6,575.39**	**4,822.40**

वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज, परिशोधित लागत पर मापा गया

टिप्पणी 28 : शुल्क और कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
व्यावसायिक सेवा शुल्क		
(i) शुल्क आधारित आय	17.17	17.21
(ii) परामर्श शुल्क	-	0.16
(iii) गारंटी कमीशन	68.37	31.54
कुल व्यावसायिक सेवा शुल्क (क)	**85.54**	**48.91**
सेवा शुल्क		
(i) सरकारी योजना कार्यान्वयन	10.17	11.11
कुल सेवा शुल्क - सरकारी योजना कार्यान्वयन (ख)	**10.17**	**11.11**
कुल (क+ख)	**95.71**	**60.02**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 29 : उचित मूल्य परिवर्तनों पर शुद्ध लाभ/(हानि)*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
व्यापारिक निवेश सूची के अलावा लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)		
(i) व्युत्पन्नी		
- विदेशी मुद्रा ऋण के लिए लिये गए व्युत्पन्नी कवर पर उचित मूल्य परिवर्तन	13.13	(11.26)
उचित मूल्य परिवर्तन:		
- प्राप्त	-	-
- अप्राप्त	13.13	(11.26)
उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल शुद्ध लाभ/(हानि)	**13.13**	**(11.26)**

*इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उपार्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अलावा हैं।

टिप्पणी 30 : अन्य परिचालन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
i) सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व*		
बिजली की बिक्री (क)	27.02	29.80
घटाएँ: ग्राहक को छूट (ख)	0.54	0.60
सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व (शुद्ध) (ग=क-ख)	26.48	29.20
ii) अशोध्य ऋण की वसूली	31.70	63.57
कुल (i+ii+iii)	**58.18**	**92.77**

*[टिप्पणी संख्या 38(30) और 38(31) देखें]

टिप्पणी 31 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
अतिरिक्त प्रावधान बट्टे खाते में डाला गया	0.01	0.01
कर्मचारी ऋण पर ब्याज	1.93	1.29
आय कर वापसी पर ब्याज	9.68	-
किराये से आय [टिप्पणी संख्या 38(18) देखें)]	0.07	0.02
अन्य	0.68	0.04
कुल	**12.37**	**1.36**

टिप्पणी 32 : वित्त लागत*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
उधार पर ब्याज	2,243.56	2,027.98
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,759.15	962.31
अधीनस्थ देनदारियों पर ब्याज	56.62	52.59
अन्य उधार लागत	80.25	120.46

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
उधार पर लेन-देन लागत	1.11	0.40
पट्टा देयता पर ब्याज	0.34	0.36
कुल	**4,141.03**	**3,164.10**

*वित्तीय देनदारियों पर वित्त लागत को परिशोधन लागत के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है

टिप्पणी 33 : शुद्ध परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
निवल परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि	37.06	(9.94)
एफसीएमआईटीआर का परिशोधन	4.55	(6.59)
कुल	**41.61**	**(16.53)**

टिप्पणी 38(26) भी देखें

टिप्पणी 34 : वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
ऋण	237.23	(67.22)
कुल	**237.23**	**(67.22)**

वित्तीय उपकरणों पर हानि को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।
अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी संख्या 38(19) देखें।

टिप्पणी 35 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	63.05	57.98
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	5.85	4.90
कर्मचारी कल्याण व्यय	12.03	8.29
मानव संसाधन विकास व्यय	0.12	0.15
कुल	**81.05**	**71.32**

टिप्पणी 36 : मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास [टिप्पणी संख्या 38(5) देखें]	31.47	24.22
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन [टिप्पणी संख्या 38(17) देखें]	0.85	0.63
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास [टिप्पणी संख्या 38(18) देखें]	0.00	0.00
परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का परिशोधन [टिप्पणी संख्या 38(32) देखें]	6.48	5.50
कुल	**38.80**	**30.35**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 37 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
किराया, कर और बिजली लागत	14.13	16.05
मरम्मत और अनुरक्षण	7.10	7.26
संचार लागत	2.23	1.13
मुद्रण और लेखन-सामग्री	0.41	0.49
विज्ञापन और प्रचार	8.16	10.57
निदेशक की फीस, भत्ते और व्यय	2.34	1.78
लेखा-परीक्षक की फीस और व्यय [टिप्पणी संख्या 38(39) देखें]	0.49	0.55
कानूनी और पेशेवर शुल्क	19.39	24.06
यात्रा और परिवहन	6.64	6.74
बीमा	0.40	0.14
अशोध्य ऋण	14.74	-
साख श्रेणी निर्धारण व्यय	1.58	1.30
पीपीई की बिक्री पर हानि	0.54	0.64
अन्य व्यय	8.33	5.80
कुल	**86.48**	**76.51**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 38 : एकल वित्तीय विवरण हेतु टिप्पणियाँ

1. कंपनी अवलोकन

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पहली मंज़िल, भारत पर्यावास केंद्र, ईस्ट कोर्ट, कोर- 4A, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 में स्थित है। कंपनी को 27 सितंबर, 2023 के डीपीई पत्र के माध्यम अनुसूची "क" का दर्जा भी दिया गया है और डीपीई द्वारा 26 अप्रैल 2024 के पत्र के माध्यम से इसे 'नवरत्न' में उन्नयन किया गया है।

आरबीआई या अन्य विनियामक द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश को जारी होने पर लागू किया जाता है। मास्टर निर्देश- भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 (यथा संशोधित) के अनुसार, जिसे मास्टर निर्देश 2023 के रूप में संदर्भित किया गया है, कंपनी एनबीएफसी-मध्य परत (एमएल) के अंतर्गत आती है। कंपनी को आरबीआई द्वारा 13 मार्च, 2023 के पत्र के माध्यम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) का दर्जा दिया गया है, जिसे मास्टर निर्देश 2023 के अनुसार "एनबीएफसी-आईएफसी" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी के इक्विटी शेयर और गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और/या बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (एसओसीआईई) एनबीएफसी हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन III के अधीन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करना आवश्यक है। भारतीय लेखा मानक 7 - "नकद प्रवाह का विवरण" की आवश्यकता के अनुसार नकद प्रवाह का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

2. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-10 "प्रतिवेदित अवधि के बाद की घटनाएँ" के संबंध में प्रकटीकरण"

वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा **15 अप्रैल, 2025** को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

3. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-12 "आयकर" के संबंध में प्रकटीकरण

क. लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
निम्नलिखित से संबंधित वर्तमान कर व्यय :		
वर्तमान वर्ष	477.02	398.12
पूर्ववर्ती वर्ष*	(5.71)	14.92
उप योग (क)	**471.31**	**413.04**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिवर्तन	(66.11)	19.98
उप योग (ख)	**(66.11)**	**19.98**
कुल (ग=क+ख)	**405.20**	**433.02**
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर मान्यता प्राप्त कर व्यय/(बचत) और नकद प्रवाह बचाव रक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा (घ)	22.95	(52.74)
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल कर (ग+घ)	**428.15**	**380.28**

*चालू वर्ष में निर्धारित

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

ख. अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आयकर	(5.23)	(0.58)
नकद प्रवाह बचाव रक्षित निधि में बचाव लिखत पर प्रभावी हिस्से पर आयकर	28.18	(52.16)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल कर	**22.95**	**(52.74)**

ग. अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
शेयर जारी करने के व्यय पर कर व्यय/(बचत)	(0.21)	(7.85)
अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त कुल कर	**(0.21)**	**(7.85)**

घ. कर व्यय और लेखांकन लाभ का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ व ओसीआई	**2,194.97**	**1,475.71**
लागू आयकर दर (%)	25.17 %	25.17 %
अपेक्षित आयकर	552.43	371.41
आयकर समायोजन का कर प्रभाव		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की बिक्री पर मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	0.16	(0.59)
आस्थगित मद एवं ओसीआई समायोजन	0.59	0.60
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन रक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर) का परिशोधन	(34.59)	52.16
वित्तीय लिखतों पर क्षति	26.54	17.88
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृति	0.05	2.76
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) के तहत कटौती	(117.66)	(84.54)
सीएसआर व्यय एवं अन्य	6.24	5.54
अन्य कटौती योग्य कर व्यय	(0.01)	(0.00)
प्रदान किया गया अतिरिक्त कर	0.10	0.17
पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कर व्यय	(5.71)	14.92
लाभ और हानि विवरण में कुल कर व्यय	**428.14**	**380.31**
बुक आय पर वास्तविक प्रभावी आयकर दर (%)	**19.51 %**	**25.77 %**

ङ. आस्थगित कर संचलन

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2024 को निवल शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त	31.03.2025 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ					
गारंटी कमीशन पर अप्रत्यक्ष कर एवं अन्य के लिए प्रावधान	26.31	1.76	-	-	28.07

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान	3.92	(5.07)	5.23	-	4.08
वित्तीय साधनों पर क्षति हेतु प्रावधान	358.84	32.66	-	-	391.50
शुल्क आय - बहियों में आस्थगित	54.62	18.23	-	-	72.85
शेयर जारी करने का खर्च	6.28	(1.52)	-	(0.21)	4.55
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**449.97**	**46.07**	**5.23**	**(0.21)**	**501.05**
आस्थगित कर देयताएँ					
मूल्यह्रास और परिशोधन	43.86	(3.14)	-	-	40.72
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन रक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)	114.72	(19.31)	-	-	95.41
बॉण्ड्स पर लेन-देन लागत	1.94	2.41	-	-	4.35
कुल आस्थगित कर देयताएं	**160.52**	**(20.04)**	**-**	**-**	**140.48**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	**289.44**	**66.11**	**5.23**	**(0.21)**	**360.57**

31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2023 को निवल शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त	31.03.2024 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ					
गारंटी कमीशन पर अप्रत्यक्ष कर एवं अन्य हेतु प्रावधान	23.88	2.43	-	-	26.31
कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान	9.42	(6.07)	0.57	-	3.92
वित्तीय साधनों पर क्षति हेतु प्रावधान	393.63	(34.79)	-	-	358.84
शुल्क आय - बहियों में आस्थगित	48.95	5.67	-	-	54.62
शेयर जारी करने का खर्च	-	(1.57)	-	7.85	6.28
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**475.88**	**(34.33)**	**0.57**	**7.85**	**449.97**
आस्थगित कर देयताएँ					
मूल्यह्रास और परिशोधन	45.75	(1.89)	-	-	43.86
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन रक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)	128.50	(13.79)	-	-	114.72
बॉण्ड्स पर लेन-देन लागत	0.61	1.33	-	-	1.94
ऋण पर लेन-देन लागत	0.00	(0.00)	-	-	-
कुल आस्थगित कर देयताएं	**174.86**	**(14.35)**	**-**	**-**	**160.52**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	**301.02**	**(19.98)**	**0.57**	**7.85**	**289.45**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

च. कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानि/अप्रयुक्त कर क्रेडिट अग्रेनीत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	समाप्ति की तारीख	31.03.2024 को	समाप्ति की तारीख
कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानि/ अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिसके लिए कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं है	–	लागू नहीं	–	लागू नहीं

छ. कुल वर्तमान कर और आस्थगित कर जो सीधे अन्य इक्विटी/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभहित योजनाओं के पुनः मापन पर कर व्यय/(बचत)	(5.23)	(0.58)
नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखतों पर लाभ/(हानि) के प्रभावी हिस्से पर कर व्यय/(बचत)	28.18	(52.16)
शेयर जारी करने के व्यय पर कर व्यय/(बचत)	(0.21)	(7.85)
कुल	**22.74**	**(60.59)**

4. अप्रकटित आय

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में चालू एवं पिछले वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन-देन नहीं था जो लेखा बहियों में दर्ज न किया गया हो, जिसे आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो। इस प्रकार, लेखा पुस्तकों में आगे कोई लेखा-जोखा रखने की आवश्यकता नहीं है।

5. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-16 "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में शामिल डी-कमीशनिंग देयताएँ

इंड एएस 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, परिशिष्ट ए "मौजूदा डी-कमीशनिंग, पुनर्बहाली और समान देयताओं में परिवर्तन" के अनुसार, डी-कमीशनिंग, पुनर्बहाली या समान देयता में निर्दिष्ट परिवर्तनों को उस परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा या घटाया जाना चाहिए जिससे यह संबंधित है; फिर परिसंपत्ति की समायोजित मूल्यह्रास राशि को उसके शेष उपयोगी जीवन पर भावी रूप से मूल्यह्रास किया जाता है।

इंड एएस 16 के पैरा 55 के अनुसार, किसी परिसंपत्ति की मूल्यह्रास राशि उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाने के बाद निर्धारित की जाती है। सौर संयंत्र से संबंधित डी-कमीशनिंग देयता और अवशिष्ट मूल्य की राशि विश्वसनीय रूप से पता लगाने योग्य नहीं है। इसलिए, सौर संयंत्र से संबंधित डी-कमीशनिंग देयता और अवशिष्ट मूल्य पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, प्रबंधन की राय है कि डी-कमीशनिंग लागत (सौर संयंत्र के अवशिष्ट मूल्य का निवल), महत्वपूर्ण नहीं होगी।

6. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-19 "कर्मचारी लाभ" के संबंध में प्रकटीकरण

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:-

- **भविष्य निधि (परिभाषित अंशदान निधि):** 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित निश्चित प्रतिशत पर भविष्य निधि में अंशदान के संबंध में ₹ 3.15 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 2.87 करोड़) व्यय की पहचान की है और लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित किया है।
- **राष्ट्रीय पेंशन योजना / सेवा-निवृत्ति हितलाभ निधि (परिभाषित अंशदान निधि):** 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित निश्चित प्रतिशत पर राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में अंशदान के संबंध में ₹ 2.29 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹2.17 करोड़) के व्यय की पहचान की है तथा लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया है।

अन्य लाभ :

- **अर्जित अवकाश (ईएल) लाभ :** प्रति वर्ष 30 दिन उपचय। सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार नकदीकरण। सेवा-निवृत्ति या सेवा-निवृत्ति पर नकदीकरण अधिकतम 300 दिन, जिसमें आधा वेतन अवकाश (एचपीएल) शामिल है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अर्जित अवकाश के लिए ₹ 2.38 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹3.05 करोड़) प्रतिचिह्नित की है।

- **अर्ध वेतन अवकाश (एचपीएल) लाभ:** प्रति वर्ष 10 पूर्ण दिन अर्जित। सेवा में रहते हुए कोई नकदीकरण नहीं। सेवानिवृत्ति या सेवा-निवृत्ति पर नकदीकरण अधिकतम 300 दिन, जिसमें ईएल शामिल है।
  31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अर्ध वेतन अवकाश के लिए ₹0.19 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1.51 करोड़) प्रतिचिह्नित की है।
- **उपदान:** सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन अर्जित किया जाएगा। निहित अवधि 05 वर्ष है तथा 01.01.2017 से लागू वेतन संशोधन के पश्चात भुगतान ₹20 लाख तक सीमित है।
  31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, ऑन रोल कर्मचारी के लिए तुलन-पत्र में उपदान के लिए मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्ति ₹0.42 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 0.21 करोड़) है, जबकि ₹12.59 करोड़ की देयता के प्रति ₹13.01 करोड़ की परिसंपत्ति धारित हैं (पिछले वर्ष: ₹12.19 करोड़ की देयता के प्रति ₹12.40 करोड़)।
- **सेवा-निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजना:** कंपनी बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना के लिए परिभाषित लाभ योजनायें प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र पूर्व कर्मचारियों और पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इरेडा सेवा-निवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) ट्रस्ट चालू हो गया है, और सेवा-निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ 01 अक्टूबर 2024 से इरेडा पीआरएमएस ट्रस्ट एवं नियमों के तहत शासित होंगे। लाभार्थियों में लागू नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ के लिए सेवा-निवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित शामिल हैं।
  ट्रस्ट को ₹42.87 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है, जिसमें 30 सितंबर 2024 तक के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ₹32.87 करोड़ और ट्रस्ट की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के सुचारू संचालन को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त योगदान के रूप में ₹10.00 करोड़ शामिल हैं। यह धनराशि मौजूदा नीति के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में निवेश की गई है।
  31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, पीआरएमएस के लिए तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति ₹4.55 करोड़ है, जबकि ₹39.71 करोड़ की देनदारी के तहत ₹44.27 करोड़ की धारित परिसंपत्तियाँ हैं (पिछले वर्ष: ₹16.89 करोड़ की देनदारी के तहत शून्य करोड़ की परिसंपत्तियाँ)।
- **सामान भत्ता:** सेवा-निवृत्ति के समय, कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर बसने के हकदार होते हैं, और वे सामान भत्ते के लिए पात्र होते हैं।
  31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, सामान भत्ते के लिए कंपनी ने ₹ 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.03 करोड़) प्रदान किए हैं।
- **विदाई उपहार:** कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति के समय, कंपनी इस उद्देश्य के लिए बनायी गई नीति के अनुसार कर्मचारी को विदाई उपहार प्रदान करती है। उपहार का मूल्य सेवा-निवृत्त कर्मचारी के पदनाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
  31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने विदाई उपहार के लिए ₹0.03 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹0.02 करोड़) प्रदान किए हैं।

लाभ और हानि, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और तुलन-पत्र तथा अन्य प्रकटीकरणों के विवरण में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है: -

❖ **दायित्व का वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी*	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	01.04.2024	12.18	16.88	5.62	8.85	0.24	0.20
	01.04.2023	10.38	13.84	3.46	6.32	0.22	0.11
ब्याज लागत	31.03.2025	0.88	1.22	0.41	0.65	0.02	0.01
	31.03.2024	0.82	1.02	0.31	0.51	0.02	0.01
वर्तमान सेवा लागत	31.03.2025	0.70	1.79	0.88	1.58	0.02	0.02
	31.03.2024	0.66	0.70	1.08	1.63	0.02	0.01

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

पिछली सेवा लागत	31.03.2025	-	-	-	-	-	-
	31.03.2024	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	31.03.2025	(1.25)	(1.07)	(0.27)	(1.01)	-	(0.02)
	31.03.2024	(1.63)	(0.43)	(0.67)	(1.63)	-	(0.05)
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	31.03.2025	0.07	20.89	1.47	0.14	(0.01)	0.02
	31.03.2024	0.41	1.74	0.13	0.88	(0.01)	0.11
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	31.03.2025	12.59	39.71	5.27	10.58	0.27	0.23
	31.03.2024	12.19	16.88	5.68	9.03	0.24	0.20

*पीआरएमबी योजना 22 अक्टूबर, 2024 से वित्त पोषित हो गई

❖ नियोजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी*	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	01.04.2024	12.40	-	-	-	-	-
	01.04.2023	11.89	-	-	-	-	-
प्रारंभिक निधि में अंतर	31.03.2025	-	-	-	-	-	-
	31.03.2024	-	-	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	31.03.2025	0.87	1.28	-	-	-	-
	31.03.2024	0.87	-	-	-	-	-
मृत्यु प्रभार	31.03.2025	(0.02)	-	-	-	-	-
	31.03.2024	(0.01)	-	-	-	-	-
नियोक्ता योगदान	31.03.2025	0.81	44.05	-	-	-	-
	31.03.2024	0.51	-	-	-	-	-
अन्य संगठन से प्राप्त निधि	31.03.2025	0.20	-	-	-	-	-
	31.03.2024	0.77	-	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	31.03.2025	(1.25)	(1.07)	-	-	-	-
	31.03.2024	(1.62)	-	-	-	-	-
अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	31.03.2025	13.01	44.27	-	-	-	-
	31.03.2024	12.40	-	-	-	-	-

*पीआरएमबी योजना 22 अक्टूबर 2024 से वित्त पोषित हो गई

❖ तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी*	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	31.03.2025	12.59	39.71	5.27	10.58	0.27	0.23
	31.03.2024	12.19	16.88	5.68	9.03	0.24	0.20
अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	31.03.2025	13.01	44.27	-	-	-	-
	31.03.2024	12.40	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध (देयता)/परिसंपत्ति	31.03.2025	0.42	4.55	(5.27)	(10.58)	(0.27)	(0.23)
	31.03.2024	0.21	(16.88)	(5.68)	(9.03)	(0.24)	(0.20)

*पीआरएमबी योजना 22 अक्टूबर 2024 से वित्त पोषित हो गई

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी*	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
वर्तमान सेवा लागत	31.03.2025	0.70	1.79	0.88	1.58	0.02	0.02
	31.03.2024	0.66	0.70	1.08	1.63	0.02	0.01
ब्याज लागत	31.03.2025	0.88	1.22	0.41	0.65	0.02	0.01
	31.03.2024	0.82	1.02	0.31	0.51	0.02	0.01
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	31.03.2025	0.90	1.28	-	-	-	-
	31.03.2024	0.88	-	-	-	-	-
मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	31.03.2025	-	-	(1.47)	0.14	-	-
	31.03.2024	-	-	0.12	0.88	-	-
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	31.03.2025	0.68	1.73	(0.19)	2.38	0.04	0.03
	31.03.2024	(0.61)	1.73	1.51	3.05	0.03	0.02
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त राशि	31.03.2025	0.12	20.89	-	-	(0.01)	0.02
	31.03.2024	0.44	(1.74)	-	-	(0.01)	(0.11)

*पीआरएमबी योजना 22 अक्टूबर 2024 से वित्त पोषित हो गई

❖ बीमांकिक धारणा

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी*	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
छूट की दर	31.03.2025	6.79%	6.79%	6.79%	6.79%	6.79%	6.79%
	31.03.2024	7.23%	7.23%	7.23%	7.23%	7.23%	7.23%
वेतन वृद्धि की दर	31.03.2025	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	-
	31.03.2024	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	-
व्यवहृत पद्धति	31.03.2025	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी
	31.03.2024						

*पीआरएमबी योजना 22 अक्टूबर 2024 से वित्त पोषित हो गई

❖ परिभाषित हितलाभ दायित्व का संवेदनशील विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क) छूट की दर में परिवर्तन का असर	उपदान	पीआरएमबी*	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
	(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	12.59	39.71	5.27	10.58	0.27	0.23
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(0.50)	(1.37)	(0.18)	(0.51)	(0.01)	(0.01)
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	0.53	1.44	0.19	0.55	0.01	0.01
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर	**उपदान**	**पीआरएमबी***	**अस्वस्थता अवकाश**	**अर्जित अवकाश**	**सामान**	**विदाई उपहार**
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	12.59	39.71	5.27	10.58	0.27	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	0.15	1.46	0.19	0.55	0.01	-
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(0.20)	(1.40)	(0.18)	(0.51)	(0.01)	-

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है। भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएँ लागू नहीं होती हैं।

*पीआरएमबी योजना 22 अक्टूबर 2024 से वित्त पोषित हो गई

- **कार्य-प्रदर्शन से संबंधित वेतन**

  31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कार्य-प्रदर्शन से संबंधित वेतन के लिए ₹9.43 करोड़ [पिछले वर्ष : ₹4.91 करोड़ (निवल प्रतिवर्तन) सृजित किए गए थे] का प्रावधान किया है। वर्ष के दौरान अंतर्निहित योजना के अनुसार पात्र कर्मचारियों को ₹6.00 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹8.84 करोड़) की राशि का भुगतान किया गया।

7. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-20 "सरकारी अनुदान के लिए लेखा और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

क) पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु अनुदान

विश्व बैंक स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) अनुदान: -

अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित प्राप्त विश्व बैंक सीटीएफ अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर परिशोधन व्यय में कटौती के रूप में व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण 38(17) देखें।

कंपनी को 31 मार्च, 2025 तक कुल ₹ 5.50 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है (पिछले वर्ष: ₹5.50 करोड़) जिसमें कंपनी को प्रतिपूर्ति और विक्रेताओं के लिए प्रत्यक्ष संवितरण शामिल है। कंपनी ने 31 मार्च, 2025 तक अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद के लिए शेष अनुदान के रूप में ₹1.15 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹1.52 करोड़) का प्रकटीकरण किया है। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में "अन्य गैर-वित्तीय देनदारियों" (टिप्पणी 24 देखें) के अधीन "विश्व बैंक-स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) से पूंजी अनुदान" के रूप में उक्त अनुदान का प्रकटीकरण किया है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए अनुदान की गतिविधि निम्नलिखित अनुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	1.52	4.25
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	1.25
लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त अनुदान	0.37	3.98
अंतिम शेष	1.15	1.52

ख) राजस्व अनुदान

विश्व बैंक ऋण सहायता के अंतर्गत ऋण आवेदनों का आकलन करने हेतु बाहरी परामर्शदाता को नियुक्त करने के लिए कंपनी को विश्व बैंक से राजस्व अनुदान "तकनीकी सहायता" (टीए) प्राप्त हुआ है, जिसकी राशि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु ₹6.92 करोड़ है (पिछले वर्ष : ₹2.45 करोड़)। कंपनी भारतीय लेखा मानक 20 "सरकारी अनुदान और सहायता" का अनुपालन करती है और उसे संबंधित व्यय में कटौती के रूप में अपने राजस्व अनुदान को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपनायी है।

निम्न तालिका लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि का प्रकटीकरण करती है:-

(₹ करोड़ में)

समाप्त वर्ष	प्राप्त टीए घटक	टीए के तहत किए गए व्यय	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त निवल राशि
31.03.2025	6.92	6.92	-
31.03.2024	2.45	2.45	-

8. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-23 "उधार लागत" के संबंध में प्रकटीकरण

₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ शून्य करोड़)

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

9. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

क. सरकार और सरकार संबंधित संस्थाओं के अलावा अन्य के लिए प्रकटीकरण

संबंधित पक्ष की सूची

31.03.2025 को

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक[1]	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
डॉ. बिजय कुमार महान्ती	निदेशक- वित्त व मुख्य वित्तीय अधिकारी निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार[2]	01.04.2024 से 31.03.2025 तक 01.04.2024 से 04.03.2025 तक
श्री पदम लाल नेगी	निदेशक - सरकारी नामित[3]	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
श्री अजय यादव	निदेशक - सरकारी नामित[4]	01.04.2024 से 11.12.2024 तक
श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[5]	01.04.2024 से 20.01.2025 तक 28.03.2025 से 31.03.2025 तक
डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[6]	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
श्री राम निहाल निषाद	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
श्रीमती रोहिणी रावत	निदेशक -स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
श्रीमती एकता मदान	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी[7]	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	सहायक कंपनी*	07.05.2024 से 31.03.2025 तक

*टिप्पणी 38(11) भी देखें

31.03.2024 को

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक[1] निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार[1] निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार[1]	01.04.2023 से 31.03.2024 तक 01.04.2023 से 12.10.2023 तक 01.04.2023 से 04.03.2024 तक
डॉ. बिजय कुमार महान्ती	निदेशक - वित्त[2] मुख्य वित्तीय अधिकारी[2] निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार[2]	12.10.2023 से 31.03.2024 तक 16.10.2023 से 31.03.2024 तक 05.03.2024 से 31.03.2024 तक
श्री पदम लाल नेगी	निदेशक - सरकारी नामिती[3]	01.04.2023 से 31.03.2024 तक
श्री अजय यादव	निदेशक - सरकारी नामिती[4]	01.04.2023 से 31.03.2024 तक
श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[5]	01.04.2023 से 31.03.2024 तक
डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[6]	01.04.2023 से 31.03.2024 तक
श्री राम निहाल निषाद	निदेशक-स्वतंत्र निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024 तक
श्रीमती रोहिणी रावत	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024 तक
डॉ. आर. सी. शर्मा	महाप्रबंधक (वित्त व लेखा) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी[2]	01.04.2023 से 16.10.2023 तक
श्रीमती एकता मदान	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी[7]	01.04.2023 से 31.03.2024 तक

[1]श्री प्रदीप कुमार दास को 06 मई 2020 से इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें 06 मई 2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इसके बाद, एमएनआरई ने समय-समय पर श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, इरेडा को निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार दिया और अंतिम बार 06 नवंबर 2022 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या नियमित पदधारी द्वारा पदभार ग्रहण करने तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया था। 12 अक्टूबर 2023 (अपराह्न) से डॉ. बिजय कुमार महान्ती के इरेडा के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद, श्री प्रदीप कुमार दास को इरेडा के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार समाप्त कर दिया गया।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

एमएनआरई ने अपने पत्र दिनांक 30 अगस्त, 2023 के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा को निदेशक (तकनीकी) के पद का अतिरिक्त प्रभार 05 मार्च, 2023 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए, या पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सौंपने के लिए पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार, उक्त प्रभार 04 मार्च, 2024 तक वैध था।

[2]डॉ. बिजय कुमार महान्ती को एमएनआरई आदेश संख्या 1/22/2017-इरेडा दिनांक 12 अक्टूबर 2023 के अनुसरण में 12 अक्टूबर 2023 (अपराह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए कंपनी का निदेशक (वित्त) नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, डॉ. बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त) को 16 अक्टूबर 2023 से डॉ. आर.सी. शर्मा, जीएम (वित्त तथा लेखा) और सीएफओ के स्थान पर कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

एमएनआरई ने कार्यालय आदेश संख्या 1/13/2017-इरेडा दिनांक 27 मार्च, 2024 के तहत निदेशक (तकनीकी) के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त) को 05 मार्च 2024 से 6 (छह) महीने की अवधि के लिए, या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सौंपा गया है।

डीपीई के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, कंपनी में निदेशक (तकनीकी) के पद को 27 जून 2024 से निदेशक (परियोजना) के रूप में पुनः नामित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एमएनआरई ने अपने पत्र दिनांक 12 सितंबर 2024 के माध्यम से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के दिनांक 07 सितंबर 2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से श्री बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त), इरेडा को निदेशक (परियोजना) के पद के लिए अतिरिक्त प्रभार के विस्तार हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। यह विस्तार 05 सितंबर 2024 से 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए या किसी नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। तदनुसार, श्री बिजय कुमार महान्ती के इरेडा के निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार 05 मार्च, 2025 को समाप्त कर दिया गया है।

[3]एमएनआरई ने अपने आदेश संख्या 340/85/2017-इरेडा दिनांक 07 फरवरी 2023 के माध्यम से श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमएनआरई और श्री अजय यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई को कंपनी के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया है। हालाँकि, श्री अजय यादव का डीआईएन 14 फरवरी, 2023 को कंपनी के रजिस्ट्रार (आरओसी) से प्राप्त किया गया था। तदनुसार, श्री अजय यादव 14 फरवरी, 2023 से कंपनी के निदेशक माने जाते हैं।

[4]एमएनआरई ने अपने पत्र संख्या 340/85/2017-इरेडा दिनांक 12 दिसंबर 2024 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री अजय यादव, आईएएस (पूर्व संयुक्त सचिव, एमएनआरई) का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 11 दिसंबर, 2024 (अपराह्न) को पूरा हो गया है। तदनुसार, श्री अजय यादव, निदेशक (सरकारी नामित) 12 दिसंबर 2024 से इरेडा के निदेशक नहीं रहेंगे।

[5]एमएनआरई ने अपने आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा दिनांक 21 जनवरी 2022 के माध्यम से श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को तत्काल प्रभाव से तीन वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया। तथापि, 28 जनवरी 2022 को आरओसी से डीआईएन प्राप्त किया गया था। तदनुसार, श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट का कार्यकाल 20 जनवरी 2025 को पूरा हो गया है, और वे 21 जनवरी 2025 से इरेडा के निदेशक नहीं रहेंगे। इसके बाद, एमएनआरई आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा-भाग (1) दिनांक 28 मार्च, 2025 के अनुसरण में, श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को एमएनआरई आदेश जारी होने की तारीख से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 28 मार्च, 2025 से इरेडा के गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है।

[6]एमएनआरई ने अपने आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा दिनांक 28 मार्च 2022 के तहत डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर को आदेश की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया। हालाँकि, कंपनी के रजिस्ट्रार से डीआईएन 31 मार्च 2022 को प्राप्त किया गया था। तदनुसार, उन्हें 31 मार्च 2022 से कंपनी का निदेशक माना जाता है। तदनुसार, श्री डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर का कार्यकाल 27 मार्च, 2025 को पूरा हो गया है और वे 28 मार्च, 2025 से इरेडा के निदेशक नहीं रहेंगे। हालाँकि, एमएनआरई आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा-भाग (1) दिनांक 28 मार्च 2025 के अनुसरण में, डॉ. जगनाथ चेन्नाकेशवा मूर्ति जोड़ीधर को एमएनआरई के आदेश जारी किए जाने की तारीख से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 28 मार्च 2025 से इरेडा के गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।

[7]श्रीमती एकता मदान, वरिष्ठ प्रबंधक (कॉरपोरेट मामले) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

कंपनी की नियंत्रणाधीन ट्रस्ट/निधियाँ

- इरेडा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
- इरेडा कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट
- इरेडा कर्मचारी हितैषी निधि
- इरेडा सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा योजना ट्रस्ट

i. केएमपी को मुआवजा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक हितलाभ		
- बैठक शुल्क (स्वतंत्र निदेशकों को)	0.63	0.91
- अन्य (वेतन)	1.98	1.81
रोजगार के बाद के लाभ	0.27	0.17
कुल	**2.88**	**2.89**

टिप्पणी:-

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) को सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मासिक शुल्क के भुगतान पर प्रति माह 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार की अनुमति भी दी गई है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

- कार्यात्मक निदेशकों के लिए उपदान निधि में योगदान अलग से निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एलआईसी में योगदान कर्मचारी वार नहीं किया जाता है।
- प्रकार्यात्मक निदेशक के लिए अवकाश नकदीकरण, सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, विदाई उपहार आदि का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और यह उपर्युक्त दिए गए मुआवजे के अतिरिक्त है।

ii. केएमपी को और से ऋण व अग्रिम:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
केएमपी को दिए गए ऋण एवं अग्रिम		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	0.32	0.40
वर्ष के दौरान दिए गए ऋण व अग्रिम	1.22	0.12
वर्ष के दौरान प्राप्त पुनर्भुगतान	0.15	0.11
वर्ष के दौरान लिया गया ब्याज	0.05	-
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.09	0.09
वर्ष के अंत में शेष राशि	**1.35**	**0.32**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
केएमपी से ऋण व अग्रिम		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान दिए गए ऋण व अग्रिम	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**-**	**-**

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के प्रमुख नियम और शर्तें

1. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन रक्षित और सुविधाजनक लेन-देन की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार होता है।
2. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और ऋण एवं अग्रिम कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप हैं।
3. संबंधित पक्षों के लिए कोई लंबित प्रतिबद्धता नहीं है।

ख. सरकार और सरकारी संस्थाओं के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

सरकार/ सरकारी संस्था का नाम	कंपनी के साथ सम्बन्ध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2025 को शेष राशि	31.03.2024 को शेष राशि
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)	प्रशासनिक मंत्रालय/प्रमोटर	ऋण पुनर्भुगतान- एमएनआरई के जरिये आईडीए	20.93	20.64	224.65	239.70
		ब्याज भुगतान	1.77	1.90	-	-
		गारंटी शुल्क भुगतान*	77.33	117.63	-	-
		एमएनआरई (भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड्स) के पक्ष में कर योग्य बॉण्ड्स की उगाही	-	-	भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड सीरीज-I : 610.00 सीरीज-Iए : 220.00 सीरीज-Iबी : 810.00 **कुल : 1,640.00**	भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड सीरीज-I : 610.00 सीरीज-Iए : 220.00 सीरीज-Iबी : 810.00 **कुल : 1,640.00**

*यह राशि क्रमशः वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

कंपनी भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेन-देन में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने अन्य सीपीएसयू के साथ टेलीफोन व्यय, हवाई यात्रा और जमा आदि जैसे अन्य लेन-देन भी किए हैं। वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए उनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है। सभी लेन-देन बाजार की शर्तों पर किए जाते हैं।

एक ही सरकार के नियंत्रण/संयुक्त नियंत्रण के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन निम्नानुसार हैं:-

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2025 को शेष [नामे/ (जमा)]	31.03.2024 को शेष [नामे/(जमा)]
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	ऋण का पुनर्भुगतान	30.22	17.40	381.43	411.65
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	ऋण का संवितरण	0.00	233.02	381.43	411.65
भारतीय स्टेट बैंक	ऋण का पुनर्भुगतान	0.68	0.73	0.85	1.53
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड*	ऋण का पुनर्भगतान	4.06	24.83	51.11	55.17
एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	ऋण का संवितरण	696.00	-	2,225.91	1,529.91
भारतीय जीवन बीमा निगम	किराया-शाखा कार्यालय	0.07	0.07	(0.00)	-
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	अनुरक्षण शुल्क	1.73	1.55	0.25	0.54
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	इंटरनेट कनेक्टिविटी शुल्क	0.11	0.18	(0.05)	-
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-	0.09	0.09
केंद्रीय भंडारण निगम	कार्यालय स्वच्छता	0.22	0.26	-	(0.01)
राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	किराया आय	0.07	0.02	-	0.02

*यह मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) के एनपीए खाते से संबंधित है, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है और 31 मार्च, 2025 को ₹51.11 करोड़ का ऋण बकाया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी को सरकारी संस्थाओं को दिए गए ऋणों पर ₹175.47 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹160.81 करोड़) का ब्याज और ₹34.96 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹42.96 करोड़) के मूलधन का पुनर्भुगतान भी प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार (जीओआई) के आदेशानुसार कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए ₹10.17 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹11.11 करोड़) की राशि को सेवा शुल्क के रूप में लेखांकित किया गया है। (वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 28 देखें)।

ग. कंपनी के नियंत्रणाधीन कर्मचारी लाभ ट्रस्ट और सहायक कंपनी के साथ लेन-देन:-

(₹ करोड़ में)

सम्बंधित पक्ष का नाम	सम्बन्ध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2025 को शेष [नामे/ (जमा)]	31.03.2024 को शेष [नामे/ (जमा)]
इरेडा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	नियंत्रणाधीन ट्रस्ट	कर्मचारी और नियोक्ता अंशदान	7.39	7.59	(0.02)	(0.02)
इरेडा कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट	नियंत्रणाधीन ट्रस्ट	एलआईसी प्रीमियम के लिए अंशदान	0.47	0.53	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

इरेडा सेवा-निवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना ट्रस्ट	नियंत्रणाधीन ट्रस्ट	कर्मचारियों और नियोक्ता के लिए एकमुश्त अंशदान और मासिक अंशदान	43.39	-	-	-
इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	सहायक कंपनी	इक्विटी निवेश	26.00	-	26.00	-
इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	सहायक कंपनी	की ओर से व्यय	1.17	-	1.17	-

10. प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को दिए गए ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम, या तो अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में हैं , जो कि

(क) मांग पर चुकौती-योग्य हैं या

(ख) कोई भी शर्त या चुकौती की अवधि निर्दिष्ट किए बिना

(₹ करोड़ में)

उधार का प्रकार	**31.03.2025 को**		**31.03.2024 को**	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि	**कुल ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम राशि का %**	**बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि**	**कुल ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम राशि का %**
प्रमोटर	शून्य		शून्य	
निदेशक				
केएमपी				
अन्य सम्बंधित पक्ष				

11. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-27 "पृथक वित्तीय विवरण" के संबंध में प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
सहायक कंपनी में निवेश	26.00[A]	शून्य
सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम में निवेश	शून्य	शून्य

क. कंपनी आईएफएससी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) - जीआईएफटी सिटी (गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी) में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के निगमन की प्रक्रिया में है, जिसका प्रस्तावित नाम "इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड" है, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए विदेशी मुद्राओं में ऋण उपलब्ध कराएगी। कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी में 3.11 मिलियन अमेरिकी डॉलर ₹26.00 करोड़ के बराबर का निवेश किया है। सहायक कंपनी को एक वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य करने हेतु आईएफएससीए से 18 फरवरी, 2025 को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

ख. नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण पर केंद्रित एक खुदरा सहायक कंपनी के निगमन हेतु निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से 10 अक्टूबर 2024 को अनुमोदन प्राप्त हुआ। तत्पश्चात, आरबीआई से अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमोदन मांगा गया है और निर्णय का परिणाम प्रतीक्षित है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

ग. 09 सितंबर 2024 को एसजेवीएन, जीएमआर और इरेडा के बीच एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें जीएमआर अपर करनाली हाइड्रो पावर लिमिटेड (जीयूकेएचएल), नेपाल और करनाली ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (केटीसीपीएल), नेपाल प्रत्येक में इरेडा के लिए 5% का इक्विटी निवेश निर्धारित किया गया। जीयूकेएचएल और केटीसीपीएल प्रत्येक में इरेडा द्वारा 5% इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को क्रमशः नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके बाद, कंपनी ने 24 जनवरी 2025 के पत्र के मार्फ़त उक्त निवेश के लिए आरबीआई की मंजूरी मांगी है। आरबीआई ने कंपनी को 07 मार्च 2025 के पत्र के मार्फत सूचित किया कि अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है। इसके बाद, कंपनी ने परियोजना के रणनीतिक महत्व का हवाला देते हुए, दिनांक 26 मार्च 2025 के पत्र के माध्यम से उक्त निवेश हेतु अनुमोदन हेतु पुनः आरबीआई से अनुरोध किया है। निर्णय का परिणाम प्रतीक्षित है।

12. कंपनियों स्तरों की संख्या का अनुपालन

कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष के दौरान कंपनी (स्तरों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 में यथा निर्दिष्ट के अनुसार कंपनियों के स्तरों में निवेश नहीं किया है।

13. व्यवस्था की स्वीकृत योजना(ओं) का अनुपालन

चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था योजना नहीं बनाई गई जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता हो।

14. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-33 "प्रति शेयर आय (ईपीएस)" के संबंध में प्रकटीकरण

क. मूल ईपीएस

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। मूल ईपीएस की गणना निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष हेतु लाभ/(हानि), कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों पर अधिरोप्य (₹करोड़)	1,698.60	1,252.23
मूल आय प्रति शेयर की गणना में व्यवहृत आय (क) (₹करोड़)	1,698.60	1,252.23
मूल आय प्रति शेयर के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	2,68,77,64,706	2,42,55,97,493*
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10	10
मूल ईपीएस (क/ख) (₹ में)	**6.32**	**5.16**

*26 नवम्बर, 2023 को नये इक्विटी शेयरों के आवंटन पर विचार करते हुए (2,28,46,00,000*366/366) + (4,03,16,47,06*128/366) के रूप में गणना की गई।

ख. मंदित ईपीएस

प्रति शेयर मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को दिए गए वर्ष के शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी मंदित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। मंदित ईपीएस की गणना निम्नानुसार है: -

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (₹करोड़)	1,698.60	1,252.23
मंदित आय प्रति शेयर की गणना में उपयोग की गई आय (क) (₹करोड़)	1,698.60	1,252.23
मंदित आय प्रति शेयर के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	2,68,77,64,706	2,42,55,97,493*
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10	10
मंदित ईपीएस (क/ख) (₹ में)	**6.32**	**5.16**

*26 नवम्बर, 2023 को नये इक्विटी शेयरों के आवंटन पर विचार करते हुए (2,28,46,00,000*366/366) + (4,03,16,47,06*128/366) के रूप में गणना की गई।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

15. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-36 "परिसंपत्तियों की हानि" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर यह आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति और/या नकद उत्पादक इकाई की हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो प्रत्येक परिसंपत्ति और/या नकद उत्पादक इकाई की वहन राशि की तुलना शुद्ध बिक्री मूल्य या उपयोग में मूल्य में से अधिक होने वाली वसूली योग्य राशि से करके परिसंपत्तियों की हानि की जाती है। उपयोग में मूल्य का निर्धारण परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से अनुमानित भावी नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य से किया जाता है। कंपनी को चालू और पिछले वर्ष के दौरान कोई क्षति हानि नहीं हुई है।

16. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" के संबंध में प्रकटीकरण

क) आकस्मिक देयताएं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
क) कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें कर्ज़ के रूप में प्रतिचिह्नित नहीं किया गया है		
i. कराधान मांगें:		
आयकर मामले[1]	18.30	18.30
सेवा कर तथा माल व सेवा कर (जीएसटी) मामले[2]	280.92	265.94
ii. अन्य[3]	5.00	4.16
ख) वित्तीय गारंटी को छोड़कर गारंटी		
i. गारंटी	1,569.81	1,032.45
ii. चुकौतियाश्वासन पत्र/भुगतान आदेश लिखत जारी किया गया और बकाया	930.58	594.16
ग) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
i. कार्यालय व आवासीय भवनों के संबंध में संपत्ति कर [वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणी 38 (34) देखें]	अनपेक्षित	अनपेक्षित

[1]आयकर

निर्धारण वर्ष 2014-15 और निर्धारण वर्ष 2020-21 के आयकर मामलों से यह संबंधित है जो सीआईटी (अपील) के समक्ष लंबित हैं, जबकि निर्धारण वर्ष 2022-23 का मामला आयकर अधिनियम की धारा 154 के अधीन सुधार के लिए आगे बढ़ाया गया है। कंपनी को अपील के तहत शामिल विभिन्न मुद्दों के संबंध में अनुकूल परिणाम की उम्मीद है और इस प्रकार अन्य वर्षों में कंपनी के खिलाफ तय किए गए मुद्दों को छोड़कर, जिनके लिए उचित प्रावधान किया गया है, किसी और प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है।

निर्धारण वर्ष 2010-11 और निर्धारण वर्ष 2012-13 से निर्धारण वर्ष 2018-19 तक के आयकर मामलों (निर्धारण वर्ष 2014-15 को छोड़कर, जो आयकर आयुक्त (अपीलीय) के समक्ष लंबित है) हेतु, आयकर आयुक्त (अपीलीय) के अपील आदेश अभी भी प्रतीक्षित है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने अपने पक्ष में अस्वीकृत मामलों के लिए ₹14.80 करोड़ का प्रावधान किया है और शेष मामलों पर कर प्रभाव, हालाँकि अंतिम रूप से निर्धारित नहीं हुआ है, आकस्मिक देयता नहीं माना जाता है क्योंकि अनुमत मदों के लिए कोई बहिर्वाह संभावित नहीं माना जाता है। किसी भी समायोजन का लेखा-जोखा संबंधित आदेश प्राप्त होने पर किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी ने अस्वीकृत मामलों के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष अपील दायर की है।

पूर्ववर्ती वर्षों (निर्धारण वर्ष 1998-99 - निर्धारण वर्ष 2009-10) के आयकर मामलों के लिए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 08 दिसंबर, 2023 के आदेश के मार्फ़त कंपनी के पक्ष में रिट याचिका का फैसला किया और कहा कि न्यायाधिकरण के दिनांक 21 नवम्बर, 2014 और 29 मई, 2015 के आदेशों के अनुसार, निर्धारण वर्ष 1998-99 से निर्धारण वर्ष 2009-10 तक की कर निर्धारण कार्यवाही समय-बाधित हो गई है और इस प्रकार ए.ओ. को लौटायी गई आय को स्वीकार करने और परिणामी आदेश पारित करने का निर्देश दिया। ऐसे परिणामी आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है और किसी भी समायोजन का हिसाब संबंधित आदेशों की प्राप्ति पर लगाया जाएगा।

[2]सेवा कर और वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) मामले

कंपनी को आयुक्त, न्यायनिर्णयन, केंद्रीय कर, जीएसटी दिल्ली पूर्व से दिनांक 15 मार्च, 2022 को मांग/आदेश का नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें कंपनी पर वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिए ₹117.09 करोड़ (लागू ब्याज को छोड़कर) की मांग की गई थी। हालांकि कंपनी का तर्क है कि पूरी मांग सीमा बाधित है, लेकिन इसने परिमित आधार पर ब्याज सहित ₹13.22 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹12.48 करोड़) प्रदान किया है। मामले में कानून और तथ्यों के आधार पर, ₹244.94 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹229.95 करोड़) की सेवा कर मांग (ब्याज सहित) को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है। इसके अलावा, चूंकि कंपनी एक सरकारी उद्यम है, इसलिए इसके पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा अधिरोपित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, ऐसे मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों के आधार पर सीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए दंड को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण के लिए नहीं माना गया है। कंपनी ने इस मामले में 15 जून, 2022 को सीईएसटीएटी, नयी दिल्ली में अपील दायर की है और यह लंबित है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

कंपनी को अप्रैल 2016 से जून 2017 की अवधि के लिए प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर सरकार को भुगतान की गई गारंटी शुल्क पर सेवा कर की वसूली पर अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णय) के कार्यालय से दिनांक 25 मार्च, 2022 का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें कर हेतु₹ 20.73 करोड़, दंड हेतु₹ 20.73 करोड़ और उस पर लागू ब्याज की मांग की गई थी। जबकि कंपनी ने इसके खिलाफ 24 जून, 2022 को माननीय सीईएसटीएटी, मुंबई के समक्ष अपील दायर की थी, इसने कर और उस पर ब्याज के लिए ₹69.36 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹63.10 करोड़) की अपेक्षित व्यवस्था की है और ₹20.73 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹20.73 करोड़) की जुर्माना राशि को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

कंपनी को केंद्रीय कर अपील आयुक्त-1, दिल्ली के कार्यालय से दिनांक 31 जनवरी, 2024 का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार 01 जुलाई, 2017 से 26 जुलाई, 2018 की अवधि के लिए प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर सरकार को भुगतान की गयी गारंटी शुल्क पर जीएसटी की वसूली के खिलाफ कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है। जबकि कंपनी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है, इसने विरोध के तहत ₹13.28 करोड़ की कर राशि का भुगतान किया है और कर तथा उस पर ब्याज के लिए ₹28.96 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹28.96 करोड़) की अपेक्षित राशि का प्रावधान किया है। ₹15.26 करोड़ (पिछली अवधि : ₹15.26 करोड़) की जुर्माना राशि को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

[3]अन्य

इसमें महिला निदेशक की नियुक्ति न करने के मामले में कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा लगाया गया ₹0.03 करोड़ (पिछली अवधि: ₹0.03 करोड़) का जुर्माना शामिल है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी के पास निदेशकों की नियुक्ति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है और इसलिए इस पर प्रावधान के लिए विचार नहीं किया गया है। कंपनी ने क्षेत्रीय निदेशक (एनआर) एमसीए के समक्ष अपील दायर की है। मामला अभी भी निर्णय के लिए लंबित है। इसमें कंपनी की सेवा से कर्मचारियों की बर्खास्तगी के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ रिट याचिका के रूप में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों से संबंधित ₹4.62 करोड़ (पिछली अवधि: ₹3.78 करोड़) की राशि भी शामिल है। इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं है। इसमें कंपनी के पूर्व-प्रकार्यात्मक निदेशकों के रोके गए पीआरपी से संबंधित ₹0.35 करोड़ (पिछली अवधि : ₹ 0.35 करोड़) भी शामिल हैं, जो स्पष्टीकरण के लिए लंबित हैं।

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी ने कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के उद्देश्य से नामित स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कार्य करने के लिए एनएसई को ₹9.90 करोड़ की बैंक गारंटी भी प्रस्तुत की है। इसके अलावा, उपर्युक्त में 15 अगस्त 2024 को इरेडा और अन्य के खिलाफ मैसर्स जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित राशि शामिल नहीं है, जो आपूर्ति, निर्माण कार्य, सिविल और संबद्ध कार्यों के लिए अनुबंध समझौतों के तहत इरेडा द्वारा ₹13.46 करोड़ की राशि के परिसमाप्त हर्जाने की कटौती और साथ ही कासरगोड सोलर पार्क, जिला - कासरगोड, केरल में 50 मेगावाट (एसी) सोलर पीवी प्लांट नामक परियोजना के चालू होने में देरी के मामले से संबंधित भी है। दावेदार (जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड) ने लगभग ₹156.55 करोड़ का दावा दायर किया है और इरेडा ने 30 अक्टूबर 2024 को ₹47.34 करोड़ के प्रतिदावे के साथ बचाव का बयान दायर किया है। यह संभावना नहीं है कि इरेडा को कोई प्रतिकूल आदेश मिल सकता है क्योंकि मैसर्स जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड (दावाकर्ता) को एसईसीआई द्वारा नियुक्त किया गया था ना कि इरेडा द्वारा। हालांकि, यदि न्यायाधिकरण द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो उसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है। इसे देखते हुए, संभावित बहिर्वाह दूर है, इसलिए इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रदान या प्रकट नहीं किया गया है।

ख) आकस्मिक परिसंपत्तियां : शून्य (पिछले वर्ष : शून्य)

ग) प्रतिबद्धताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ:		
पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	0.54	-

17. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) - 38 "अमूर्त परिसंपत्तियां" के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ़्टवेयर - माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 (डी 365) के विकास के लिए किए गए व्यय से संबंधित ₹ शून्य करोड़ की लाइसेंस फीस सहित ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.64 करोड़ की लाइसेंस फीस सहित ₹ 9.37 करोड़) की राशि को पूंजीकृत किया है। कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्ति (ईआरपी) के जीवनकाल में लाभ और हानि के विवरण में ईआरपी से संबंधित प्राप्त विश्व बैंक सीटीएफ अनुदान [वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी संख्या 38 (7क) देखें] को मान्यता दी है और इसे ₹ 0.37 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 3.98 करोड़) की राशि के कम परिशोधन व्यय के रूप में प्रस्तुत किया है।

18. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) -40 "निवेश संपत्ति" के संबंध में प्रकटीकरण

निवेश संपत्ति में जंगपुरा, नयी दिल्ली में एक आवासीय फ्लैट शामिल है जिसे तीसरे पक्ष को पट्टे पर दिया गया है। वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 11 देखें।

(i) आय और व्यय का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
किराये से आय*	0.07	0.02
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण)	0.00	0.01

*01 जनवरी, 2024 से किराये पर दिया गया।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(ii) निवेश संपत्ति का उचित मूल्य:

निवेश संपत्ति का बाजार मूल्य [कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अधीन परिभाषित अनुसार एक पंजीकृत आईबीबीआई मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार] 31 मार्च, 2025 को ₹3.66 करोड़ आंका गया है, जो 09 अप्रैल, 2025 की मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है (पिछले वर्ष: ₹2.90 करोड़)।

19. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 107- "वित्तीय साधन : प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी ने क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और प्रचालनगत जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक नीति ढांचा स्थापित किया है। जोखिम प्रबंधन नीति को जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति एक बोर्ड स्तर की समिति है तथा जोखिम प्रबंधन समिति की समग्र जिम्मेदारी बोर्ड के पास है, जिसे प्रबंधन स्तर और कॉरपोरेट स्तर की समितियों, जैसे परिसंपत्ति देयता समिति, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति और प्रचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति, द्वारा पूरक किया जाता है। जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली जोखिम प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में स्वतंत्र जोखिम निरीक्षण और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। आरबीआई दिशा-निर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, जो कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए शासी ढांचा बनाते हैं, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन नीतियों का अनुसमर्थन किया जाता है। इसमें स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV, धारा 177(4)(vi), डीपीई दिशानिर्देश 2011 के विनियम 6.12 और सेबी एलओडीआर विनियम 4 में उल्लिखित है। ये भूमिकाएं और जिम्मेदारियां उप-बोर्ड समिति के सदस्यों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। आरबीआई अधिसूचना के अनुरूप, कंपनी में सलाहकार क्षमता में एक नामित मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी है।

कंपनी में एक विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी जोखिम प्रबंधन नीति तथा एक विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी प्रबंधन समिति (एफएमसी) मौजूद है और विदेशी मुद्रा उधार पर मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को न्यूनतम करने/कम करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप आदि जैसे बचाव लिखित का उपयोग किया जाता है। बचाव लिखित का उपयोग केवल बचाव उद्देश्य के लिए किया जाता है, न कि व्यापार या सट्टा लिखत के रूप में।

अपने व्यावसायिक परिचालन के दौरान कंपनी जिन प्रमुख जोखिमों का सामना करती है, वे हैं क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालनगत जोखिम। इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक पहचान की जाती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और कार्यान्वित जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से उनका प्रबंधन किया जाता है। यह टिप्पणी उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे इकाई अवगत है और यह बताता है कि जोखिम का प्रबंधन इकाई कैसे करती है और वित्तीय विवरणों में बचाव लेखांकन का प्रभाव क्या है।

जोखिम	निम्न से उत्पन्न जोखिम	मापन	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	ऋण, प्राप्य, नकद और नकद समकक्ष और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	आवधिक विश्लेषण और साख श्रेणी निर्धारण, संभावित ऋण हानि विश्लेषण	ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया, ऋण सांद्रता सीमा, संपार्श्विक, अतिरिक्त गारंटी व परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण।
तरलता जोखिम	ऋण प्रतिभूतियाँ, उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) और अधीनस्थ देयताएँ तथा अन्य वित्तीय देयताएँ	नकद प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों, उधार सुविधाओं और अल्पकालिक ऋणों/डब्ल्यूसी सीमाओं और ओडी सीमाओं की उपलब्धता।
बाजार जोखिम- विदेशी मुद्रा	विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय परिसंपत्तियाँ व देयताएँ	नकद प्रवाह पूर्वानुमान व संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, स्वैप आदि जैसे बचाव लिखत
बाजार जोखिम- ब्याज दर	परिवर्तनीय दरों पर उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	संवेदनशीलता विश्लेषण	ब्याज दर स्वैप
बाजार जोखिम- सुरक्षा कीमत	निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

क. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम ऋण प्रचालन में निहित जोखिम है और यह उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में कमी और उधारकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान में चूक के जोखिम से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली मौजूद है। इस प्रक्रिया में परियोजनाओं का मूल्यांकन, बाहरी एजेंसियों द्वारा रेटिंग और ऋण जोखिम का आकलन, जोखिम को कम करने के लिए उचित संरचना के साथ-साथ अन्य ऋण जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। कंपनी अपने जोखिमों को साझा ऋण जोखिम विशेषता के आधार पर छोटे समरूप संविभाग में विभाजित करती है, जैसा कि निम्नलिखित क्रम में वर्णित है : -

- रक्षित/अरक्षित यानी, इस आधार पर कि ऋण रक्षित हैं या नहीं।
- सुरक्षा की प्रकृति यानी, यदि ऋण रक्षित होने का निर्धारण किया जाता है तो सुरक्षा की प्रकृति।
- ऋण की प्रकृति यानी, आरई क्षेत्र जिसके लिए ऋण बढ़ाया गया है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं, इसके लिए वित्तीय लिखत के शेष जीवन में होने वाले चूक के जोखिम में परिवर्तन पर विचार किया जाता है। यह निर्धारित करने में कि क्या प्रारंभिक मान्यता के बाद से चूक का जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है या नहीं, कंपनी 30 दिनों से अधिक की देरी को एक प्राचल के रूप में मानती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देने वाले किसी अन्य अवलोकनीय निविष्टि पर भी विचार करती है।

कंपनी वित्तीय लिखत को चूक में तब परिभाषित करती है जब रिपोर्टिंग तिथि पर उसके पास हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हों। इसने चरण III के तहत इन ऋणों का मूल्यांकन चूक के समय, परियोजना के प्रदर्शन/संचालन पर आधारित मामला-दर-मामला के आधार पर किया है। कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप ईसीएल मॉडल के आधार पर वित्तीय लिखतों पर हानि की पहचान की है।

संपार्श्विक और अन्य ऋण संवर्द्धन

आवश्यक संपार्श्विक की राशि और प्रकार ऋण जोखिम के आकलन पर निर्भर करता है। संपार्श्विक के मुख्य प्रकार हैं एफडीआर/बीजी, प्रमोटरों से संबंधित अचल संपत्ति पर प्रभार और मामले-दर-मामले के आधार पर कॉरपोरेट गारंटी।

(क) कंपनी व्यक्तिगत प्रतिपक्षकारों और उद्योग सांद्रता हेतु स्वीकार किए जाने वाले जोखिम की मात्रा पर सीमाएँ निर्धारित करके और उक्त सीमाओं के संबंध में जोखिमों की निगरानी करके ऋण जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करती है।

i. अपेक्षित ऋण हानियों हेतु प्रावधान

चरण	श्रेणी	श्रेणी का विवरण	अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान की मान्यता का आधार
			ऋण
चरण 1	मानक परिसंपत्तियाँ	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ प्रतिपक्ष के पास दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता है और जहाँ चूक का जोखिम नगण्य या शून्य/नियमित रूप से भुगतान करने वाली परिसंपत्तियाँ हैं	12 महीने ईसीएल
चरण 2	वर्धित ऋण जोखिम वाले ऋण	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	जीवन भर अपेक्षित ऋण हानियाँ
चरण 3	ऋण- क्षतिग्रस्त	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ चूक की उच्च संभावना है और बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियाँ जहाँ वसूली की कम उम्मीद है	जीवन भर अपेक्षित ऋण हानियाँ

ii. महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

(क) ऋणों के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल)

(₹ करोड़ में)

चरण	परिसंपत्ति समूह	31.03.2025 को ऋण संविभाग	31.03.2025 को ईसीएल
चरण I	ऋण	71,685.96	329.66
चरण II	ऋण	2,633.30	718.78
चरण III	ऋण	1,866.25	845.59
	कुल	**76,185.51**	**1,894.03**

*₹ 82.79 करोड़ के वित्त पोषित ब्याज अवधि ऋण (एफआईटीएल) शेष राशि को छोड़कर, जिस पर बहियों में समतुल्य देयता स्थायी है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

चरण	परिसंपत्ति समूह	31.03.2024 को ऋण संविभाग	31.03.2024 को ईसीएल
चरण I	ऋण	56,062.30	270.98
चरण II	ऋण	2,124.43	575.30
चरण III	ऋण	1,410.85	829.64
	कुल	**59,597.58**	**1,675.92**

*₹ 87.85 करोड़ के वित्त पोषित ब्याज अवधि ऋण (एफआईटीएल) शेष राशि को छोड़कर, जिस पर बहियों में समतुल्य देयता स्थायी है।

अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) पद्धति की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि ईसीएल पद्धति में एलजीडी के लिए शुद्ध वसूली योग्य मूल्य की गणना करने के लिए संयंत्र और मशीनरी के संबंध में विचार की गई मूल्यह्रास दर काफी अधिक है और लागू मूल्यह्रास दर भी कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित दरों से अधिक है। तदनुसार, समीक्षा के बाद, 01 अप्रैल, 2024 से ईसीएल पद्धति में एलजीडी के संचालन के लिए संयंत्र और मशीनरी के संबंध में मूल्यह्रास दर को 40% से 20% तक बदल दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय साधनों पर हानि में 77.34 करोड़ की कमी आई है और इसका लेखा वित्त वर्ष 2024-25 में किया गया है।

(ख) सरलीकृत दृष्टिकोण के अधीन व्यापार प्राप्तियों हेतु अपेक्षित ऋण हानि:

(₹ करोड़ में)

अवधि (31.03.2025 को)	देय नहीं	देय से 0-30 दिन बाद	देय से 31-60 दिन बाद	देय से 61-90 दिन बाद	देय से 91-120 दिन बाद	देय से 120 से ज़्यादा दिन बाद	कुल
सकल वहन राशि*	2.89	-	-	-	-	-	**2.89**
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	-	**-**
अपेक्षित ऋण हानियाँ (हानि भत्ता प्रावधान)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
व्यापार प्राप्य की वहन राशि (क्षति के बाद निवल)	2.89	-	-	-	-	-	**2.89**
31.03.2025 को शेष राशि	**2.89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.89**

*सौर ऊर्जा उत्पादन के व्यवसाय से प्राप्त व्यापार को दर्शाता है।

(₹ करोड़ में)

अवधि (31.03.2024 को)	देय नहीं	देय से 0-30 दिन बाद	देय से 31-60 दिन बाद	देय से 61-90 दिन बाद	देय से 91-120 दिन बाद	देय से 120 से ज़्यादा दिन बाद	कुल
सकल वहन राशि*	2.97	-	-	-	-	-	**2.97**
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	-	**-**
अपेक्षित ऋण हानियाँ (हानि भत्ता प्रावधान)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
व्यापार प्राप्य की वहन राशि (क्षति के बाद निवल)	2.97	-	-	-	-	-	**2.97**
31.03.2024 को शेष राशि	**2.97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.97**

*सौर ऊर्जा उत्पादन के व्यवसाय से प्राप्त व्यापार को दर्शाता है

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

ख. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जिसमें कोई कंपनी पर्याप्त नकद और विपणन योग्य प्रतिभूतियों की कमी या वित्तपोषण की उपलब्धता के कारण अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है। विवेकपूर्ण चलनिधि जोखिम प्रबंधन में नकद, विपणन योग्य प्रतिभूतियों और प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं का उचित स्तर बनाए रखना शामिल है ताकि दायित्वों को पूरा किया जा सके, जब भी वे बकाया हों। कंपनी का प्रबंधन चलनिधि स्थिति के पूर्वानुमान और ब्याज आय और व्यय सहित अपेक्षित नकद प्रवाह के आधार पर नकद और नकद समकक्षों की उपलब्धता की बारीकी से निगरानी करता है।

व्यापक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन ढांचा भी चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है। कंपनी चलनिधि कवरेज अनुपात की आवश्यकता का भी अनुपालन कर रही है और आरबीआई दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च-गुणवत्ता वाली चलनिधि परिसंपत्ति बनाए रख रही है।

(i) वित्तपोषण व्यवस्था

वर्ष के अंत में कंपनी के पास निम्नलिखित अनाहरित उधार सुविधाओं तक पहुँच थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
नियत दर		
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण)	-	71.01
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	-	-
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण)	-	-
अस्थिर दर		
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण)	1,475.50	261.27
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	4,585.00	1,900.00
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	-	-
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण)	-	-

(ii) सीसी/ओडी/एलओसी/डब्ल्यूसीडीएल सीमाएँ

अप्रत्याशित चलनिधि की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी के पास बैंकों से नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, ऋण की सीमा और कार्यशील पूंजी मांग ऋण तक पहुँच है। इसके अलावा, कंपनी के पास एएए की उच्चतम घरेलू साख श्रेणी निर्धारण है, जिससे यह कम समय में घरेलू बाजार से धन जुटाने में सक्षम है। कंपनी के पास निम्नलिखित अनाहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
सीसी/ओडी/एलओसी/डब्ल्यूसीडीएल सीमाएं	4,472.08	2,892.38

(iii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में करती है, जो सभी गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर होती है, जिसके लिए नकद प्रवाह के समय को समझने के लिए संविदात्मक परिपक्वता आवश्यक है। तालिका में बतायी गई राशियाँ संविदात्मक छूट रहित नकद प्रवाह हैं:-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन (1 महीना)	1 महीने से ऊपर-2 महीना	2 महीने से ऊपर-3 महीना	3 महीने से ऊपर-6 महीने तक	6 महीने से ऊपर-1 साल तक	1 साल से ऊपर-3 साल तक	3 साल से ऊपर-5 साल तक	5 साल से अधिक	कुल
रुपया उधार	308.76	8.33	405.17	1,309.94	1,039.68	3,128.21	5,494.74	14,068.53	6,789.07	23,677.57	**56,230.00**
विदेशी मुद्रा उधार	-	-	82.24	12.05	111.80	175.41	381.50	1,528.43	1,296.85	4,939.33	**8,527.61**

31.03.2024 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन (1 महीना)	1 महीने से ऊपर-2 महीना	2 महीने से ऊपर-3 महीना	3 महीने से ऊपर-6 महीने तक	6 महीने से ऊपर-1 साल तक	1 साल से ऊपर-3 साल तक	3 साल से ऊपर-5 साल तक	5 साल से अधिक	कुल
रुपया उधार	82.62	-	229.17	419.64	1,306.69	2,450.30	3,386.20	13,050.58	4,651.65	14,819.08	**40,395.93**
विदेशी मुद्रा उधार	-	-	72.50	56.85	108.97	170.80	409.14	1,636.56	1,531.05	5,312.80	**9,298.67**

ग. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम मुख्य रूप से ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि की संभावना है। उधार ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी के पास एक समिति है जो बाजार की स्थितियों, समकक्षों की चल रही ब्याज दरों और उधार की बढ़ती लागत के आधार पर समय-समय पर अपनी उधार दरों की समीक्षा करती है।

कंपनी के उधार में अस्थायी दर और स्थिर दर दोनों तरह के उधार शामिल हैं जो लागू अनुसार बेंचमार्क दरों से जुड़े हैं। विदेशी मुद्रा उधार के लिए, कंपनी बचाव व्यवस्था करके और अस्थायी दर से जुड़े संविभाग की समय-समय पर निगरानी करके अस्थायी ब्याज दर के कारण होने वाले जोखिम को कम करती है।

विदेशी उधार एजेंसियों से विदेशी मुद्रा उधार लेने से कंपनी को विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम उठाना पड़ता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नी लिखत जैसे कि प्रिंसिपल ओनली स्वैप, करेंसी और ब्याज दर स्वैप (व्युत्पन्नी लेन-देन), वादा संविदा आदि को अपनाकर विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य पर किए गए इन व्युत्पन्नी संविदाओं की परिपक्वता अवधि कंपनी की अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग-अलग होती है।

I. विदेशी मुद्रा जोखिम: -

कंपनी के पास अपने संसाधन जुटाने की रणनीति के तहत विदेशी ऋण एजेंसियों से उधार के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम है। अस्थिरता के साथ-साथ बड़े सीमा पार प्रवाह कंपनी के तुलन पत्र को विनिमय दर आंदोलनों के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी केवल प्रिंसिपल स्वैप, मुद्रा और ब्याज दर स्वैप आदि (व्युत्पन्नी लेन-देन) के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य पर किए गए इन विदेशी मुद्रा अनुबंधों की परिपक्वता अवधि अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग-अलग होती है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटीकरण:

वर्ष के अंत में कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटीकरण भारतीय रुपये में व्यक्त किया गया है, जो निम्नलिखित अनुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को			31.03.2024 को		
	अमेरिकी डॉलर	यूरो	जापानी येन	अमेरिकी डॉलर	यूरो	जापानी येन
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
विदेशी मुद्रा में बैंक में शेष राशि	0.32	-	-	0.58	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

व्युत्पन्नी परिसंपत्तियाँ						
विदेशी मुद्रा स्वैप अनुबंध	425.20	25.92	36.76	426.41	47.26	10.12
वित्तीय देनदारियाँ						
विदेशी मुद्रा में उधार	4,622.24	958.72	2,946.65	4,664.57	1,612.48	3,021.62
व्युत्पन्नी देनदारियाँ						
विदेशी मुद्रा स्वैप अनुबंध	0.98	-	22.22	8.24	0.22	199.56
विदेशी मुद्रा जोखिम (परिसंपत्तियाँ)/ देनदारियों का निवल प्रकटीकरण	**4,197.70**	**932.80**	**2,932.11**	**4,245.82**	**1,565.44**	**3,211.06**

(ख) संवेदनशीलता

विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि विवरण की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय लिखतों से उत्पन्न होती है। नीचे दी गई तालिका विदेशी मुद्रा जोखिम* पर 5% (भारतीय रुपये के मुकाबले) तक विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि विवरण [+लाभ /(-) हानि] पर प्रभाव प्रस्तुत करती है: -

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2025 को**		**31.03.2024 को**	
	कमी	**वृद्धि**	**कमी**	**वृद्धि**
	लाभ और हानि के विवरण पर प्रभाव			
अमेरिकी डॉलर संवेदनशीलता	4.33	(4.33)	3.62	(3.62)
यूरो संवेदनशीलता	17.41	(17.41)	19.49	(19.49)
जापानी येन संवेदनशीलता	89.39	(89.39)	73.28	(73.28)

*सभी अन्य परिवर्तियों को स्थिर रखते हुए

II. नकद प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम: -

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति कंपनी का प्रकटीकरण अस्थिर ब्याज दरों वाले दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋणों और बैंकों से अस्थिर ब्याज दर अवधि ऋण से संबंधित है। कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पनी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपने विदेशी मुद्रा ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है।

कंपनी के निश्चित दर वाले रुपये के उधार परिशोधित लागत पर लिये जाते हैं। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण न तो वहन राशि और न ही भावी नकद प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

(क) ब्याज दर जोखिम का प्रकटीकरण

वर्ष के अंत में ब्याज दर में परिवर्तन के लिए कंपनी के उधारों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
परिवर्ती दर उधार		
रुपया मूल्यवर्ग	12,653.30	11,386.25
विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग	2,894.95	3,396.74
कुल	**15,548.25**	**14,782.99**

(ख) संवेदनशीलता

ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उधार से उच्च/निम्न ब्याज व्यय के प्रति लाभ या हानि संवेदनशील है*

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	लाभ और हानि के विवरण पर प्रभाव	
	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ब्याज दरें – 50 आधार अंकों की वृद्धि	(77.74)	(73.91)
ब्याज दरें – 50 आधार अंकों की कमी	77.74	73.91

* सभी अन्य परिवर्तियों को स्थिर रखते हुए

(ग) बचाव गतिविधियों का प्रभाव

व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत और बचाव लेखांकन

कंपनी के पास अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने और बचाव करने के लिए प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस), क्रॉस करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट स्वैप (आईआरएस), क्रॉस, करेंसी और क्रॉस करेंसी ऑप्शन्स, संरचित/लागत में कमी उत्पाद आदि जैसे व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।

बचाव अप्रभाविता का निर्धारण बचाव संबंध की शुरुआत में और समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता आकलन के माध्यम से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचाव किए गए मद और बचाव लिखत के बीच आर्थिक संबंध मौजूद है।

कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियों को लागू करती है:

- क्रॉस करेंसी स्वैप, विकल्प संरचनाओं और ब्याज दर स्वैप के लिए, जो बचाव मद की शर्तों से बिल्कुल मेल खाते हैं, आर्थिक संबंध और बचाव प्रभावशीलता, क्रिटिकल टर्म्स मैच पद्धति का उपयोग करके गुणात्मक कारकों पर आधारित होते हैं। विकल्प संरचनाओं के लिए, कंपनी प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग करके बचाव लिखत और बचाव किए गए मद के मूल्य में परिवर्तन के बीच संबंध का भी विश्लेषण करती है।
- कंपनी ने बचाव संबंधों हेतु 1:1 का बचाव अनुपात स्थापित किया है क्योंकि बचाव लिखत के अंतर्निहित जोखिम और कल्पित राशि बचाये गए मद के समान हैं।

नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि (सीएफएचआर) में संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(137.44)	69.81
बचाव लिखतों के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	171.66	(165.40)
बचाव किए गए मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	(53.63)	(41.85)
वर्ष के अंत में शेष राशि (कर पूर्व)	**(19.41)**	**(137.44)**

बचाव आरक्षित निधि की लागत में संचलन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
विदेशी मुद्रा विकल्प संरचना के आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(23.25)	-
अवधि/वर्ष के लिए समय मूल्य का परिशोधन	17.18	-
वर्ष के अंत में शेष राशि (कर पूर्व)	**(6.07)**	**-**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

तुलन पत्र पर बचाव लेखांकन के प्रभावों पर प्रकटीकरण:

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

बचाव और जोखिम का प्रकार	परिपक्वता तारीख	बचाव अनुपात	भारित औसत नियत भाव/दर	बचाव लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन
नकद प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम				
(i) प्रिंसिपल ओनली स्वैप				
- अमेरिकी डॉलर	15-अप्रैल-2026 से 09-मार्च-2037	1:1	70.7387	(105.42)
- यूरो	30-दिसंबर-2025 से 31-जनवरी-2031	1:1	85.8493	(7.65)
- जापानी येन	-	1:1	-	59.85
(ii) क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप				
- अमेरिकी डॉलर	15-जुलाई-2026 से 15-अक्टूबर-2026	1:1	67.0729	1.89
- यूरो	-	-	-	-
- जापानी येन	-	-	-	-
(iii) वादा संविदा				
- अमेरिकी डॉलर	-	1:1	-	0.23
- यूरो	-	-	-	-
- जापानी येन	-	1:1	-	(39.44)
(iv) विकल्प अनुबंध				
- अमेरिकी डॉलर	15-अप्रैल-2025 से 14-नवंबर-2025	1:1	84.3796	5.75
- जापानी येन	18-जून-2025 से 18-दिसंबर-2025	1:1	0.5581	34.85

व्युत्पन्नी की काल्पनिक राशि और वहन राशि से सम्बंधित विवरण के लिए, वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 4 देखें।

31.03.2024 को

(₹ करोड़ में)

बचाव और जोखिम के प्रकार	परिपक्वता तिथि	बचाव अनुपात	भारित औसत नियत भाव/दर	बचाव लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन
नकद प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम				
(i) प्रिंसिपल ओनली स्वैप				
- अमेरिकी डॉलर	15-अक्टूबर-2024 से 09-मार्च-2037	1:1	69.5787	(76.62)
- यूरो	30-दिसंबर-2023 से 31-मई-2029	1:1	81.1677	25.73
- जापानी येन	19-मार्च-2023 से 20-मार्च-2025	1:1	0.6285	(32.31)

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(ii) क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप				
- अमेरिकी डॉलर	15-जुलाई-2026 से 15-अक्टूबर-2026	1:1	67.0742	(5.27)
- यूरो	30-जून-24	1:1	81.4000	0.30
- जापानी येन	19-जून-24	1:1	0.5925	(13.47)
(iii) वादा संविदा				
- अमेरिकी डॉलर	-	1:1	-	-
- यूरो	-	1:1	-	-
- जापानी येन	-	1:1	0.5936	(33.93)

व्युत्पन्नी की काल्पनिक राशि और वहन राशि से सम्बंधित विवरण हेतु, वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 4 देखें।

लाभ और हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण पर बचाव लेखांकन के प्रभाव: -

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम तथा उधार से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु व्युत्पन्नी लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिम के बचाव के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, क्रॉस मुद्रा स्वैप, प्रिंसिपल ओनली स्वैप तथा ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। बचाव लेखांकन के तहत निर्दिष्ट व्युत्पन्नी अनुबंधों के प्रभावी बचाव होने की सीमा तक, बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकद प्रवाह बचाव के प्रभावी भाग' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियाँ लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत की जाती हैं, जब बचाव की गई मद लाभ और हानि के विवरण को प्रभावित करती है।

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

बचाव के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त बचाव अप्रभाविकता	बचाव किए गए मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन मद
नकद प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम	148.41	-	(53.63)	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश

31.03.2024 को

(₹ करोड़ में)

बचाव के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त बचाव अप्रभाविकता	बचाव किए गए मद पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन मद
नकद प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम	(165.40)	-	(41.85)	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

20. कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, विदेशी मुद्रा उधार (बकाया राशि का 40%) पर खुला प्रकटीकरण अनुमेय है। 31 मार्च, 2025 को खुला प्रकटीकरण ₹2,360.71 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹2,062.30 करोड़) है जो बकाया विदेशी मुद्रा उधार का 27.68% (पिछले वर्ष: 22.18%) है और अनुमेय सीमा के अंदर है।

उक्त मुक्त खुलासे में से, 30.38 मिलियन यूरो (पिछले वर्ष: 30.38 मिलियन यूरो) हेतु आंशिक बचाव किया गया है, जिसके लिए 33.73 मिलियन अमरीकी डॉलर (पिछले वर्ष : 33.73 मिलियन अमरीकी डॉलर) के लिए प्रिंसिपल ओनली स्वैप (यूएसडी/आईएनआर) लिया गया है, जो ₹288.63 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹281.19 करोड़) के बराबर है।

इसके अलावा, 2,371.50 मिलियन जापानी येन (पिछले वर्ष: 2,371.50 मिलियन जापानी येन) को 17.60 मिलियनअमेरिकी डॉलर (पिछले वर्ष: 17.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के बराबर प्रिंसिपल ओनली स्वैप (यूएसडी/जेपीवाई) लेकर बचाव किया गया है, जिसकी राशि 31 मार्च, 2025 को लागू दरों पर परिवर्तित ₹134.58 करोड़ बनती है (पिछले वर्ष : 31 मार्च, 2024 को लागू दरों पर परिवर्तित ₹130. 65 करोड़)।

21. परिसंपत्तियों पर सृजित प्रतिभूति

i. प्रतिभूति के रूप में दृष्टिबंध परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ऋण और अग्रिम (कंपनी के बही ऋण) पर एक साथ आधार पर प्रथम प्रभार		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
- कर मुक्त बांड	2,576.60	2,576.60
- बैंक उधार	23,792.18	19,732.13
- विदेशी मुद्रा ऋण	1,525.01	1,718.72
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-
अस्थायी प्रभार		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-

ii. बही ऋणों पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा जमानती

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
नकारात्मक ग्रहणाधिकार (कंपनी के बही ऋण)		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
- कर योग्य बॉण्ड	3,817.36	3,817.24
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-

22. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ शुल्क या संतुष्टि का पंजीकरण

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

सभी फॉर्म समय पर दाखिल किए गए थे और कंपनी के पास सांविधिक समय-सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि का मामला नहीं है।

31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु

सभी फॉर्म समय पर दाखिल किए गए थे और कंपनी के पास सांविधिक समय-सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि का मामला नहीं है।

23. पूंजी प्रबंधन

कंपनी की पूंजी प्रबंधन नीति का प्राथमिक उद्देश्य है विनियामक पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी हर समय पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करती है और अपने व्यवसाय का प्रबंधन इस तरह से करती है कि पूंजी सुरक्षित रहे, संतोषजनक व्यावसायिक विकास सुनिश्चित हो, नकद प्रवाह की निगरानी हो और रेटिंग बनी रहे।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

उद्योग में अपने समकक्षों के अनुरूप, कंपनी ऋण-इक्विटी अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है, जिसकी गणना ऋण (कुल उधार) को कुल इक्विटी से विभाजित करके की जाती है, जैसा कि तुलन पत्र में दिखाया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ऋण	64,740.31	49,686.86
इक्विटी (पूंजी आरक्षित निधि सहित)	10,266.16	8,559.43
ऋण-इक्विटी अनुपात	**6.31**	**5.80**

24. निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 सितंबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन के मार्फ़त क्यूआईपी रूट के जरिए नई इक्विटी जारी करने को मंजूरी दी, जिसमें एक या एक से अधिक चरणों में इरेडा में भारत सरकार की शेयरधारिता को पोस्ट इश्यू के आधार पर इरेडा की चुकता इक्विटी के 7% की सीमा तक कम किया जाएगा। इसके अलावा, इरेडा के निदेशक मंडल ने 23 जनवरी, 2025 को आयोजित अपनी 431वीं बैठक में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार पोस्ट इश्यू के आधार पर इरेडा की चुकता इक्विटी के 7% की अधिकतम कमी के अधीन क्यूआईपी के माध्यम से एक या एक से अधिक चरणों में ₹5000 करोड़ तक की राशि के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने की मंजूरी दी। 24 फरवरी, 2025 को आयोजित 22वीं ईजीएम के दौरान कंपनी के शेयरधारकों ने भी उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

25. कंपनी के इक्विटी शेयर 29 नवंबर 2023 को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए। कंपनी को इक्विटी शेयरों के नए निर्गम से ₹1,290.13 करोड़ की सकल आय प्राप्त हुई है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान, मूल अनुमानित निर्गम व्यय, जो ₹31.18 करोड़ था, को मूल अनुमानित निर्गम व्यय के तहत वास्तविक चालान के अनुसार ₹30.33 करोड़ में वास्तविकीकृत किया गया है। तदनुसार, शुद्ध आय ₹1,258.95 करोड़ से बढ़कर ₹1,259.80 करोड़ हो है गया और "हमारी भावी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और आगे उधार देने के लिए हमारे पूंजी आधार को बढ़ाना" उद्देश्य के तहत धन का उपयोग ₹1,258.95 करोड़ से बढ़कर ₹1,259.80 करोड़ हो गया है। शुद्ध आय का उपयोग नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:-

(₹ करोड़ में)

विवरणिका के अनुसार आगम उद्देश्य	विवरणिका के अनुसार उपयोग की जाने वाली राशि – निवल आय	संशोधित शुद्ध आय	31 मार्च 2025 तक उपयोग	31 मार्च 2025 तक अप्रयुक्त राशि
हमारी भावी पूंजी आवश्यकताओं और आगे उधार देने की पूर्ति के लिए हमारे पूंजी आधार को बढ़ाना।	1,258.95	1,259.80	1,259.80	शून्य

टिप्पणी: शुद्ध आय, नए निर्गम की सकल आय में से हमारी कंपनी के प्रस्तावित खर्च (अनंतिम) ₹ 31.18 करोड़ का हिस्सा घटाया गया है और संशोधित शुद्ध आय, नए निर्गम की सकल आय में से हमारी कंपनी के वास्तविक प्रस्तावित खर्च ₹ 30.33 करोड़ का हिस्सा घटाया गया है।

26.

i. कंपनी ने अपने उधार पोर्टफोलियो की समीक्षा के आधार पर 50 मिलियन यूरो की संपूर्ण बकाया राशि का पूर्व भुगतान करके एएफडी के साथ एक क्रेडिट लाइन को बंद कर दिया है, जिसकी शेष अवधि 60 महीने थी। इसके परिणामस्वरूप, उक्त क्रेडिट लाइन के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (ऋण की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाना है) के कारण विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि [एफसीएमआईटीआर] और अन्य व्यापक आय [ओसीआई] में संचित शेष राशि को लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। इससे संबंधित बचाव सौदों (ऋण का 91.41% तक बचाव किया गया था) को समाप्त करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.80 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ। ऋण के पूर्व समापन का समग्र प्रभाव वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में ₹ 45.41 करोड़ की हानि के रूप में लिया गया है।

ii. कंपनी ने एसबीआई, टोक्यो शाखा से 26 बिलियन जापानी येन (जेपीवाई) के बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जुटाने के लिए एक सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 10 बिलियन जापानी येन का ग्रीन शू विकल्प भी शामिल है। परिपक्वता पर बुलेट भुगतान के साथ यह पाँच वर्षीय अरक्षित सुविधा कंपनी की वैश्विक बाज़ार में उपस्थिति को मज़बूत करेगी।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

27. उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग

1. कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति (यों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यवर्ती) शामिल हैं, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कोई भी निधि (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि) अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ को यह सुनिश्चित करना होगा कि
   i. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना या
   ii. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करना
2. इसके अलावा, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति (यों) या संस्था (ओं), जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, से, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कोई भी निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी को सुनिश्चित करना होगा कि
   i. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से प्रतिचिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करना या
   ii. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज़ प्रदान करना।

   कंपनी की राय है कि एमएनआरई जीओआई पूर्ण सेवित बॉण्ड (वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 38(43) देखें) के संबंध में प्राप्त होने वाली राशि उपर्युक्त प्रकटीकरण के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि यह भारत सरकार के अधिदेश/समझौता ज्ञापन के समान है।

28. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) -108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" के संबंध में प्रकटीकरण

(i) परिचालन क्षेत्र

इंड एएस 108 में यथा परिभाषित के अनुसार "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर, सीएमडी, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं और व्यवसाय खंडों द्वारा विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करते हैं। वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों को व्यक्तिगत व्यवसाय खंड में राजस्व और व्यय रिकॉर्ड करने के लिए लगातार लागू किया जाता है और वे महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निर्धारित किए गए हैं।

कंपनी दो खंडों में काम करती है - अक्षय ऊर्जा (आरई) व ऊर्जा दक्षता (ईई) क्षेत्र में वित्तपोषण गतिविधियाँ और केरल के कासरगोड में सौर संयंत्र संचालन के माध्यम से बिजली का उत्पादन। कंपनी के लिए प्रमुख राजस्व आरई एवं ईई क्षेत्र में वित्तपोषण गतिविधियों के खंड से आता है। अन्य परिचालन खंड - सौर संयंत्र के माध्यम से बिजली का उत्पादन एक रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है। कंपनी भारत में काम करती है; इसलिए इसे केवल घरेलू खंड में काम करने वाला माना जाता है। इस प्रकार खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से इसे एकल व्यवसाय/भौगोलिक खंड माना जाता है।

(ii) प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

कोई भी बाहरी ग्राहक हमारे राजस्व में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान नहीं देता है।

(iii) भौगोलिक जानकारी

संचालन के स्थान के अनुसार बाहरी ग्राहकों से राजस्व और परिसंपत्तियों के स्थान के अनुसार इसकी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बाहरी ग्राहकों से राजस्व*		गैर-चालू परिसंपत्तियां**	
	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
भारत	6,754.78	4,965.29	1,987.39	1,999.88
भारत से बाहर	-	-	-	-
कुल	**6,754.78**	**4,965.29**	**1,987.39**	**1,999.88**

*व्युत्पन्नी के उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि) से संबंधित ₹13.13 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 11.26 करोड़) की राशि शामिल करें।

**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत कार्य-प्रगति पर, निवेश संपत्ति, परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार, विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां, अमूर्त परिसंपत्तियां, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम और भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड धन प्राप्य इस राशि में शामिल हैं।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(iv) प्रमुख उत्पादों से राजस्व

प्रत्येक उत्पाद और सेवा के लिए बाहरी ग्राहकों से राजस्व निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय	6,575.39	4,822.40
शुल्क और कमीशन आय	95.71	60.01
विद्युत की बिक्री (निवल)	26.48	29.21

29. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-113 "उचित मूल्य माप" के संबंध में प्रकटीकरण

I. उचित मूल्य माप

श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखत

(₹ करोड़ में)

विवरण (31.03.2025 को)	परिशोधन लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के जरिए	पी एंड एल के जरिए	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकद और नकद समतुल्य	29.84	-	-	-	29.84
निर्धारित बैंक शेष	641.34	-	-	-	641.34
व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	-	-	440.57	47.31	487.88
व्यापार प्राप्य	5.93	-	-	-	5.93
ऋण	75,319.98	-	-	-	75,319.98
निवेश	626.14	-	-	-	626.14
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	29.20	-	-	-	29.20
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**76,652.43**	**-**	**440.57**	**47.31**	**77,140.31**
वित्तीय देनदारियाँ					
व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	-	-	2.89	20.31	23.20
व्यापार देय	9.11	-	-	-	9.11
ऋण प्रतिभूतियाँ	28,446.24	-	-	-	28,446.24
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	33,489.50	-	-	-	33,489.50
अधीनस्थ देयताएँ	2,804.57	-	-	-	2,804.57
अन्य वित्तीय देयताएँ	1,637.83	-	-	-	1,637.83
कुल वित्तीय देयताएँ	**66,387.25**	**-**	**2.89**	**20.31**	**66,410.45**

(₹ करोड़ में)

विवरण (31.03.2024 को)	परिशोधन लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के जरिए	पी एंड एल के जरिए	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकद और नकद समतुल्य	74.21	-	-	-	74.21
निर्धारित बैंक शेष	661.67	-	-	-	661.67

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	-	-	451.57	32.21	483.78
व्यापार प्राप्य	6.02	-	-	-	6.02
ऋण	58,775.09	-	-	-	58,775.09
निवेश	101.30	-	-	-	101.30
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	23.46	-	-	-	23.46
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**59,641.75**	**-**	**451.57**	**32.21**	**60,125.53**
वित्तीय देनदारियाँ					
व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	-	-	189.67	18.34	208.01
व्यापार देय	7.30	-	-	-	7.30
ऋण प्रतिभूतियाँ	17,713.61	-	-	-	17,713.61
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	31,323.84	-	-	-	31,323.84
अधीनस्थ देयताएँ	649.41	-	-	-	649.41
अन्य वित्तीय देयताएँ	1,340.30	-	-	-	1,340.30
कुल वित्तीय देयताएँ	**51,034.46**	**-**	**189.67**	**18.34**	**51,242.47**

II. उचित मूल्य पदानुक्रम

यह खंड वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए निर्णय और अनुमानों की व्याख्या करता है जो

क) उचित मूल्य पर पहचाने और मापे जाते हैं और

ख) परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए निविष्टियों की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय लिखतों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर पर एक स्पष्टीकरण हेतु निम्नलिखित तालिका देखें।

ग) महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए, हमने कर्मचारी ऋण और प्रतिभूति जमा की छूट को नजरअंदाज कर दिया है।

कंपनी मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का निर्धारण और प्रकटीकरण करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है:

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय लिखत शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी उपकरण, व्यापारित बॉण्ड और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिनकी कीमत उद्धृत की गई है। स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले सभी इक्विटी लिखतों (बॉण्ड सहित) का उचित मूल्य रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार समापन मूल्य का उपयोग करके मूल्यांकित किया जाता है। म्यूचुअल फंड का मूल्यांकन समापन एनएवी का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय लिखत जो सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करते हैं (उदाहरण के लिए, व्यापारित बॉण्ड) वे अन्य तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं, जिसके लिए सभी निविष्टियाँ जो दर्ज किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य होते हैं।

स्तर 3: वह तकनीक जो ऐसे निविष्टियों का उपयोग करती है जिनका रिकॉर्ड किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों जैसे अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं होते हैं।

क. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएँ - आवर्ती उचित मूल्य माप- 31.03.2025 को*

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ : -			
बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	339.41
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	58.65

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

वायदा संविदा	-	-	-
विकल्प संविदा	-	-	42.51
बचाव के रूप में नामित नहीं की गई व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	47.31
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	-
वायदा संविदा	-	-	-
विकल्प संविदा	-	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**487.88**
वित्तीय देयताएँ			
बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	0.98
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	-
वायदा संविदा	-	-	-
विकल्प संविदा	-	-	1.91
बचाव के रूप में नामित नहीं की गई व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	20.31
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	-
वायदा संविदा	-	-	-
विकल्प संविदा	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**23.20**

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गई हैं

परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को*	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:			
ग्राहकों को ऋण	-	-	75,216.10
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	**75,216.10**
वित्तीय देयताएँ			
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ:			
ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	28,446.24
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	-	-	33,489.50
अधीनस्थ देयताएँ	-	-	2,804.57
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**64,740.31**

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गई हैं

ख. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएँ – आवर्ती उचित मूल्य माप - 31.03.2024 को*

(₹ करोड़ में)

विवरण	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ: -			
बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	390.61

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	60.96
वायदा संविदा	-	-	-
बचाव के रूप में नामित नहीं की गई व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	32.21
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	-
वायदा संविदा	-	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**483.78**
वित्तीय देयताएं			
बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	144.92
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	10.82
वायदा संविदा	-	-	33.93
बचाव के रूप में नामित नहीँ की गई व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	18.34
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	-
वायदा संविदा	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**208.01**

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गई हैं

परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है

(₹ करोड़ में)

31.03.2024 को*	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ:			
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:			
ग्राहकों को ऋण	-	-	58,692.01
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**58,692.01**
वित्तीय देयताएँ			
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ:			
ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	17,713.61
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	-	-	31,323.84
अधीनस्थ देयताएँ	-	-	649.41
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**49,686.86**

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गई हैं

III. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल मूल्यांकन तकनीक

एमटीएम गणना रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया व्युत्पन्नी लिखत हेतु कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अधीन यथा परिभाषित के अनुसार पंजीकृत स्वतंत्र आईबीबीआई मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन पर आधारित है।

महत्वपूर्ण असंप्रेक्षणीय निविष्टियों (स्तर 3) का उपयोग करते हुए उचित मूल्य माप

कर-पूर्व दर जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

निम्न तालिका स्तर 3 व्युत्पन्नी लिखतों में परिवर्तन प्रस्तुत करती है: -

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
व्युत्पन्नी लेखांकन में व्युत्पन्नी सौदों के तहत लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त लाभ/(हानि)	13.13	(11.26)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त लाभ/(हानि)	165.59	(165.40)
कुल	**178.72**	**(176.66)**

IV. मूल्यांकन प्रक्रियाएँ

बचाव सौदों के एमटीएम मूल्यांकन हेतु, कंपनी ने कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत यथा परिभाषित के अनुसार एक पंजीकृत स्वतंत्र आईबीबीआई मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन प्राप्त किया है, जिसने बाजार की स्थिति में उतार-चढ़ाव, विनिमय दर, ब्याज दर आदि में उतार-चढ़ाव पर विचार करने के बाद ऐसा मूल्यांकन प्रदान किया है।

V. परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**वहन राशि**	**लेन-देन मूल्य**	**वहन राशि**	**लेन-देन मूल्य**
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:				
ग्राहकों को ऋण	75,216.10	75,432.98	58,692.01	58,865.86
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**75,216.10**	**75,432.98**	**58,692.01**	**58,865.86**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
वित्तीय देयताएं	**वहन राशि**	**लेन-देन मूल्य**	**वहन राशि**	**लेन-देन मूल्य**
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं :				
ऋण प्रतिभूतियाँ	28,446.24	28,460.74	17,713.61	17,720.74
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	33,489.50	33,489.50	31,323.84	31,323.84
अधीनस्थ देयताएं	2,804.57	2,807.37	649.41	650.00
कुल वित्तीय देयताएं	**64,740.31**	**64,757.61**	**49,686.86**	**49,694.58**

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

उधारों, कंपनियों को दिये जाने वाले ऋण, ऋण प्रतिभूतियों के उचित मूल्यों की गणना वर्तमान उधार दर का उपयोग करके छूट दिये गए नकद प्रवाह के आधार पर की जाती है। स्वयं के ऋण जोखिम सहित अप्राप्य निविष्टियों के समावेश के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

गैर-चालू उधारों के उचित मूल्य चालू उधार दर का उपयोग करके छूट दिए गए नकद प्रवाह पर आधारित होते हैं। स्वयं के ऋण जोखिम सहित अप्राप्य निविष्टियों के उपयोग के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

30. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी एक सौर ऊर्जा संयंत्र का संचालन कर रही है। कंपनी और केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31.03.2017 को ₹4.95 प्रति यूनिट या केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, पर विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तदनुसार, कंपनी ने केएसईआरसी के साथ विद्युत क्रय समझौते की मंजूरी के लिए याचिका दायर की, जिसने 14.02.2018 के अपने अंतरिम आदेश में मार्च 2018 तक ₹3.90 प्रति यूनिट के अंतरिम प्रशुल्क को मंजूरी दी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, केएसईआरसी ने एक प्रशुल्क आदेश पारित किया और ₹3.83 प्रति यूनिट का प्रशुल्क निर्धारित किया। विवरण के लिए वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 38(31) देखें।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

तदनुसार, कंपनी ने ₹3.83 प्रति यूनिट के निर्धारित प्रशुल्क पर केएसईबीएल को बिजली की आपूर्ति करने के लिए सकल राजस्व को मान्यता दी है। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी परामर्श सेवाएं भी प्रदान करना जारी रखा है।

(क) विद्युत उत्पादन

31.03.2025 को समाप्त वर्ष

क्र. सं.	विवरण	उत्पादित यूनिट (एमआईएल.)	बेची गई यूनिट (एमआईएल.)	दर प्रति यूनिट (₹)	कुल (₹ करोड़ में)
i)	बिजली का उत्पादन	70.96	70.54	3.83	27.02

31.03.2024 को समाप्त वर्ष

क्र. सं.	विवरण	उत्पादित यूनिट (एमआईएल.)	बेची गई यूनिट (एमआईएल.)	दर प्रति यूनिट (₹)	कुल (₹ करोड़ में)
i)	बिजली का उत्पादन	78.23	77.81	3.83	29.80

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
बिक्री में शामिल बिल रहित राजस्व की राशि (निवल)	2.89	2.97

(ख) अनुबंधित मूल्य और पीएंडएल में मान्यता प्राप्त राजस्व का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
अनुबंध मूल्य	27.02	29.80
समायोजन :		
-व्यापार छूट	0.54	0.60
-धन वापसी	-	-
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व	26.48	29.21

(ग) राजस्व का विभाजन

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विभाजन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1	**राजस्व**		
	परिचालन से निवल राजस्व (छूट निवल, जहाँ प्रयोज्य हो)	26.48	29.21
	परामर्श	-	0.16
2	**प्राथमिक भौगोलिक बाजार**		
	घरेलू राजस्व	26.48	29.36
	अंतरराष्ट्रीय राजस्व	-	-
	कुल राजस्व	**26.48**	**29.36**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

3	**राजस्व मान्यता समय**		
	किसी समय पर	-	-
	समयोपरि	26.48	29.36
	कुल राजस्व	**26.48**	**29.36**

टिप्पणी : केएसईबीएल बिजली की बिक्री के लिए एकमात्र ग्राहक है। तत्काल भुगतान शर्तों के साथ मासिक आधार पर चालान जारी किया जाता है।

(घ) व्यापार प्राप्य और संविदागत शेष

निम्न तालिका ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्तियों और संविदागत देयताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है: -

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
व्यापार प्राप्य (निवल) (सौर संयंत्र)	2.89	2.97

31. सौर ऊर्जा परियोजना

कंपनी ने केरल राज्य के कासरगोड जिले के अंबालाथारा सोलर पार्क में स्थित कंपनी की 50 मेगावाट की सौर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2014-15 में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से चालू किया गया और वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पूरी तरह से चालू किया गया, जिसे जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड ने ईपीसी ठेकेदार के रूप में निष्पादित किया। इसे बही में पूंजीकृत किया गया है और वर्तमान पूंजीकृत लागत ₹319.36 करोड़ है, जिसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत दिखाया गया है। वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 12 देखें।

कंपनी और केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31.03.2017 को ₹4.95/केडब्ल्यूएच या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, पर पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे। तदनुसार, कंपनी ने केएसईआरसी के साथ बिजली खरीद समझौते की मंजूरी के लिए याचिका दायर की, जिसने 14 फरवरी, 2018 के अपने अंतरिम आदेश में ₹3.90 प्रति यूनिट के अंतरिम प्रशुल्क को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, केएसईआरसी ने 06 फरवरी, 2019 के अपने आदेश में ₹3.83 प्रति यूनिट की दर से लेवलाइज्ड प्रशुल्क को मंजूरी दी थी। इसने आगे निम्नलिखित आदेश भी दिये हैं:

- केएसईबी लिमिटेड इस आदेश में विनिर्दिष्ट इक्विटी की राशि तक सीमित, इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) पर भुगतान किए गए किसी भी कर की प्रतिपूर्ति करेगा। कर का दावा करने के लिए, डेवलपर केएसईबी लिमिटेड को ऐसे कर के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
- केएसईबी लिमिटेड, कंपनी/आरपीसीकेएल द्वारा भुगतान की गई भूमि पट्टे की राशि, उपर्युक्त के अतिरिक्त, यदि कोई हो, आर्थिक साहाय्य के रूप में प्राप्त राशि को घटाकर प्रतिपूर्ति करेगा।

उक्त आदेश को माननीय एपीटीईएल के समक्ष 27 अगस्त, 2019 को अपील दायर करके चुनौती दी गई थी ताकि कंपनी द्वारा किए गए व्यय के लिए कुछ लागतों की अनुमति दी जा सके और टैरिफ निर्धारित करने के लिए आरपीसीकेएल को भुगतान किया जा सके। उक्त अपील के खारिज होने पर, कंपनी ने 05 अप्रैल, 2022 को अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के साथ एक समीक्षा याचिका दायर की। मामला अब अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

कंपनी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष समीक्षा याचिका के लंबित रहने के दौरान भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 4634 ऑफ़ 2022 भी दायर की, ताकि अपील को माननीय न्यायालय के समक्ष समय-सीमा द्वारा वर्जित होने से बचाया जा सके। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18 जुलाई, 2022 के आदेश के माध्यम से कंपनी को समीक्षा याचिका के निपटारे के समय सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी थी। इसके बावजूद, उत्पादन आय का हिसाब ₹ 3.83 प्रति यूनिट की दर से लगाया जा रहा है।

सौर परियोजना लीज़होल्ड भूमि पर स्थापित की गई है, जिसके लिए 07 अक्टूबर 2020 से 06 अक्टूबर 2043 तक (06 अक्टूबर 2020 तक छूट) रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ़ केरल लिमिटेड (आरपीसीकेएल) को लीज़ शुल्क देय हैं। केएसईआरसी के 06 फ़रवरी 2019 के टैरिफ आदेश के अनुसार, आरपीसीकेएल को भुगतान किए गए ऐसे भूमि लीज़ शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कंपनी पात्र है।

हालाँकि, ₹0.39 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित) के भूमि पट्टा शुल्क का वार्षिक भुगतान और उसकी वसूली का निपटान किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर किसी भी संगत राशि को परिसंपत्ति/देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है। इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) के लिए अन्य वसूलियाँ, अनिश्चित होने के कारण, मामले के अंतिम समाधान पर शामिल की जाएँगी।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

32. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-116 "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

क) भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के रूप में पट्टे का विवरण

कंपनी के पास दिल्ली और मुंबई में कार्यालय स्थानों, दिल्ली में आवासीय स्थान और केरल में सोलर पार्क भूमि के लिए विभिन्न पट्टे समझौते हैं। प्रत्येक समझौते की अवधि और किराये का भुगतान अलग-अलग है। कंपनी ने इंड एएस 116 के तहत माप सिद्धांतों को उन पट्टों के लिए लागू किया है जिन पर कंपनी की लेखा नीति के अनुरूप अल्पकालिक पट्टे के तहत छूट उपलब्ध नहीं है।

ख) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता विश्लेषण - संविदात्मक छूट रहित नकद प्रवाह	31.03.2025 को	31.03.2024 को
एक वर्ष से कम	0.53	0.68
एक वर्ष से पांच वर्ष तक	1.95	2.09
पांच वर्ष से अधिक	5.07	5.46
कुल छूट रहित पट्टा देयताएं	**7.55**	**8.22**
वित्तीय स्थिति के विवरण में शामिल पट्टा देयताएं	**3.69**	**4.03**
चालू	0.53	0.66
गैर- चालू	3.16	3.37

ग) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
पट्टा देयताओं पर ब्याज	0.34	0.36
पट्टा देयताओं के मापन में शामिल नहीं किए गए परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	-	-
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के उप-पट्टे से आय	-	-
पट्टा देनदारियों की अ-मान्यता	-	-
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की अ-मान्यता	-	-
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों पर संचित मूल्यह्रास की अ-मान्यता	-	-
अल्पकालिक पट्टे से संबंधित व्यय	-	-
अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास शुल्क*	6.48	5.50

*पट्टा आरंभ की अवधि विवाद में है; एनबीसीसी बिल्डिंग एवं आवासीय फ्लैट पर मूल्यह्रास उपयोग में लाये जाने की तिथि से लगाया गया है। किसी भी परिवर्तन को भविष्यलक्षी प्रभाव के रूप से निपटाया जाएगा।

घ) नकद प्रवाह विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
31.03.2025 को समाप्त वर्ष	0.29
31.03.2024 को समाप्त वर्ष	0.27

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

ङ) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	167.78	28.25
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों में वृद्धि	-	139.53
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का विलोपन/अ-मान्यता	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	167.78	167.78
अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार वर्ष के अंत में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की वहन राशि।	143.40	149.89

च) अन्य प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
अल्प-कालिक पट्टे से सम्बंधित व्यय	0.11	0.10

33. कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल परिसंपत्तियों के स्वत्व विलेख का विवरण निम्नानुसार है: -
31.03.2025 को

तुलन पत्र में प्रासंगिक अनुसार मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिनके नाम में धारित स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति जब से धारित	कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों	कार्यालय परिसर -आईएचसी	1.72	आईएचसी द्वारा जारी आवंटन पत्र के आधार पर कब्ज़ा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 12.04.1993	भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी) [भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), आईएचसी और आवंटी संस्थानों के बीच] द्वारा त्रिपक्षीय हस्तांतरण उप-पट्टा विलेख/समझौते का निष्पादन इरेडा सहित आईएचसी में सभी आवंटी संस्थानों के संबंध में लंबित है। आईएचसी पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए एल एंड डीओ के साथ संपर्क में है। पट्टा विलेख के मसौदे को एल एंड डीओ द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आईएचसी ने 24.03.23 को सूचित किया है कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और अदालत ने उसी आशय का आदेश पारित किया है। इसके अलावा, आईएचसी और एसडीएमसी दोनों पक्षों द्वारा 11.04.23 के आदेश के तहत दो अन्य याचिकाएं भी वापस ले ली गईं। कंपनी त्रिपक्षीय पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए आईएचसी के साथ नियमित रूप से संवाद कर रही है। आईएचसी ने 31.12.2024 को ईमेल के ज़रिए सूचित किया है कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अंतिम संचार 21.03.2025 को भेजा गया।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

तुलन पत्र में प्रासंगिक अनुसार मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिनके नाम में धारित स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति जब से धारित	कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण
	कार्यालय परिसर-एकेबी	21.10	एचयूडीसीओ द्वारा जारी स्थायी पट्टा विलेख के आधार पर कब्जा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.12.2006	संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण का काम हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचयूडीसीओ) के साथ चल रहा है। नवीनतम संचार 21.03.2025 को भेजा गया।
	कार्यालय परिसर-एनबीसीसी किदवई नगर	132.92	आवंटन पत्र के आधार पर कब्जा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015	उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए कब्जे की तारीख और पट्टे की शुरुआती तिथि के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। नवीनतम संचार 21.03.2025 को भेजा गया था।
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों	आवासीय फ्लैट -एनबीसीसी किदवई नगर	6.61	आवंटन पत्र के आधार पर कब्जा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015	उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए कब्जे की तारीख और लीज की शुरुआत की तारीख के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। फ्लैट एमओएचयूए के साथ घरों के इंटर-पूल एक्सचेंज में पड़ा हुआ है और इसे कंपनी के कब्ज़े में वापस लेने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नवीनतम संचार 06.03.2025 को भेजा गया था।
निवेश संपत्ति	आवासीय फ्लैट	0.09	एचपीएल द्वारा विक्रय हेतु समझौता	नहीं	23.06.1994	संपत्ति का हस्तांतरण हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा एल एंड डीओ के साथ किया जा रहा है, उसके बाद विलेख का निष्पादन होगा। नवीनतम संचार 24.03.2025 को भेजा गया था।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

31 मार्च, 2024 को

तुलन-पत्र में प्रासंगिक व्यावसायिक मद	संपत्ति मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम में धारित स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति जब से धारित	कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों	कार्यालय परिसर: आईएचसी	1.72	आईएचसी द्वारा जारी किए गए आवंटन पत्र के आधार पर कब्ज़ा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 12.04.1993	भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी) [भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), आईएचसी और आवंटी संस्थानों के बीच] द्वारा त्रिपक्षीय हस्तांतरण उप-पट्टा विलेख/समझौते का निष्पादन इरेडा सहित आईएचसी में सभी आवंटी संस्थानों के संबंध में लंबित है। आईएचसी पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए एल एंड डीओ के साथ संपर्क में है। पट्टा विलेख के मसौदे को एल एंड डीओ द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आईएचसी ने 24.03.23 को सूचित किया है कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और अदालत ने उसी आशय का आदेश पारित किया है। इसके अलावा, आईएचसी और एसडीएमसी दोनों पक्षों द्वारा 11.04.23 के आदेश के तहत दो अन्य याचिकाएं भी वापस ले ली गईं। कंपनी त्रिपक्षीय पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए आईएचसी के साथ 24.04.2023, 11.07.2023 और 21.12.2023 को ईमेल के जरिए संवाद कर रही है। इसके अलावा, आईएचसी ने 21.12.2023 को ईमेल के ज़रिए सूचित किया है कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आईएचसी को अंतिम संचार 21.03.2024 को भेजा गया।
	कार्यालय परिसर-एकेबी	21.10	एचयूडीसीओ द्वारा जारी स्थायी पट्टा विलेख के आधार पर कब्जा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.12.2006	संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण का काम हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचयूडीसीओ) के साथ चल रहा है। नवीनतम संचार 21.03.2024 को भेजा गया।
	कार्यालय परिसर - एनबीसीसी किदवई नगर	132.92	आवंटन पत्र के आधार पर कब्ज़ा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015	उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए कब्जे की तारीख और पट्टे की शुरूआती तिथि के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। नवीनतम संचार 30.03.2024 को भेजा गया था।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

तुलन-पत्र में प्रासंगिक व्यावसायिक मद	संपत्ति मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम में धारित स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति जब से धारित	कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	आवासीय फ्लैट - एनबीसीसी किदवई नगर	6.61	आवंटन पत्र के आधार पर कब्ज़ा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015	उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए कब्जे की तारीख और लीज की शुरुआत की तारीख के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। फ्लैट एमओएचयूए के साथ घरों के इंटर-पूल एक्सचेंज में पड़ा हुआ है और इसे कंपनी के कब्ज़े में वापस लेने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नवीनतम संचार 30.03.2024 को भेजा गया था।
निवेश संपत्ति	आवासीय फ्लैट	0.09	एचपीएल द्वारा विक्रय हेतु समझौता	नहीं	23.06.1994	संपत्ति का हस्तांतरण हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा एल एंड डीओ के साथ किया जा रहा है, उसके बाद विलेख का निष्पादन होगा। नवीनतम संचार 21.03.2024 को भेजा गया था।

34. संपत्ति कर का विवरण

सभी आवासीय और कार्यालय परिसरों के संबंध में 31 मार्च, 2025 तक की संपत्ति कर मांग का भुगतान कर दिया गया है। एनबीसीसी किदवई नगर में कार्यालय स्थल और आवासीय फ्लैटों के संबंध में संपत्ति कर की मांग का पता नहीं चल पा रहा है।

35. बेनामी संपत्ति का विवरण

बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाये गए नियमों के अधीन चालू और पिछले वर्ष के दौरान किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

36. हाल ही में लेखांकन घोषणाएँ/मानक/संशोधन जारी की गई, लेकिन प्रभावी नहीं हैं।

कोई भी हाल की लेखांकन घोषणाएँ/मानक/संशोधन नहीं हैं जिनका 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी होना बाकी हैं।

37. कोई भी सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं है, जिसके लिए कंपनी का बकाया है, जो 31.03.2025 को 45 दिनों से अधिक समय से बकाया है (पिछले वर्ष: ₹ शून्य करोड़)। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली यथा अपेक्षित जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	समाप्त वर्ष को भुगतान न की गई मूलधन राशि	1.06	1.03
2	समाप्त वर्ष को उस पर देय ब्याज का भुगतान अप्रदत्त है	-	-
3	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, साथ ही वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
4	भुगतान करने में देरी के वर्ष हेतु देय और भुगतान योग्य ब्याज, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
5	समाप्त वर्ष को अर्जित और शेष अप्रदत्त ब्याज	-	-
6	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, आगामी वर्ष में भी बकाया और देय ब्याज, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं कर दिया जाता।	-	-

38. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को निदेशक मंडल की एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन करना आवश्यक है और कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना की गई कंपनी के तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% खर्च करना है। कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार 22.01.2021 से अधिसूचित, किसी भी चालू परियोजना के लिए कोई भी अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर किसी भी अनुसूचित बैंक में अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, जिसका उपयोग उक्त हस्तांतरण की तिथि से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर किया जाएगा। किसी भी चालू परियोजना के अलावा, कोई भी अव्ययित सीएसआर राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा, यदि कंपनी क़ानून के तहत आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है, तो अतिरिक्त राशि को आगे बढ़ाया जा सकता है और व्यय की जाने वाली राशि के प्रति तीन आगामी वित्तीय वर्षों में कटौती की जाएगी।

क. 31.03.2025 तक, कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली सकल राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि	24.36	16.94
2	वर्ष के दौरान खर्च/संस्वीकृत की गई राशि [(ग) देखें]	24.36	16.65
3	वर्ष के अंत में कमी / (अधिक) (1-2)	-	0.29
4	पिछले वर्षों से अग्रेनीत(अधिक) सीएसआर खर्च	-	(0.29)
5	चालू वर्ष में पहले खर्च की गई अतिरिक्त राशि का समायोजन*	-	0.29
6	वर्ष के अंत में अग्रेनीत कुल कमी / (अधिक) खर्च	-	-

* दिनांक 22.01.2021 की एमसीए अधिसूचना के मद्देनजर, जो भावी रूप से लागू है, अतिरिक्त खर्च की गई राशि का उपयोग 3 लगातार वर्षों में किया जा सकता है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

क. i वित्तीय वर्ष 2019-20 से पहले की अव्ययित राशि का विवरण (संशोधन पूर्व ढांचे के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
क)	प्रारंभिक शेष	-	3.74
ख)	वर्ष के दौरान व्यय	-	3.74
ग)	अंतिम शेष [कमी/(अधिक)] (क-ख)	-	-

*इसमें पूर्ण हो चुकी परियोजना से संबंधित ₹0.08 करोड़ की राशि शामिल है, जिसमें आगे कोई संवितरण की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए उक्त राशि को अप्रैल 2024 में अनुसूची VII निधि को अंतरित कर दिया गया है।

ख. वित्त वर्ष 2024-25 हेतु, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार औसत एकल लाभ (कर पूर्व) के 2% के आधार पर ₹24.36 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 ₹16.94 करोड़) के सीएसआर बजट को मंजूरी दी थी। एक वर्ष में संस्वीकृत परियोजनाओं को परियोजना के पूरा होने के विभिन्न चरणों में मील पत्थर से जुड़े भुगतान के आधार पर बाद के वर्षों में पूरा किया जा सकता है।

ग. वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च/ संस्वीकृत की गई राशि: -

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष			31.03.2024 को समाप्त वर्ष		
		भुगतान या निपटाया गया	भुगतान अभी किया जाना है	कुल	भुगतान या निपटाया गया	भुगतान अभी किया जाना है	कुल
(i)	किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण; अनुसंधान और विकास से संबंधित सीएसआर गतिविधियों पर	2.31	22.03	24.34	5.49	11.13	16.62
(iii)	उपर्युक्त (ii) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर - प्रशासनिक व्यय	0.02	-	0.02	0.03	-	0.03
	कुल	**2.33**	**22.03**	**24.36**	**5.52**	**11.13**	**16.65**

घ. चालू वर्ष या पिछले वर्ष में सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं किया गया।

ङ. व्यय की गई और अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: -

31.03.2025 को समाप्त वर्ष

अव्ययित राशि

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	अनुसूची- VII के निर्दिष्ट कोष में 6 महीने के भीतर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	अंतिम शेष
-	-	24.36	2.33	22.03

व्यय की गई अतिरिक्त राशि

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	वर्तमान वर्ष में कमी के तहत समायोजित राशि	अंतिम शेष
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

चल रही परियोजनाओं के लिए:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष से संबंधित	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		अंतिम शेष		चल रही परियोजनाओं का विवरण
	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	
24-25	-	-	24.13	2.10	-	22.03*	-	स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल, शिक्षा और पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित परियोजना
23-24	-	11.13	-	-	4.99	-	6.14	स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित परियोजना
22-23	-	1.64	-	-	0.42	-	1.22	स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित परियोजना

*चूँकि राशि चालू परियोजनाओं से संबंधित है, इसलिए इसे लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष के अंत से 30 दिनों के भीतर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

31.03.2024 को समाप्त वर्ष

अव्ययित राशि

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	अनुसूची- VII के निर्दिष्ट कोष में 6 महीने के भीतर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि*	अंतिम शेष
-	-	16.94	5.81	11.13

*इसमें पिछले वर्ष से आगे ले जाए गए ₹0.29 करोड़ का समंजन शामिल है।

व्यय की गई अतिरिक्त राशि

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	वर्तमान वर्ष में कमी के तहत समायोजित राशि	अंतिम शेष
0.29	-	-	0.29	-

चल रही परियोजनाओं के लिए:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष से संबंधित	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		अंतिम शेष		चल रही परियोजनाओं का विवरण
	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	
23-24	-	-	15.14	4.01	-	11.13	-	स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित परियोजना

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

22-23	-	2.76	-	-	1.12	-	1.64	स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा व कौशल विकास से संबंधित परियोजना

39. लेखा-परीक्षक को पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
लेखा-परीक्षक		
सीमित समीक्षा	0.03	-
सांविधिक लेखा-परीक्षा	0.16	0.13
कर लेखा-परीक्षा	0.05	0.04
अंतरिम खातों के लिए लेखा-परीक्षा शुल्क	0.24	0.38
अन्य सेवाएँ		
प्रमाणन शुल्क	0.02	0.01
आईपीओ से संबंधित	-	0.24**
अन्य व्यय	-	-
कुल*	**0.50**	**0.80**

*जीएसटी छोड़कर

**शेयर जारी करने के व्यय के अंग स्वरूप और प्रतिभूति प्रीमियम से समायोजित। वित्तीय विवरणों हेत देखें टिप्पणी 26।

40. प्रकटीकरण - विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) मुद्दे से संबंधित (एपी व अन्य) मामलों के लिए - 90 दिनों से अधिक बकाया राशि वाले खाते, लेकिन ऋण क्षति के रूप में नहीं माने गए।

सात उधारकर्ताओं ने खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं करने के लिए आंध्र प्रदेश/तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय और दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त किए हैं। तदनुसार, ऐसे उधारकर्ताओं के ऋण बकाया को स्टेज III परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, भले ही देय राशि 90 दिनों से अधिक पुरानी हो। हालांकि, कंपनी ने परियोजनाओं के वित्तीय और परिचालनगत प्राचल पर विचार करने के बाद 31 मार्च 2025 तक अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के अनुसार खातों की पुस्तकों में ₹ 1,202.21 करोड़ के ऋण बकाया पर ₹ 631.13 करोड़ का पर्याप्त प्रावधान किया है (पिछले वर्ष: ₹873.67 करोड़ के ऋण बकाया पर ₹ 521.31 करोड़ का प्रावधान)। हालांकि खातों को एनपीए घोषित नहीं किया गया है, लेकिन आय को नकद/वसूली के आधार पर इस खाते में दर्ज किया जाता है (यानी कोई भी 'ब्याज देय और प्राप्त नहीं हुआ' उलट दिया जाता है और ब्याज आय के रूप में नहीं लिया जाता है)।

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या	बकाया राशि	अतिदेय राशि	ईसीएल राशि
31.03.2025 को	8	1,202.21	889.72	631.13
31.03.2024 को	7	873.67	678.47	521.31

41. एकमुश्त निपटान (ओटीएस), बट्टे खाते डाला गया (ऋण परिसंपत्तियाँ)।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, एक ओटीएस स्वीकृत किए गए, जिनमें से एक खाता पूरी तरह से निपटाया गया है। उक्त निपटाये गए ओटीएस के प्रति कुल ₹176.49 करोड़ की राशि वसूल की गई है, जिसके परिणामस्वरूप ₹85.56 करोड़ की आय हुई और ₹54.13 करोड़ के हानि भत्ते का प्रतिलेखन हुआ।

31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, पाँच ओटीएस स्वीकृत किए गए, जिनमें से एक खाता पूरी तरह से निपटाया गया है। उक्त निपटाये गए ओटीएस के प्रति कुल ₹20.24 करोड़ की राशि वसूल की गई है, जिसके परिणामस्वरूप ₹4.69 करोड़ की आय हुई और ₹2.48 करोड़ के हानि भत्ते का प्रतिलेखन हुआ।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

42. एमएनआरई/यूएनडीपी-इरेडा योजना निधि

कंपनी अपनी गतिविधियों के अलावा उक्त मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम को क्रियान्वित करती है। प्रत्येक समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, एमएनआरई ने कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कंपनी के साथ प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में एक सहमत राशि रखी है। एमएनआरई निधियों पर ब्याज जब और जैसे प्राप्त होता है उसका लेखा-जोखा किया जाता है। चूंकि एमएनआरई कार्यक्रम ऋणों द्वारा उत्पन्न आय कंपनी की आय नहीं है और ऋण परिसंपत्तियां भी एमएनआरई से सम्बंधित हैं, इसलिए उन्हें परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान उद्देश्यों के लिए नहीं माना जाता है। संबंधित कार्यक्रम के समापन पर, कंपनी को एमएनआरई के ऋण की शेष राशि (उस पर अर्जित ब्याज सहित), सेवा शुल्क, अपरिवर्तनीय चूक और एमओयू में निर्धारित अन्य बकाया राशि की कटौती करने के बाद एमएनआरई को हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है।

क) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) / पूंजी आर्थिक साहाय्य योजना आदि: कंपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की ओर से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और योजना के तहत पंजीकृत पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूंजी आर्थिक साहाय्य के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम प्रशासक है। इन योजनाओं के तहत, एमएनआरई द्वारा कंपनी को जीबीआई दावेदारों यानी परियोजना डेवलपर्स/डिस्कॉम को योजना के अनुसार ऊर्जा उत्पादन के लिए उसी के वितरण के उद्देश्य से निधि प्रदान की जाती है। इसलिए, अनिवार्य रूप से, गतिविधि निधियों की प्राप्ति और उपयोग है। एमएनआरई द्वारा जीबीआई निधि जारी करने के लिए, कंपनी को एमएनआरई द्वारा जारी फंड की पिछली क़िस्त के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय के लेखा परीक्षित विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त आवश्यकता का कंपनी द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है तथा एमएनआरई द्वारा अब तक इसके अतिरिक्त कुछ भी अपेक्षित नहीं किया गया है। वैधानिक लेखा-परीक्षकों ने योजना के खातों की लेखा-परीक्षा नहीं की है।

वर्ष के अंत में उपर्युक्त के कारण एमएनआरई को देय राशि, बचत बैंक/अल्पकालिक जमा आदि के रूप में अलग-अलग बैंक खातों में रखे गए अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज सहित, नकद और नकद समकक्षों (वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 3 देखें) में शामिल बैंक शेष के अलावा दिखाया गया है और संबंधित देयता तुलन पत्र में अन्य वित्तीय देयताएं (वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 22 देखें) शीर्षक के अंतर्गत दिखायी गई है।

(ख) जीईएफ-एमएनआरई-संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) परियोजना: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और यूएनआईडीओ ने संयुक्त रूप से अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण के लिए बायोगैस/बायो-मीथेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, नवाचारों को लक्षित करने और औद्योगिक जैविक कचरे से टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन पर जीईएफ-5 वित्त पोषित परियोजना को लागू किया है। उक्त परियोजना के अधीन यूएनआईडीओ परियोजना डेवलपर्स के लिए ब्याज दर में 5% का आर्थिक साहाय्य देने के लिए धन उपलब्ध कराएगा और कंपनी एक फंड हैंडलर है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, यूएनआईडीओ के प्रति शून्य दावा (पिछले वर्ष: शून्य दावा) रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में 340000 अमेरिकी डॉलर की पहली क़िस्त हेतु कंपनी को ₹2.55 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। 31 मार्च, 2025 तक निधि शेष ₹2.90 करोड़ है।

इस प्रकार प्राप्त धनराशि को बचत बैंक/अल्पकालिक जमा आदि के रूप में अलग-अलग बैंक खाते में रखा गया है, जिसे नकद और नकद समकक्षों में शामिल बैंक शेष के अतिरिक्त दिखाया गया है (वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणी 3 देखें) और संबंधित देयता को तुलन पत्र में अन्य वित्तीय देयताएं (वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणी 22 देखें) शीर्षक के अधीन दिखाया गया है।

ग) अन्य एमएनआरई योजनाएँ जहाँ इरेडा, एमएनआरई की ओर से निधि प्रबंधन एजेंसी है: ऐसी अन्य एमएनआरई योजनाएँ भी हैं जहाँ इरेडा, एमएनआरई की ओर से निधि प्रबंधन एजेंसी है और निधि शेष निम्नानुसार हैं: -

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	31.03.2025 तक शेष राशि	31.03.2024 तक शेष राशि
1.	डीआईआरईसी-2010	6.84	6.35
2.	भारत-अमेरिका पेससेटर निधि	32.83	30.57
3.	एमएनआरई सह-उत्पादन विशिष्ट अनुदान	0.45	0.42
4.	राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड	0.07	0.07
5.	एमएनआरई यूएनडीपी खाता	0.00	0.00
6.	सौर जल तापन प्रणाली का कार्यान्वयन-एमएनआरई (एसडब्ल्यूएचएस)	4.31	3.84

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

इस प्रकार प्राप्त धनराशि को बचत बैंक/अल्पकालिक जमा आदि के रूप में अलग-अलग बैंक खाते में रखा गया है, जिसे नकद और नकद समकक्षों में शामिल बैंक शेष के अतिरिक्त दिखाया गया है (वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणी 3 देखें) और संबंधित देयता को तुलन पत्र में अन्य वित्तीय देयताएं (वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणी 22 देखें) शीर्षक के अधीन दिखाया गया है।

43. एमएनआरई भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स

आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 के का.ज्ञा. संख्या एफ.15 (4)-बी (सीडीएन)/2015 के अनुसार, कंपनी को ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा, ऑफ-ग्रिड/वितरित व विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा तथा निगमों व स्वायत्त निकायों में निवेश से संबंधित एमएनआरई योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु आय का उपयोग करने के लिए भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स के माध्यम से ₹4,000 करोड़ की राशि की उगाही के लिए कहा गया था। एमएनआरई और कंपनी के बीच 25 जनवरी, 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें दोनों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है। समझौता ज्ञापन की पृष्ठ संख्या 5 पर सामान्य खंडों की कंडिका संख्या I में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि एमएनआरई बॉण्ड्स के उधार को कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय गणना के लिए परिसंपत्ति/देयता के रूप में नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि एमएनआरई बॉण्ड्स के माध्यम से जुटायी गई राशि उधार के साथ-साथ परिसंपत्तियों में भी दिखायी देगी, हालांकि, कंपनी के उधार/परिसंपत्तियों या आय/व्यय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान एमएनआरई की ओर से ₹1,640 करोड़ के भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स जुटाए थे और इसे टिप्पणी 24 - अन्य गैर-वित्तीय देनदारियों के तहत दिखाया गया है। इसके विरुद्ध विभिन्न योजनाओं/योजनाओं के लिए एमएनआरई के निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक ₹1,638.79 करोड़ की राशि वितरित की गई है (पिछले वर्ष: ₹1,638.79 करोड़)। उक्त राशि को टिप्पणी संख्या 17 - अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत एमएनआरई से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है। यह राशि एमआईबीओआर लिंक्ड जमा में रखी गई थी, जिस पर 31 मार्च, 2025 तक ₹13.12 करोड़ का अर्जित ब्याज (पिछले वर्ष: ₹12.28 करोड़) टिप्पणी संख्या 24 - अन्य गैर-वित्तीय देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है। 31 मार्च, 2025 तक शेष संचयी राशि (उपार्जित/अर्जित ब्याज सहित) ₹14.31 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹9.96 करोड़) है, जिसे एमआईबीओआर लिंक्ड सावधि जमा में रखा गया है और 31 मार्च, 2025 तक चालू खाते में शेष राशि ₹0.03 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹3.53 करोड़) है, जिसे टिप्पणी संख्या 3 – संबंधित उप-शीर्षों में नकद और नकद समकक्ष में शामिल को छोड़कर बैंक शेष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, ₹124.35 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹124.35 करोड़) के भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड पर ब्याज निवेशकों को भुगतान हेतु देय हो गया। इसे भारत सरकार से प्राप्त कर लिया गया है और निवेशकों को भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार उगाहे गए बॉण्डों का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	7.22% भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स (श्रृंखला I - मोचन की तिथि - 06 फरवरी, 2027)	610.00	610.00
2	7.60% भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स (श्रृंखला Ik - मोचन की तिथि - 23 फरवरी, 2027)	220.00	220.00
3	7.85% भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स (श्रृंखला Ikh - मोचन की तिथि - 06 मार्च, 2027)	810.00	810.00
	कुल	**1,640.00**	**1,640.00**

44. एमएनआरई से प्राप्त आर्थिक साहाय्य/ प्रोत्साहन तथा उनकी ओर से प्रबंधित

क. ब्याज आर्थिक साहाय्य

सरकारी नीति के अनुसार, एमएनआरई ब्याज आर्थिक साहाय्य प्रदान कर रहा है जो एमएनआरई कार्यक्रमों को लागू करने वाले उधारकर्ताओं को जारी की जाती है। सह-उत्पादन, लघु जलविद्युत, ब्रिकेटिंग, बायोमास, सौर तापीय तथा अपशिष्ट से ऊर्जा के संबंध में ब्याज आर्थिक साहाय्य एनपीवी आधार पर जारी की जाती है तथा सौर एवं एसपीवी कार्यक्रमों के लिए यह एक वास्तविक आधार पर किया जाता है।

ब्याज आर्थिक साहाय्य उधारकर्ताओं को अर्ध-वार्षिक आधार पर दी जाती है, बशर्ते उधारकर्ता स्वीकृति के नियम और शर्तों का अनुपालन करें। ब्याज आर्थिक साहाय्य के स्थायी शेष का कार्यक्रमवार विवरण निम्नानुसार है: -

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(i) एनपीवी आधार पर पहले प्राप्त तथा बकाया ब्याज आर्थिक साहाय्य : -

(₹ करोड़ में)

समाप्त वर्ष	बायो-मास सह-उत्पादन	लघु जल विद्युत	उप योग (क)
31.03.2025	2.15	0.02	2.17
31.03.2024	2.15	0.02	2.17

(ii) पूर्व प्राप्त ब्याज आर्थिक साहाय्य एवं वास्तविक आधार पर बकाया : -

(₹ करोड़ में)

वर्ष समाप्त	सौर तापीय क्षेत्र	एसपीवी डब्ल्यूपी 2000-01	एसपीवी डब्ल्यूपी 2001-02	एसपीवी डब्ल्यूपी 1999-00	एसपीवी डब्ल्यूपी मैन्युफैक्चरिंग 2002-03	एसपीवी डब्ल्यूपी	अक्सेलरेटेड एसडब्ल्यूएच प्रणाली	उप योग (ख)	कुल योग (क+ख)
31.03.2025	0.00	(0.51)	(1.36)	(0.07)	(0.03)	(0.41)	0.00	(2.38)	(0.21)
31.03.2024	0.00	(0.51)	(1.36)	(0.07)	(0.03)	(0.41)	0.00	(2.38)	(0.21)

ख. पूंजी आर्थिक साहाय्य

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, पूंजी आर्थिक साहाय्य हेतु एमएनआरई से ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1.00 करोड़) की राशि प्राप्त हुई थी। उपलब्ध कुल पूंजी आर्थिक साहाय्य राशि में से ₹शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1.00 करोड़) पूंजी आर्थिक साहाय्य योजना की शर्तों और नियमों के अनुपालन पर उधारकर्ताओं को दी गई।

45. हटायी गई कंपनियों के साथ प्रकटीकरण संबंध

हटायी गई कंपनी का नाम	हटायी गई कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	31.03.2025 तक बकाया शेष राशि (₹ करोड़ में)	हटायी गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो	31.03.2024 तक बकाया शेष राशि (₹ करोड़ में)	हटायी गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो
एसपीवी पावर लिमिटेड	प्राप्य	0.00	उधारकर्ता	0.00	उधारकर्ता
ओचा पाइन फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	0.00	उधारकर्ता	0.00	उधारकर्ता

विभिन्न कानूनी मंचों में प्रमोटरों/गारंटरों से संबंधित मामलों में वसूली कार्यवाही के मद्देनजर शेष राशि को बहियों में दर्ज किया जा रहा है।

46. अतिरिक्त जानकारी

क) विदेशी मुद्रा में व्यय:

- यात्रा पर: ₹0.22 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.28 करोड़)
- ब्याज और प्रतिबद्धता व्यय: ₹248.28 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹278.60 करोड़)

ख) विदेशी मुद्रा में आय:

- ब्याज : ₹1.75 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 4.62 करोड़)

ग) विश्व बैंक ने आईबीआरडी III ऋण सहायता के अंतर्गत सौर पार्क परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के वित्तपोषण में सहायता के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) अनुदान स्वीकृत किया है। वर्ष के दौरान, विश्व बैंक ने सीटीएफ अनुदान के अंतर्गत कंपनी को ₹7.57 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹3.05 करोड़) जारी किए, जिनमें राजस्व व्यय के लिए ₹6.92 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹2.45 करोड़) और पूंजीगत व्यय के लिए ₹0.65 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.60 करोड़) शामिल हैं।

घ) क्रिप्टो करेंसी या आभाषी मुद्रा का विवरण: कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभाषी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

47. परिसंपत्ति और देयताओं के अधीन प्रत्येक व्यवसाय मद के लिए 12 महीने के अंदर और उसके बाद वसूल/निपटान की जाने वाली अपेक्षित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को		कुल
		12 महीनों के अंदर	12 महीनों से ज़्यादा	
I.	**परिसंपत्तियां**			
अ	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क) नकद और नकद समकक्ष	29.84	-	29.84
	(ख) उपर्युक्त (क) के अलावा बैंक शेष	616.74	24.60	641.34
	(ग) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	48.30	439.59	487.89
	(घ) प्राप्य			
	(i) व्यापार प्राप्य	3.17	2.76	5.93
	(II) अन्य प्राप्य	-	-	-
	(ङ) ऋण	12,713.38	62,606.60	75,319.98
	(च) निवेश	434.72	191.42	626.14
	(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	15.30	13.90	29.20
	कुल (अ)	**13,861.45**	**63,278.87**	**77,140.32**
ब	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ**			
	(क) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	219.81	-	219.81
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	-	360.56	360.56
	(ग) निवेश संपत्ति	-	0.02	0.02
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	199.68	199.68
	(ङ) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	-	-	-
	(च) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	-	143.40	143.40
	(छ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-
	(ज) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	5.49	5.49
	(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.99	1,662.08	1,665.07
	कुल (ब)	**222.80**	**2,371.23**	**2,594.03**
	कुल परिसंपत्तियाँ (अ+ब)	**14,084.25**	**65,650.10**	**79,734.35**
II.	**देयताएँ और इक्विटी**			
	देयताएँ			
अ	**वित्तीय देयताएँ**			
	(क) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	1.91	21.29	23.20
	(ख) देय राशि			
	(i) व्यापार देय राशि	9.11	-	9.11
	(ग) ऋण प्रतिभूतियाँ	1,397.29	27,048.95	28,446.24
	(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	11,060.55	22,428.95	33,489.50
	(ङ) अधीनस्थ देयताएँ	-	2,804.57	2,804.57
	(च) अन्य वित्तीय देयताएँ	1,182.51	455.32	1,637.83
	कुल (अ)	**13,651.37**	**52,759.08**	**66,410.45**
ब	**गैर-वित्तीय देयताएँ**			
	(क) प्रावधान	155.50	1,061.99	1,217.49
	(ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ	100.74	1,739.51	1,840.25
	कुल (ब)	**256.24**	**2,801.50**	**3,057.74**
स	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	-	2,687.76	2,687.76
	(ख) अन्य इक्विटी	-	7,578.40	7,578.40
	कुल (स)	**-**	**10,266.16**	**10,266.16**
	कुल देयताएं और इक्विटी (अ+ब+स)	**13,907.61**	**65,826.74**	**79,734.35**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को		कुल
		12 महीनों के अंदर	12 महीनों से ज़्यादा	
I.	**परिसंपत्तियां**			
अ	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क) नकद और नकद समकक्ष	74.21	-	74.21
	(ख) उपर्युक्त (क) के अलावा बैंक शेष	600.40	61.28	661.68
	(ग) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	122.34	361.44	483.78
	(घ) प्राप्य			
	(I) व्यापार प्राप्य	4.42	1.60	6.02
	(II) अन्य प्राप्य	-	-	-
	(ङ) ऋण	8,666.75	50,108.34	58,775.09
	(च) निवेश	1.96	99.34	101.30
	(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11.72	11.75	23.47
	कुल (अ)	**9,481.80**	**50,643.75**	**60,125.55**
ब	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ**			
	(क) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	155.41	-	155.41
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	-	289.45	289.45
	(ग) निवेश संपत्ति	-	0.03	0.03
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	206.40	206.40
	(ङ) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	-	-	-
	(च) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	-	149.89	149.89
	(छ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-
	(ज) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	4.78	4.78
	(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7.46	1,661.48	1,668.94
	कुल (ब)	**162.87**	**2,312.03**	**2,474.90**
	कुल परिसंपत्तियाँ (अ+ब)	**9,644.67**	**52,955.78**	**62,600.45**
II.	**देयताएँ और इक्विटी**			
	देयताएँ			
अ	**वित्तीय देयताएँ**			
	(क) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	181.22	26.80	208.02
	(ख) देय राशि			
	(i) व्यापार देय राशि	7.30	-	7.30
	(ग) ऋण प्रतिभूतियाँ	-	17,713.61	17,713.61
	(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	8,692.87	22,630.98	31,323.85
	(ङ) अधीनस्थ देयताएँ	-	649.42	649.42
	(च) अन्य वित्तीय देयताएँ	923.94	416.36	1,340.30
	कुल (अ)	**9,805.33**	**41,437.17**	**51,242.50**
ब	**गैर-वित्तीय देयताएँ**			
	(क) प्रावधान	-	991.12	991.12
	(ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ	-	1,807.41	1,807.41
	कुल (ब)	**-**	**2,798.53**	**2,798.53**
स	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	-	2,687.76	2,687.76
	(ख) अन्य इक्विटी	-	5,871.66	5,871.66
	कुल (स)	**-**	**8,559.42**	**8,559.42**
	कुल देयताएं और इक्विटी (अ+ब+स)	**9,805.33**	**52,795.12**	**62,600.45**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

48. मास्टर निर्देश-भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 (यथा संशोधित) के संदर्भ में प्रकटीकरण

क. कंपनी द्वारा कार्यान्वित संकल्प योजनाएँ

(₹ करोड़ में)

समाप्त वर्ष	उधार संख्या	वर्ष के अंत में बकाया मूलधन	ईसीएल के अनुसार हानि भत्ता
31.03.2025	-	-	-
31.03.2024	-	-	-

ख. पूँजी

क. जोखिम-भारित परिसम्पत्तियों के लिए पूंजी अनुपात (सीआरएआर)

कंपनी, समय-समय पर संशोधित, आरबीआई द्वारा निर्धारित मास्टर निर्देशों/परिपत्रों/दिशा-निर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है। एक एनबीएफसी और अवसंरचना वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते, कंपनी को 15% (10% की न्यूनतम टियर I पूंजी के साथ) का पूंजी पर्याप्तता अनुपात या जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिए पूँजी अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखना आवश्यक है, जिसकी गणना कंपनी की टियर-I और टियर-II पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्तियों से विभाजित करके की जाती है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को*
1	सीआरएआर (%)	17.77 %	15.51%
2	सीआरएआर – स्तर I पूंजी (%)	15.15 %	13.94%
3	सीआरएआर – स्तर II पूंजी (%)	2.62 %	1.57%

31 मार्च, 2025 तक स्तर -I पूँजी के सतत ऋण लिखत की राशि 11.11% (पिछले वर्ष: शून्य%) है।
*31 मार्च, 2024 तक, कंपनी का रिपोर्ट किया गया सीआरएआर 20.11% था, जिसमें स्तर -I पूँजी 18.08% और स्तर -II पूँजी 2.03% शामिल थी। यह गणना कंपनी द्वारा वित्तपोषित, चालू अक्षय ऊर्जा अवसंरचना परियोजना परिसंपत्तियों को सौंपे गए 50% जोखिम भार पर आधारित थी, जो अपनी वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) तक पहुँच चुकी थीं और एक वर्ष से अधिक समय से परिचालन में थीं। हालाँकि, 31 मार्च, 2025 से प्रभावी, कंपनी ने इन परिसंपत्तियों पर 100% जोखिम भार लागू किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 तक इसी अवधि का सीआरएआर पुनः प्रस्तुत किया गया है।

ख. वर्ष के दौरान जुटाई गई स्तर II पूंजी और सतत ऋण लिखतों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1	स्तर -II पूंजी के रूप में उगाहे गए अधीनस्थ ऋण की राशि	910.37	-
2	स्तर I पूंजी के रूप में उगाहे गए सतत ऋण लिखतों की राशि	1,239.00	-
3	3 स्तर -II पूंजी के रूप में जुटाए गए सतत ऋण लिखतों की राशि	8.00	-

ग. वर्ष के अंत में बकाया स्तर II पूंजी और सतत ऋण लिखतों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1	स्तर -II पूंजी के रूप में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण की राशि	1,559.10	649.41
2	स्तर I पूंजी के रूप में जुटाए गए सतत ऋण उपकरणों की राशि	1,239.00	-
3	स्तर II पूंजी के रूप में जुटाए गए सतत ऋण उपकरणों की राशि	8.00	-

वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 1,247 करोड़ (पिछले वर्ष: शून्य) के सतत ऋण लिखत (पीडीआई) जारी किए हैं जिनकी कोई परिपक्वता नहीं है और जिन्हें आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से न्यूनतम 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर ही वापस किया जा सकता है।

पीडीआई धारकों के दावे इस प्रकार हैं:

1. कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों के धारकों के दावों से बेहतर; और

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

2. कंपनी के अन्य सभी लेनदारों (लेकिन पीडीआई धारकों के लिए एक साथ रूप से) के दावों के अधीन। कंपनी कूपन का भुगतान स्थगित कर सकती है, यदि:
   i. कंपनी का पूंजी जोखिम परिसंपत्ति अनुपात ("सीआरएआर") आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से कम है; या
   ii. कंपनी के सीआरएआर में ऐसे भुगतान का प्रभाव आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम हो जाता है या कम रहता है।
3. यदि जारीकर्ता द्वारा किसी कूपन भुगतान के परिणामस्वरूप शुद्ध हानि हो सकती है या जारीकर्ता की शुद्ध हानि बढ़ सकती है, तो जारीकर्ता द्वारा ऐसा कूपन भुगतान आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा और ऐसा अनुमोदन के प्राप्त होने पर किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा भुगतान करने के बाद सीआरएआर नियामक मानदंड से ऊपर बना रहे।
4. बॉण्ड्स पर कूपन ऊपर (2) में वर्णित मामलों को छोड़कर संचयी नहीं होगा।
5. लॉक-इन क्लॉज के आह्वान के सभी मामलों को जारीकर्ता द्वारा आरबीआई को सूचित किया जाएगा या लागू कानून के तहत अन्यथा आवश्यक होगा।

जारीकर्ता द्वारा लॉक-इन क्लॉज़ के आह्वान को जारीकर्ता द्वारा की गई चूक नहीं माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप बॉण्ड्स के संबंध में 'चूक की घटना' (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) नहीं होगी।

घ. लाभांश

निदेशक मंडल कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की निगरानी करता है और इसकी एक सुस्पष्ट वितरण नीति है जो कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/corporate-governance पर उपलब्ध है।

एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ("सीपीएसई") होने के नाते, कंपनी पूंजी पुनर्गठन पर सीपीएसई दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, जिसके तहत प्रत्येक सीपीएसई को कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30% या निवल संपत्ति का 4%, जो भी अधिक हो, किसी भी मौजूदा कानूनी प्रावधान के तहत सीमा के अधीन, यदि कोई हो, का भुगतान करना अनिवार्य है। एनबीएफसी जैसे वित्तीय क्षेत्र के सीपीएसई किसी भी मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत सीमा के अधीन, यदि कोई हो, कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30% के वार्षिक लाभांश का भुगतान कर सकते हैं।

कंपनी को डीआईपीएएम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश के भुगतान से छूट प्राप्त हुई है।

ग. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण				31.03.2025 को	31.03.2024 को
(1)	निवेश मूल्य				
	(i)	निवेश का सकल मूल्य			
		(क)	भारत में		
			- सहायिका कंपनी में	26.00	-
			- एमआईबीओआर से जुड़ी फ्लेक्सी जमा (अर्जित ब्याज सहित)	1.59	0.66
			- भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (उद्धृत) (अर्जित ब्याज सहित)	600.14	101.30
			- वाणिज्यिक कागजात (पूर्णत: ह्रासित)	68.99	68.99
		(ख)	भारत के बाहर	-	-
	(ii)	हानि हेतु प्रावधान			
		(क)	भारत में	68.99	68.99
		(ख)	भारत के बाहर	-	-
	(iii)	निवेश का निवल मूल्य			
		(क)	भारत में	627.73	101.96
		(ख)	भारत के बाहर	-	-
(2)	निवेश पर हानि के लिए रखे गए प्रावधानों का संचलन।				
	(i)	प्रारंभिक शेष		68.99	68.99
	(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		-	-
	(iii)	घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / वापस लिखना		-	-
	(iv)	अंतिम शेष		68.99	68.99

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

घ. व्युत्पन्नी

❖ **वादा दर संविदा / ब्याज दर स्वैप समझौता**

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2025 को	31.03.2024 को
i)	स्वैप समझौतों का काल्पनिक मूलधन*	6,590.12	7,661.03
ii)	यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियाँ	487.88	483.78
iii)	स्वैप में प्रवेश करने पर लागू एनबीएफसी द्वारा आवश्यक संपार्श्विक	लागू नहीं	लागू नहीं
iv)	स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण **	टिप्पणी देखें*	टिप्पणी देखें*
v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य	464.68	275.77

* काल्पनिक मूलधन, समापन तिथियों हेतु आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करके भारतीय रुपये में परिवर्तित विदेशी मुद्रा में सौदे की राशि को दर्शाता है।
**आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्वैप और व्युत्पन्नी एसोसिएशन (आईएसडीए) बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी भारतीय बैंक और विदेशी बैंक) के साथ स्वैप समझौते में शामिल होती है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप समझौते बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के भीतर हैं।

❖ **विनिमय व्यापार ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव्स** - शून्य

❖ **व्युत्पन्नी में जोखिम अनावरण पर प्रकटीकरण**

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) कंपनी ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और अन्य परिसंपत्ति देयता बेमेल सहित विभिन्न बाजार जोखिमों से अवहित है।

(ii) सभी व्युत्पन्नी सौदे विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति (एफएमसी) की देखरेख में किए जाते हैं। कंपनी को विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और ब्याज दर जोखिम से बचाने के लिए, कंपनी ने व्युत्पन्नी लिखत के माध्यम से ऐसे जोखिम को कम करने के लिए आईएसडीए बैंकों के साथ दीर्घकालिक समझौते किए हैं।

(iii) कंपनी मामले-दर-मामला आधार पर बचाव लिखत अपनाकर विनिमय में उतार-चढ़ाव के जोखिम से सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी की जोखिम क्षमता और प्रचलित बाजार परिदृश्य के आधार पर प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस), फॉरवर्ड आदि जैसे विभिन्न डेरिवेटिव अनुबंध किए हैं।

(iv) कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी जोखिम प्रबंधन नीति है, जो खुले जोखिम की अधिकतम स्वीकार्य सीमा को परिभाषित करती है और जो बकाया विदेशी मुद्रा ऋण के 40% से अधिक नहीं हो सकती है। 31 मार्च, 2025 तक कंपनी का विदेशी मुद्रा ऋण खुला जोखिम कुल विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम का 27.68 % (पिछले वर्ष: 22.18%) है।

ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण

31.03.2025 को

क्र. सं.	विवरण	वायदा संविदा सहित मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप सहित ब्याज दर व्युत्पन्नी
(i)	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूलधन राशि)		
	*बचाव हेतु (मिलियन में)	€ 66.12 $ 514.25 ¥ 22,791.60	$ 33.32
	मूल्य (₹ करोड़ में)	6,304.92	285.20
(ii)	मार्क दर बाजार स्थिति		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

	क) परिसंपत्ति (+) (₹ करोड़ में)	429.24	58.64
	ख) देयता (-) (₹ करोड़ में)	(23.20)	-
(iii)	ऋण प्रकटीकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	बचाव-रहित प्रकटीकरण (बकाया मूलधन राशि हेतु जिसमें आंशिक बचाव शामिल है जिसे बचाव नहीं माना जाता है) (₹ करोड़ में)	2,360.71	

*काल्पनिक मूलधन, समापन तिथियों हेतु आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करते हुए भारतीय रुपये में परिवर्तित विदेशी मुद्रा में बकाया सौदे की राशि को दर्शाता है।

31.03.2024 को

क्र. सं.	विवरण	वायदा संविदा सहित मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप सहित ब्याज दर व्युत्पन्नी
(i)	व्युत्पन्नी (काल्पनिक मूलधन राशि)		
	*बचाव हेतु (मिलियन में)	€ 134.40 $ 530.40 ¥ 28,522.57	€ 1.11 $ 37.99 ¥ 2,094.87
	मूल्य (₹ करोड़ में)	7,218.82	442.21
(ii)	बाजार स्थिति में चिह्नित		
	क) परिसंपत्ति (+) (₹ करोड़ में)	422.83	60.96
	ख) देयता (-) (₹ करोड़ में)	(197.20)	(10.82)
(iii)	ऋण प्रकटीकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	बचाव-रहित प्रकटीकरण (बकाया मूलधन राशि हेतु जिसमें आंशिक बचाव शामिल है जिसे बचाव नहीं माना जाता है) (₹ करोड़ में)	2,062.30	

*काल्पनिक मूलधन, समापन तिथियों हेतु आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करते हुए भारतीय रुपये में परिवर्तित विदेशी मुद्रा में बकाया सौदे की राशि को दर्शाता है।

ङ. परिसंपत्तियों और देयताओं के कतिपय मदों की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिपक्वता पद्धति

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	7 दिनों तक	8 से 14 दिन	14 दिनों से ऊपर -30/31 दिन	1 महीने से ऊपर-2 महीने	2 महीने से ऊपर-3 महीने	3 महीने से ऊपर-6 महीने तक	6 महीने से ऊपर-1 साल तक	1 साल से ऊपर एवं 3 साल तक	3 साल से ऊपर एवं 5 साल तक	5 साल से ऊपर	कुल
जमा	-	-	-	-	-	1.59	-	-	-	-	**1.59**
ब्याज सहित अग्रिम	0.99	-	546.41	557.28	1,843.78	3,300.11	6,500.87	22,279.86	10,207.03	30,252.10	**75,488.43**
निवेश	0.62	-	-	52.78	1.95	3.19	376.20	66.06	-	125.36	**626.16**
रुपया उधार	308.76	8.33	405.17	1,309.94	1,039.68	3,128.21	5,494.74	14,068.53	6,789.07	23,677.57	**56,230.00**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	0.32	-	-	-	-	-	-	-	**0.32**
विदेशी मुद्रा देयताएं	-	-	82.24	12.05	111.80	175.41	381.50	1,528.43	1,296.85	4,939.33	**8,527.61**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

31.03.2024 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	7 दिनों तक	8 से 14 दिन	14 दिनों से ऊपर -30/31 दिन	1 महीने से ऊपर-2 महीने	2 महीने से ऊपर-3 महीने	3 महीने से ऊपर-6 महीने तक	6 महीने से ऊपर-1 साल तक	1 साल से ऊपर एवं 3 साल तक	3 साल से ऊपर एवं 5 साल तक	5 साल से ऊपर	कुल
जमा	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.66**
ब्याज सहित अग्रिम	1.02	-	396.28	403.79	991.90	2,002.56	4,896.34	15,992.99	8,822.83	25,404.35	**58,912.06**
निवेश	-	-	-	-	1.96	-	-	-	-	99.34	**101.30**
रुपया उधार	82.62	-	229.17	419.64	1,306.69	2,450.30	3,386.20	13,050.58	4,651.65	14,819.08	**40,395.93**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.58**
विदेशी मुद्रा देयताएं	-	-	72.50	56.85	108.97	170.80	409.14	1,636.56	1,531.05	5,312.80	**9,298.67**

च. प्रकटीकरण

❖ **भूसंपदा क्षेत्र में एक्सपोजर**

31 मार्च, 2025 तक कंपनी का भूसंपदा क्षेत्र में कोई एक्सपोजर नहीं है (पिछले साल : शून्य करोड़)।

❖ **पूंजी बाजार में एक्सपोजर**

31 मार्च, 2025 तक कंपनी का पूंजी बाजार में कोई एक्सपोजर नहीं है (पिछले साल : शून्य करोड़)।

❖ **क्षेत्रीय एक्सपोजर**

क्षेत्र	31.03.2025 को समाप्त वर्ष			31.03.2024 को समाप्त वर्ष		
	कुल एक्सपोजर (तुलन पत्र और तुलन पत्र से बाहर एक्सपोजर शामिल हैं) (₹ करोड़)	सकल एनपीए (₹ करोड़ में)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर (तुलन पत्र और तुलन पत्र से बाहर एक्सपोजर शामिल हैं) (₹ करोड़)	सकल एनपीए (₹ करोड़ में)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर में सकल एनपीए का प्रतिशत
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	-	-	-	-	-	-
2. उद्योग						
i) नवीकरणीय ऊर्जा	78,700.12	1,866.25	2.37%	61,324.72	1,410.85	2.30%
उद्योग का योग (i+ii+अन्य)						
3. सेवाएँ						
अन्य	-	-	-	-	-	-
सेवाओं का योग (i+ii+अन्य)						
4. व्यक्तिगत ऋण						
अन्य	-	-	-	-	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

व्यक्तिगत ऋणों का योग (i+ii+अन्य)						
5. अन्य, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-

❖ **अंतर-समूह एक्सपोजर**

अंतर-समूह एक्सपोजर से संबंधित प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं:-

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
i	अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	-	-
ii	शीर्ष 20 अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	-	-
iii	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर में अंतर-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	-	-

❖ **बचाव रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर**

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 38(20) देखें।

छ. मूल कंपनी उत्पादों के वित्तपोषण का विवरण – लागू नहीं

❖ **लागू एनबीएफसी द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण।**

31.03.2025 को सीमा से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची

क्र. सं.	नाम	एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	%
	शून्य		

*सीमा से अधिक जोखिम की गणना के लिए, स्तर I पूंजी/स्वामित्व वाली निधियों को ₹ 9,502.68 करोड़ माना गया है, अर्थात 31 मार्च, 2024 तक स्तर 1 पूंजी ₹ 8,265.20 करोड़ है और 21 मार्च, 2025 को कंपनी द्वारा जुटाए गए सतत ऋण उपकरण (पीडीआई - स्तर 1) (जारी व्यय का शुद्ध) ₹ 1,237.48 करोड़ है।

31.03.2024 को सीमा से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची

क्र. सं.	नाम	एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	%
	शून्य		

31.12.2023 तक स्तर I पूंजी/स्वामित्व निधि ₹7,857.01 करोड़ है। *

*सीमा से अधिक जोखिम की गणना के लिए, स्तर I पूंजी/स्वामित्व वाली निधियों को ₹ 7,857.01 करोड़ माना गया है, अर्थात 31 मार्च, 2023 तक टियर 1 पूंजी ₹ 5,489.56 करोड़ है, 31 दिसंबर 2023 तक प्रतिधारित आय/लाभ में वृद्धि - ₹ 1,100.65 करोड़ और नवंबर 2023 में आईपीओ (जारी व्यय का शुद्ध) की प्रक्रिया के माध्यम से जुटाई गई निधि ₹ 1,266.80 करोड़ है।

31.03.2025 को सीमा से अधिक समूह एक्सपोजरों की सूची

क्र. सं.	समूह का नाम	एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	%
	शून्य		

*सीमा से अधिक जोखिम की गणना के लिए, स्तर I पूंजी/स्वामित्व वाली निधियों को ₹ 9,502.68 करोड़ माना गया है, अर्थात 31 मार्च, 2024 तक स्तर 1 पूंजी ₹ 8,265.20 करोड़ है और 21 मार्च, 2025 को कंपनी द्वारा जुटाए गए सतत ऋण उपकरण (पीडीआई - स्तर 1) (जारी व्यय का शुद्ध) ₹ 1,237.48 करोड़ है।

31.03.2024 को सीमा से अधिक समूह एक्सपोजरों की सूची

क्र. सं.	समूह का नाम	एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	%
	शून्य		

31.12.2023 तक स्तर I पूंजी/स्वामित्व वाली निधियाँ ₹7,857.01 करोड़ हैं।*

*सीमा से अधिक निवेश की गणना के लिए, स्तर I पूंजी/स्वामित्व वाली निधियों को ₹ 7,857.01 करोड़ माना गया है, अर्थात 31 मार्च, 2023 तक स्तर 1 पूंजी ₹ 5,489.56 करोड़ है, 31 दिसंबर, 2023 तक प्रतिधारित आय/लाभ में वृद्धि ₹ 1,100.65 करोड़ और नवंबर 2023 में आईपीओ (जारी व्यय को घटाकर) की प्रक्रिया के माध्यम से जुटाई गई निधियाँ ₹ 1,266.80 करोड़ हैं

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

ज. विविध

❖ **अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों से प्राप्त पंजीकरण:**

क्र.सं.	विनियामक का नाम	विवरण	पंजीकरण विवरण
1	कॉरपोरेट मामले मंत्रालय	कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65100DL1987GOI027265
2	भारतीय रिजर्व बैंक	पंजीकरण संख्या	14.000012
3	लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड	एलईआई संख्या	335800AXWFKW4BC99J48

❖ **कंपनी के पास निम्नलिखित विदेशी परिसंपत्तियाँ हैं:-**

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी का नाम	देश	31.03.2025 तक कुल परिसंपत्तियाँ	31.03.2024 तक कुल परिसंपत्तियाँ
इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, गुजरात, भारत	26.00	-

❖ तुलन पत्र से बाहर कंपनी द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी नहीं हैं।

❖ कंपनी भारतीय लेखा मानक - 110 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है।

झ. वर्ष के दौरान आरबीआई और अन्य विनियामकों द्वारा लगाये गए दंड का प्रकटीकरण:

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी विनियामक द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है [पिछले वर्ष : शून्य]।

ञ. शिकायतों का प्रकटीकरण: -

1) कंपनी को अपने शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

विवरण		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	04	-
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	19	2,246
ग)	वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	23	2,242
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	00	04

2) कंपनी को अपने डिबेंचर धारकों/बॉण्ड धारकों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2	28
ग)	वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	2	28
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-

3) ग्राहकों से और लोकपाल कार्यालयों से कंपनी को प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
	एनबीएफसी को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	-	-
3.	वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	-	-
3.1	इनमें से एनबीएफसी द्वारा रद्द की गई शिकायतों की संख्या	-	-
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
	लोकपाल कार्यालय से एनबीएफसी को प्राप्त होने वाली सुनवाई योग्य शिकायतें		
5.	लोकपाल कार्यालय से एनबीएफसी को प्राप्त होने वाली सुनवाई योग्य शिकायतों की संख्या	2	1*
5.1	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा एनबीएफसी के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	1*	-
5.2	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी किए गए सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	2	-
5.3	5 में से, एनबीएफसी के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा पंचाट पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	-	-
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू न किए गए पंचाटों की संख्या (उन लोगों के अलावा जिन्होंने अपील किया था)	-	-

*वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में आरबीआई सीएमएस टीम के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी; वित्तीय वर्ष 2024-25 में समाधान हो गया है।

एनबीएफसी को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार।

शिकायतों का आधार, (अर्थात निम्न से संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु					
ऋण और अग्रिम	1	1	-	-	-
पीओआई	0	1	100%	-	-
कुल	**1**	**2**	**100%**	**-**	**-**
31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु					
ऋण और अग्रिम	-	1	(100%)	1	-
कुल	**-**	**1**	**(100%)**	**1**	**-**

ट. साख श्रेणी निरधारण एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और रेटिंग का स्थानांतरण।

कंपनी ने कर योग्य/कर-मुक्त/बैंक ऋण जारी करके संसाधन उगाहे हैं, जिसके लिए उसने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों से इन निर्गमों के लिए रेटिंग प्राप्त की है। 31 मार्च, 2025 तक विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	रेटिंग एजेंसी	कर योग्य/कर-मुक्त बॉण्ड्स/उप ऋण पर दीर्घकालिक रेटिंग	सतत ऋण पर दीर्घकालिक रेटिंग	बैंक ऋण उधार पर रेटिंग
1.	आईसीआरए	आईसीआरए एएए (स्थिर)	आईसीआरए एए+ (स्थिर)	आईसीआरए एएए (स्थिर)/ आईसीआरए ए1+**
2.	सीएआरई	सीएआरई एएए (स्थिर)	लागू नहीं	सीएआरई एएए (स्थिर)

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

3.	इंडिया रेटिंग्स	इंड एएए (स्थिर)	इंड एए+ (स्थिर)	इंड एएए (स्थिर)/इंड ए1+**
4.	ब्रिकवर्क रेटिंग्स	बीडब्ल्यूआर एएए (स्थिर)	लागू नहीं	बीडब्ल्यूआर एएए (स्थिर)
5.	एक्यूइट रेटिंग	लागू नहीं	लागू नहीं	एक्यूइट एएए (स्थिर)

*टिप्पणी: बैंक उधार में अल्पकालिक ऋण शामिल हैं।
** बैंकों से अल्पकालिक उधार के लिए

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग:

क्र.सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग	अल्पकालिक जारीकर्ता रेटिंग	दृष्टिकोण
1.	एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स लिमिटेड	बीबीबी -	ए-3	स्थिर

रेटिंग का स्थानांतरण:

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	पिछली रेटिंग	वर्तमान रेटिंग	मंतव्य
1.	सीएआरई	सीएआरई एए + (सकारात्मक)	सीएआरई एएए (स्थिर)	अपग्रेड किया गया

वर्ष के दौरान, सीएआरई रेटिंग ने ऋण उपकरणों पर हमारी रेटिंग को प्रोन्नत किया है।

भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड्स को रेटिंग प्रदान की गई

रेटिंग एजेंसी	लिखत/उद्देश्य/मुद्दा	रेटिंग
सीएआरई रेटिंग्स लिमिटेड	भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड्स	एएए, स्थिर
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड		
आईसीआरए लिमिटेड		

वर्ष के दौरान भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्डों की रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ठ. जमा, अग्रिम, जोखिम और एनपीए का संकेन्द्रण

❖ **अग्रिमों का संकेन्द्रण**

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	33,708.57	25,567.40
कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	44.20 %	42.83%

❖ **एक्स्पोजर का संकेन्द्रण**

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल एक्स्पोजर (₹ करोड़ में)	34,162.59	25,567.40
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर लागू एनबीएफसी के कुल एक्स्पोजरों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए एक्स्पोजरों का प्रतिशत	43.42 %	42.83%

उपर्युक्त में शीर्ष-20 उधारकर्ताओं के संबंध में 31 मार्च, 2025 तक ₹454.01 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹102.78 करोड़) का गैर-निधि एक्स्पोजर शामिल नहीं है ।

❖ **एनपीए का संकेन्द्रण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्स्पोजर	639.64	589.31

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ क्षेत्र-वार एनपीए

क्र. सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	
		31.03.2025 को	31.03.2024 को
1.	कृषि व संबद्ध गतिविधियाँ	-	-
2.	एमएसएमई	-	-
3.	कॉरपोरेट उधारकर्ता	2.45 %	2.36 %
4.	सेवाएँ	-	-
5.	असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण	-	-
6.	ऑटो ऋण	-	-
7.	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

टिप्पणी – कंपनी कॉरपोरेट उधारकर्ता को आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण के व्यवसाय में युक्त है, इसलिए सकल एनपीए % का योग कॉरपोरेट उधारकर्ता में दिखाया गया है।

❖ एनपीए संचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण		31.03.2025 को	31.03.2024 को
(i)	निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%)		1.35%	0.99%
(ii)	एनपीए संचलन(सकल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	1,410.85	1,513.35
	(ख)	वर्ष के दौरान संयोजन	669.51	44.34
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	214.11	146.84
	(घ)	अंतिम शेष	1,866.25	1,410.85
(iii)	निवल एनपीए का संचलन			
	(क)	प्रारंभिक शेष	581.21	768.02
	(ख)	वर्ष के दौरान संयोजन	560.44	12.62
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	120.99	199.43
	(घ)	समापन शेष	1,020.66	581.21
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधानों का संचलन (मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	829.64	745.33
	(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	153.47	157.62
	(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/वापस लेना	137.52	73.31
	(घ)	अंतिम शेष	845.59	829.64

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 38(41) भी देखें।

ड. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचा

i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा और उधार दोनों) के आधार पर वित्तपोषण संकेन्द्रण

क्र. सं.	अवधि	महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष की संख्या*	राशि (₹ करोड़ में)	कुल जमा का %	कुल देयताओं का %
1	31.03.2025 को	33	55,196.93	लागू नहीं	79.46%
2.	31.03.2024 को	28	43,361.14	लागू नहीं	80.24%

*टिप्पणी:

- एक"महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष"को एक एकल प्रतिपक्ष या जुड़े हुए या संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कुल मिलाकर कंपनी की कुल देयताओं का 1% से अधिक हिस्सा लेते हैं।
- कुल देयताओं की गणना कुल परिसंपत्तियों में से इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षित निधि और अधिशेष को घटाकर की गई है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

ii) शीर्ष 20 बड़ी जमा

अवधि	बड़ी जमा	राशि (₹ करोड़ में)	कुल जमा का %
31.03.2025 को	लागू नहीं		
31.03.2024 को			

iii) शीर्ष 10 उधार

31.03.2025 को

क्र. सं.	उधार	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधार का %
1	भारतीय स्टेट बैंक से ऋण*	11,933.17	18.43%
2	पंजाब नेशनल बैंक से ऋण	3,106.09	4.80%
3	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से ऋण	2,946.65	4.55%
4	यूरोपीयन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से ऋण	2,564.96	3.96%
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऋण	2,069.09	3.20%
6	7.37% इरेडा कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XVI-च	2,000.00	3.09%
7	बैंक ऑफ इंडिया से ऋण	1,968.23	3.04%
8	7.94% इरेडा कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XII-घ	1,500.00	2.32%
9	7.44% इरेडा कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XVI-ख	1,500.00	2.32%
10	7.36% इरेडा कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XVI-घ	1,500.00	2.32%

*इसमें बैंक ऋण, अल्पावधि ऋण और ओवरड्राफ्ट/सीसी सीमा शामिल है

As on 31.03.2024

क्र. सं.	उधार	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधार का %
1	भारतीय स्टेट बैंक	9,219.09	18.55%
2	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए)	3,021.62	6.08%
3	बैंक ऑफ इंडिया	2,718.74	5.47%
4	यूरोपीयन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी)	2,717.76	5.47%
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2,350.00	4.73%
6	नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी)	2,050.00	4.13%
7	पंजाब नेशनल बैंक	1,631.25	3.28%
8	7.94% इरेडा कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XII-घ	1,500.00	3.02%
9	एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	1,222.82	2.46%
10	7.53% इरेडा कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XV-च	1,222.00	2.46%

iv) महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद के आधार पर वित्तपोषण संकेन्द्रण।

31.03.2025 को

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1.	बैंकों से सावधि ऋण (रक्षित)	26,102.18	37.57%
2.	कर योग्य बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (अरक्षित)*	22,066.14	31.76%
3.	अन्य से सावधि ऋण (अरक्षित)	3,678.15	5.29%

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

4.	कर योग्य बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (रक्षित)*	3,818.00	5.50%
5.	कर-मुक्त बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (रक्षित)	2,576.60	3.71%
6.	बैंकों से सावधि ऋण (अरक्षित)	3,709.16	5.34%
7.	अधीनस्थ देयताएँ*	2,807.37	4.04%

*अंकित मूल्य पर

31.03.2024 को

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1.	बैंकों से सावधि ऋण (रक्षित)	23,305.85	43.13%
2.	कर योग्य बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (अरक्षित)	11,326.14	20.96%
3.	अन्य से सावधि ऋण (अरक्षित)	6,807.20	12.60%
4.	कर योग्य बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (रक्षित)	3,818.00	7.07%
5.	कर-मुक्त बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (रक्षित)	2,576.60	4.77%
6.	बैंकों से सावधि ऋण (अरक्षित)	1,128.16	2.09%
7.	अधीनस्थ देयताएँ	650.00	1.20%

टिप्पणी:

- एक"महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष"को एक एकल प्रतिपक्ष या जुड़े हुए या संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कुल मिलाकर कंपनी की कुल देयताओं का 1% से अधिक हिस्सा लेते हैं।
- कुल देयताओं की गणना कुल परिसंपत्तियों में से इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षित निधि और अधिशेष को घटाकर की गई है।
- एक"महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद"को समान लिखतों/उत्पादों के समूह के एकल लिखत /उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कुल मिलाकर कंपनी की कुल देयताओं के 1% से अधिक है।

v) स्टॉक अनुपात:

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	कुल सार्वजनिक निधियों के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
2	कुल देयताओं के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
3	कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
4	कुल सार्वजनिक निधियों के % के रूप में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम)	लागू नहीं	लागू नहीं
5	कुल देयताओं के % के रूप में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम)	लागू नहीं	लागू नहीं
6	कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम)	लागू नहीं	लागू नहीं
7	कुल सार्वजनिक निधियों के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कोई हों,	2.24 %	2.78%
8	कुल देनदारियों के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कोई हों	2.09 %	3.02%
9	कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कोई हों	1.82 %	2.40%

टिप्पणी : अन्य अल्पकालिक देनदारियों की गणना व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों, व्यापार देयताओं, अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय देनदारियों के योग के रूप में की गई है, जिसमें परिपक्वता के आधार पर भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड्स शामिल नहीं हैं।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

vi) चल निधि जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था

कंपनी के निदेशक मंडल ने परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और निवेश समिति का गठन किया है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, परिसंपत्ति देयता प्रोफ़ाइल, जोखिम निगरानी प्रणाली, चल निधि जोखिम प्रबंधन, वित्तपोषण और पूंजी नियोजन, लाभ नियोजन और विकास अनुमानों, विभिन्न परिदृश्यों का पूर्वानुमान और विश्लेषण और आकस्मिक योजनाओं की तैयारी की समीक्षा करती है।

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी के जोखिम प्रोफ़ाइल की निगरानी और माप करती है और कंपनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली की देखरेख करती है। कंपनी पर्याप्त नकद/कोषागार अधिशेष बनाए रखकर चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। प्रबंधन नियमित रूप से नकद और नकद समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय ऋण वित्तपोषण योजनाओं और तुलन पत्र चल निधि के रखरखाव सहित वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन किया जाता है।

ढ. चल निधि कवरेज अनुपात पर प्रकटीकरण: -

आरबीआई ने अपने मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, के माध्यम से एनबीएफसी के लिए चल निधि जोखिम प्रबंधन को कवर करने वाले दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें आरबीआई ने ₹5,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाले सभी गैर-जमा लेने वाले एनबीएफसी पर लागू चल निधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रस्तुत किया। दिशा-निर्देशों का उद्देश्य एलसीआर के संदर्भ में एक चल निधि सुरक्षा बनाये रखना है और यह सुनिश्चित करके कि उनके पास अगले 30 दिनों तक चलने वाले किसी भी तीव्र चल निधि दबावग्रस्त परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) है। दिशा-निर्देश के अनुसार, एलसीआर को अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल निवल नकद बहिर्वाह (दबावग्रस्त बहिर्वाह कम दबावग्रस्त अंतर्वाह) से विभाजित उच्च-गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) के स्टॉक द्वारा दर्शाया जाता है। एचक्यूएलए को आरबीआई द्वारा चल निधि परिसंपत्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है या कम/बिना किसी मूल्य हानि के तुरंत नकद में परिवर्तित किया जा सकता है या दबाव की स्थिति में धन प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

कंपनी ने 01 दिसंबर, 2020 से एलसीआर आवश्यकता का अनुपालन किया है, जो कि 50% के न्यूनतम एलसीआर की निर्धारित आवश्यकता के विरुद्ध है, जो 1 दिसंबर, 2024 तक 100% के आवश्यक स्तर तक उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। कंपनी केवल भारतीय रुपये में एलसीआर बनाये रख रही है; इसलिए कोई मुद्रा बेमेल नहीं है।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां		पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2024)		दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2024)		तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2024)		चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2025)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)	389.17	389.17	754.46	754.46	750.27	750.27	726.57	726.57
	- सरकारी क्षेत्र / राज्य विकास ऋण (एसडीएल) / विशेष प्रतिभूतियां	300.66	300.66	636.00	636.00	656.74	656.74	649.42	649.42
	-नकद एवं नकद समकक्ष	88.51	88.51	118.46	118.46	93.53	93.53	77.15	77.15
नकद बहिर्वाह									
2	जमा (जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों हेतु)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	अरक्षित थोक वित्तपोषण	-	-	-	-	-	-	-	-
4	रक्षित थोक वित्तपोषण	-	-	-	-	-	-	-	-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	-	-	-	-	-	-	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(i)	व्युत्पन्नी जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	ऋण उत्पादों पर वित्तपोषण के नुकसान से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण और चल निधि सुविधाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	1,138.23	1,308.96	1,712.85	1,969.78	2,099.38	2,414.29	1,802.79	2,073.21
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	-	-	-	-	-	-	23.76	27.32
8	**कुल नकद बहिर्वाह**	**1,138.23**	**1,308.96**	**1,712.85**	**1,969.78**	**2,099.38**	**2,414.29**	**1,826.55**	**2,100.54**
नकद अंतर्वाह									
9	रक्षित उधार	-	-	-	-	-	-	-	-
10	पूरी तरह से निष्पादित जोखिमों से अंतर्वाह	1,010.04	757.53	1,525.92	1,144.44	1,338.63	1,003.97	2,114.41	1,585.81
11	अन्य नकद अंतर्वाह*	4,078.17	3,048.63	5,566.20	4,174.65	3,883.16	2,912.37	4,590.02	3,442.52
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**5,088.21**	**3,816.16**	**7,092.12**	**5,319.09**	**5,221.79**	**3,916.34**	**6,704.43**	**5,028.33**
			कुल समायोजित मूल्य		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**
13	कुल एचक्यूएलए		389.17		754.46		750.27		726.57
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		327.24		492.44		603.57		525.13
15	चल निधि कवरेज अनुपात (%)		119%		153%		124%		138 %

*ऋण की लाइनें - ऋण/ चल निधि /अन्य आकस्मिक सुविधाएं

31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां		**पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2023)**		**दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2023)**		**तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2023)**		**चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2024)**	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल अभारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल अभारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल अभारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए) **	296.41	296.41	912.65	912.65	957.78	957.78	986.16	986.16
नकद बहिर्वाह									
2	जमा (जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों हेतु)	-	-	-	-	-	-	-	-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

3	अरक्षित थोक वित्तपोषण	470.76	541.37	105.84	121.72	195.46	224.78	787.36	905.46
4	रक्षित थोक वित्तपोषण	416.71	479.22	468.18	538.41	519.80	597.77	882.05	1,014.35
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	-	-	-	-	-	-	-	-
(i)	व्युत्पन्नी जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	27.74	31.90	80.30	92.35	24.15	27.78	27.80	31.98
(ii)	ऋण उत्पादों पर वित्तपोषण के नुकसान से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण और चल निधि सुविधाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	28.10	32.32	5.78	6.65	-	-	0.92	1.06
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	-	-	-	-	-	-	-	-
8	**कुल नकद बहिर्वाह**	**943.31**	**1,084.81**	**660.10**	**759.13**	**739.41**	**850.33**	**1,698.13**	**1,952.85**
नकद अंतर्वाह									
9	**सुरक्षित उधार**	**947.90**	**710.92**	**709.36**	**532.02**	**939.67**	**704.75**	**1,164.12**	**873.09**
10	पूरी तरह से निष्पादित जोखिमों से अंतर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
11*	अन्य नकद अंतर्वाह	-	-	-	-	-	-	2,892.38	2,169.28
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**947.90**	**710.92**	**709.36**	**532.02**	**939.67**	**704.75**	**4,056.50**	**3,042.37**
			कुल समायोजित मूल्य		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**
13	कुल एचक्यूएलए		296.41		912.65		957.78		986.16
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		373.89		227.11		212.58		488.21
15	चल निधि कवरेज अनुपात (%)		79%		402%		451%		202%

*ऋण की लाइनें - ऋण/ चल निधि /अन्य आकस्मिक सुविधाएं

** एचक्यूएलए में सरकारी प्रतिभूतियाँ, बैंकों के साथ सावधि और मांग जमा, नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

ण. आरबीआई की आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और भारतीय लेखा मानक 109 'वित्तीय उपकरण' के अनुसार हानि भत्ते की तुलना।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अधीन आवश्यक अनुसार हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5) =(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादित परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	71,685.96	329.66	71,356.30	804.80	243.64
	चरण 2	2,633.30	718.78	1,914.52		
उप-योग		**74,319.26**	**1,048.44**	**73,270.82**	**804.80**	**243.64**
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
घटिया	चरण 3	703.65	128.38	575.27	70.36	58.02
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 3	11.98	7.41	4.57	8.71	(1.30)
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	1,150.59	709.76	440.83	868.09	(158.33)
संदिग्ध के लिए उप-योग		**1,162.57**	**717.17**	**445.40**	**876.80**	**(159.63)**
हानि	चरण 3	0.03	0.03	-	0.03	-
एनपीए के लिए उप-योग		**1,866.25**	**845.58**	**1,020.67**	**947.19**	**(101.61)**
गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएँ आदि जैसी अन्य मद जो भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	2,418.47	26.21	2,392.26	-	26.21
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-योग		**2,418.47**	**26.21**	**2,392.26**	**-**	**26.21**
	चरण 1	74,104.43	355.87	73,748.56	804.80	269.85
	चरण 2	2,633.30	718.78	1,914.52		
	चरण 3	1,866.25	845.58	1,020.67	947.19	(101.61)
	कुल योग	**78,603.98**	**1,920.23**	**76,683.75**	**1,751.99**	**168.24**

* इसमें पुनर्गठित और सामान्य प्रावधान के लिए प्रावधान शामिल हैं।

₹12.28 करोड़ के एनपीए खाते में आकस्मिक शुल्क (नामे शेष) पर प्रावधान को छोड़कर।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अधीन आवश्यक अनुसार हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5) =(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादन परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	56,062.30	270.98	55,791.32	651.94*	194.35
	चरण 2	2,124.43	575.30	1,549.13		
उप-योग		**58,186.73**	**846.28**	**57,340.45**	**651.94**	**194.35**
गैर-निष्पादन परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
अवमानक	चरण 3	41.94	12.62	29.32	4.19	8.43
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	7.11	4.22	2.89	7.11	(2.89)
1 से 3 वर्ष	चरण 3	69.72	41.60	28.12	21.19	20.41
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	1,292.06	771.18	520.88	908.55	(137.37)
संदिग्ध हेतु उप-योग		**1,368.89**	**817.00**	**551.89**	**936.85**	**(119.85)**
हानि	चरण 3	0.03	0.03	-	0.03	-
एनपीए हेतु उप-योग		**1,410.86**	**829.65**	**581.21**	**941.07**	**(111.43)**
गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएँ आदि जैसी अन्य मद जो भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	1,626.61	9.53	1,617.08	-	9.53
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-योग		**1,626.61**	**9.53**	**1,617.08**	**-**	**9.53**
	चरण 1	57,688.92	280.52	57,408.40	651.94	203.88
	चरण 2	2,124.43	575.30	1,549.13		
	चरण 3	1,410.86	829.65	581.21	941.07	(111.43)
	कुल योग	**61,224.20**	**1,685.46**	**59,538.74**	**1,593.01**	**92.45**

* इसमें पुनर्गठित और सामान्य प्रावधान हेतु प्रावधान शामिल हैं

₹11.80 करोड़ के एनपीए खाते में आकस्मिक शुल्क (नामे शेष) पर प्रावधान को छोड़कर

त. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अर्जित ऋणों के शून्य रिपोर्ट योग्य मामले हैं (पिछले वर्ष: शून्य) जिन्हें मास्टर निर्देश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निर्देश, 2021 दिनांक 24 सितंबर 2021 के अधीन रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

थ. निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को दिए गए ऋणों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
निदेशक और उनके रिश्तेदार*	-	-
निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी संस्थाएँ	-	-
वरिष्ठ अधिकारी और उनके रिश्तेदार	-	-

*संबंधित निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

द. मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 के अनुलग्नक VIII में निर्धारित अनुसार जानकारी/विवरण

इरेडा के तुलन पत्र की अनुसूची (31.03.2025 को)

(₹ करोड़ में)

विवरण			31.03.2025 को	
देनदारी पक्ष			**बकाया राशि**	**अतिदेय राशि**
1	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिये गए ऋण और अग्रिम, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया:**			
	(क)	डिबेंचर: रक्षित	6,520.93	-
		: अरक्षित	25,520.81	-
		(सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने वालों को छोड़कर)		
	(ख)	आस्थगित ऋण	-	-
	(ग)	सावधि ऋण	33,424.43	-
	(घ)	अंतर-कॉरपोरेट ऋण और उधार	-	-
	(ङ)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
	(च)	सार्वजनिक जमा	-	-
	(छ)	अन्य ऋण - ओवरड्राफ्ट	222.92	-
2	**उपर्युक्त (1)(च) का विवरण (बकाया सार्वजनिक जमा, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया) :**			
	(क)	अरक्षित डिबेंचर के रूप में	-	-
	(ख)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर के रूप में, यानी ऐसे डिबेंचर, जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
	(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा	-	-
परिसम्पत्ति पक्ष			**बकाया राशि**	
3	**बिल प्राप्य सहित ऋण और अग्रिम का विवरण [नीचे (4) में शामिल किए गए को छोड़कर]:**			
		रक्षित	63,291.99	
		अरक्षित	12,885.86	
4	**पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों और किराये पर स्टॉक तथा अन्य परिसंपत्तियों का ब्यौरा, जो एएफसी गतिविधियों में शामिल हैं**			
	(i)	विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टे के किराये सहित पट्टे की परिसंपत्तियां		
	(क)	वित्तीय पट्टा		-
	(ख)	परिचालन पट्टा		-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

	(ii)	विविध देनदारों के अंतर्गत किराये के शुल्क सहित किराये पर स्टॉक:		
		(क)	किराये पर परिसंपत्तियां	-
		(ख)	पुनः प्राप्त परिसंपत्तियां	-
	(iii)	एएफसी गतिविधियों में शामिल अन्य ऋण		
		(क)	ऐसे ऋण, जहां परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त किया गया है	-
		(ख)	उपर्युक्त (क) के अलावा अन्य ऋण	-
5	**निवेशों का ब्यौरा**			
	वर्तमान निवेश			
	1.	**उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) वरीयता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड्स	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	434.72
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	**गैर उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) वरीयता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड्स	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
		अल्पकालिक जमा (भारतीय रुपये)		1.59
		वाणिज्यिक पत्र (पूर्ण रूप से प्रदान की गई हानि)		68.99
	दीर्घकालिक निवेश			
	1.	**उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) वरीयता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड्स	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	165.42
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	**गैर-उद्धृत**		
	(i)	शेयर		
		(क)	इक्विटी	26.00
		(ख)	वरीयता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड्स		-
	(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		-
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

उपर्युक्त (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूहवार वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

6	**श्रेणी**			**राशि (प्रावधान का निवल) (₹ करोड़ में)**		
				रक्षित	**अरक्षित**	**कुल**
	1	संबंधित पक्ष				
		(क)	सहायक कंपनियां	-	-	-
		(ख)	समान समूह की कंपनियां	-	-	-
		(ग)	अन्य संबंधित पक्ष	1.25	-	1.25
	2	संबंधित पक्षों के अलावा अन्य		62,432.88	12,885.86	75,318.74
	कुल			**62,434.13**	**12,885.86**	**75,319.99**

7	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर-उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण:**				
	श्रेणी			**बाजार मूल्य/ ब्योरा या उचित मूल्य या एनएवी**	**बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)**
	1	संबंधित पक्ष			
		(क)	सहायक कंपनियां	26.00	26.00
		(ख)	समान समूह की कंपनियां	-	-
		(ग)	अन्य संबंधित पक्ष	-	-
	2	संबंधित पक्षों के अलावा अन्य		596.55	601.72
	कुल			**622.55**	**627.72**

8	**अन्य जानकारी**			
	विवरण			**राशि (₹ करोड़ में)**
	(i)	सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ		
		(क)	संबंधित पक्ष	51.11*
		(ख)	संबंधित पक्षों के अलावा अन्य	1,815.14
	(ii)	निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ		
		(क)	संबंधित पक्ष	27.52*
		(ख)	संबंधित पक्षों के अलावा अन्य	993.15
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अर्जित परिसंपत्तियाँ		-

*मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) से संबंधित मामला, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, जिसका 31 मार्च, 2025 तक ऋण बकाया ₹51.11 करोड़ है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

इरेडा के तुलन पत्र की अनुसूची (31.03.2024 को)

(₹ करोड़ में)

विवरण				31.03.2024 को	
देनदारी पक्ष				**बकाया राशि**	**अतिदेय राशि**
1	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिये गए ऋण और अग्रिम, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया:**				
		(क)	डिबेंचर: रक्षित	6,521.42	-
			: अरक्षित	12,247.11	-
			(सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने वालों को छोड़कर)		
		(ख)	आस्थगित ऋण	-	-
		(ग)	सावधि ऋण	31,433.14	-
		(घ)	अंतर-कॉरपोरेट ऋण और उधार	-	-
		(ङ)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
		(च)	सार्वजनिक जमा	-	-
		(छ)	अन्य ऋण - ओवरड्राफ्ट	82.62	-
2	**उपर्युक्त (1)(च) का विवरण (बकाया सार्वजनिक जमा, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया):**				
		(क)	अरक्षित डिबेंचर के रूप में	-	-
		(ख)	आंशिक रूप से रक्षित डिबेंचर के रूप में, यानी ऐसे डिबेंचर, जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
		(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा	-	-
परिसम्पत्ति पक्ष				**बकाया राशि**	
3	**बिल प्राप्य सहित ऋण और अग्रिम का विवरण [नीचे (4) में शामिल किए गए को छोड़कर]:**				
		(क)	रक्षित	53,129.24	
		(ख)	अरक्षित	6,487.30	
4	**पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों और किराये पर स्टॉक तथा अन्य परिसंपत्तियों का ब्यौरा, जो एएफसी गतिविधियों में शामिल हैं**				
	(i)	विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टे के किराये सहित पट्टे की परिसंपत्तियां			
		(क)	वित्तीय पट्टा	-	
		(ख)	परिचालन पट्टा	-	
	(ii)	विविध देनदारों के अंतर्गत किराये के शुल्क सहित किराये पर स्टॉक:			
		(क)	किराये पर परिसंपत्तियां	-	
		(ख)	पुनः प्राप्त परिसंपत्तियां	-	
	(iii)	एएफसी गतिविधियों में शामिल अन्य ऋण			
		(क)	ऐसे ऋण, जहां परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त किया गया है	-	
		(ख)	उपर्युक्त (क) के अलावा अन्य ऋण	-	
5	**निवेशों का ब्यौरा**				
	वर्तमान निवेश				
	1.	**उद्धृत**			
		(i)	शेयर		
			(क) इक्विटी	-	
			(ख) वरीयता	-	
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-	

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	**गैर उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) वरीयता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड्स	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
		अल्पकालिक जमा (भारतीय रुपये)		0.66
		वाणिज्यिक पत्र (पूर्ण रूप से प्रदान की गई हानि)		68.99
	दीर्घकालिक निवेश			
	1.	**उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) वरीयता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड्स	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	101.30
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	**गैर-उद्धृत**		
	(i)	शेयर		
		(क)	इक्विटी	-
		(ख)	वरीयता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड		-
	(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		-
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-

उपर्युक्त (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूहवार वर्गीकरण

	श्रेणी			**राशि (प्रावधान का निवल) (₹ करोड़ में)**		
				रक्षित	**अरक्षित**	**कुल**
6	**1**	संबंधित पक्ष				
		(क)	सहायक कंपनियां	-	-	-
		(ख)	समान समूह की कंपनियां	-	-	-
		(ग)	अन्य संबंधित पक्ष	0.12	-	0.12
	2	संबंधित पक्षों के अलावा अन्य		52,287.67	6,487.30	58,774.97
	कुल			**52,287.79**	**6,487.30**	**58,775.09**

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

7	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर-उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण:**				
	श्रेणी			**बाजार मूल्य/ ब्योरा या उचित मूल्य या एनएवी**	**बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)**
	1	संबंधित पक्ष			
		(क)	सहायक कंपनियां		
		(ख)	समान समूह की कंपनियां	-	-
		(ग)	अन्य संबंधित पक्ष	-	-
	2	संबंधित पक्षों के अलावा अन्य		95.66	101.96
	कुल			**95.66**	**101.96**
8	**अन्य जानकारी**				
	विवरण				**राशि (₹ करोड़ में)**
	(i)	सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ			
		(क)	संबंधित पक्ष		-
		(ख)	संबंधित पक्षों के अलावा अन्य		1,410.85
	(ii)	निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ			
		(क)	संबंधित पक्ष		-
		(ख)	संबंधित पक्षों के अलावा अन्य		581.21
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अर्जित परिसंपत्तियाँ			-

अतिरिक्त प्रकटीकरण

क. विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर – वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 38(48च) देखें

ख. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण - वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 38(9) देखें

ग. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, लिए गए ऋणों या जारी की गई ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में अनुबंधों के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया है (पिछले वर्ष: शून्य)

घ. वित्त वर्ष 2024-25 में परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन - शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

ङ. लेखा-परीक्षकों द्वारा व्यक्त संशोधित राय, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण, विभिन्न वित्तीय मदों पर इसका प्रभाव और 31 मार्च, 2025 तक लेखा-परीक्षा योग्यताओं पर प्रबंधन के विचार - शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

च. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए असाधारण प्रकृति की आय और व्यय की मदें - शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

छ. शिकायतों का प्रकटीकरण - वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 38(48ञ) देखें।

ज. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीति में परिवर्तन - शून्य

झ. लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्षक के अधीन दिखाए गए 'प्रावधान और आकस्मिकताओं' का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	-	-
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान*	202.16	(160.86)
एनपीए हेतु प्रावधान**	15.95	84.31
आयकर हेतु किए गए प्रावधान	476.22	413.03
आस्थगित कर हेतु किए गए प्रावधान	(65.85)	19.98
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएँ		

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

गैर-निधि आधारित जोखिम और अन्य पर अपेक्षित ऋण हानि हेतु प्रावधान	17.15	9.33
गारंटी कमीशन पर कर और अन्य हेतु प्रावधान	6.26	8.94

* भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप ईसीएल मॉडल पर आधारित चरण 1 और चरण 2 ऋण परिसंपत्तियों पर हानि को दर्शाता है।

** भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप ईसीएल मॉडल पर आधारित चरण 3 ऋण परिसंपत्तियों पर हानि को दर्शाता है।

49. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) और 53(च) द्वारा अपेक्षित अनुसार प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

सहयोगी		31.03.2025 को समाप्त वर्ष		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	
		31.03.2025 को राशि	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	31.03.2024 को राशि	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि
1	ऋण और ऋण की प्रकृति में अग्रिम	शून्य		शून्य	
क)	सहयोगियों को				
ख)	उन कंपनियों को जिनमें निदेशकों की रुचि है				

50. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 52(4) के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के अनुसार/हेतु	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के अनुसार/हेतु
1	कर्ज़ इक्विटी अनुपात[1]	गुणा	6.31	5.80
2	बकाया मोचनीय अधिमान्यता शेयर	₹ करोड़ में	-	-
3	डिबेंचर मोचनीय आरक्षित निधि	₹ करोड़ में	439.01	397.75
4	निवल मूल्य[2]	₹ करोड़ में	10,266.16	8,559.43
5	कर पश्चात निवल लाभ	₹ करोड़ में	1,698.60	1,252.23
6	प्रति शेयर आय	₹ प्रति शेयर	6.32	5.16
7	कुल परिसम्पत्तियों पर कुल ऋण[3]	गुणा	0.81	0.79
8	परिचालन मार्जिन प्रतिशत[4]	%	31.02 %	33.92%
9	निवल लाभ मार्जिन प्रतिशत[5]	%	25.15 %	25.22%
10	क्षेत्र विशिष्ट समतुल्य अनुपात			
	-सीआरएआर[6]	%	17.77 %	[15.51%][6]
	-सकल गैर-निष्पादन परिसंपत्ति अनुपात[7]	%	2.45 %	2.36%
	-निवल गैर-निष्पादन परिसंपत्ति अनुपात[8]	%	1.35 %	0.99%

टिप्पणी :

1. ऋण/इक्विटी अनुपात = कुल ऋण/निवल मूल्य
2. निवल संपत्ति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(57) में परिभाषित अनुसार की जाती है।
3. कुल ऋण से कुल परिसंपत्तियां = कुल ऋण / कुल परिसंपत्तियां
4. परिचालनगत मार्जिन - कर पूर्व शुद्ध परिचालनगत लाभ / परिचालन से कुल राजस्व
5. शुद्ध लाभ मार्जिन = कर पश्चात शुद्ध लाभ / कुल आय
6. सीआरएआर = कुल पूंजी निधि (टियर I पूंजी + टियर II पूंजी) / जोखिम भारित परिसंपत्तियां, जिनकी गणना आरबीआई के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है। 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी का रिपोर्ट किया गया सीआरएआर 20.11% था, जिसमें 18.08% की टियर I पूंजी और 2.03% की टियर II पूंजी शामिल थी। यह गणना कंपनी द्वारा वित्तपोषित चालू अक्षय ऊर्जा अवसंरचना परियोजना परिसंपत्तियों को सौंपे गए 50% जोखिम भार पर आधारित थी, जो अपनी वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) तक पहुँच चुकी थी और एक वर्ष से अधिक समय से चालू थी। हालाँकि, 31 मार्च, 2025 से प्रभावी, कंपनी ने इन परिसंपत्तियों पर 100% जोखिम भार लागू किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 तक इसी अवधि का सीआरएआर पुनः घोषित किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

7. सकल गैर-निष्पादन परिसंपत्ति अनुपात = सकल गैर- निष्पादन परिसंपत्तियाँ / सकल ऋण परिसंपत्तियाँ
8. शुद्ध गैर-निष्पादन परिसंपत्ति अनुपात = शुद्ध गैर- निष्पादन परिसंपत्तियाँ / शुद्ध ऋण परिसंपत्तियाँ

51. आंकड़े नज़दीकी करोड़ रुपये (₹) में पूर्णांकित किए गए हैं (शेयरों की संख्या और ईपीएस को छोड़कर)। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहीकृत किया गया है। 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष क्रम से वित्त वर्ष 25 और वित्त वर्ष 24 के लिए वर्ष-दर-वर्ष (वाईटीडी) आंकड़ों को संदर्भित करता है। 0.00 में दिए गए आंकड़े ₹50,000 से कम मूल्य को दर्शाते हैं।

सम तिथि की हमारे लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार
कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989एन

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षर/-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या 08816532

हस्ताक्षर/-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07448576

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15.04.2025

हस्ताक्षर/-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण,

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखपरीक्षा पर प्रतिवेदन

राय

हमने **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड** (जिसे आगे "होल्डिंग कंपनी" कहा जाएगा) के साथ दिए गए समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक का समेकित तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकद प्रवाह का समेकित विवरण और उस वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे "समेकित वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("इंड एएस") के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2025 तक समूह के मामले की समेकित स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित कुल व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन तथा इसके समेकित नकद प्रवाह सहित उनके समेकित लाभ का एक सही तथा निष्पक्ष विवरण देते हैं।

राय हेतु आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा मानकों ("एसएएस") के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारे प्रतिवेदन के 'समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियां' अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के अधीन समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की नैतिक संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य तथा सहायक कंपनी के अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं।

मामले पर जोर

हम आपका ध्यान निम्नलिखित मामलों की ओर आकर्षित करते हैं:

1. जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 38 (41) में वर्णित है, होल्डिंग (धारक) कंपनी ने कुल ₹1,202.21 करोड़ के कुछ ऋणों को वर्गीकृत किया है, जिन्हें आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार चरण III/गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में चरण II/मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक था। तदनुसार वैधानिक प्रकटीकरण किए गए हैं। हालांकि, विवेक के मामले में, आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एनपीए बनने वाले ऐसे खातों पर ब्याज आय को संग्रह के आधार पर मान्यता दी गई है और तदनुसार खातों में क्षति हानि के लिए भत्ता दिया गया है।
2. जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 49 (ब)(क) में वर्णित है, 31 मार्च 2024 तक, होल्डिंग कंपनी का रिपोर्ट किया गया सीआरएआर 20.11% था। यह गणना होल्डिंग कंपनी द्वारा वित्तपोषित, चालू अक्षय ऊर्जा अवसंरचना परियोजना परिसंपत्तियों को सौंपे गए 50% जोखिम भार पर आधारित थी, जो अपनी वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) तक पहुँच चुकी थीं और एक वर्ष से अधिक समय से परिचालन में थीं। हालाँकि, 31 मार्च 2025 तक, कंपनी ने इन परिसंपत्तियों पर 100% जोखिम भार लागू किया है। तदनुसार, 31 मार्च 2024 तक इसी अवधि का सीआरएआर 15.51% तक पुनः घोषित किया गया है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए प्रमुख लेखा-परीक्षा मामलों के रूप में माना है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षक का प्रत्युत्तर
1.	**ऋण परिसंपत्तियों की क्षति - अपेक्षित ऋण हानि** होल्डिंग कंपनी का प्रमुख व्यवसाय वित्तपोषण है और क्षति के कारण होने वाली हानि के प्रावधान पर विचार करने के बाद उचित मूल्य पर ऋण परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड में सम्बंधित व्यक्ति बोर्ड द्वारा अनुमोदित पद्धति का अनुसरण करते हैं, जिसमें ऋण जोखिम और क्षति के साक्ष्य के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करते हुए, एक बाहरी एजेंसी द्वारा क्षति के लिए अनुमति का आकलन कुछ मानदंडों/ढांचे के आधार पर किया जाता है। परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि अनुमति (ईसीएल) के मापन के लिए, चूक की संभावनाओं (पीडी), चूक के कारण हानि (एलजीडी) और चूक पर जोखिम (ईएडी) का अनुमान लगाने के लिए जटिल मॉडलों और भावी आर्थिक स्थितियों और ऋण व्यवहार (जैसे, ग्राहकों द्वारा चूक करने और परिणामी हानि की संभावना) के बारे में महत्वपूर्ण मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। ये मॉडल और मान्यताएँ क्षति हानि को मापने के लिए प्रमुख चालक हैं। ईसीएल का आकलन करते समय होल्डिंग कंपनी का प्रबंधन महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और ईसीएल में अंतर्निहित मान्यताओं की समय-समय पर निगरानी और समीक्षा की जाती है। ऐसी मान्यताओं का उचित अनुप्रयोग ऋण परिसंपत्तियों के विवरण के लिए महत्वपूर्ण है। समेकित वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि की महत्ता को देखते हुए, ऋण परिसंपत्तियों की क्षति के कारण होने वाली हानि को हमारी लेखा-परीक्षा में मुख्य लेखा-परीक्षा मामले माना गया है। समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणी संख्या 38 (20) (अ) (ii) (क) देखें, जिसे लेखांकन नीति संख्या 3(xxiii) - 'वित्तीय साधन' के साथ पढ़ें।	**हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएँ, जिनके आधार पर हम प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता और ऋण परिसंपत्तियों की क्षति - अपेक्षित ऋण हानि के लेखांकन के संबंध में निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** हमने भारतीय लेखा मानक 109 "वित्तीय उपकरण" में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों, विभिन्न नियामक अद्यतनों, आईसीएआई के मार्ग-दर्शन और ईसीएल के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त कर ली है और निम्नलिखित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है: ऋण परिसंपत्तियों का प्रबोधन, प्रासंगिक डेटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण क्षति का आकलन और दर्ज किए गए वास्तविक डेटा की समीक्षा के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का मूल्यांकन और परीक्षण। ऋण परिसंपत्तियों में वसूली का सत्यापन किया जाता है ताकि उन पर दबाव के स्तर और समेकित वित्तीय विवरणों में क्षति भत्ते पर प्रभाव का पता लगाया जा सके। दस्तावेज़ीकरण, संचालन/कार्य-निष्पादन, उपलब्ध प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और ऋण परिसंपत्तियों, विशेष रूप से बड़ी और दबावग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों के प्रबोधन का सत्यापन/समीक्षा, ताकि किसी भी ऋण परिसंपत्ति खाते में किसी भी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके। होल्डिंग कंपनी ईसीएल घटकों के मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्ष की सेवाएँ लेती है। तृतीय पक्ष द्वारा किए गए हानि भत्ते हेतु अध्ययन में की गई गणनाओं पर हम भरोसा करते हैं और उसके लिए परीक्षण जाँच करते हैं। तृतीय पक्ष के साथ साझा किए गए डेटा को प्रस्तुत किए जा रहे महत्वपूर्ण घटकों की सत्यता के लिए हमारे द्वारा सत्यापित किया जाता है। इस संबंध में हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया सीमित है, क्योंकि हम गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए ऐसे डेटा के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर एक्सेस को उक्त तृतीय पक्ष के साथ साझा नहीं करते हैं। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के लागू निर्देशों के अनुसार ईसीएल की तुलना प्रावधानों से भी की और तदनुसार हानि भत्ते की पर्याप्तता सुनिश्चित की।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षक का प्रत्युत्तर
2	**व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन** विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर के प्रति होल्डिंग कंपनी के जोखिम को कम करने के लिए, गैर-रुपया नकद प्रवाह की निगरानी की जाती है और बचाव उद्देश्य के लिए व्युत्पन्नी अनुबंध दर्ज किए जाते हैं। व्युत्पन्नों को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है। बचाव लेखांकन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए, बचाव संबंध को भारतीय लेखा मानक के अनुसार कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करना चाहिए। बचाव लेखांकन के परिणामस्वरूप समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, साथ ही इसके लेखांकन/धारणाओं की जटिलता और बचाव संबंध स्थापित करने के लिए उसमें कई प्राचल होते हैं। इन व्युत्पन्नों पर लाभ/हानि को भारतीय लेखा मानक द्वारा प्रदान की गई अन्य व्यापक आय या लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। नियंत्रक कंपनी के संचालन के अनुसार ऐसे लेन-देन का परिमाण महत्वपूर्ण है। मामले के तथ्यों को देखते हुए हमने इसे एक प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले के रूप में पहचाना है। [लेखांकन नीति संख्या 3(xxiii) - 'वित्तीय साधनों' के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरण हेतु टिप्पणी संख्या 38 (30) देखें]।	**हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं, जिनके आधार पर हम प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता और व्युत्पन्नों हेतु लेखांकन के बारे में निष्कर्ष पर पहुँचे, में निम्नलिखित शामिल हैं:** - प्रबंधन की धारणा पर चर्चा करना और समझना तथा जोखिम प्रबंधन के लिए होल्डिंग कंपनी की नीति का अध्ययन करना। - भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार व्युत्पन्नी के उचित मूल्य का सत्यापन, व्युत्पन्नी लेन-देन की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण करना। - व्युत्पन्नी लिखतों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और मूल्यांकन मॉडल पर प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन। - 31 मार्च, 2025 तक निपटान के लिए बकाया/लंबित के रूप में विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्नी अनुबंधों का विवरण प्राप्त किया। -31 मार्च, 2025 तक बकाया व्युत्पन्न सौदे के लिए होल्डिंग कंपनी द्वारा बाहरी मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त मार्क टू मार्केट मूल्यांकन रिपोर्ट का सत्यापन। - उन वित्तीय व्युत्पन्नी अनुबंधों के लिए प्राप्त उचित मूल्यांकन का अनुमान लगाने में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन। - व्युत्पन्नी लिखतों के लिए लागू मूल्यांकन पद्धतियों की उपयुक्तता और नमूना आधार पर उनका परीक्षण करना। इसके अतिरिक्त, हमने अन्य व्यापक आय या लाभ और हानि खाते में व्युत्पन्नी पर लाभ/हानि के लेखांकन का सत्यापन किया। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की।
3	**कराधान के लिए देयता** होल्डिंग कंपनी के पास विवादित मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण अनिश्चित कर माँगें हैं, जिनमें इन विवादों के संभावित परिणाम निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। सेवा कर और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरणों ने पिछले कुछ अवधि में कुछ मुद्दे और माँगें उठाई हैं, जिनका होल्डिंग कंपनी द्वारा विभिन्न मंचों पर विरोध किया जा रहा है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने वित्तीय वर्ष 1997-1998 से वित्तीय वर्ष 2008-2009 तक के आयकर मामलों से संबंधित रिट याचिकाओं पर निर्णय दिया। वित्त वर्ष 2009-10, 2011-12 से 2017-18 (वित्त वर्ष 2013-14 को छोड़कर) के लिए आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा अपील आदेश पारित किए गए। इन मामलों में आदेश का प्रभाव लंबित है।	**हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं, जिनके आधार पर हम कराधान हेतु देयता के लिए प्रकटीकरण और लेखांकन की तर्कसंगतता से सम्बंधित निष्कर्ष पर पहुँचे, में निम्नलिखित शामिल हैं:** हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में आयकर विभाग के साथ विवादित विषय-वस्तु पर माननीय उच्च न्यायालय और आयकर आयुक्त (अपील)/कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की समीक्षा शामिल है। हमने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया अपनाई। अन्य कर मामलों के लिए, तथ्यों और कानूनी घोषणाओं का विश्लेषण और समीक्षा की गई। हमने भारतीय लेखा मानक 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" के अनुसार प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षक का प्रत्युत्तर
	वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर मामले आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित हैं। परिणामी देनदारियों का उचित प्रावधान और प्रकटीकरण समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण है। इन माँगों का संभावित परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। इसे देखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले के रूप में पहचाना है। समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 38 (17)(क) देखें।	

भारतीय लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल ज़िम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल जानकारी शामिल है, जिसमें निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट शामिल हैं, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऊपर बताई गई अन्य जानकारी इस लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के अधीन अन्य जानकारी नहीं आती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान प्राप्त की गई हमारी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है। जब हम ऊपर बतायी गई अन्य जानकारी पढ़ते हैं और यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें मामले को अभिशासन के प्रति जिम्मेदार लोगों को बताना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का वर्णन करना होगा। जहां तक सहायक कंपनी से संबंधित अन्य जानकारी का प्रश्न है, तो वह अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित उनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं से प्राप्त की जाती है।

प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन हेतु प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियाँ

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की स्थिति (वित्तीय स्थिति), समेकित लाभ या हानि (समेकित अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

इस जिम्मेदारी में समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, संबंधित प्रबंधन के निदेशक मंडल और समूह में शामिल कंपनियों के निदेशक मंडल, संबंधित संस्थाओं को एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रखने के लिए उनका मूल्यांकन करने, जहाँ लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल अपनी-अपनी संस्थाओं का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखें, या ऐसा करने के अलावा उनके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार होते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण ग़लतबयानी से मुक्त हैं, और एक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखा-परीक्षा के अनुसार आयोजित एक लेखा-परीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण ग़लतबयानी का पता लगाएगी जब वह मौजूद हो। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलतबयानी उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा कर सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखा-परीक्षा के अंगस्वरूप, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा-परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेहवाद बनाये रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और निष्पादित करना तथा लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा-परीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों के अनुकूल हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या समूह के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है;
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और समूह की सम्बंधित कंपनियों के प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना, और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भावी घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।
- प्रकटीकरणों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए समूह के अंतर्गत संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त और उचित लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए हम उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा-परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी लेखा-परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखा-परीक्षक अपने द्वारा किए गए लेखा-परीक्षाओं के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे। हम अपनी लेखा-परीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी बने रहेंगे।

  भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावित बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा-परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

  हम होल्डिंग कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य इकाई के अभिशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ, अन्य मामलों के अलावा, लेखा-परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखा-परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

  हम अभिशासन के लिए प्रभारी लोगों को यह भी विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी करते हैं।

  अभिशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं, जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे तथा इस प्रकार वे प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में तब तक करते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम, ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना है।

अन्य मामले

i. हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की, जिसके एकल वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 तक कुल परिसंपत्तियां ₹27.76 करोड़, कुल राजस्व ₹शून्य, कुल शुद्ध हानि ₹0.28 करोड़, कुल व्यापक आय ₹0.64 करोड़ तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹27.45 करोड़ की शुद्ध नकद अंतर्वाह प्रतिबिंबित है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है।

ii. विगत प्रथाओं के अनुसार, ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में, होल्डिंग कंपनी ने होल्डिंग कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत ईसीएल रिपोर्ट के आधार पर भारतीय लेखा मानक 109 के अंतर्गत आवश्यक अनुसार अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) प्रदान की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी प्राचलों/कुछ पहलुओं पर आधारित धारणाएँ भी शामिल हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (5) के अनुसार, हम कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में "अनुलग्नक-क" में जानकारी देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे प्रतिवेदन और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन और समूह में शामिल सहायक कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार के आधार पर, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

   क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में, समूह द्वारा विधि अनुसार अनुरक्षित यथा अपेक्षित उचित लेखा-बहियाँ, जिसमें पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों के तैयार करने से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं, हमारी जांच और अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों से यह प्रतीत होता है कि इन्हें उचित रूप से रखा गया है, सिवाय इसके कि लेखा-परीक्षा सत्यापन की आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में कुछ अंतर हो सकता है।

   ग) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और नकद प्रवाह का समेकित विवरण, लेखा-बही के अनुरूप हैं;

   घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

   ङ) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   च) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   छ) समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया **"अनुलग्नक-ख"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   ज) कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 ('लेखा-परीक्षा नियम') के नियम 11 के अनुसार लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

      i. समेकित वित्तीय विवरण अपने समेकित वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं - समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 38 (17) देखें।

      ii. व्युत्पन्नी अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के अधीन अपेक्षित अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है : - समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 38(20)(स)(II)(ग) देखें।

      iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे समूह द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

      iv. (क) नियंत्रण कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखा-परीक्षा की गई है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनी के अन्य लेखा-परीक्षकों (टिप्पणी 38(28) देखें) को बताया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

      (ख) नियंत्रण कंपनी और उसकी सहायक कंपनी, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखा-परीक्षा की गई है, के संबंधित प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक कंपनी के अन्य लेखा-परीक्षकों को [टिप्पणी 38(28) देखें] बताया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियां") शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि नियंत्रण कंपनी और उसकी सहायक कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देंगी

या निवेश करेंगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेंगी; और

(ग) लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, जिसे परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप खंड (क) और (ख) के अधीन अभिवेदनों में कोई महत्वपूर्ण गलत कथन है।

v. वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल थी और इसकी सहायक कंपनी के अन्य लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन के आधार पर 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु अपने खाते की बहियों को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखा-परीक्षा सत्यापन (लॉग संपादित करें) को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अलावा, हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान हमें लेखा-परीक्षा सत्यापन की सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला और प्रबंधन ने कहा है कि लेखा-परीक्षा सत्यापन की सुविधा को अक्षम नहीं किया जा सकता। होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी ने रिकॉर्ड रखने की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा-परीक्षा सत्यापन को संरक्षित रखा है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुच्छेद 3(xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जिसे लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन में शामिल किया जाना है, समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल एक सहायक कंपनी की उपलब्ध सीएआरओ रिपोर्ट की जांच के आधार पर, लेखा-परीक्षक ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी है।

कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या: 009989N

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084
यूडीआईएन: 25085084BMMBWE3895

दिनांक: 15.04.2025
स्थान: नई दिल्ली

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के मंतव्य।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा-परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कहा गया है कि यह कार्य उनके द्वारा **15 अप्रैल, 2025 की** उनके **लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन** के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6) (क) के अधीन 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा आयोजित की है। हमने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था और **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा वैधानिक लेखा-परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा-परीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा-परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन वैधानिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक करने की आवश्यकता हो।

कृते तथा उनकी ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक
हस्ताक्षर/-
(तान्या सिंह)
महानिदेशक लेखा-परीक्षा, केन्द्रीय व्यय
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.07.2025

समेकित तुलन-पत्र

31 मार्च, 2025 को

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2025 को	31.03.2024 को
I	**परिसम्पत्तियां**			
अ	**वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
	(क) नकद और नकद समतुल्य	2	57.29	74.21
	(ख) उपर्युक्त (क) के अलावा बैंक शेष	3	641.34	661.68
	(ग) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	4	487.89	483.78
	(घ) प्राप्य			
	(I) व्यापार प्राप्य	5	5.93	6.02
	(ङ) ऋण	6	75,319.98	58,775.09
	(च) निवेश	7	600.14	101.30
	(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	28.05	23.47
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (अ)		**77,140.62**	**60,125.55**
ब	**गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
	(क) चालू कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	9	219.90	155.41
	(ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	10	360.57	289.45
	(ग) निवेश संपत्ति	11	0.02	0.03
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)	12	199.68	206.40
	(ङ) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	13	-	-
	(च) परिसम्पत्तियां उपयोग का अधिकार	14	143.60	149.89
	(छ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	15	-	-
	(ज) अमूर्त परिसम्पत्तियां	16	5.49	4.78
	(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	17	1,665.07	1,668.94
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (ब)		**2,594.33**	**2,474.90**
	कुल परिसंपत्तियाँ (अ+ब)		**79,734.95**	**62,600.45**
II	**देयताएँ और इक्विटी**			
	देयताएँ			
अ	**वित्तीय देयताएँ**			
	(क) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	4	23.20	208.02
	(ख) देय			
	व्यापार देय राशि	18		
	(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		1.07	1.03
	(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		8.05	6.27
	(ग) ऋण प्रतिभूतियाँ	19	28,446.24	17,713.61
	(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	20	33,489.50	31,323.85
	(ङ) अधीनस्थ देयताएँ	21	2,804.57	649.42
	(च) अन्य वित्तीय देयताएँ	22	1,638.04	1,340.30
	कुल वित्तीय देयताएँ (अ)		**66,410.67**	**51,242.50**
ब	**गैर-वित्तीय देयताएँ**			
	(क) प्रावधान	23	1,217.49	991.12
	(ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ	24	1,840.25	1,807.41
	कुल गैर-वित्तीय देयताएँ (ब)		**3,057.74**	**2,798.53**
स	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	25	2,687.76	2,687.76
	(ख) अन्य इक्विटी	26	7,578.78	5,871.66
	कुल इक्विटी (स)		**10,266.54**	**8,559.42**
	कुल देयताएँ और इक्विटी (अ+ब+स)		**79,734.95**	**62,600.45**

समूह अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की साथ में दी गई टिप्पणी 1 से 38 समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं — 1

सम तिथि की हमारे लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार
कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989एन

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15.04.2025

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षर/-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या 08816532

हस्ताक्षर/-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07448576

हस्ताक्षर/-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

लाभ और हानि का समेकित विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
I	**प्रचालन से राजस्व**			
i)	ब्याज आय	27	6,576.30	4,822.40
ii)	शुल्क और कमीशन आय	28	95.71	60.02
iii)	व्युत्पन्नी पर उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि)	29	13.13	(11.26)
iv)	अन्य प्रचालन आय	30	58.18	92.77
	प्रचालन से कुल राजस्व (I)		**6,743.32**	**4,963.93**
II	**अन्य आय**	**31**	**12.37**	**1.36**
III	**कुल आय (I+II)**		**6,755.69**	**4,965.29**
IV	**व्यय**			
i)	वित्त लागत	32	4,141.05	3,164.10
ii)	शुद्ध परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि/(लाभ)	33	41.61	(16.53)
iii)	वित्तीय लिखतों पर हानि	34	237.23	(67.22)
iv)	कर्मचारी लाभ व्यय	35	81.66	71.32
v)	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	36	38.87	30.35
vi)	अन्य व्यय	37	86.95	76.51
vii)	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	38(39)	24.78	21.51
	कुल व्यय (IV)		**4,652.15**	**3,280.04**
V	**असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**2,103.54**	**1,685.25**
VI	**असाधारण मदें**		**-**	**-**
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**2,103.54**	**1,685.25**
VIII	**कर व्यय**	38(3)		
	(i) चालू कर		471.31	413.03
	(ii) आस्थगित कर		(66.11)	19.98
IX	**निरंतर परिचालन से लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**1,698.34**	**1,252.24**
	बंद परिचालन से लाभ/(हानि) - -		-	-
X	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि)**		**1,698.34**	**1,252.24**
XI	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**			
(अ)	(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन :-		(20.78)	(2.28)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		5.23	0.57
	उप-योग (अ)		**(15.55)**	**(1.71)**
(ब)	(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा :-			
	- नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा		111.96	(207.25)
	- समेकन पर परिवर्तित आरक्षित निधि		0.64	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		(28.18)	52.16
	उप-योग (ब)		**84.42**	**(155.09)**
	अन्य व्यापक आय (अ+ब)		**68.87**	**(156.80)**
XII	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (X+XI) [लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय सम्मिलित]**		**1,767.21**	**1,095.44**
XIII	**आय प्रति इक्विटी शेयर (निरंतर प्रचालन हेतु)**			
	मूल (₹)		6.32	5.16
	मंदित (₹)		6.32	5.16
XIV	**आय प्रति इक्विटी शेयर (बंद प्रचालन हेतु)**			
	मूल (₹)	38(15)	-	-
	मंदित (₹)		-	-
XV	**आय प्रति इक्विटी शेयर (निरंतर और बंद प्रचालन हेतु)**			
	मूल (₹)		6.32	5.16
	मंदित (₹)		6.32	5.16

समूह अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की जानकारी 1
साथ में दी गई टिप्पणी 1 से 38 समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

सम तिथि की हमारे लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार
कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989एन

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षर/-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या 08816532

हस्ताक्षर/-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07448576

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15.04.2025

हस्ताक्षर/-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

नकद प्रवाह का समेकित विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण		31.03.2025 को समाप्त वर्ष		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	
अ	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :**					
	कर पूर्व लाभ		2,104.17		1,685.25	
	निम्न हेतु समायोजन:					
	1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द करने पर हानि/(लाभ) (शुद्ध)	0.54		0.64	
	2	वित्तीय साधनों पर हानि	237.23		(67.22)	
	3	मूल्यह्रास और परिशोधन	38.87		30.35	
	4	डब्ल्यूबी अनुदान के कारण परिशोधन समायोजन	0.37		3.98	
	5	पट्टा देयता पर ब्याज	0.36		0.36	
	6	शुद्ध परिवर्तन/ लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)	41.61		(16.53)	
	7	बट्टे खाते डाला गया प्रावधान - -	(0.01)		-	
	8	बट्टे खाते डाली गई राशि / खराब ऋण	17.02		1.84	
	9	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	4.09		4.45	
	10	ऋण प्रतिभूतियों पर प्रभावी ब्याज दर	(7.36)		0.17	
	11	ऋण प्रतिभूतियों के अलावा अन्य उधार पर प्रभावी ब्याज दर	-		0.01	
	12	अधीनस्थ देयताओं पर प्रभावी ब्याज दर	(2.21)		0.08	
	13	ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	43.03		7.76	
	14	अप्रत्यक्ष कर (गारंटी कमीशन पर सहित) और अन्य के लिए प्रावधान	23.22		20.15	
	15	व्युत्पन्नी पर उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध हानि / (लाभ)	13.13		(11.26)	
	परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		**2,514.06**		**1,660.03**	
	परिचालन परिसंपत्तियों/देनदारियों में वृद्धि/कमी					
	1	ऋण परिसंपत्तियां	(16,623.35)		(12,644.48)	
	2	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	(70.82)		107.87	
	3	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	3.64		68.45	
	4	व्यापार प्राप्य	0.09		(1.01)	
	5	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	33.70		70.41	
	6	अन्य वित्तीय देयताएं	225.02		(145.84)	
	7	पट्टा देयता	(0.20)		(0.09)	
	8	व्यापार देय	1.82		2.80	
	9	नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष	20.35		154.57	
			(16,409.75)		**(12,387.32)**	
	असाधारण मदों से पूर्व प्रचालन से नकद प्रवाह		**(13,895.69)**		**(10,727.29)**	
	असाधारण मद		-		-	
	कर पूर्व परिचालन से शुद्ध नकद अन्तर्वाह/(बहिर्वाह)		**(13,895.69)**		**(10,727.29)**	
	आयकर		(563.99)		(372.35)	
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह			**(14,459.68)**		**(11,099.64)**
ब	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**					
	1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(25.38)		(16.29)	
	2	अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद	(1.93)		(4.52)	
	3	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री	0.32		0.15	
	4	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (शुद्ध)	(490.39)		-	
	5	सहायक कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश	(0.00)		-	
	6	पूँजीगत कार्य-प्रगति-पर (सीडब्ल्यूआईपी) में संयोजन	(0.27)		(2.50)	
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह			**(517.65)**		**(23.16)**
स	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**					
	1	इक्विटी शेयरों के निर्गम से आय	-		403.16	
	2	प्रतिभूति प्रीमियम से आय	-		886.96	
	3	शेयर निर्गम व्यय	-		(31.18)	
	4	ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम (मोचन का शुद्ध)	10,740.00		6,870.16	

नकद प्रवाह का समेकित विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण		31.03.2025 को समाप्त वर्ष		31.03.2024 को समाप्त वर्ष	
	5	पीडीआई सहित अधीनस्थ देनदारियों की उगाही (मोचन का शुद्ध)	2,157.37		-	
	6	ऋण प्रतिभूतियों के अलावा अन्य ऋण जुटाना (पुनर्भुगतान का शुद्ध)	2,063.33		2,929.72	
	7	पट्टा देयता के लिए भुगतान	(0.29)		(0.27)	
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह			**14,960.41**		**11,058.55**
	नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/कमी			**(16.92)**		**(64.25)**
	शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष			74.21		138.45
	अंत में नकद और नकद समकक्ष			57.29		74.21
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष के घटक निम्नानुसार हैं:					
	बैंकों की भारतीय शाखा के चालू खातों में			19.74		8.33
	बैंकों की विदेशी शाखा के चालू खातों में			0.02		0.03
	विदेशी शाखाओं में अल्पावधि जमा			27.75		0.54
	बैंकों के साथ ओवरड्राफ्ट खातों में			1.90		57.09
	बैंकों के साथ जमा खातों में			-		0.66
	बैंकों के साथ बचत बैंक खातों में			7.88		7.56
	संग्रह के अधीन चेक/डीडी हाथ में और डाक अग्रदाय			0.00		-
	वर्ष के अंत में कुल नकद और नकद समकक्ष			**57.29**		**74.21**

समूह अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की जानकारी 1
साथ में दी गई टिप्पणी 1 से 38 समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

1 नकद प्रवाह का उपर्युक्त विवरण भारतीय लेखा मानक 7 'नकद प्रवाह का विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अधीन तैयार किया गया है।

2 परिसंपत्तियों के निर्माण/अधिग्रहण तथा सीएसआर गतिविधियों से संबंधित अन्य उद्देश्यों पर व्यय की गई राशि के लिए टिप्पणी 38 (39) देखें।

3 ऊपर प्रस्तुत रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में नकद तथा नकद समकक्षों एवं बैंक में शेष राशि के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

4 जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्व्यवस्थित तथा पुनर्समूहित किया गया है।

सम तिथि की हमारे लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार
कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989एन

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15.04.2025

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षर/-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या 08816532

हस्ताक्षर/-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07448576

हस्ताक्षर/-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

अ इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	शेयरों की संख्या (अदद)	राशि (₹ करोड़ में)
जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त :		
01.04.2023 को आरंभिक शेष राशि	2,28,46,00,000	2,284.60
वर्ष के दौरान परिवर्तन		
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी		
(i) इक्विटी शेयरों का नया निर्गम	40,31,64,706	403.16
(ii) अप्रदत्त पूंजी की मांग	-	-
31.03.2024 को अंतिम शेष राशि	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**
01.04.2024 को प्रारंभिक शेष राशि	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**
वर्ष के दौरान परिवर्तन		
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी		
(i) इक्विटी शेयरों का नया निर्गम	-	-
(ii) अप्रदत्त पूंजी की मांग	-	-
31.03.2025 को अंतिम शेष राशि	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**

ब. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष							विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन रक्षित	नकद प्रवाह बचाव रक्षित निधि	कुल
	सामान्य आरक्षित	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत विशेष रक्षित	डिबेंचर मोचन रक्षित	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ISी के तहत एनबीएफसी रक्षित	प्रतिधारित आय	प्रतिभूति प्रीमियम	समेकन पर परिवर्तन रक्षित			
01.04.2023 तक प्रारंभिक शेष राशि	**1,910.48**	**1,317.10**	**397.97**	**461.83**	**2.51**	**-**		**(580.40)**	**141.07**	**3,650.57**
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम	-	-	-	-	-	886.96		-	**-**	**886.96**
शेयर जारी करने का खर्च (कर लाभों का शुद्ध)	-	-	-	-	-	(23.33)		-	**-**	**(23.33)**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	1,252.23	-		-	**-**	**1,252.23**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (करों का शुद्ध)	-	-	-	-	(1.71)	-		-	**-**	**(1.71)**
ओसीआई के माध्यम से मान्यता (करों का शुद्ध)	-	-	-	-	-	-		-	**(155.09)**	**(155.09)**
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,250.52**	**-**		**-**	**(155.09)**	**1,095.43**
वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय से/में शुद्ध अंतरण	700.00	264.00	(0.23)	251.00	(1,214.77)	-		-	**-**	**-**
शेयर जारी करने के व्यय हेतु समायोजन	-	-	-	-	-	-		-	**-**	**-**
वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर में संयोजन	-	-	-	-	-	-		268.62	**-**	**268.62**
वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर का परिशोधन	-	-	-	-	-	-		(6.59)	**-**	**(6.59)**
31.03.2024 को अंतिम शेष राशि	**2,610.48**	**1,581.10**	**397.75**	**712.83**	**38.26**	**863.63**		**(318.37)**	**(14.02)**	**5,871.66**
01.04.2024 को प्रारंभिक शेष राशि	**2,610.48**	**1,581.10**	**397.75**	**712.83**	**38.26**	**863.63**		**(318.37)**	**(14.02)**	**5,871.66**
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम	-	-	-	-	-	-		-	**-**	**-**
शेयर जारी करने का खर्च (कर लाभों का शुद्ध)	-	-	-	-	-	-		-	**-**	**-**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	1,698.34	-		-	**-**	**1,698.34**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (करों का शुद्ध)	-	-	-	-	(15.55)	-		-	**-**	**(15.55)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष							विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन रक्षित	नकद प्रवाह बचाव रक्षित निधि	कुल
	सामान्य आरक्षित	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत विशेष रक्षित	डिबेंचर मोचन रक्षित	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ISी के तहत एनबीएफसी रक्षित	प्रतिधारित आय	प्रतिभूति प्रीमियम	समेकन पर परिवर्तन रक्षित			
ओसीआई के माध्यम से मान्यता (करों का शुद्ध)	-	-	-	-	-	-		-	**83.78**	**83.78**
सहायक कंपनी के समेकन पर परिवर्तन आरक्षित							0.64			0.64
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,682.78**	**-**	**0.64**	**-**	**83.78**	**1,767.20**
वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में/से शुद्ध अंतरण	950.00	362.00	41.26	340.00	(1,693.26)	-		-	**-**	**-**
शेयर जारी करने के व्यय हेतु समायोजन	-	-	-	-	-	0.63		-	**-**	**0.63**
वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर में संयोजन	-	-	-	-	-	-		(65.26)	**-**	**(65.26)**
वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर का परिशोधन	-	-	-	-	-	-		4.55	-	4.55
31.03.2025 को अंतिम शेष राशि	**3,560.48**	**1,943.10**	**439.01**	**1,052.83**	**27.78**	**864.26**	**0.64**	**(379.08)**	**69.76**	**7,578.78**

समूह अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की जानकारी 1
साथ में दी गई टिप्पणी 1 से 38 समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

सम तिथि की हमारे लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार
कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989एन

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15.04.2025

हस्ताक्षर/-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या 08816532

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षर/-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07448576

हस्ताक्षर/-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 1: समेकित वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की जानकारी

1) समूह की जानकारी

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ("इरेडा" या "कंपनी") (सीआईएन : L65100DL1987GOI027265) भारत में वर्ष 1987 में कॉरपोरेट हुई थी। यह कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका मुख्यालय भारत में है और यह शेयरों द्वारा सीमित है। इसका पंजीकृत कार्यालय और व्यवसाय का मुख्य स्थान पहली मंज़िल, भारत पर्यावास केंद्र, ईस्ट कोर्ट, कोर-4ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा, कंपनी के शाखा कार्यालय भी हैं और केरल राज्य के कासरगोड में स्थित एक 50 मेगावाट की सौर परियोजना भी इसके स्वामित्व में है।

कंपनी भारत सरकार का एक [नवरत्न] प्रतिष्ठान है जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण में है और "शाश्वत ऊर्जा" के ध्येय के साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और प्रदान करने में लगी हुई है।

कंपनी एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी-एनडीएसआई)/एनबीएफसी मिडिल लेयर (एमएल) है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है।

कंपनी के इक्विटी शेयर और ऋण प्रतिभूतियाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

कंपनी के पास आईएफएससी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र)-जीआईएफटी सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में "इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड" ("आईजीईएफआईएल" या "सहायक कंपनी") नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो 07.05.2024 को कॉरपोरेट हुई थी। इस सहायक कंपनी को एक वित्त कंपनी के रूप में कार्य करने हेतु आईएफएससीए से दिनांक 18.02.2025 का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है।

ये समेकित वित्तीय विवरण इरेडा और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (जिन्हें सामूहिक रूप से 'समूह' कहा जाता है) के वित्तीय विवरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह समूह मुख्य रूप से ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और प्रदान करने में लगा हुआ है।

2) तैयारी का आधार

(i) भारतीय लेखा मानक के अनुपालन का विवरण

समूह के समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अनुसार तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) के अनुपालन में तथा आगे संशोधित रूप में तैयार किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के आधार पर तथा लेखांकन के उपार्जन आधार पर तैयार किए जाते हैं। समूह ने ऐतिहासिक लागत परंपरा को अपनाया है, सिवाय कुछ मदों के जिन्हें भिन्न आधार पर मापा गया है तथा ऐसे आधार को प्रासंगिक लेखांकन नीति में प्रकट किया गया है।

समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड III की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं। नकद प्रवाह का समेकित विवरण, भारतीय लेखा मानक 7 'नकद प्रवाह का विवरण' की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों के जहां नये जारी किए गए लेखांकन मानक को आरंभ में अपनाया गया है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है।

(ii) अनुमानों का उपयोग

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन को निर्णय, अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो प्रतिवेदित राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों तथा देनदारियों की राशियों तथा संबंधित प्रकटीकरणों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण तथा उचित हैं। भावी परिणाम

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमान में किसी भी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य की अवधि में भावी दृष्टि से मान्यता दी जाती है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने और अनिश्चितता का आकलन करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय।

(अ) महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता की मान्यता - जिस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जा सकती है, वह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके प्रति आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, समूह प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत अनुरक्षित और सृजित विशेष आरक्षित निधि से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, अनुरक्षित और सृजित विशेष आरक्षित निधि को उलटा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, समूह उक्त आरक्षित निधि पर कोई आस्थगित कर देयता नहीं बनाता है।

परिसंपत्तियों की हानि के लिए संकेतकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का आकलन करने की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सकती है।

क्रेडिट-ह्रासित ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता - क्रेडिट-ह्रासित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को विवेकपूर्ण तरीके से मान्यता नहीं दी जा रही है, क्योंकि दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के परिणाम लंबित हैं।

पूर्व अवधि मद का महत्व

पूर्व अवधि मद जिनका महत्व नहीं हैं, उन्हें तुलनात्मक राशियों के पुनर्कथन के माध्यम से पूर्वव्यापी रूप से ठीक नहीं किया जाता है और उन्हें चालू वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

मदों की चूक या गलत बयानी महत्वपूर्ण है यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। महत्वपूर्णता आस-पास की परिस्थितियों में आंकी गई चूक या गलत बयानी के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। मदों के आकार और प्रकृति का संयोजन निर्धारण कारक हैं।

(ब) महत्वपूर्ण अनुमान

मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन - प्रबंधन प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएँ तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित हैं जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बदल सकती हैं।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ का प्रबंधन अनुमान कई अंतर्निहित मान्यताओं पर आधारित है जैसे कि मुद्रास्फीति की मानक दरें, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य में वेतन वृद्धि की प्रत्याशा। इन मान्यताओं में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य माप - प्रबंधन वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं)। इसमें बाजार सहभागियों द्वारा साधन की कीमत तय करने के तरीके के अनुरूप अनुमान और मान्यताएँ विकसित करना शामिल है। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, समूह बाजार अवलोकनीय डेटा का उपयोग करता है, जहाँ तक यह उपलब्ध है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर - अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूली की जाने वाली अपेक्षित राशि और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता के संबंध में आयकर के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।

अपेक्षित ऋण हानि ('ईसीएल') - परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि भत्ते के मापन के लिए जटिल मॉडलों और भावी आर्थिक स्थितियों और ऋण व्यवहार (जैसे, ग्राहकों द्वारा चूक करने और उसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान की संभावना) के बारे में महत्वपूर्ण मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। ईसीएल का अनुमान लगाने के लिए अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करते समय समूह निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मानदंड निर्धारित करना;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबंधित ईसीएल के लिए अग्रगामी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार स्थापित करना;
- ईसीएल को मापने के लिए समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह स्थापित करना; और
- चूक की संभावना और चूक के कारण नुकसान का अनुमान लगाना (चूक के मामले में वसूली योग्य राशियों का अनुमान)।

प्रावधान : देयता (मुकदमों सहित) की पहचान और परिमाणीकरण के समय के लिए मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, जो परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं। प्रावधानों और देनदारियों की वहन राशि की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और बदलते तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाता है।

(iii) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये ('आईएनआर') में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो समूह की प्रकार्यात्मक मुद्रा है।

3) समूह की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(i) समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को सम्मिलित करते हैं। समेकन के उद्देश्य से सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी की प्रतिवेदित तिथि तक तैयार किए जाते हैं।

(ii) सहायक कंपनी

एक सहायक कंपनी एक इकाई होती है जिस पर कंपनी का नियंत्रण होता है। कंपनी किसी इकाई को तब नियंत्रित करती है जब कंपनी उस इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनशील प्रतिफल प्राप्त करती है या उसके पास उस पर अधिकार होते हैं और इकाई की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की अपनी शक्ति के माध्यम से उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। सहायक कंपनियों का पूर्ण समेकन उस तिथि से होता है जिस दिन कंपनी नियंत्रण प्राप्त करती है।

कंपनी अपनी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर संयोजित करती है, और परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय और व्यय की मदों को एक साथ जोड़ती है। सहायक कंपनी में कंपनी के निवेश की वहन राशि और सहायक कंपनी की इक्विटी में कंपनी के हिस्से को हटा दिया जाता है। अंतर-कंपनी लेन-देन, शेष राशि, कंपनी और सहायक कंपनी के बीच लेन-देन पर अप्राप्त लाभ को हटा दिया जाता है। अप्राप्त हानियाँ भी समाप्त कर दी जाती हैं, जब तक कि लेन-देन से हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का प्रमाण न मिले।

समेकित वित्तीय विवरण समान लेन-देनों और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करते हुए तैयार किए जाते हैं और जहाँ तक संभव हो, कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के समान तरीके से ही प्रस्तुत किए जाते हैं, सिवाय इसके कि अन्यथा कहा गया हो। आवश्यकता पड़ने पर, वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है ताकि उनकी लेखांकन नीतियों को समूह की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाया जा सके। यदि कंपनी अपनी किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देती है, तो वह उस सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों और किसी भी संबंधित गैर-नियंत्रक हित (एनसीएल) और इक्विटी के अन्य घटकों की मान्यता रद्द कर देती है। पूर्व सहायक कंपनी में रखे गए किसी भी हित को नियंत्रण खोने की तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। परिणामी किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

(iii) मूर्त परिसंपत्तियां (पीपीई)

पीपीई (मूर्त परिसंपत्तियां) को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत में उसका क्रय मूल्य शामिल होता है, जिसमें आयात शुल्क, गैर-वापसी योग्य कर, व्यापार छूट और रियायत घटाने के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में प्रत्यक्ष रूप से लगने वाली कोई भी लागत शामिल होती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाले स्टोर और स्पेयर को पूंजीकृत किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति की वहन राशि में जोड़ा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

समूह ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को मापने के लिए अनुवर्ती मान्यता के लागत मॉडल को अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप, सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उसकी लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, घटाकर रखा जाता है।

अ-मान्यता

पीपीई की किसी वस्तु की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब उसका निपटान हो जाता है, या जब उसके उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो। पीपीई की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि, जो शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापी जाती है, को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य -प्रगति-पर

प्रतिवेदन तिथि पर निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्य-प्रगति-पर ' के रूप में दर्शाया गया है। इस लागत में क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर, व्यापार छूट और रियायत घटाने के बाद, पूंजीकरण मानदंडों को पूरा करने पर उधार लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में प्रत्यक्ष रूप से लगने वाली कोई भी लागत शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए भुगतान किए गए अग्रिम, जो समेकित तुलन पत्र की तिथि पर बकाया हैं, उन्हें 'पूंजीगत अग्रिम' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

(iv) अमूर्त परिसंपत्तियाँ और परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है। लागत में क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर, व्यापार छूट और रियायतें घटाने के बाद, पूंजीकरण मानदंडों की पूर्ति होने पर उधार लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए आवश्यक स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से लगने वाली कोई भी लागत शामिल होती है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता तब दी जाती है जब यह संभावना हो कि परिसंपत्तियों से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे।

परिमित उपयोगी जीवन वाली सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को बाद में लागत मॉडल पर मान्यता दी जाती है। इन अमूर्त परिसंपत्तियों को बाद में उनकी लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि (यदि कोई हो) घटाकर रखा जाता है।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

किया गया व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकरण के लिए पात्र है, को तब तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ' के रूप में रखा जाता है जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएँ।

अ-मान्यता

किसी अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब उसका निपटान हो जाता है, या जब उसके उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो। किसी अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि, जो शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापे जाते हैं, को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

(v) मूल्यह्रास और परिशोधन

मूर्त पीपीई पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट तरीके और उपयोगी जीवन के अनुसार लिखित डाउन आधार (डब्ल्यूडीवी) पर प्रदान किया जाता है, सिवाय नीचे उल्लिखित परिसंपत्तियों के:

- लाइब्रेरी पुस्तकों पर मूल्यह्रास खरीद वर्ष में 100% की दर से प्रदान किया जाता है।
- सौर ऊर्जा परियोजना के पीपीई पर मूल्यह्रास, प्रासंगिक केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और प्रासंगिक राज्य आयोग टैरिफ आदेशों के अधीन निर्धारित दरों/पद्धति पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।
- ₹5,000 या उससे कम की परिसंपत्तियों के संबंध में खरीद के वित्तीय वर्ष में 100% की दर से मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।
- अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन सीधी रेखा आधार पर प्रदान किया जा रहा है।
- सभी पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है। यदि कोई परिवर्तन होता है, तो उसे लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में दर्ज किया जाता है।
- अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन:

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

परिसंपत्ति का विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के % के रूप में अवशिष्ट मूल्य
भवन	60 वर्ष	5%
कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ		
-लैपटॉप/कंप्यूटर	3 वर्ष	5%
सर्वर	6 वर्ष	5%
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष	5%
फर्नीचर और जुड़नार	10 वर्ष	5%
वाहन	8 वर्ष	5%
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5 वर्ष	0%

- सीईआरसी के आदेश के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन

परिसंपत्ति का विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के % के रूप में अवशिष्ट मूल्य
सौर संयंत्र	25 साल	10%

(vi) सरकारी और अन्य अनुदान/सहायता

समूह सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकता है जिसके लिए समूह की प्रचालन गतिविधियों से संबंधित कुछ शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है या समूह को कुछ अर्हता मानदंडों के आधार पर वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।

सरकारी अनुदान तब मान्यता प्राप्त होते हैं जब यह उचित आश्वासन होता है कि अनुदान प्राप्त होगा और समूह उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करने में सक्षम होगा। इन अनुदानों को अनुदान की प्रकृति के आधार पर परिसंपत्तियों और राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

दीर्घकालिक परिसंपत्तियों को खरीदने, निर्माण करने या अन्यथा प्राप्त करने की शर्त वाले सरकारी अनुदानों को शुरू में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है। आस्थगित आय के रूप में एकबार मान्यता प्राप्त होने पर, ऐसे अनुदानों को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है। अनुमानों में परिवर्तन को परिसंपत्ति के शेष जीवनकाल में भावी रूप से मान्यता दी जाती है।

आर्थिक साहाय्य से संबंधित अनुदान को आस्थगित किया जाता है और संबंधित लागतों, जिसके लिए क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, को व्यय किए जाने की अवधि में लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (एनआरएसई) के निर्दिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सहायता अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसका लेखा-जोखा रखा जाता है।

तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के अंतर्गत किए गए व्यय को वसूली योग्य माना जाता है और इसे 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां' शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से प्रतिपूर्ति की गई सहायता उक्त खाते में जमा की जाती है।

(vii) पट्टे

- **पट्टेदार के रूप में**

समूह अनुबंध के आरंभ में ही यह आकलन करता है कि कोई अनुबंध पट्टा है या नहीं। यदि अनुबंध किसी निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को प्रतिफल के बदले में नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुबंध पट्टा है या पट्टा है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी निश्चित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, समूह यह आकलन करता है कि क्या:

i. अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है;
ii. समूह को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हैं, और
iii. समूह को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

समूह सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करता है, सिवाय अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों के। समूह पट्टा भुगतान करने के लिए पट्टा देयताओं को मान्यता देता है तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता देता है, जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

i) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ

समूह पट्टे की आरंभ तिथि (यानी, वह तिथि जब अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता देता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, जिसमें से संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसान घटायी जाती है और पट्टा देनदारियों के किसी भी पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों की राशि, आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें और आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतान में से प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

ii) पट्टा देयताएँ

पट्टे की आरंभ तिथि पर, समूह पट्टे की अवधि में किए जाने वाले पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देयताओं को मान्यता देती है। पट्टा भुगतानों में निश्चित भुगतान (मूल रूप से निश्चित भुगतानों सहित) कम कोई भी पट्टा प्रोत्साहन प्राप्तियाँ, परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर हैं, और अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशियाँ शामिल हैं। समूह पट्टा आरंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है। वृद्धिशील उधार दर ऋण की अवधि के लिए एसबीआई एमसीएलआर दर है यदि ऋण 3 वर्ष तक का है। 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, 3 वर्ष के लिए एसबीआई एमसीएलआर दर ली जा सकती है।

iii) अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे

अल्पावधि पट्टों (जिनकी पट्टा अवधि 12 महीने तक होती है) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों (₹10,00,000 तक मूल्य वाली परिसंपत्ति) के पट्टों पर पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। पट्टे की अवधि पट्टे की गैर-रद्द करने योग्य अवधि को लेकर निर्धारित की जाती है, साथ ही दोनों को मिलाकर:

क) पट्टे को बढ़ाने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि, यदि पट्टेदार उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से आश्वस्त है; और

ख) पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा आवृत्त की गई अवधि यदि पट्टेदार यथोचित रूप से आश्वस्त है कि वह उस विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा।

- **पट्टेदार के रूप में**

जब समूह पट्टादाता के रूप में कार्य करता है, तो वह पट्टे की शुरुआत में यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा है या प्रचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, समूह इस बात का समग्र मूल्यांकन करता है कि क्या पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी संभावित हानि के विरुद्ध संतुलित लाभ की संभावना को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। यदि ऐसा है, तो पट्टा वित्त पट्टा है, यदि नहीं, तो यह प्रचालन पट्टा है। मूल्यांकन के भाग के रूप में, समूह कुछ संकेतकों पर विचार करता है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख भाग के लिए है या नहीं। यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर-पट्टा घटक शामिल हैं, तो समूह अनुबंध में विचार आवंटित करने के लिए भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" लागू करता है। समूह परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त पट्टे के भुगतान को "परिचालन से राजस्व" के भाग के रूप में पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में पहचानता है।

(viii) गैर-वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति

समूह प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर यह आकलन करता है कि क्या इस बात का कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो समूह परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति या नकद-उत्पादक इकाइयों (सीजीयू) के उचित मूल्य में से निपटान की लागत और उसके उपयोग में मूल्य में से जो अधिक है, वह है। वसूली योग्य राशि किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति ऐसा नकद प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र हो। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उसे उसकी वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकद प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेन-देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(ix) नकद और नकद समतुल्य

नकद में हाथ में नकद, बैंक में नकद, बैंक ओवरड्राफ्ट में नामे शेष, यदि कोई हो, बैंकों के साथ डिमांड डिपॉजिट, वाणिज्यिक पत्र और विदेशी मुद्रा जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य अल्पकालिक जमा (अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक चल निधि निवेश हैं जो आसानी से नकद की ज्ञात राशि में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

(x) उधार लेने की लागत

योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित सामान्य और विशिष्ट उधार लेने की लागत को उस तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति ऐसी निधि के अस्थायी निवेश पर अर्जित किसी भी आय को समाप्त करने के बाद अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

जहां तक समूह सामान्य रूप से निधि उधार लेता है और योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उसका उपयोग करता है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लेने की लागत की राशि उस परिसंपत्ति पर व्यय के लिए पूंजीकरण दर लागू करके निर्धारित की जाती है।

उधार लेने की लागतें उस अवधि में व्यय की जाती है जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

(xi) विदेशी मुद्रा लेन-देन

कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेन-देन को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है।

प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित मौद्रिक मदों को उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनः परिवर्तित किया जाता है। ऐसे लेन-देन के निपटान से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ और हानि तथा अवधि के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित मौद्रिक मदों के पुनः मापन को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि खाता (एफसीएमआईटीआर), दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा उधारों पर असंशोधित विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को दर्शाता है, जिसका परिशोधन संबंधित उधारों की अवधि के दौरान किया जाता है। समूह ने भारतीय लेखा मानक 101 के अनुच्छेद डी13एए की छूट को अपनाया था, जिसके अनुसार वह पिछले जीएएपी के अनुसार, प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों के लेखांकन हेतु अपनाई गई नीति को जारी रख सकता है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेन-देन को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। 31 मार्च, 2018 तक बकाया दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की प्रतिवेदन पर उत्पन्न विनिमय अंतर, प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में प्रचलित दर पर, उस दर से भिन्न जिस पर उन्हें उस अवधि के दौरान प्रारंभिक रूप से दर्ज किया गया था, या पिछले समेकित वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया गया था, एफसीएमआईटीआर खाते में जमा किए जाते हैं और ऐसी दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में, ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता देकर, परिशोधित किए जाते हैं। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें वे हैं जिनकी उत्पत्ति की तिथि पर अवधि बारह महीने या उससे अधिक होती है।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें (जिनकी उत्पत्ति की तिथि पर अवधि बारह महीने से कम होती है) प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में प्रचलित दर पर परिवर्तित की जाती हैं। परिणामी विनिमय उतार-चढ़ाव को ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 27 के अनुसार, मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर जो नकद प्रवाह बचाव में बचाव लिखत के रूप में योग्य हैं, उन्हें अन्य व्यापक आय में बचाव के प्रभावी होने की सीमा तक मान्यता दी जाती है। तदनुसार, समूह नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में प्रतिवेदित तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा ऋणों के परिवर्तन के कारण विनिमय अंतर की पहचान करता है।

(xii) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर मंदित आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के योग से कर पश्चात समायोजित शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से मिश्रित इक्विटी शेयरों की संख्या को शेयर विभाजन/प्रतिवर्ती शेयर विभाजन और बोनस शेयरों के लिए, जैसा उचित हो, समायोजित किया जाता है।

(xiii) प्रावधान

प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है, जब समूह के पास अतीत की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

(xiv) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन टिप्पणी में तब प्रकट किया जाता है जब समूह के पास अतीत की घटनाओं के कारण संभावित दायित्व होता है और दायित्व का अस्तित्व भावी घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं होता है और वर्तमान दायित्व अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होते हैं जहां यह संभावना नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देनदारियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो गया है या नहीं। यदि बहिर्वाह संभावित हो जाता है, तो समेकित वित्तीय विवरणों में सापेक्ष प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

(xv) आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन टिप्पणियों में उनका प्रकटीकरण किया जाता है, जो आमतौर पर अनियोजित या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जो आर्थिक लाभ के अन्तर्वाह की संभावना को जन्म देती हैं।

आकस्मिक परिसंपत्तियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आर्थिक लाभ का अन्तर्वाह लगभग निश्चित होता है या नहीं, फिर ऐसी परिसंपत्तियों और सापेक्ष आय को समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाएगी।

(xvi) खंड प्रतिवेदन

प्रचालन खंडों का प्रतिवेदन मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता को प्रदान की गई आंतरिक प्रतिवेदन के अनुरूप तरीके से की जाती है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) के रूप में पहचाना गया है।

(xvii) महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियाँ

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत की गई पिछली अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः बताकर पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक अवधि से पहले हुई थी, तो प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती शेष को फिर से बताया जाता है, जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, फिर से बताया जाता है कि, इस स्थिति में, लेखांकन नीति को जल्द से जल्द लागू करने के लिए तुलनात्मक जानकारी को व्यावहारिक रूप से सबसे प्रारंभिक तिथि के अनुसार समायोजित किया जाता है।

(xviii) कराधान

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के कर योग्य लाभ पर आधारित है। लाभ और हानि के समेकित विवरण/अन्य व्यापक आय में दर्शाए गए 'कर-पूर्व लाभ' से भिन्न होता है कर योग्य लाभ, क्योंकि आय या व्यय की वे मदें जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य होती हैं और वे मदें जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होतीं। समूह के वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो प्रतिवेदन अवधि के अंत तक लागू हो चुकी हैं या मूल रूप से लागू हो चुकी हैं।

चालू कर को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उन मामलों के जहाँ वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता दी जाती है, ऐसी स्थिति में, चालू कर को क्रमशः अन्य व्यापक

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहाँ चालू कर किसी व्यावसायिक संयोजन के प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहाँ कर प्रभाव को व्यावसायिक संयोजन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को समेकित वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों और कराधान उद्देश्य हेतु उपयोग की जाने वाली संगत राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होगा।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रम से अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

(xix) सहायक कंपनी के अवितरित लाभ/हानि के संबंध में आस्थगित कर देयता/आस्थगित कर परिसंपत्ति

सहायक कंपनी के अवितरित लाभ/हानि के संबंध में समूह के निवेशों के संबंध में आस्थगित कर देयता/आस्थगित कर परिसंपत्ति के लेखांकन में विवेकाधिकार की आवश्यकता होती है। सहायक कंपनी के अवितरित लाभ/हानि के संबंध में, कंपनी अस्थायी अंतरों के प्रत्यावर्तन के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और निकट भविष्य में अस्थायी अंतरों को प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा। तदनुसार, समूह सहायक कंपनी में निवेश से जुड़े सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देयता को मान्यता नहीं देता है।

(xx) निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी वृद्धि (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति सहित) के लिए रखी जाती हैं। निवेश संपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर, व्यापार छूट और रियायत में कटौती के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, समूह लागत मॉडल का उपयोग करके निवेश संपत्ति को मापती है।

एक निवेश संपत्ति को निपटान पर या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से हटा दिया जाता है और निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे मान्यता से हटा दिया जाता है। संपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल की जाती है जिसमें संपत्ति को मान्यता से हटा दिया जाता है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति वर्ग के अनुसार किया जाएगा जिससे वह संबंधित है और परिसंपत्ति का जीवन समूह में उसी परिसंपत्ति वर्ग के लिए निर्धारित अवधि के अनुसार होगा।

हालांकि निवेश संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, निवेश संपत्ति का उचित मूल्य टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

(xxi) कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति (जैसे कि भुगतान की गई वार्षिक छुट्टी) सहित अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, जहां अनुपस्थिति उस अवधि के अंत के बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, लाभ साझाकरण और बोनस उस अवधि के अंत के बारह महीनों के भीतर देय होते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं और वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर-मौद्रिक लाभों का अनुमान लगाया जाता है और बिना छूट के आधार पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

ख) रोजगार के बाद लाभ योजनाओं को परिभाषित लाभ योजनाओं और परिभाषित योगदान योजनाओं में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

(i) परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत समूह कर्मचारियों के संबंध में एक अलग कोष में निश्चित योगदान का अंशदान करता है। समूह के पास निश्चित अंशदान के अपने भुगतान के बाद आगे कोई अंशदान देने का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है। परिभाषित अंशदान योजनाओं के लिए समूह द्वारा किए गए योगदानों को उस अवधि में लाभ और हानि के समेकित विवरण में शामिल किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित है।

(ii) परिभाषित लाभ योजना

समूह का उपदान, सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और अन्य परिभाषित सेवा-निवृत्ति लाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व है, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने वाली परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में माना जा रहा है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत, सेवा-निवृत्ति पर कर्मचारी को मिलने वाली राशि कर्मचारी की सेवा की अवधि, अंतिम वेतन और अन्य परिभाषित प्राचल के संदर्भ में परिभाषित की जाती है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व समूह के पास रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना को वित्तपोषित करने के लिए योजना परिसंपत्तियाँ अलग रखी गई हों।

परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रति समूह का दायित्व अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदन अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त देयता प्रतिवेदन तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) के वर्तमान मूल्य से योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाकर प्राप्त की जाती है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से सालाना डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्ति के पुनर्मापन से होने वाले बीमांकिक लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है।

भविष्य निधि, परोपकारी निधि, सेवा-निवृत्ति निधि और उपदान के संबंध में कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए देयता को अलग-अलग ट्रस्टों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

भविष्य निधि/सेवा-निवृत्ति निधि में समूह का अंशदान पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस उद्देश्य के लिए स्थापित अलग-अलग ट्रस्टों को भेजा जाता है और लाभ और हानि के समेकित विवरण के नामें डाला जाता है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

समेकित तुलन पत्र की तिथि के एक वर्ष से अधिक समय बाद देय या अपेक्षित होने वाली क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के संबंध में देयता का अनुमान, अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि के लाभ और हानि के समेकित विवरण में दर्ज किया जाता है जिसमें ऐसे लाभ या हानि का निर्धारण किया जाता है।

(xxii) वित्तीय लिखतें

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाता है और इन्हें शुरू में लेन-देन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय उन परिसंपत्तियों और देनदारियों के जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के बाद के मापन का वर्णन नीचे किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और बाद में मापन

बाद में मापन के उद्देश्य से, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

•परिशोधित लागत

- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीटीपीएल या एफवीओसीआई पर इक्विटी उपकरणों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ कम से कम प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर हानि के लिए समीक्षा के अधीन हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई वस्तुनिष्ठ सबूत है कि कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों का समूह क्षतिग्रस्त है। वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी पर हानि निर्धारित करने के लिए अलग-अलग मानदंड लागू होते हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

❖ **परिशोधित लागत पर ऋण**

ऋण (वित्तीय परिसंपत्ति) को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना है; और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकद प्रवाह को जन्म देती हैं जो सिर्फ़ मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान होता है।

परिशोधित लागत पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ता मान्यता प्राप्त है।

❖ **लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में सभी व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं, सिवाय उन वित्तीय उपकरणों के जो बचाव उपकरणों के रूप में नामित और प्रभावी हैं, जिन पर बचाव लेखांकन आवश्यकताएँ लागू की जा रही हैं। इस श्रेणी की परिसंपत्तियों को लाभ और हानि के समेकित विवरण में दर्शाए गए लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी की वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेन-देन के संदर्भ में या किसी सक्रिय बाजार के अभाव में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

❖ **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापी गई इक्विटी लिखत से मिलकर बनी होती हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश को शुरू में उचित मूल्य और लेन-देन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और लाभांश आय को छोड़कर, जिसे लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, इक्विटी के भीतर एफवीओसीआई आरक्षित निधि में रिपोर्ट किया जाता है। निवेश की मान्यता रद्द होने पर भी, ओसीआई से लाभ और हानि के समेकित विवरण में ऐसे लाभ और हानि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, समूह इसे इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकता है।

<u>वित्तीय परिसंपत्तियों की अ-मान्यता</u>

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहाँ लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) की मान्यता तब रद्द कर दी जाती हैं (यानी समूह के तुलन पत्र से हटा दी जाती हैं) जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और लगभग सभी संभावित हानि के विरुद्ध संतुलित लाभ की संभावना में हस्तांतरित हो जाते हैं।समूह उस वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता भी रद्द कर देता है, यदि उसने वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर दिया है और स्थानांतरण मान्यता रद्द करने के लिए योग्य है।

<u>वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और उसके बाद का मापन</u>

वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, सिवाय व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के जिन्हें एफवीटीपीएल पर रखा जाता है, बाद में लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर। सभी होस्ट अनुबंध जो वित्तीय देयता की प्रकृति के हैं और अंतर्निहित व्युत्पन्नी से अलग हैं, प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

<u>वित्तीय देनदारियों की अ-मान्यता</u>

किसी वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब उस दायित्व के अंतर्गत दायित्व मुक्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता द्वारा काफी भिन्न शर्तों पर किसी अन्य दायित्व से प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों में काफी परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसे परिवर्तन या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता समाप्त करने और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशियों के अंतर को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

व्युत्पन्नी वित्तीय साधन

समूह विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों पर विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के संपर्क में है। समूह व्युत्पन्नी उपयोग सहित स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का पालन करके विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को सीमित करता है।

समूह विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों का बचाव करने के लिए व्युत्पन्नी साधन का उपयोग करती है जिसमें प्रिंसिपल स्वैप, क्रॉस करेंसी और ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा और क्रॉस करेंसी विकल्प, संरचित उत्पाद आदि शामिल हैं।

व्युत्पन्नी को पहचाना और उचित मूल्य पर मापा (एमटीएम) जाता है। जिम्मेदार लेन-देन लागत को लाभ और हानि के समेकित विवरण में लागत के रूप में पहचाना जाता है।

वित्तीय परिसंपत्ति की अ-मान्यता:

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकद प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार स्थानांतरित हो जाते हैं।

बचाव लेखांकन

व्युत्पन्नी वित्तीय साधनों को लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर लेखाबद्ध किया जाता है, सिवाय नकद प्रवाह बचाव संबंधों में बचाव लिखत के रूप में नामित व्युत्पन्नी के, जिसके लिए एक विशिष्ट लेखांकन उपचार की आवश्यकता होती है। बचाव लेखांकन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए, बचाव संबंध को निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करना चाहिए:

- बचाव किए गए मदों और बचाव लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध है
- ऋण जोखिम का प्रभाव उस आर्थिक संबंध से होने वाले मूल्य परिवर्तनों पर हावी नहीं होता है
- बचाव संबंध का बचाव अनुपात बचाव किए गए मद की मात्रा से उत्पन्न होने वाले अनुपात के समान है जिसका इकाई वास्तव में बचाव करती है और बचाव लिखत की मात्रा जिसे इकाई वास्तव में बचाव किए गए मद की मात्रा को बचाव करने के लिए उपयोग करती है।

समूह ने नकद प्रवाह बचाव संबंधों में बचाव लिखत के रूप में ज्यादातर व्युत्पन्नी अनुबंधों को नामित किया है। ये व्यवस्थाएं विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए की गई हैं, जो विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ऋण उपकरणों के विरुद्ध उत्पन्न होते हैं।

- नकद प्रवाह बचाव समूह की नकद प्रवाह स्थिति को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव में परिवर्तन से बचाने और नकद प्रवाह में परिवर्तनशीलता को निश्चित करने के लिए की जाती है।
- समूह निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार बचाव लिखत में प्रवेश करता है; और लिखित सिद्धांत प्रदान करता है जो समूह की जोखिम प्रबंधन रणनीति/नीतियों के अनुरूप हैं।
- बचाव लेखांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी व्युत्पन्नी वित्तीय साधनों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में समेकित तुलन पत्र में उचित मूल्य पर प्रतिवेदित किया जाता है।

बचाव लिखत को अनुबंध की शुरुआत में बचाव के रूप में नामित और प्रलेखित किया जाता है। बचाव लिखत की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और मापन शुरुआत में और निरंतर आधार पर किया जाता है। संबंधित बैंकों/तृतीय पक्ष द्वारा निर्दिष्ट बचाव उपकरण के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी भाग को "अन्य व्यापक आय" में "नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि" के रूप में मान्यता दी जाती है। अप्रभावी भाग को लाभ और हानि के समेकित विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है, जब भी ऐसा होता है।

जिस समय बचाव की गई वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है, उस समय अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है और अन्य व्यापक आय के भीतर पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि बचाव संबंध अब बचाव लेखांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो बचाव लेखांकन को भावी रूप से बंद कर दिया जाता है। यदि बचाव लिखत की समय सीमा समाप्त हो जाती है या उसे बेच दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है, तो नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त बचाव लिखत पर संचयी लाभ या हानि, बचाव के प्रभावी होने की अवधि तक नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बनी रहती है। नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को अंतर्निहित लेन-देन की घटना पर लाभ और हानि के समेकित विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

हानि

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

❖ ऋण परिसंपत्तियाँ

समूह प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर परिशोधित लागत पर वहन की जाने वाली ऋण परिसंपत्ति की हानि के लिए 'तीन-चरण' मॉडल का पालन करती है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- चरण 1 में वे ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम है।
- चरण 2 में वे ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन जिनमें हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य नहीं हैं।
- चरण 3 में वे ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हैं।

अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) को चरण 1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-माह की ईसीएल और चरण 2 और चरण 3 ऋण परिसंपत्तियों हेतु आजीवन ईसीएल पर मापा जाता है। ईसीएल चूक की संभावना, चूक पर जाखिम और हानि प्रदत्त चूक का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

चूक की संभावना (पीडी) - पीडी, उधारकर्ता द्वारा अपने वित्तीय दायित्व पर चूक करने की संभावना को दर्शाता है, या तो अगले 12 महीनों में (12 महीने पीडी), या दायित्व के शेष जीवनकाल (लाइफटाइम पीडी) में।

चूक पर हानि (एलजीडी) - एलजीडी चूक जोखिम पर हानि की सीमा के बारे में समूह की अपेक्षा को दर्शाता है। एलजीडी प्रतिपक्ष के प्रकार, दावे के प्रकार और वरीयता तथा संपार्श्विक या अन्य ऋण सहायता की उपलब्धता के अनुसार भिन्न होता है।

चूक पर जोखिम (ईएडी) - ईएडी उस मूल्यांकन तिथि पर बकाया जोखिम की राशि पर आधारित है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है।

12 महीने और आजीवन पीडी, ईएडी और एलजीडी निर्धारित करने में अग्रगामी आर्थिक जानकारी शामिल की जाती है। अपेक्षित ऋण हानि के अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर निगरानी और समीक्षा की जाती है।

❖ **ऋण के अलावा अन्य वित्तीय लिखतों में शामिल हैं:-**

- वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, बिल रहित राजस्व, वित्त पट्टा प्राप्य, कर्मचारी और अन्य अग्रिम शामिल हैं।
- वित्तीय देनदारियों में उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापार देय शामिल हैं।

ऋणों के अलावा अन्य गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेन-देन लागत शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों को तब मान्यता से हटा दिया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्त संभावित हानि के विरुद्ध संतुलित लाभ की संभावना में हस्तांतरित कर दिए गए हों। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त संभावित हानि के विरुद्ध संतुलित लाभ की संभावना न तो हस्तांतरित की गई है और न ही बनाये रखी गई है, वित्तीय परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता से हटा दिया जाता है जब समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरक़रार नहीं रखा हो।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, उन्हें नीचे निर्धारित तरीके से मापा जाता है:

क) नकद और नकद समतुल्य

नकद प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजनों हेतु, नकद और नकद समतुल्यों में हाथ और बैंक में नकद, बैंकों में मांग जमा, नकद ऋण, सावधि जमा और विदेशी मुद्रा जमा, निवल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं जो मांग पर चुकाये जाने योग्य हैं और समूह की नकद प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माने जाते हैं। वित्तीय स्थिति के विवरण में, बैंक ओवरड्राफ्ट को उधार के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

ख) व्यापार प्राप्य

समूह व्यापार प्राप्य पर हानि क्षति भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करता है। सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए समूह को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि नुकसान भत्ते को मान्यता दी जाती है। समूह प्राप्य के व्यक्तिगत मूल्यांकन, व्यापार प्राप्य के अपेक्षित जीवनकाल में ऐतिहासिक रूप से देखी गई चूक दरों के आधार पर हानि नुकसान भत्ते का निर्धारण करता है और इसे भविष्य-उन्मुख अनुमानों के लिए समायोजित करता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

ग) अन्य देय

अन्य देय को शुरू में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। इन वित्तीय लिखतों हेतु, इन लिखतों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण वहन राशि अनुमानित उचित मूल्य के करीब होती है।

(xxiii) लाभांश

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है जिसमें उसे क्रम से निदेशक मंडल और शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाता है।

(xxiv) उचित मूल्य माप व प्रकटीकरण

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर व्युत्पन्नी जैसे वित्तीय लिखतों को मापता है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेन-देन में किसी परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाए। उचित मूल्य माप इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने का लेन-देन इस प्रकार होता है,जैसे या तो:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में मुख्य या सबसे अधिक लाभप्रद बाजार समूह द्वारा अवश्य सुलभ होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है, जिनका उपयोग बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय करेंगे, जिसमें जोखिम के बारे में मान्यताएँ शामिल हैं, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। किसी गैर-वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य मापन परिसंपत्ति का उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में उपयोग करके या उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की बाजार प्रतिभागी की क्षमता को ध्यान में रखता है, जो परिसंपत्ति का उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में उपयोग करेगा।

समूह उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, प्रासंगिक अवलोकनीय निविष्टियों के उपयोग को अधिकतम करना और अवलोकनीय निविष्टियों के उपयोग को कम करना।

सभी परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जिनके लिए उचित मूल्य समेकित वित्तीय विवरणों में मापा जाता है या प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन निम्नतम स्तर निविष्टि के आधार पर किया जाता है जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर निविष्टि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर निविष्टि अवलोकनीय नहीं है।

नियमित रूप से समेकित वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण (न्यूनतम स्तर निविष्टि पर आधारित जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) का पुनर्मूल्यांकन करके पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं का निर्धारण करती है।

(xxv) राजस्व मान्यता

- **ब्याज आय**

ब्याज आय सभी वित्तीय परिसंपत्तियों (समूह द्वारा क्रेडिट क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को मान्यता नहीं दिये जाने को छोड़कर) पर परिशोधित लागत पर मापी जाती है। ब्याज आय को भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय साधनों के अनुरूप प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर छूट देती है। ईआईआर की गणना लेन-देन लागत और शुल्क को ध्यान में रखकर की जाती है जो भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। क्रेडिट क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को प्राप्ति आधार पर मान्यता दी जाती है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज का समय पर भुगतान करने पर मिलने वाली छूट, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, समय पर देय संपूर्ण ब्याज राशि प्राप्त होने पर मान्यता प्राप्त होती है तथा उसे संबंधित ब्याज आय के प्रति घटा दिया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, उधारकर्ताओं से वसूली (i) आकस्मिक शुल्क (ii) दंडात्मक ब्याज (iii) अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन की चुकौती के क्रम में विनियोजित की जाती है; सबसे पुराने को पहले समायोजित किया जाता है। एकमुश्त निपटान(ओटीएस)/दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली पहले बकाया मूलधन के लिए विनियोजित की जाती है और उसके बाद शेष वसूली, ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए, यदि कोई हो।

❖ **अन्य राजस्व**

- राजस्व (उन मदों के अलावा जिन पर भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय लिखत लागू होते हैं) को भारतीय लेखा मानक 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व अनुसार मान्यता दी जाती है, जो ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न राजस्व के लिए लेखांकन के एकल व्यापक मॉडल को रेखांकित करता है। समूह भारतीय लेखा मानक 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व में निर्धारित सिद्धांत के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व को मान्यता देती है।
- ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि आर्थिक लाभ समूह को मिलेगा और यदि लागू हो तो राजस्व और लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अनुबंध के तहत सहमत लेन-देन मूल्य पर राजस्व मापा जाता है। लेन-देन मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियाँ शामिल नहीं होती हैं (उदाहरण के लिए, सरकार की ओर से एकत्र किए गए कर) और इसमें रियायत, छूट जैसे परिवर्तनीय विचार शामिल/समायोजित किए जाते हैं, केवल इस सीमा तक कि यह अत्यधिक संभावित है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में कोई महत्वपूर्ण उलटफेर तब तक नहीं होगा जब तक परिवर्तनीय विचार से जुड़ी अनिश्चितता बाद में हल नहीं हो जाती है।

❖ **सौर संयंत्र से राजस्व**

सौर संयंत्र से आय को तब मान्यता दी जाती है जब समय के साथ प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाते हैं। दी गई रियायत को सकल राजस्व की राशि से कटौती के रूप में प्रकट किया जाता है।

❖ **शुल्क व कमीशन से राजस्व**

- शुल्क और कमीशन से राजस्व

शुल्क और कमीशन को समय आधार पर मान्यता दी जाती है जब ऐसे शुल्क संचित करने की संभावना स्थापित हो जाती है।

- सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं के कार्यान्वयन से राजस्व

समूह अपनी निजी गतिविधियों के अलावा, समूह और ऐसे संगठन के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। ऐसी गतिविधियों का विवरण समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

जब भी ऐसे समझौता ज्ञापन में शामिल होने के आधार पर ट्रस्ट के तहत कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो उसे नकद और नकद समतुल्यों में शामिल नहीं किया जाता है और ऐसे संगठनों से संबंधित ऐसी निधि से उत्पन्न ब्याज आय सहित किसी भी आय को समूह के राजस्व के रूप में नहीं गिना जाता है।

समूह द्वारा कार्यान्वित ऐसी योजनाओं से अर्जित सेवा-शुल्क को उस समय आधार पर मान्यता दी जाती है जब ऐसे सेवा-शुल्क संचित करने की निश्चितता स्थापित हो जाती है।

(xxvi) व्यय

व्यय का लेखा-जोखा उपार्जन आधार पर किया जाता है। प्रति मद ₹5,00,000 तक के पूर्व-प्रदत्त व्यय को लाभ और हानि के समेकित विवरण में तब प्रभारित किया जाता है जब वह व्यय/समायोजित/प्राप्त हो।

(xxvii) शेयर जारी करने पर व्यय

शेयर जारी करने पर व्यय, यदि कोई हो, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 2: नकद और नकद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
I. नकद और नकद समतुल्य		
(अ) हाथ में नकद	-	-
(ब) बैंकों के पास शेष राशि:-		
(क) बैंकों के साथ चालू खाता		
- भारतीय शाखाओं में	19.74	8.32
- विदेशी शाखाओं में	0.02	0.58
(ख) जमा खाता		
भारतीय शाखाओं में अल्पावधि जमा	-	0.66
विदेशी शाखाओं में अल्पावधि जमा	27.75	-
(ग) बचत बैंक खाता		
- भारतीय शाखाओं में	7.88	7.56
(स) चेक/डीडी हाथ में और डाक अग्रदाय	0.00	-
(द) ओवरड्राफ्ट खातों में	1.90	57.09
कुल (अ+ब+स+द)	**57.29**	**74.21**

ऊपर प्रस्तुत प्रतिवेदन वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्यों तथा बैंक में शेष राशि के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।
उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) के बारे में प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 38(49एन) भी देखें।

टिप्पणी 3 : नकद और नकद समतुल्यों के अलावा अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
क. बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि		
अ) चालू खाते में		
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)	0.02	0.02
- एमएनआरई भारत सरकार पूर्ण सेवा बॉण्ड [टिप्पणी 38(44) देखें]	0.03	3.53
- इरेडा (बॉण्ड्स पर ब्याज और लाभांश खाता)	1.64	1.11
- एमएनआरई/यूएनडीपी-इरेडा योजना निधि [टिप्पणी 38(43) देखें][1]	101.22	3.35
- इरेडा सीएसआर अव्ययित खाता [टिप्पणी 38(39) देखें]	7.37	1.64
उप योग (अ)	**110.28**	**9.65**
ब) बचत खाते में		
- इरेडा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	7.67	14.28
- एमएनआरई/यूएनडीपी-इरेडा योजना निधि [टिप्पणी 38(43) देखें] [1]	17.44	177.20
उप योग (ब)	**25.11**	**191.48**
स) जमा खाते में (आईएनआर)		
- इरेडा [2]	0.48	0.45
- एमएनआरई	0.17	0.17
- एमएनआरई भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड [टिप्पणी 38(44) देखें]	14.31	9.96
- इरेडा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	431.88	385.97

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
- एमएनआरई/यूएनडीपी-इरेडा योजना निधि [टिप्पणी 38(43) देखें][1]	47.40	54.31
- ऊर्जा परियोजनाओं तक पहुंच के लिए चूक जोखिम में कमी (केएफडब्ल्यू VI)3	10.12	9.69
उप-योग (स)	**504.36**	**460.55**
द) जमा खाते में (विदेशी मुद्रा)		
उप-योग (द)	-	-
उप-योग (क)=(अ+ब+स+द)	**639.75**	**661.68**
ख. जमा खाता (मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक)		
- आईएनआर सावधि जमा	1.59	-
उप-योग (ख)	**1.59**	**-**
कुल	**641.34**	**661.68**

[1] कंपनी भारत सरकार की कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों को संवितरण के लिए प्राप्त निधियों को एक अलग बैंक खाते में रखा जाता है। योजना के लिए असंवितरित निधियों (उस पर ब्याज, यदि कोई हो सहित) को योजना के नामित निधियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। टिप्पणी 38 (43) देखें।

2 माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिविल विविध रिट याचिका संख्या 28928 ऑफ़ 2009 में पारित दिनांक 03.07.2009 के आदेश के अनुसार दो बॉण्ड धारकों अर्थात मैसर्स द बंगाल क्लब लिमिटेड और सुश्री माया एम. चुलानी के भुगतान के प्रति बैंक ऑफ बड़ौदा, भीकाजी कामा प्लेस नयी दिल्ली में ब्याज सहित एफडीआर के रूप में ₹0.48 करोड़ (31.03.2024 तक : ₹0.45 करोड़) की राशि रखी गई है। उक्त सिविल विविध रिट याचिका संख्या 28928 ऑफ़ 2009 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2018 के आदेश द्वारा चूक के कारण खारिज कर दिया गया था। उक्त बर्खास्तगी के अनुसरण में, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद ने 30.03.2019 को बहाली आवेदन दायर किया है। इसके अलावा, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद द्वारा 23.03.2024 को शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन भी दायर किया गया है। उक्त मामले को अभी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना है।

3 निवेश-सूची जोखिम रक्षित खाता (पीआरआरए) की स्थापना करके केएफडब्ल्यू VI ऋण सीमा के तहत कंपनी के समग्र 'ऊर्जा तक पहुंच' टिप्पणी के 70% तक चूक जोखिमों को आवृत्त करने के लिए केएफडब्ल्यू द्वारा प्रावधानित किया गया। उक्त राशि का उपयोग एनपीए घोषित होने पर ऋण सेवा रक्षित खाता (डीएसआरए) समाप्त होने के बाद उधारकर्ता के बकाया ऋण सेवा दायित्व के 70% तक की वसूली के लिए किया जाएगा।

टिप्पणी 4: व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत

कंपनी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को बचाने के लिए व्युत्पन्नी अनुबंध में शामिल होती है। व्युत्पन्न लेन-देन में देनदारियों को कम करने के लिए फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप आदि शामिल हैं। ये व्युत्पन्न लेन-देन बचाव के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा उद्देश्य के लिए।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को			31.03.2024 को		
भाग I	**काल्पनिक राशियाँ**	**उचित मूल्य – परिसंपत्तियाँ**	**उचित मूल्य - देयताएँ**	**काल्पनिक राशियाँ**	**उचित मूल्य – परिसंपत्तियाँ**	**उचित मूल्य - देयताएँ**
(i) मुद्रा व्युत्पन्नी:-						
प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस)	4,728.54	386.73	21.29	6,602.14	422.83	163.27
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध	-	-	-	616.68	-	33.93
विकल्प अनुबंध	1,576.39	42.51	1.91	-	-	-
उप-योग (i)	**6,304.93**	**429.24**	**23.20**	**7,218.82**	**422.83**	**197.20**
(ii) ब्याज दर व्युत्पन्नी :-						
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस)	285.20	58.65	-	442.21	60.96	10.82
उप-योग (ii)	**285.20**	**58.65**	**-**	**442.21**	**60.96**	**10.82**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

कुल व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत (i+ii)	**6,590.12**	**487.89**	**23.20**	**7,661.03**	**483.78**	**208.02**

भाग II	31.03.2025 को			31.03.2024 को		
	काल्पनिक राशियाँ	उचित मूल्य – परिसंपत्तियाँ	उचित मूल्य - देयताएँ	काल्पनिक राशियाँ	उचित मूल्य – परिसंपत्तियाँ	उचित मूल्य - देयताएँ
उपर्युक्त (भाग I) में बचाव और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए धारित निम्नानुसार व्युत्पन्नी शामिल हैं:-						
(i) नकद प्रवाह बचाव:-						
मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	4,305.32	339.41	0.98	6,190.30	390.61	144.92
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध	-	-	-	616.68	-	33.93
विकल्प अनुबंध	1,576.39	42.51	1.91	-	-	-
ब्याज दर व्युत्पन्नी (सीसीआईआरएस)	285.20	58.65	-	442.21	60.96	10.82
उप-योग (i)	**6,166.91**	**440.57**	**2.89**	**7,249.19**	**451.57**	**189.67**
(ii)अनिर्दिष्ट व्युत्पन्नी :-						
मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	423.22	47.31	20.31	411.84	32.21	18.34
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध	-	-	-	-	-	-
विकल्प अनुबंध	-	-	-	-	-	-
ब्याज दर व्युत्पन्नी (सीसीआईआरएस)	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ii)	**423.22**	**47.31**	**20.31**	**411.84**	**32.21**	**18.34**
कुल व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत (i) + (ii)	**6,590.12**	**487.89**	**23.20**	**7,661.03**	**483.78**	**208.02**

जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 38 (20) और व (30) देखें।

टिप्पणी 5 : प्राप्य

व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
अ व्यापार प्राप्य		
(क) प्राप्य अच्छे माने गए -रक्षित	-	-
(ख) प्राप्य अच्छे माने गए - अरक्षित	5.93	6.02
(ग) प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
(घ) प्राप्य क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-
उप योग (अ)	**5.93**	**6.02**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

क्षतिग्रस्त हानि के लिए भत्ता (ब)	-	-
कुल (अ-ब)	**5.93**	**6.02**

व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची
31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
			6 महीनों से कम	6 महीनों से 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	3.17				2.76	-	0.00	**5.93**
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(iii) निर्विवाद व्यापार - क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	**-**

31.03.2024 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
			6 महीनों से कम	6 महीनों से 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	3.26	-	1.16	-	1.60	0.00	-	**6.02**
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(iii) निर्विवाद व्यापार - क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	**-**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-	-

एजिंग भुगतान की निर्धारित तिथि पर आधारित है और जहाँ भुगतान की निर्धारित तिथि निर्दिष्ट नहीं है, एजिंग लेन-देन की तिथि पर आधारित है।

बिना बिल वाली बकाया राशि के विवरण के लिए टिप्पणी 38(31) देखें

टिप्पणी 6 : ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
अ) ऋण		
(i) सावधि ऋण		
सावधि ऋण	76,281.65	59,698.11
ऋणों पर अर्जित और देय ब्याज, जिसमें परिसमाप्त क्षतिपूर्ति भी शामिल हैं	35.79	27.04
ऋणों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	28.87	28.36
फ्रंट एंड शुल्क समायोजन	(216.88)	(173.85)
परिशोधित लागत पर सकल सावधि ऋण	**76,129.43**	**59,579.66**
(ii) अन्य		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	6.65	6.65
एमएनआरई ऋणों पर अर्जित और देय ब्याज	2.55	2.55
कर्मचारियों को ऋण	32.75	23.71
केएमपी को ऋण	1.16	-
कर्मचारियों के ऋणों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	5.23	3.84
संबंधित पक्ष के कर्मचारियों के ऋणों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	0.08	0.12
कुल (अ) - सकल ऋण	**76,177.85**	**59,616.53**
घटाएँ: क्षति हानि भत्ता	857.87	841.44
कुल (अ) - शुद्ध ऋण	**75,319.98**	**58,775.09**
(ब) उपर्युक्त का उप-वर्गीकरण :		
सुरक्षा-वार वर्गीकरण		
(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा रक्षित		
सावधि ऋण	58,493.11	50,865.83
कर्मचारियों को ऋण	32.75	23.71
केएमपी को ऋण	1.16	-
ऋणों पर अर्जित और देय ब्याज	35.81	26.95
अर्जित और देय परिसमाप्त क्षतिपूर्ति	(0.02)	0.09
ऋणों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	34.10	32.20
संबंधित पक्ष के ऋणों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	0.08	0.12
एमएनआरई के घटकों को ऋण		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	6.65	6.65

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
एमएनआरई ऋणों पर अर्जित एवं देय ब्याज	2.55	2.55
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा रक्षित	-	-
(iii) सरकारी गारंटी द्वारा आवृत्त		
सावधि ऋण	4,685.80	2,171.13
(iv) अरक्षित		
सावधि ऋण	12,885.86	6,487.30
कुल (ब) - सकल ऋण	**76,177.85**	**59,616.53**
घटाएँ : क्षति हानि भत्ता	857.87	841.44
कुल (ब) -निवल ऋण	**75,319.98**	**58,775.09**
(स) (I)भारत में ऋण		
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	20,872.00	14,939.97
(ii) अन्य	55,305.85	44,676.56
कुल (स) (I) सकल ऋण	**76,177.85**	**59,616.53**
घटाएँ: क्षति हानि भत्ता	857.87	841.44
कुल (स) (I) - निवल ऋण	**75,319.98**	**58,775.09**
(स) (II) भारत के बाहर ऋण	-	-
कुल स (I) और स (II) - निवल ऋण	**75,319.98**	**58,775.09**

31.03.2025 तक ₹12,885.86 करोड़ के कुल अरक्षित ऋणों में से (31.03.2024 तक : ₹ 6,487.30 करोड़), 31.03.2025 तक ₹12,885.00 करोड़ (31.03.2024 तक : ₹ 6,485.76 करोड़) की राशि के ऋण कंपनी ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अप्रतिबंधित विशिष्ट राजस्व धारा निर्धारित कर डिफ़ॉल्ट एस्क्रो खाते पर विशेष प्रभार के माध्यम से अमूर्त सुरक्षा द्वारा रक्षित हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने उधारकर्ताओं को पत्र भेजे हैं, सिवाय उन मामलों के जहां ऋण वापस लिये गए हैं या न्यायालय/एनसीएलटी के समक्ष लंबित हैं, उधारकर्ताओं को 31.03.2025 तक शेष राशि की पुष्टि की मांग की है। उक्त शेष राशि के 22.42% की पुष्टि प्राप्त हुई है (पिछले वर्ष: 13.91%)। शेष ऋण परिसंपत्तियों में से ₹59,165.69 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹51,380.72 करोड़) की राशि, जिसके लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, 79.59% ऋण (पिछले वर्ष: 87.43%) मूर्त प्रतिभूतियों द्वारा रक्षित हैं, 7.91% (पिछले वर्ष :1.89%) सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में और शेष अरक्षित ऋण हैं।

उधार लेने वाली संस्थाओं की परिसंपत्तियों आदि के माध्यम से रखी गई सुरक्षा के अलावा, कंपनी ने बैंकों द्वारा जारी एफडीआर और गारंटियाँ दिनांक 31.03.2025 को क्रम से ₹730.50 करोड़ और ₹307.61करोड़ (31.03.2024 को : क्रम से ₹ 631.32 करोड़ और ₹242.74 करोड़) रखीं, जो दिए गए ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूतियों के रूप में थीं।

क्रेडिट जोखिम पर प्रकटीकरण हेतु, टिप्पणी 38 (20) देखें।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित समाधान योजनाओं पर प्रकटीकरण के लिए, टिप्पणी 38 (49क) देखें।

टिप्पणी 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
(अ) निवेश		
परिशोधित लागत पर		
(i) सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (उद्धृत)	600.14	101.30
इकाई की संख्या : 5.91 करोड़ [31.03.2024 : 1 करोड़]		
कुल - सकल (अ)	**600.14**	**101.30**
(ब) उपर्युक्त का उप-वर्गीकरण:		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(i) भारत के बाहर निवेश	-	-
(ii) भारत में निवेश	600.14	101.30
कुल (ब)	**600.14**	**101.30**
घटाएँ: क्षति हानि हेतु भत्ता (स)	-	-
कुल - शुद्ध (द) = (अ) - (स)	**600.14**	**101.30**

टिप्पणी 38 (49ग) भी देखें

टिप्पणी 8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
सुरक्षा जमा	3.73	3.71
कर्मचारियों को अग्रिम	6.55	6.92
केएमपी को अग्रिम	0.11	0.20
अन्य प्राप्य :		
एफडीआर - उधारकर्ता	11.95	11.30
वाणिज्यिक पत्र	68.99	68.99
घटाएँ: वाणिज्यिक पत्रों पर क्षति हानि भत्ता	(68.99)	(68.99)
अन्य	5.71	1.34
कुल	**28.05**	**23.47**

टिप्पणी 9 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
अग्रिम आयकर और टीडीएस (क)	2,442.59	2,101.90
घटाएँ: आयकर के लिए प्रावधान (ख)	2,222.69	1,946.49
कुल (क-ख)	**219.90**	**155.41**

टिप्पणी 10: आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
लाभ और हानि अनुभाग, ओसीआई व अन्य इक्विटी		
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
गारंटी कमीशन पर अप्रत्यक्ष कर और अन्य हेतु प्रावधान	28.07	26.31
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	4.08	3.92
क्षति हेतु प्रावधान	391.50	358.84
शुल्क आय - पुस्तकों में आस्थगित	72.85	54.62
शेयर जारी करने का व्यय	4.55	6.28
उप योग	**501.05**	**449.97**
स्थगित कर देयताएँ		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

मूल्यह्रास	40.72	43.86
विदेशी मुद्रा हानि परिवर्तन अंतर	95.41	114.72
बॉण्ड की लेन-देन लागत	4.35	1.94
ऋण की लेन-देन लागत	-	-
उप योग	**140.48**	**160.52**
कुल	**360.57**	**289.45**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)	**360.57**	**289.45**

आस्थगित करों के हलचल पर प्रकटीकरण हेतु टिप्पणी 38(3) देखें

टिप्पणी 11 : निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि*
सकल ब्लॉक	
01.04.2023 को शेष	**0.09**
जोड़ें	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण	-
31.03.2024 को शेष	**0.09**
01.04.2024 को शेष	**0.09**
जोड़ें	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण	-
31.03.2025 को शेष	**0.09**
संचित मूल्यह्रास	
01.04.2023 को शेष	**0.06**
मूल्यह्रास व्यय	0.00
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-
31.03.2024 को शेष	**0.06**
01.04.2024 को शेष	**0.06**
मूल्यह्रास व्यय	0.00
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-
31.03.2025 को शेष	**0.07**
वहन राशि	
31.03.2024 को	0.03
31.03.2025 को	0.02

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य	राशि*
31.03.2024 को	2.90
31.03.2025 को	3.66

*निवेश संपत्ति (भवन - आवासीय) से संबंधित है। टिप्पणी 38(19) देखें।

टिप्पणी 12 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	भवन		संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर व जुड़नार	कार्यालय उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कंप्यूटर					
सकल ब्लॉक									
01.04.2023 को शेष	**1.30**	**22.39**	**293.91**	**7.35**	**0.88**	**2.21**	**4.87**	**0.00**	**332.92**
वर्ष के दौरान संयोजन	-	-	-	3.72	0.71	5.41	8.69	-	18.53
समायोजन/ पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान निपटान/बिक्री/ हस्तांतरण	-	-	-	3.94	-	0.17	0.55	-	4.66
31.03.2024 को शेष	**1.30**	**22.39**	**293.91**	**7.13**	**1.59**	**7.45**	**13.01**	**0.00**	**346.79**
01.04.2024 को शेष	**1.30**	**22.39**	**293.91**	**7.13**	**1.59**	**7.45**	**13.01**	**0.00**	**346.79**
वर्ष के दौरान संयोजन	-	-	-	5.25	-	6.62	13.51	0.00	25.38
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान निपटान/बिक्री/ हस्तांतरण	-	-	-	0.46	0.19	0.20	0.87	-	1.72
31.03.2025 को शेष	**1.30**	**22.39**	**293.91**	**11.92**	**1.40**	**13.87**	**25.66**	**0.00**	**370.45**
संचित मूल्यह्रास									
01.04.2023 को शेष	**0.59**	**7.92**	**103.13**	**5.95**	**0.10**	**0.78**	**1.61**	**0.00**	**120.08**
समायोजन/ पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	0.07	1.33	17.29	1.54	0.41	0.89	2.70	0.00	24.22
पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	भवन		संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर व जुड़नार	कार्यालय उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	चेन्नई में कार्यालय स्थल	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कंप्यूटर					
घटाएँ: निपटान/ बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-	-	-	3.66	-	0.05	0.19	-	3.90
31.03.2024 को शेष	**0.65**	**9.25**	**120.42**	**3.83**	**0.51**	**1.62**	**4.12**	**0.00**	**140.40**
01.04.2024 को शेष	**0.65**	**9.25**	**120.42**	**3.83**	**0.51**	**1.62**	**4.12**	**0.00**	**140.40**
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
मूल्यह्रास व्यय	0.06	1.33	17.29	2.90	0.34	2.45	7.10	0.00	31.47
पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: निपटान/ बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-	-	-	0.38	0.18	0.09	0.44	-	1.09
31.03.2025 को शेष	**0.71**	**10.58**	**137.71**	**6.35**	**0.67**	**3.98**	**10.78**	**0.00**	**170.78**
वहन राशि									
31.03.2024 को	**0.65**	**13.15**	**173.50**	**3.29**	**1.09**	**5.83**	**8.89**	**0.00**	**206.40**
31.03.2025 को	**0.59**	**11.82**	**156.21**	**5.56**	**0.73**	**9.89**	**14.88**	**0.00**	**199.68**

कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेखों की जानकारी के लिए,टिप्पणी 38(34) देखें।

टिप्पणी 13: पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
पूंजीगत कार्य प्रगति पर - भवन	
01.04.2023 को शेष	**139.26**
वर्ष के दौरान संयोजन	2.50
उधार लागत पूंजीकृत	-
घटाएँ: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / निवेश संपत्ति में स्थानांतरण	141.77
31.03.2024 को शेष	**-**
01.04.2024 को शेष	**-**
वर्ष के दौरान संयोजन	-
उधार लागत पूंजीकृत	-
घटाएँ : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / निवेश संपत्ति /परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार में स्थानांतरण	-
31.03.2025 को शेष राशि	**-**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

पूंजीगत कार्य प्रगति पर की एजिंग निर्धारण अनुसूची (जिसमें वह परियोजना शामिल है जिसका पूरा होना अतिदेय है)।

(क) पूंजीगत कार्य प्रगति पर (निर्धारित पूरा होने के भीतर)

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को	जिस अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजना प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजना	-	-	-	-	-

31.03.2024 को	जिस अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजना प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजना	-	-	-	-	-

(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर (मूल योजना की तुलना में पूरा होने में देरी/लागत अधिक होना)

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को	जिस अवधि में पूरा करना			
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1	-	-	-	-
परियोजना 2	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

31.03.2024 को	जिस अवधि में पूरा करना			
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1	-	-	-	-
परियोजना 2	-	-	-	-

टिप्पणी 14 : परिसंपत्तियों उपयोग का अधिकार

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि		
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	**भवन***	**भूमि**	**कुल**
01.04.2023 को शेष	**23.92**	**4.33**	**28.25**
वर्ष के दौरान संयोजन	139.53	-	139.53
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-
31.03.2024 को शेष	**163.44**	**4.33**	**167.78**
01.04.2024 को शेष	**163.44**	**4.33**	**167.78**
वर्ष के दौरान संयोजन	-		-
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	0.27		0.27
31.03.2025 को शेष	**163.71**	**4.33**	**168.05**
संचित मूल्यह्रास			
01.04.2023 को शेष	**11.93**	**0.46**	**12.39**
मूल्यह्रास व्यय	5.31	0.18	5.50
समायोजन/पुनर्वर्गीकरण	-		-
31.03.2024 को शेष	**17.25**	**0.64**	**17.89**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	राशि		
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	**भवन***	**भूमि**	**कुल**
01.04.2024 को शेष	**17.25**	**0.64**	**17.89**
मूल्यह्रास व्यय	6.37	0.18	6.55
समायोजन/पुनर्वर्गीकरण			-
31.03.2025 को शेष	**23.62**	**0.82**	**24.44**
वहन राशि			
31.03.2024 को	**146.20**	**3.69**	**149.89**
31.03.2025 को	**140.10**	**3.51**	**143.60**

परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार पर विवरण के लिए टिप्पणी 38(33) देखें
*एनबीसीसी से ली गई लीज होल्ड संपत्ति पर कर प्रभाव का लेखा-जोखा तब लिया जाएगा जब यह स्पष्ट हो जाएगा।

टिप्पणी 15 : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि*
01.04.2023 को शेष	**4.86**
वर्ष के दौरान संयोजन	4.51
घटाएँ: अमूर्त परिसंपत्तियों में स्थानांतरण	9.37
31.03.2024 को शेष	**-**
01.04.2024 को शेष	**-**
वर्ष के दौरान संयोजन	-
घटाएँ: अमूर्त परिसंपत्तियों में स्थानांतरण	-
31.03.2025 को शेष	**-**

(i) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची (जिसमें वह परियोजना शामिल है जिसका पूरा होना अतिदेय है)

(क) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (निर्धारित पूरा होने के भीतर)

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को	**जिस अवधि हेतु विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति में राशि**				
	1 वर्ष से कम	**1 - 2 वर्ष**	**2 - 3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
परियोजना प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजना	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

31.03.2024 को	**जिस अवधि हेतु विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति में राशि**				
	1 वर्ष से कम	**1 - 2 वर्ष**	**2 - 3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
परियोजना प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजना	-	-	-	-	-

(ख) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (अपनी मूल योजना की तुलना में पूरा होने में देरी/लागत अधिक होना)

(₹ करोड़ में)

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

31.03.2025 को	जिस अवधि में पूरा करना			
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

31.03.2024 को	जिस अवधि में पूरा करना			
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	-	-	-	-

टिप्पणी 38(18) देखें।

टिप्पणी 16 : अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि*
सकल ब्लॉक	
01.04.2023 को शेष	**0.45**
वर्ष के दौरान संयोजन	9.37
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण -	-
31.03.2024 को शेष	**9.82**
01.04.2024 को शेष	**9.82**
वर्ष के दौरान संयोजन	1.93
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण	-
31.03.2025 को शेष	**11.75**
संचित मूल्यह्रास	
01.04.2023 को शेष	**0.43**
परिशोधन व्यय	0.63
पुनर्मूल्यांकन/ विश्व बैंक अनुदान के कारण परिशोधन समायोजन	3.98
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-
31.03.2024 को शेष	**5.04**
01.04.2024 को शेष	**5.04**
परिशोधन व्यय	0.85
विश्व बैंक अनुदान के कारण परिशोधन समायोजन [टिप्पणी 38(7क) और 38(18) देखें]	0.37
घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त	-
31.03.2025 को शेष	**6.26**
वहन राशि	

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	राशि*
31.03.2024 को	**4.78**
31.03.2025 को	**5.49**

*कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित

टिप्पणी 17 : अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31. 03.2024 को
भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड प्राप्य धन [टिप्पणी 38(44) देखें]	1,638.79	1,638.79
अन्य प्राप्य	24.85	24.80
अन्य अग्रिम	1.43	5.35
कुल	**1,665.07**	**1,668.94**

टिप्पणी 18 : देय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
व्यापार देय		
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	1.07	1.03
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	8.05	6.27
कुल	**9.12**	**7.30**

व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया*				
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) [टिप्पणी 38 (38) देखें]	0.71	0.31	0.05	-	-	-	**1.07**
(ii) अन्य	4.37	2.60	1.07	-	-	-	**8.05**
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	-	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	**-**

*आयु निर्धारण भुगतान की देय तिथि पर आधारित है और जहां भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट नहीं है, वहां आयु निर्धारण लेन-देन की तिथि पर आधारित है।

31.03.2024 को

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया*				
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	0.77	0.26	-	-	-	-	**1.03**
(ii) अन्य	4.60	1.31	0.36	-	-	-	**6.27**
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	-	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	**-**

*आयु निर्धारण भुगतान की देय तिथि पर आधारित है और जहां भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट नहीं है, वहां आयु निर्धारण लेन-देन की तिथि पर आधारित है।

टिप्पणी 19 : ऋण प्रतिभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
	परिशोधित लागत पर	परिशोधित लागत पर
(I) कर मुक्त बॉण्ड्स - गैर परिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (रक्षित)		
(कंपनी के ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित)		
7.17% कर मुक्त बॉण्ड्स	284.00	284.00
(श्रृंखला XIV प्राइवेट ISी-2015-16) (01.10.2025 को चुकौती योग्य)		
7.28% कर मुक्त बॉण्ड्स	108.89	108.89
(श्रृंखला XIV किश्त-I-Iक- 2015-16) (21.01.2026 को चुकौती योग्य)		
7.53% कर मुक्त बॉण्ड्स	127.88	127.88
(श्रृंखला XIV किश्त-I-Iख- 2015-16) (21.01.2026 को चुकौती योग्य)		
8.55% कर मुक्त बॉण्ड्स	123.08	123.08
(श्रृंखला XIII किश्त-I-IIक- 2013-14) (13.03.2029 को चुकौती योग्य)		
8.80% कर मुक्त बॉण्ड्स	234.55	234.55
(श्रृंखला XIII किश्त-I-IIख- 2013-14) (13.03.2029 को चुकौती योग्य)		
8.56% कर मुक्त बॉण्ड्स	36.00	36.00
(श्रृंखला XIII किश्त-I-Iग- 2013-14) (27.03.2029 को चुकौती योग्य)		
7.49% कर मुक्त बॉण्ड्स	884.27	884.27
(श्रृंखला XIV किश्त-I-IIक- 2015-16) (21.01.2031 को चुकौती योग्य)		
7.74% कर मुक्त बॉण्ड्स	483.52	483.52
(श्रृंखला XIV किश्त-I-IIख- 2015-16) (21.01.2031 को चुकौती योग्य)		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
8.55% कर मुक्त बॉण्ड्स	38.81	38.81
(श्रृंखला XIII किश्त-I-IIIक- 2013-14) (13.03.2034 को चुकौती योग्य)		
8.80% कर मुक्त बॉण्ड्स	144.16	144.16
(श्रृंखला XIII किश्त-I-IIIख- 2013-14) (13.03.2034 को चुकौती योग्य)		
7.43% कर मुक्त बॉण्ड्स	36.44	36.44
(श्रृंखला XIV किश्त-I-IIIक- 2015-16) (21.01.2036 को चुकौती योग्य)		
7.68% कर मुक्त बॉण्ड्स	75.00	75.00
(श्रृंखला XIV किश्त-I-IIIख- 2015-16) (21.01.2036 को चुकौती योग्य)		
उप-योग (अ)	**2,576.60**	**2,576.60**
(II) कर योग्य बॉण्ड्स - अपरिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (रक्षित)		
[कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (बही ऋण) पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा रक्षित]।		
9.02% कर योग्य बॉण्ड्स	250.00	250.00
(श्रृंखला III- 2010-11 - किश्त II) (24.09.2025 को चुकौती योग्य)		
8.49% कर योग्य बॉण्ड्स	200.00	200.00
(श्रृंखला Vख- 2013-14) (10.05.2028 को चुकौती योग्य)		
8.12% कर योग्य ग्रीन बॉण्ड्स	200.00	200.00
(श्रृंखला VIक - 2016-17) (24.03.2027 को चुकौती योग्य)		
8.05% कर योग्य ग्रीन बॉण्ड्स	500.00	500.00
(श्रृंखला VIख - 2016-17) (29.03.2027 को चुकौती योग्य)		
8.51% कर योग्य बॉण्ड्स	275.00	275.00
(श्रृंखला VIIक- 2018-19) (03.01.2029 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.12	0.14
	274.88	274.86
8.47% कर योग्य बॉण्ड्स	590.00	590.00
(श्रृंखला VIIख- 2018-19) (17.01.2029 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.12	0.14
	589.88	589.86
8% कर योग्य बॉण्ड्स	1,000.00	1,000.00
(श्रृंखला IX क- 2019-20) (24.09.2029 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.14	0.16
	999.86	999.84

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
7.40% कर योग्य बॉण्ड्स	803.00	803.00
(श्रृंखला IX ख- 2019-20) (03.03.2030 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.27	0.31
	802.73	802.69
उप-योग (ब)	**3,817.35**	**3,817.24**
(III) कर योग्य बॉण्ड्स - अपरिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचर (अरक्षित)		
5.98% कर योग्य बॉण्ड्स	106.00	106.00
(श्रृंखला XI क- 2021-22) (16.04.2025 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.00	0.00
	106.00	106.00
7.46% कर योग्य बॉण्ड्स	648.40	648.40
(श्रृंखला XII क- 2022-23) (12.08.2025 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.02	0.06
	648.38	648.34
7.85% कर योग्य बॉण्ड्स	1,200.00	1,200.00
(श्रृंखला XII ख- 2022-23) (12.10.2032 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.15	0.16
	1,199.85	1,199.84
7.79% कर योग्य बॉण्ड्स	515.00	515.00
(श्रृंखला XII ग- 2022-23) (07.12.2032 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.07	0.07
	514.93	514.93
7.94% कर योग्य बॉण्ड्स	1,500.00	1,500.00
(श्रृंखला XII घ- 2022-23) (27.01.2033 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.46	0.50
	1,499.54	1,499.50
7.63% कर योग्य बॉण्ड्स	1,000.00	1,000.00
(श्रृंखला XV-क 2023-24) (11.08.2033 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.61	0.67
	999.39	999.33
7.75% कर योग्य बॉण्ड्स	683.00	683.00
(श्रृंखला XV-ख 2023-24) (12.10.2033 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.42	0.45
	682.58	682.55

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
7.68% कर योग्य बॉण्ड्स	1,000.00	1,000.00
(श्रृंखला XV-ग 2023-24) (22.12.2033 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.66	0.72
	999.34	999.28
7.77% कर योग्य बॉण्ड्स	809.74	809.74
(श्रृंखला XV-घ 2023-24) (10.05.2027 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.25	0.36
	809.49	809.38
7.59% कर योग्य बॉण्ड्स	1,130.00	1,130.00
(श्रृंखला XV-ङ 2023-24) (23.02.2034 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.20	1.29
	1,128.80	1,128.71
7.53% कर योग्य बॉण्ड्स	1,222.00	1,222.00
(श्रृंखला XV-च 2023-24) (10.05.2034 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.87	0.93
	1,221.13	1,221.07
7.57% कर योग्य बॉण्ड्स	447.00	447.00
(श्रृंखला XV-छ 2023-24) (18.05.2029 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.24	0.29
	446.76	446.71
7.59% कर योग्य बॉण्ड्स	1,065.00	1,065.00
(श्रृंखला XV-ज 2023-24) (26.07.2034 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.81	0.87
	1,064.19	1,064.13
7.50% कर योग्य बॉण्ड्स	1,000.00	-
(श्रृंखला XVI-क 2024-25) (05.06.2034 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.99	-
	999.01	-
7.44% कर योग्य बॉण्ड्स	1,500.00	-
(श्रृंखला XVI-ख 2024-25) (25.08.2034 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.82	-
	1,499.18	-
7.39% कर योग्य बॉण्ड्स	1,090.00	-
(श्रृंखला XVI-ग 2024-25) (22.07.2039 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.01	-
	1,088.99	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
7.36% कर योग्य बॉण्ड्स	1,500.00	-
(श्रृंखला XVI-घ 2024-25) (09.09.2039 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपरोक्त पर लेन-देन लागत	1.32	-
	1,498.68	-
7.32% कर योग्य बॉण्ड्स	1,500.00	-
(श्रृंखला XVI-ङ 2024-25) (04.11.2029 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.59	-
	1,499.41	-
7.37% कर योग्य बॉण्ड्स	2,000.00	-
(श्रृंखला XVI-च 2024-25) (27.11.2031 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.28	-
	1,998.72	-
7.28% कर योग्य बॉण्ड्स	1,330.00	-
(श्रृंखला XVI-छ 2024-25) (21.01.2035 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.20	-
	1,328.80	-
7.40% कर योग्य बॉण्ड्स	820.00	-
(श्रृंखला XVI-ज 2024-25) (27.02.2036 को चुकौती योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.88	-
	819.12	-
उप-योग (स)	**22,052.29**	**11,319.77**
कुल बॉण्ड्स (अ+ब+स)	**28,446.24**	**17,713.61**
भौगोलिक वार ऋण प्रतिभूतियाँ		
भारत में ऋण प्रतिभूतियाँ	28,446.24	17,713.61
भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-
कुल	**28,446.24**	**17,713.61**

टिप्पणी :

i) कंपनी द्वारा जारी किए गए कर योग्य बॉण्ड्स के पास सम्बंधित बॉण्ड्स के सूचना ज्ञापन में बॉण्ड्स के पुनर्निर्गम हेतु खंड है।

ii) 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने श्रृंखला XVI-क से श्रृंखला XVI-ज के अंतर्गत ₹ 10,740.00 करोड़ के कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स जारी किए हैं (31.03.2024 को समाप्त वर्ष : श्रृंखला XV-क से XV-ज के अंतर्गत ₹ 7,356.74 करोड़ के कर योग्य अरक्षित बॉण्ड्स)।

iii) 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹शून्य करोड़ का मोचन किया है (31.03.2024 को समाप्त वर्ष: ₹ 300.00 करोड़ के कर योग्य बॉण्ड्स श्रृंखला V-क और ₹ 75.76 करोड़ के XIII-1क और ₹ 105.29 करोड़ के XIII-1ख का मोचन किया गया)।

iv) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 54 के अनुसार, कंपनी द्वारा जारी और 31.03.2025 तक बकाया सभी रक्षित गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए, कंपनी की प्राप्तियों पर प्रभार के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।

v) कंपनी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों के अनुबंधों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं था।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

टिप्पणी 20 : उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(क) सावधि ऋण -		
(I) बैंकों से		
अ. सावधि ऋण - रक्षित		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-V [ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित]	291.57	379.88
(दिनांक 30.12.2018 से शुरू करके 30.12.2027 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 5,263,000 यूरो की 16 किस्तों में और प्रत्येक 5,264,000 यूरो की 3 किस्तों में पुनर्भुगतान)		
(एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीएफसी) से - ऋण-III	62.50	145.83
(कंपनी के बुक ऋण और प्राप्य पर 100% कवर के साथ एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित)।		
(30.03.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹20.83 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)।		
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीएफसी) से - ऋण-IV	83.33	166.67
(कंपनी के बुक ऋणों और प्राप्य पर 100% कवर के साथ एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित)।		
(23.04.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 20.83 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-IV	1,041.62	1,874.99
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(22.07.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹208.34 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)।		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण II	333.31	666.67
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित)		
(27.06.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 83.33 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - ऋण IV- बीओआई	631.50	842.11
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित)		
(30.09.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 52.63 करोड़ की 19 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है)		
एचएसबीसी बैंक से - ऋण I - एचएसबीसी - क़िस्त I	72.22	94.44
[100% कवर के साथ कंपनी के ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) तथा प्राप्य पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित]		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(09.03.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 5.56 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
एनएबीएफआईडी से - ऋण I- एनएबीएफआईडी	-	2,050.00
(सुविधा के 1.0x की न्यूनतम सुरक्षा के साथ कंपनी/उधारकर्ता की सभी प्राप्तियों पर दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम एक साथ रक्षित)		
(30.06.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 56.94 करोड़ की 36 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है, हालाँकि ऋण 22.11.2024 को पूरी तरह से चुका दिया गया है)		
इंडियन ओवरसीज बैंक से - ऋण I- आईओबी	333.33	666.67
(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के मानक ऋण प्राप्तियों पर बहु बैंकिंग व्यवस्था के अधीन अन्य ऋणदाताओं के साथ एक साथ आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा रक्षित)		
(31.03.2024 से शुरू करके 3 वार्षिक किस्तों में चुकौतीयोग्य, जिनमें से प्रत्येक ₹333.33 करोड़ के दो और ₹ 333.33 करोड़ का एक है)		
आईडीबीआई बैंक से - सावधि ऋण सुविधा I	333.32	444.44
(बकाया ऋण राशि के 100% की सीमा तक बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित)		
(31.12.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹27.78 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना चाहिए और अंतिम किस्त होगी 31.03.2028 को)		
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से - ऋण-II (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	1,141.09	1,222.82
[ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित]		
(15.04.2020 से शुरू करके 15.10.2034 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 6,666,666.67 अमेरिकी डॉलर के 29 समान किस्तों में तथा 30वीं किस्त में 6,666,666.57 अमेरिकी डॉलर में चुकाया जाना है।)		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - ऋण-I	409.86	547.05
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(22.02.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹34.19 करोड़ की 21 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - II क़िस्त-क	210.39	315.79
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.09.2022 से शुरू करके प्रत्येक ₹26.32 करोड़ की 19 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से - ऋण-II	262.47	412.50
(बकाया ऋण राशि के 1 गुना के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित)		
(16 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है। ₹37.51 करोड़ की पहली किस्त 21.03.2023 को देय है और प्रत्येक ₹37.50 करोड़ की बाकी बची किस्तें, 21.06.2023 से शुरू हैं।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-III क़िस्त-क	883.80	1,389.20
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित)		
(29.12.2022 से शुरू करके 29.09.2026 तक प्रत्येक ₹126.35 करोड़ की 16 समान तिमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य है, दूसरी अंतिम क़िस्त 29.12.2026 को और ₹ 62.85 करोड़ की अंतिम क़िस्त 29.03.2027 को देय है)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-III क़िस्त-ख	266.50	399.90
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(29.12.2022 से शुरू करके 29.12.2026 तक प्रत्येक ₹33.35 करोड़ की 16 समान तिमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य है और ₹33.05 करोड़ की अंतिम किस्त 29.03.2027 को देय है)।		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-VI	92.35	116.02
[ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित]		
(30.12.2021 से शुरू करके 30.06.2028 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 1,428,000 यूरो की 6 किस्तों और प्रत्येक 1,429,000 यूरो की 8 किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से	611.00	855.56
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(30.06.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 61.11 करोड़ की 18 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से	843.63	1,218.75
(बकाया ऋण राशि के 1 गुना के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित)।		
(27.09.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 93.75 करोड़ की 16 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकौतीयोग्य है)।		
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - II किस्त-ख	105.48	158.25
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित)।		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(19 तिमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य है। 30.09.2022 को ₹ 52.63 करोड़ की पहली किस्त और प्रत्येक ₹13.18 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तें 31.12.2022 से शुरू हो चुकी हैं)।		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से - I	249.96	583.33
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित)		
(29.03.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 83.33 करोड़ की 12 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकौतीयोग्य है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V किस्त-क	533.33	800.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(28.06.2024 से शुरू होकर, प्रत्येक ₹ 66.67 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य है)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V किस्त-ख	450.00	600.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(07.07.2024 से शुरू करके, प्रत्येक ₹ 50.00 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V किस्त-ग	240.00	320.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(31.07.2024 से शुरू करके, प्रत्येक ₹ 26.67 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V किस्त-घ	232.50	310.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(प्रत्येक ₹25.83 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य है, जो 04.08.2024 से शुरू हुआ।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V किस्त-ङ	465.00	620.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(19.08.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹51.67 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V किस्त-च	1,387.50	1,850.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(31.08.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹154.17 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
एचएसबीसी से - ऋण-I किस्त-II	266.67	300.00
[100% कवर के साथ कंपनी के ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) और प्राप्य पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित।]		
(01.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹16.67 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
कर्नाटक बैंक से - ऋण-II	444.49	500.00
(किसी भी समय बकाया राशि के 100% की सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के मानक प्राप्य/ बुक ऋणों पर एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(15.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹27.75 करोड़ की 17 समान तिमाही किस्तों और ₹28.25 करोड़ की 18वीं किस्त में चुकौतीयोग्य है।)		
आईडीबीआई बैंक से - ऋण-II	444.44	500.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक कंपनी के बही ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(01.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹27.78 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण-III	-	100.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(30.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹3.85 करोड़ की 25 समान तिमाही किस्तों और ₹ 3.85 करोड़ की 26वीं किस्त में चुकौतीयोग्य था, हालाँकि ऋण 02.09.2024 को पूरी तरह से चुका दिया गया है।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI-क	375.00	500.00
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(27.09.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹41.67 करोड़ की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) बैंक से - ऋण-I	499.88	500.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्य राशि पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(30.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹62.50 करोड़ की 8 समान तिमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
इंडसइंड बैंक से	-	300.00
(कंपनी के बुक ऋणों और प्राप्तियों पर 90 दिनों तक 100% की सुरक्षा कवरेज के साथ एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित, 19.03.2025 को ₹300 करोड़ और 26.03.2025 को ₹120 करोड़ का एकबारगी पुनर्भुगतान। हालांकि, कंपनी ने क्रम से 10.03.2025 और 07.03.2025 को उक्त राशि का पूर्व भुगतान कर दिया है।)		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से	-	1,000.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित, 14.08.2024 को ₹315 करोड़, 27.08.2024 को ₹400 करोड़ तथा 24.09.2024 को ₹285 करोड़ का बुलेट पुनर्भुगतान)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से	785.00	555.00
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित, 07.05.2025 को ₹ 200 करोड़, 08.05.2025 को ₹ 300 करोड़, 13.05.2025 को ₹ 100 करोड़, 15.05.2025 को ₹ 50 करोड़, 19.05.2025 को ₹ 75 करोड़ और 20.05.2025 को ₹ 60 करोड़ का एकबारगी पुनर्भुगतान)।		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI किस्त ख	358.33	-
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(02.10.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 35.83 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI किस्त ग	83.33	-
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(14.10.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 8.33 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI किस्त घ	533.33	-
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(08.11.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 53.33 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI किस्त ङ	275.00	-
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(14.11.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 27.50 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
केनरा बैंक से किस्त क	99.17	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(31.01.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹5.83 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
केनरा बैंक से किस्त ख	330.56	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा सुरक्षित।)		
(28.02.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹19.44 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
केनरा बैंक से किस्त ग	47.22	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(28.02.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹2.78 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
केनरा बैंक से किस्त घ	363.61	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(28.02.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 21.39 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
साउथ इंडियन बैंक से	250.00	-
(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के मानक ऋण प्राप्तियों पर बहु-बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत अन्य ऋणदाताओं के साथ सममात्रा आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा रक्षित, सहित 21.09.2027 को बुलेट पुनर्भुगतान।)		
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) बैंक से - ऋण-I किस्त II	350.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के प्राप्य पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित)		
(30.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 43.75 करोड़ की 8 समान तिमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
आईडीबीआई बैंक से - ऋण III	377.77	-
(बकाया ऋण राशि के 100% की सीमा तक बुक ऋण पर सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित)		
(01.04.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹22.22 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
साउथ इंडियन बैंक से - ऋण II	200.00	-
(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के मानक ऋण प्राप्य पर बहु-बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत अन्य ऋणदाताओं के साथ सममात्रा आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(27.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹20.00 करोड़ की 10 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
केनरा बैंक से किस्त ङ	415.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित।)		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(30.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹23.06 करोड़ की 18 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
भारतीय स्टेट बैंक से किस्त क	800.00	-
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(21.05.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹42.11 करोड़ की 19 समान तिमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
पंजाब नेशनल बैंक से - ऋण V	1,999.99	-
(ऋण बकाया राशि के 100% के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी की सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित।)		
(31.03.2026 से शुरू करके प्रत्येक ₹125.00 करोड़ की 16 समान तिमाही किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV किस्त क	320.83	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित)		
(31.03.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 29.17 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV किस्त ख	200.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.04.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 16.67 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV किस्त ग	250.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित)		
(30.04.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹20.83 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV किस्त घ	165.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित)		
(30.05.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹13.75 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV किस्त ङ	400.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित)		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(30.05.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹33.33 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण IV किस्त च	150.00	-
(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित)		
(10.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹12.50 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण VIII किस्त क	2,000.00	-
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित)		
(05.09.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 166.67 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण VIII किस्त ख	1,000.00	-
(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित)		
(06.09.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 83.33 करोड़ की 12 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
बैंक ऑफ महाराष्ट्र से	750.00	-
(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की मानक प्राप्तियों पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित)		
(30.04.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹166.67 करोड़ की 18 समान तिमाही किस्तों में और ₹166.61 करोड़ के अंतिम किस्त में चुकौतीयोग्य है)		
उप-योग (अ)	**26,102.18**	**23,305.87**
ब. सावधि ऋण - अरक्षित		
विडेरौफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-I	162.57	169.45
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(30.12.2009 से शुरू करके 30.12.2039 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 586,451.79 यूरो की 28 किस्तों में, प्रत्येक 586,963.08 यूरो की 32 किस्तों में और 586,963 यूरो की 1 किस्त में चुकौतीयोग्य है।)		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरौफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-III	153.72	156.21
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(30.06.2020 से शुरू करके 30.12.2049 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 332,000 यूरो की 9 किस्तों में और प्रत्येक 333,000 यूरो की 51 किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-VII	253.09	270.05
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(15.05.2023 से शुरू करके 15.05.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर 8,912,000 अमेरिकी डॉलर की 1 किस्त और 1,408,248.09 अमेरिकी डॉलर की 24 किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) से - ऋण-III	318.77	156.03
(भारत सरकार द्वारा जोखिम के 80% की सीमा तक गारंटीकृत)		
(बकाया ऋण के आधार पर 15.04.2022 से शुरू करके 15.10.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 556,508.17 अमेरिकी डॉलर की 3 किस्तों में, प्रत्येक 779,500.64 अमेरिकी डॉलर की 2 किस्तों में, प्रत्येक 1,693,241.41 अमेरिकी डॉलर की 22 किस्तों तथा 1,688,973.99 अमेरिकी डॉलर की 28वीं किस्त में चुकौतीयोग्य है।)		
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) से स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) - ऋण-III	119.69	58.22
(भारत सरकार द्वारा जोखिम के 80% की सीमा तक गारंटीकृत)		
(बकाया ऋण के आधार पर 15.04.2027 से शुरू करके 15.10.2056 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 139,849.43 अमेरिकी डॉलर की 20 किस्तों में तथा प्रत्येक 279,698.86 अमेरिकी डॉलर की 40 किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
कर्नाटक बैंक से ऋण-I	136.37	318.20
[29.05.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹45.45 करोड़ की 10 किस्तों में तथा ₹45.50 करोड़ की 11वीं (अंतिम) तिमाही किस्त में चुकौतीयोग्य है।]		
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से - ऋण-I	1,295.32	1,373.08
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(किस्त I - 26.09.2019 से शुरू करके 26.03.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 662,000 अमेरिकी डॉलर की 32 किस्तों में चुकौतीयोग्य है)।		
(क़िस्त II - 15.07.2020 से शुरू करके 15.07.2036 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 1,999,636.36 अमेरिकी डॉलर की 32 किस्तों में और 1,999,636.48 अमेरिकी डॉलर की एक क़िस्त में चुकौतीयोग्य है)।		
(किस्त III - 16.02.2021 से शुरू करके 15.08.2036 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 4,005,375 अमेरिकी डॉलर की 32 किस्तों में चुकौतीयोग्य है)		
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से - ऋण-II	1,269.64	1,344.68
(किस्त I - 27.02.2023 से शुरू करके 27.08.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 2,263,653.85 अमेरिकी डॉलर की 25 किस्तों में और 2,263,653.75 की 1 किस्त में चुकौतीयोग्य है)।		
(किस्त II - 09.03.2024 से शुरू करके 09.03.2037 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 4,200,740.74 अमेरिकी डॉलर की 26 किस्तों में तथा 4,200,740.76 अमेरिकी डॉलर की 1 किस्त में चुकौतीयोग्य है)।		
उप योग (ब)	**3,709.17**	**3,845.92**
बैंकों से कुल ऋण (स=अ+ब)	**29,811.35**	**27,151.79**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(II) अन्य से		
द. सावधि ऋण - रक्षित	-	-
उप योग (द)	-	-
य. सावधि ऋण - अरक्षित		
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से	25.42	37.21
(41 संरचित त्रैमासिक किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
एजेंसे फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी) से - ऋण-I	258.51	294.71
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(31.07.2016 से शुरू करके 31.01.2031 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 2,333,333.33 यूरो की 29 किस्तों तथा 2,333,333.43 यूरो की 30वीं किस्त में चुकौतीयोग्य है।)		
एजेंसे फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी) से - ऋण-II	-	496.20
(30.11.2019 से शुरू करके 31.05.2029 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 5,000,000 यूरो की 20 किस्तों में चुकाया जाना है। 31.05.2024 को बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।) [टिप्पणी 38(27) भी देखें]		
जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से - ऋण-I	1,370.30	1,410.84
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(20.06.2021 से शुरू करके 20.06.2041 तक अर्धवार्षिक आधार पर 731,720,000 जापानी येन की 1 किस्त और प्रत्येक 731,707,000 जापानी येन की 40 किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से - ऋण-II	1,576.35	1,610.78
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(20.03.2024 से शुरू करके 20.03.2044 तक अर्धवार्षिक आधार पर 731,000,000 जापानी येन की 1 किस्त और प्रत्येक 730,975,000 जापानी येन की 40 किस्तों में चुकौतीयोग्य है।)		
भारत सरकार से	224.65	239.70
(अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (आईडीए) के तहत - दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना (आईएनआर ऋण)		
(15.10.2010 से शुरू करके 15.04.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 625,000.00 अमेरिकी डॉलर की 20 किस्तों में तथा प्रत्येक 1,250,000.00 अमेरिकी डॉलर की 30 किस्तों में भारतीय रुपये में देय चुकौतीयोग्य है।)		
उप-योग (य)	**3,455.23**	**4,089.44**
अन्य से कुल ऋण (र=द+य)	**3,455.23**	**4,089.44**
कुल अवधि ऋण (क=स+र)	**33,266.58**	**31,241.23**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
(ख) मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण:-		
सुरक्षित		
बैंकों से		
बैंक ऑफ बड़ौदा	-	82.62
(बकाया ऋण के 125% की सीमा तक, मानक परिसंपत्तियों से संबंधित बुक ऋण और प्राप्य पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित)		
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से	222.92	-
(ऋण राशि की 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋण पर प्रथम सममात्रा प्रभार द्वारा रक्षित)		
उप योग (ख)	**222.92**	**82.62**
(ग) एफसीएनआर (ब) मांग ऋण :-		
रक्षित		
उप योग (ग)	**-**	**-**
कुल योग (क+ख+ग)	**33,489.50**	**31,323.85**
भौगोलिक वार उधार		
भारत में उधार	24,961.89	22,025.18
भारत के बाहर उधार	8,527.61	9,298.67
कुल	**33,489.50**	**31,323.85**

i) विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों जैसे एडीबी, विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू, एएफडी, जेआईसीए और ईआईबी से विदेशी मुद्रा उधार को रुपये में परिवर्तित किया गया है और उसी का बचाव विभिन्न बैंकों के साथ प्लेन वेनिला स्वैप लेन-देन/मुद्रा ब्याज दर स्वैप/प्रिंसिपल ओनली स्वैप/फॉरवर्ड अनुबंध आदि करके की जाती है, जिनके साथ कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्वैप और व्युत्पन्न संघ (आईएसडीए) मास्टर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये व्युत्पन्नी लेन-देन भागीदार बैंक के साथ परिपक्वता की अवधि के लिए किए गए हैं, जो ऋण की परिपक्वता अवधि से कम हो सकती है। विदेशी मुद्रा ऋण का बचाव विभिन्न अंतरालों पर किया गया है और क्रेडिट लाइनों के तहत निकासी और रोलओवर के आधार पर कई किस्तों में की गई है। ब्याज लागत और अन्य वित्तीय शुल्कों के अलावा, विदेशी मुद्रा ऋणों के बचाव के कारण, इन ऋणों में बचाव /व्युत्पन्नी लागत होती है, जो क्रेडिट लाइन के तहत निकासी के अनुसार किस्तों के अनुसार होती है, इसलिए इन क्रेडिट लाइनों पर लागू ब्याज दर का खुलासा ऊपर नहीं किया गया है।

ii) टिप्पणी संख्या 20 में उल्लिखित 31-03-2025 तक रुपया उधार संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थानों की बेंचमार्क दर और 0 बीपीएस से155 बीपीएस तक के प्रसार पर उगाहा गया था।

iii) बॉण्ड सहित विभिन्न उपकरणों के माध्यम से कंपनी धन उगाहती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने किसी भी ऋण सेवा-दायित्व की सेवा में चूक नहीं की है, चाहे वह मूलधन हो या ब्याज।

iv) वर्ष के दौरान उगाही गई धनराशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन/सुविधा समझौते में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है।

v) समूह में कंपनियों को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

vi) कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के पास दायर किए गए बुक ऋणों के विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

vii) किसी भी उधार की गारंटी निदेशकों द्वारा नहीं दी गई है।

viii) कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों के नियमों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं था।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 21 : अधीनस्थ देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को परिशोधित लागत पर	31.03.2024 को परिशोधित लागत पर
क) असुरक्षित		
9.23% इरेडा कर योग्य अरक्षित	150.00	150.00
(अधीनस्थ स्तरीयर-II बॉण्ड्स -श्रृंखला VIII- 22.02.2029 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.16	0.19
	149.84	149.81
7.74% इरेडा कर योग्य अरक्षित	500.00	500.00
(अधीनस्थ स्तरीयर -II बॉण्ड्स -श्रृंखला-X -08.05.2030 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.34	0.39
	499.66	499.61
7.74% इरेडा कर योग्य अरक्षित	910.37	-
(अधीनस्थ स्तरीयर -II बॉण्ड्स -एसडी -III-27.05.2035 को चुकाने योग्य)		
घटाएँ: उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.77	-
	909.60	-
8.40% इरेडा सतत कर योग्य बॉण्ड्स	1,239.00	-
(सतत स्तरीयर -I बॉण्ड्स - सीरीज़-I - 21.03.2035 को कॉल विकल्प के साथ और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर)		
घटाएं : उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	1.52	-
	1,237.48	-
8.40% इरेडा सतत कर योग्य बॉण्ड्स	8.00	-
(सतत स्तरीयर -II बॉण्ड्स - सीरीज़-I - 21.03.2035 को कॉल विकल्प के साथ और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर)		
घटाएं : उपर्युक्त पर लेन-देन लागत	0.01	-
	7.99	-
कुल (क)	**2,804.57**	**649.42**
भौगोलिक वार वर्गीकरण		
भारत में अधीनस्थ देयताएँ	2,804.57	649.42
भारत के बाहर अधीनस्थ देयताएँ	-	-
कुल	**2,804.57**	**649.42**

टिप्पणी :

i) 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 1,247 करोड़ के सतत ऋण उपकरण (31.03.2024 को समाप्त वर्ष: शून्य) और ₹ 910.37 करोड़ के अधीनस्थ स्तरीयर II बॉण्ड्स (31.03.2024 को समाप्त वर्ष: शून्य) जारी किए हैं। टिप्पणी 38(49) भी देखें।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी : 22 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
(क) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	440.57	401.94
(ख) उधार पर अर्जित ब्याज और अन्य शुल्क लेकिन देय नहीं	959.28	621.42
(ग) अन्य देय:		
एमएनआरई कार्यक्रम निधियाँ	9.45	9.45
एमएनआरई / यूएनडीपी-इरेडा स्कीम फंड्स [टिप्पणी 38(43) देखें]	158.00	232.12
जीईएफ-एमएनआरई-संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) परियोजना [टिप्पणी 38(43ख) देखें]	2.90	2.73
अदावी बॉण्ड मूलधन *	0.20	0.20
अदावी बॉण्ड ब्याज *	1.93	1.37
एनसीईएफ को देय	0.17	0.17
पट्टा देयता	3.90	4.03
अन्य	61.64	66.87
कुल	**1,638.04**	**1,340.30**

*इसमें से कोई भी राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने के योग्य नहीं है।

टिप्पणी 23 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान [टिप्पणी संख्या 38(6) देखें]		
-छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	10.58	9.03
-सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) के लिए प्रावधान	-	16.88
-अस्वस्थता छुट्टी हेतु प्रावधान	5.27	5.68
-बैगेज भत्ते के लिए प्रावधान	0.27	0.24
-विदाई उपहार हेतु प्रावधान	0.23	0.20
अन्य		
-अप्रत्यक्ष कर (गारंटी कमीशन पर सहित) और अन्य हेतु प्रावधान	126.49	103.27
-वित्तीय साधनों (ऋण) पर आकस्मिक प्रावधान*	1,074.65	855.82
कुल	**1,217.49**	**991.12**

*गैर निधि जोखिम हेतु प्रावधान सहित और स्टेज III ऋण हेतु प्रावधान छोड़कर।

टिप्पणी 24 : अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
अग्रिम में प्राप्त राजस्व		
अग्रिम में प्राप्त प्रारम्भिक शुल्क	72.58	43.17
अन्य अग्रिम		
अन्य	1.36	0.95
अन्य		
भविष्य निधि देय	0.04	0.04
सांविधिक बकाया	19.09	11.91

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
एमएनआरई भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड्स (अर्जित ब्याज सहित) [टिप्पणी 38(44) देखें)]	1,653.12	1,652.28
विविध देयताएं - ब्याज पूंजीकरण (वित्त पोषित ब्याज अवधि ऋण)	82.79	87.85
विश्व बैंक से पूंजी अनुदान [टिप्पणी 38(7क) देखें]	1.15	1.52
ऊर्जा परियोजनाओं तक पहुंच के लिए चूक जोखिम न्यूनीकरण निधि (केएफडब्ल्यू VI)#	10.12	9.69
कुल	**1,840.25**	**1,807.41**

#केएफडब्ल्यू द्वारा केएफडब्ल्यू VI ऋण व्यवस्था के तहत कंपनी के ऊर्जा संविभाग तक समग्र पहुंच के 70% तक चूक जोखिमों को कवर करने के लिए संविभाग जोखिम रक्षित खाता (पीआरआरए) की स्थापना करके प्रदान किया गया। उक्त राशि का उपयोग डीएसआरए समाप्त होने के बाद, एनपीए घोषित होने पर उधारकर्ता के बकाया ऋण सेवा दायित्व के 70% तक की वसूली के लिए किया जाएगा।

टिप्पणी 25 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
(क) अधिकृत शेयर पूंजी		
6,00,00,00,000 (पिछले वर्ष 6,00,00,00,000) इक्विटी शेयर ₹10 प्रत्येक	6,000.00	6,000.00
	6,000.00	6,000.00
(ख) जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान		
2,68,77,64,706 इक्विटी शेयर ₹10 प्रत्येक पूरी तरह से भुगतान (पिछले वर्ष: 2,68,77,64,706 इक्विटी शेयर ₹10 प्रत्येक)।	2,687.76	2,687.76
पूरी तरह से भुगतान		
कुल	**2,687.76**	**2,687.76**

बकाया शेयरों की संख्या का समाधान:-

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10 का)	2,68,77,64,706	2,687.76	2,68,77,64,706	2,687.76
जोड़ें:- वर्ष के दौरान शेयर जारी और आवंटित	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस मंगाए गये	-	-	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10 का)	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**	**2,68,77,64,706**	**2,687.76**

5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:-

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
	शेयरों की संख्या	% धारित	शेयरों की संख्या	% धारित
भारत सरकार	2,01,58,23,529	75	2,01,58,23,529	75

वर्ष की समाप्ति पर प्रमोटर्स द्वारा धारित शेयरों का विवर :-

विवरण	31.03.2025 को			31.03.2024 को		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
भारत सरकार	2,01,58,23,529	75	-	2,01,58,23,529	75	25

1 कंपनी ने केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर जारी किए हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर है।

2 इक्विटी शेयरधारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं, जो अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

3 इक्विटी शेयरधारक शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार हैं।

4 कंपनी ने तुलन-पत्र की तारीख से ठीक पहले के 5 वर्षों में निम्न कार्य नहीं किए हैं:

क) नकद भुगतान प्राप्त किए बिना इक्विटी शेयर जारी किया।

ख) बोनस शेयर के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी किया।

ग) अपने किसी भी शेयर को वापस नहीं खरीदा।

5 कंपनी के पास शेयरों की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प/अनुबंध/प्रतिबद्धता के तहत जारी करने के लिए कोई इक्विटी शेयर आरक्षित नहीं है। [टिप्पणी 38(28) देखें]

6 अप्रदत्त माँग(निदेशकों और अधिकारियों द्वारा अप्रदत्त माँग का कुल मूल्य दिखाते हुए): शून्य

7 जब्त शेयर (मूल रूप से भुगतान की गई राशि): शून्य

8 पूंजी प्रबंधन के लिए: टिप्पणी 38(24) देखें।

टिप्पणी 26 : अन्य इक्विटी *

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
(क) आरक्षित निधि और अधिशेष		
(i) विशेष आरक्षित निधि	1,943.10	1,581.10
(ii) डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	439.01	397.75
(iii) सामान्य आरक्षित निधि	3,560.48	2,610.48
(iv) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)	(379.08)	(318.37)
(v) एनबीएफसी आरक्षित निधि	1,052.83	712.83
(vi) प्रतिभूति प्रीमियम	864.26	863.63
(vii) समेकन पर परिवर्तन आरक्षित निधि	0.64	-
(ख) प्रतिधारित आय	**27.78**	**38.26**
(ग) नकद प्रवाह बचाव का प्रभावी हिस्सा		
(i) नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	69.76	(14.02)
कुल अन्य इक्विटी (क+ख +ग)	**7,578.78**	**5,871.66**

*वर्ष के दौरान परिवर्तनों के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण देखें।

अन्य इक्विटी का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
विशेष आरक्षित निधि [आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन]		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	1,581.10	1,317.10
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	362.00	264.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस लिखा गया	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**1,943.10**	**1,581.10**
डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	397.75	397.97
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	41.26	45.03
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस लिखा गया	-	45.26
वर्ष के अंत में शेष राशि	**439.01**	**397.75**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
सामान्य आरक्षित निधि		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	2,610.48	1,910.48
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	950.00	700.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस लिखा गया	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**3,560.48**	**2,610.48**
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(318.37)	(580.40)
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन /स्थानांतरण	(65.26)	268.62
घटाएँ: वर्ष के दौरान परिशोधन	(4.55)	6.59
वर्ष के अंत में शेष राशि	**(379.08)**	**(318.37)**
एनबीएफसी आरक्षित निधि (आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-ISी)		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	712.83	461.83
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण	340.00	251.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	**1,052.83**	**712.83**
प्रतिभूति प्रीमियम		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	863.63	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयरों पर प्रीमियम	-	886.96
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया शेयर जारी करने का खर्च (कर लाभ का निवल)	-	23.33
जोड़ें : शेयर जारी करने के व्यय के लिए समायोजन (कर लाभ का निवल)	0.63	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**864.26**	**863.63**
प्रतिधारित आय		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	38.26	2.51
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	1,698.34	1,252.24
जोड़ें: अन्य व्यापक आय	(15.55)	(1.71)
घटाएँ: विशेष आरक्षित निधि में स्थानांतरण	362.00	264.00
जोड़ें/(घटाएँ): डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि में/(से) शुद्ध स्थानांतरण	41.26	(0.23)
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	950.00	700.00
घटाएँ: एनबीएफसी आरक्षित निधि में स्थानांतरण	340.00	251.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	**27.78**	**38.26**
नकद प्रवाह बचाव का प्रभावी हिस्सा		
नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(14.02)	141.07
जोड़ें: अन्य व्यापक आय/(व्यय) (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	83.78	(155.09)
वर्ष के अंत में शेष राशि (करों का निवल)	**69.76**	**(14.02)**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
समेकन पर परिवर्तन आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष राशि	-	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान संयोजन	0.64	-
वर्ष की समाप्ति पर शेष राशि	**0.64**	**-**
कुल अन्य इक्विटी	**7,578.78**	**5,871.67**

1 आरक्षित निधि की प्रकृति और उद्देश्य

1.1 विशेष आरक्षित निधि:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत आयकर कटौती का लाभ उठाने हेतु दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के व्यवसाय से प्राप्त कर-पूर्व लाभ के 20% की दर से विशेष आरक्षित निधि बनायी गई है। तदनुसार, 31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु ₹362.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई है (पिछले वर्ष : ₹264.00 करोड़)।

1.2 डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि:

कंपनी अधिनियम 2013 के नियम 18 (7)(ख)(ii) के अनुसार, कंपनी को सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए गए बॉण्डों के 25% तक डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) बनाना आवश्यक है। कंपनी ने डीआरआर के लिए प्रावधान किया है, ताकि कर-मुक्त बॉण्डों की संबंधित अवधि में आवश्यक राशि प्राप्त की जा सके। तदनुसार, 31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु ₹41.26 करोड़ की राशि प्रदान की गई है (पिछले वर्ष : ₹45.03 करोड़)।

1.3 सामान्य आरक्षित निधि:

सामान्य आरक्षित निधि का उपयोग समय-समय पर विनियोग उद्देश्यों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे में स्थानांतरित करके बनाया जाता है।

1.4 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षित निधि:

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा उधार पर असंशोधित विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को दर्शाता है जो संबंधित उधार की अवधि के दौरान परिशोधित होते हैं। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 101 के अनुच्छेद डी13एए की छूट को अपनाया है, जिसके अनुसार पहली बार अपनाने वाला व्यक्ति पिछले जीएएपी के अनुसार पहले भारतीय लेखा मानक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ठीक पहले समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर हेतु लेखांकन के लिए अपनायी गई नीति को जारी रख सकता है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेन-देन, लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। 31 मार्च, 2018 तक बकाया दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रचलित दर पर, जिस पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया गया था, उससे अलग, एक "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित खाता" में जमा किए जाते हैं और ऐसे दीर्घकालिक मौद्रिक मद के शेष वर्ष में परिशोधित किए जाते हैं, ऐसे प्रत्येक वर्ष में आय या व्यय के रूप में मान्यता देकर। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें वे हैं जिनकी उत्पत्ति की तारीख पर बारह महीने या उससे अधिक की अवधि होती है। एफसीएमआईटीआर की चाल ऊपर दी गई तालिका में दिखायी गई है।

1.5 एनबीएफसी आरक्षित निधि:

आरबीआई परिपत्र संख्या डीएनबीआर (पीडी)सीसी.सं. 092/03.10.001/2017-18 दिनांक 31 मई, 2018 के अनुसार, कंपनी को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-ICसी के तहत कर-पश्चात लाभ के 20% की दर से एनबीएफसी आरक्षित निधि बनाना आवश्यक है। तदनुसार, 31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु, एनबीएफसी आरक्षित निधि के लिए ₹340 करोड़ की राशि विनियोजित की गई है (पिछले वर्ष: ₹251.00 करोड़)।

1.6 प्रतिभूति प्रीमियम:

यरों के निर्गम पर प्रीमियम रिकॉर्ड करने के लिए प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित निधि का उपयोग केवल सीमित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। शेयरों के निर्गम पर व्यय प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

1.7 प्रतिधारित आय:

प्रतिधारित आय, कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिधारित आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त लाभ और अन्य व्यापक आय की मदों को दर्शाती है, जिसमें से लाभांश वितरण और अन्य आरक्षित निधियों को तथा से अंतरण घटाया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

1.8 नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि:

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु व्युत्पन्नी उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम के बचाव के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। बचाव लेखांकन के तहत नामित व्युत्पन्नी अनुबंध प्रभावी बचाव हैं, बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकद प्रवाह बचाव के प्रभावी हिस्से' में मान्यता दी जाती है। ऐसे आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि के एकल विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जब बचाव की गई मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है। नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि संचलन को ऊपर दी गई तालिका में दिखाया गया है।

1.9 समेकन पर परिवर्तन आरक्षित निधि:

विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के भारतीय रुपये के अलावा अन्य कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित करने से उत्पन्न विनिमय अंतर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से मान्यता दी जाती है और इसे विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि में इक्विटी के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

टिप्पणी 27: ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
(i) ऋण पर ब्याज	6,539.89	4,781.68
घटाएँ: छूट	44.54	32.80
ऋण पर ब्याज (शुद्ध)	6,495.35	4,748.88
(ii) निवेश पर ब्याज आय		
-भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज	40.03	6.71
(iii) बैंकों के पास जमा पर ब्याज		
-अल्पकालिक जमा-भारतीय रुपये	17.37	28.67
-अल्पकालिक जमा-विदेशी मुद्रा	2.66	4.62
(iv) अन्य ब्याज आय		
-बचत बैंक खाते पर ब्याज	-	0.08
(v) अंतर ब्याज	20.89	33.44
कुल	**6,576.30**	**4,822.40**

वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज, परिशोधित लागत पर मापा गया

टिप्पणी 28: शुल्क और कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
व्यावसायिक सेवा शुल्क		
(i) शुल्क आधारित आय	17.17	17.21
(ii) परामर्श शुल्क	-	0.16
(iii) गारंटी कमीशन	68.37	31.54
कुल व्यावसायिक सेवा शुल्क (क)	**85.54**	**48.91**
सेवा शुल्क		
(i) सरकारी योजना कार्यान्वयन	10.17	11.11
कुल सेवा शुल्क - सरकारी योजना कार्यान्वयन (ख)	**10.17**	**11.11**
कुल (क+ख)	**95.71**	**60.02**

टिप्पणी 29: उचित मूल्य परिवर्तनों पर शुद्ध लाभ/(हानि)*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
व्यापारिक निवेश सूची के अलावा लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर शुद्ध लाभ/(हानि)		

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(i) व्युत्पन्नी		
- विदेशी मुद्रा ऋण के लिए लिये गए व्युत्पन्नी कवर पर उचित मूल्य परिवर्तन	13.13	(11.26)
उचित मूल्य परिवर्तन:		
- प्राप्त	-	-
- अप्राप्त	13.13	(11.26)
उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल शुद्ध लाभ/(हानि)	**13.13**	**(11.26)**

*इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उपार्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अलावा हैं।

टिप्पणी 30: अन्य परिचालन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
i) सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व*		
बिजली की बिक्री (क)	27.02	29.80
घटाएँ: ग्राहक को छूट (ख)	0.54	0.60
सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व (शुद्ध) (ग=क-ख)	26.48	29.20
ii) अशोध्य ऋण की वसूली	31.70	63.57
कुल (i+ii)	**58.18**	**92.77**

*[टिप्पणी संख्या 38(31) और 38(32) देखें]

टिप्पणी 31: अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
अतिरिक्त प्रावधान बट्टे खाते में डाला गया	0.01	0.01
कर्मचारी ऋण पर ब्याज	1.93	1.29
आय कर वापसी पर ब्याज	9.68	-
किराये से आय [टिप्पणी संख्या 38(19) देखें)]	0.07	0.02
अन्य	0.68	0.04
कुल	**12.37**	**1.36**

टिप्पणी 32: वित्त लागत*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
उधार पर ब्याज	2,243.56	2,027.98
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,759.15	962.31
अधीनस्थ देनदारियों पर ब्याज	56.62	52.59
अन्य उधार लागत	80.25	120.46
उधार पर लेन-देन लागत	1.11	0.40
पट्टा देयता पर ब्याज	0.36	0.36
कुल	**4,141.05**	**3,164.10**

*वित्तीय देनदारियों पर वित्त लागत को परिशोधन लागत के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 33: शुद्ध परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
निवल परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि	37.06	(9.94)
एफसीएमआईटीआर का परिशोधन	4.55	(6.59)
कुल	**41.61**	**(16.53)**

टिप्पणी 38(27) भी देखें

टिप्पणी 34: वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
ऋण	237.23	(67.22)
कुल	**237.23**	**(67.22)**

वित्तीय उपकरणों पर हानि को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।
अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी संख्या 38(20) देखें।

टिप्पणी 35: कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	63.66	57.98
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	5.85	4.90
कर्मचारी कल्याण व्यय	12.03	8.29
मानव संसाधन विकास व्यय	0.12	0.15
कुल	**81.66**	**71.32**

टिप्पणी 36: मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास [टिप्पणी संख्या 38(5) देखें]	31.47	24.22
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन [टिप्पणी संख्या 38(18) देखें]	0.85	0.63
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास [टिप्पणी संख्या 38(19) देखें]	0.00	0.00
परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का परिशोधन [टिप्पणी संख्या 38(33) देखें]	6.55	5.50
कुल	**38.87**	**30.35**

टिप्पणी 37: अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
किराया, कर और बिजली लागत	14.13	16.05
मरम्मत और रखरखाव	7.10	7.26

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
संचार लागत	2.23	1.13
मुद्रण और लेखन-सामग्री	0.41	0.49
विज्ञापन और प्रचार	8.16	10.57
निदेशक की फीस, भत्ते और व्यय	2.34	1.78
लेखा-परीक्षक की फीस और व्यय [टिप्पणी संख्या 38(40) देखें]	0.50	0.55
कानूनी और पेशेवर शुल्क	19.42	24.06
यात्रा और परिवहन	6.64	6.74
बीमा	0.40	0.14
अशोध्य ऋण	14.74	-
क्रेडिट रेटिंग व्यय	1.58	1.30
पीपीई की बिक्री पर हानि	0.54	0.64
अन्य व्यय	8.76	5.80
कुल	**86.95**	**76.51**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

टिप्पणी 38 - समेकित वित्तीय विवरण के लिये टिप्पणियाँ

1. समूह अवलोकन

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ("इरेडा" या "कंपनी") भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पहली मंज़िल, भारत पर्यावास केंद्र, ईस्ट कोर्ट, कोर- 4ए, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 में स्थित है। कंपनी को 27 सितंबर, 2023 के डीपीई पत्र के मार्फ़त अनुसूची "क" का दर्जा भी दिया गया है और डीपीई द्वारा 26 अप्रैल, 2024 के पत्र के माध्यम से इसे 'नवरत्न' में समुन्नत किया गया।

आरबीआई या अन्य विनियामक द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश को जारी होने पर लागू किया जाता है। मास्टर निर्देश-भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 (यथा संशोधित) के अनुसार, जिसे मास्टर निर्देश 2023 के रूप में संदर्भित किया गया है, कंपनी एनबीएफसी-मध्य परत (एमएल) के अंतर्गत आती है। कंपनी को आरबीआई द्वारा 13 मार्च, 2023 के पत्र के मार्फ़त इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) का दर्जा दिया गया है, जिसे मास्टर निर्देश 2023 के अनुसार "एनबीएफसी-आईएफसी" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी के इक्विटी शेयर और गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और/या बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

कंपनी की आईएफएससी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र)-जीआईएफटी सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में "इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड" ("आईजीईएफआईएल" या "सहायक कंपनी") नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका निगमन 07 मई, 2024 को हुआ था। इस सहायक कंपनी को एक वित्त कंपनी के रूप में कार्य करने हेतु आईएफएससीए से 18 फरवरी, 2025 का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। कंपनी और उसकी सहायक कंपनी को एक साथ अब 'समूह' कहा जाएगा।

समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (एसओसीआईई) एनबीएफसी हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन III के अधीन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का अनुपालन करना आवश्यक है। भारतीय लेखा मानक 7 - "नकद प्रवाह का विवरण" की आवश्यकता के अनुसार नकद प्रवाह का समेकित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

2. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-10 "रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ" के संबंध में प्रकटीकरण

समेकित वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा **15 अप्रैल, 2025** को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

3. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-12 "आयकर" के संबंध में प्रकटीकरण

क. लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता प्राप्त कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
निम्नलिखित से संबंधित वर्तमान कर व्यय:		
वर्तमान वर्ष	477.02	398.12
पूर्ववर्ती वर्ष*	(5.71)	14.92
उप योग (क)	**471.31**	**413.04**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिवर्तन	(66.11)	19.98
उप योग (ख)	**(66.11)**	**19.98**
कुल (ग=क+ख)	**405.20**	**433.02**
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर मान्यता प्राप्त कर व्यय/(बचत) और नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा (घ)	22.95	(52.74)
लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता प्राप्त कुल कर (ग+घ)	**428.15**	**380.28**

*चालू वर्ष में निर्धारित

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

ख. समेकित अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आयकर	(5.23)	(0.58)
नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर प्रभावी हिस्से पर आयकर	28.18	(52.16)
समेकित अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल कर	**22.95**	**(52.74)**

ग. अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
शेयर जारी करने के व्यय पर कर व्यय (बचत)	(0.21)	(7.85)
अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त कुल कर	**(0.21)**	**(7.85)**

घ. कर व्यय और लेखांकन लाभ का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ और ओसीआई	**2,194.72**	**1,475.71**
लागू आयकर दर (%)	25.17 %	25.17 %
अपेक्षित आयकर	552.37	371.41
आयकर समायोजन का कर प्रभाव		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की बिक्री पर मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	0.17	(0.59)
आस्थगित मद एवं ओसीआई समायोजन	0.60	0.60
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर) का परिशोधन	(34.59)	52.16
वित्तीय लिखतों पर क्षति	26.55	17.88
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43ख के तहत अस्वीकृति	0.05	2.76
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) के तहत कटौती	(117.66)	(84.54)
सीएसआर व्यय एवं अन्य	6.24	5.54
अन्य कटौती योग्य कर व्यय	(0.01)	(0.00)
प्रदान किया गया अतिरिक्त कर	0.08	0.17
पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कर व्यय	(5.71)	14.92
लाभ और हानि के समेकित विवरण में कुल कर व्यय	**428.09**	**380.31**
बुक आय पर वास्तविक प्रभावी आयकर दर (%)	**19.51 %**	**25.77 %**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

ङ. आस्थगित कर संचलन

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2024 को निवल शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त	31.03.2025 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ					
गारंटी कमीशन पर अप्रत्यक्ष कर एवं अन्य के लिए प्रावधान	26.31	1.76	-	-	28.07
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	3.92	(5.07)	5.23	-	4.08
वित्तीय साधनों पर क्षति के लिए प्रावधान	358.84	32.66	-	-	391.50
शुल्क आय - बहियों में आस्थगित	54.62	18.23	-	-	72.85
शेयर जारी करने का खर्च	6.28	(1.52)	-	(0.21)	4.55
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**449.97**	**46.07**	**5.23**	**(0.21)**	**501.05**
आस्थगित कर देयताएँ					
मूल्यह्रास और परिशोधन	43.86	(3.14)	-	-	40.72
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)	114.72	(19.31)	-	-	95.41
बॉण्ड्स पर लेन-देन लागत	1.94	2.41	-	-	4.35
कुल आस्थगित कर देयताएं	**160.52**	**(20.04)**	**-**	**-**	**140.48**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	**289.44**	**66.11**	**5.23**	**(0.21)**	**360.57**

31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2023 को निवल शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त	31.03.2024 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ					
गारंटी कमीशन पर अप्रत्यक्ष कर एवं अन्य हेतु प्रावधान	23.88	2.43	-	-	26.31
कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान	9.42	(6.07)	0.57	-	3.92
वित्तीय साधनों पर क्षति हेतु प्रावधान	393.63	(34.79)	-	-	358.84
शुल्क आय - बहियों में आस्थगित	48.95	5.67	-	-	54.62
शेयर जारी करने का खर्च	-	(1.57)	-	7.85	6.28
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**475.88**	**(34.33)**	**0.57**	**7.85**	**449.97**
आस्थगित कर देयताएँ					
मूल्यह्रास और परिशोधन	45.75	(1.89)	-	-	43.86
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)	128.50	(13.79)	-	-	114.72

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

बॉण्ड्स पर लेन-देन लागत	0.61	1.33	-	-	1.94
ऋण पर लेन-देन लागत	0.00	(0.00)	-	-	-
कुल आस्थगित कर देयताएं	**174.86**	**(14.35)**	**-**	**-**	**160.52**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	**301.02**	**(19.98)**	**0.57**	**7.85**	**289.45**

च. कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानि/अप्रयुक्त कर क्रेडिट अग्रेनीत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	समाप्ति की तारीख	31.03.2024 को	समाप्ति की तारीख
कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानि/ अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिसके लिए कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं है	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं

छ. कुल वर्तमान कर और आस्थगित कर जो सीधे अन्य इक्विटी/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभहित योजनाओं के पुनः मापन पर कर व्यय/ (बचत)	(5.23)	(0.58)
नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखतों पर लाभ/(हानि) के प्रभावी हिस्से पर कर व्यय/(बचत)	28.18	(52.16)
शेयर जारी करने के व्यय पर कर व्यय/(बचत)	(0.21)	(7.85)
कुल	**22.74**	**(60.59)**

4. अप्रकटित आय

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में चालू एवं पिछले वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन-देन नहीं था जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न किया गया हो, जिसे आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो। इस प्रकार, लेखा पुस्तकों में आगे कोई लेखा-जोखा रखने की आवश्यकता नहीं है।

5. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-16 "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में शामिल डीकमीशनिंग देयताएँ

इंड एएस 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, परिशिष्ट ए "मौजूदा डीकमीशनिंग, पुनर्बहाली और समान देयताओं में परिवर्तन" के अनुसार, डीकमीशनिंग, पुनर्बहाली या समान देयता में निर्दिष्ट परिवर्तनों को उस परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा या घटाया जाना चाहिए जिससे यह संबंधित है; फिर परिसंपत्ति की समायोजित मूल्यह्रास राशि को उसके शेष उपयोगी जीवन पर भावी रूप से मूल्यह्रास किया जाता है।

इंड एएस 16 के पैरा 55 के अनुसार, किसी परिसंपत्ति की मूल्यह्रास राशि उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाने के बाद निर्धारित की जाती है। सौर संयंत्र से संबंधित डीकमीशनिंग देयता और अवशिष्ट मूल्य की राशि विश्वसनीय रूप से पता लगाने योग्य नहीं है। इसलिए, सौर संयंत्र से संबंधित डीकमीशनिंग देयता और अवशिष्ट मूल्य पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, प्रबंधन की राय है कि डीकमीशनिंग लागत (सौर संयंत्र के अवशिष्ट मूल्य का निवल), महत्वपूर्ण नहीं होगी।

6. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-19 "कर्मचारी लाभ" के संबंध में प्रकटीकरण

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:-

- **भविष्य निधि (परिभाषित अंशदान निधि):** 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित निश्चित प्रतिशत पर भविष्य निधि में अंशदान के संबंध में ₹3.15 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹2.87 करोड़) व्यय की पहचान की है और लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

- **राष्ट्रीय पेंशन योजना / सेवा-निवृत्ति हितलाभ निधि (परिभाषित अंशदान निधि):** 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित निश्चित प्रतिशत पर राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में अंशदान के संबंध में ₹ 2.29 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹2.17 करोड़) के व्यय की पहचान की है तथा लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया है।

अन्य लाभ:

- **अर्जित अवकाश (ईएल) लाभ:** प्रति वर्ष 30 दिन उपचय। सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार नकदीकरण। सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण अधिकतम 300 दिन, जिसमें आधा वेतन अवकाश (एचपीएल) शामिल है।

  31मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अर्जित अवकाश के लिए ₹ 2.38 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹3.05 करोड़) प्रतिचिह्नित की है।

- **अर्ध वेतन अवकाश (एचपीएल) लाभ:** प्रति वर्ष 10 पूर्ण दिन अर्जित। सेवा में रहते हुए कोई नकदीकरण नहीं। सेवानिवृत्ति या सेवा-निवृत्ति पर नकदीकरण अधिकतम 300 दिन, जिसमें ईएल शामिल है।

  31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अर्ध वेतन अवकाश के लिए ₹0.19 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1.51 करोड़) प्रतिचिह्नित की है।

- **उपदान:** सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन अर्जित किया जाएगा। निहित अवधि 05 वर्ष है तथा 01.01.2017 से लागू वेतन संशोधन के पश्चात भुगतान ₹20 लाख तक सीमित है।

  31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, ऑन रोल कर्मचारी के लिए समेकित तुलन-पत्र में उपदान के लिए मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्ति ₹0.42 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 0.21 करोड़) है, जबकि ₹12.59 करोड़ की देयता के प्रति ₹13.01 करोड़ की परिसंपत्ति धारित हैं (पिछले वर्ष: ₹12.19 करोड़ की देयता के प्रति ₹12.40 करोड़)।

- **सेवा-निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजना:** कंपनी बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना के लिए परिभाषित लाभ योजनायें प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र पूर्व कर्मचारियों और पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इरेडा सेवा-निवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) ट्रस्ट चालू हो गया है, और सेवा-निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ 01 अक्टूबर 2024 से इरेडा पीआरएमएस ट्रस्ट एवं नियमों के तहत शासित होंगे। लाभार्थियों में लागू नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ के लिए सेवा-निवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित शामिल हैं।

  ट्रस्ट को ₹42.87 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है, जिसमें 30 सितंबर, 2024 तक के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ₹32.87 करोड़ और ट्रस्ट की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के सुचारू संचालन को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त योगदान के रूप में ₹10.00 करोड़ शामिल हैं। यह धनराशि मौजूदा नीति के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में निवेश की गई है।

  31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, पीआरएमएस के लिए तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति ₹4.55 करोड़ है, जबकि ₹39.71 करोड़ की देनदारी के तहत ₹44.27 करोड़ की धारित परिसंपत्तियाँ हैं (पिछले वर्ष: ₹16.89 करोड़ की देनदारी के तहत शून्य करोड़ की परिसंपत्तियाँ)।

- **सामान भत्ता:** सेवा-निवृत्ति के समय, कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर बसने के हकदार होते हैं, और वे सामान भत्ते के लिए पात्र होते हैं।

  31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, सामान भत्ते के लिए कंपनी ने ₹ 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.03 करोड़) प्रदान किए हैं।

- **विदाई उपहार:** कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति के समय, कंपनी इस उद्देश्य के लिए बनायी गई नीति के अनुसार कर्मचारी को विदाई उपहार प्रदान करती है। उपहार का मूल्य सेवा-निवृत्त कर्मचारी के पदनाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

  31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने विदाई उपहार के लिए ₹0.03 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.02 करोड़) प्रदान किए हैं।

  लाभ और हानि के समेकित विवरण, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और तुलन-पत्र तथा अन्य प्रकटीकरणों में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है: -

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी*	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	01.04.2024	12.18	16.88	5.62	8.85	0.24	0.20
	01.04.2023	10.38	13.84	3.46	6.32	0.22	0.11
ब्याज लागत	31.03.2025	0.88	1.22	0.41	0.65	0.02	0.01
	31.03.2024	0.82	1.02	0.31	0.51	0.02	0.01
वर्तमान सेवा लागत	31.03.2025	0.70	1.79	0.88	1.58	0.02	0.02
	31.03.2024	0.66	0.70	1.08	1.63	0.02	0.01
पिछली सेवा लागत	31.03.2025	-	-	-	-	-	-
	31.03.2024	-	-	-	-	-	-
भुगतान किए गए हितलाभ	31.03.2025	(1.25)	(1.07)	(0.27)	(1.01)	-	(0.02)
	31.03.2024	(1.63)	(0.43)	(0.67)	(1.63)	-	(0.05)
दायित्व पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	31.03.2025	0.07	20.89	1.47	0.14	(0.01)	0.02
	31.03.2024	0.41	1.74	0.13	0.88	(0.01)	0.11
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	31.03.2025	12.59	39.71	5.27	10.58	0.27	0.23
	31.03.2024	12.19	16.88	5.68	9.03	0.24	0.20

*पीआरएमबी योजना 22 अक्टूबर, 2024 से वित्त पोषित हो गई

❖ नियोजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी*	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	01.04.2024	12.40	-	-	-	-	-
	01.04.2023	11.89	-	-	-	-	-
प्रारंभिक निधि में अंतर	31.03.2025	-	-	-	-	-	-
	31.03.2024	-	-	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	31.03.2025	0.87	1.28	-	-	-	-
	31.03.2024	0.87	-	-	-	-	-
मृत्यु प्रभार	31.03.2025	(0.02)	-	-	-	-	-
	31.03.2024	(0.01)	-	-	-	-	-
नियोक्ता योगदान	31.03.2025	0.81	44.05	-	-	-	-
	31.03.2024	0.51	-	-	-	-	-
अन्य संगठन से प्राप्त निधि	31.03.2025	0.20	-	-	-	-	-
	31.03.2024	0.77	-	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	31.03.2025	(1.25)	(1.07)	-	-	-	-
	31.03.2024	(1.62)	-	-	-	-	-
अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	31.03.2025	13.01	44.27	-	-	-	-
	31.03.2024	12.40	-	-	-	-	-

*पीआरएमबी योजना 22 अक्टूबर 2024 से वित्त पोषित हो गई

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी*	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	31.03.2025	12.59	39.71	5.27	10.58	0.27	0.23
	31.03.2024	12.19	16.88	5.68	9.03	0.24	0.20
अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	31.03.2025	13.01	44.27	-	-	-	-
	31.03.2024	12.40	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध (देयता)/परिसंपत्ति	31.03.2025	0.42	4.55	(5.27)	(10.58)	(0.27)	(0.23)
	31.03.2024	0.21	(16.88)	(5.68)	(9.03)	(0.24)	(0.20)

*पीआरएमबी योजना 22 अक्टूबर 2024 से वित्त पोषित हो गई

❖ लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी*	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
वर्तमान सेवा लागत	31.03.2025	0.70	1.79	0.88	1.58	0.02	0.02
	31.03.2024	0.66	0.70	1.08	1.63	0.02	0.01
ब्याज लागत	31.03.2025	0.88	1.22	0.41	0.65	0.02	0.01
	31.03.2024	0.82	1.02	0.31	0.51	0.02	0.01
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	31.03.2025	0.90	1.28	-	-	-	-
	31.03.2024	0.88	-	-	-	-	-
मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	31.03.2025	-	-	(1.47)	0.14	-	-
	31.03.2024	-	-	0.12	0.88	-	-
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	31.03.2025	0.68	1.73	(0.19)	2.38	0.04	0.03
	31.03.2024	(0.61)	1.73	1.51	3.05	0.03	0.02
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त राशि	31.03.2025	0.12	20.89	-	-	(0.01)	0.02
	31.03.2024	0.44	(1.74)	-	-	(0.01)	(0.11)

*पीआरएमबी योजना 22 अक्टूबर 2024 से वित्त पोषित हो गई

❖ बीमांकिक धारणा

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	उपदान	पीआरएमबी*	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
छूट की दर	31.03.2025	6.79%	6.79%	6.79%	6.79%	6.79%	6.79%
	31.03.2024	7.23%	7.23%	7.23%	7.23%	7.23%	7.23%
वेतन वृद्धि की दर	31.03.2025	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	-
	31.03.2024	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	-
व्यवहृत पद्धति	31.03.2025	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी
	31.03.2024						

*पीआरएमबी योजना 22 अक्टूबर 2024 से वित्त पोषित हो गई

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ **परिभाषित हितलाभ दायित्व का संवेदनशील विश्लेषण**

(₹ करोड़ में)

क) छूट की दर में परिवर्तन का असर	उपदान	पीआरएमबी*	अस्वस्थता अवकाश	अर्जित अवकाश	सामान	विदाई उपहार
	(वित्तपोषित)		(अवित्तपोषित)			
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	12.59	39.71	5.27	10.58	0.27	0.23
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(0.50)	(1.37)	(0.18)	(0.51)	(0.01)	(0.01)
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	0.53	1.44	0.19	0.55	0.01	0.01
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर	**उपदान**	**पीआरएमबी***	**अस्वस्थता अवकाश**	**अर्जित अवकाश**	**सामान**	**विदाई उपहार**
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	12.59	39.71	5.27	10.58	0.27	-
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	0.15	1.46	0.19	0.55	0.01	-
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(0.20)	(1.40)	(0.18)	(0.51)	(0.01)	-

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है। भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएँ लागू नहीं होती हैं।
*पीआरएमबी योजना 22 अक्टूबर 2024 से वित्त पोषित हो गई

- **कार्य-प्रदर्शन से संबंधित वेतन**
  31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कार्य-प्रदर्शन से संबंधित वेतन के लिए ₹9.43 करोड़ [पिछले वर्ष: ₹4.91 करोड़ (निवल प्रतिवर्तन) सृजित किए गए थे] का प्रावधान किया है। वर्ष के दौरान अंतर्निहित योजना के अनुसार पात्र कर्मचारियों को ₹6.00 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹8.84 करोड़) की राशि का भुगतान किया गया था।

7. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-20 "सरकारी अनुदान के लिए लेखा और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

क) पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु अनुदान

विश्व बैंक स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) अनुदान: -

अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित प्राप्त विश्व बैंक सीटीएफ अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर परिशोधन व्यय में कटौती के रूप में व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 38(18) देखें।

कंपनी को 31 मार्च, 2025 तक कुल ₹ 5.50 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है (पिछले वर्ष: ₹5.50 करोड़) जिसमें कंपनी को प्रतिपूर्ति और विक्रेताओं के लिए प्रत्यक्ष संवितरण शामिल है। कंपनी ने 31 मार्च, 2025 तक अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद के लिए शेष अनुदान के रूप में ₹1.15 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1.52 करोड़) का प्रकटीकरण किया है। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में "अन्य गैर-वित्तीय देनदारियों" (टिप्पणी 24 देखें) के अधीन "विश्व बैंक-स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) से पूंजी अनुदान" के रूप में उक्त अनुदान का प्रकटीकरण किया है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए अनुदान की गतिविधि निम्नलिखित अनुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	1.52	4.25
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	1.25
लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त अनुदान	0.37	3.98
अंतिम शेष	1.15	1.52

ख) राजस्व अनुदान

विश्व बैंक ऋण सहायता के अंतर्गत ऋण आवेदनों का आकलन करने हेतु बाहरी परामर्शदाता को नियुक्त करने के लिए कंपनी को विश्व बैंक से राजस्व अनुदान "तकनीकी सहायता" (टीए) प्राप्त हुआ है, जिसकी राशि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु ₹6.92 करोड़ है (पिछले वर्ष: ₹2.45 करोड़)। कंपनी भारतीय लेखा मानक 20 "सरकारी अनुदान और सहायता" का अनुपालन करती है और उसे संबंधित व्यय में कटौती के रूप में अपने राजस्व अनुदान को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपनायी है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

समाप्त वर्ष	प्राप्त टीए घटक	टीए के तहत किए गए व्यय	लाभ व हानि विवरण में मान्यता प्राप्त निवल राशि
31.03.2025	6.92	6.92	-
31.03.2024	2.45	2.45	-

8. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-23 "उधार लागत" के संबंध में प्रकटीकरण

₹ शून्य करोड़ [पिछले वर्ष: ₹शून्य करोड़)

9. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

क. सरकार और सरकार संबंधित संस्थाओं के अलावा अन्य के लिए प्रकटीकरण

संबंधित पक्ष की सूची

31.03.2025 को

इरेडा के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक[1]	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
डॉ. बिजय कुमार महान्ती	निदेशक- वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार)[2]	01.04.2024 से 31.03.2025 तक 01.04.2024 से 04.03.2025 तक
श्री पदम लाल नेगी	निदेशक - सरकारी नामित[3]	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
श्री अजय यादव	निदेशक - सरकारी नामित[4]	01.04.2024 से 11.12.2024 तक
श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[5]	01.04.2024 से 20.01.2025 तक 28.03.2025 से 31.03.2025 तक
डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[6]	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
श्री राम निहाल निषाद	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
श्रीमती रोहिणी रावत	निदेशक -स्वतंत्र निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
श्रीमती एकता मदान	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी[7]	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
श्री प्रदीप कुमार दास	निदेशक	07.05.2024 से 31.03.2025 तक
डॉ. बिजय कुमार महान्ती	निदेशक	07.05.2024 से 31.03.2025 तक
डॉ. रमेश चंद्र शर्मा*	निदेशक	07.05.2024 से 31.07.2024 तक
श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा	निदेशक	01.08.2024 से 31.03.2025 तक
श्री एस के डे	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	25.06.2024 से 31.03.2025 तक
सुश्री पुन्नू ग्रोवर	मुख्य वित्तीय अधिकारी	25.06.2024 से 31.03.2025 तक
श्रीमती एकता मदान	कंपनी सचिव	25.06.2024 से 31.03.2025 तक

*डॉ. रमेश चंद्र शर्मा, निदेशक ने 31 जुलाई, 2024 (अपराह्न) को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। तदनुसार, वे 31 जुलाई, 2024 से कंपनी के निदेशक नहीं रहेंगे।

इरेडा की सहायक कंपनी		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	सहायक कंपनी*	07.05.2024 से 31.03.2025 तक

*टिप्पणी 38(11) भी देखें

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

31.03.2024 को

इरेडा के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध का प्रकार**	**अवधि**
श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक[1] निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार[1] निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार[1]	01.04.2023 से 31.03.2024 तक 01.04.2023 से 12.10.2023 तक 01.04.2023 से 04.03.2024 तक
डॉ. बिजय कुमार महान्ती	निदेशक- वित्त[2] मुख्य वित्तीय अधिकारी[2] निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार[2]	12.10.2023 से 31.03.2024 तक 16.10.2023 से 31.03.2024 तक 05.03.2024 से 31.03.2024 तक
श्री पदम लाल नेगी	निदेशक - सरकारी नामित[3]	01.04.2023 से 31.03.2024 तक
श्री अजय यादव	निदेशक - सरकारी नामित[4]	01.04.2023 से 31.03.2024 तक
श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[5]	01.04.2023 से 31.03.2024 तक
डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[6]	01.04.2023 से 31.03.2024 तक
श्री राम निहाल निषाद	निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024 तक
श्रीमती रोहिणी रावत	निदेशक -स्वतंत्र निदेशक	01.04.2023 से 31.03.2024 तक
डॉ. आर. सी. शर्मा	महाप्रबंधक (वित्त तथा लेखा) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी[2]	01.04.2023 से 16.10.2023 तक
श्रीमती एकता मदान	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारीr[7]	01.04.2023 से 31.03.2024 तक

[1]श्री प्रदीप कुमार दास को 06 मई 2020 से इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें 06 मई 2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके बाद, एमएनआरई ने समय-समय पर श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, इरेडा को निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार दिया और अंतिम बार 06 नवंबर 2022 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या नियमित पदधारी द्वारा पदभार ग्रहण करने तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया था। 12 अक्टूबर 2023 (अपराह्न) से डॉ. बिजय कुमार महान्ती के इरेडा के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद, श्री प्रदीप कुमार दास को इरेडा के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार समाप्त कर दिया गया।

एमएनआरई ने अपने पत्र दिनांक 30 अगस्त, 2023 के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा को निदेशक (तकनीकी) के पद का अतिरिक्त प्रभार 05 मार्च, 2023 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए, या पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सौंपने के लिए पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार, उक्त प्रभार 04 मार्च, 2024 तक वैध था।

[2]डॉ. बिजय कुमार महान्ती को एमएनआरई आदेश संख्या 1/22/2017-इरेडा दिनांक 12 अक्टूबर 2023 के अनुसरण में 12 अक्टूबर 2023 (अपराह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए कंपनी का निदेशक (वित्त) नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, डॉ. बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त) को 16 अक्टूबर 2023 से डॉ. आर.सी. शर्मा, जीएम (वित्त तथा लेखा) और सीएफओ के स्थान पर कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

एमएनआरई ने कार्यालय आदेश संख्या 1/13/2017-इरेडा दिनांक 27 मार्च, 2024 के तहत निदेशक (तकनीकी) के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त) को 05 मार्च 2024 से 6 (छह) महीने की अवधि के लिए, या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सौंपा गया है।

डीपीई के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, कंपनी में निदेशक (तकनीकी) के पद को 27 जून 2024 से निदेशक (परियोजना) के रूप में पुनः नामित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एमएनआरई ने अपने पत्र दिनांक 12 सितंबर 2024 के माध्यम से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के दिनांक 07 सितंबर 2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से डॉ. बिजय कुमार महान्ती, निदेशक (वित्त), इरेडा को निदेशक (परियोजना) के पद के लिए अतिरिक्त प्रभार के विस्तार हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। यह विस्तार 05 सितंबर 2024 से 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए या किसी नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। तदनुसार, डॉ. बिजय कुमार महान्ती के इरेडा के निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार 05 मार्च, 2025 को समाप्त कर दिया गया है।

[3]एमएनआरई ने अपने आदेश संख्या 340/85/2017-इरेडा दिनांक 07 फरवरी 2023 के माध्यम से श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमएनआरई और श्री अजय यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई को कंपनी के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया है। हालाँकि, श्री अजय यादव का डीआईएन 14 फरवरी, 2023 को कंपनी के रजिस्ट्रार (आरओसी) से प्राप्त किया गया था। तदनुसार, श्री अजय यादव 14 फरवरी, 2023 से कंपनी के निदेशक माने जाते हैं।

[4]एमएनआरई ने अपने पत्र संख्या 340/85/2017-इरेडा दिनांक 12 दिसंबर 2024 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री अजय यादव, आईएएस (पूर्व संयुक्त सचिव, एमएनआरई) का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 11 दिसंबर, 2024 (अपराह्न) को पूरा हो गया है। तदनुसार, श्री अजय यादव, निदेशक (सरकारी नामित) 12 दिसंबर 2024 से इरेडा के निदेशक नहीं रहेंगे।

[5]एमएनआरई ने अपने आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा दिनांक 21 जनवरी 2022 के माध्यम से श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को तत्काल प्रभाव से तीन वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया। तथापि, 28 जनवरी 2022 को आरओसी से डीआईएन प्राप्त किया गया था। तदनुसार, श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट का कार्यकाल 20 जनवरी 2025 को पूरा हो गया है, और वे 21 जनवरी 2025 से इरेडा के निदेशक नहीं रहेंगे। इसके बाद, एमएनआरई आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा- भाग (1) दिनांक 28 मार्च, 2025 के अनुसरण में, श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को एमएनआरई आदेश जारी होने की तारीख से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 28 मार्च, 2025 से इरेडा के गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

[6]एमएनआरई ने अपने आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा दिनांक 28 मार्च 2022 के तहत डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर को आदेश की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया। हालाँकि, कंपनी के रजिस्ट्रार से डीआईएन 31 मार्च 2022 को प्राप्त किया गया था। तदनुसार, उन्हें 31 मार्च 2022 से कंपनी का निदेशक माना जाता है। तदनुसार, श्री डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर का कार्यकाल 27 मार्च, 2025 को पूरा हो गया है और वे 28 मार्च, 2025 से इरेडा के निदेशक नहीं रहेंगे। हालाँकि, एमएनआरई आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा- भाग (1) दिनांक 28 मार्च 2025 के अनुसरण में, डॉ. जगनाथ चेन्नाकेशवा मूर्ति जोड़ीधर को एमएनआरई के आदेश जारी किए जाने की तारीख से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 28 मार्च 2025 से इरेडा के गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।

[7]श्रीमती एकता मदान, वरिष्ठ प्रबंधक (कॉरपोरेट मामले) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

कंपनी की नियंत्रणाधीन ट्रस्ट/निधियाँ

- इरेडा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
- इरेडा कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट
- इरेडा कर्मचारी हितैषी निधि
- इरेडा सेवा-निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा योजना ट्रस्ट

i. केएमपी को मुआवजा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक हितलाभ		
- बैठक का शुल्क (स्वतंत्र निदेशकों को)	0.63	0.91
- अन्य (वेतन)	2.49	1.81
रोजगार के बाद के लाभ	0.27	0.17
कुल	**3.39**	**2.89**

टिप्पणी:-

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) को सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मासिक शुल्क के भुगतान पर प्रति माह 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार की अनुमति भी दी गई है।
- कार्यात्मक निदेशकों के लिए उपदान निधि में योगदान अलग से निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एलआईसी में योगदान कर्मचारी वार नहीं किया जाता है।
- प्रकार्यात्मक निदेशक के लिए अवकाश नकदीकरण, सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, विदाई उपहार आदि का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और यह उपर्युक्त दिए गए मुआवजे के अतिरिक्त है।

ii. केएमपी को और से ऋण व अग्रिम:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
केएमपी को ऋण एवं अग्रिम		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	0.32	0.40
वर्ष के दौरान दिए गए ऋण व अग्रिम	1.22	0.12
वर्ष के दौरान प्राप्त पुनर्भुगतान	0.15	0.11
वर्ष के दौरान लिया गया ब्याज	0.05	-
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.09	0.09
वर्ष के अंत में शेष राशि	**1.35**	**0.32**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
केएमपी से ऋण व अग्रिम		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान दिए गए ऋण और अग्रिम	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**-**	**-**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के प्रमुख नियम और शर्तें

1. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन सुरक्षित और सुविधाजनक लेन-देन की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार होता है।
2. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और ऋण एवं अग्रिम कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप हैं।
3. संबंधित पक्षों के लिए कोई लंबित प्रतिबद्धता नहीं है।

ख. सरकार और सरकारी संस्थाओं के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

सरकार/ सरकारी संस्था का नाम	कंपनी के साथ सम्बन्ध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2025 को शेष राशि	31.03.2024 को शेष राशि
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)	प्रशासनिक मंत्रालय/प्रमोटर	ऋण पुनर्भुगतान- एमएनआरई के जरिए आईडीए	20.93	20.64	224.65	239.70
		ब्याज भुगतान	1.77	1.90	-	-
		गारंटी शुल्क भुगतान*	77.33	117.63	-	-
		एमएनआरई (भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड्स) के पक्ष में कर योग्य बॉण्ड्स की उगाही	-	-	भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड शृंखला-I: 610.00 शृंखला -Iक: 220.00 शृंखला -Iख: 810.00 **कुल: 1,640.00**	भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड शृंखला -I: 610.00 शृंखला -Iक: 220.00 शृंखला -Iख: 810.00 **कुल: 1,640.00**

*यह राशि क्रम से वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2023-24 हेतु है।

कंपनी भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेन-देन में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने अन्य सीपीएसयू के साथ टेलीफोन व्यय, हवाई यात्रा और जमा आदि जैसे अन्य लेन-देन भी किए हैं। वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए उनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है। सभी लेन-देन बाजार की शर्तों पर किए जाते हैं।

एक ही सरकार के नियंत्रण/संयुक्त नियंत्रण के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन निम्नानुसार हैं:-

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2025 को शेष [नामे/ (जमा)]	31.03.2024 को शेष [नामे/ (जमा)]
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	ऋण का पुनर्भुगतान	30.22	17.40	381.43	411.65
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	ऋण का संवितरण	0.00	233.02	381.43	411.65
भारतीय स्टेट बैंक	ऋण का पुनर्भुगतान	0.68	0.73	0.85	1.53

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड*	ऋण का पुनर्भगतान	4.06	24.83	51.11	55.17
एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	ऋण का संवितरण	696.00	-	2,225.91	1,529.91
भारतीय जीवन बीमा निगम	किराया-शाखा कार्यालय	0.07	0.07	(0.00)	-
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	अनुरक्षण शुल्क	1.73	1.55	0.25	0.54
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	इंटरनेट कनेक्टिविटी शुल्क	0.11	0.18	(0.05)	-
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-	0.09	0.09
केंद्रीय भंडारण निगम	कार्यालय स्वच्छता	0.22	0.26	-	(0.01)
राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	किराया आय	0.07	0.02	-	0.02

*यह मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) के एनपीए खाते से संबंधित है, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है और 31 मार्च, 2025 को ₹51.11 करोड़ का ऋण बकाया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी को सरकारी संस्थाओं को दिए गए ऋणों पर ₹175.47 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹160.81 करोड़) का ब्याज और ₹34.96 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹42.96 करोड़) के मूलधन का पुनर्भुगतान भी प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार (जीओआई) के आदेशानुसार कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए ₹10.17 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹11.11 करोड़) की राशि को सेवा शुल्क के रूप में लेखांकित किया गया है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 28 देखें)।

ग. समूह के नियंत्रणाधीन कर्मचारी लाभ ट्रस्ट के साथ लेन-देन:-

(₹ करोड़ में)

सम्बंधित पक्ष का नाम	सम्बन्ध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31.03.2025 को शेष [नामे/ (जमा)]	31.03.2024 को शेष [नामे/(जमा)]
इरेडा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	नियंत्रणाधीन ट्रस्ट	कर्मचारी और नियोक्ता अंशदान	7.39	7.59	(0.02)	(0.02)
इरेडा कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट	नियंत्रणाधीन ट्रस्ट	एलआईसी प्रीमियम के लिए अंशदान	0.47	0.53	-	-
इरेडा सेवा-निवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना ट्रस्ट	नियंत्रणाधीन ट्रस्ट	कर्मचारियों और नियोक्ता के लिए एकमुश्त अंशदान और मासिक अंशदान	43.39	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

10. प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को दिए गए ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम, या तो अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में हैं , जो कि:

(क) मांग पर चुकाने योग्य हैं या

(ख) कोई भी शर्त या चुकौती की अवधि निर्दिष्ट किए बिना

(₹ करोड़ में)

उधार का प्रकार	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि	कुल ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम राशि का %	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि	कुल ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम राशि का %
प्रमोटर	शून्य		शून्य	
निदेशक				
केएमपी				
अन्य सम्बंधित पक्ष				

11. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-27 "पृथक वित्तीय विवरण" के संबंध में प्रकटीकरण

क. कंपनी ने आईएफएससी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र)-जीआईएफटी सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में "इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड" नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया है, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए विदेशी मुद्राओं में ऋण उपलब्ध कराएगी।सहायक कंपनी को एक वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य करने हेतु आईएफएससीए से 18 फरवरी, 2025 को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है।

ख. नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण पर केंद्रित एक खुदरा सहायक कंपनी के निगमन हेतु निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से 10 अक्टूबर 2024 को अनुमोदन प्राप्त हुआ। तत्पश्चात, आरबीआई से अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमोदन मांगा गया है और निर्णय का परिणाम प्रतीक्षित है।

ग. 09 सितंबर 2024 को एसजेवीएन, जीएमआर और इरेडा के बीच एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें जीएमआर अपर करनाली हाइड्रो पावर लिमिटेड (जीयूकेएचएल), नेपाल और करनाली ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (केटीसीपीएल), नेपाल प्रत्येक में इरेडा के लिए 5% का इक्विटी निवेश निर्धारित किया गया। जीयूकेएचएल और केटीसीपीएल प्रत्येक में इरेडा द्वारा 5% इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को क्रमशः नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके बाद, कंपनी ने 24 जनवरी 2025 के पत्र के मार्फ़त उक्त निवेश के लिए आरबीआई की मंजूरी मांगी है। आरबीआई ने कंपनी को 07 मार्च 2025 के पत्र के मार्फत सूचित किया कि अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है। इसके बाद, कंपनी ने परियोजना के रणनीतिक महत्व का हवाला देते हुए, दिनांक 26 मार्च 2025 के पत्र के माध्यम से उक्त निवेश हेतु अनुमोदन के लिए पुनः आरबीआई से अनुरोध किया है। निर्णय का परिणाम प्रतीक्षित है।

12. समेकित वित्तीय विवरण कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के खातों के समेकन को दर्शाते हैं, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निगमन का देश/ व्यवसाय का प्रधान स्थान	निम्नलिखित तारीख तक स्वामित्व हित का अनुपात		31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की स्थिति
			31.03.2025	31.03.2024	
सहायक कंपनी:					
1	इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	भारत	100%	-	लेखा परीक्षित

13. कंपनियों के स्तरों की संख्या का अनुपालन

समूह में कंपनियों ने चालू और पिछले वर्ष के दौरान कंपनी (स्तरों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 में यथा निर्दिष्ट के अनुसार कंपनियों के स्तरों में निवेश नहीं किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

14. व्यवस्था की स्वीकृत योजना(ओं) का अनुपालन

चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान समूह में कंपनियों द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था की योजना नहीं बनाई गई है जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता हो।

15. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-33 "प्रति शेयर आय (ईपीएस)" के संबंध में प्रकटीकरण

क. मूल ईपीएस

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। मूल ईपीएस की गणना निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष हेतु लाभ/(हानि), कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों पर अधिरोप्य (₹करोड़)	1,698.34	1,252.23
मूल आय प्रति शेयर की गणना में व्यवहृत आय (क) (₹करोड़)	1,698.34	1,252.23
मूल आय प्रति शेयर के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	2,68,77,64,706	2,42,55,97,493*
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10	10
मूल ईपीएस (क/ख) (₹ में)	**6.32**	**5.16**

*26 नवम्बर, 2023 को नये इक्विटी शेयरों के आवंटन पर विचार करते हुए (2,28,46,00,000*366/366) +(4,03,16,47,06*128/366) के रूप में गणना की गई।

ख. मंदित ईपीएस

प्रति शेयर मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को दिए गए वर्ष के शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी मंदित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। मंदित ईपीएस की गणना निम्नानुसार है: -

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (₹करोड़)	1,698.34	1,252.23
मंदित आय प्रति शेयर की गणना में उपयोग की गई आय (क) (₹करोड़)	1,698.34	1,252.23
मंदित आय प्रति शेयर के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	2,68,77,64,706	2,42,55,97,493*
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10	10
मंदित ईपीएस (क/ख) (₹ में)	**6.32**	**5.16**

*26 नवम्बर, 2023 को नये इक्विटी शेयरों के आवंटन पर विचार करते हुए (2,28,46,00,000*366/366) +(4,03,16,47,06*128/366) के रूप में गणना की गई।

16. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-36 "परिसंपत्तियों की हानि" के संबंध में प्रकटीकरण

समूह की कंपनियाँ प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर यह आकलन करती हैं कि क्या किसी परिसंपत्ति और/या नकद उत्पादक इकाई की हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो प्रत्येक परिसंपत्ति और/या नकद उत्पादक इकाई की अग्रणीत राशि की तुलना शुद्ध विक्रय मूल्य या उपयोग मूल्य में से जो भी अधिक हो, वसूली योग्य राशि से करके परिसंपत्तियों की हानि का आकलन किया जाता है। उपयोग मूल्य, परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से निर्धारित होता है। समूह की कंपनियों को चालू और पिछले वर्ष के दौरान कोई क्षति हानि नहीं हुई है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

17. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" के संबंध में प्रकटीकरण

क) आकस्मिक देयताएं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
क) समूह में कंपनियों के खिलाफ दावे जिन्हें कर्ज़ के रूप में प्रतिचिह्नित नहीं किया गया है		
i. कराधान मांगें:		
आयकर मामले[1]	18.30	18.30
सेवा कर तथा माल व सेवा कर (जीएसटी) मामले[2]	280.92	265.94
ii. अन्य[3]	5.00	4.16
ख) वित्तीय गारंटी को छोड़कर गारंटी		
i. गारंटी	1,569.81	1,032.45
ii. लेटर ऑफ कम्फर्ट/भुगतान आदेश लिखत जारी किया गया और बकाया	930.58	594.16
ग) अन्य धन जिसके लिए कंपनी एवं समूह आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
i. कार्यालय व आवासीय भवनों के संबंध में संपत्ति कर [वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणी 38 (35) देखें]	अनपेक्षित	अनपेक्षित

[1]आयकर

निर्धारण वर्ष 2014-15 और निर्धारण वर्ष 2020-21 के आयकर मामलों से यह संबंधित है जो सीआईटी (अपील) के समक्ष लंबित हैं, जबकि निर्धारण वर्ष 2022-23 का मामला आयकर अधिनियम की धारा 154 के अधीन सुधार के लिए आगे बढ़ाया गया है। कंपनी को अपील के तहत शामिल विभिन्न मुद्दों के संबंध में अनुकूल परिणाम की उम्मीद है और इस प्रकार अन्य वर्षों में कंपनी के खिलाफ तय किए गए मुद्दों को छोड़कर, जिनके लिए उचित प्रावधान किया गया है, किसी और प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है।

निर्धारण वर्ष 2010-11 और निर्धारण वर्ष 2012-13 से निर्धारण वर्ष 2018-19 तक के आयकर मामलों [निर्धारण वर्ष 2014-15 को छोड़कर, जो आयकर आयुक्त (अपीलीय) के समक्ष लंबित है] के लिए, आयकर आयुक्त (अपीलीय) के अपील आदेश अभी भी प्रतीक्षित है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने अपने पक्ष में अस्वीकृत मामलों के लिए ₹14.80 करोड़ का प्रावधान किया है और शेष मामलों पर कर प्रभाव, हालाँकि अंतिम रूप से निर्धारित नहीं हुआ है, आकस्मिक देयता नहीं माना जाता है क्योंकि अनुमत मदों के लिए कोई बहिर्वाह संभावित नहीं माना जाता है। किसी भी समायोजन का लेखा-जोखा संबंधित आदेश प्राप्त होने पर किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी ने अस्वीकृत मामलों के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष अपील दायर की है।

पूर्ववर्ती वर्षों (निर्धारण वर्ष 1998-99 - निर्धारण वर्ष 2009-10) के आयकर मामलों के लिए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 08 दिसंबर, 2023 के आदेश के मार्फ़त कंपनी के पक्ष में रिट याचिका का फैसला किया और कहा कि न्यायाधिकरण के दिनांक 21 नवम्बर, 2014 और 29 मई, 2015 के आदेशों के अनुसार, निर्धारण वर्ष 1998-99 से निर्धारण वर्ष 2009-10 तक की कर निर्धारण कार्यवाही समय-बाधित हो गई है और इस प्रकार ए.ओ. को लौटायी गई आय को स्वीकार करने और परिणामी आदेश पारित करने का निर्देश दिया। ऐसे परिणामी आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है और किसी भी समायोजन का हिसाब संबंधित आदेशों की प्राप्ति पर लगाया जाएगा।

[2]सेवा कर और वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) मामले

कंपनी को आयुक्त, न्यायनिर्णयन, केंद्रीय कर, जीएसटी दिल्ली पूर्व से दिनांक 15 मार्च, 2022 को मांग/आदेश का नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें कंपनी पर वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिए ₹117.09 करोड़ (लागू ब्याज को छोड़कर) की मांग की गई थी। हालांकि कंपनी का तर्क है कि पूरी मांग सीमा बाधित है, लेकिन इसने परिमित आधार पर ब्याज सहित ₹13.22 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹12.48 करोड़) प्रदान किया है। मामले में कानून और तथ्यों के आधार पर, ₹244.94 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹229.95 करोड़) की सेवा कर मांग (ब्याज सहित) को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है। इसके अलावा, चूंकि कंपनी एक सरकारी उद्यम है, इसलिए इसके पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा अधिरोपित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, ऐसे मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों के आधार पर सीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए दंड को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण के लिए नहीं माना गया है। कंपनी ने इस मामले में 15 जून, 2022 को सीईएसटीएटी, नयी दिल्ली में अपील दायर की है और यह लंबित है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

कंपनी को अप्रैल 2016 से जून 2017 की अवधि के लिए प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर सरकार को भुगतान की गई गारंटी शुल्क पर सेवा कर की वसूली पर अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णय) के कार्यालय से दिनांक 25 मार्च, 2022 का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें कर के लिए ₹ 20.73 करोड़, दंड और उस पर लागू ब्याज के लिए ₹ 20.73 करोड़ की मांग की गई थी। जबकि कंपनी ने इसके खिलाफ 24 जून, 2022 को माननीय सीईएसटीएटी, मुंबई के समक्ष अपील दायर की थी, इसने कर और उस पर ब्याज के लिए ₹69.36 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹63.10 करोड़) की अपेक्षित व्यवस्था की है और ₹20.73 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 20.73 करोड़) की जुर्माना राशि को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

कंपनी को केंद्रीय कर अपील आयुक्त-1, दिल्ली के कार्यालय से दिनांक 31 जनवरी, 2024 का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार 01 जुलाई, 2017 से 26 जुलाई, 2018 की अवधि के लिए प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर सरकार को भुगतान की गई गारंटी शुल्क पर जीएसटी की वसूली के खिलाफ कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है। जबकि कंपनी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है, इसने विरोध के तहत ₹13.28 करोड़ की कर राशि का भुगतान किया है और कर तथा उस पर ब्याज के लिए ₹28.96 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹28.96 करोड़) की अपेक्षित राशि का प्रावधान किया है। ₹15.26 करोड़ (पिछली अवधि: ₹15.26 करोड़) की जुर्माना राशि को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

[3]अन्य

इसमें महिला निदेशक की नियुक्ति न करने के मामले में कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा लगाया गया ₹0.03 करोड़ (पिछली अवधि: ₹0.03 करोड़) का जुर्माना शामिल है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी के पास निदेशकों की नियुक्ति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है और इसलिए इस पर प्रावधान के लिए विचार नहीं किया गया है। कंपनी ने क्षेत्रीय निदेशक (एनआर) एमसीए के समक्ष अपील दायर की है। मामला अभी भी निर्णय के लिए लंबित है। इसमें कंपनी की सेवा से कर्मचारियों की बर्खास्तगी के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ रिट याचिका के रूप में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों से संबंधित ₹4.62 करोड़ (पिछली अवधि: ₹3.78 करोड़) की राशि भी शामिल है। इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं है। इसमें कंपनी के पूर्व-प्रकार्यात्मक निदेशकों के रोके गए पीआरपी से संबंधित ₹0.35 करोड़ (पिछली अवधि: ₹ 0.35 करोड़) भी शामिल हैं, जो स्पष्टीकरण के लिए लंबित हैं।

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी ने कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के उद्देश्य से नामित स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कार्य करने के लिए एनएसई को ₹9.90 करोड़ की बैंक गारंटी भी प्रस्तुत की है। इसके अलावा, उपरोक्त में 15 अगस्त 2024 को इरेडा और अन्य के खिलाफ मैसर्स जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित राशि शामिल नहीं है, जो आपूर्ति, निर्माण कार्य, सिविल और संबद्ध कार्यों के लिए अनुबंध समझौतों के तहत इरेडा द्वारा ₹13.46 करोड़ की राशि के परिसमाप्त हर्जाने की कटौती और साथ ही कासरगोड सोलर पार्क, जिला - कासरगोड, केरल में 50 मेगावाट (एसी) सोलर पीवी प्लांट नामक परियोजना के चालू होने में देरी के मामले से संबंधित भी है। दावेदार (जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड) ने लगभग ₹156.55 करोड़ का दावा दायर किया है और इरेडा ने 30 अक्टूबर 2024 को ₹47.34 करोड़ के प्रतिदावे के साथ बचाव का बयान दायर किया है। यह संभावना नहीं है कि इरेडा को कोई प्रतिकूल आदेश मिल सकता है क्योंकि मैसर्स जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड (दावाकर्ता) को एसईसीआई द्वारा नियुक्त किया गया था ना कि इरेडा द्वारा। हालांकि, यदि न्यायाधिकरण द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो उसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है। इसे देखते हुए, संभावित बहिर्वाह दूर है, इसलिए इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रदान या प्रकट नहीं किया गया है।

ख) आकस्मिक परिसंपत्तियां: शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

ग) प्रतिबद्धताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
पूंजी प्रतिबद्धताएँ:		
पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	0.99	-

18. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) - 38 "अमूर्त परिसंपत्तियां" के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ़्टवेयर - माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 (डी365) के विकास के लिए किए गए व्यय से संबंधित ₹ शून्य करोड़ की लाइसेंस फीस सहित ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.64 करोड़ की लाइसेंस फीस सहित ₹ 9.37 करोड़) की राशि को पूंजीकृत किया है। कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्ति (ईआरपी) के जीवनकाल में लाभ और हानि के विवरण में ईआरपी से संबंधित प्राप्त विश्व बैंक सीटीएफ अनुदान [वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी संख्या 38 (7क) देखें] को मान्यता दी है और इसे ₹ 0.37 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 3.98 करोड़) की राशि के कम परिशोधन व्यय के रूप में प्रस्तुत किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

19. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) -40 "निवेश संपत्ति" के संबंध में प्रकटीकरण

निवेश संपत्ति में जंगपुरा, नयी दिल्ली में एक आवासीय फ्लैट शामिल है जिसे तीसरे पक्ष को पट्टे पर दिया गया है। वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 11 देखें।

(i) आय और व्यय का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
किराये से आय*	0.07	0.02
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण)	0.00	0.01

*01 जनवरी, 2024 से किराये पर दिया गया।

(ii) निवेश संपत्ति का उचित मूल्य:

निवेश संपत्ति का बाजार मूल्य [कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अधीन परिभाषित अनुसार एक पंजीकृत आईबीबीआई मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार] 31. मार्च, 2025 को ₹3.66 करोड़ आंका गया है, जो 09 अप्रैल, 2025 की मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है (पिछले वर्ष: ₹2.90 करोड़)।

20. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 107- "वित्तीय साधन: प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी ने क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालनगत जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक नीति ढांचा स्थापित किया है। जोखिम प्रबंधन नीति को जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति एक बोर्ड स्तर की समिति है तथा जोखिम प्रबंधन समिति की समग्र जिम्मेदारी बोर्ड के पास है, जिसे प्रबंधन स्तर और कॉरपोरेट स्तर की समितियों, जैसे परिसंपत्ति देयता समिति, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा पूरक किया जाता है। जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली जोखिम प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में स्वतंत्र जोखिम निरीक्षण और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। आरबीआई दिशा-निर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, जो कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए शासी ढांचा बनाते हैं, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन नीतियों का अनुसमर्थन किया जाता है। इसमें स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV, धारा 177(4)(vi), डीपीई दिशानिर्देश 2011 के विनियम 6.12 और सेबी एलओडीआर विनियम 4 में उल्लिखित है। ये भूमिकाएं और जिम्मेदारियां उप-बोर्ड समिति के सदस्यों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। आरबीआई अधिसूचना के अनुरूप, कंपनी में सलाहकार क्षमता में एक नामित मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी है।

कंपनी में एक विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी जोखिम प्रबंधन नीति तथा एक विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी प्रबंधन समिति (एफएमसी) मौजूद है और विदेशी मुद्रा उधार पर मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को न्यूनतम करने/कम करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप आदि जैसे बचाव लिखित का उपयोग किया जाता है। बचाव लिखित का उपयोग केवल बचाव उद्देश्य के लिए किया जाता है, न कि व्यापार या सट्टा लिखत के रूप में।

अपने व्यावसायिक परिचालन के दौरान कंपनी जिन प्रमुख जोखिमों का सामना करती है, वे हैं क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालनगत जोखिम। इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक पहचान की जाती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और कार्यान्वित जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से उनका प्रबंधन किया जाता है। यह टिप्पणी उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे इकाई अवगत है और यह बताता है कि जोखिम का प्रबंधन इकाई कैसे करती है और वित्तीय विवरणों में बचाव लेखांकन का प्रभाव क्या है।

जोखिम	निम्न से उत्पन्न जोखिम	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	ऋण, प्राप्य, नकद और नकद समकक्ष और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	एजिंग विश्लेषण और साख श्रेणी निर्धारण, संभावित ऋण हानि विश्लेषण	ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया, ऋण सांद्रता सीमा, संपार्श्विक, अतिरिक्त गारंटी व परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

तरलता जोखिम	ऋण प्रतिभूतियाँ, उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) और अधीनस्थ देयताएँ तथा अन्य वित्तीय देयताएँ	नकद प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों, उधार सुविधाओं और अल्पकालिक ऋणों/डब्ल्यूसी सीमाओं और ओडी सीमाओं की भी उपलब्धता।
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय परिसंपत्तियाँ व देयताएँ	नकद प्रवाह पूर्वानुमान व संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, स्वैप आदि जैसे बचाव लिखत
बाजार जोखिम-ब्याज दर	परिवर्तनीय दरों पर उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	संवेदनशीलता विश्लेषण	ब्याज दर स्वैप
बाजार जोखिम-सुरक्षा कीमत	निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण

क. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम, ऋण परिचालन में निहित जोखिम है और यह उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में कमी और उधारकर्ताओं द्वारा ऋण चुकौती में चूक के जोखिम से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम का आकलन करने हेतु परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक सुदृढ़ ऋण मूल्यांकन प्रणाली मौजूद है। इस प्रक्रिया में परियोजनाओं का मूल्यांकन, बाहरी एजेंसियों द्वारा रेटिंग और ऋण जोखिम का आकलन, जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त संरचना और अन्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण उपाय शामिल हैं। कंपनी अपने जोखिमों को साझा क्रेडिट जोखिम विशेषता के आधार पर छोटे समरूप पोर्टफोलियो में विभाजित करती है, जैसा कि नीचे निम्नलिखित क्रम में वर्णित है: -

- सरक्षित/अरक्षित यानी, इस आधार पर कि ऋण रक्षित हैं या नहीं।
- सुरक्षा की प्रकृति यानी, यदि ऋण रक्षित होने का निर्धारण किया जाता है तो सुरक्षा की प्रकृति।
- ऋण की प्रकृति यानी, आरई क्षेत्र जिसके लिए ऋण बढ़ाया गया है।

प्रारंभिक पहचान के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं, इसका आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय लिखत के शेष जीवनकाल में होने वाले चूक के जोखिम में परिवर्तन को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रारंभिक पहचान के बाद से चूक के जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं, इसका निर्धारण करते समय, कंपनी 30 दिनों से अधिक की अतिदेयता को एक प्राचल के रूप में मानती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देने वाले किसी भी अन्य अवलोकनीय निविष्टियों पर भी विचार करती है।

कंपनी वित्तीय लिखत को चूक में तब परिभाषित करती है जब प्रतिवेदन तिथि पर उसके पास हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हों। इसने चरण III के तहत इन ऋणों का मूल्यांकन चूक के समय, परियोजना के प्रदर्शन/संचालन पर आधारित मामला-दर-मामला के आधार पर किया है। कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप ईसीएल मॉडल के आधार पर वित्तीय लिखतों पर हानि की पहचान की है।

संपार्श्विक और अन्य ऋण संवर्द्धन

आवश्यक संपार्श्विक की राशि और प्रकार ऋण जोखिम के आकलन पर निर्भर करता है। संपार्श्विक के मुख्य प्रकार हैं एफडीआर/बीजी, प्रमोटरों से संबंधित अचल संपत्ति पर प्रभार और मामले-दर-मामले के आधार पर कॉरपोरेट गारंटी।

(क) कंपनी व्यक्तिगत प्रतिपक्षकारों और उद्योग सांद्रता हेतु स्वीकार किए जाने वाले जोखिम की मात्रा पर सीमाएँ निर्धारित करके और उक्त सीमाओं के संबंध में जोखिमों की निगरानी करके ऋण जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करती है।

i. अपेक्षित ऋण हानियों हेतु प्रावधान

चरण	श्रेणी	श्रेणी का विवरण	अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान की मान्यता का आधार
			ऋण
चरण 1	मानक परिसंपत्तियाँ	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ प्रतिपक्ष के पास दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता है और जहाँ चूक का जोखिम नगण्य या शून्य/नियमित रूप से भुगतान करने वाली परिसंपत्तियाँ हैं	12 महीने ईसीएल

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

चरण	श्रेणी	श्रेणी का विवरण	अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान की मान्यता का आधार
			ऋण
चरण 2	बढ़े हुए ऋण जोखिम वाले ऋण	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	जीवन भर अपेक्षित ऋण हानियाँ
चरण 3	ऋण- क्षतिग्रस्त	ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ चूक की उच्च संभावना है और बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियाँ जहाँ वसूली की कम उम्मीद है	जीवन भर अपेक्षित ऋण हानियाँ

ii. महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

(क) ऋणों के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल)

(₹ करोड़ में)

चरण	परिसंपत्ति समूह	31.03.2025 को ऋण संविभाग	31.03.2025 को ईसीएल
चरण I	ऋण	71,685.96	329.66
चरण II	ऋण	2,633.30	718.78
चरण III	ऋण	1,866.25	845.59
	कुल	**76,185.51**	**1,894.03**

* ₹82.79 करोड़ के वित्त पोषित ब्याज अवधि ऋण (एफआईटीएल) शेष राशि को छोड़कर, जिस पर बहियों में समतुल्य देयता स्थायी है।

(₹ करोड़ में)

चरण	परिसंपत्ति समूह	31.03.2024 को ऋण संविभाग	31.03.2024 को ईसीएल
चरण I	ऋण	56,062.30	270.98
चरण II	ऋण	2,124.43	575.30
चरण III	ऋण	1,410.85	829.64
	कुल	**59,597.58**	**1,675.92**

*₹87.85 करोड़ के वित्त पोषित ब्याज अवधि ऋण (एफआईटीएल) शेष राशि को छोड़कर, जिस पर बहियों में समतुल्य देयता स्थायी है।

अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) पद्धति की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि ईसीएल पद्धति में एलजीडी के लिए शुद्ध वसूली योग्य मूल्य की गणना करने के लिए संयंत्र और मशीनरी के संबंध में विचार की गई मूल्यह्रास दर काफी अधिक है और लागू मूल्यह्रास दर भी कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित दरों से अधिक है। तदनुसार, समीक्षा के बाद, 01 अप्रैल, 2024 से ईसीएल पद्धति में एलजीडी के संचालन के लिए संयंत्र और मशीनरी के संबंध में मूल्यह्रास दर को 40% से 20% तक बदल दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय साधनों पर हानि में ₹ 77.34 करोड़ की कमी आई है और इसका लेखा वित्त वर्ष 2024-25 में किया गया है।

(ख) सरलीकृत पहल के अधीन व्यापार प्राप्तियों हेतु अपेक्षित ऋण हानि:

(₹ करोड़ में)

एजिंग (31.03.2025 को)	देय नहीं	देय से 0-30 दिन बाद	देय से 31-60 दिन बाद	देय से 61-90 दिन बाद	देय से 91-120 दिन बाद	देय से 120 से ज़्यादा दिन बाद	कुल
सकल वहन राशि*	2.89	-	-	-	-	-	**2.89**
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	-	**-**
अपेक्षित ऋण हानियाँ (हानि भत्ता प्रावधान)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

एजिंग (31.03.2025 को)	देय नहीं	देय से 0-30 दिन बाद	देय से 31-60 दिन बाद	देय से 61-90 दिन बाद	देय से 91-120 दिन बाद	देय से 120 से ज़्यादा दिन बाद	कुल
व्यापार प्राप्य की वहन राशि (क्षति के बाद निवल)	2.89	-	-	-	-	-	**2.89**
31.03.2025 को शेष राशि	**2.89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.89**

*सौर ऊर्जा उत्पादन के व्यवसाय से प्राप्त व्यापार को दर्शाता है।

(₹ करोड़ में)

एजिंग (31.03.2024 को)	देय नहीं	देय से 0-30 दिन बाद	देय से 31-60 दिन बाद	देय से 61-90 दिन बाद	देय से 91-120 दिन बाद	देय से 120 से ज़्यादा दिन बाद	कुल
सकल वहन राशि*	2.97	-	-	-	-	-	**2.97**
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	-	**-**
अपेक्षित ऋण हानियाँ (हानि भत्ता प्रावधान)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
व्यापार प्राप्य की वहन राशि (क्षति के बाद निवल)	2.97	-	-	-	-	-	**2.97**
31.03.2024 को शेष राशि	**2.97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.97**

*सौर ऊर्जा उत्पादन के व्यवसाय से प्राप्त व्यापार को दर्शाता है

ख. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जिसमें कोई कंपनी पर्याप्त नकद और विपणन योग्य प्रतिभूतियों की कमी या वित्तपोषण की उपलब्धता के कारण अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है। विवेकपूर्ण चलनिधि जोखिम प्रबंधन में नकद, विपणन योग्य प्रतिभूतियों और प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं का उचित स्तर बनाए रखना शामिल है ताकि दायित्वों को पूरा किया जा सके, जब भी वे बकाया हों। कंपनी का प्रबंधन चलनिधि स्थिति के पूर्वानुमान और ब्याज आय एवं व्यय सहित अपेक्षित नकद प्रवाह के आधार पर नकद और नकद समकक्षों की उपलब्धता की बारीकी से निगरानी करता है।

व्यापक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन ढांचा भी चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है। कंपनी चलनिधि कवरेज अनुपात की आवश्यकता का भी अनुपालन कर रही है और आरबीआई दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च-गुणवत्ता वाली चलनिधि परिसंपत्ति बनाए रख रही है।

(i) वित्तपोषण व्यवस्था

वर्ष के अंत में कंपनी के पास निम्नलिखित अनाहरित उधार सुविधाओं तक पहुँच थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
नियत दर		
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण)	-	71.01
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	**-**	**-**
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण)	-	-
अस्थिर दर		
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण)	1,475.50	261.27
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	4,585.00	1,900.00
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	-	-
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण)	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(ii) सीसी/ओडी/एलओसी/डब्ल्यूसीडीएल सीमाएँ

अप्रत्याशित चलनिधि की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी के पास बैंकों से नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, ऋण की सीमा और कार्यशील पूंजी मांग ऋण तक पहुँच है। इसके अलावा, कंपनी के पास एएए की उच्चतम घरेलू क्रेडिट रेटिंग है, जिससे यह कम समय में घरेलू बाजार से धन जुटाने में सक्षम है। कंपनी के पास निम्नलिखित अनाहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
सीसी/ओडी/एलओसी/डब्ल्यूसीडीएल सीमाएं	4,472.08	2,892.38

(iii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में करती है, जो सभी गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर होती है, जिसके लिए नकद प्रवाह के समय को समझने के लिए संविदात्मक परिपक्वता आवश्यक है। तालिका में बतायी गई राशियाँ संविदात्मक छूट रहित नकद प्रवाह हैं:-

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन (1 महीना)	1 महीने से ऊपर-2 महीना	2 महीने से ऊपर-3 महीना	3 महीने से ऊपर-6 महीने तक	6 महीने से ऊपर-1 साल तक	1 साल से ऊपर-3 साल तक	3 साल से ऊपर-5 साल तक	5 साल से अधिक	कुल
रुपया उधार	308.76	8.33	405.17	1,309.94	1,039.68	3,128.21	5,494.74	14,068.53	6,789.07	23,677.57	**56,230.00**
विदेशी मुद्रा उधार	-	-	82.24	12.05	111.80	175.41	381.50	1,528.43	1,296.85	4,939.33	**8,527.61**

31.03.2024 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन (1 महीना)	1 महीने से ऊपर-2 महीना	2 महीने से ऊपर-3 महीना	3 महीने से ऊपर-6 महीने तक	6 महीने से ऊपर-1 साल तक	1 साल से ऊपर-3 साल तक	3 साल से ऊपर-5 साल तक	5 साल से अधिक	कुल
रुपया उधार	82.62	-	229.17	419.64	1,306.69	2,450.30	3,386.20	13,050.58	4,651.65	14,819.08	**40,395.93**
विदेशी मुद्रा उधार	-	-	72.50	56.85	108.97	170.80	409.14	1,636.56	1,531.05	5,312.80	**9,298.67**

ग. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम मुख्य रूप से ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि की संभावना है। उधार ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी के पास एक समिति है जो बाजार की स्थितियों, समकक्षों की चल रही ब्याज दरों और उधार की बढ़ती लागत के आधार पर समय-समय पर अपनी उधार दरों की समीक्षा करती है।

कंपनी के उधार में अस्थायी दर और स्थिर दर दोनों तरह के उधार शामिल हैं जो लागू अनुसार बेंचमार्क दरों से जुड़े हैं। विदेशी मुद्रा उधार के लिए, कंपनी बचाव व्यवस्था करके और अस्थायी दर से जुड़े संविभाग की समय-समय पर निगरानी करके अस्थायी ब्याज दर के कारण होने वाले जोखिम को कम करती है।

विदेशी उधार एजेंसियों से विदेशी मुद्रा उधार लेने से कंपनी को विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम उठाना पड़ता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नी लिखत जैसे कि प्रिंसिपल ओनली स्वैप, करेंसी और ब्याज दर स्वैप (व्युत्पन्नी लेन-देन), वादा संविदा आदि को अपनाकर विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य पर किए गए इन व्युत्पन्नी संविदाओं की परिपक्वता अवधि कंपनी की अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग-अलग होती है।

I. विदेशी मुद्रा जोखिम: -

कंपनी ने अपनी संसाधन जुटाने की रणनीति के तहत विदेशी ऋण एजेंसियों से उधार के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम लिया है। बड़े सीमा पार प्रवाह और अस्थिरता के कारण कंपनी का तुलन पत्र विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो सकती है। अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस), क्रॉस करेंसी और ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप (आईआरएस), क्रॉस करेंसी और क्रॉस करेंसी विकल्प, संरचित/लागत कम करने वाले उत्पाद आदि (व्युतपंनी लेन-देन) के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य पर किए गए इन विदेशी मुद्रा अनुबंधों की परिपक्वता अवधि कंपनी की अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

अलग होती है। कंपनी की सहायक कंपनी के पास विदेशी मुद्रा में बैंक शेष के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटीकरण:

वर्ष के अंत में कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटीकरण भारतीय रुपये में व्यक्त किया गया है, जो निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को			31.03.2024 को		
	अमेरिकी डॉलर	यूरो	जापानी येन	अमेरिकी डॉलर	यूरो	जापानी येन
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
विदेशी मुद्रा में बैंक में शेष राशि	0.32	-	-	0.58	-	-
व्युत्पन्नी परिसंपत्तियाँ						
विदेशी मुद्रा स्वैप अनुबंध	425.20	25.92	36.76	426.41	47.26	10.12
वित्तीय देनदारियाँ						
विदेशी मुद्रा में उधार	4,622.24	958.72	2,946.65	4,664.57	1,612.48	3,021.62
व्युत्पन्नी देनदारियाँ						
विदेशी मुद्रा स्वैप अनुबंध	0.98	-	22.22	8.24	0.22	199.56
विदेशी मुद्रा जोखिम (परिसंपत्तियाँ)/देनदारियों का निवल प्रकटीकरण	**4,197.70**	**932.80**	**2,932.11**	**4,245.82**	**1,565.44**	**3,211.06**

वर्ष के अंत में कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटीकरण भारतीय रुपये में व्यक्त किया गया है, जो निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को			31.03.2024 को		
	अमेरिकी डॉलर	यूरो	जापानी येन	अमेरिकी डॉलर	यूरो	जापानी येन
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
विदेशी मुद्रा में बैंक में शेष राशि	27.43	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा जोखिम (परिसंपत्तियाँ)/देनदारियों का निवल प्रकटीकरण	**27.43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(ख) संवेदनशीलता

विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि विवरण की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय लिखतों से उत्पन्न होती है। नीचे दी गई तालिका विदेशी मुद्रा जोखिम* पर 5% (भारतीय रुपये के मुकाबले) तक विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि विवरण [+लाभ /(-) हानि] पर प्रभाव प्रस्तुत करती है*: -

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
	लाभ और हानि के विवरण पर प्रभाव			
अमेरिकी डॉलर संवेदनशीलता	4.33	(4.33)	3.62	(3.62)
यूरो संवेदनशीलता	17.41	(17.41)	19.49	(19.49)
जापानी येन संवेदनशीलता	89.39	(89.39)	73.28	(73.28)

*सभी अन्य परिवर्तियों को स्थिर रखते हुए

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

II. नकद प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम: -

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति कंपनी का प्रकटीकरण अस्थिर ब्याज दरों वाले दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋणों और बैंकों से अस्थिर ब्याज दर अवधि ऋण से संबंधित है। कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पनी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपने विदेशी मुद्रा ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है।

कंपनी के निश्चित दर वाले रुपये के उधार परिशोधित लागत पर लिये जाते हैं। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण न तो वहन राशि और न ही भावी नकद प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

(क) ब्याज दर जोखिम का प्रकटीकरण

वर्ष के अंत में ब्याज दर में परिवर्तन के लिए कंपनी के उधारों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
परिवर्ती दर उधार		
रुपया मूल्यवर्ग	12,653.30	11,386.25
विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग	2,894.95	3,396.74
कुल	**15,548.25**	**14,782.99**

(ख) संवेदनशीलता

ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उधार से उच्च/निम्न ब्याज व्यय के प्रति लाभ या हानि संवेदनशील है*

(₹ करोड़ में)

विवरण	लाभ और हानि के विवरण पर प्रभाव	
	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ब्याज दरें – 50 आधार अंकों की वृद्धि	(77.74)	(73.91)
ब्याज दरें – 50 आधार अंकों की कमी	77.74	73.91

* सभी अन्य परिवर्तियों को स्थिर रखते हुए

(ग) बचाव गतिविधियों का प्रभाव

व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत और बचाव लेखांकन

कंपनी के पास अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने और बचाव करने के लिए प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस), क्रॉस करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट स्वैप (आईआरएस), क्रॉस करेंसी और क्रॉस करेंसी ऑप्शन्स, संरचित/लागत में कमी उत्पाद आदि जैसे व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।

बचाव अप्रभाविता का निर्धारण बचाव संबंध की शुरुआत में और समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता आकलन के माध्यम से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचाव किए गए मद और बचाव लिखत के बीच आर्थिक संबंध मौजूद है।

कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियों को लागू करती है:

- क्रॉस करेंसी स्वैप, विकल्प संरचनाओं और ब्याज दर स्वैप के लिए, जो बचाव मद की शर्तों से बिल्कुल मेल खाते हैं, आर्थिक संबंध और बचाव प्रभावशीलता, क्रिटिकल टर्म्स मैच पद्धति का उपयोग करके गुणात्मक कारकों पर आधारित होते हैं। विकल्प संरचनाओं के लिए, कंपनी प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग करके बचाव लिखत और बचाव किए गए मद के मूल्य में परिवर्तन के बीच संबंध का भी विश्लेषण करती है।
- कंपनी ने बचाव संबंधों हेतु 1:1 का बचाव अनुपात स्थापित किया है क्योंकि बचाव लिखत के अंतर्निहित जोखिम और कल्पित राशि बचाये गए मद के समान हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि (सीएफएचआर) में संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(137.44)	69.81
बचाव लिखतों के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	171.66	(165.40)
बचाव किए गए मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	(53.63)	(41.85)
वर्ष के अंत में शेष राशि (कर पूर्व)	**(19.41)**	**(137.44)**

बचाव की गई आरक्षित निधि की लागत में संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
विदेशी मुद्रा विकल्प संरचना के आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(23.25)	-
अवधि/वर्ष के लिए समय मूल्य का परिशोधन	17.18	-
वर्ष के अंत में शेष राशि (कर पूर्व)	**(6.07)**	**-**

तुलन पत्र पर बचाव लेखांकन के प्रभावों पर प्रकटीकरण:

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

बचाव और जोखिम का प्रकार	परिपक्वता की तारीख	बचाव अनुपात	भारित औसत नियत भाव/दर	बचाव लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन
नकद प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम				
(i) प्रिंसिपल ओनली स्वैप				
- अमेरिकी डॉलर	15-अप्रैल-2026 से 09-मार्च-2037	1:1	70.7387	(105.42)
- यूरो	30-दिसंबर-2025 से 31-जनवरी-2031	1:1	85.8493	(7.65)
- जापानी येन	-	1:1	-	59.85
(ii) क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप				
- अमेरिकी डॉलर	15-जुलाई-2026 से 15-अक्टूबर-2026	1:1	67.0729	1.89
- यूरो	-	-	-	-
- जापानी येन	-	-	-	-
(iii) वादा संविदा				
- अमेरिकी डॉलर	-	1:1	-	0.23
- यूरो	-	-	-	-
- जापानी येन	-	1:1	-	(39.44)
(iv) विकल्प अनुबंध				

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

- अमेरिकी डॉलर	15-अप्रैल-2025 से 14-नवंबर-2025	1:1	84.3796	5.75
-यूरो	18-जून-2025 से 18-दिसंबर-2025	1:1	0.5581	34.85

व्युत्पन्नी की काल्पनिक राशि और वहन राशि से सम्बंधित विवरण के लिए, वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 4 देखें।

31.03.2024 को

(₹ करोड़ में)

बचाव और जोखिम के प्रकार	परिपक्वता तिथि	बचाव अनुपात	भारित औसत नियत भाव/दर	बचाव लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन
नकद प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम				
(i) प्रिंसिपल ओनली स्वैप				
- अमेरिकी डॉलर	15-अक्टूबर-2024 से 09-मार्च-2037	1:1	69.5787	(76.62)
- यूरो	30-दिसंबर-2023 से 31-मई-2029	1:1	81.1677	25.73
- जापानी येन	19-मार्च-2023 से 20-मार्च-2025	1:1	0.6285	(32.31)
(ii) क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप				
- अमेरिकी डॉलर	15-जुलाई-2026 से 15-अक्टूबर-2026	1:1	67.0742	(5.27)
- यूरो	30-जून-24	1:1	81.4000	0.30
- जापानी येन	19-जून-24	1:1	0.5925	(13.47)
(iii) वादा संविदा				
- अमेरिकी डॉलर	-	1:1	-	-
- यूरो	-	1:1	-	-
- जापानी येन	-	1:1	0.5936	(33.93)

व्युत्पन्नी की काल्पनिक राशि और वहन राशि से सम्बंधित विवरण हेतु, वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 4 देखें।

लाभ और हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण पर बचाव लेखांकन के प्रभाव: -

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम तथा उधार से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु व्युत्पन्नी लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिम के बचाव के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, क्रॉस मुद्रा स्वैप, प्रिंसिपल ओनली स्वैप तथा ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। बचाव लेखांकन के तहत निर्दिष्ट व्युत्पन्नी अनुबंधों के प्रभावी बचाव होने की सीमा तक, बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकद प्रवाह बचाव के प्रभावी भाग' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियाँ लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत की जाती हैं, जब बचाव की गई मद लाभ और हानि के विवरण को प्रभावित करती है।

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

बचाव के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त बचाव अप्रभाविकता	बचाव किए गए मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन मद
नकद प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम	148.41	-	(53.63)	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

31.03.2024 को

(₹ करोड़ में)

बचाव के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त बचाव अप्रभाविकता	बचाव किए गए मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन मद
नकद प्रवाह बचाव				
विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम	(165.40)	-	(41.85)	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश

21. कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, विदेशी मुद्रा उधार (बकाया राशि का 40%) पर खुला प्रकटीकरण अनुमेय है। 31 मार्च, 2025 को खुला प्रकटीकरण ₹2,360.71 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹2,062.30 करोड़) है जो बकाया विदेशी मुद्रा उधार का 27.68% (पिछले वर्ष: 22.18%) है और अनुमेय सीमा के अंदर है।

उक्त मुक्त खुलासे में से, 30.38 मिलियन यूरो (पिछले वर्ष: 30.38 मिलियन यूरो) हेतु आंशिक बचाव किया गया है, जिसके लिए 33.73 मिलियन अमरीकी डॉलर (पिछले वर्ष: 33.73 मिलियन अमरीकी डॉलर) के लिए प्रिंसिपल ओनली स्वैप (यूएसडी/आईएनआर) लिया गया है, जो ₹288.63 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹281.19 करोड़) के बराबर है।

इसके अलावा, 2,371.50 मिलियन जापानी येन (पिछले वर्ष: 2,371.50 मिलियन जापानी येन) को 17.60 मिलियनअमेरिकी डॉलर (पिछले वर्ष: 17.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के बराबर प्रिंसिपल ओनली स्वैप (यूएसडी/जेपीवाई) लेकर बचाव किया गया है, जिसकी राशि 31 मार्च, 2025 को लागू दरों पर परिवर्तित ₹134.58 करोड़ बनती है (पिछले वर्ष: 31 मार्च, 2024 को लागू दरों पर परिवर्तित ₹130. 65 करोड़)।

22. परिसंपत्तियों पर सृजित प्रतिभूति

i. प्रतिभूति के रूप में दृष्टिबंध परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ऋण और अग्रिम (कंपनी के बही ऋण) पर एक साथ आधार पर प्रथम प्रभार		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
- कर मुक्त बांड	2,576.60	2,576.60
- बैंक उधार	23,792.18	19,732.13
- विदेशी मुद्रा ऋण	1,525.01	1,718.72
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-
अस्थायी प्रभार		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-

ii. बही ऋणों पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा जमानती

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
नकारात्मक ग्रहणाधिकार (कंपनी के बुक ऋण)		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
- कर योग्य बॉण्ड	3,817.36	3,817.24
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

23. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ शुल्क या संतुष्टि का पंजीकरण

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

सभी फॉर्म समय पर दाखिल किए गए थे और कंपनी के पास सांविधिक समय-सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि का मामला नहीं है।

31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु

सभी फॉर्म समय पर दाखिल किए गए थे और कंपनी के पास सांविधिक समय-सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि का मामला नहीं है।

24. पूंजी प्रबंधन

समूह की पूंजी प्रबंधन नीति का प्राथमिक उद्देश्य है विनियामक पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य के अनुरूप, समूह हर समय पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करता है और अपने व्यवसाय का प्रबंधन इस तरह से करता है कि पूंजी सुरक्षित रहे, संतोषजनक व्यावसायिक विकास सुनिश्चित हो, नकद प्रवाह की निगरानी हो और रेटिंग बनी रहे।

उद्योग में अपने समकक्षों के अनुरूप, समूह ऋण-इक्विटी अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करता है, जिसकी गणना ऋण (कुल उधार) को कुल इक्विटी से विभाजित करके की जाती है, जैसा कि तुलन पत्र में दिखाया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
ऋण	64,740.31	49,686.86
इक्विटी (पूंजी आरक्षित निधि सहित)	10,256.54	8,559.43
ऋण-इक्विटी अनुपात	**6.31**	**5.80**

25. निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 सितंबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन के मार्फ़त क्यूआईपी रूट के जरिए नई इक्विटी जारी करने को मंजूरी दी, जिसमें एक या एक से अधिक चरणों में इरेडा में भारत सरकार की शेयरधारिता को पोस्ट इश्यू के आधार पर इरेडा की चुकता इक्विटी के 7% की सीमा तक कम किया जाएगा। इसके अलावा, इरेडा के निदेशक मंडल ने 23 जनवरी, 2025 को आयोजित अपनी 431वीं बैठक में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार पोस्ट इश्यू के आधार पर इरेडा की चुकता इक्विटी के 7% की अधिकतम कमी के अधीन क्यूआईपी के माध्यम से एक या एक से अधिक चरणों में ₹5000 करोड़ तक की राशि के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने की मंजूरी दी। 24 फरवरी, 2025 को आयोजित 22वीं ईजीएम के दौरान कंपनी के शेयरधारकों ने भी उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

26. कंपनी के इक्विटी शेयर 29 नवंबर 2023 को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए। कंपनी को इक्विटी शेयरों के नए निर्गम से ₹1,290.13 करोड़ की सकल आय प्राप्त हुई है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान, मूल अनुमानित निर्गम व्यय, जो ₹31.18 करोड़ था, को मूल अनुमानित निर्गम व्यय के तहत वास्तविक चालान के अनुसार ₹30.33 करोड़ में वास्तविकीकृत किया गया है। तदनुसार, शुद्ध आय ₹1,258.95 करोड़ से बढ़कर ₹1,259.80 करोड़ हो गया है और "हमारी भावी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और आगे उधार देने के लिए हमारे पूंजी आधार को बढ़ाना" उद्देश्य के तहत धन का उपयोग ₹1,258.95 करोड़ से बढ़कर ₹1,259.80 करोड़ हो गया है। शुद्ध आय का उपयोग नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:-

(₹ करोड़ में)

विवरणिका के अनुसार आगम उद्देश्य	विवरणिका के अनुसार उपयोग की जाने वाली राशि – निवल आय	संशोधित शुद्ध आय	31 मार्च 2025 तक उपयोग	31 मार्च 2025 तक अप्रयुक्त राशि
हमारी भावी पूंजी आवश्यकताओं और आगे उधार देने की पूर्ति के लिए हमारे पूंजी आधार को बढ़ाना।	1,258.95	1,259.80	1,259.80	शून्य

टिप्पणी: शुद्ध आय, नए निर्गम की सकल आय में से हमारी कंपनी के ऑफर खर्च (अनंतिम) ₹ 31.18 करोड़ का हिस्सा घटाया गया है और संशोधित शुद्ध आय, नए निर्गम की सकल आय में से हमारी कंपनी के वास्तविक ऑफर खर्च ₹ 30.33 करोड़ का हिस्सा घटाया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

27.

i. कंपनी ने अपने उधार संविभाग की समीक्षा के आधार पर 50 मिलियन यूरो की संपूर्ण बकाया राशि का पूर्व भुगतान करके एएफडी के साथ एक क्रेडिट लाइन को बंद कर दिया है, जिसकी शेष अवधि 60 महीने थी। इसके परिणामस्वरूप, उक्त क्रेडिट लाइन के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (ऋण की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाना है) के कारण विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि [एफसीएमआईटीआर] और अन्य व्यापक आय [ओसीआई] में संचित शेष राशि को लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। इससे संबंधित बचाव सौदों (ऋण का 91.41% तक बचाव किया गया था) को समाप्त करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.80 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ। ऋण के पूर्व समापन का समग्र प्रभाव वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में ₹ 45.41 करोड़ की हानि के रूप में लिया गया है।

ii. कंपनी ने एसबीआई, टोक्यो शाखा से 26 बिलियन जापानी येन (जेपीवाई) के बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जुटाने के लिए एक सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 10 बिलियन जापानी येन का ग्रीन शू विकल्प भी शामिल है। परिपक्वता पर बुलेट भुगतान के साथ यह पाँच वर्षीय अरक्षित सुविधा कंपनी की वैश्विक बाज़ार में उपस्थिति को मज़बूत करेगी।

28. उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग

1. कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति (यों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यवर्ती) शामिल हैं, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कोई भी निधि (या तो उधार ली गई निधि या फिर शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि) अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ को यह सुनिश्चित करना होगा कि

i. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना या

ii. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करना

2. इसके अलावा, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति (यों) या संस्था (ओं), जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, से, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कोई भी निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी को सुनिश्चित करना होगा कि

i. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से प्रतिचिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करना या

ii. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करना

कंपनी की राय है कि एमएनआरई जीओआई पूर्ण सेवित बॉण्ड (वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 38(44) देखें) के संबंध में प्राप्त होने वाली राशि उपर्युक्त प्रकटीकरण के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि यह भारत सरकार के अधिदेश/समझौता ज्ञापन के समान है।

29. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) -108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" के संबंध में प्रकटीकरण

(i) परिचालन क्षेत्र

इंड एएस 108 में यथा परिभाषित के अनुसार "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर, सीएमडी, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं और व्यवसाय खंडों द्वारा विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करते हैं। वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों को व्यक्तिगत व्यवसाय खंड में राजस्व और व्यय रिकॉर्ड करने के लिए लगातार लागू किया जाता है और वे महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निर्धारित किए गए हैं।

कंपनी दो खंडों में काम करती है - अक्षय ऊर्जा (आरई) व ऊर्जा दक्षता (ईई) क्षेत्र में वित्तपोषण गतिविधियाँ और केरल के कासरगोड में सौर संयंत्र संचालन के माध्यम से बिजली का उत्पादन। कंपनी के लिए प्रमुख राजस्व आरई एवं ईई क्षेत्र में वित्तपोषण गतिविधियों के खंड से आता है। अन्य परिचालन खंड - सौर संयंत्र के माध्यम से बिजली का उत्पादन एक रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है। कंपनी भारत में काम करती है; इसलिए इसे केवल घरेलू खंड में काम करने वाला माना जाता है। इस प्रकार खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से इसे एकल व्यवसाय/भौगोलिक खंड माना जाता है।

(ii) प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

कोई भी बाहरी ग्राहक हमारे राजस्व में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान नहीं देता है।

(iii) भौगोलिक जानकारी

संचालन के स्थान के अनुसार बाहरी ग्राहकों से राजस्व और परिसंपत्तियों के स्थान के अनुसार इसकी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	बाहरी ग्राहकों से राजस्व*		गैर-चालू परिसंपत्तियां*	
	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
भारत	6,755.69	4,965.29	1,987.58	1,999.88
भारत से बाहर	-	-	-	-
कुल	**6,755.69**	**4,965.29**	**1,987.58**	**1,999.88**

*व्युत्पन्नी के उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि) से संबंधित ₹13.13 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 11.26 करोड़) की राशि शामिल करें।

**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत कार्य-प्रगति पर, निवेश संपत्ति, परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार, विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां, अमूर्त परिसंपत्तियां, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम और भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड धन प्राप्य इस राशि में शामिल हैं।

(iv) प्रमुख उत्पादों से राजस्व

प्रत्येक उत्पाद और सेवा के लिए बाहरी ग्राहकों से राजस्व निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय	6,576.30	4,822.40
शुल्क और कमीशन आय	95.71	60.01
विद्युत बिक्री (निवल)	26.48	29.21

30. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-113 "उचित मूल्य माप" के संबंध में प्रकटीकरण

I. उचित मूल्य माप

श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखत

(₹ करोड़ में)

विवरण (31.03.2025 को)	परिशोधन लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के जरिए	पीएंडएल के जरिए	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकद और नकद समतुल्य	57.29	-	-	-	57.29
निर्धारित बैंक शेष	641.34	-	-	-	641.34
व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	-	-	440.57	47.31	487.88
व्यापार प्राप्य	5.93	-	-	-	5.93
ऋण	75,319.98	-	-	-	75,319.98
निवेश	600.14	-	-	-	600.14
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	28.05	-	-	-	28.05
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**76,652.73**	**-**	**440.57**	**47.31**	**77,140.61**
वित्तीय देनदारियाँ					
व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	-	-	2.89	20.31	23.20
व्यापार देय	9.12	-	-	-	9.12
ऋण प्रतिभूतियाँ	28,446.24	-	-	-	28,446.24
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	33,489.50	-	-	-	33,489.50
अधीनस्थ देयताएँ	2,804.57	-	-	-	2,804.57
अन्य वित्तीय देयताएँ	1,638.04	-	-	-	1,638.04
कुल वित्तीय देयताएँ	**66,387.47**	**-**	**2.89**	**20.31**	**66,410.67**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण (31.03.2024 को)	परिशोधन लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के जरिए	पी एंड एल के जरिए	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकद और नकद समतुल्य	74.21	-	-	-	74.21
निर्धारित बैंक शेष	661.67	-	-	-	661.67
व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	-	-	451.57	32.21	483.78
व्यापार प्राप्य	6.02	-	-	-	6.02
ऋण	58,775.09	-	-	-	58,775.09
निवेश	101.30	-	-	-	101.30
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	23.46	-	-	-	23.46
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**59,641.75**	**-**	**451.57**	**32.21**	**60,125.53**
वित्तीय देनदारियाँ					
व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	-	-	189.67	18.34	208.01
व्यापार देय	7.30	-	-	-	7.30
ऋण प्रतिभूतियाँ	17,713.61	-	-	-	17,713.61
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	31,323.84	-	-	-	31,323.84
अधीनस्थ देयताएँ	649.41	-	-	-	649.41
अन्य वित्तीय देयताएँ	1,340.30	-	-	-	1,340.30
कुल वित्तीय देयताएँ	**51,034.46**	**-**	**189.67**	**18.34**	**51,242.47**

II. उचित मूल्य पदानुक्रम

यह खंड वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए निर्णय और अनुमानों की व्याख्या करता है जो

क) उचित मूल्य पर पहचाने और मापे जाते हैं और

ख) परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए निविष्टियों की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय लिखतों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर पर स्पष्टीकरण हेतु निम्नलिखित तालिका देखें।

ग) महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए, हमने कर्मचारी ऋण और प्रतिभूति जमा की छूट को नजरअंदाज कर दिया है।

समूह मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का निर्धारण और प्रकटीकरण करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करता है:

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय लिखत शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी उपकरण, व्यापारित बॉण्ड और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिनकी कीमत उद्धृत की गई है। स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले सभी इक्विटी लिखतों (बॉण्ड सहित) का उचित मूल्य रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार समापन मूल्य का उपयोग करके मूल्यांकित किया जाता है। म्यूचुअल फंड का मूल्यांकन समापन एनएवी का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय लिखत जो सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करते हैं (उदाहरण के लिए, व्यापारित बॉण्ड) वे अन्य तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं, जिसके लिए सभी निविष्टियाँ जो दर्ज किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य होते हैं।

स्तर 3: वह तकनीक जो ऐसे निविष्टियों का उपयोग करती है जिनका रिकॉर्ड किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों जैसे अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं होते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

क. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएँ - आवर्ती उचित मूल्य माप- 31.03.2025 को *

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ : -			
बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	339.41
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	58.65
वायदा संविदा	-	-	-
विकल्प संविदा	-	-	42.51
बचाव के रूप में नामित नहीं की गई व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	47.31
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	-
वायदा संविदा	-	-	-
विकल्प संविदा	-	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**487.88**
वित्तीय देयताएँ			
बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	0.98
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	-
वायदा संविदा	-	-	-
विकल्प संविदा	-	-	1.91
बचाव के रूप में नामित नहीं की गई व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	20.31
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	-
वायदा संविदा	-	-	-
विकल्प संविदा	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**23.20**

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गई हैं

परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को*	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:			
ग्राहकों को ऋण	-	-	75,216.10
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**75,216.10**
वित्तीय देयताएँ			
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ:	-	-	28,446.24
ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	33,489.50
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	-	-	2,804.57
अधीनस्थ देयताएँ	**-**	**-**	**64,740.31**
कुल वित्तीय देयताएँ			

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गई हैं

ख. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएँ – आवर्ती उचित मूल्य माप - 31.03.2024 को*

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ: -			
बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	390.61
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	60.96
वायदा संविदा	-	-	-
बचाव के रूप में नामित नहीं की गई व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	32.21
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	-
वायदा संविदा	-	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**483.78**
वित्तीय देयताएं			
बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	144.92
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	10.82
वायदा संविदा	-	-	33.93
बचाव के रूप में नामित नहीं की गई व्युत्पन्नी			
प्रिंसिपल ओनली स्वैप	-	-	18.34
क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप	-	-	-
वायदा संविदा	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**208.01**

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गई हैं

परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है

(₹ करोड़ में)

31.03.2024 को*	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ:			
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:			
ग्राहकों को ऋण	-	-	58,692.01
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**58,692.01**
वित्तीय देयताएँ			
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ:			
ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	17,713.61
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	-	-	31,323.84
अधीनस्थ देयताएँ	-	-	649.41
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**49,686.86**

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गई हैं

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

III. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल मूल्यांकन तकनीक

एमटीएम गणना रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया व्युत्पन्नी लिखत हेतु कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अधीन यथा परिभाषित के अनुसार पंजीकृत स्वतंत्र आईबीबीआई मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन पर आधारित है।

महत्वपूर्ण असंप्रेक्षणीय निविष्टियों (स्तर 3) का उपयोग करते हुए उचित मूल्य माप

कर-पूर्व दर जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है

निम्न तालिका स्तर 3 व्युत्पन्न उपकरणों में परिवर्तन प्रस्तुत करती है: -

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
व्युत्पन्नी लेखांकन में व्युत्पन्नी सौदों के तहत लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त लाभ/(हानि)	13.13	(11.26)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त लाभ/(हानि)	165.59	(165.40)
कुल	**178.72**	**(176.66)**

IV. मूल्यांकन प्रक्रियाएँ

बचाव सौदों के एमटीएम मूल्यांकन हेतु, कंपनी ने कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत यथा परिभाषित के अनुसार एक पंजीकृत स्वतंत्र आईबीबीआई मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन प्राप्त किया है, जिसने बाजार की स्थिति में उतार-चढ़ाव, विनिमय दर, ब्याज दर आदि में उतार-चढ़ाव पर विचार करने के बाद ऐसा मूल्यांकन प्रदान किया है।

V. परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**वहन राशि**	**लेन-देन मूल्य**	**वहन राशि**	**लेन-देन मूल्य**
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:				
ग्राहकों को ऋण	75,216.10	75,432.98	58,692.01	58,865.86
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**75,216.10**	**75,432.98**	**58,692.01**	**58,865.86**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
वित्तीय देयताएं	**वहन राशि**	**लेन-देन मूल्य**	**वहन राशि**	**लेन-देन मूल्य**
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं:				
ऋण प्रतिभूतियाँ	28,446.24	28,460.74	17,713.61	17,720.74
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	33,489.50	33,489.50	31,323.84	31,323.84
अधीनस्थ देयताएं	2,804.57	2,807.37	649.41	650.00
कुल वित्तीय देयताएं	**64,740.31**	**64,728.12**	**49,686.86**	**49,694.58**

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

उधारों, कंपनियों को दिये जाने वाले ऋण, ऋण प्रतिभूतियों के उचित मूल्यों की गणना वर्तमान उधार दर का उपयोग करके छूट दिये गए नकद प्रवाह के आधार पर की जाती है। स्वयं के ऋण जोखिम सहित अप्राप्य निविष्टियों के समावेश के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

गैर-चालू उधारों के उचित मूल्य चालू उधार दर का उपयोग करके छूट दिए गए नकद प्रवाह पर आधारित होते हैं। स्वयं के ऋण जोखिम सहित अप्राप्य निविष्टियों के उपयोग के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

31. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी एक सौर ऊर्जा संयंत्र का संचालन कर रही है। कंपनी और केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31.03.2017 को ₹4.95 प्रति यूनिट या केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, पर विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तदनुसार, कंपनी ने केएसईआरसी के साथ विद्युत क्रय समझौते की मंजूरी के लिए याचिका दायर की, जिसने 14.02.2018 के अपने अंतरिम आदेश में मार्च 2018 तक ₹3.90 प्रति यूनिट के अंतरिम प्रशुल्क को मंजूरी दी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, केएसईआरसी ने एक प्रशुल्क आदेश पारित किया और ₹3.83 प्रति यूनिट का प्रशुल्क निर्धारित किया। विवरण के लिए वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 38(32) देखें।

तदनुसार, कंपनी ने ₹3.83 प्रति यूनिट के निर्धारित प्रशुल्क पर केएसईबीएल को बिजली की आपूर्ति करने के लिए सकल राजस्व को मान्यता दी है। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी परामर्श सेवाएं भी प्रदान करना जारी रखा है।

(क) बिजली का उत्पादन

31.03.2025 को समाप्त वर्ष

क्र. सं.	विवरण	उत्पादित यूनिट (एमआईएल.)	बेची गई यूनिट (एमआईएल.)	दर प्रति यूनिट (₹)	कुल (₹ करोड़ में)
i)	बिजली का उत्पादन	70.96	70.54	3.83	27.02

31.03.2024 को समाप्त वर्ष

क्र. सं.	विवरण	उत्पादित यूनिट (एमआईएल.)	बेची गई यूनिट (एमआईएल.)	दर प्रति यूनिट (₹)	कुल (₹ करोड़ में)
i)	बिजली का उत्पादन	78.23	77.81	3.83	29.80

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
बिक्री में शामिल बिल रहित राजस्व की राशि (निवल)	2.89	2.97

(ख) अनुबंधित मूल्य और पी एंड एल में मान्यता प्राप्त राजस्व का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
अनुबंध मूल्य	27.02	29.80
समायोजन :		
-व्यापार छूट	0.54	0.60
-धन वापसी	-	-
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व	26.48	29.21

(ग) राजस्व का विभाजन

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विभाजन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1	**राजस्व**		
	परिचालन से निवल राजस्व (छूट निवल, जहाँ प्रयोज्य हो)	26.48	29.21
	परामर्श	-	0.16

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

2	**प्राथमिक भौगोलिक बाजार**		
	घरेलू राजस्व	26.48	29.36
	अंतरराष्ट्रीय राजस्व	-	-
	कुल राजस्व	**26.48**	**29.36**
3	**राजस्व मान्यता का समय**		
	किसी समय पर	-	-
	समयोपरि	26.48	29.36
	कुल राजस्व	**26.48**	**29.36**

टिप्पणी : केएसईबीएल बिजली की बिक्री के लिए एकमात्र ग्राहक है। तत्काल भुगतान शर्तों के साथ मासिक आधार पर चालान जारी किया जाता है।

(घ) व्यापार प्राप्य और संविदागत शेष

निम्न तालिका ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्तियों और संविदागत देयताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है: -

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
व्यापार प्राप्य (निवल) (सौर संयंत्र)	2.89	2.97

32. सौर ऊर्जा परियोजना

कंपनी ने केरल राज्य के कासरगोड जिले के अंबालाथारा सोलर पार्क में स्थित कंपनी की 50 मेगावाट की सौर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2014-15 में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से चालू किया गया और वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पूरी तरह से चालू किया गया, जिसे जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड ने ईपीसी ठेकेदार के रूप में निष्पादित किया। इसे बही में पूंजीकृत किया गया है और वर्तमान पूंजीकृत लागत ₹319.36 करोड़ है, जिसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत दिखाया गया है। वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 12 देखें।

कंपनी और केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31.03.2017 को ₹4.95/केडब्ल्यूएच की दर या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, पर पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे। तदनुसार, कंपनी ने केएसईआरसी के साथ बिजली खरीद समझौते की मंजूरी के लिए याचिका दायर की, जिसने 14 फरवरी, 2018 के अपने अंतरिम आदेश में ₹3.90 प्रति यूनिट के अंतरिम प्रशुल्क को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, केएसईआरसी ने 06 फरवरी, 2019 के अपने आदेश में ₹3.83 प्रति यूनिट की दर से लेवलाइज्ड प्रशुल्क को मंजूरी दी थी। इसने आगे निम्नलिखित आदेश भी दिये हैं:

- केएसईबी लिमिटेड इस आदेश में विनिर्दिष्ट इक्विटी की राशि तक सीमित, इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) पर भुगतान किए गए किसी भी कर की प्रतिपूर्ति करेगा। कर का दावा करने के लिए, डेवलपर केएसईबी लिमिटेड को ऐसे कर के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
- केएसईबी लिमिटेड, कंपनी/आरपीसीकेएल द्वारा भुगतान की गई भूमि पट्टे की राशि, उपर्युक्त के अतिरिक्त, यदि कोई हो, आर्थिक साहाय्य के रूप में प्राप्त राशि को घटाकर प्रतिपूर्ति करेगा।

उक्त आदेश को माननीय एपीटीईएल के समक्ष 27 अगस्त, 2019 को अपील दायर करके चुनौती दी गई थी ताकि कंपनी द्वारा किए गए व्यय के लिए कुछ लागतों की अनुमति दी जा सके और टैरिफ निर्धारित करने के लिए आरपीसीकेएल को भुगतान किया जा सके। उक्त अपील के खारिज होने पर, कंपनी ने 05 अप्रैल, 2022 को अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के साथ एक समीक्षा याचिका दायर की। मामला अब अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

कंपनी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष समीक्षा याचिका के लंबित रहने के दौरान भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 4634 ऑफ़ 2022 भी दायर की, ताकि अपील को माननीय न्यायालय के समक्ष समय-सीमा द्वारा वर्जित होने से बचाया जा सके। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18 जुलाई, 2022 के आदेश के माध्यम से कंपनी को समीक्षा याचिका के निपटारे के समय सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी थी। इसके बावजूद, उत्पादन आय का हिसाब ₹ 3.83 प्रति यूनिट की दर से लगाया जा रहा है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

सौर परियोजना पट्टेवाली भूमि पर स्थापित की गई है, जिसके लिए 07 अक्टूबर 2020 से 06 अक्टूबर 2043 तक (06 अक्टूबर 2020 तक छूट) रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ़ केरल लिमिटेड (आरपीसीकेएल) को पट्टा शुल्क देय हैं। केएसईआरसी के 06 फ़रवरी 2019 के टैरिफ आदेश के अनुसार, आरपीसीकेएल को भुगतान किए गए ऐसे भूमि लीज़ शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कंपनी पात्र है।

हालाँकि, ₹0.39 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित) के भूमि पट्टा शुल्क का वार्षिक भुगतान और उसकी वसूली का निपटान किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर किसी भी संगत राशि को परिसंपत्ति/देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है। इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) के लिए अन्य वसूलियाँ, अनिश्चित होने के कारण, मामले के अंतिम समाधान पर शामिल की जाएँगी।

33. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-116 "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

क) भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के रूप में पट्टे का विवरण

कंपनी के पास दिल्ली, मुंबई और आईएफएससी गिफ्ट सिटी गुजरात, भारत में कार्यालय स्थानों, दिल्ली में आवासीय स्थान और केरल में सोलर पार्क भूमि के लिए विभिन्न पट्टे अनुबंध हैं। प्रत्येक अनुबंध की अवधि और किराये का भुगतान अलग-अलग है। समूह ने इंड एएस 116 के तहत माप सिद्धांतों को उन पट्टों के लिए लागू किया है जिन पर समूह की समेकित लेखांकन नीति के अनुरूप अल्पकालिक पट्टे के अधीन छूट उपलब्ध नहीं है।

ख) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता विश्लेषण - संविदात्मक छूट रहित नकद प्रवाह	31.03.2025 को	31.03.2024 को
एक वर्ष से कम	0.62	0.68
एक वर्ष से पांच वर्ष तक	2.10	2.09
पांच वर्ष से अधिक	5.07	5.46
कुल छूट रहित पट्टा देयताएं	**7.79**	**8.22**
वित्तीय स्थिति के विवरण में शामिल पट्टा देयताएं	**4.04**	**4.03**
चालू	0.74	0.66
गैर- चालू	3.30	3.37

ग) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
पट्टा देयताओं पर ब्याज	0.36	0.36
पट्टा देयताओं के मापन में शामिल नहीं किए गए परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	-	-
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के उप-पट्टे से आय	-	-
पट्टा देनदारियों की अ-मान्यता	-	-
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की अ-मान्यता	-	-
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों पर संचित मूल्यह्रास की अ-मान्यता	-	-
अल्पकालिक पट्टे से संबंधित व्यय	-	-
अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास शुल्क*	6.55	5.50

*पट्टा आरंभ की अवधि विवाद में है; एनबीसीसी बिल्डिंग एवं आवासीय फ्लैट पर मूल्यह्रास उपयोग में लाये जाने की तिथि से लगाया गया है। किसी भी परिवर्तन को भविष्यलक्षी प्रभाव के रूप से निपटाया जाएगा।

घ) नकद प्रवाह विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
31.03.2025 को समाप्त वर्ष	0.50
31.03.2024 को समाप्त वर्ष	0.27

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

ङ) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	167.78	28.25
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों में वृद्धि	0.27	139.53
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का विलोपन/अ-मान्यता	0.07	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	167.98	167.78
अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार वर्ष के अंत में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की वहन राशि।	143.60	149.89

च) अन्य प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
अल्प-कालिक पट्टे से सम्बंधित व्यय	0.11	0.10

34. कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल परिसंपत्तियों के स्वत्व विलेख का विवरण निम्नानुसार है: -

31.03.2025 को

तुलन पत्र में प्रासंगिक अनुसार मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिनके नाम में धारित स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति जब से धारित	कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों	कार्यालय परिसर -आईएचसी	1.72	आईएचसी द्वारा जारी आवंटन पत्र के आधार पर कब्ज़ा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 12.04.1993	भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी) [भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), आईएचसी और आवंटी संस्थानों के बीच] द्वारा त्रिपक्षीय हस्तांतरण उप-पट्टा विलेख/समझौते का निष्पादन इरेडा सहित आईएचसी में सभी आवंटी संस्थानों के संबंध में लंबित है। आईएचसी पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए एल एंड डीओ के साथ संपर्क में है। पट्टा विलेख के मसौदे को एल एंड डीओ द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आईएचसी ने 24.03.23 को सूचित किया है कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और अदालत ने उसी आशय का आदेश पारित किया है। इसके अलावा, आईएचसी और एसडीएमसी दोनों पक्षों द्वारा 11.04.23 के आदेश के तहत दो अन्य याचिकाएं भी वापस ले ली गईं। कंपनी त्रिपक्षीय पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए आईएचसी के साथ नियमित रूप से संवाद कर रही है। आईएचसी ने 31.12.2024 को ईमेल के ज़रिए सूचित किया है कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस मामले में अंतिम संचार 21.03.2025 को भेजा गया।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

	कार्यालय परिसर-एकेबी	21.10	एचयूडीसीओ द्वारा जारी स्थायी पट्टा विलेख के आधार पर कब्जा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.12.2006	संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण का काम हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचयूडीसीओ) के साथ चल रहा है। नवीनतम संचार 21.03.2025 को भेजा गया।
	कार्यालय परिसर-एनबीसीसी किदवई नगर	132.92	आवंटन पत्र के आधार पर कब्जा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015	उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए कब्जे की तारीख और पट्टे की शुरुआती तिथि के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। नवीनतम संचार 21.03.2025 को भेजा गया था।
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों	आवासीय फ्लैट -एनबीसीसी किदवई नगर	6.61	आवंटन पत्र के आधार पर कब्जा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015	उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए कब्जे की तारीख और लीज की शुरुआत की तारीख के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। फ्लैट एमओएचयूए के साथ घरों के इंटर-पूल एक्सचेंज में पड़ा हुआ है और इसे कंपनी के कब्ज़े में वापस लेने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नवीनतम संचार 06.03.2025 को भेजा गया था।
निवेश संपत्ति	आवासीय फ्लैट	0.09	एचपीएल द्वारा विक्रय हेतु समझौता	नहीं	23.06.1994	संपत्ति का हस्तांतरण हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा एल एंड डीओ के साथ किया जा रहा है, उसके बाद विलेख का निष्पादन होगा। नवीनतम संचार 24.03.2025 को भेजा गया था।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

31 मार्च, 2024 को

तुलन-पत्र में प्रासंगिक अनुसार मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिनके नाम में धारित स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति जब से धारित	कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों	कार्यालय परिसर : आईएचसी	1.72	आईएचसी द्वारा जारी किए गए आवंटन पत्र के आधार पर कब्ज़ा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 12.04.1993	भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी) [भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), आईएचसी और आवंटी संस्थानों के बीच] द्वारा त्रिपक्षीय हस्तांतरण उप-पट्टा विलेख/ समझौते का निष्पादन इरेडा सहित आईएचसी में सभी आवंटी संस्थानों के संबंध में लंबित है। आईएचसी पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए एल एंड डीओ के साथ संपर्क में है। पट्टा विलेख के मसौदे को एल एंड डीओ द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आईएचसी ने 24.03.23 को सूचित किया है कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और अदालत ने उसी आशय का आदेश पारित किया है। इसके अलावा, आईएचसी और एसडीएमसी दोनों पक्षों द्वारा 11.04.23 के आदेश के तहत दो अन्य याचिकाएं भी वापस ले ली गईं। कंपनी त्रिपक्षीय पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए आईएचसी के साथ 24.04.2023, 11.07.2023 और 21.12.2023 को ईमेल के जरिए संवाद कर रही है। इसके अलावा, आईएचसी ने 21.12.2023 को ईमेल के ज़रिए सूचित किया है कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आईएचसी को अंतिम संचार 21.03.2024 को भेजा गया।
	कार्यालय परिसर-एकेबी	21.10	एचयूडीसीओ द्वारा जारी स्थायी पट्टा विलेख के आधार पर कब्जा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.12.2006	संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण का काम हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचयूडीसीओ) के साथ चल रहा है। नवीनतम संचार 21.03.2024 को भेजा गया।
	कार्यालय परिसर - एनबीसीसी किदवई नगर	132.92	आवंटन पत्र के आधार पर कब्ज़ा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015	उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए कब्जे की तारीख और पट्टे की शुरूआती तिथि के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। नवीनतम संचार 30.03.2024 को भेजा गया था।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	आवासीय फ्लैट - एनबीसीसी किदवई नगर	6.61	आवंटन पत्र के आधार पर कब्ज़ा किया गया	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015	उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए कब्जे की तारीख और लीज की शुरुआत की तारीख के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। फ्लैट एमओएचयूए के साथ घरों के इंटर-पूल एक्सचेंज में पड़ा हुआ है और इसे कंपनी के कब्ज़े में वापस लेने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नवीनतम संचार 30.03.2024 को भेजा गया था।
निवेश संपत्ति	आवासीय फ्लैट	0.09	एचपीएल द्वारा विक्रय हेतु समझौता	नहीं	23.06.1994	संपत्ति का हस्तांतरण हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा एल एंड डीओ के साथ किया जा रहा है, उसके बाद विलेख का निष्पादन होगा। नवीनतम संचार 21.03.2024 को भेजा गया था।

35. संपत्ति कर का विवरण

सभी आवासीय और कार्यालय परिसरों के संबंध में 31 मार्च, 2025 तक की संपत्ति कर मांग का भुगतान कर दिया गया है। एनबीसीसी किदवई नगर में कार्यालय स्थल और आवासीय फ्लैटों के संबंध में संपत्ति कर की मांग का पता नहीं चल पा रहा है।

36. बेनामी संपत्ति का विवरण

बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाये गए नियमों के अधीन चालू और पिछले वर्ष के दौरान किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए समूह में कंपनियों के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

37. हाल ही में लेखांकन घोषणाएँ/मानक/संशोधन जारी की गई, लेकिन प्रभावी नहीं हैं।

कोई भी हाल की लेखांकन घोषणाएँ/मानक/संशोधन नहीं हैं जिनका 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी होना बाकी है।

38. कोई भी सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं है, जिसके लिए समूह में कंपनियों का बकाया है, जो 31.03.2025 को 45 दिनों से अधिक समय से बकाया है (पिछले वर्ष: ₹ शून्य करोड़)। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली यह जानकारी, कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई सीमा तक निर्धारित की गई है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	समाप्त वर्ष को भुगतान न की गई मूलधन राशि	1.06	1.03
2	समाप्त वर्ष को उस पर देय ब्याज का भुगतान अप्रदत्त है	-	-
3	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, साथ ही वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
4	भुगतान करने में देरी के वर्ष हेतु देय और भुगतान योग्य ब्याज, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

5	समाप्त वर्ष को अर्जित और शेष अप्रदत्त ब्याज	-	-
6	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, आगामी वर्ष में भी बकाया और देय ब्याज, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं कर दिया जाता।	-	-

39. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को निदेशक मंडल की एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन करना आवश्यक है और कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना की गई कंपनी के तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% खर्च करना है। कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार 22.01.2021 से अधिसूचित, किसी भी चालू परियोजना के लिए कोई भी अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर किसी भी अनुसूचित बैंक में अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, जिसका उपयोग उक्त हस्तांतरण की तिथि से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर किया जाएगा। किसी भी चालू परियोजना के अलावा, कोई भी अव्ययित सीएसआर राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा, यदि कंपनी क़ानून के तहत आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है, तो अतिरिक्त राशि को आगे बढ़ाया जा सकता है और व्यय की जाने वाली राशि के प्रति तीन आगामी वित्तीय वर्षों में कटौती की जाएगी।

क. 31.03.2025 तक, कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली सकल राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि	24.36	16.94
2	वर्ष के दौरान खर्च/संस्वीकृत की गई राशि [(ग) देखें]	24.36	16.65
3	वर्ष के अंत में कमी / (अधिक) (1-2)	-	0.29
4	पिछले वर्षों से अग्रेनीत(अधिक) सीएसआर खर्च	-	(0.29)
5	चालू वर्ष में पहले खर्च की गई अतिरिक्त राशि का समायोजन*	-	0.29
6	वर्ष के अंत में अग्रेनीत कुल कमी / (अधिक) खर्च	-	-

*दिनांक 22.01.2021 की एमसीए अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, जो भावी रूप से लागू है, अतिरिक्त खर्च की गई राशि का उपयोग 3 लगातार वर्षों में किया जा सकता है।

क. i वित्तीय वर्ष 2019-20 से पहले की अव्ययित राशि का विवरण (संशोधन पूर्व ढांचे के अनुसार निपटाया जा रहा है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
क)	प्रारंभिक शेष	-	3.74
ख)	वर्ष के दौरान व्यय	-	3.74
ग)	अंतिम शेष [कमी/(अधिक)] (क-ख)	-	-

*इसमें पूर्ण हो चुकी परियोजना से संबंधित ₹0.08 करोड़ की राशि शामिल है, जिसमें आगे कोई संवितरण की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए उक्त राशि को अप्रैल 2024 में अनुसूची VII निधि को अंतरित कर दिया गया है।

ख. वित्त वर्ष 2024-25 हेतु, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार औसत एकल लाभ (कर पूर्व) के 2% के आधार पर ₹24.36 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 ₹16.94 करोड़) के सीएसआर बजट को मंजूरी दी थी। एक वर्ष में संस्वीकृत परियोजनाओं को परियोजना के पूरा होने के विभिन्न चरणों में मील पत्थर से जुड़े भुगतान के आधार पर बाद के वर्षों में पूरा किया जा सकता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

ग. वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च/ संस्वीकृत की गई राशि: -

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष			31.03.2024 को समाप्त वर्ष		
		भुगतान या निपटाया गया	भुगतान अभी किया जाना है	कुल	भुगतान या निपटाया गया	भुगतान अभी किया जाना है	कुल
(i)	किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण; अनुसंधान और विकास से संबंधित सीएसआर गतिविधियों पर	2.31	22.03	24.34	5.49	11.13	16.62
(iii)	उपर्युक्त (ii) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर - प्रशासनिक व्यय	0.02	-	0.02	0.03	-	0.03
	कुल	**2.33**	**22.03**	**24.36**	**5.52**	**11.13**	**16.65**

घ. चालू वर्ष या पिछले वर्ष में सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं किया गया।

ङ. व्यय की गई और अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: -

31.03.2025 को समाप्त वर्ष

अव्ययित राशि

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	अनुसूची- VII के निर्दिष्ट कोष में 6 महीने के भीतर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	अंतिम शेष
-	-	24.36	2.33	22.03

व्यय की गई अतिरिक्त राशि

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	वर्तमान वर्ष में कमी के तहत समायोजित राशि	अंतिम शेष
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

चल रही परियोजनाओं हेतु:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष से संबंधित	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		अंतिम शेष		चल रही परियोजनाओं का विवरण
	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	
24-25	-	-	24.13	2.10	-	22.03*	-	स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल, शिक्षा और पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित परियोजना

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

23-24	-	11.13	-	-	4.99	-	6.14	स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित परियोजना
22-23	-	1.64	-	-	0.42	-	1.22	स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित परियोजना

*चूँकि राशि चालू परियोजनाओं से संबंधित है, इसलिए इसे लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष के अंत से 30 दिनों के भीतर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 से संबंधित प्रावधान सहायक कंपनी पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के साथ पंजीकृत है।

31.03.2024 को समाप्त वर्ष

अव्ययित राशि

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	अनुसूची- VII के निर्दिष्ट कोष में 6 महीने के भीतर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि*	अंतिम शेष
-	-	16.94	5.81	11.13

*इसमें पिछले वर्ष से आगे ले जाए गए ₹0.29 करोड़ का सेट ऑफ शामिल है।

व्यय की गई अतिरिक्त राशि

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	वर्तमान वर्ष में कमी के तहत समायोजित राशि	अंतिम शेष
0.29	-	-	0.29	-

चल रही परियोजनाओं हेतु:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष से संबंधित	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		अंतिम शेष		चल रही परियोजनाओं का विवरण
	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	
23-24	-	-	15.14	4.01	-	11.13	-	स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित परियोजना
22-23	-	2.76	-	-	1.12	-	1.64	स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित परियोजना

40. लेखा-परीक्षक को पारिश्रमिक

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
लेखा-परीक्षक		
सीमित समीक्षा	0.03	-
सांविधिक लेखा-परीक्षा	0.17	0.13
कर लेखा-परीक्षा	0.05	0.04
अंतरिम खातों के लिए लेखा-परीक्षा शुल्क	0.24	0.38
अन्य सेवाएँ		
प्रमाणन शुल्क	0.02	0.01
आईपीओ से संबंधित	-	0.24**
अन्य व्यय	-	-
कुल*	**0.51**	**0.80**

*जीएसटी छोड़कर

**शेयर जारी करने के व्यय का अंश है और प्रतिभूति प्रीमियम से समायोजित किया जाता है। वित्तीय विवरणों हेत टिप्पणी 26 देखें।

41. प्रकटीकरण - विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) मुद्दे से संबंधित (एपी एवं अन्य) मामलों के लिए - 90 दिनों से अधिक बकाया राशि वाले खाते, लेकिन ऋण क्षति के रूप में नहीं माने गए।

सात उधारकर्ताओं ने खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं करने के लिए आंध्र प्रदेश/तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय और दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त किए हैं। तदनुसार, ऐसे उधारकर्ताओं के ऋण बकाया को स्टेज III परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, भले ही देय राशि 90 दिनों से अधिक पुरानी हो। हालांकि, कंपनी ने परियोजनाओं के वित्तीय और परिचालनगत प्राचल पर विचार करने के बाद 31 मार्च 2025 तक अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के अनुसार खातों की पुस्तकों में ₹ 1,202.21 करोड़ के ऋण बकाया पर ₹ 631.13 करोड़ का पर्याप्त प्रावधान किया है (पिछले वर्ष: ₹873.67 करोड़ के ऋण बकाया पर ₹ 521.31 करोड़ का प्रावधान)। हालांकि खातों को एनपीए घोषित नहीं किया गया है, लेकिन आय को नकद/वसूली के आधार पर इस खाते में दर्ज किया जाता है (यानी कोई भी 'ब्याज देय और प्राप्त नहीं हुआ' उलट दिया जाता है और ब्याज आय के रूप में नहीं लिया जाता है)।

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या	बकाया राशि	अतिदेय राशि	ईसीएल राशि
31.03.2025 को	8	1,202.21	889.72	631.13
31.03.2024 को	7	873.67	678.47	521.31

42. एकमुश्त निपटान (ओटीएस), बट्टे खाते डाला गया (ऋण परिसंपत्तियाँ)।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, एक ओटीएस स्वीकृत किए गए, जिनमें से एक खाता पूरी तरह से निपटाया गया है। उक्त निपटाये गए ओटीएस के प्रति कुल ₹176.49 करोड़ की राशि वसूल की गई है, जिसके परिणामस्वरूप ₹85.56 करोड़ की आय हुई और ₹54.13 करोड़ के हानि भत्ते का प्रतिलेखन हुआ।

31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, पाँच ओटीएस स्वीकृत किए गए, जिनमें से एक खाता पूरी तरह से निपटाया गया है। उक्त निपटाये गए ओटीएस के प्रति कुल ₹20.24 करोड़ की राशि वसूल की गई है, जिसके परिणामस्वरूप ₹4.69 करोड़ की आय हुई और ₹2.48 करोड़ के हानि भत्ते का प्रतिलेखन हुआ।

43. एमएनआरई/यूएनडीपी-इरेडा योजना निधि

कंपनी अपनी गतिविधियों के अलावा उक्त मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम को क्रियान्वित करती है। प्रत्येक समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, एमएनआरई ने कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कंपनी के साथ प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में एक सहमत राशि रखी है। एमएनआरई निधियों पर ब्याज जब और जैसे प्राप्त होता है उसका लेखा-जोखा किया जाता है। चूंकि एमएनआरई कार्यक्रम ऋणों द्वारा उत्पन्न आय कंपनी की आय नहीं है और ऋण परिसंपत्तियां भी एमएनआरई से सम्बंधित हैं, इसलिए उन्हें परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान उद्देश्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

नहीं माना जाता है। संबंधित कार्यक्रम के समापन पर, कंपनी को एमएनआरई के ऋण की शेष राशि (उस पर अर्जित ब्याज सहित), सेवा शुल्क, अपरिवर्तनीय चूक और एमओयू में निर्धारित अन्य बकाया राशि की कटौती करने के बाद एमएनआरई को हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है।

क) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) / पूंजी आर्थिक साहाय्य योजना आदि: कंपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की ओर से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और योजना के तहत पंजीकृत पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूंजी आर्थिक साहाय्य के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम प्रशासक है। इन योजनाओं के तहत, एमएनआरई द्वारा कंपनी को जीबीआई दावेदारों यानी परियोजना डेवलपर्स/डिस्कॉम को योजना के अनुसार ऊर्जा उत्पादन के लिए उसी के वितरण के उद्देश्य से निधि प्रदान की जाती है। इसलिए, अनिवार्य रूप से, गतिविधि निधियों की प्राप्ति और उपयोग है। एमएनआरई द्वारा जीबीआई निधि जारी करने के लिए, कंपनी को एमएनआरई द्वारा जारी फंड की पिछली क़िस्त के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय के लेखा परीक्षित विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त आवश्यकता का कंपनी द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है तथा एमएनआरई द्वारा अब तक इसके अतिरिक्त कुछ भी अपेक्षित नहीं किया गया है। वैधानिक लेखा-परीक्षकों ने योजना के खातों की लेखा-परीक्षा नहीं की है।

वर्ष के अंत में उपर्युक्त के कारण एमएनआरई को देय राशि, बचत बैंक/अल्पकालिक जमा आदि के रूप में अलग-अलग बैंक खातों में रखे गए अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज सहित, नकद और नकद समकक्षों (वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 3 देखें) में शामिल बैंक शेष के अलावा दिखाया गया है और संबंधित देयता तुलन पत्र में अन्य वित्तीय देयताएं (वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 22 देखें) शीर्षक के अंतर्गत दिखायी गई है।

ख) जीईएफ-एमएनआरई-संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) परियोजना: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और यूएनआईडीओ ने संयुक्त रूप से अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण के लिए बायोगैस/बायो-मीथेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, नवाचारों को लक्षित करने और औद्योगिक जैविक कचरे से टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन पर जीईएफ-5 वित्त पोषित परियोजना को लागू किया है। उक्त परियोजना के अधीन यूएनआईडीओ परियोजना डेवलपर्स के लिए ब्याज दर में 5% का आर्थिक साहाय्य देने के लिए धन उपलब्ध कराएगा और कंपनी एक फंड हैंडलर है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, यूएनआईडीओ के प्रति शून्य दावा (पिछले वर्ष: शून्य दावा) रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में 340000 अमेरिकी डॉलर की पहली क़िस्त हेतु कंपनी को ₹2.55 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। 31 मार्च, 2025 तक निधि शेष ₹2.90 करोड़ है।

इस प्रकार प्राप्त धनराशि को बचत बैंक/अल्पकालिक जमा आदि के रूप में अलग-अलग बैंक खाते में रखा गया है, जिसे नकद और नकद समकक्षों में शामिल बैंक शेष के अतिरिक्त दिखाया गया है (वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणी 3 देखें) और संबंधित देयता को तुलन पत्र में अन्य वित्तीय देयताएं (वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणी 22 देखें) शीर्षक के अधीन दिखाया गया है।

ग) अन्य एमएनआरई योजनाएँ जहाँ इरेडा, एमएनआरई की ओर से निधि प्रबंधन एजेंसी है: ऐसी अन्य एमएनआरई योजनाएँ भी हैं जहाँ इरेडा, एमएनआरई की ओर से निधि प्रबंधन एजेंसी है और निधि शेष निम्नानुसार हैं: -

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	31.03.2025 तक शेष राशि	31.03.2024 तक शेष राशि
1.	डीआईआरईसी-2010	6.84	6.35
2.	भारत-अमेरिका पेससेटर निधि	32.83	30.57
3.	एमएनआरई सह-उत्पादन विशिष्ट अनुदान	0.45	0.42
4.	राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड	0.07	0.07
5.	एमएनआरई यूएनडीपी खाता	0.00	0.00
6.	सौर जल तापन प्रणाली का कार्यान्वयन-एमएनआरई (एसडब्ल्यूएचएस)	4.31	3.84

इस प्रकार प्राप्त धनराशि को बचत बैंक/अल्पकालिक जमा आदि के रूप में अलग-अलग बैंक खाते में रखा गया है, जिसे नकद और नकद समकक्षों में शामिल बैंक शेष के अतिरिक्त दिखाया गया है (वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणी 3 देखें) और संबंधित देयता को तुलन पत्र में अन्य वित्तीय देयताएं (वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणी 22 देखें) शीर्षक के अधीन दिखाया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

44. एमएनआरई भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स

आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 के का.ज्ञा. संख्या एफ.15 (4)-बी (सीडीएन)/2015 के अनुसार, कंपनी को ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा, ऑफ-ग्रिड/वितरित व विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा तथा निगमों व स्वायत्त निकायों में निवेश से संबंधित एमएनआरई योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु आय का उपयोग करने के लिए भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स के माध्यम से ₹4,000 करोड़ की राशि की उगाही के लिए कहा गया था। एमएनआरई और कंपनी के बीच 25 जनवरी, 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें दोनों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है। समझौता ज्ञापन की पृष्ठ संख्या 5 पर सामान्य खंडों की कंडिका संख्या I में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि एमएनआरई बॉण्ड्स के उधार को कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय गणना के लिए परिसंपत्ति/देयता के रूप में नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि एमएनआरई बॉण्ड्स के माध्यम से उगाही गई राशि उधार के साथ-साथ परिसंपत्तियों में भी दिखायी देगी, हालांकि, कंपनी के उधार/परिसंपत्तियों या आय/व्यय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान एमएनआरई की ओर से ₹1,640 करोड़ के भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स उगाहे थे और इसे टिप्पणी 24 - अन्य गैर-वित्तीय देनदारियों के तहत दिखाया गया है। इसके विरुद्ध विभिन्न प्लानों /योजनाओं के लिए एमएनआरई के निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक ₹1,638.79 करोड़ की राशि वितरित की गई है (पिछले वर्ष: ₹1,638.79 करोड़)। उक्त राशि को टिप्पणी संख्या 17 - अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत एमएनआरई से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है। यह राशि एमआईबीओआर लिंक्ड जमा में रखी गई थी, जिस पर 31 मार्च, 2025 तक ₹13.12 करोड़ का अर्जित ब्याज (पिछले वर्ष: ₹12.28 करोड़) टिप्पणी संख्या 24 - अन्य गैर-वित्तीय देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है। 31 मार्च, 2025 तक शेष संचयी राशि (उपार्जित/अर्जित ब्याज सहित) ₹14.31 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹9.96 करोड़) है, जिसे एमआईबीओआर लिंक्ड सावधि जमा में रखा गया है और 31 मार्च, 2025 तक चालू खाते में शेष राशि ₹0.03 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹3.53 करोड़) है, जिसे टिप्पणी संख्या 3 – संबंधित उप-शीर्षों में नकद और नकद समकक्ष में शामिल को छोड़कर बैंक शेष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, ₹124.35 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹124.35 करोड़) के भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड पर ब्याज निवेशकों को भुगतान हेतु देय हो गया। इसे भारत सरकार से प्राप्त कर लिया गया है और निवेशकों को भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार उगाहे गए बॉण्डों का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	7.22% भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स (श्रृंखला I - मोचन की तिथि - 06 फरवरी, 2027)	610.00	610.00
2	7.60% भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स (श्रृंखला Iक - मोचन की तिथि - 23 फरवरी, 2027)	220.00	220.00
3	7.85% भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड्स (श्रृंखला Iख - मोचन की तिथि - 06 मार्च, 2027)	810.00	810.00
	कुल	**1,640.00**	**1,640.00**

45. एमएनआरई से प्राप्त आर्थिक साहाय्य/ प्रोत्साहन तथा उनकी ओर से प्रबंधित

क. ब्याज आर्थिक साहाय्य

सरकारी नीति के अनुसार, एमएनआरई ब्याज आर्थिक साहाय्य प्रदान कर रहा है जो एमएनआरई कार्यक्रमों को लागू करने वाले उधारकर्ताओं को जारी की जाती है। सह-उत्पादन, लघु जल विद्युत, ब्रिकेटिंग, बायोमास, सौर तापीय तथा अपशिष्ट से ऊर्जा के संबंध में ब्याज आर्थिक साहाय्य एनपीवी आधार पर जारी की जाती है तथा सौर एवं एसपीवी कार्यक्रमों के लिए यह एक वास्तविक आधार पर किया जाता है।

ब्याज आर्थिक साहाय्य उधारकर्ताओं को अर्ध-वार्षिक आधार पर दी जाती है, बशर्ते उधारकर्ता स्वीकृति के नियम और शर्तों का अनुपालन करें। ब्याज आर्थिक साहाय्य के स्थायी शेष का कार्यक्रमवार विवरण निम्नानुसार है: -

(i) एनपीवी आधार पर पहले प्राप्त तथा बकाया ब्याज आर्थिक साहाय्य : -

(₹ करोड़ में)

समाप्त वर्ष	बायो-मास सह-उत्पादन	लघु जल विद्युत	उप योग (क)
31.03.2025	2.15	0.02	2.17
31.03.2024	2.15	0.02	2.17

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(ii) पूर्व प्राप्त ब्याज आर्थिक साहाय्य एवं वास्तविक आधार पर बकाया : -

(₹ करोड़ में)

वर्ष समाप्त	सौर तापीय क्षेत्र	एसपीवी डब्ल्यूपी 2000-01	एसपीवी डब्ल्यूपी 2001-02	एसपीवी डब्ल्यूपी 1999-00	एसपीवी डब्ल्यूपी मैन्युफैक्चरिंग	एसपीवी डब्ल्यूपी 2002-03	अक्सेलरेटेड एसडब्ल्यूएच प्रणाली	उप योग (ख)	कुल योग (क+ख)
31.03.2025	0.00	(0.51)	(1.36)	(0.07)	(0.03)	(0.41)	0.00	**(2.38)**	**(0.21)**
31.03.2024	0.00	(0.51)	(1.36)	(0.07)	(0.03)	(0.41)	0.00	**(2.38)**	**(0.21)**

ख. पूंजी आर्थिक साहाय्य

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, पूंजी आर्थिक साहाय्य हेतु एमएनआरई से ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1.00 करोड़) की राशि प्राप्त हुई थी। उपलब्ध कुल पूंजी आर्थिक साहाय्य राशि में से ₹शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1.00 करोड़) पूंजी आर्थिक साहाय्य योजना की शर्तों और नियमों के अनुपालन पर उधारकर्ताओं को दी गई।

46. हटायी गई कंपनियों के साथ प्रकटीकरण संबंध

हटायी गई कंपनी का नाम	हटायी गई कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	31.03.2025 तक बकाया शेष राशि (₹ करोड़ में)	हटायी गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो	31.03.2024 तक बकाया शेष राशि (₹ करोड़ में)	हटायी गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो
एसपीवी पावर लिमिटेड	प्राप्य	0.00	उधारकर्ता	0.00	उधारकर्ता
ओचा पाइन फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	0.00	उधारकर्ता	0.00	उधारकर्ता

विभिन्न कानूनी मंचों में प्रमोटरों/गारंटरों से संबंधित मामलों में वसूली कार्यवाही के मद्देनजर शेष राशि को बहियों में दर्ज किया जा रहा है।

47. अतिरिक्त जानकारी

क) विदेशी मुद्रा में व्यय:

- यात्रा पर : ₹0.22 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.28 करोड़)
- ब्याज और प्रतिबद्धता व्यय: ₹248.28 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹278.60 करोड़)

ख) विदेशी मुद्रा में आय:

- ब्याज : ₹2.66 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 4.62 करोड़)

ग) विश्व बैंक ने आईबीआरडी III ऋण सहायता के अंतर्गत सौर पार्क परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के वित्तपोषण में सहायता के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) अनुदान स्वीकृत किया है। वर्ष के दौरान, विश्व बैंक ने सीटीएफ अनुदान के अंतर्गत कंपनी को ₹7.57 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹3.05 करोड़) जारी किए, जिनमें राजस्व व्यय के लिए ₹6.92 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹2.45 करोड़) और पूंजीगत व्यय के लिए ₹0.65 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.60 करोड़) शामिल हैं।

घ) क्रिप्टो करेंसी या आभाषी मुद्रा का विवरण: कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभाषी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

48. परिसंपत्ति और देयताओं के अधीन प्रत्येक व्यवसाय मद के लिए 12 महीने के अंदर और उसके बाद वसूल/निपटान की जाने वाली अपेक्षित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को		कुल
		12 महीनों के अंदर	12 महीनों से ज़्यादा	
I.	**परिसंपत्तियां**			
अ	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क) नकद और नकद समकक्ष	57.29	-	57.29
	(ख) उपर्युक्त (क) के अलावा बैंक शेष	616.74	24.60	641.34
	(ग) व्युत्पन्नीन्न वित्तीय लिखत	48.30	439.59	487.89
	(घ) प्राप्य			
	(I) व्यापार प्राप्य	3.17	2.76	5.93
	(II) अन्य प्राप्य	-	-	-
	(ङ) ऋण	12,713.38	62,606.60	75,319.98
	(च) निवेश	434.72	165.42	600.14
	(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	15.30	12.75	28.05
	कुल (अ)	**13,888.90**	**63,251.72**	**77,140.62**
ब	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ**			
	(क) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	219.90	-	219.90
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	-	360.57	360.57
	(ग) निवेश संपत्ति	-	0.02	0.02
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	199.68	199.68
	(ङ) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	-	-	-
	(च) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	-	143.60	143.60
	(छ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-
	(ज) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	5.49	5.49
	(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.99	1,662.08	1,665.07
	कुल (ब)	**222.89**	**2,371.44**	**2,594.33**
	कुल परिसंपत्तियाँ (अ+ब)	**14,111.79**	**65,623.16**	**79,734.95**
II.	**देयताएँ और इक्विटी**			
	देयताएँ			
अ	**वित्तीय देयताएँ**			
	(क) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	1.91	21.29	23.20
	(ख) देय राशि			
	(I) व्यापार देय राशि	9.12	-	9.12
	(ग) ऋण प्रतिभूतियाँ	1,397.29	27,048.95	28,446.24
	(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	11,060.55	22,428.95	33,489.50
	(ङ) अधीनस्थ देयताएँ	-	2,804.57	2,804.57
	(च) अन्य वित्तीय देयताएँ	1,182.52	455.52	1,638.04
	कुल (अ)	**13,651.39**	**52,759.28**	**66,410.67**
ब	**गैर-वित्तीय देयताएँ**			
	(क) प्रावधान	155.50	1,061.99	1,217.49
	(ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ	100.75	1,739.50	1,840.25
	कुल (ब)	**256.25**	**2,801.49**	**3,057.74**
स	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	-	2,687.76	2,687.76
	(ख) अन्य इक्विटी	-	7,578.78	7,578.78
	कुल (स)	**-**	**10,266.54**	**10,266.54**
	कुल देयताएं और इक्विटी (अ+ब+स)	**13,907.64**	**65,827.31**	**79,734.95**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को		कुल
		12 महीनों के अंदर	12 महीनों से ज़्यादा	
I.	**परिसंपत्तियां**			
अ	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क) नकद और नकद समकक्ष	74.21	-	74.21
	(ख) उपर्युक्त (क) के अलावा बैंक शेष	600.40	61.28	661.68
	(ग) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	122.34	361.44	483.78
	(घ) प्राप्य			
	(I) व्यापार प्राप्य	4.42	1.60	6.02
	(II) अन्य प्राप्य	-	-	-
	(ङ) ऋण	8,666.75	50,108.34	58,775.09
	(च) निवेश	1.96	99.34	101.30
	(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11.72	11.75	23.47
	कुल (अ)	**9,481.80**	**50,643.75**	**60,125.55**
ब	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ**			
	(क) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	155.41	-	155.41
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	-	289.45	289.45
	(ग) निवेश संपत्ति	-	0.03	0.03
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	206.40	206.40
	(ङ) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	-	-	-
	(च) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	-	149.89	149.89
	(छ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-
	(ज) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	4.78	4.78
	(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7.46	1,661.49	1,668.94
	कुल (ब)	**162.87**	**2,312.03**	**2,474.90**
	कुल परिसंपत्तियाँ (अ+ब)	**9,644.67**	**52,955.78**	**62,600.45**
II.	**देयताएँ और इक्विटी**			
	देयताएँ			
अ	**वित्तीय देयताएँ**			
	(क) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत	181.22	26.80	208.02
	(ख) देय राशि			
	(I) व्यापार देय राशि	7.30	-	7.30
	(ग) ऋण प्रतिभूतियाँ	-	17,713.61	17,713.61
	(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	8,692.87	22,630.98	31,323.85
	(ङ) अधीनस्थ देयताएँ	-	649.42	649.42
	(च) अन्य वित्तीय देयताएँ	923.94	416.36	1,340.30
	कुल (अ)	**9,805.33**	**41,437.17**	**51,242.50**
ब	**गैर-वित्तीय देयताएँ**			
	(क) प्रावधान	-	991.12	991.12
	(ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ	-	1,807.41	1,807.41
	कुल (ब)	**-**	**2,798.53**	**2,798.53**
स	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	-	2,687.76	2,687.76
	(ख) अन्य इक्विटी	-	5,871.66	5,871.66
	कुल (स)	**-**	**8,559.42**	**8,559.42**
	कुल देयताएं और इक्विटी (अ+ब+स)	**9,805.33**	**52,795.12**	**62,600.45**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

49. मास्टर निर्देश-भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 (यथा संशोधित) के संदर्भ में प्रकटीकरण

क. कंपनी द्वारा कार्यान्वित संकल्प योजनाएँ

(₹ करोड़ में)

समाप्त वर्ष	उधार संख्या	वर्ष के अंत में बकाया मूलधन	ईसीएल के अनुसार हानि भत्ता
31.03.2025	-	-	-
31.03.2024	-	-	-

ब. पूँजी

क. जोखिम-भारित परिसम्पत्तियों के लिए पूंजी अनुपात (सीआरएआर)

कंपनी, समय-समय पर संशोधित, आरबीआई द्वारा निर्धारित मास्टर निर्देशों/परिपत्रों/दिशा-निर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है। एक एनबीएफसी और अवसंरचना वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते, कंपनी को 15% (10% की न्यूनतम स्तर I पूंजी के साथ) का पूंजी पर्याप्तता अनुपात या जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिए पूँजी अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखना आवश्यक है, जिसकी गणना कंपनी की स्तर-I और स्तर -II पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्तियों से विभाजित करके की जाती है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को*
1	सीआरएआर (%)	17.77 %	15.51%
2	सीआरएआर – स्तर I पूंजी (%)	15.15 %	13.94%
3	सीआरएआर – स्तर II पूंजी (%)	2.62 %	1.57%

31 मार्च, 2025 तक स्तर -I पूँजी के सतत ऋण लिखत की राशि 11.11% (पिछले वर्ष: शून्य%) है।

*31 मार्च, 2024 तक, कंपनी का प्रतिवेदित सीआरएआर 20.11% था, जिसमें स्तर -I पूँजी 18.08% और स्तर -II पूँजी 2.03% शामिल थी। यह गणना कंपनी द्वारा वित्तपोषित चालू अक्षय ऊर्जा अवसंरचना परियोजना परिसंपत्तियों को सौंपे गए 50% जोखिम भार पर आधारित थी, जो अपनी वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) तक पहुँच चुकी थीं और एक वर्ष से अधिक समय से परिचालन में थीं। हालाँकि, 31 मार्च, 2025 से प्रभावी, कंपनी ने इन परिसंपत्तियों पर 100% जोखिम भार लागू किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 तक इसी अवधि का सीआरएआर पुनः प्रस्तुत किया गया है।

ख. वर्ष के दौरान जुटाई गई स्तर II पूंजी और सतत ऋण लिखतों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1	स्तर -II पूंजी के रूप में उगाहे गए अधीनस्थ ऋण की राशि	910.37	-
2	स्तर -I पूंजी के रूप में उगाहे गए सतत ऋण लिखतों की राशि	1,239.00	-
3	स्तर -II पूंजी के रूप में उगाहे गए सतत ऋण लिखतों की राशि	8.00	-

ग. वर्ष के अंत में बकाया स्तर II पूंजी और सतत ऋण लिखतों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1	स्तर-II पूंजी के रूप में उगाहे गए अधीनस्थ ऋण की राशि	1,559.10	649.41
2	स्तर-I पूंजी के रूप में उगाहे गए सतत ऋण उपकरणों की राशि	1,239.00	-
3	स्तर-II पूंजी के रूप में उगाहे गए सतत ऋण उपकरणों की राशि	8.00	-

वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 1,247 करोड़ (पिछले वर्ष: शून्य) के सतत ऋण लिखत (पीडीआई) जारी किए हैं जिनकी कोई परिपक्वता नहीं है और जिन्हें आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से न्यूनतम 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर ही वापस किया जा सकता है।

पीडीआई धारकों के दावे इस प्रकार हैं:

1. कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों के धारकों के दावों से बेहतर; और
2. कंपनी के अन्य सभी लेनदारों (लेकिन पीडीआई धारकों के लिए एक साथ रूप से) के दावों के अधीन। कंपनी कूपन का भुगतान स्थगित कर सकती है, यदि:

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

i. कंपनी का पूंजी जोखिम परिसंपत्ति अनुपात ("सीआरएआर") आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से कम है; या

ii. कंपनी के सीआरएआर में ऐसे भुगतान का परिणाम आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम हो जाता है या कम रहता है।

3. यदि जारीकर्ता द्वारा किसी कूपन भुगतान के परिणामस्वरूप शुद्ध हानि हो सकती है या जारीकर्ता की शुद्ध हानि बढ़ सकती है, तो जारीकर्ता द्वारा ऐसा कूपन भुगतान आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा और ऐसा अनुमोदन के प्राप्त होने पर किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा भुगतान करने के बाद सीआरएआर नियामक मानदंड से ऊपर बना रहे।

4. बॉण्ड्स पर कूपन ऊपर (2) में वर्णित मामलों को छोड़कर संचयी नहीं होगा।

5. लॉक-इन क्लॉज के आह्वान के सभी मामलों को जारीकर्ता द्वारा आरबीआई को सूचित किया जाएगा या लागू कानून के तहत अन्यथा आवश्यक होगा।

जारीकर्ता द्वारा लॉक-इन क्लॉज़ के आह्वान को जारीकर्ता द्वारा की गई चूक नहीं माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप बॉण्ड्स के संबंध में 'चूक की घटना' (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) नहीं होगी।

घ. लाभांश

निदेशक मंडल कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की निगरानी करता है और इसकी एक सुस्पष्ट वितरण नीति है जो कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/corporate-governance पर उपलब्ध है।

एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ("सीपीएसई") होने के नाते, कंपनी पूंजी पुनर्गठन पर सीपीएसई दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, जिसके तहत प्रत्येक सीपीएसई को कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30% या निवल संपत्ति का 4%, जो भी अधिक हो, किसी भी मौजूदा कानूनी प्रावधान के तहत सीमा के अधीन, यदि कोई हो, का भुगतान करना अनिवार्य है। एनबीएफसी जैसे वित्तीय क्षेत्र के सीपीएसई किसी भी मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत सीमा के अधीन, यदि कोई हो, कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30% के वार्षिक लाभांश का भुगतान कर सकते हैं।

कंपनी को डीआईपीएएम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश के भुगतान से छूट प्राप्त हुई है।

ग. कंपनी का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण				31.03.2025 को	31.03.2024 को
(1)	निवेश मूल्य				
	(i)	निवेश का सकल मूल्य			
		(क)	भारत में		
			- सहायिका कंपनी में	26.00	-
			- एमआईबीओआर से जुड़ी फ्लेक्सी जमा (अर्जित ब्याज सहित)	1.59	0.66
			- भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (उद्धृत) (अर्जित ब्याज सहित)	600.14	101.30
			- वाणिज्यिक कागजात (पूर्णत: ह्रासित)	68.99	68.99
		(ख)	भारत के बाहर	-	-
	(ii)	हानि हेतु प्रावधान			
		(क)	भारत में	68.99	68.99
		(ख)	भारत के बाहर	-	-
	(iii)	निवेश का निवल मूल्य			
		(क)	भारत में	627.73	101.96
		(ख)	भारत के बाहर	-	-
(2)	निवेश पर हानि के लिए रखे गए प्रावधानों का संचलन।				
	(i)	प्रारंभिक शेष		68.99	68.99
	(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		-	-
	(iii)	घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / वापस लिखना		-	-
	(iv)	अंतिम शेष		68.99	68.99

*टिप्पणी 7 के अंतर्गत प्रकटित निवेश: निवेश में भारतीय लेखा मानक - 110 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुरूप उक्त राशि शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

घ. व्युत्पन्नी

❖ **वादा दर संविदा / ब्याज दर स्वैप समझौता**

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2025 को	31.03.2024 को
i)	स्वैप समझौतों का काल्पनिक मूलधन*	6,590.12	7,661.03
ii)	यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियाँ	487.88	483.78
iii)	स्वैप में प्रवेश करने पर लागू एनबीएफसी द्वारा आवश्यक संपार्श्विक	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण **	टिप्पणी देखें*	टिप्पणी देखें*
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य	464.68	275.77

* काल्पनिक मूलधन, समापन तिथियों हेतु आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करके भारतीय रुपये में परिवर्तित विदेशी मुद्रा में सौदे की राशि को दर्शाता है।

**आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्वैप और व्युत्पन्नी एसोसिएशन (आईएसडीए) बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी भारतीय बैंक और विदेशी बैंक) के साथ स्वैप समझौते में शामिल होती है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप समझौते बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के भीतर हैं।

❖ **विनिमय व्यापार ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नी** - शून्य

❖ **व्युत्पन्नी में जोखिम अनावरण पर प्रकटीकरण**

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) कंपनी ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और अन्य परिसंपत्ति देयता बेमेल सहित विभिन्न बाजार जोखिमों से अवहित है।

(ii) सभी व्युत्पन्नी सौदे विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति (एफएमसी) की देखरेख में किए जाते हैं। कंपनी को विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और ब्याज दर जोखिम से बचाने के लिए, कंपनी ने व्युत्पन्नी लिखत के माध्यम से ऐसे जोखिम को कम करने के लिए आईएसडीए बैंकों के साथ दीर्घकालिक समझौते किए हैं।

(iii) कंपनी मामले-दर-मामला आधार पर बछाव लिखत अपनाकर विनिमय में उतार-चढ़ाव के जोखिम से सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी की जोखिम क्षमता और प्रचलित बाजार परिदृश्य के आधार पर प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस), फॉरवर्ड आदि जैसे विभिन्न व्युत्पन्नी अनुबंध किए हैं।

(iv) कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी जोखिम प्रबंधन नीति है, जो खुले जोखिम की अधिकतम स्वीकार्य सीमा को परिभाषित करती है और जो बकाया विदेशी मुद्रा ऋण के 40% से अधिक नहीं हो सकती है। 31 मार्च, 2025 तक कंपनी का विदेशी मुद्रा ऋण खुला जोखिम कुल विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम का 27.68 % (पिछले वर्ष: 22.18%) है।

ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण

31.03.2025 को

क्र. सं.	विवरण	वायदा संविदा सहित मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप सहित ब्याज दर व्युत्पन्नी
(i)	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूलधन राशि)*		
	बचाव हेतु (मिलियन में)	€ 66.12 $ 514.25 ¥ 22,791.60	$ 33.32
	मूल्य (₹ करोड़ में)	6,304.92	285.20
(ii)	मार्क से बाजार स्थिति		
	क) परिसंपत्ति (+) (₹ करोड़ में)	429.24	58.64
	ख) देयता (-) (₹ करोड़ में	(23.20)	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	विवरण	वायदा संविदा सहित मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप सहित ब्याज दर व्युत्पन्नी
(iii)	ऋण प्रकटीकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	बचाव-रहित प्रकटीकरण (बकाया मूलधन राशि हेतु जिसमें आंशिक बचाव शामिल है जिसे बचाव नहीं माना जाता है) (₹ करोड़ में)	2,360.71	

*काल्पनिक मूलधन, समापन तिथियों हेतु आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करते हुए भारतीय रुपये में परिवर्तित विदेशी मुद्रा में बकाया सौदे की राशि को दर्शाता है।

31.03.2024 को

क्र. सं.	विवरण	वायदा संविदा सहित मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस)	क्रॉस मुद्रा ब्याज दर स्वैप सहित ब्याज दर व्युत्पन्नी
(i)	व्युत्पन्नी(काल्पनिक मूलधन राशि)*		
	बचाव हेतु (मिलियन में)	€ 134.40 $ 530.40 ¥ 28,522.57	€ 1.11 $ 37.99 ¥ 2,094.87
	मूल्य (₹ करोड़ में)	7,218.82	442.21
(ii)	मार्क से बाजार स्थिति		
	क) परिसंपत्ति (+) (₹ करोड़ में)	422.83	60.96
	ख) देयता (-) (₹ करोड़ में)	(197.20)	(10.82)
(iii)	ऋण प्रकटीकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	बचाव-रहित प्रकटीकरण (बकाया मूलधन राशि हेतु जिसमें आंशिक बचाव शामिल है जिसे बचाव नहीं माना जाता है) (₹ करोड़ में)	2,062.30	

*काल्पनिक मूलधन, समापन तिथियों हेतु आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करते हुए भारतीय रुपये में परिवर्तित विदेशी मुद्रा में बकाया सौदे की राशि को दर्शाता है।

ङ. इरेडा की परिसंपत्तियों और देयताओं के कतिपय मदों की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिपक्वता पद्धति

31.03.2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	7 दिनों तक	8 -14 दिन	14 दिनों से ऊपर - 30/31 दिन	1 महीने से ऊपर-2 महीने	2 महीने से ऊपर-3 महीने	3 महीने से ऊपर-6 महीने तक	6 महीने से ऊपर-1 साल तक	1 साल से ऊपर एवं 3 साल तक	3 साल से ऊपर एवं 5 साल तक	5 साल से ऊपर	कुल
जमा	-	-	-	-	-	1.59	-	-	-	-	**1.59**
ब्याज सहित अग्रिम	0.99	-	546.41	557.28	1,843.78	3,300.11	6,500.87	22,279.86	10,207.03	30,252.10	**75,488.43**
निवेश	0.62	-	-	52.78	1.95	3.19	376.20	66.06	-	125.36*	**626.16**
रुपया उधार	308.76	8.33	405.17	1,309.94	1,039.68	3,128.21	5,494.74	14,068.53	6,789.07	23,677.57	**56,230.00**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	0.32	-	-	-	-	-	-	-	**0.32**
विदेशी मुद्रा देयताएं	-	-	82.24	12.05	111.80	175.41	381.50	1,528.43	1,296.85	4,939.33	**8,527.61**

*टिप्पणी 7 के अंतर्गत प्रकटित निवेश: निवेश में भारतीय लेखा मानक - 110 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुरूप उक्त राशि शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

31.03.2024 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	7 दिनों तक	8 - 14 दिन	14 दिनों से ऊपर -30/31 दिन	1 महीने से ऊपर-2 महीने	2 महीने से ऊपर-3 महीने	3 महीने से ऊपर-6 महीने तक	6 महीने से ऊपर-1 साल तक	1 साल से ऊपर एवं 3 साल तक	3 साल से ऊपर एवं 5 साल तक	5 साल से ऊपर	कुल
जमा	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.66**
ब्याज सहित अग्रिम	1.02	-	396.28	403.79	991.90	2,002.56	4,896.34	15,992.99	8,822.83	25,404.35	**58,912.06**
निवेश	-	-	-	-	1.96	-	-	-	-	99.34	**101.30**
रुपया उधार	82.62	-	229.17	419.64	1,306.69	2,450.30	3,386.20	13,050.58	4,651.65	14,819.08	**40,395.93**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.58**
विदेशी मुद्रा देयताएं	-	-	72.50	56.85	108.97	170.80	409.14	1,636.56	1,531.05	5,312.80	**9,298.67**

च. निवेश

❖ **रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश**

31 मार्च, 2025 तक कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई निवेश नहीं है (पिछले साल : शून्य करोड़)।

❖ **पूंजी बाजार में निवेश**

31 मार्च, 2025 तक कंपनी का पूंजी बाजार में कोई निवेश नहीं है (पिछले साल : शून्य करोड़)।

❖ **क्षेत्रीय निवेश**

क्षेत्र	31.03.2025 को समाप्त वर्ष			31.03.2024 को समाप्त वर्ष		
	कुल निवेश (तुलन पत्र और तुलन पत्र से बाहर निवेश शामिल हैं) (₹ करोड़ में)	सकल एनपीए (₹ करोड़ में)	उस क्षेत्र में कुल निवेश में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल निवेश (तुलन पत्र और तुलन पत्र से बाहर निवेश शामिल हैं) (₹ करोड़ में)	सकल एनपीए (₹ करोड़ में)	उस क्षेत्र में कुल निवेश में सकल एनपीए का प्रतिशत
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	-	-	-	-	-	-
2. उद्योग						
i) नवीकरणीय ऊर्जा	78,700.12	1,866.25	2.37%	61,324.72	1,410.85	2.30%
उद्योग का योग (i+ii+अन्य)						
3. सेवाएँ						
अन्य	-	-	-	-	-	-
सेवाओं का योग (i+ii+अन्य)						
4. व्यक्तिगत ऋण						
अन्य	-	-	-	-	-	-
व्यक्तिगत ऋणों का योग (i+ii+अन्य)						
5. अन्य, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें)						

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ **अंतर-समूह निवेश**

अंतर-समूह निवेश से संबंधित प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
i	अंतर-समूह निवेश की कुल राशि	-	-
ii	शीर्ष 20 अंतर-समूह निवेश की कुल राशि	-	-
iii	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल निवेश में अंतर-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	-	-

❖ **बचाव रहित विदेशी मुद्रा निवेश**

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 38(21) देखें।

छ. मूल कंपनी उत्पादों के वित्तपोषण का विवरण – लागू नहीं

❖ **लागू एनबीएफसी द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण**

31.03.2025 को सीमा से अधिक एकल निवेश की सूची

क्र.सं.	नाम	निवेश (₹ करोड़ में)	%
	शून्य		

* सीमा से अधिक जोखिम की गणना के लिए, स्तर I पूंजी/स्वामित्व वाली निधियों को ₹ 9,502.68 करोड़ माना गया है, अर्थात 31 मार्च, 2024 तक स्तर 1 पूंजी ₹ 8,265.20 करोड़ है और 21 मार्च, 2025 को कंपनी द्वारा उगाहे गए सतत ऋण उपकरण (पीडीआई - स्तर 1) (जारी व्यय का निवल) ₹ 1,237.48 करोड़ है।

31.03.2024 को सीमा से अधिक एकल निवेश की सूची

क्र.सं.	नाम	निवेश (₹ करोड़ में)	%
	शून्य		

31.12.2023 तक स्तर I पूंजी/स्वामित्व निधि ₹7,857.01 करोड़ है। *

*सीमा से अधिक जोखिम की गणना के लिए, स्तर I पूंजी/स्वामित्व वाली निधियों को ₹ 7,857.01 करोड़ माना गया है, अर्थात 31 मार्च, 2023 तक स्तर 1 पूंजी ₹ 5,489.56 करोड़ है, 31 दिसंबर 2023 तक प्रतिधारित आय/लाभ में वृद्धि - ₹ 1,100.65 करोड़ और नवंबर 2023 में आईपीओ (जारी व्यय का शुद्ध) की प्रक्रिया के माध्यम से उगाही गई निधि ₹ 1,266.80 करोड़ है।

31.03.2025 को सीमा से अधिक समूह निवेशों की सूची

क्र.सं.	समूह का नाम	स्तर (₹ करोड़ में)	%
	शून्य		

*सीमा से अधिक जोखिम की गणना के लिए, स्तर I पूंजी/स्वामित्व वाली निधियों को ₹ 9,502.68 करोड़ माना गया है, अर्थात 31 मार्च, 2024 तक स्तर 1 पूंजी ₹ 8,265.20 करोड़ है और 21 मार्च, 2025 को कंपनी द्वारा जुटाए गए सतत ऋण उपकरण (पीडीआई - टियर 1) (जारी व्यय का शुद्ध) ₹ 1,237.48 करोड़ है।

31.03.2024 को सीमा से अधिक समूह निवेशों की सूची

क्र.सं.	समूह का नाम	निवेश (₹ करोड़ में)	%
	शून्य		

31.12.2023 तक स्तर I पूंजी/स्वामित्व वाली निधियाँ ₹7,857.01 करोड़ हैं।*

*सीमा से अधिक निवेश की गणना के लिए, स्तर I पूंजी/स्वामित्व वाली निधियों को ₹ 7,857.01 करोड़ माना गया है, अर्थात 31 मार्च, 2023 तक स्तर I पूंजी ₹ 5,489.56 करोड़ है, 31 दिसंबर, 2023 तक प्रतिधारित आय/लाभ में वृद्धि ₹ 1,100.65 करोड़ और नवंबर 2023 में आईपीओ (जारी व्यय को घटाकर) की प्रक्रिया के माध्यम से उगाही गई निधियाँ ₹ 1,266.80 करोड़ हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

ज. विविध

❖ **अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों से प्राप्त पंजीकरण :**

इरेडा लिमिटेड हेतु

क्र.सं.	विनियामक का नाम	विवरण	पंजीकरण विवरण
1	कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय	कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65100DL1987GOI027265
2	भारतीय रिजर्व बैंक	पंजीकरण संख्या	14.000012
3	लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड	एलईआई संख्या	335800AXWFKW4BC99J48

❖ **इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड**

क्र.सं.	विनियामक का नाम	विवरण	पंजीकरण विवरण
1	कॉरपोरेट मामले मंत्रालय	कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	U66190GJ2024GOI151339
2	आईएफएससीए	पंजीकरण संख्या	FCO2025FNC0793
3	लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड	एलईआई संख्या	3358004Z1TUWVPZRGE81

❖ **कंपनी के पास निम्नलिखित विदेशी परिसंपत्तियाँ हैं:-**

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी का नाम	देश	31.03.2025 तक कुल परिसंपत्तियाँ	31.03.2024 तक कुल परिसंपत्तियाँ
इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, गुजरात, भारत	26.00	-

टिप्पणी के तहत प्रकटित निवेश में भारतीय लेखा मानक - 110 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुरूप उक्त राशि शामिल नहीं है।

❖ तुलन पत्र से बाहर कंपनी द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी नहीं हैं।

❖ समूह भारतीय लेखा मानक - 110 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रहा है।

झ. वर्ष के दौरान आरबीआई और अन्य विनियामकों द्वारा लगाये गए दंड का प्रकटीकरण :

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी विनियामक द्वारा समूह में कंपनियों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है [पिछले वर्ष : शून्य]।

ञ. शिकायतों का प्रकटीकरण : -

1) कंपनी को अपने शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

विवरण		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	04	-
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	19	2,246
ग)	वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	23	2,242
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	00	04

2) कंपनी को अपने डिबेंचर धारकों/बॉण्ड धारकों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2	28
ग)	वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	2	28
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

3) ग्राहकों से और लोकपाल कार्यालयों से कंपनी को प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
	एनबीएफसी को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	-	-
3.	वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	-	-
3.1	इनमें से एनबीएफसी द्वारा रद्द की गई शिकायतों की संख्या	-	-
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
	लोकपाल कार्यालय से एनबीएफसी को प्राप्त होने वाली सुनवाई योग्य शिकायतें		
5.	लोकपाल कार्यालय से एनबीएफसी को प्राप्त होने वाली सुनवाई योग्य शिकायतों की संख्या	2	1*
5.1	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा एनबीएफसी के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	1*	-
5.2	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी किए गए सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	2	-
5.3	5 में से, एनबीएफसी के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा पंचाट पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	-	-
6	निर्धारित समय के भीतर लागू न किए गए पंचाटों की संख्या (उन लोगों के अलावा जिन्होंने अपील किया था)	-	-

*वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में आरबीआई सीएमएस टीम के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी; वित्तीय वर्ष 2024-25 में समाधान हो गया है।

एनबीएफसी को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों का आधार, (अर्थात निम्न से संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु					
ऋण और अग्रिम	1	1	-	-	-
पीओआई	0	1	100%	-	-
कुल	**1**	**2**	**100%**	**-**	**-**
31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु					
ऋण और अग्रिम	-	1	(100%)	1	-
कुल	**-**	**1**	**(100%)**	**1**	**-**

ट. साख श्रेणी निरधारण एजेंसियों द्वारा दी गई साख श्रेणी और साख श्रेणी का स्थानांतरण

कंपनी ने कर योग्य/कर-मुक्त/बैंक ऋण जारी करके संसाधन उगाहे हैं, जिसके लिए उसने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों से इन निर्गमों हेतु साख श्रेणी प्राप्त की है। 31 मार्च, 2025 तक विवरण निम्नानुसार हैं:

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	साख श्रेणी एजेंसी	कर योग्य/कर-मुक्त बॉण्ड्स/उप ऋण पर दीर्घकालिक रेटिंग	सतत ऋण पर दीर्घकालिक साख श्रेणी	बैंक ऋण उधार पर साख श्रेणी
1.	आईसीआरए	आईसीआरए एएए (स्थिर)	आईसीआरए एए+ (स्थिर)	आईसीआरए एएए (स्थिर)/ आईसीआरए ए1+**
2.	सीएआरई	सीएआरई एएए (स्थिर)	लागू नहीं	सीएआरई एएए (स्थिर)
3.	इंडिया साख श्रेणियाँ	इंड एएए (स्थिर)	इंड एए+ (स्थिर)	इंड एएए (स्थिर)/इंड ए1+**
4.	ब्रिकवर्क साख श्रेणियाँ	बीडब्ल्यूआर एएए (स्थिर)	लागू नहीं	बीडब्ल्यूआर एएए (स्थिर)
5.	एक्यूइट साख श्रेणी	लागू नहीं	लागू नहीं	एक्यूइट एएए (स्थिर)

*बैंक उधार में अल्पकालिक ऋण शामिल हैं।

** बैंकों से अल्पकालिक उधार हेतु

अंतरराष्ट्रीय साख श्रेणी :

क्र. सं.	साख श्रेणी एजेंसी	दीर्घकालिक जारीकर्ता साख श्रेणी	अल्पकालिक जारीकर्ता साख श्रेणी	दृष्टिकोण
1.	एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स लिमिटेड	बीबीबी -	ए-3	स्थिर

साख श्रेणी का स्थानांतरण :

क्र.सं.	साख श्रेणी एजेंसी	पिछली साख श्रेणी	वर्तमान साख श्रेणी	मंतव्य
1.	सीएआरई	सीएआरई एए + (सकारात्मक)	सीएआरई एएए (स्थिर)	अपग्रेड किया गया

वर्ष के दौरान, सीएआरई साख श्रेणी ने ऋण उपकरणों पर हमारी साख श्रेणी को समुन्नत किया है।

भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड्स को साख श्रेणी प्रदान की गई

साख श्रेणी एजेंसी	लिखत/उद्देश्य/मुद्दा	साख श्रेणी
सीएआरई रेटिंग्स लिमिटेड	भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड्स	एएए, स्थिर
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड		
आईसीआरए लिमिटेड		

वर्ष के दौरान भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्डों की साख श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ठ. जमा, अग्रिम, जोखिम और एनपीए का संकेन्द्रण

❖ **अग्रिमों का संकेन्द्रण**

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	33,708.57	25,567.40
कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	44.20 %	42.83%

❖ **निवेश का संकेन्द्रण**

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल निवेश (₹ करोड़ में)	34,162.59	25,567.40
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर लागू एनबीएफसी के कुल निवेशों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए निवेशों का प्रतिशत	43.42 %	42.83%

उपर्युक्त में शीर्ष-20 उधारकर्ताओं के संबंध में 31 मार्च, 2025 तक ₹454.01 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹102.78 करोड़) का गैर-निधि निवेश शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ एनपीए का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल निवेश	639.64	589.31

❖ क्षेत्र-वार एनपीए

क्र. सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	
		31.03.2025 को	31.03.2024 को
1.	कृषि व संबद्ध गतिविधियाँ	-	-
2.	एमएसएमई	-	-
3.	कॉरपोरेट उधारकर्ता	2.45 %	2.36 %
4.	सेवाएँ	-	-
5.	अरक्षित व्यक्तिगत ऋण	-	-
6.	ऑटो ऋण	-	-
7.	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

टिप्पणी – कंपनी कॉरपोरेट उधारकर्ता को आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण के व्यवसाय में युक्त है, इसलिए सकल एनपीए % का योग कॉरपोरेट उधारकर्ता में दिखाया गया है

❖ एनपीए संचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण		31.03.2025 को	31.03.2024 को
(i)	निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%)		1.35%	0.99%
(ii)	एनपीए संचलन(सकल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	1,410.85	1,513.35
	(ख)	वर्ष के दौरान संयोजन	669.51	44.34
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	214.11	146.84
	(घ)	अंतिम शेष	1,866.25	1,410.85
(iii)	निवल एनपीए का संचलन			
	(क)	प्रारंभिक शेष	581.21	768.02
	(ख)	वर्ष के दौरान संयोजन	560.44	12.62
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	120.99	199.43
	(घ)	समापन शेष	1,020.66	581.21
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधानों का संचलन (मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	829.64	745.33
	(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	153.47	157.62
	(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/वापस लेना	137.52	73.31
	(घ)	अंतिम शेष	845.59	829.64

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 38(42) भी देखें।

ड. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचा

i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा और उधार दोनों) के आधार पर वित्तपोषण संकेन्द्रण

क्र.सं.	अवधि	महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष की संख्या*	राशि (₹ करोड़ में)	कुल जमा का %	कुल देयताओं का %
1	31.03.2025 को	33	55,196.93	लागू नहीं	79.46%
2.	31.03.2024 को	28	43,361.14	लागू नहीं	80.24%

***टिप्पणी :**

- एक"महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष"को एक एकल प्रतिपक्ष या जुड़े हुए या संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कुल मिलाकर कंपनी की कुल देयताओं का 1% से अधिक हिस्सा लेते हैं।
- कुल देयताओं की गणना कुल परिसंपत्तियों में से इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षित निधि और अधिशेष को घटाकर की गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

ii) शीर्ष 20 बड़ी जमा

अवधि	बड़ी जमा	राशि (₹ करोड़ में)	कुल जमा का %
31.03.2025 को	लागू नहीं		
31.03.2024 को			

iii) शीर्ष 10 उधार

31.03.2025 को

क्र.सं.	उधार	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधार का %
1	भारतीय स्टेट बैंक से ऋण*	11,933.17	18.43%
2	पंजाब नेशनल बैंक से ऋण	3,106.09	4.80%
3	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से ऋण	2,946.65	4.55%
4	यूरोपीयन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से ऋण	2,564.96	3.96%
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऋण	2,069.09	3.20%
6	7.37% इरेडा कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XVI-च	2,000.00	3.09%
7	बैंक ऑफ इंडिया से ऋण	1,968.23	3.04%
8	7.94% इरेडा कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XII-घ	1,500.00	2.32%
9	7.44% इरेडा कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XVI-ख	1,500.00	2.32%
10	7.36% इरेडा कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XVI-घ	1,500.00	2.32%

*इसमें बैंक ऋण, अल्पावधि ऋण और ओवरड्राफ्ट/सीसी सीमा शामिल है

31.03.2024 को

क्र.सं.	उधार	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधार का %
1	भारतीय स्टेट बैंक	9,219.09	18.55%
2	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए)	3,021.62	6.08%
3	बैंक ऑफ इंडिया	2,718.74	5.47%
4	यूरोपीयन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी)	2,717.76	5.47%
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2,350.00	4.73%
6	नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी)	2,050.00	4.13%
7	पंजाब नेशनल बैंक	1,631.25	3.28%
8	7.94% इरेडा कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XII-घ	1,500.00	3.02%
9	एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	1,222.82	2.46%
10	7.53% इरेडा कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XV-च	1,222.00	2.46%

iv) महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद के आधार पर वित्तपोषण संकेन्द्रण

31.03.2025 को

क्र.सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1.	बैंकों से सावधि ऋण (रक्षित)	26,102.18	37.57%
2.	कर योग्य बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (अरक्षित)*	22,066.14	31.76%
3.	अन्य से सावधि ऋण (असुरक्षित)	3,678.15	5.29%

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र.सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
4.	कर योग्य बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (रक्षित)*	3,818.00	5.50%
5.	कर-मुक्त बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (सुरक्षित)	2,576.60	3.71%
6.	बैंकों से सावधि ऋण (अरक्षित)	3,709.16	5.34%
7.	अधीनस्थ देयताएँ*	2,807.37	4.04%

*अंकित मूल्य पर

31.03.2024 को

क्र.सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1.	बैंकों से सावधि ऋण (रक्षित)	23,305.85	43.13%
2.	कर योग्य बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (अरक्षित)	11,326.14	20.96%
3.	अन्य से सावधि ऋण (अरक्षित)	6,807.20	12.60%
4.	कर योग्य बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (रक्षित)	3,818.00	7.07%
5.	कर-मुक्त बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (रक्षित)	2,576.60	4.77%
6.	बैंकों से सावधि ऋण (अरक्षित)	1,128.16	2.09%
7.	अधीनस्थ देयताएँ	650.00	1.20%

टिप्पणी :

- एक"महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष"को एक एकल प्रतिपक्ष या जुड़े हुए या संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कुल मिलाकर कंपनी की कुल देयताओं का 1% से अधिक हिस्सा लेते हैं।
- कुल देयताओं की गणना कुल परिसंपत्तियों में से इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षित निधि और अधिशेष को घटाकर की गई है।
- एक"महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद"को समान लिखतों/उत्पादों के समूह के एकल लिखत /उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कुल मिलाकर कंपनी की कुल देयताओं के 1% से अधिक है।

v) स्टॉक अनुपात:

क्र.सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	कुल सार्वजनिक निधियों के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
2	कुल देयताओं के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
3	कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
4	कुल सार्वजनिक निधियों के % के रूप में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम)	लागू नहीं	लागू नहीं
5	कुल देयताओं के % के रूप में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम)	लागू नहीं	लागू नहीं
6	कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम)	लागू नहीं	लागू नहीं
7	कुल सार्वजनिक निधियों के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कोई हों,	2.24%	2.78%
8	कुल देनदारियों के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कोई हों	2.09%	3.02%
9	कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कोई हों	1.82%	2.40 %

टिप्पणी : अन्य अल्पकालिक देनदारियों की गणना व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों, व्यापार देयताओं, अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय देनदारियों के योग के रूप में की गई है, जिसमें परिपक्वता के आधार पर भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड्स शामिल नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

vi) चल निधि जोखिम प्रबंधन हेतु संस्थागत व्यवस्था

कंपनी के निदेशक मंडल ने परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और निवेश समिति का गठन किया है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, परिसंपत्ति देयता प्रोफ़ाइल, जोखिम निगरानी प्रणाली, चल निधि जोखिम प्रबंधन, वित्तपोषण और पूंजी नियोजन, लाभ नियोजन और विकास अनुमानों, विभिन्न परिदृश्यों का पूर्वानुमान और विश्लेषण और आकस्मिक योजनाओं की तैयारी की समीक्षा करती है।

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी के जोखिम प्रोफ़ाइल की निगरानी और माप करती है और कंपनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली की देखरेख करती है। कंपनी पर्याप्त नकद/कोषागार अधिशेष बनाए रखकर चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। प्रबंधन नियमित रूप से नकद और नकद समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय ऋण वित्तपोषण योजनाओं और तुलन पत्र चल निधि के रखरखाव सहित वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन किया जाता है।

ढ. चल निधि कवरेज अनुपात पर प्रकटीकरण: -

आरबीआई ने अपने मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्तर आधारित विनियमन) निर्देश, 2023, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, के माध्यम से एनबीएफसी के लिए चल निधि जोखिम प्रबंधन को कवर करने वाले दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें आरबीआई ने ₹5,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाले सभी गैर-जमा लेने वाले एनबीएफसी पर लागू चल निधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रस्तुत किया। दिशा-निर्देशों का उद्देश्य एलसीआर के संदर्भ में एक चल निधि सुरक्षा बनाये रखना है और यह सुनिश्चित करके कि उनके पास अगले 30 दिनों तक चलने वाले किसी भी तीव्र चल निधि दबावग्रस्त परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) है। दिशा-निर्देश के अनुसार, एलसीआर को अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल निवल नकद बहिर्वाह (दबावग्रस्त बहिर्वाह कम दबावग्रस्त अंतर्वाह) से विभाजित उच्च-गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) के स्टॉक द्वारा दर्शाया जाता है। एचक्यूएलए को आरबीआई द्वारा चल निधि परिसंपत्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है या कम/बिना किसी मूल्य हानि के तुरंत नकद में परिवर्तित किया जा सकता है या दबाव की स्थिति में धन प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

कंपनी ने 01 दिसंबर, 2020 से एलसीआर आवश्यकता का अनुपालन किया है, जो कि 50% के न्यूनतम एलसीआर की निर्धारित आवश्यकता के विरुद्ध है, जो 1 दिसंबर, 2024 तक 100% के आवश्यक स्तर तक उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। कंपनी केवल भारतीय रुपये में एलसीआर बनाये रख रही है; इसलिए कोई मुद्रा बेमेल नहीं है।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां		पहली तिमाही (अप्रैल - जून 2024)		दूसरी तिमाही (जुलाई - सितंबर 2024)		तीसरी तिमाही (अक्टूबर - दिसंबर 2024)		चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2025)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1	**कुल उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)**	**389.17**	**389.17**	**754.46**	**754.46**	**750.27**	**750.27**	**726.57**	**726.57**
	- सरकारी क्षेत्र / राज्य विकास ऋण (एसडीएल) / विशेष प्रतिभूतियां	300.66	300.66	636.00	636.00	656.74	656.74	649.42	649.42
	-नकद एवं नकद समकक्ष	88.51	88.51	118.46	118.46	93.53	93.53	77.15	77.15

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

नकद बहिर्वाह									
2	जमा (जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों हेतु)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	असुरक्षित थोक वित्तपोषण	-	-	-	-	-	-	-	-
4	रक्षित थोक वित्तपोषण	-	-	-	-	-	-	-	-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	-	-	-	-	-	-	-	-
(i)	व्युत्पन्नी जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	ऋण उत्पादों पर वित्तपोषण के नुकसान से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण और चल निधि सुविधाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	1,138.23	1,308.96	1,712.85	1,969.78	2,099.38	2,414.29	1,802.79	2,073.21
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	-	-	-	-	-	-	23.76	27.32
8	**कुल नकद बहिर्वाह**	**1,138.23**	**1,308.96**	**1,712.85**	**1,969.78**	**2,099.38**	**2,414.29**	**1,826.55**	**2,100.54**
नकद अंतर्वाह									
9	सुरक्षित उधार	-	-	-	-	-	-	-	-
10	पूरी तरह से निष्पादित जोखिमों से अंतर्वाह	1,010.04	757.53	1,525.92	1,144.44	1,338.63	1,003.97	2,114.41	1,585.81
11	अन्य नकद अंतर्वाह*	4,078.17	3,048.63	5,566.20	4,174.65	3,883.16	2,912.37	4,590.02	3,442.52
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**5,088.21**	**3,816.16**	**7,092.12**	**5,319.09**	**5,221.79**	**3,916.34**	**6,704.43**	**5,028.33**
			कुल समायोजित मूल्य		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**
13	कुल एचक्यूएलए		389.17		754.46		750.27		726.57
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		327.24		492.44		603.57		525.13
15	चल निधि कवरेज अनुपात (%)		119%		153%		124%		138 %

*ऋण की लाइनें - ऋण/ चल निधि /अन्य आकस्मिक सुविधाएं

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां		पहली तिमाही (अप्रैल - जून 2023)		दूसरी तिमाही (जुलाई - सितंबर 2023)		तीसरी तिमाही (अक्टूबर - दिसंबर 2023)		चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2024)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए) **	296.41	296.41	912.65	912.65	957.78	957.78	986.16	986.16
नकद बहिर्वाह									
2	जमा (जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों हेतु)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	असुरक्षित थोक वित्तपोषण	470.76	541.37	105.84	121.72	195.46	224.78	787.36	905.46
4	सुरक्षित थोक वित्तपोषण	416.71	479.22	468.18	538.41	519.80	597.77	882.05	1,014.35
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	-	-	-	-	-	-	-	-
(i)	व्युत्पन्नी जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	27.74	31.90	80.30	92.35	24.15	27.78	27.80	31.98
(ii)	ऋण उत्पादों पर वित्तपोषण के नुकसान से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण और चल निधि सुविधाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	28.10	32.32	5.78	6.65	-	-	0.92	1.06
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	-	-	-	-	-	-	-	-
8	**कुल नकद बहिर्वाह**	**943.31**	**1,084.81**	**660.10**	**759.13**	**739.41**	**850.33**	**1,698.13**	**1,952.85**
नकद अंतर्वाह									
9	सुरक्षित उधार	947.90	710.92	709.36	532.02	939.67	704.75	1,164.12	873.09
10	पूरी तरह से निष्पादित जोखिमों से अंतर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
11*	अन्य नकद अंतर्वाह	-	-	-	-	-	-	2,892.38	2,169.28
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**947.90**	**710.92**	**709.36**	**532.02**	**939.67**	**704.75**	**4,056.50**	**3,042.37**
			कुल समायोजित मूल्य		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**
13	**कुल एचक्यूएलए**		**296.41**		**912.65**		**957.78**		**986.16**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

14	**कुल निवल नकद बहिर्वाह**		**373.89**		**227.11**		**212.58**		**488.21**
15	**चल निधि कवरेज अनुपात (%)**		**79%**		**402%**		**451%**		**202%**

ऋण की लाइनें - ऋण/ चल निधि /अन्य आकस्मिक सुविधाएं

** एचक्यूएलए में सरकारी प्रतिभूतियाँ, बैंकों के साथ सावधि और मांग जमा, नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं।

ण. आरबीआई की आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और भारतीय लेखा मानक 109 'वित्तीय उपकरण' के अनुसार हानि भत्ते की तुलना।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	**इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण**	**इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि**	**इंड एएस 109 के अधीन आवश्यक अनुसार ऋण भत्ता (प्रावधान)**	**निवल वहन राशि**	**आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान**	**इंड एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर**
1	**2**	**3**	**4**	**(5) =(3)-(4)**	**6**	**(7) = (4)-(6)**
निष्पादित परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	71,685.96	329.66	71,356.30	804.80	243.64
	चरण 2	2,633.30	718.78	1,914.52		
उप-योग		**74,319.26**	**1,048.44**	**73,270.82**	**804.80**	**243.64**
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
घटिया	चरण 3	703.65	128.38	575.27	70.36	58.02
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 3	11.98	7.41	4.57	8.71	(1.30)
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	1,150.59	709.76	440.83	868.09	(158.33)
संदिग्ध के लिए उप-योग		1,162.57	717.17	445.40	876.80	(159.63)
हानि	चरण 3	0.03	0.03	-	0.03	-
एनपीए के लिए उप-योग		**1,866.25**	**845.58**	**1,020.67**	**947.19**	**(101.61)**
गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएँ आदि जैसी अन्य मद जो भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	2,418.47	26.21	2,392.26	-	26.21
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-योग		**2,418.47**	**26.21**	**2,392.26**	**-**	**26.21**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

	चरण 1	74,104.43	355.87	73,748.56	804.80	269.85
	चरण 2	2,633.30	718.78	1,914.52		
	चरण 3	1,866.25	845.58	1,020.67	947.19	(101.61)
	कुल योग	**78,603.98**	**1,920.23**	**76,683.75**	**1,751.99**	**168.24**

* इसमें पुनर्गठित और सामान्य प्रावधान के लिए प्रावधान शामिल हैं

₹12.28 करोड़ के एनपीए खाते में आकस्मिक शुल्क (नामे शेष) पर प्रावधान को छोड़कर

31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अधीन आवश्यक अनुसार ऋण भत्ता (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5) =(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादित परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	56,062.30	270.98	55,791.32	651.94*	194.35
	चरण 2	2,124.43	575.30	1,549.13		
उप-योग		**58,186.73**	**846.28**	**57,340.45**	**651.94**	**194.35**
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
घटिया	चरण 3	41.94	12.62	29.32	4.19	8.43
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	7.11	4.22	2.89	7.11	(2.89)
1 से 3 वर्ष	चरण 3	69.72	41.60	28.12	21.19	20.41
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	1,292.06	771.18	520.88	908.55	(137.37)
संदिग्ध के लिए उप-योग		1,368.89	817.00	551.89	936.85	(119.85)
हानि	चरण 3	0.03	0.03	-	0.03	-
एनपीए के लिए उप-योग		**1,410.86**	**829.65**	**581.21**	**941.07**	**(111.43)**
गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएँ आदि जैसी अन्य मद जो भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	1,626.61	9.53	1,617.08	-	9.53
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-योग		**1,626.61**	**9.53**	**1,617.08**	**-**	**9.53**
	चरण 1	57,688.92	280.52	57,408.40	651.94	203.88
	चरण 2	2,124.43	575.30	1,549.13		
	चरण 3	1,410.86	829.65	581.21	941.07	(111.43)
	कुल योग	**61,224.20**	**1,685.46**	**59,538.74**	**1,593.01**	**92.45**

* इसमें पुनर्गठित और सामान्य प्रावधान के लिए प्रावधान शामिल हैं।

₹11.80 करोड़ के एनपीए खाते में आकस्मिक शुल्क (नामे शेष) पर प्रावधान को छोड़कर।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

त. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अर्जित ऋणों के शून्य रिपोर्ट योग्य मामले हैं (पिछले वर्ष: शून्य) जिन्हें मास्टर निर्देश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निर्देश, 2021 दिनांक 24 सितंबर 2021 के अधीन रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।

थ. निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को दिए गए ऋणों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
निदेशक और उनके रिश्तेदार*	-	-
निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी संस्थाएँ	-	-
वरिष्ठ अधिकारी और उनके रिश्तेदार	-	-

*संबंधित निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

द. मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 के अनुलग्नक VIII में निर्धारित अनुसार जानकारी/विवरण

इरेडा के तुलन पत्र की अनुसूची (31.03.2025 को)

(₹ करोड़ में)

विवरण				31.03.2025 को	
देनदारी पक्ष				**बकाया राशि**	**अतिदेय राशि**
1	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिये गए ऋण और अग्रिम, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया :**				
		(क)	डिबेंचर: सुरक्षित	6,520.93	-
			: असुरक्षित	25,520.81	-
			(सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने वालों को छोड़कर)		
		(ख)	आस्थगित ऋण	-	-
		(ग)	सावधि ऋण	33,424.43	-
		(घ)	अंतर-कॉरपोरेट ऋण और उधार	-	-
		(ङ)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
		(च)	सार्वजनिक जमा	-	-
		(छ)	अन्य ऋण - ओवरड्राफ्ट	222.92	-
2	**उपर्युक्त (1)(च) का विवरण (बकाया सार्वजनिक जमा, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया) :**				
		(क)	असुरक्षित डिबेंचर के रूप में	-	-
		(ख)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर के रूप में, यानी ऐसे डिबेंचर, जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
		(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा	-	-
परिसम्पत्ति पक्ष				**बकाया राशि**	
3	**बिल प्राप्य सहित ऋण और अग्रिम का विवरण [नीचे (4) में शामिल किए गए को छोड़कर] :**				
		(क)	सुरक्षित	63,291.99	
		(ख)	असुरक्षित	12,885.86	
4	**पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों और किराये पर स्टॉक तथा अन्य परिसंपत्तियों का ब्यौरा, जो एएफसी गतिविधियों में शामिल हैं**				
	(i)	विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टे के किराये सहित पट्टे की परिसंपत्तियां			
		(क)	वित्तीय पट्टा		-
		(ख)	परिचालन पट्टा		-
	(ii)	विविध देनदारों के अंतर्गत किराये के शुल्क सहित किराये पर स्टॉक:			

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

		(क)	किराये पर परिसंपत्तियां	-
		(ख)	पुनः प्राप्त परिसंपत्तियां -	-
	(iii)	एएफसी गतिविधियों में शामिल अन्य ऋण		
		(क)	ऐसे ऋण, जहां परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त किया गया है	-
		(ख)	उपर्युक्त (क) के अलावा अन्य ऋण	-
5	**निवेशों का ब्यौरा**			
	वर्तमान निवेश			
	1.	**उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) वरीयता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड्स	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	434.72
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	**गैर उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) वरीयता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड्स	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
		अल्पकालिक जमा (भारतीय रुपये)		1.59
		वाणिज्यिक पत्र (पूर्ण रूप से प्रदान की गई हानि)		68.99
	दीर्घकालिक निवेश			
	1.	**उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) वरीयता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड्स	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	165.42
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	**गैर-उद्धृत**		
	(i)	शेयर		
		(क)	इक्विटी	26.00*
		(ख)	वरीयता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड्स		-
	(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		-
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		-

टिप्पणी के तहत प्रकटित निवेश में भारतीय लेखा मानक - 110 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुरूप उक्त राशि शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

उपर्युक्त (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूहवार वर्गीकरण

6	**श्रेणी**			**राशि (प्रावधान का निवल) (₹ करोड़ में)**		
				सुरक्षित	**असुरक्षित**	**कुल**
	1	संबंधित पक्ष				
		(क)	सहायक कंपनियां	-	-	-
		(ख)	समान समूह की कंपनियां	-	-	-
		(ग)	अन्य संबंधित पक्ष	1.25	-	1.25
	2	संबंधित पक्षों के अलावा अन्य		62,432.88	12,885.86	75,318.74
	कुल			**62,434.13**	**12,885.86**	**75,319.99**

7	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर-उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण :**				
	श्रेणी			**बाजार मूल्य/ ब्योरा या उचित मूल्य या एनएवी**	**बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)**
	1	संबंधित पक्ष			
		(क)	सहायक कंपनियां	26.00	26.00
		(ख)	समान समूह की कंपनियां	-	-
		(ग)	अन्य संबंधित पक्ष	-	-
	2	संबंधित पक्षों के अलावा अन्य		596.55	601.72
	कुल			**622.55**	**627.72**

8	**अन्य जानकारी**			
	विवरण			**राशि (₹ करोड़ में)**
	(i)	सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ		
		(क)	संबंधित पक्ष	51.11*
		(ख)	संबंधित पक्षों के अलावा अन्य	1,815.14
	(ii)	निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ		
		(क)	संबंधित पक्ष	27.52*
		(ख)	संबंधित पक्षों के अलावा अन्य	993.15
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अर्जित परिसंपत्तियाँ		-

*यह मामला मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) से संबंधित है, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, जिसका 31 मार्च, 2025 तक ऋण बकाया ₹51.11 करोड़ है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

इरेडा के तुलन पत्र की अनुसूची (31.03.2024 को)

(₹ करोड़ में)

विवरण				31.03.2024 को	
देनदारी पक्ष				**बकाया राशि**	**अतिदेय राशि**
1	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिये गए ऋण और अग्रिम, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया:**				
		(क)	डिबेंचर: सुरक्षित	6,521.42	-
			असुरक्षित	12,247.11	-
			(सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने वालों को छोड़कर)		
		(ख)	आस्थगित ऋण	-	-
		(ग)	सावधि ऋण	31,433.14	-
		(घ)	अंतर-कॉरपोरेट ऋण और उधार	-	-
		(ङ)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
		(च)	सार्वजनिक जमा	-	-
		(छ)	अन्य ऋण - ओवरड्राफ्ट	82.62	-
2	**उपर्युक्त (1)(च) का विवरण (बकाया सार्वजनिक जमा, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया):**				
		(क)	असुरक्षित डिबेंचर के रूप में	-	-
		(ख)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर के रूप में, यानी ऐसे डिबेंचर, जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
		(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा	-	-
परिसम्पत्ति पक्ष				**बकाया राशि**	
3	**बिल प्राप्य सहित ऋण और अग्रिम का विवरण [नीचे (4) में शामिल किए गए को छोड़कर]:**				
		(क)	सुरक्षित	53,129.24	
		(ख)	असुरक्षित	6,487.30	
4	**पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों और किराये पर स्टॉक तथा अन्य परिसंपत्तियों का ब्यौरा, जो एएफसी गतिविधियों में शामिल हैं**				
	(i)		विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टे के किराये सहित पट्टे की परिसंपत्तियां		
		(क)	वित्तीय पट्टा	-	
		(ख)	परिचालन पट्टा	-	
	(ii)		विविध देनदारों के अंतर्गत किराये के शुल्क सहित किराये पर स्टॉक:		
		(क)	किराये पर परिसंपत्तियां	-	
		(ख)	पुनः प्राप्त परिसंपत्तियां	-	
	(iii)		एएफसी गतिविधियों में शामिल अन्य ऋण		
		(क)	ऐसे ऋण, जहां परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त किया गया है	-	
		(ख)	उपर्युक्त (क) के अलावा अन्य ऋण	-	
5	**निवेशों का ब्यौरा**				
	वर्तमान निवेश				
	1.		**उद्धृत**		
		(i)	शेयर		
			(क) इक्विटी	-	
			(ख) वरीयता	-	
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-	

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयां	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-
	2.	**गैर उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) वरीयता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड्स	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	-
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) -	-
		अल्पकालिक जमा (भारतीय रुपये)		0.66
		वाणिज्यिक पत्र (पूर्ण रूप से प्रदान की गई हानि)		68.99
	दीर्घकालिक निवेश			
	1.	**उद्धृत**		
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) वरीयता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड्स	-
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	101.30
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) -	-
	2.	**गैर-उद्धृत**		
	(i)	शेयर		
		(क)	इक्विटी	-
		(ख)	वरीयता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड्स		-
	(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियाँ		-
	(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) -		-

उपर्युक्त (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूहवार वर्गीकरण

	श्रेणी			**राशि (प्रावधान का निवल) (₹ करोड़ में)**		
				सुरक्षित	**असुरक्षित**	**कुल**
6	**1**	संबंधित पक्ष				
		(क)	सहायक कंपनियां	-	-	-
		(ख)	समान समूह की कंपनियां	-	-	-
		(ग)	अन्य संबंधित पक्ष	0.12	-	0.12
	2	संबंधित पक्षों के अलावा अन्य		52,287.67	6,487.30	58,774.97
	कुल			**52,287.79**	**6,487.30**	**58,775.09**

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

7	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर-उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण:**				
	श्रेणी			**बाजार मूल्य/ ब्योरा या उचित मूल्य या एनएवी**	**बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)**
	1	संबंधित पक्ष			
		(क)	सहायक कंपनियां	-	-
		(ख)	समान समूह की कंपनियां	-	-
		(ग)	अन्य संबंधित पक्ष	-	-
	2	संबंधित पक्षों के अलावा अन्य		95.66	101.96
	कुल			**95.66**	**101.96**
8	**अन्य जानकारी**				
	विवरण				**राशि (₹ करोड़ में)**
	(i)	सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ			
		(क)	संबंधित पक्ष		-
		(ख)	संबंधित पक्षों के अलावा अन्य		1,410.85
	(ii)	निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ			
		(क)	संबंधित पक्ष		-
		(ख)	संबंधित पक्षों के अलावा अन्य		581.21
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अर्जित परिसंपत्तियाँ			-

50. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) और 53(च) द्वारा अपेक्षित अनुसार प्रकटीकरण

सहयोगी		**31.03.2025 को समाप्त वर्ष**		**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**	
		31.03.2025 को राशि	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि**	**31.03.2024 को राशि**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि**
1	ऋण और ऋण की प्रकृति में अग्रिम	शून्य		शून्य	
क)	सहयोगियों को				
ख)	उन कंपनियों को जिनमें निदेशकों की रुचि है				

51. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 52(4) के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	**विवरण**	**इकाई**	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के अनुसार/हेतु**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के अनुसार/हेतु**
1	कर्ज़ इक्विटी अनुपात[1]	गुणा	6.31	5.80
2	बकाया मोचनीय अधिमान्यता शेयर	₹ करोड़ में	-	-
3	डिबेंचर मोचनीय आरक्षित निधि	₹ करोड़ में	439.01	397.75
4	निवल मूल्य[2]	₹ करोड़ में	10,266.54	8,559.43
5	कर पश्चात निवल लाभ	₹ करोड़ में	1,698.34	1,252.23
6	प्रति शेयर आय	₹ प्रति शेयर	6.32	5.16

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

7	कुल परिसम्पत्तियों पर कुल ऋण[3]	गुणा	0.81	0.79
8	परिचालन मार्जिन प्रतिशत[4]	%	31.01%	33.92%
9	निवल लाभ मार्जिन प्रतिशत[5]	%	25.14%	25.22%

टिप्पणी :

1. ऋण/इक्विटी अनुपात = कुल ऋण/निवल मूल्य
2. निवल संपत्ति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(57) में परिभाषित अनुसार की जाती है।
3. कुल ऋण से कुल परिसंपत्तियां = कुल ऋण / कुल परिसंपत्तियां
4. परिचालनगत मार्जिन - कर पूर्व शुद्ध परिचालनगत लाभ / परिचालन से कुल राजस्व
5. शुद्ध लाभ मार्जिन = कर पश्चात शुद्ध लाभ / कुल आय

52. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत आवश्यक समेकित संस्थाओं के संबंध में प्रकटीकरण

समूह में संस्था का नाम	शुद्ध संपत्तियाँ अर्थात कुल संपत्ति में से कुल देनदारियाँ घटाएँ		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित शुद्ध संपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी								
इरेडा लिमिटेड	99.99 %	10,266.16	100.02 %	1,698.60	99.07 %	68.23	99.98 %	1,766.83
सहायक कंपनी - भारतीय								
इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	0.26 %	26.36	(0.02) %	(0.28)	0.93 %	0.64	0.02 %	0.36
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	(0.25) %	(25.98)	0.00 %	0.02	-	-	0.00 %	0.02
कुल	**100 %**	**10,266.54**	**100 %**	**1,698.34**	**100 %**	**68.87**	**100 %**	**1,767.21**

53. आंकड़े नज़दीकी करोड़ रुपये (₹) में पूर्णांकित किए गए हैं (शेयरों की संख्या और ईपीएस को छोड़कर)। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहीकृत किया गया है। 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष क्रम से वित्त वर्ष 25 और वित्त वर्ष 24 के लिए वर्ष-दर-वर्ष (वाईटीडी) आंकड़ों को संदर्भित करता है। 0.00 में दिए गए आंकड़े ₹50,000 से कम मूल्य को दर्शाते हैं।

54. समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रासंगिक सीमा तक और सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में उपलब्ध जानकारी की सीमा तक किया गया है।

सम तिथि की हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989एन

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15.04.2025

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षर/-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या 08816532

हस्ताक्षर/-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07448576

हस्ताक्षर/-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

प्रपत्र एओसी - 1

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण, जिसमें 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियों या सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएँ शामिल हैं।

भाग क : सहायक कंपनियाँ

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी का नाम	**इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड**
सहायक कंपनी के अधिग्रहण/निगमीकरण की तिथि	07.05.2024
संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो।	31.03.2025
शेयर पूँजी	26.00
आरक्षित निधि और अधिशेष	0.36
कुल परिसंपत्तियाँ	27.76
कुल देयताएँ	1.40
निवेश	-
कारोबार	-
कराधान से पहले लाभ/(हानि)	(0.28)
कराधान के लिए प्रावधान	-
कराधान के बाद लाभ/(हानि)	(0.28)
प्रस्तावित लाभांश	-
शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	100%

टिप्पणियाँ:

1. उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका अभी परिचालन शुरू होना बाकी है: शून्य
2. उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या विक्रय हो चुका है: शून्य
3. कंपनी की कोई विदेशी सहायक कंपनी नहीं है।
4 कारोबार को परिचालन से राजस्व के रूप में माना जाता है।

सम तिथि की हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते शिव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या: 009989एन

हस्ताक्षर/-
सीए शिव प्रकाश चतुर्वेदी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 085084

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15.04.2025

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षर/-
डॉ. बिजय कुमार महान्ती
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या 08816532

हस्ताक्षर/-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07448576

हस्ताक्षर/-
एकता मदान
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

पांच वर्षों का प्रचालन सारांश

वित्तीय स्थिति **(₹ करोड़ में)**

विवरण	वित्त वर्ष 25	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 21
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	77,140.32	60,125.55	47,891.79	34,235.08	27,937.93
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2,594.03	2,474.90	2,555.21	2,473.32	2,355.05
कुल परिसंपत्तियाँ	**79,734.35**	**62,600.45**	**50,447.00**	**36,708.40**	**30,292.98**
वित्तीय देयताएँ	66,410.45	51,242.50	41,656.68	28,636.42	24,976.96
गैर-वित्तीय देयताएँ	3,057.74	2,798.53	2,855.15	2,803.87	2,320.83
कुल देयताएँ	**69,468.19**	**54,041.03**	**44,511.83**	**31,440.29**	**27,297.79**
इक्विटी शेयर पूंजी	2,687.76	2,687.76	2,284.60	2,284.60	784.60
अन्य इक्विटी	7,578.40	5,871.66	3,650.57	2,983.51	2,210.59
कुल इक्विटी	**10,266.16**	**8,559.42**	**5,935.17**	**5,268.11**	**2,995.19**
कुल देयताएं और इक्विटी	**79,734.35**	**62,600.45**	**50,447.00**	**36,708.40**	**30,292.98**

ऋण संविभाग **(₹ करोड़ में)**

विवरण	वित्त वर्ष 25	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 21
ऋण स्वीकृति	47,453.11	37,353.68	32,586.60	23,921.06	11,001.30
ऋण संवितरण	30,167.87	25,089.04	21,639.21	16,070.82	8,828.35
बकाया ऋण	76,281.65	59,698.11	47,075.52	33,930.61	27,853.92

वित्तीय कार्य-प्रदर्शन **(₹ करोड़ में)**

विवरण	वित्त वर्ष 25	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 21
परिचालन से राजस्व					
ब्याज आय	6,575.39	4,822.40	3,373.83	2,713.22	2,564.34
शुल्क और कमीशन आय	95.71	60.02	37.33	106.39	33.77
व्युत्पन्नियों के उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)	13.13	(11.26)	12.43	(1.47)	(12.47)
अन्य परिचालन आय	58.18	92.77	58.39	41.77	69.17
प्रचालन से कुल राजस्व	**6,742.41**	**4,963.93**	**3,481.98**	**2,859.91**	**2,654.81**
अन्य आय	12.37	1.36	1.07	14.26	2.93
कुल आय	**6,754.78**	**4,965.29**	**3,483.05**	**2,874.17**	**2,657.74**
व्यय					
वित्त लागत	4,141.03	3,164.10	2,088.44	1,587.25	1,570.26
शुद्ध परिवर्तन /लेन-देन विनिमय हानि/(लाभ)	41.61	(16.53)	24.03	45.89	69.85
वित्तीय लिखतों पर हानि	237.23	(67.22)	66.58	179.90	341.65
कर्मचारी लाभ व्यय	81.05	71.32	63.09	58.82	47.36
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	38.80	30.35	23.50	23.24	22.67
अन्य व्यय	86.48	76.51	71.19	135.71	20.02
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	24.78	21.51	6.97	9.51	16.42
कुल व्यय	**4,650.98**	**3,280.04**	**2,343.80**	**2,040.32**	**2,088.23**
परिचालन लाभ	**2,142.60**	**1,715.60**	**1,162.75**	**857.09**	**592.18**
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**2,103.80**	**1,685.25**	**1,139.25**	**833.85**	**569.51**
कर व्यय	405.20	433.01	274.62	200.31	223.11
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**1,698.60**	**1,252.24**	**864.63**	**633.54**	**346.40**

मुख्य अनुपात/सूचना

विवरण	वित्त वर्ष 25	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 21
निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	10,266.16	8,559.42	5,935.17	5,268.11	2,995.19
टियर I पूंजी (₹ करोड़ में)	11,137.60	8,265.20	5,489.56	4,814.51	2,784.08
टियर II पूंजी (₹ करोड़ में)	1,922.96	929.93	1,086.06	991.18	909.53
सकल एनपीए (%)	2.45%	2.36%	3.21%	5.21%	8.77%
निवल एनपीए (%)	1.35%	0.99%	1.66%	3.12%	5.61%
औसत परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल (%)	2.39%	2.20%	1.71%	1.93%	1.28%
ऋण से इक्विटी अनुपात	6.31	5.80	6.77	5.24	8.01
प्रति शेयर आय (₹)	6.32	5.16	3.78	8.03	4.42
प्रति शेयर बुक मूल्य (₹)	38.20	31.85	25.98	23.06	38.17

टिप्पणियां: